रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 17—फरवरी 23, 2007 (माघ 28, 1928)

No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 17—FEBRUARY 23, 2007 (MAGHA 28, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	61
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	119
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	331
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	223
भा[illegible]--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गईं पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	119
भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गईं अधिसूचनाएं	*
भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गईं अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1695
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	151
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	61
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	119
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	331
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	223
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	119
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1695
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	151
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 2007

सं. 3-प्रेज/2007--राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2007 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

श्री वी. दिनेश रेड्डी
उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
आन्ध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
आन्ध्र प्रदेश

श्री एस. के. जयचन्द्र
अपर पुलिस महानिदेशक एवं निदेशक पुलिस संचार
आन्ध्र प्रदेश

श्री लोकेन्द्र शर्मा
अपर पुलिस महानिदेशक
मानवाधिकार, हैदराबाद
आन्ध्र प्रदेश

श्री अम्बाती शिव नारायण
अपर पुलिस महानिदेशक
आन्ध्र प्रदेश विशेष पुलिस, हैदराबाद
आन्ध्र प्रदेश

श्री विडियाला रुद्र कुमार
अपर पुलिस अधीक्षक
आसूचना रोधी सैल, हैदराबाद
आन्ध्र प्रदेश

श्री पी. डी. गोस्वामी
पुलिस उपमहानिरीक्षक
वी एवं ए सी, असम गुवाहाटी
असम

श्री राज्यवर्धन शर्मा
पुलिस महानिरीक्षक
पटना
बिहार

श्री पारस नाथ राय
विशेष सचिव एवं पुलिस महानिरीक्षक
पटना
बिहार

श्री रमेश कुमार सिंह
पुलिस महानिरीक्षक
एस सी आर बी एवं कार्मिक, बिहार, पटना
बिहार

श्री कृष्ण कुमार महेश्वरी
संयुक्त पुलिस आयुक्त
आर पी भवन, नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

श्री कमर अहमद
संयुक्त पुलिस आयुक्त/यातायात
पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

श्री हनुमान सिंह
सहायक पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

श्री दाता राम
निरीक्षक
दक्षिणी जिला, नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

श्री जे. के. झाला
निरीक्षक
एस वी एस, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, गांधी नगर
गुजरात

श्री सोहन सिंह
अपर महानिदेशक-सह-कमान्डेन्ट जनरल होम गार्ड
नागरिक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवा, शिमला
हिमाचल प्रदेश

श्री कश्मीर सिंह राणा
पुलिस महानिरीक्षक/राज्य, एच आर सी
शिमला
हिमाचल प्रदेश

श्री जॉन वी. जार्ज
अपर पुलिस महानिदेशक
अपराध एल एवं ओ, पंचकुला
हरियाणा

श्री जे. डी. एच. गुरिया
पुलिस अधीक्षक
सी आई डी झारखंड, रांची
झारखंड

श्री ओम प्रकाश
पुलिस महानिरीक्षक एवं निदेशक
के. पी. ए. मैसूर
कर्नाटक

श्री बिपिन गोपालकृष्ण
पुलिस महानिरीक्षक, अपर पुलिस आयुक्त
बंगलौर सिटी
कर्नाटक

डॉ. अलफोन्स लुइस इरायिल
अपर पुलिस महानिदेशक
ए पी बटालियन
त्रिवेन्द्रम
केरल

श्री सिबी मैथ्यूज
अपर निदेशक, वी एवं ए सी बी
त्रिवेन्द्रम
केरल

डॉ. एन. एल डोंगरे
उप महानिरीक्षक
होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा
जबलपुर
मध्य प्रदेश

श्री तिल बहादुर थापा
हेड कांस्टेबल
भोपाल
मध्य प्रदेश

श्री राकेश हरिकृष्ण मारिया
विशेष पुलिस महानिरीक्षक
मुम्बई
महाराष्ट्र

श्री पी. आर. पाडवी
रिजर्व पुलिस निरीक्षक
थाणे सिटी
महाराष्ट्र

श्री आर. एम. सैय्यद
निरीक्षक
सी बी डी पी एस, नवी मुम्बई
महाराष्ट्र

श्री अनूप कुमार पाराशर
पुलिस महानिदेशक
मणिपुर, इम्फाल
मणिपुर

श्री सी. वनरमलथमा
सहायक प्रधानाचार्य
पी टी सी लुगवेढ़
मिजोरम

श्री विष्णु चरण दास
पुलिस अधीक्षक
जेपोर, जिला कोरापुट, उड़ीसा
उड़ीसा

श्री निला मोहन त्रिपाठी
जोनल पुलिस उपाधीक्षक
एस बी भुबनेश्वर
उड़ीसा

श्री रणबीर सिंह
सहायक उप निरीक्षक
चंडीगढ़
पंजाब

श्री ज्ञान सिंह
सहायक उप निरीक्षक (ओ आर पी)
चंडीगढ़
पंजाब

श्री सुनील माथुर
पुलिस अधीक्षक
अजमेर
राजस्थान

श्री सलाहुद्दीन सिद्दीकी
उप निरीक्षक
कोटा
राजस्थान

श्री आर. सेकर
पुलिस महानिरीक्षक
चेन्नई
तमिलनाडु

श्री ए. सुब्रमणियन
पुलिस महानिरीक्षक (आसूचना)
चेन्नई
तमिलनाडु

श्री ए. सी. एच. रामाराव
अपर पुलिस महानिदेशक
एल ओ एवं ए पी
त्रिपुरा

श्री देव राज नागर
अपर पुलिस महानिदेशक
आसूचना मुख्यालय लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री राजीव
निदेशक (सतर्कता)
भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड नई दिल्ली
उत्तर प्रदेश

श्री हरीनाथ यादव
पुलिस उपाधीक्षक
आजमगढ़
उत्तर प्रदेश

श्री कवि राज नेगी
अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध, कानून एवं व्यवस्था)
पुलिस मुख्यालय देहरादून
उत्तरांचल

श्री विजय राघव पंत
मुख्य सतर्कता अधिकारी, एन.एच.पी.सी. लिमिटेड
फरीदाबाद
उत्तरांचल

श्री राज कनौजिया
पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था)
पश्चिम बंगाल

श्री ए. के. चटर्जी
अपर पुलिस आयुक्त
कोलकाता
पश्चिम बंगाल

श्री के. एल. मीणा
पुलिस महानिरीक्षक
उत्तरी बंगाल क्षेत्र, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग
पश्चिम बंगाल

श्री रंजीत कुमार पचनंदा
महानिरीक्षक
मुख्यालय महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल, नई दिल्ली
सीमा सुरक्षा बल

श्री पी. के. मिश्रा
उप महानिरीक्षक
एफ एच क्यू सी जी ओ कम्प्लैक्स, नई दिल्ली
सीमा सुरक्षा बल

श्री बलजीत सिंह
उप महानिरीक्षक
मुख्यालय, महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल, सी जी ओ कम्प्लैक्स
नई दिल्ली
सीमा सुरक्षा बल

श्री बलबीर सिंह
उप महानिरीक्षक
फ्रन्टियर मुख्यालय, सीमा सुरक्षा बल एन. बी., कदमतला
सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल
सीमा सुरक्षा बल

श्री मोहिन्दर लाल वासन
उप महानिरीक्षक
फ्रन्टियर मुख्यालय, सीमा सुरक्षा बल कैम्प, जालंधर
सीमा सुरक्षा बल

श्री एन. एन. अय्यप्पा
अपर उप महानिरीक्षक
एस टी एस बंगलौर, ए एफ स्टेशन, येलहांका
सीमा सुरक्षा बल

श्री ओ. पी. सिंह
महानिरीक्षक
एन. एस. आर. के. पुरम, नई दिल्ली
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री एन. जी. सुब्रमनिया
उप महानिरीक्षक
रायपुर (सी.जी.)
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री ए. पोनुस्वामी
अपर उप महानिरीक्षक
ग्रुप सैन्टर, सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल)
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री श्रीधर प्रसाद पोखरियाल
कमाण्डेन्ट
108 बटालियन, द्रुत कार्रवाई बल, मेरठ
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सतपाल कपूर
कमाण्डेन्ट
सी टी सी-III, नान्देड, महाराष्ट्र
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री करपाल सिंह
कमान्डेन्ट
137 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, श्रीनगर
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री आनंद चन्द्र पाँढ़ी
उप निरीक्षक
73 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, महरौली, नई दिल्ली
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री एस. ए. नईम
वरिष्ठ कमान्डेन्ट
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट आई ओ सी जी आर बड़ौदा
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री रामधर सिंह
वरिष्ठ कमान्डेन्ट
तारापुर
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री बी. बी. मिश्रा
संयुक्त निदेशक (पूर्व)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री ओम प्रकाश गौड़
पुलिस अधीक्षक
ए सी बी जम्मू
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री एस. एन. सक्सेना
पुलिस अधीक्षक
ए सी बी मुम्बई
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री एस. विजय कुमार
अपर पुलिस अधीक्षक
बी एस एवं एफ सी बंगलौर
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री एस. के. पेशिन
अपर पुलिस अधीक्षक
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ई ओ यू-VIII, नई दिल्ली
केन्द्रीय अन्वेष ब्यूरो

श्री सुरेन्द्र सिंह
संयुक्त निदेशक
जयपुर
गृह मंत्रालय

श्री अशोक कुमार पटनायक
संयुक्त निदेशक
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री एस. के. सिन्हा
संयुक्त निदेशक
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री जयकृत सिंह नेगी
उप निदेशक
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री सुब्रमणिया शिवा सिवरामास्वामी
संयुक्त उप निदेशक
चेन्नई
गृह मंत्रालय

श्री डी. एन. पांडे
सहायक निदेशक
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री वी. पी. महाजन
सहायक निदेशक
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री तरणी डे
सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी
ग्रेड-1/जी, गुवाहाटी
गृह मंत्रालय

श्री राजीव राय भटनागर
महानिरीक्षक
महानिदेशालय, भा.ति.सी.पु., सी जी ओ कम्प्लैक्स
लोदी रोड, नई दिल्ली
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री राम किशन शर्मा
सहायक कमान्डेन्ट
द्वितीय बटालियन डा. बबेली
जिला कुल्लू
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री सुरेन्द्र कुमार भगत
महानिरीक्षक
एफ एच क्यू, सशस्त्र सीमा बल, नई दिल्ली
गृह मंत्रालय (सशस्त्र सीमा बल)

श्री डी एम मित्रा
निदेशक
एन आई सी एफ एस
नई दिल्ली,
गृह मंत्रालय

श्री सुधीर कुमार अवस्थी
निदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय (राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो)

श्री पी. गौरीशंकर
उप सुरक्षा आयुक्त
बी सी ए एस चेन्नई एयरपोर्ट, चेन्नई
नागर विमानन मंत्रालय

श्री टी मुरुगाराज
ए.एस.सी.
आसूचना रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली
रेल मंत्रालय

2. यह पदक विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान करने हेतु विनियमित नियमों के नियम 4(ii) के अन्तर्गत प्रदान किए जाते हैं।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं. 4-प्रेज/2007--राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2007 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

श्री गोविन्द सिंह
पुलिस उप महानिरीक्षक
विशाखापत्तनम रेंज, विशाखापत्तनम
आन्ध्र प्रदेश

श्री अंजनि कुमार
पुलिस उप महानिरीक्षक
निज़ामाबाद रेंज
आन्ध्र प्रदेश

श्री रवि गुप्ता
पुलिस उप महानिरीक्षक
वारंगल
आन्ध्र प्रदेश

श्री के. राजा सिखामणि
कमान्डेन्ट
होम गार्ड्स, हैदराबाद
आन्ध्र प्रदेश

श्री सुहास चतुर्वेदी
पुलिस उपाधीक्षक
वी एण्ड ई, हैदराबाद देहात यूनिट
आन्ध्र प्रदेश

श्री यू. रामा मोहन
पुलिस उपाधीक्षक
एपीएफएसएल हैदराबाद
आन्ध्र प्रदेश

श्री जी. मल्लैयाह
निरीक्षक
एसआईबी, आईएनटी.
आन्ध्र प्रदेश

श्री एस जवाहरबाशा
निरीक्षक
वी एण्ड ई कुरनूल
आन्ध्र प्रदेश

श्री सी. एच. राजशेखर रेड्डी
निरीक्षक
कुरनूल नगर सर्किल
आन्ध्र प्रदेश

श्री आर. भीमा राव
एआरएसआई
3 बटालियन एपीएसपी
आन्ध्र प्रदेश

श्री एन कोटा रेड्डी
एआरएसआई
2 बटालियन एपीएसपी, कुरनूल
आन्ध्र प्रदेश

श्री के. ए. बारी
एआरएसआई
एसएआर/सीपीएल
आन्ध्र प्रदेश

श्री शेक महबूब बाशा
एआरएसआई
पीटीसी, अनन्तपुर
आन्ध्र प्रदेश

श्री जे. मालगोंडा
हेड कांस्टेबल
एसबीएचसी बंसवाडा
आन्ध्र प्रदेश

श्री जे. आर. बाबू
एसबी आरपीएचसी
गुंटकल
आन्ध्र प्रदेश

श्री मो. कुतबुद्दीन
हेड कांस्टेबल
पुलिस परिवहन संगठन, हैदराबाद
आन्ध्र प्रदेश

श्री बी. आर. डी. राव
कांस्टेबल
रेंज कार्यालय
आन्ध्र प्रदेश

श्री मनोज कुमार लाल
पुलिस उप महानिरीक्षक
पुलिस मुख्यालय-ईटानगर
अरुणाचल प्रदेश

श्री के. वी. सिंह देव
पुलिस उप महानिरीक्षक (सुरक्षा)
एसबी असम, गुवाहाटी
असम

श्री ए. जे. बरुआह
पुलिस अधीक्षक
सोनितपुर
असम

श्री बी. बी. चेत्री
पुलिस अधीक्षक
एनसी हिल्स हाफलोंग
असम

श्री मोनेसवर बोराह
सहायक उप निरीक्षक
वी एण्ड ए सी गुवाहाटी
असम

श्री प्रेमो दिहिंगिया
हवलदार
4, बटालियन एपीबीएन काहिलीपारा गुवाहाटी
असम

श्री टी. एस. तालुकदार
हैड कांस्टेबल
सीआईडी संगठन गुवाहाटी
असम

श्री दुरलव डेका
कांस्टेबल
सीआईडी संगठन उलूबारी, गुवाहाटी
असम

श्री के. एम. सिन्हा
अपर पुलिस अधीक्षक
बिहार पुलिस रेडियो मुख्यालय
बिहार

श्री अंजनि कुमार सिन्हा
पुलिस सारजेंट
पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना
बिहार

श्री अरविन्द कुमार
उप निरीक्षक
एसबी पुलिस महानिदेशक कार्यालय
बिहार

मो. वसी अहमद खान
हवलदार
बीएमपी-14
बिहार

मो. ज़फरुल्लाह खान
कान्स्टेबल
पटना
बिहार

श्री हरदेव पंडित
सिपाही
बीएमपी-2 डेहरी
बिहार

श्री नरेन्द्र कुमार खरे
कमान्डेन्ट
8, बटालियन छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल
छत्तीसगढ़

श्री धीरेन्द्र सिंह
एपीसी
11, बटालियन सीएएफ
छत्तीसगढ़

श्री आनन्द सिंह रावत
सेक्शन कमान्डर
10, बटालियन सीएएफ सुरगुजा
छत्तीसगढ़

श्री भगवत सिंह तोमर
हेड कान्स्टेबल
4, बटालियन सीएएफ माना रायपुर सी.जी.
छत्तीसगढ़

श्री शशि भूषण सिंह
हेड कान्स्टेबल
4, बटालियन सीएएफ माना रायपुर
छत्तीसगढ़

श्री पी. दंतेश्वर राव
वरि. कान्स्टेबल
एसआईबी
छत्तीसगढ़

श्री राम नरेश सिंह सेंगर
उप निरीक्षक
गिदाम पुलिस थाना, दांतेवाडा
छत्तीसगढ़

श्री अहमद सईद खान
सीवीओ
डीटीसी, दिल्ली प्रशासन
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री तेजेन्द्र सिंह लूथरा
अपर पुलिस आयुक्त
सीडब्ल्यूसी नानकपुरा, नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

डॉ. एन. दिलीप कुमार
अपर पुलिस आयुक्त
रशद एवं संभार तंत्र
दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री प्रभाकर
उप पुलिस आयुक्त
ईओडब्ल्यू, नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री श्रीराम मीणा
सहायक पुलिस आयुक्त
आरपी भवन, नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री यशवन्त सिंह
सहायक पुलिस आयुक्त
पीटीसी, नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री चन्द्र हास
निरीक्षक
भ्रष्टाचार रोधी शाखा, नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

सुश्री अचला रानी
महिला निरीक्षक
दक्षिण पश्चिम जिला नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री रमेश कुमार
निरीक्षक
एसएचओ/सब्जी मंडी, उत्तरी जिला नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री राजिन्दर सिंह
उप निरीक्षक
सुरक्षा नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री गिरधारी सिंह
सहायक उप निरीक्षक
सुरक्षा, नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री चूरामणि
हेड कान्स्टेबल
2, बटालियन डीएपी, दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री केशर चन्द
हेड कान्स्टेबल
दक्षिण पश्चिम नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री एस आर वरमोरा
पुलिस उपाधीक्षक
एसआरपीएफ जीआर-13 घंटेश्वर, राजकोट
गुजरात

श्री आई एन देसाई
निरीक्षक
राज्य यातायात शाखा गांधीनगर
गुजरात

श्री डी एच गोस्वामी
निरीक्षक
एटीएस अहमदाबाद
गुजरात

श्री सिराज ए. ज़भा
उप निरीक्षक
आरआरसैल सूरत रेंज सूरत
गुजरात

श्री एन. एल. व्यास
उप निरीक्षक
सेक्टर-I अहमदाबाद
गुजरात

श्री अब्दुलकरीम ए. शेख
उप निरीक्षक
विशेष शाखा, वडोदरा शहर
गुजरात

श्री मेघराजभाई एन. हर्ष
उप निरीक्षक
रीडर शाखा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पालनपुर
गुजरात

श्री मोघाजीभाई आर. गामेती
हेड कान्स्टेबल
ईसीओ कॉल मेहसाना
गुजरात

श्री विट्ठलभाई एल. वाघासिया
कान्स्टेबल
एसआरपीएफ जीआर-13 घंटेश्वर राजकोट
गुजरात

श्रीमती टी. टी. डिसूजा
निरीक्षक
सीआईडी आप्रवासन डाबोलिम हवाई अड्डा
गोवा

श्री रमेश चन्द्र मिश्रा
उप महानिरीक्षक
एम एण्ड डब्ल्यू, पुलिस मुख्यालय पंचकूला
हरियाणा

श्री मोहिन्दर सिंह मलिक
पुलिस अधीक्षक
जींद
हरियाणा

श्री जगदीश चन्द
निरीक्षक
आईटी सैल, पुलिस मुख्यालय, पंचकूला
हरियाणा

श्री राजपाल
उप निरीक्षक
एसवीबी पंचकूला
हरियाणा

श्री तारकेश्वर
उप निरीक्षक
हिसार
हरियाणा

श्री वासदेव
सहायक उप निरीक्षक
2, बटालियन एचएपी मधुबन
हरियाणा

श्री इन्द्रजीत सिंह
सहायक उप निरीक्षक
पुलिस महानिरीक्षक/रेलवे एवं टीएस का कर्यालय पंचकूला
हरियाणा

श्री कुन्दन सिंह
सहायक उप निरीक्षक
सीआईडी
हरियाणा

श्री मदन लाल
हेड कान्स्टेबल
2, बटालियन एचपी
हरियाणा

श्री संसार चन्द
निरीक्षक
सतर्कता (विजिलेंस) एसी जेड ऊना
हिमाचल प्रदेश

श्री गुरदयाल सिंह चौधरी
निरीक्षक
बरोतीवाला
हिमाचल प्रदेश

सुश्री शकुन्तला देवी शर्मा
उप निरीक्षक
शिमला
हिमाचल प्रदेश

श्री ओम प्रकाश खरे
पुलिस उप महानिरीक्षक
एसबी झारखंड, रांची
झारखंड

श्री सागर गुरुंग
हवलदार
जेएपी दोरांडा, रांची
झारखंड

श्री जी. एच. अहमद दार
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
सुरक्षा कश्मीर
जम्मू एवं कश्मीर

श्री मंसूर अहमद उन्टू
पुलिस अधीक्षक
सीआईडी मुख्यालय
जम्मू एवं कश्मीर

श्री पूरन सिंह कटोच
पुलिस उपाधीक्षक
एसएसजी मुख्यालय
जम्मू एवं कश्मीर

श्री रफीक अहमद शेख
निरीक्षक
सतर्कता
जम्मू एवं कश्मीर

श्री मो. शाबान
निरीक्षक
एसकेपीए ऊधमपुर
जम्मू एवं कश्मीर

श्री मोती लाल भट
हेड कान्स्टेबल
एनजीओ सुरक्षा सीआईडी मुख्यालय
जम्मू एवं कश्मीर

श्री सज्जाद हुसैन गनई
सहायक निदेशक (पुलिस उपाधीक्षक)
एसएसजी
जम्मू एवं कश्मीर

श्री एम. वी. मूर्ति
पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता)
केपीटीसीएल बंगलौर
कर्नाटक

श्री कमल पंत
पुलिस उप महानिरीक्षक
आसूचना बंगलौर
कर्नाटक

श्री के. एस. कार्निंग
पुलिस अधीक्षक
डीसीआरई, बंगलौर
कर्नाटक

श्री आर. नागराज उर्स
पुलिस अधीक्षक
महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय बंगलौर
कर्नाटक

श्री के. ईश्वर प्रसाद
सहायक पुलिस आयुक्त
केन्द्रीय यातायात, एसडी बंगलौर शहर
कर्नाटक

श्री एम. प्रदीप कुमार
पुलिस उपाधीक्षक
केपीटीसीएल बंगलौर
कर्नाटक

श्री एच. के. श्रीनिवास प्रसाद
पुलिस उपाधीक्षक
बेतार बंगलौर
कर्नाटक

श्री एन. शिवकुमार
सहायक कमान्डेन्ट
X बटालियन केएसआरपी शिग्गांव
कर्नाटक

श्री शंकरेगोवड़ा
निरीक्षक
देवराजा यातायात पुलिस थाना, मैसूर सिटी
कर्नाटक

श्री एन. चलापति
निरीक्षक
बीडीए बंगलौर
कर्नाटक

श्री ए. यलागैय्याह
उप निरीक्षक
बिडाडी थाना बंगलौर
कर्नाटक

श्री मंजूनाथ प्रकाश
उप निरीक्षक
उल्सूर यातायात पुलिस थाना, बंगलौर सिटी
कर्नाटक

श्री एम. बी. सैय्यद
सहायक उप निरीक्षक
डीसी, आरबी बेलगाम
कर्नाटक

श्री के. नागराजा
हैड कान्स्टेबल
सीएसबी बंगलौर सिटी
कर्नाटक

श्री वाई अनिल कुमार
पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन)
पी एच क्यू त्रिवेन्द्रम
केरल

श्री के. नदाराजन
पुलिस अधीक्षक, कसरगोड
केरल

श्री अब्राहम मैथ्यू
पुलिस अधीक्षक
एसबीसीआईडी एर्नाकुलम रेंज
केरल

श्री के. पी. लीलाराम
सहायक पुलिस आयुक्त
कोच्चि शहर
केरल

श्री ए. जयराजन
सहायक कमान्डेन्ट
मंगट्टूपाराम्बा
केरल

श्री टी. जे. जोशी जोसेफ
पुलिस उपाधीक्षक
वीएसीबी स्पेशल सैल, कोझीकोड
केरल

श्री मैथ्यू जोसेफ
पुलिस उपाधीक्षक, वीएसीबी, अलाप्पूझा
केरल

श्री के. वी. थामस मैथ्यू
निरीक्षक
कोट्टायम
केरल

श्री के. वी. राघवन नायर
हैड कान्स्टेबल
सीबीसीआईडी केसरगोड
केरल

श्री आई नाजीमुद्दीन
हैड कान्स्टेबल
एसबी, सीआईडी, कोलाम
केरल

श्री अरविन्द कुमार
पुलिस महानिरीक्षक (महानिदेशक के पीएसओ)
भोपाल
मध्य प्रदेश

श्री अनवेश मंगलम
आई जीपी रेंज
बालाघाट
मध्य प्रदेश

श्री संजय वसंतराव माने
उप महानिरीक्षक, आसूचना
पुलिस मुख्यालय, म.प्र. भोपाल
मध्य प्रदेश

श्री मोहम्मद शरीफ खान
पुलिस उपाधीक्षक (रेडियो)
भोपाल
मध्य प्रदेश

श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर
पुलिस उपाधीक्षक (सीआईडी) पुलिस मुख्यालय
भोपाल
मध्य प्रदेश

श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया
कम्पनी कमान्डर
इन्दौर
मध्य प्रदेश

डॉ. सत्यनारायण सोनी
निरीक्षक (एम)
आईजीपी उज्जैन रेंज
मध्य प्रदेश

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान
हैड कान्स्टेबल
13वीं, बटालियन, एसएएफ ग्वालियर
मध्य प्रदेश

श्री जयनारायण सोनी
हैड कान्स्टेबल
जीआरपी, भोपाल
मध्य प्रदेश

श्री निरंजन सिंह राजपूत
हैड कान्स्टेबल
एसपीई, लोकायुक्त सागर
मध्य प्रदेश

श्री रामवीर सिंह रघुवंशी
कान्स्टेबल
26वीं, बटालियन, एसएएफ गुना
मध्य प्रदेश

श्री जगदीश प्रसाद गौड़
कान्स्टेबल
भोपाल
मध्य प्रदेश

श्री प्रेम लाल जाट
कान्स्टेबल
एसपीई, लोकायुक्त सागर
मध्य प्रदेश

श्री चन्दर सिंह परमार
कान्स्टेबल
विशेष पुलिस स्थापना, उज्जैन
मध्य प्रदेश

श्री दीन दयाल तिवारी
कान्स्टेबल, भोपाल
मध्य प्रदेश

श्री चन्द्रसेन पाण्डे
वरिष्ठ कान्स्टेबल
एस.बी. आई.ई.ओ., भोपाल
मध्य प्रदेश

श्री सदानन्द वसन्त दाते
अपर पुलिस आयुक्त
ई.ओ.डब्ल्यू., सी.बी. मुम्बई
महाराष्ट्र

श्री दिनकर गोविन्द हिरेमनी
सहायक कमान्डेन्ट
एस.आर.पी.एफ., जीआर X शोलापुर
महाराष्ट्र

श्री अनिल कुमार लक्ड़ुजी जगताप
पुलिस निरीक्षक
नासिक शहर, भद्रकाली पीएसटी
महाराष्ट्र

श्री पाण्डुरंग उद्धवराव कोहिनकर
निरीक्षक
पुणे सिटी
महाराष्ट्र

श्री मारोटी शंकरराव ड़फाले
पीआई (वन स्टेप उपाधीक्षक)
सीआईडी, एमएस पुणे
महाराष्ट्र

श्री रमेश निम्बाजी पाटिल
पुलिस निरीक्षक
नासिक शहर, अम्बाड पी.एस.टी.
महाराष्ट्र

श्री शामराव यादु मोहिते
पीआई (वन स्टेप उपाधीक्षक)
एसीबी, पुणे
महाराष्ट्र

श्री दिनेश मोहन अहीर
पुलिस निरीक्षक
एटीएस, मुम्बई सिटी
महाराष्ट्र

श्री मिलिन्द भीकाजी खेतले
निरीक्षक
उप कमान्डेन्ट, बी, सीआईडी, मुम्बई
महाराष्ट्र

श्री नरसिंग भीमसिंग ठाकुर
सहायक पुलिस निरीक्षक
जीआरपी, जालना
महाराष्ट्र

श्री बालासाहेब भाऊ गाडेकर
पुलिस उप निरीक्षक
एलटी मार्ग, पी. एसटी, मुम्बई
महाराष्ट्र

श्री मोतीराम महादेव पखारे
पुलिस उप निरीक्षक
नागपुर देहात
महाराष्ट्र

राजन गोविन्द चवन
पुलिस उप निरीक्षक
नागपाडा पी. एसटी, मुम्बई
महाराष्ट्र

श्री बापू दन्यंदेव गिरामे
पुलिस उप निरीक्षक
एसआरपीएफ जीआरवी, दौंद
महाराष्ट्र

श्री नागनाथ संदीपन गोरे
सहायक उप निरीक्षक
एसीबी, पुणे
महाराष्ट्र

श्री श्रीपति विथु भालेकर
सहायक उप निरीक्षक
एसआरपीएफ, जीआर II पुणे
महाराष्ट्र

श्री गोविन्द विट्ठलराव गाधे
सहायक उप निरीक्षक
पुलिस मुख्यालय नान्देड
महाराष्ट्र

श्री राजेन्द्र नागोराव कोल्हे
सहायक उप निरीक्षक
विशेष शाखा, नागपुर सिटी
महाराष्ट्र

श्री तुकाराम शेषराव अन्वुले
ए एस आई
एमटी, पीएचक्यू नान्देड
महाराष्ट्र

श्री बाजीराव रामचन्द्र कुम्भार
हैड कान्स्टेबल
कोल्हापुर रेंज
महाराष्ट्र

श्री लिम्बाजी पाण्डुरंग श्रीमंगल
पुलिस हैड कान्स्टेबल
एसबी, शोलापुर सिटी
महाराष्ट्र

श्री शिवाजी यशवन्त पवार
हैड कान्स्टेबल
एलसीबी, कोल्हापुर
महाराष्ट्र

श्री आत्माराम धोंदु कसार
पुलिस हैड कान्स्टेबल
विशेष शाखा, पुणे सिटी
महाराष्ट्र

श्री दिलीप राजाराम देउरे
पुलिस हैड कान्स्टेबल
एमटी, नासिक देहात
महाराष्ट्र

श्री अशोक अन्ना कोरे
हैड कान्स्टेबल
पीएचक्यू, सांगली
महाराष्ट्र

श्री राजेन्द्र बलीराम क्षत्रिय
पुलिस हैड कान्स्टेबल
यातायात शाखा, नासिक सिटी
महाराष्ट्र

श्री दंयानेश्वर बाबूराव थोराट
पुलिस हैड कान्स्टेबल
आरसीपी, मुम्बई सिटी
महाराष्ट्र

श्री चन्द्रकान्त खाण्डेराव पाटिल
हैड कान्स्टेबल
भद्रकाली पी. एसटी नासिक सिटी
महाराष्ट्र

श्री ननकुमार शंकरराव जाधव
हैड कान्स्टेबल
एलसीबी, कोल्हापुर
महाराष्ट्र

श्री बालु रघुनाथ गायकवाड़
हैड कान्स्टेबल
वड़गांव थाना, कोल्हापुर
महाराष्ट्र

श्री राजेन्द्र सुदम तोरस्कर
पुलिस नायक
कुडाल थाना सिन्धुदुर्ग
महाराष्ट्र

श्री अप्पासाहेब दशरथ पाटिल
नायक, गांधीनगर थाना
महाराष्ट्र

श्री एस. बी. देवाने
पुलिस नायक
जूना राजवाड़ थाना, कोल्हापुर
महाराष्ट्र

श्री एन. अपाबी सिंह
जमादार एडजुटेंट
पीटीएस, पंगेई, इम्फाल
मणिपुर

श्री भीष्मदेव ठाकुर
बीएन हवलदार मेजर
पीटीएस, पंगेई, इम्फाल
मणिपुर

श्री जाल्थलामुआना
निरीक्षक
जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, लुंगलेई
मिजोरम

श्री एन. गुरंसिधा
हैड कान्स्टेबल
ओ.आर. शाखा, एसपी कार्यालय, लुंगलेई
मिजोरम

श्री सन्तोष कुमार उपाध्याय
डीआईजीपी
दक्षिणी रेंज बेरहामपुर
उड़ीसा

श्री सुधांशु सारंगी
डीआईजीपी
एसडब्ल्यू आर सुनाबेदा
उड़ीसा

श्री अरुण कुमार सारंगी
डीआईजीपी
तल्चर अंगुल
उड़ीसा

श्री सुरेन्द्र नाथ परिदा
निरीक्षक
एसबी कटक
उड़ीसा

श्री स्वरूप कुमार परिदा
निरीक्षक
सतर्कता एकक कार्यालय, राउरकेला जिला सुन्दरगढ़
उड़ीसा

श्री बुधी बहादुर थापा
हवलदार
ओएसएपी द्वितीय बटालियन झरसूगुडा
उड़ीसा

श्री मनोरंजन समल
कान्स्टेबल
सतर्कता निदेशालय, बक्सी बाजार, कटक
उड़ीसा

श्री एस. एम. शर्मा
एडीजीपी/सी एण्ड टी
चंडीगढ़
पंजाब

श्री गोपाल दास
एसआई/रीडर एडीजीपी
चंडीगढ़
पंजाब

श्री सोमनाथ
एएसआई/रीडर एसडीएजी-सह-ओएसडी टू डीजीपी
चंडीगढ़
पंजाब

श्री कुलदीप सिंह
एएसआई, सीआईडी मुख्यालय
चंडीगढ़
पंजाब

श्री बिक्कर सिंह
पुलिस अपर महानिदेशक, आईएनटी के सहायक उप निरीक्षक/
पीएसओ
चंडीगढ़
पंजाब

श्री सुरजीत सिंह
सहायक उप निरीक्षक प्रभारी के ओ टी
7 बटालियन पीएपी, जालंधर
पंजाब

श्री सुरिन्दर कुमार
सहायक उप निरीक्षक (ओआरपी)
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लुधियाना के रीडर
पंजाब

श्री जगतार सिंह
हेड कान्स्टेबल
जालंधर
पंजाब

श्री प्रभाती लाल जाट
कम्पनी कमान्डर
पुलिस महानिदेशक, राजस्थान के एसओ
राजस्थान

श्री लालू राम
प्लाटून कमान्डर
11वीं बटालियन आर ए सी दिल्ली
राजस्थान

श्री हृदयानन्द पाण्डेय
उप निरीक्षक
सीआईडी (एसबी) जोन, जयपुर
राजस्थान

श्री रामदेव प्रजापत
सहायक उप निरीक्षक
पुलिस थाना सुरसागर, जोधपुर सिटी
राजस्थान

श्री माली राम सैनी
सहायक उप निरीक्षक
सीआईडी सी बी जयपुर
राजस्थान

श्री बुद्धि प्रकाश
सहायक उप निरीक्षक
कोटा सिटी
राजस्थान

श्री अस्टली खान
हैड कान्स्टेबल
3 बटालियन आरएसी बीकानेर
राजस्थान

श्री जय कुमार शर्मा
हैड कान्स्टेबल
सीआईडी सीबी राजस्थान
राजस्थान

श्री संजीव बाबू
हैड कान्स्टेबल
पुलिस दूर संचार, राजस्थान
राजस्थान

श्री सोहन लाल विश्नोई
हैड कान्स्टेबल
थाना सदर कोतवाली राजस्थान
राजस्थान

श्री रमेन्ग पतिदर
हैड कान्स्टेबल
थाना सदर बांसवाड़ा
राजस्थान

श्री धुलजी भील
हैड कान्स्टेबल
थाना सल्लोपत, जिला बांसवाड़ा
राजस्थान

श्री हरि राम यादव
कान्स्टेबल
थाना राजलदेसर
राजस्थान

श्री राम गोपाल नाई
कान्स्टेबल
एसीबी जयपुर
राजस्थान

श्री तेन्जिंग मपन भूटिया
पुलिस उपाधीक्षक
गंगटोक
सिक्किम

श्री ए. के. विश्वनाथन
उप महानिरीक्षक सीआईडी आसूचना
चेन्नई
तमिलनाडु

श्री पी. कन्नपन
पुलिस उपायुक्त
माधवाराम, चेन्नई सिटी
तमिलनाडु

श्री पी. शक्तिवेलू
पुलिस उपायुक्त
सालेम सिटी
तमिलनाडु

श्री जे. गुनासेकरन्
कमान्डेन्ट
टीएसपी X बटालियन, उलुंदूरपेट
तमिलनाडु

श्री जानसन आर्थर
एडीएसपी
क्यू. शाखा सीआईडी, चेन्नई
तमिलनाडु

श्री एम. चन्द्रपॉल
पुलिस उपाधीक्षक
कन्याकुमारी जिला
तमिलनाडु

श्री टी. कृष्णराव
पुलिस उपाधीक्षक
वी एण्ड एसी मुख्यालय, चेन्नई
तमिलनाडु

श्री पी. वी. थॉमस
पुलिस उपाधीक्षक
चेन्नई
तमिलनाडु

श्री आर. ए. अम्बिगापती
पुलिस उपाधीक्षक
त्रिची
तमिलनाडु

श्री के. पोन्नूचामी
पुलिस उपाधीक्षक
एसआईसी, वी एण्ड एसी, चेन्नई
तमिलनाडु

श्री आर. देवादास
पुलिस उप निरीक्षक
वी एण्ड एसी कन्याकुमारी
तमिलनाडु

श्री राकेश रंजन
पुलिस उप महानिरीक्षक
एस/रेन्ज
त्रिपुरा

श्रीमती अंजु गुप्ता
उप महानिरीक्षक
यूएनओ डीसी, भारत, नई दिल्ली
उत्तर प्रदेश

श्री वीरेन्द्र कुमार
सीवीओ
टिहरी पन बिजली विकास निगम
उत्तर प्रदेश

श्री राकेश प्रधान
अपर पुलिस अधीक्षक
आईएनटी मुख्यालय लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री राज नारायण शुक्ला
सहायक कमान्डेन्ट
45 बटालियन पीएसी अलीगढ़
उत्तर प्रदेश

श्री विनोद कुमार यादव
पुलिस उपाधीक्षक
सहारनपुर
उत्तर प्रदेश

श्री रामचन्द्र यादव
पुलिस उपाधीक्षक
देवरिया
उत्तर प्रदेश

श्री राज नारायण शुक्ला
पुलिस उपाधीक्षक
सीबी सीआईडी मुख्यालय लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री हरि शंकर शुक्ला
पुलिस उपाधीक्षक, आगरा
उत्तर प्रदेश

श्री ओम प्रकाश मिश्रा
पुलिस उपाधीक्षक
आईएनटी मुख्यालय लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री संजय चौधरी
पुलिस उपाधीक्षक
आईएसबीएफ रेंज, मिर्जापुर
उत्तर प्रदेश

श्री सरजू प्रसाद चौधरी
पुलिस उपाधीक्षक
इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश

श्री इंद्रपाल सिंह फोबिया
पुलिस उपाधीक्षक
एलआईयू सहारनपुर
उत्तर प्रदेश

श्री चरण सिंह
पुलिस उपाधीक्षक
राय-बरेली
उत्तर प्रदेश

श्री ओम प्रकाश राय
पुलिस उपाधीक्षक
मिर्जापुर
उत्तर प्रदेश

श्री सोहनपाल सिंह तोमर
पुलिस उपाधीक्षक
फैजाबाद
उत्तर प्रदेश

श्री जय नारायण सिंह
सहायक कमान्डेन्ट
42 बटालियन पीएसी इलाहाबाद

श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव
निरीक्षक
ज्योतिबाफुले नगर
उत्तर प्रदेश

श्री प्रकाश चन्द्र सचान
उप निरीक्षक
प्रशिक्षण एवं सुरक्षा लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री लाल चंद सिंह
उप निरीक्षक
आईएसबीएफ वाराणसी
उत्तर प्रदेश

श्री बृज नंदन शर्मा
एसआईओ
मुजफ्फरनगर/एसबी
उत्तर प्रदेश

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव
एसआई/एम
पीएसी मुख्यालय लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री निदेश कुमार सक्सेना
उप निरीक्षक (एम)/स्टेनो
प्रशिक्षण एवं सुरक्षा मुख्यालय लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री श्रीराम
रेडियो स्टेशन ऑफिसर
रेडियो मुख्यालय लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री राम विशाल शर्मा
मुख्य आपरेटर
रेडियो मुख्यालय लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री धीरेन्द्र कुमार धवन
क्वार्टर मास्टर
35 बटालियन पीएसी लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री प्रदीप सिंह
हैड कान्स्टेबल
सहारनपुर
उत्तर प्रदेश

श्री दशरथ मौर्य
हैड कान्स्टेबल
बाराबंकी
उत्तर प्रदेश

श्री भोला सिंह
हेड कान्स्टेबल
हरदोई
उत्तर प्रदेश

श्री बीरबल प्रसाद
हैड कान्स्टेबल
42 बटालियन पीएसी इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश

श्री अमजद अली
हैड कान्स्टेबल
बदायूं
उत्तर प्रदेश

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा
हैड कान्स्टेबल
शाहजहांपुर
उत्तर प्रदेश

श्री राज नारायण
कान्स्टेबल
कानपुर नगर
उत्तर प्रदेश

श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी
कान्स्टेबल
प्रशिक्षण एवं सुरक्षा लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री विनोद कुमार
कान्स्टेबल
बुलन्दशहर
उत्तर प्रदेश

श्री महेश चन्द्र टामटा
अपर पुलिस अधीक्षक, पीएचक्यू
देहरादून
उत्तरांचल

श्री देवेन्द्र सिंह नेगी
पुलिस उपाधीक्षक, जिला पिथौरागढ़
उत्तरांचल

श्री हीरा सिंह रौतन
रिजर्व निरीक्षक
नैनीताल
उत्तरांचल

श्री द ख्याली दत्त पाठक
आरएसओ, पुलिस मुख्यालय
देहरादून
उत्तरांचल

श्री रणबीर कुमार
संयुक्त पुलिस आयुक्त
कोलकाता
पश्चिम बंगाल

श्री एस. चटर्जी
निरीक्षक
आईआर बटालियन पुलिस महानिदेशक
पश्चिम बंगाल

श्री आर. के. सरकार
उप निरीक्षक
उत्तरी 24-परगना
पश्चिम बंगाल

श्री पिनाकी खानरा
उप निरीक्षक
आईएनटी शाखा पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल

श्री अरबिंदा बारीक
उप निरीक्षक
रिजर्व बल
पश्चिम बंगाल

श्री सुधीर मिश्रा
संयुक्त पुलिस आयुक्त
लाल बाजार, कोलकाता
पश्चिम बंगाल

सुश्री शुभ्रा सिल
सहायक पुलिस आयुक्त
लाल बाजार मुख्यालय
पश्चिम बंगाल

श्री अनिल कुमार
पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण)
कोलकाता
पश्चिम बंगाल

श्री एस. सी. मंडल
पुलिस महानिरीक्षक
आई बी पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल

श्री सी. आर. राय
उप निरीक्षक
वीसीडब्ल्यूबी विकास भवन, साल्ट लेक कोलकाता
पश्चिम बंगाल

श्री बी. के. गोस्वामी
आरओ (आई)
वीरभूम पुलिस लाइन
पश्चिम बंगाल

श्री असीम चंदा
सहायक उप निरीक्षक
पुलिस उप महानिरीक्षक (एपी) सैल बैरकपोर, उत्तरी 24-परगना
पश्चिम बंगाल

श्री बी. के. दास
कान्स्टेबल
एसबी 14 लार्ड सिन्हा रोड
पश्चिम बंगाल

श्री बी. डी. गोस्वामी
सहायक उप निरीक्षक
एसएपी 8वीं बटालियन लालबगान बैरकपोर
पश्चिम बंगाल

श्री डी. पी. छेत्री
उप निरीक्षक (एबी)
एसएपी 12 बटालियन जलपाईगुड़ी
पश्चिम बंगाल

श्री एन. सी. डे
सहायक उप निरीक्षक, आईएनटी, शाखा पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल

श्री रैफुद्दीन अहमद
कान्स्टेबल
डीडी लालबाजार
पश्चिम बंगाल

श्री भानु पेरियार
कान्स्टेबल
डीएपी बालूरघाट
पश्चिम बंगाल

श्री के. रामकृष्णा पिल्लई
उप निरीक्षक
होम गार्ड कार्यालय
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

श्री एन. अरूमुगम
हैड कान्स्टेबल
सीएआर निकोबार
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

श्री तुलसी राम
हैड कान्स्टेबल
सीआईडी (एफआरओ), चंडीगढ़
चंडीगढ़

श्री सी. सैयद इस्माइल
सहायक उप निरीक्षक
अमिनी पुलिस थाना
लक्षद्वीप

श्री वन्नन कंडी अचूथन
निरीक्षक
लोक कल्याण अनुभाग, पांडिचेरी
पांडिचेरी

श्री एस. पी. सुंदरमूर्ति
उप निरीक्षक
कट्टरीकुप्पम पुलिस थाना, पांडिचेरी
पांडिचेरी

श्री अत्तर चंद
सूबेदार मेजर
शिलांग
असम राइफल्स

श्री शिव कुमार सिंह त्यागी
कमान्डेन्ट
मुख्यालय 23 सेक्टर (एआर) आईजौल
असम राइफल्स

श्री खड़क बहादुर एले
सूबेदार मेजर
चूड़ाचांदपुर
असम राइफल्स

श्री खड़क बहादुर सनवार
कम्पनी 2/प्रभारी
चूड़ाचांदपुर
असम राइफल्स

श्री खीमानंद जोशी
सूबेदार/जीडी
कदमतला, जिला इम्फाल, मणिपुर
असम राइफल्स

श्री उमेश कुमार थापा
नायब सूबेदार/सामान्य ड्यूटी
कदमतला, जिला-पूर्वी इम्फाल, मणिपुर
असम राइफल्स

श्री राम प्रसाद नेवार
नायब सूबेदार/सामान्य ड्यूटी
कदमतला, जिला-इम्फाल, मणिपुर
असम राइफल्स

श्री कुंवर सिंह
नायब सूबेदार
आईजौल, मिजोरम
असम राइफल्स

श्री पारस नाथ
सूबेदार मेजर
41 असम राइफल्स, लुंगलेई, मिजोरम
असम राइफल्स

श्री विद्या प्रसाद सिंह
सूबेदार क्लर्क
सिल्चर
असम राइफल्स

श्री भूमिधर हलोई
सूबेदार/साईफर
25 असम राइफल्स, मार्फत 56 एपीओ
असम राइफल्स

श्री संजय कुंडू
उप महानिरीक्षक
एसएचक्यू सीसुब तेलियामूरा, जिला त्रिपुरा
सीमा सुरक्षा बल

श्री सुशील कुमार सिंह
कमान्डेन्ट
53 बटालियन, सीसुब गोगालेंड, मार्फत 56 एपीओ
सीमा सुरक्षा बल

श्री सुनील कुमार त्यागी
कमान्डेन्ट
सेनवोस्ट्ये, सीसुब, टेकनपुर
सीमा सुरक्षा बल

श्री राजेश गुप्ता
कमान्डेन्ट (प्रोक्योरमेन्ट)
मुख्यालय डीजीबीएसजी 10 सीजीओ काम्पलैक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली
सीमा सुरक्षा बल

श्री केशवानन्द सुयाल
कमान्डेन्ट
129 बटालियन सीसुब, इन्द्रेश्वर नगर,
मार्फत 56 एपीओ
सीमा सुरक्षा बल

जतिन्दर सिंह ओबराय
कमान्डेन्ट
सीसुब अकादमी, टेकनपुर
सीमा सुरक्षा बल

श्री हरदीप सिंह
कमान्डेन्ट
सीसुब अकादमी, टेकनपुर
सीमा सुरक्षा बल

श्री कुलदीप सैनी
विधि अधिकारी जीआर-I
मुख्यालय डीजी सीसुब, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली
सीमा सुरक्षा बल

श्री रवि किरन थापा
कमान्डेन्ट
55 बटालियन सीसुब, डाकखाना एवं जिला बीकानेर, राजस्थान
सीमा सुरक्षा बल

डॉ. मुकेश सक्सेना
मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एसजो)
एसएचक्यू सीसुब छौलि
उद्योग विहार, श्री गंगानगर, राजस्थान
सीमा सुरक्षा बल

श्री ओम प्रकाश
2-आईसी
25 बटालियन सीसुब, छावला कैम्प, नई दिल्ली
सीमा सुरक्षा बल

श्री सिकन्दर सिंह ढिल्लों
2-आईसी
12 बटालियन सीसुब, खासा, छेहराटा, अमृतसर (पंजाब)
सीमा सुरक्षा बल

श्री सुरेश कुमार शर्मा
2-आईसी
143 बटालियन, सीसुब, पंथा चौक, श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर)
सीमा सुरक्षा बल

श्री लक्ष्मण सिंह
2-आईसी
88 बटालियन, सीसुब, आलमगंज, जिला डुबरी, असम
सीमा सुरक्षा बल

श्री लाल बहादुर थापा
उप कमान्डेन्ट
50 बटालियन, सीसुब, रानी नगर डाक एवं जिला जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल)
सीमा सुरक्षा बल

श्री चन्दन कुमार मंडल
उप कमान्डेन्ट
121 बटालियन सीसुब अम्बलिंग, ईस्ट कासी हिल्स
शिलांग (मेघालय)
सीमा सुरक्षा बल

श्री रबिन्द्र चन्द्र दास
उप कमान्डेन्ट
34 बटालियन, सीसुब, डाक. हरीश नगर, जिला-त्रिपुरा (पश्चिम)
सीमा सुरक्षा बल

श्री रफीक अहमद खान
उप कमान्डेन्ट
सीसुब अकादमी, टेकनपुर
सीमा सुरक्षा बल

श्री राजेश कुमार सहाय
उप कमान्डेन्ट
38 बटालियन सीसुब दोबासिपारा, वेस्ट गारो हिल्स, मेघालय
सीमा सुरक्षा बल

श्री पूनम चन्द बारूपाल
ए सी
1033 सीसुब एआरटीवाई, सागर रोड, बीकानेर, राजस्थान
सीमा सुरक्षा बल

श्री जबर सिंह
निरीक्षक
71 बटालियन, सीसुब, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, राजस्थान
सीमा सुरक्षा बल

श्री ओम चन्द
निरीक्षक
96 बटालियन सीसुब, अरुणाचल, कचार, असम
सीमा सुरक्षा बल

श्री जी. गोपीनाथन नायर
निरीक्षक/पीए
मुख्यालय डीजी सीसुब, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली
सीमा सुरक्षा बल

श्री विजय सिंह मान
निरीक्षक (लिपिक वर्गीय)
एफटीआर मुख्यालय सीसुब, पी.ओ.-केरिपुब ग्रुप केन्द्र, गांधीनगर, गुजरात
सीमा सुरक्षा बल

श्री सुन्दर लाल
उप निरीक्षक
28 बटालियन, सीसुब, बाड़मेर, राजस्थान
सीमा सुरक्षा बल

श्री श्रीनिवास ठाकुर
उप निरीक्षक
137 बटालियन सीसुब, रायसिंह नगर, श्रीगंगानगर (राजस्थान)
सीमा सुरक्षा बल

श्री एन. मोसेस
सहायक उप निरीक्षक/आरएम
एसआईडब्ल्यू, सीसुब तिगड़ीकैम्प, मदनगीर, नई दिल्ली
सीमा सुरक्षा बल

श्री सी. चन्द्रन
हैड कान्स्टेबल
102 बटालियन, सीसुब, जिला बाड़मेर, राजस्थान
सीमा सुरक्षा बल

श्री जगमोहन सिंह
हैड कान्स्टेबल
124 बटालियन सीसुब, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात
सीमा सुरक्षा बल

श्री अब्दुल रज़ाक
हैड कान्स्टेबल
64 बटालियन, सीसुब, जरायताला बाजार, कचार (असम)
सीमा सुरक्षा बल

श्री गंगा सिंह
हैड कान्स्टेबल
सेनवोसटो, सीसुब, टेकनपुर
सीमा सुरक्षा बल

श्री एस नेसायन
हैड कान्स्टेबल
प्रथम बटालियन, प्रहरी नगर, एरीमाइल, पश्चिम गारो हिल, मेघालय
सीमा सुरक्षा बल

श्री दिलबाग सिंह राजपूत
हैड कान्स्टेबल
120 बटालियन, सीसुब, जालीपा, बाड़मेर, राजस्थान
सीमा सुरक्षा बल

श्री राजेन्द्र सिंह
हैड कान्स्टेबल
137 बटालियन, सीसुब, रायसिंह नगर, श्रीगंगानगर (राजस्थान)
सीमा सुरक्षा बल

श्री बी. एन. कालिटा
हैड कान्स्टेबल
108 बटालियन, सीसुब, वैष्णव नगर, मालदा (पश्चिम बंगाल)
सीमा सुरक्षा बल

श्री परमजीत सिंह
हैड कान्स्टेबल
75 बटालियन, सीसुब, श्रीकरनपुर, करनपुर, श्रीगंगानगर (राजस्थान)
सीमा सुरक्षा बल

श्री सुगन लाल
हैड कान्स्टेबल
24 बटालियन, सीसुब, झाजुवाला, बीकानेर, राजस्थान
सीमा सुरक्षा बल

श्री बस्ती राम नेहरा
हैड कान्स्टेबल
128 बटालियन, सीसुब, पटगांव डाक-अज़ारा, गुवाहाटी
सीमा सुरक्षा बल

श्री सन्तु लाल बाल्मिकी
लांस नायक
02 बटालियन, सीसुब, टैगोरविला, कोलकाता
सीमा सुरक्षा बल

श्री हेम बहादुर छेत्री
लांस नायक
96 बटालियन, सीसुब, डाक-अरुणाचल, जि.-कचार, असम
सीमा सुरक्षा बल

श्री सुल्तान सिंह
माली
टीएसयू सीसुब, टेकनपुर
सीमा सुरक्षा बल

श्री अमरजीत सिंह
ईएफ (सफाईवाला)
108 बटालियन सीसुब, बैष्णव नगर, चामाग्राम, मालदा (प. बंगाल)
सीमा सुरक्षा बल

डॉ. भंवर लाल मीणा
मु.चि.अ., एसजी/उप महानिरीक्षक (चिकित्सा)
सीएच, केरिपुब, नीमच (मध्य प्रदेश)
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

डॉ. रमेशचन्द्र मोहन्ती
उप महानिरीक्षक (चिकित्सा)
सीएच, इम्फाल
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सव्यसाची मुखर्जी
एडीआईजी
लखनऊ
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री रंजीत सिंह
एडीआईजी (कार्मिक-I)
महानिदेशालय, के.रि.पु.ब. सीजीओ काम्प्लैक्स
नई दिल्ली
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री मदन सिंह राघव
एडीआईजीपी
ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु.ब., अजमेर
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री एस. ए. एम. काजमी
एडीआईजी
ग्रुप केन्द्र श्रीनगर
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री अमर सिंह
एडीआईजी
एनडब्ल्यूएस मुख्यालय, चंडीगढ़
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री कुलबीर सिंह
एडीआईजी
आर.के. पुरम, नई दिल्ली
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री के. अरकेश
एडीआईजी
एस/एस मुख्यालय, हैदराबाद
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री मुकेश कुमार सिन्हा
एडीआईजी
नवी मुम्बई
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री एस. एन. रूद्राप्पा
एडीआईजी
महानिदेशालय, के.रि.पु.ब., नई दिल्ली
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री दीप कुमार सिरोही
एडीआईजी
ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु.ब., पिंजौर
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सूरज भान काजल
कमान्डेन्ट
98 बटालियन बवाना, नई दिल्ली
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री प्रकाश जनार्धन राव मोहने
कमान्डेन्ट
184 बटालियन, रंगारिड्डी (आन्ध्र प्रदेश)
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री प्रवीण कुमार शर्मा
कमान्डेन्ट
आरटीसी-I, के.रि.पु.ब., नीमच
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री विजय कुमार
कमान्डेन्ट
188 बटालियन, के.रि.पु.ब., इलाहाबाद
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री रामेश्वर लाल
कमान्डेन्ट
130 बटालियन भोपाल
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री शरद कुमार शर्मा
कमान्डेन्ट
181 बटालियन, के.रि.पु.ब., शिवपुरी (म. प्र.)
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री राम किशन शर्मा
कमान्डेन्ट
एम. ए. रोड, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री ए. विवेकानन्थ
कमान्डेन्ट
के.रि.पु.ब. कैम्पस, अवाड़ी
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री ओंकार कोस्लिया
कमान्डेन्ट
प्रथम बटालियन, इन्द्र नगर, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री पी. एम. दामोदरन
कमान्डेन्ट
182 बटालियन बंगलौर
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री इन्द्र देव सिंह
कमान्डेन्ट
84 बटालियन, के.रि.पु.ब., जयपुर, राजस्थान
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री नरेन्द्र सिंह
कमान्डेन्ट
उप महानिरीक्षक नागपुर
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री एन. के. नाथ
कमान्डेन्ट
144 बटालियन, के.रि.पु.ब., नागाव (असम)
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री हरी सिंह
2 आई/सी
ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु.ब., गांधीनगर
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री एच. एस. माल
2 आई/सी
ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु.ब., पुणे
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री ए. के. बाजपेई
2 आई/सी
77 बटालियन, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री वी. के. मिश्रा
उप कमान्डेन्ट
आईज़ोल, मिजोरम
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री गुरूचरण सिंह
उप कमान्डेन्ट
ग्रुप केन्द्र जालंधर
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री राम नरेश प्रसाद
सहायक कमान्डेन्ट
ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु.ब., सिन्दरी
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री देबासीस पोद्दार
सहायक कमान्डेन्ट
177 बटालियन दुर्गापुर
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री मोटा राम चौधरी
सहायक कमान्डेन्ट
आरटीसी-1 नीमच
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री बाबू के.
निरीक्षक
133 बटालियन, के.रि.पु.ब. उत्तरी त्रिपुरा
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री जे. पी. शर्मा
निरीक्षक/तकनीकी
प्रथम सिग्नल बटालियन के.रि.पु.ब., नई दिल्ली
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री बी. एस. नेगी
निरीक्षक/सीआरवाईपीटीओ
5वीं सिग्नल बटालियन मोहाली, पंजाब
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री श्रीधरन एम.
उप निरीक्षक
42 बटालियन श्रीनगर
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री राम चन्द
उप निरीक्षक
ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु.ब., बीटीबी
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री एम.सी. डोगरा
उप निरीक्षक, 94 बटालियन दीमापुर
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री मदन सिंह
उप निरीक्षक
119 बटालियन, के.रि.पु.ब., हुमामा
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री शंकर मिश्रा
उप निरीक्षक
ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु.ब., सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल)
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री एन. शर्मा
उप निरीक्षक
सिकन्दराबाद
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री प्रदीप कुमार छेत्री
कमान्डेन्ट
50 बटालियन श्रीनगर
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री छाजू राम
कमान्डेन्ट
आईएसए, के.रि.पु.ब.
एम-आबू
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सुधीर सिंह डोगरा
कमान्डेन्ट
आईएसए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, एम-आबू
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री जय राम यादव
2 आई/सी
ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, गुड़गांव
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सुरेश रॉय
उप-निरीक्षक
आईएसए, एम-आबू, राजस्थान
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सामा गोपाल रेड्डी
उप महानिरीक्षक
हैदराबाद
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री सुनील रॉय
उप महानिरीक्षक, बोकारो
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री संजित दास
वरिष्ठ कमान्डेन्ट
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई एसवीपीआईए अहमदाबाद
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री तरसेम कुमार
एआईजी
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ई जैड (मुख्यालय) पटना
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री गिरधर लाल गोपा
उप कमान्डेन्ट
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई वीएसएससी थुम्बा
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री मेहर सिंह पठानिया
सहायक कमान्डेन्ट
यूनिट सीसीआईएल तुगलकाबाद, नई दिल्ली
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री मोहन सिंह बिष्ट
सहायक कमान्डेन्ट
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आरटीसी बड़वाह
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री रवीन्द्र नाथ शर्मा
सहायक कमान्डेन्ट
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट वीएसएससी थुम्बा
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री एस. मुथु स्वामी
निरीक्षक
द्वितीय रिजर्व बटालियन महिपालपुर, नई दिल्ली
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री रवीन्द्र नाथ दास
निरीक्षक/लिपिकवर्गीय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई, नाल्को, अंगुल
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री राम लखन शुक्ला
उप निरीक्षक
आरसीएफएल मुम्बई
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री मनोज शाह महँगू
उप निरीक्षक
वीएसपी विजाग
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री एम. एस. ग्रेवाल
उप निरीक्षक/लिपिकवर्गीय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट एमपीटी गोवा
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री एम. एस. कापासे
हैड कान्स्टेबल
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट सीएनपी नासिक
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री बिजेन्दर सिंह
हैड कान्स्टेबल
आईपीजीसीएल/पीपीसीएल नई दिल्ली
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री शिव शंकर भगत
हैड कान्स्टेबल
बीएसएल बोकारो
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री शिशुपाल
हैड कान्स्टेबल
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आरटीसी-1, देवली
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री जगदीश चन्द
हैड कान्स्टेबल
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट
इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री एस. वेंकटेशन
कुक
एफएसटीआई हैदराबाद
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री सुख राम
स्वीपर
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल,
मुख्यालय नई दिल्ली
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री अनिल कुमार ओहरी
पुलिस अधीक्षक
ईओयू-VI, नई दिल्ली
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री ए. के. बनर्जी
अपर पुलिस अधीक्षक,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एसीबी कोलकाता
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री राम मोहन कृष्ण
अपर पुलिस अधीक्षक
एसीबी लखनऊ
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री पी. राम मोहन राव
पुलिस उपाधीक्षक
एसीबी चेन्नई
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री राजीव द्विवेदी
पुलिस उपाधीक्षक
ईओयू-VII, नई दिल्ली
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री एन कृष्णमूर्ति
पुलिस उपाधीक्षक
एसीबी चेन्नई
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री सैय्यद बजलुल्लाह
पुलिस उपाधीक्षक
ईओडब्ल्यू, चेन्नई
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री के. एस. नागेश्वरन
निरीक्षक
जेडी एससी-II दिल्ली का कार्यालय
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री एम. एस. पाटील
निरीक्षक
एसीब्री मुम्बई
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री इंद्र पाल सिंह
उप निरीक्षक
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मुख्यालय नई दिल्ली
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री आर. पी. शर्मा
सहायक उप निरीक्षक
एससीबी नई दिल्ली
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री पी. ए. राणे
हैड कान्स्टेबल
ईओडब्ल्यू, मुम्बई
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री ए. एम. कुलकर्णी
उप निदेशक
मुम्बई
गृह मंत्रालय

श्री कुलवंत कुमार
उप निदेशक
सिलीगुड़ी
गृह मंत्रालय

श्री टी. वी. रविचन्द्रन
उप निदेशक
श्रीनगर
गृह मंत्रालय

श्री बी. के. सिधरा
अपर उप निदेशक
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री एन. के. मेंदीरत्ता
अपर उप निदेशक,
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री एस. एस. सभरवाल
सहायक निदेशक
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री आर. एस. कंसल
सहायक निदेशक
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री एन. प्रभाकरन
सहायक निदेशक
बंगलौर
गृह मंत्रालय

श्री हरजीत सिंह बावा
एसओ,
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री बी. एस. रावत
उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी,
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह
डीसीआईओ
हटिया (रांची)
गृह मंत्रालय

श्री सी. पी. सिंह
एसीआईओ-आई/जी
लखनऊ
गृह मंत्रालय

श्री आर. के. अग्रवाल
डीसीआईओ
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री के. डी. शर्मा
एसीआईओ-आई/जी
जम्मू
गृह मंत्रालय

श्री बी. डी. भट्टाचार्य
एसीआईओ-I/डब्ल्यूटी
ईटानगर
गृह मंत्रालय

श्री पी. के. गौड़
एसीआईओ-I/डब्ल्यूटी
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री नवल किशोर
सहायक
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री बी. पी. सिंह
एसीआईओ-II/जी
कोडर्मा (रांची)
गृह मंत्रालय

श्री सी. पी. बी. सिंह
जेआईओ-I/जी
इम्फाल
गृह मंत्रालय

श्री आर. जोंगसाम
जेआईओ-I/जी
ईटानगर
गृह मंत्रालय

श्री मनोज सिंह रावत
कमान्डेन्ट (सीडब्ल्यू)
मसूरी
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री सुभाष भरद्वाज
उप कमान्डेन्ट
पेगोंग, सिक्किम
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री जोगेन्द्र सिंह
एसी/जीडी
जोशीमठ, उत्तरांचल
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री मातवर सिंह
निरीक्षक/जीडी
बीटीसी, भानू, हरियाणा
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री गुरदयाल सिंह
निरीक्षक
5 बटालियन भारत तिब्बत सीमा पुलिस,
मार्फत 56 एपीओ
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री राम प्रसाद
उप निरीक्षक/पीएनआर
सैक्टर मुख्यालय (हिमाचल प्रदेश) तारादेवी, शिमला
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री अरूण कुमार
हैड कान्स्टेबल/जीडी
5वीं बटालियन मार्फत 56 एपीओ
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री मोतीलाल भण्डारी
हैड कान्स्टेबल/मेडीकल
भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी मसूरी
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

डॉ. दिनेश कुमार जैन
निदेशक (मेडीकल)
कॉम्पोजिट अस्पताल, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद, मानेसर
गृह मंत्रालय (राष्ट्रीय सुरक्षा गारद)

श्री सुनील कुमार वर्मा
ग्रुप कमाण्डर (संचार)
राष्ट्रीय सुरक्षा गारद मुख्यालय
गृह मंत्रालय (राष्ट्रीय सुरक्षा गारद)

श्री जय सिंह
सहायक कमान्डर-I (लिपिकवर्गीय)
राष्ट्रीय सुरक्षा गारद मुख्यालय (सीआरओ)
गृह मंत्रालय (राष्ट्रीय सुरक्षा गारद)

श्री के. एस. रावत
सहायक कमान्डर-II
राष्ट्रीय सुरक्षा गारद मुख्यालय
गृह मंत्रालय (राष्ट्रीय सुरक्षा गारद)

श्रीमती रेणुका मिश्रा
उप महानिरीक्षक
टी.सी. सशस्त्र सीमा बल, ग्वालदम
गृह मंत्रालय (सशस्त्र सीमा बल)

श्री वी. पी. सिंह
कमान्डेन्ट
18वीं बटालियन बीरपुर
गृह मंत्रालय (सशस्त्र सीमा बल)

श्री उत्तम चंद
अधीक्षण अभियंता
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय (सशस्त्र सीमा बल)

श्री रमेश चंद्र शर्मा
ज्वाइंट एरिया आर्गेनाइजर
सिक्किम
गृह मंत्रालय (सशस्त्र सीमा बल)

श्री बलदेव सिंह
लेखा अधिकारी
एफ एच क्यू सशस्त्र सीमा बल नई दिल्ली
गृह मंत्रालय (सशस्त्र सीमा बल)

श्री गुलाब सिंह
निरीक्षक
टी सी, सशस्त्र सीमा बल, सपरी
गृह मंत्रालय (सशस्त्र सीमा बल)

श्री ओंकार सिंह
हैड कान्स्टेबल
6ठी बटालियन सशस्त्र सीमा बल गिरिजापुरी
गृह मंत्रालय (सशस्त्र सीमा बल)

श्री राम लोक
फील्ड सहायक
सशस्त्र सीमा बल अकादमी, ग्वालदम
गृह मंत्रालय (सशस्त्र सीमा बल)

श्री हिमेन्द्र सिंह सेन
कमान्डेन्ट
25वीं बटालियन घिटोरनी, नई दिल्ली
गृह मंत्रालय (सशस्त्र सीमा बल)

श्री गोपी नाथ डेका
उप महानिरीक्षक
एफ टी आर सशस्त्र सीमा बल, लखनऊ
गृह मंत्रालय (सशस्त्र सीमा बल)

श्री अमरजीत
एओ
जी स्कूल घिटोरनी
गृह मंत्रालय (सशस्त्र सीमा बल)

श्री रघुबीर सिंह नेगी
कान्स्टेबल
बीपीआर एंड डी, सीजीओ कम्प्लैक्स, नई दिल्ली
गृह मंत्रालय (बीपीआर एंड डी)

श्री बी. एस. बाजवा
एसएसओ
आईएसपीडब्ल्यू स्टेशन चंडीगढ़
गृह मंत्रालय (डीसीपीडब्ल्यू)

श्री शंकर जिवाल
पुलिस उपमहानिरीक्षक
महानिदेशक का कार्यालय, चेन्नई
गृह मंत्रालय (एनसीबी)

श्री हरीश चन्द्र शर्मा
निरीक्षक
एनसीआरबी आर. के. पुरम, नई दिल्ली
गृह मंत्रालय (एनसीआरबी)

डॉ. एस. डी. साहेब
उप निदेशक
एस वी पी एनपीए, हैदराबाद
गृह मंत्रालय (एनपीए)

श्री नाज़िर अहमद
हैड कान्स्टेबल/चालक
एसवीपी एनपीए, हैदराबाद
गृह मंत्रालय (एनपीए)

श्री मधु राज पोपली
पशु चिकित्सक,
9 रेस कोर्स रोड, नई दिल्ली
मंत्रिमंडल सचिवालय (एसपीजी)

श्री ए. के. दीक्षित
सुरक्षा सहायक-I
9 रेस कोर्स रोड, नई दिल्ली
मंत्रिमंडल सचिवालय (एसपीजी)

श्री वीरभान सिंह
कनिष्ठ सुरक्षा सहायक
9 रेस कोर्स रोड, नई दिल्ली
मंत्रिमंडल सचिवालय (एसपीजी)

श्री मोहन लाल
वरिष्ठ सुरक्षा सहायक
9 रेस कोर्स रोड, नई दिल्ली
मंत्रिमंडल सचिवालय (एसपीजी)

श्री रुद्रकांत बोराह
वरिष्ठ सुरक्षा सहायक
9 रेस कोर्स रोड, नई दिल्ली
मंत्रिमंडल सचिवालय (एसपीजी)

श्री अनंत कुमार ढुल
मुख्य सतर्कता अधिकारी
बीआईएस, मानक भवन, नई दिल्ली
भारतीय मानक ब्यूरो

श्री कृष्ण कुमार अरोड़ा
पुलिस उपाधीक्षक
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

श्री सी. थामोथरन
सीएससी
हुबली
रेल मंत्रालय

श्री भूपति मोहन
सीएससी
इंटेग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई
रेल मंत्रालय

श्री मेवा लाल राम
डीएससी
रायपुर (सीजी)
रेल मंत्रालय

श्री ए. बी. सिद्दिक
उप निदेशक
केन्द्रीय अपराध ब्यूरो, नई दिल्ली
रेल मंत्रालय

श्री जी. ए. खान
निरीक्षक
8वीं बटालियन आरपीएसएफ/सीआरजी
रेल मंत्रालय

श्री आर. पी. सिंह
उप-निरीक्षक
दूसरी बटालियन आरपीएसएफ जीकेपी
रेल मंत्रालय

श्री सुरेश चंद शर्मा
सहायक उप निरीक्षक
6ठी बटालियन/दयाबस्ती, नई दिल्ली
रेल मंत्रालय

श्री डी. डी. पुष्कर
सहायक उप निरीक्षक
डीएससी (आर) सेबीपी
रेल मंत्रालय

2. यह पदक सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान करने हेतु विनियमित नियमों के नियम 4(ii) के अन्तर्गत प्रदान किए जाते हैं।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं. 5-प्रेज/2007--राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2007 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

श्री जितेन्द्र नाथ भुइयां
स्टेशन आफिसर
असम

श्री राजेन्द्र सिंह सोढी
संयुक्त निदेशक
जम्मू एवं कश्मीर

श्री राम तीरथ दुबे
उप-निदेशक
जम्मू एवं कश्मीर

श्री रास बिहारी महान्ती
फायर ऑफिसर
उड़ीसा

श्री ब्रजेन्दु भूषण दास
असिस्टेंट फायर आफिसर
उड़ीसा

श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा
डिप्टी फायर एडवाईजर
डी.जी.सी.डी., गृह मंत्रालय

2. यह पुरस्कार, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का अग्नि शमन सेवा पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(ii) के तहत प्रदान किया जाता है।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं. 6-प्रेज/2007--राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2007 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवा के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

श्री थुमती मोहन राव,
लीडिंग फायरमैन
आन्ध्र प्रदेश

श्री पवुल्लूरी सत्यनारायण
लीडिंग फायरमैन
आन्ध्र प्रदेश

श्री तिलोक चन्द्र बोरा
वरिष्ठ स्टेशन ऑफिसर
असम

श्री पद्म कान्त देवरी
सब-ऑफिसर
असम

श्री आनन्द चुटिया
सब-ऑफिसर
असम

श्री रमेश चन्द्र बोड़ाभाई कोटिया
फायर ब्रिगेड अधीक्षक
गुजरात

श्री दलीप सिंह थापा
सब-फायर ऑफिसर
हिमाचल प्रदेश

श्री नाथो राम ठाकुर
लीडिंग फायरमैन
हिमाचल प्रदेश

श्री सज्जाद अहमद खान
मंडल फायर ऑफिसर
जम्मू एवं कश्मीर

श्री अली मोहम्मद डार
स्टेशन ऑफिसर
जम्मू एवं कश्मीर

श्री केशव राव मंजुनाथ राव
जिला फायर ऑफिसर
कर्नाटक

श्री हनुमन्थप्पा वैंकटप्पा
फायर स्टेशन ऑफिसर (ट्रेनिंग)
कर्नाटक

श्री चन्द्र शेकर
फायर स्टेशन ऑफिसर
कर्नाटक

श्री अश्वथप्पा
सहायक फायर स्टेशन ऑफिसर
कर्नाटक

श्री सिद्धालिंगा शशत्रिगल्लु माहालिंगय्या
सहायक फायर स्टेशन ऑफिसर
कर्नाटक

श्री एच. गोपाल राव
फायरमैन 139
कर्नाटक

श्री फ्रैंकलिन मार्क
फायरमैन 07
कर्नाटक

श्री जे. गोपिनाथ पिल्लै विक्रम कुरूप
सटेशन ऑफिसर
केरल

श्री विश्वानाथन थम्पी
लीडिंग फायरमैन 2485
केरल

श्री सरोज कुमार राय
सब-स्टेशन ऑफिसर
मिजोरम

श्री जाकीयमलोवा
लीडिंग फायरमैन
मिजोरम

श्री प्रकाश चन्द्र पाढ़ी
सहायक फायर ऑफिसर
उड़ीसा

श्री रघुनाथ पृष्टि
स्टेशन ऑफिसर
उड़ीसा

श्री पदु सिंह गुर्ला
सहायक स्टेशन ऑफिसर
उड़ीसा

श्री पद्म नाभ पाणिग्रही
लीडिंग फायरमैन
उड़ीसा

श्री धुर्ब चरण मल्लिक
फायरमैन सं. 441
उड़ीसा

श्री नटवर बेहेरा
फायरमैन सं. 780
उड़ीसा

श्री चिन्नप्पन कृष्णनन
सहायक डिवीजनल ऑफिसर
तमिलनाडु

श्री पेरिसामी नारायणसामी
स्टेशन ऑफिसर
तमिलनाडु

श्री रामायन लक्ष्मीनारायणन
स्टेशन ऑफिसर
तमिलनाडु

श्री अच्युतानारायण कृष्णामूर्थि
उन्नयनित सहायक स्टेशन ऑफिसर (3293)
तमिलनाडु

श्री अरुमुगम सेलवाराज
उन्नयनित सहायक स्टेशन ऑफिसर (3451)
तमिलनाडु

श्री सुब्रमणियन रंगराजन
उन्नयनित लीडिंग फायरमैन 3246
तमिलनाडु

श्री कुप्पनन्न अरीवाज़ागान
उन्नयनित लीडिंग फायरमैन 3379
तमिलनाडु

श्री चन्दन सिंह जीना
फायर स्टेशन ऑफिसर
उत्तरांचल

श्री राम स्वरूप पाल
फायर स्टेशन ऑफिसर
उत्तरांचल

श्री सीता राम यादव
एफ. एस. एस. ओ.
उत्तरांचल

श्री नत्थी राम नौडियाल
लीडिंग फायरमैन
उत्तरांचल

श्री सुभास चौधरी
डिवीजनल ऑफिसर
पश्चिम बंगाल

श्री पंकज मोहन चौधरी
डिवीजनल ऑफिसर
पश्चिम बंगाल

श्री प्रबीर कुमार भट्टाचार्जी
डिवीजनल ऑफिसर
पश्चिम बंगाल

श्री पारथा प्रातिमकर
स्टेशन ऑफिसर
पश्चिम बंगाल

श्री सचिन्दर नाथ मंडल
स्टेशन ऑफिसर
पश्चिम बंगाल

श्री तपन कुमार देबनाथ
फायर ऑपरेटर
पश्चिम बंगाल

श्री अजीत कुमार दत्ता
फायर ऑपरेटर
पश्चिम बंगाल

श्री जगदीश फकीरचन्द बाथव
फायरमैन
एन. एफ. एस. सी.
गृह मंत्रालय

श्री शेख कमलुद्दीन शफी
फायरमैन
एन. एफ. एस. सी.
गृह मंत्रालय

श्री सेवा राम
हैड कान्स्टेबल (फायर)
सी.आई.एस.एफ.
गृह मंत्रालय

श्री बीर सिंह
हैड कान्स्टेबल (फायर)
सी.आई.एस.एफ.
गृह मंत्रालय

श्री मदन मोहन मंडल
हैड कान्स्टेबल (फायर)
सी.आई.एस.एफ.
गृह मंत्रालय

2. यह पुरस्कार, सराहनीय सेवा के लिए अग्नि शमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(ii) के तहत प्रदान किया जाता है।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं. 7-प्रेज/2007--राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2007 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

श्री चन्द्र कान्त दास
डिवीजनल कमान्डेन्ट (होमगार्ड)
असम

श्री सुशील चन्द्र बरूवा
असिस्टेन्ट डिप्टी कन्ट्रोलर (एस.आर.)
असम

श्री हेमन्त राजवाडे
डिस्ट्रिक्ट कमान्डेन्ट (होमगार्ड)
छत्तीसगढ़

श्री गोविन्द सिंह तोमर
डिस्ट्रिक्ट स्टाफ ऑफिसर (होमगार्ड)
दिल्ली

श्री दिलीप कुमार मिढा
कम्पनी कमान्डर (पी.ए.आई.डी.)
दिल्ली

श्री किक्केरी वसन्था बलराम
डिप्टी कमान्डेन्ट (होमगार्ड)
कर्नाटक

श्री एच. के. महादेवप्पा
डिप्टी कमान्डेन्ट (होमगार्ड)
कर्नाटक

श्री मनोहर लाल हनोतिया
डिस्ट्रिक्ट कमान्डेन्ट (होमगार्ड)
मध्य प्रदेश

श्री भूपेन्द्र सिंह मरकाम
डिस्ट्रिक्ट कमान्डेन्ट (होमगार्ड)
मध्य प्रदेश

श्री सुशील कुमार तिवारी
इन्स्पेक्टर (एम), होमगार्ड
मध्य प्रदेश

श्री अजय कुमार सिंह
डिप्टी कमान्डेन्ट जनरल (होमगार्ड)
उत्तर प्रदेश

श्री देव नाथ राम
डिप्टी कन्ट्रोलर (सीडी)
उत्तर प्रदेश

श्री इन्द्र पाल सिंह
चीफ वार्डन (सीडी)
उत्तर प्रदेश

श्री अकरम शमसी
चीफ वार्डन (सीडी)
उत्तर प्रदेश

श्री योगेम्बर सिंह
स्टाफ ऑफिसर (सीडी/होमगार्ड)
उत्तरांचल

2. यह पुरस्कार, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(ii) के तहत प्रदान किया जाता है।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं. 8-प्रेज/2007--राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2007 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवा के लिए गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

श्री काराजय कुमार
प्लाटून कमान्डर (होमगार्ड)
आन्ध्र प्रदेश

श्री ईश्वर चन्द्रा भट्टाचार्य
चीफ वार्डन (सिविल डिफेंस)
असम

श्री प्रदीप कुमार खेमका
चीफ वार्डन (सिविल डिफेंस)
असम

श्री अनिल कुमार जोशी
सूबेदार (एम)/होमगार्ड
छत्तीसगढ़

श्री एस. के. शौकीन
जूनियर स्टाफ ऑफिसर (होमगार्ड)
दिल्ली

श्री मोहन चन्द्रा महेश्वरी
डिप्टी डिवीजनल वार्डन (सिविल डिफेंस)
दिल्ली

श्री रामदास सोनू मोरगोनकर
सीनियर प्लाटून कमान्डर (होमगार्ड)
गोआ

श्री उदय शंकर कुडतरकर
प्लाटून कमान्डर (होमगार्ड)
गोआ

श्री उल्लास बलप्पा तलवार
कम्पनी क्वार्टर मास्टर (होमगार्ड)
गोआ

श्री हरसुखलाल रामजीभाई पाला
कम्पनी कमान्डर (होमगार्ड)
गुजरात

श्री सुरेन्द्र सिंह
डिस्ट्रिक्ट कमान्डेन्ट (होमगार्ड)
हरियाणा

स. सुबे सिंह
कम्पनी कमान्डर (होमगार्ड)
हरियाणा

श्री सतपाल
हवलदार इन्स्ट्रैक्टर (होमगार्ड)
हरियाणा

श्री राम सिंह ठाकुर
प्लाटून कमान्डर (होमगार्ड)
हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सुदेश कुमारी राना
प्लाटून कमान्डर (होमगार्ड)
हिमाचल प्रदेश

श्री जिया लाल शर्मा
डिवीजनल वार्डन (सिविल डिफेंस)
जम्मू कश्मीर

श्री वैन्कटा सत्या सूर्यनारायण शर्मा मंडा
अवैतनिक इन्स्ट्रैक्टर (सिविल डिफेंस)
झारखंड

श्री मारीराज गट्टीपीट
सीनियर प्लाटून कमान्डर (होमगार्ड)
कर्नाटक

श्री मीगा नारसीमा योगाप्पा हेगोडा
इन्स्ट्रैक्टर (होमगार्ड)
कर्नाटक

श्री ए. एन. मोमीन
इन्स्ट्रैक्टर (होमगार्ड)
कर्नाटक

श्री विषाद तिवारी
डिवीजनल कमान्डेन्ट (होमगार्ड)
मध्य प्रदेश

श्री रविन्द्र कुमार घुणे
इन्सपैक्टर (एम.) (होमगार्ड)
मध्य प्रदेश

श्री रामकुमार तिवारी
प्लाटून कमान्डर (होमगार्ड)
मध्य प्रदेश

श्री संजय सक्सेना
फोटोग्राफर (होमगार्ड)
मध्य प्रदेश

श्री श्रीराम राजपूत
हवलदार इन्स्ट्रैक्टर (होमगार्ड)
मध्य प्रदेश

श्री ओनेश च. संगमा
हवलदार (बी.डब्ल्यू.एच.जी.)
मेघालय

श्री माइकल यादेन
एडीशनल डायरैक्टर (सिविल डिफेंस)
डिप्टी कमान्डेन्ट जनरल (होमगार्ड)
नागालैण्ड

श्री वसन्त कुमार पात्र
प्लाटून सारजेन्ट (होमगार्ड)
उड़ीसा

श्रीमती उर्मिला पाणि
प्लाटून कमान्डर (डब्ल्यू होमगार्ड)
उड़ीसा

श्री रमेश चन्द्र महान्ति
प्लाटून सारजेन्ट (होमगार्ड)
उड़ीसा

श्री फणु बेहेरा
होमगार्ड
उड़ीसा

श्री रामा नाथ मिश्र
डिप्टी कन्ट्रोलर (सिविल डिफेंस)
उड़ीसा

श्री सुकान्त बारीक
सिविल डिफेंस वोलेंटियर
उड़ीसा

श्री सिमान्चाल कुन्डु
सिविल डिफेंस वालेंटियर
उड़ीसा

श्री राय सिंह
कम्पनी कमान्डर (होमगार्ड)
पंजाब

श्री भंवर सिंह चौहान
कम्पनी कमान्डर (होमगार्ड)
राजस्थान

श्री महीपाल सिंह जाखड़
कम्पनी कमान्डर (होमगार्ड)
राजस्थान

श्री राम चरन वर्मा
डिवीजनल वार्डन (सिविल डिफेंस)
राजस्थान

श्री एस. पी. कुमारसैन
प्लाटून कमान्डर (होमगार्ड)
तमिलनाडू

श्री आर. गोविन्दराज
डिप्टी कमान्डर (होमगार्ड)
तमिलनाडू

श्री टी. नटराजन
प्लाटून कमान्डर (होमगार्ड)
तमिलनाडू

श्री आनन्द जमातिया
होमगार्ड
त्रिपुरा

श्री बाबूलाल कुरील
डिप्टी कन्ट्रोलर (सिविल डिफेंस)
उत्तर प्रदेश

श्री उदय प्रताप सिंह
उप नियंत्रक (सिविल डिफेंस)
उत्तर प्रदेश

श्री राजीव अग्रवाल
चीफ वार्डन (सिविल डिफेंस)
उत्तर प्रदेश

डॉ. रमेश नारायण त्रिपाठी
डिप्टी वार्डन (सिविल डिफेंस)
उत्तर प्रदेश

श्री मौहम्मद मुरतजा खान
स्टाफ ऑफिसर (डब्ल्यू.एस.)
उत्तर प्रदेश

श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव
चीफ स्टाफ ऑफिसर (सी.एस.)
उत्तर प्रदेश

श्री प्रलय जाना राय
स्टाफ ऑफिसर इन्स्ट्रैक्टर (सिविल डिफेंस)
पश्चिम बंगाल

श्री स्वनप कुमार चट्टोपाध्याय
वरिष्ठ सिविल डिफेंस इन्स्पेक्टर
रेल मंत्रालय

2. यह पुरस्कार सराहनीय सेवा के लिए गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(ii) के तहत प्रदान किए जाते हैं।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं. 9-प्रेज/2007--राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2007 के अवसर पर निम्नलिखित जेल कार्मिकों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान करते हैं :--

श्री मोहम्मद रियाजुद्दीन अहमद
अपर महानिरीक्षक (कारागार) (प्रशिक्षण एवं विकास)
तेलंगाना क्षेत्र
हैदराबाद

श्री सुनील कुमार गुप्ता
विधि अधिकारी, कारागार मुख्यालय
केन्द्रीय कारागार, तिहाड़
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री अशोक कुमार खरे
उप महानिरीक्षक कारागार
कारागार मुख्यालय, भोपाल
मध्य प्रदेश

श्री हरिशंकर सिंह
उप महानिरीक्षक कारागार
बरेली
उत्तर प्रदेश

2. यह पुरस्कार, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाने को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 के अन्तर्गत प्रदान किए जाते हैं।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं. 10-प्रेज/2007--राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2007 के अवसर पर निम्नलिखित जेल कार्मिकों को सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान करते हैं :--

श्री गनीवदा सत्यनारायण
हेड वार्डर
केन्द्रीय कारागार, राजामुन्दरी
आन्ध्र प्रदेश

श्री के. कृष्ण मूर्ति
चीफ हेड वार्डर
केन्द्रीय कारागार, विशाखापत्तनम
आन्ध्र प्रदेश

श्री मोहम्मद जहांगीर
चीफ हेड वार्डर
केन्द्रीय कारागार, चेरलापल्ली
आन्ध्र प्रदेश

श्री टी. दोरइया
हेड वार्डर
केन्द्रीय कारागार, राजामुन्दरी
आन्ध्र प्रदेश

श्री राकेश शर्मा
उपाधीक्षक ग्रेड-II
केन्द्रीय कारागार नं. 4, तिहाड़
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री धर्मबीर सिंह डबास
हेड वार्डर
केन्द्रीय कारागार, तिहाड़
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री वी. एस. राजा
मुख्य अधीक्षक
केन्द्रीय कारागार, बंगलौर
कर्नाटक

श्री एस. लक्ष्मीनारायणप्पा
चीफ जेलर
जिला कारागार, टुमकुर
कर्नाटक

श्री अलियारुकुंजू बदरुदीन
अधीक्षक
मुक्त कारागार, नेटूकालथेरी
तिरुवनन्तपुरम, केरल

श्री मणियन नादार
गेट कीपर
केन्द्रीय कारागार, तिरुवनन्तपुरम
केरल

श्री जय नारायण सिंह बघेल
जेलर
जिला कारागार छिंदवाड़ा
मध्य प्रदेश

श्री प्रभु दयाल कुशवाहा
डिप्टी जेलर
केन्द्रीय कारागार सागर
मध्य प्रदेश

श्री मणिशंकर पाल
डिप्टी जेलर
केन्द्रीय कारागार सिधी
मध्य प्रदेश

श्री स्यानली लिंगवा
हेड वार्डर
जिला कारागार, जोवाई
मेघालय

श्री धीरेन कुमार दास
हेड वार्डर
उप-कारागार छत्तरपुर
उड़ीसा

श्री सरत कुमार परीजा
वार्डर
सर्किल कारागार चौद्वार
उड़ीसा

श्री एम. कल्याणसुन्दरम
चीफ हेड वार्डर
उप-कारागार, पनरुति
तमिलनाडु

श्री एस. दयालन
चीफ हेड वार्डर
उप-कारागार वाल्लाजा
तमिलनाडु

श्री के. माथियालगन
ग्रेड-I वार्डर
केन्द्रीय कारागार सलेम
तमिलनाडु

श्री एम. नारायणसामी
ग्रेड-I वार्डर
केन्द्रीय कारागार, चेन्नई
तमिलनाडु

श्री पी. गंगाधरन
ग्रेड-I वार्डर
केन्द्रीय कारागार, चेन्नई
तमिलनाडु

मोहम्मद उमर
हेड वार्डर
जिला कारागार फतेहपुर
उत्तर प्रदेश

श्री पारस नाथ सिंह
हेड वार्डर
केन्द्रीय कारागार वाराणसी
उत्तर प्रदेश

श्री अरुण शर्मा
वार्डर
केन्द्रीय कारागार वाराणसी
उत्तर प्रदेश

श्री किशुन लाल
वार्डर
केन्द्रीय कारागार वाराणसी
उत्तर प्रदेश

श्री अंबिका यादव
वार्डर
केन्द्रीय कारागार वाराणसी
उत्तर प्रदेश

श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव
हेड वार्डर
मॉडल जेल, लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री गया प्रसाद मिश्रा
वार्डर
मॉडल जेल, लखनऊ
उत्तर प्रदेश

2. यह पुरस्कार, सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाने को शासित करने वाले नियमों के नियम 4(iii) के अन्तर्गत प्रदान किए जाते हैं।

बरूण मित्रा
निदेशक

संख्या 11-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

श्री यदु नाथ सिंह,
द्वितीय फायर स्टेशन अधिकारी

श्री धर्मपाल सिंह,
लीडिंग फायरमैन

दिनांक 22 जुलाई, 2004 को 0930 बजे गला काटे की मस्जिद, पुलिस थाना नागफनी, मुरादाबाद के निकट एक पीतल की फैक्टरी के डीजल के गोदाम में भयानक आग लग गई। सूचना मिलने पर श्री यदुनाथ सिंह, द्वितीय फायर स्टेशन अधिकारी, मुरादाबाद अपने अग्निशमन दल के साथ तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंचे।

घटनास्थल पर पहुंचने पर श्री यदुनाथ सिंह ने देखा कि फैक्टरी से आग की भयानक लपटें और घना काला धुआं निकल रहा है। उन्हें बताया गया कि भवन के अन्दर कुछ लोग फंसे हुए है। स्थिति को भांपते हुए उन्होंने तत्काल अग्निशमन तथा राहत आपरेशन का कार्य शुरू किया। भयानक लपटों और दमघोटु धुएं से होने वाले जान के खतरे को भली-भांति जानते हुए भी सर्व श्री यदुनाथ सिंह, द्वितीय फायर स्टेशन अधिकारी तथा धर्मपाल सिंह, लीडिंग फायरमैन फैक्टरी के अन्दर गये और पांच व्यक्तियों की जान बचायी। अग्निशमन की कार्रवाई के दौरान डीजल के ड्रमों में अचानक ही आग भड़क उठी जिसमें यह दोनों अधिकारी फंस गये और ये दोनों गम्भीर रूप से झुलस गये।

सर्व श्री यदुनाथ सिंह, द्वितीय फायर स्टेशन अधिकारी तथा धर्मपाल सिंह, लीडिंग फायरमैन ने इस प्रकार उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, नेतृत्व, व्यवसायिक कुशलता और उच्च कोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(i) के तहत प्रदान किया जाता है और परिणामतः नियम 5 (क) के तहत अनुमेय विशेष भत्ता दिनांक 22 जुलाई, 2004 से इसके साथ देय होगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं. 12- प्रेज./2007- राष्ट्रपति, श्री कृष्ण पाल चंदिला, उप जेलर, जिला कारागार, आगरा (उत्तर प्रदेश) को गणतंत्र दिवस, 2007 के अवसर पर शौर्य के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान करते हैं।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया है :

27 नवम्बर, 2005 को जिला कारागार, आगरा के परिसर में स्थित मुलाकात घर, जिसमें लगभग 400 व्यक्ति उपस्थित थे, में दो पक्षों में गोलीबारी हो गई। यद्यपि श्री चंदिला निहत्थे थे परन्तु उन्होंने असाधारण साहस का परिचय देते हुए न केवल हथियारबंद हमलावरों को भागने से रोककर फायरिंग में प्रयुक्त हथियारों सहित गिरफ्तार कराया अपितु अनियंत्रित भीड़ द्वारा पीटे जा रहे एक व्यक्ति (हमलावर) की जान भी बचाई। श्री चंदिला के उपरोक्त कृत्य ने न केवल मुलाकात घर पर उपस्थित अनेक व्यक्तियों के जीवन को संभावित खतरे से बचाया वरन इससे कारागार में निरुद्ध बंदियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई।

इस प्रकार जिला कारागार, आगरा में उप जेलर के रूप में अपनी तैनाती के दौरान श्री चंदिला ने असाधारण शौर्य, साहस एवं कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

2. यह पुरस्कार विशिष्ट सेवा/शौर्य के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाने को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 (iv) के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है और परिणामस्वरुप इसके साथ 27 नवम्बर, 2005 से नियम 5 के अन्तर्गत यथाअनुमेय विशेष भत्ता प्रदान किया जाता है।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं. 13- प्रेज./2007- राष्ट्रपति, श्री विकास शर्मा, वार्डर, जिला कारागार, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश को गणतंत्र दिवस, 2007 के अवसर पर शौर्य के लिए सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान करते हैं।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया है :

27 सितम्बर, 2005 को श्री विकास शर्मा, वार्डर, जिला कारागार, धर्मशाला जिला कारागार के द्वार पर ड्यूटी दे रहे थे तभी एक पुलिस दल श्री अमरीश राणा नामक एक अपराधी को लेकर आया जिसे अस्पताल से उपचार के उपरान्त पुनः जिला कारागार में बंद किया जाना था। वह अपराधी अपनी बैरक में जाने के बजाय बलपूर्वक कारागार अधीक्षक के कार्यालय में घुस गया और उसने किसी परोक्ष इरादे से उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। कारागार अधीक्षक के जीवन को खतरे में पड़ा भांपकर श्री शर्मा ने तुरंत हस्तक्षेप किया और हाथापाई करके उस अपराधी को पकड़ लिया तथा उसे कारागार अधीक्षक के जीवन को इरादतन नुकसान पहुंचाने के प्रयास से रोक लिया। उस अपराधी ने हाथापाई के दौरान, श्री शर्मा के दाहिने कान को पूर्णतः उखाड़ दिया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस प्रकार श्री शर्मा ने न केवल कारागार अधीक्षक के जीवन की रक्षा की बल्कि उक्त अपराधी के भागने की सम्भावना को समाप्त करने में असाधारण साहस का भी प्रदर्शन किया।

इस प्रकार, जिला कारागार, धर्मशाला में अपनी तैनाती के दौरान श्री शर्मा ने असाधारण शौर्य, साहस और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

2. यह पुरस्कार विशिष्ट सेवा/शौर्य के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाने को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 (iv) के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है और परिणामस्वरुप इसके साथ 27 सितम्बर, 2005 से नियम 4 क के अन्तर्गत यथाअनुमेय विशेष भत्ता प्रदान किया जाता है।

बरूण मित्रा
निदेशक

दिनांक 12 फरवरी 2007

सं0 14-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. महताब सिंह
उप -निरीक्षक **राष्ट्रपति के पुलिस पदक का प्रथम बार**
(मरणोपरांत)

2. राहुल कुमार
उप -निरीक्षक **पुलिस पदक का प्रथम बार**

उस सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया:

30.12.2004 को कृष्ण पहलवान गैंग का दुर्दांत डाकू सुरेन्द्र उर्फ सुंदर पुत्र रत्तन सिंह, निवासी टिटोली, थाना सदर, रोहतक, हरियाणा जिसकी गिरफ्तारी के लिए हरियाणा पुलिस ने 25,000/- रुपए के नकद इनाम की घोषणा की थी, हरियाणा में पानीपत की चीनी मिल, बाहरी द्वार पर हुई गोलीबारी के बाद एक मुठभेड़ में मारा गया था। वह हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती और जबरन वसूली के कई मामलों में संलिप्त पाया गया था। उसके दो अन्य साथियों, प्रदीप पुत्र चरण सिंह और रणबीर पुत्र धरम सिंह को जो ग्राम नांगल खेड़ी, पानीपत, हरियाणा के निवासी थे, गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से 0.455 बोर का एक इंग्लिश रिवाल्वर, तीन जिंदा कारतूसों के साथ 9 एम एम का एक ब्राउनिंग पिस्तौल और गोली बारुद के साथ एक देशी पिस्तौल बरामद हुआ। गोली बारी के दौरान उप -निरीक्षक महताब सिंह भी गोली लगने से घायल हो गए और बाद में घायलावस्था में उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना मॉडल टाउन, पानीपत, हरियाणा में आई पी सी की धारा 302/186/353/307/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के तहत दिनांक 30.12.2004 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 413/2004 के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया था।

आतंक को समाप्त करने और कृष्ण पहलवान गैंग की जड़ों को उखाड़ फेंकने तथा दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए निरीक्षक मोहन चंद शर्मा के पर्यवेक्षण में स्पेशल सैल के पदाधिकारियों की एक टीम का गठन किया गया । थाना नांगलोई, दिल्ली में आई पी सी की धारा 385, 386 के तहत दायर एफ आई आर संख्या 154/04 के मामले की आगे और जांच -पड़ताल के लिए इसे 2004 के माह में स्पेशल सैल, लोदी कालोनी, नई दिल्ली में अंतरित कर दिया गया था। इस मामले में वांछित अभियुक्त सुरेन्द्र उर्फ सुन्दर पुत्र रत्तन सिंह,

निवासी वी पी ओ, टिटोली, रोहतक, हरियाणा को गिरफ्तार करने के लिए उप-निरीक्षक महताब सिंह, उप-निरीक्षक राहुल कुमार, उप -निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार, हैड कांस्टेबल राजेन्द्र सिंह और हैड कांस्टेबल अजीत की एक टीम का गठन किया गया। तदनुसार, सुरेन्द्र उर्फ सुंदर और कृष्ण पहलवान के अन्य सहयोगियों और स्रोतों की तलाशी लेने के लिए दिल्ली के विभिन्न भागों में छापे मारे गए।

30.12.2004 को टेलीफोन के जरिए मुखबिर से एक विशिष्टि सूचना मिली कि आज सांय लगभग 4.30 बजे सुरेन्द्र उर्फ सुन्दर अपने साथियों के साथ मोटर साइकल नं. एच आर 06 एच-2580 पर चीनी मिल कालोनी, पानीपत, हरियाणा में किसी को मिलने आएगा और उनके पास अवैध हथियार हैं। तदनुसार, हरियाणा पुलिस के साथ इस सूचना का आदान-प्रदान करने के बाद चीनी मिल, पानीपत, हरियाणा के निकासी द्वार के आस-पास एक जाल बिछाया गया। मुखबिर के साथ उप निरीक्षक महताब, उप-निरीक्षक राहुल, उप-निरीक्षक धर्मेन्द्र, हैड कांस्टेबल अजीत और हैड कांस्टेबल राजेन्द्र ने चीनी मिल कालोनी के निकासी द्वार पर मोर्चा संभाला। लगभग सांय 4.40 बजे कालोनी के अंदर से मोटर साइकल पर तीन व्यक्ति आए और बेरिकेड पर धीमे हो गए। मुखबिर ने मोटर साइकल पर पीछे बैठे दूसरे व्यक्ति को सुरेन्द्र उर्फ सुन्दर के रुप में पहचाना। इस पर उप-निरीक्षक महताब और उप-निरीक्षक धर्मेन्द्र ने ऊंची आवाज में अपनी पहचान बतायी और उसे रुकने को कहा, लेकिन अपने आपको को पुलिस के घेरे में फंसा पाकर उन तीनों ने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी। इसी बीच उप-निरीक्षक महताब और उप-निरीक्षक धर्मेन्द्र ने ऊंची आवाज में उन्हें कहा कि वे आत्मसमर्पण कर दें लेकिन उन तीनों ने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी जारी रखी। उप-निरीक्षक महताब, उप-निरीक्षक राहुल, उप-निरीक्षक धर्मेन्द्र, हैड कांस्टेबल राजेन्द्र और हैड कांस्टेबल अजीत ने भी अपनी सुरक्षा और पुलिस पार्टी के अन्य सदस्यों को बचाने के लिए अपने-अपने हथियारों से गोलीबारी का जवाब दिया। गोलीबारी के दौरान, उप-निरीक्षक महताब सिंह गोली लगने से घायल हो गए। जब अपराधियों की तरफ से गोलीबारी बंद हुई तो सुरेन्द्र उर्फ सुन्दर घायल हुआ पाया गया और अन्य दो अपराधियों नामत: प्रदीप और रणवीर, दोनों ही पानीपत हरियाणा के निवासी, ने पुलिस पार्टी के सामने अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। घायल उपनिरीक्षक महताब सिंह और अपराधी सुरेन्द्र उर्फ सुन्दर को सरकारी अस्पताल, पानीपत ले जाया गया जहां उन्हें "मृत लाया गया" घोषित किया गया। घटना स्थल से अपराधी सुरेन्द्र उर्फ सुन्दर द्वारा प्रयुक्त 0.455 बोर का एक इंग्लिश रिवाल्वर बरामद हुआ। प्रदीप और रणवीर के कब्जे से तीन जिंदा कारतूसों के साथ ब्राउनिंग पिस्तौल, एक देशी पिस्तौल तथा गोलीबारुद बरामद हुआ। पुलिस स्टेशन मॉडल टाउन, पानीपत, हरियाणा में उचित धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया।

<u>डकैतों से हुई बरामदगी</u>

I) .45 बोर की एक रेमिंग्टन पिस्तौल

II) तीन जिंदा कारतूसों सहित 9 एम एम की एक ब्राउनिंग पिस्तौल

III) दो जिंदा राउंडों के साथ .315 बोर की एक देशी पिस्तौल।

अधिकारियों की व्यक्तिगत भूमिका

उप-निरीक्षक महताब सिंह: उन्होंने सामने से पुलिस पार्टी का नेतृत्व किया। विशिष्ट सूचना के आधार पर 30.12.2004 को अपराधी सुरेन्द्र उर्फ सुन्दर को पकड़ने के उद्देश्य से चीनी मिल कालोनी, पानीपत, हरियाणा के बाहरी द्वार के आस-पास एक जाल बिछाया गया। उप-निरीक्षक महताब सिंह ने टीम के अन्य सदस्यों के साथ चीनी मिल कालोनी के बाहरी द्वार पर मोर्चा संभाला। सांय लगभग 4.40 बजे कालोनी के अंदर से मोटरसाइकल पर तीन व्यक्ति आए और वे बेरिकेड पर धीमे हो गए। मुखबिर ने मोटर साइकल पर पीछे बैठे दूसरे व्यक्ति की पहचान सुरेन्द्र उर्फ सुन्दर के रुप में की। इस पर उप-निरीक्षक महताब ने ऊंची आवाज में पुकार कर उसे रुकने का निर्देश दिया। लेकिन अपने आपको पुलिस पार्टी के घेरे में फंसा पाकर तीनों अपराधियों ने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी। अपराधी सुरेन्द्र उर्फ सुन्दर ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए वापस कालोनी के अंदर की तरफ भागना शुरु कर दिया। इस गोलीबारी से विचलित हुए और गोलीबारी की परवाह किए बिना उप-निरीक्षक महताब सिंह ने टीम के अन्य सदस्यों के साथ भाग रहे सुरेन्द्र सिंह उर्फ सुन्दर का पीछा किया। गोलीबारी के दौरान उप-निरीक्षक महताब सिंह, सुरेन्द्र सिंह उर्फ सुन्दर की गोलियों से बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और गोलियों से कई जख्म होने के बावजूद उन्होंने पीछा करना जारी रखा और डकैत पर गोलीबारी कर दी ताकि उसे पकड़ा जा सके और टीम के साथी सदस्यों के प्राणों की रक्षा की जा सके। उप-निरीक्षक महताब सिंह की बहादुरी और साहसी कार्रवाई के कारण ही डकैत सुरेन्द्र उर्फ सुंदर गंभीर रुप से घायल हुआ। बाद में दोनों ही उप-निरीक्षक महताब सिंह और अपराधी सुरेन्द्र उर्फ सुन्दर की घायलावस्था में मृत्यु हो गई और उन्हें अस्पताल में "मृत लाया गया" घोषित किया गया। उप निरीक्षक महताब सिंह ने दुर्दान्त अपराधी की पिस्तौल से निकली गोलियों की बौछार को बहुत निकट से झेला। उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर अपराधी का बहादुरी से मुकाबला किया तथा कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने अपनी पिस्तौल से 5 राउंड गोलियां चलाई और दुर्दान्त इनामी अपराधी सुरेन्द्र उर्फ सुन्दर को निष्क्रिय करने में मुख्य भूमिका निभाई।

उप-निरीक्षक राहुल कुमार: विशिष्ट सूचना के आधार पर 30.12.2004 को अपराधी सुरेन्द्र उर्फ सुन्दर को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से चीनी मिल कालोनी, पानीपत, हरियाणा के बाहरी द्वार के आस-पास एक जाल बिछाया गया था । उप-निरीक्षक राहुल कुमार ने टीम के अन्य सदस्यों के साथ चीनी मिल कालोनी के बाहरी द्वार पर मोर्चा संभाला। सांय लगभग 4.40 बजे कालोनी के अंदर से मोटर साइकल पर तीन व्यक्ति आये और वे बेरिकेड पर धीमे हो गए। मुखबिर ने मोटर साइकिल पर पीछे बैठे दूसरे व्यक्ति की पहचान सुरेन्द्र उर्फ सुन्दर के रुप में की। इस पर उप-निरीक्षक महताब और उप-निरीक्षक धर्मेद्र ने ऊंची आवाज में पुकार कर उसे रुकने का निर्देश दिया। लेकिन अपने आप को पुलिस पार्टी से घिरा पाकर उन तीनों अपराधियों ने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी। अपराधी सुरेन्द्र उर्फ सुन्दर ने वापस कालोनी के अन्दर भागना शुरु किया लेकिन उप-निरीक्षक राहुल कुमार ने उप-

निरीक्षक महताब सिंह और उप-निरीक्षक धर्मेन्द्र के साथ सुरेन्द्र उर्फ सुन्दर का पीछा किया। गोलीबारी के दौरान सुरेन्द्र उर्फ सुन्दर की गोलीबारी से उप-निरीक्षक महताब सिंह बुरी तरह घायल हो गए और गिर पड़े जब कि उप-निरीक्षक राहुल कुमार, जो सबसे आगे थे, बाल-बाल बचे और अपने प्राणों की परवाह किए बगैर डकैत का मुकाबला किया। उन्होंने साथ-ही-साथ टीम के अन्य सदस्यों को निर्देश दिया कि वे घायल अधिकारी को तत्काल चिकित्सा सहायता/उपचार प्रदान करें। गोलीबारी के दौरान सुरेन्द्र उर्फ सुन्दर भी घायल हुआ। लेकिन उसने अंधाधुंध गोलियां चलाना जारी रखा। उप-निरीक्षक राहुल कुमार ने भी अपनी सुरक्षा और टीम के अन्य सदस्यों के प्राणों की रक्षा के लिए गोलीबारी जारी रखी। जब अपराधियों की तरफ से गोलीबारी रुकी तो पुलिस टीम ने भी तत्काल गोलीबारी बंद कर दी और उप-निरीक्षक राहुल कुमार घायल सुरेन्द्र उर्फ सुन्दर को अस्पताल ले गए। लेकिन दोनों ही उप निरीक्षक महताब सिंह और अपराधी सुरेन्द्र उर्फ सुन्दर की घायलावस्था में मृत्यु हो गई और इन्हें अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया घोषित किया गया। उप निरीक्षक राहुल कुमार ने बहुत नजदीक से दुर्दान्त अपराधी की पिस्तौल से हुई गोलियों की बौछार का सामना किया। लेकिन वह इससे विचलित नहीं हुए और अपनी परवाह किए बिना अपने प्राणों को जोखिम में डालकर बहादुरी से अपराधी का मुकाबला किया। उन्होंने अपनी पिस्तौल से 3 राउंड गोलियां चलाईं और दुर्दांत ईनामी अपराधी सुरेन्द्र उर्फ सुन्दर को निष्क्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोलीबारी के दौरान उप-निरीक्षक राहुल कुमार ने घायल उप-निरीक्षक महताब सिंह को तत्काल अस्पताल भेजने का निर्णय लिया और टीम के अन्य सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित की।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री (स्व.) महताब सिंह, उप-निरीक्षक और राहुल कुमार, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, राष्ट्रपति के पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक का प्रथम बार नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 30 दिसम्बर, 2004 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं015-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री खड़क सिंह,
निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

निरीक्षक खड़क सिंह जो अतिरिक्त थानाध्यक्ष अशोक विहार, उत्तर-पश्चिमी जिला, दिल्ली में तैनात हैं, की अनुकरणीय वीरतापूर्ण कार्रवाई और निर्णायक भूमिका के कारण खतरनाक अपराधी नितिन नागपाल पुत्र रमेश नागपाल निवासी बी-3/412, सिविल रोड, रोहतक की उसके साथी रणबीर पुत्र रामजी लाल निवासी रोहतक, हरियाणा की भारतीय दंड संहिता की धारा 302/307/393/397/353/332/186/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 419 दिनांक 23.06.2005 मामले में घटनास्थल पर गिरफ्तारी संभव हो सकी। इस अभियान के कारण ही इन खतरनाक अपराधियों को निष्क्रिय किया जा सका जिन्होंने गिरिराज किशोर निवासी ई-174, फेज प्रथम अशोक विहार, दिल्ली की दिन दहाड़े की गई सनसनीखेज वीभत्स हत्या और घर में डकैती करके राजधानी शहर में आतंक का पर्याय पैदा कर दिया था। जब पुलिस दल ने अपराधियों को रोकने का प्रयास किया, तभी उन्होंने अपनी गोलियों से भरे हथियार निकाल लिए और उन्होंने बचने के हताशा भरे प्रयास में, पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी जिसमें निरीक्षक खड़क सिंह सहायक उप निरीक्षक हरीश चंद, कांस्टेबल रविन्द्र और कांस्टेबल धर्मपाल गोलियां लगने से गंभीर रुप से ज़ख्मी हो गए। लेकिन साहसी पुलिस अधिकारी अपनी जान की परवाह न करते हुए उन पर झपट पड़े और उनको काबू में कर लिया। उपर्युक्त मामले में संलिप्त होने के अतिरिक्त, अभियुक्त नितिन नागपाल ने मकान सं. बी एन-80, शालीमार बाग, दिल्ली में इसी प्रकार की कार्य-प्रणाली को अपनाते हुए एक और घर में डकैती डाली जिसमें वह 20 लाख रु0 के जेवरात और घरेलू वस्तुएं लेकर चम्पत हो गया। इस संबंध में पुलिस स्टेशन शालीमार बाग में भारतीय दंड संहिता की धारा 392/397/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के तहत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 999 दिनांक 18.11.2004 दर्ज की गई जिसे इस गिरफ्तारी के साथ भी सुलझा लिया गया है। यह केवल निरीक्षक खड़क सिंह द्वारा समय से की गई जवाबी, चतुराईपूर्ण और निडरतापूर्वक कार्रवाई के कारण संभव हो सका।

इस मामले के संक्षेप में तथ्य यह हैं कि 23.6.05 को दोपहर लगभग 12.35 बजे पुलिस नियंत्रण कक्ष में एक सूचना प्राप्त हुई कि मकान सं. ई-174 फेज प्रथम अशोक विहार, दिल्ली में एक डकैती की जा रही है और गोलीबारी भी चल रही है। इस सूचना के प्राप्त होने पर, कांस्टेबल परमजीत सिंह, कांस्टेबल रविन्द्र और कांस्टेबल धर्मपाल के साथ अतिरिक्त थानाध्यक्ष अशोक विहार तत्काल तेजी से घटनास्थल की ओर गए। जब पुलिस दल घटनास्थल पर पहुँचा तब उन्होंने देखा कि दो युवक मकान सं. ई-174, फेज-I, अशोक विहार के अंदर से निकलकर भाग रहे हैं। जब पुलिस दल ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तब नितिन नागपाल ने गोलियों से भरा हथियार निकाल लिया। भाग निकलने के हताशा भरे प्रयास में, उसने पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी जिसमें अतिरिक्त थानाध्यक्ष अशोक विहार, सहायक उप निरीक्षक हरीश चंद पी सी आर, कांस्टेबल रविन्द्र और धर्मपाल गोलियां लगने से गंभीर रुप से घायल हो गए। लेकिन निडर पुलिस अधिकारी अभियुक्तों पर झपट पड़े और अपनी जानों की परवाह किए बिना, उन्होंने उन्हें काबू में कर लिया और उनके कब्जे से अपराध में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार भी बरामद कर लिए। घटनास्थल पर की गई

जांच से यह भी मालूम हुआ कि उन्होंने मकान सं. ई-174, फेज.प्रथम अशोक विहार में एक घर में डकैती डाली थी और वे उस घर के मालिक श्री गिरिराज किशोर, को मारने के पश्चात जब घर से निकलकर भाग रहे थे कि तभी उनकी पुलिस से मुठभेड़ हो गई। निरीक्षक खड़क सिंह ने आगे बढ़कर पुलिस दल का नेतृत्व करते हुए अत्यधिक जिम्मेदारी और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया जिससे घटनास्थल पर अभियुक्तों को निष्क्रिय किया जा सका। खतरनाक/हताश लुटेरों के साथ गोलीबारी के दौरान, उन्होंने कॉल के पुष्टिकरण हेतु नियंत्रण कक्ष को सूचना देने का समय से निर्णय लिया और काफी निकट से लुटेरों द्वारा चलाई जा रही गोलियों की बौछार का सामना किया। घुटने में गोली लगने के बावजूद निडरता के साथ, उन्होंने बहादुरी से अपराधियों का सामना किया और अनुकरणीय सूझबूझ और कुशलता का परिचय दिया। अपराधियों द्वारा चलाई गई गोलियां उनके घुटने में लगीं और उन्होंने उनका लगातार पीछा किया, और अंत में उन्होंने दोनों खतरनाक लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया।

निरीक्षक खड़क सिंह, अतिरिक्त थानाध्यक्ष/अशोक विहार ने अपनी जान जोखिम में डाली और इस अभियान में अनुकरणीय साहस, बहादुरी और प्रेरणा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। निरीक्षक द्वारा की गई बहादुरी भरी कार्रवाई की न केवल विभिन्न राज्यों के उच्च रैंक के पुलिस अधिकारियों और मीडिया ने बल्कि काफी संख्या में जनता ने भी प्रशंसा की। उन्होंने वीरता और ड्यूटी के प्रति समर्पण की भावना का परिचय प्रस्तुत किया।

मारे गए डकैतों से निम्नलिखित मदें बरामद की गईं :-

(1) 10 सजीव कारतूसों से भरी एक .32 कैलिबर रिवाल्वर और 9 खाली कारतूस।
(2) एक चाकू

इस मुठभेड़ में, श्री खड़क सिंह, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 23 जून, 2005 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 16-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री वेद प्रकाश

निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

6.10.2004 को प्रातः 11.15 बजे वेद प्रकाश को एक सूचना प्राप्त हुई कि उत्तर प्रदेश का एक वांछित डकैत अनिल भरसी अपने साथी के साथ अपने गिरोह के शस्त्रों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के उद्देश्य से एच आर 26 एस 2186 नंबर की एक महिन्द्रा स्कोर्पिओ से यमुना पुश्ता, सोनिया विहार से उत्तर प्रदेश बरास्ता ट्रोनिका सिटी से दिल्ली आएंगे। तदनुसार, सहायक पुलिस आयुक्त श्री हेमंत चोपड़ा की देख-रेख में और निरीक्षक वेद प्रकाश के नेतृत्व में धावा बोलने वाली दो पार्टियां बनाई गईं तथा आदि शक्ति माता अन्नपूर्णा मंदिर के नजदीक यमुना पुश्ता, सोनिया विहार पर एक जाल बिछाया गया। निरीक्षक वेद प्रकाश ने अपनी टीम के साथ हनुमान शिव मंदिर के नजदीक मुख्य पुश्ता रोड पर स्थिति संभाल ली और दूसरी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सीमा की तरफ उसी सड़क पर, उस तरफ से आने वाले वाहनों पर ध्यान रखने तथा जैसे ही उपर्युक्त विवरण के अनुरुप वाहन के दिखाई देने पर अपने वाहनों को डिपर लाइटों से ब्लिंक करके संकेत देने के निदेश के साथ प्रथम पार्टी से लगभग 200 गज की दूरी पर स्थिति संभाली। दोपहर लगभग 12.25 बजे, दूसरी पार्टी ने वाहन को देखा और तदनुसार संकेत दे दिया । तभी कांस्टेबल जसबीर सिंह ने तत्काल सरकारी टोयेटा क्वालिस को चलाया तथा उसे स्कोर्पिओ के सामने खड़ा कर दिया और स्कोर्पिओ के चालक को अपना वाहन रोकने के लिए बाध्य किया। निरीक्षक वेद प्रकाश हालात के खतरनाक रुप लेने को ध्यान में रखते हुए टोयाटा क्वालिस से बाहर कूद गए और तेजी से स्कोर्पिओ की तरफ भागे। वाहन में चालक की जगह पर बैठे खतरनाक डकैत अनिल भरसी ने कार्बाइन उठा ली और निरीक्षक वेद प्रकाश पर गोलियों की बौछार कर दी। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना, तथा अपनी टीम के अन्य सदस्यों की जानों के खतरे का विचार करते हुए, अनुकरणीय साहस का परिचय देते हुए, अपनी छाती और पेट पर गोलियों का सामना करने के बावजूद, कार्बाइन को पकड़ लिया और उसकी दिशा ऊपर की ओर कर दी तथा अनिल भरसी को वाहन से बाहर घसीट लिया। निरीक्षक वेद प्रकाश ने डकैत अनिल भरसी द्वारा की गई गोलियों की बौछार को बहादुरी से अपनी छाती और पेट पर झेला। अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हुए और उत्कृष्ट श्रेणी के पराक्रम को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने की गई गोलीबारी का बहादुरी से सामना किया और अपने पीछे मोर्चा लिए हुए टीम के सदस्यों को सुरक्षा कवच दिया और फिरौती के लिए अपहरण करने, व्यापक हत्याओं इत्यादि के लगभग दर्जनों मामलों में संलिप्त दुस्साहसी डकैत को स्वयं निडरता के साथ पकड़ा। इसी बीच, अभियुक्त राजीव उर्फ भूरा, जो चालक की सीट से पीछे बायीं तरफ बैठा था और जिसके हाथ में गोलियों से भरी कार्बाइन थी, वाहन से बाहर कूद गया और बचने के लिए पीछे भागा। जब उसने हैड कांस्टेबल हीरा लाल और उप निरीक्षक अमर दीप सहगल और स्टाफ के अन्य सदस्य को अपने पीछे भागते देखा तब उसने हैड कांस्टेबल हीरा लाल पर गोलियां चला दीं, जो उन सब में सबसे आगे था। हैड कांस्टेबल हीरा लाल ने स्थिति की गंभीरता का आकलन किया और उसकी उस गोली से बचे जो उनके बायें कान के पास से गुजर गई और बाद में उप निरीक्षक अमर दीप सहगल की टांगों के बीच से गुजर गई जिन्होंने स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अपनी सरकारी पिस्तौल से दो गोलियां चलाईं तथा उसे ललकारा। हैड कांस्टेबल हीरा लाल द्वारा पीछा न

छोड़ने पर, राजीव उर्फ भूरा नजदीक के खेतों की ओर भागा और उसने उसका पीछा कर रही पुलिस पार्टी पर गोलियां चलाईं लेकिन हैड कांस्टेबल हीरा लाल उसकी गोलियों से नहीं घबराये और असाधारण वीरता भरी कार्रवाई और अद्वितीय साहस का प्रदर्शन करते हुए उस पर झपट पड़े और उसे जमीन पर गिरा दिया और साथ ही कार्बाइन की दिशा ऊपर की ओर कर दी तथा उन्होंने उससे कार्बाइन एक झटके में छीन ली। इसी बीच, सहायक उप निरीक्षक प्रमोद त्यागी, कांस्टेबल ऋषि राज और कांस्टेबल देवेन्द्र वहां पहुँच गए और राजीव उर्फ भूरा को काबू में कर लिया। अभियुक्त अनिल भरसी, हरीश, राजीव भूरा और मनोज की उत्तर प्रदेश पुलिस को काफी समय से तलाश थी और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अनिल भरसी और हरीश की गिरफ्तारी के लिए 10000/-रु0 के इनाम की घोषणा की हुई थी और अभियुक्त राजीव उर्फ भूरा की गिरफ्तारी पर 2500/-रु0 के इनाम की घोषणा की हुई थी और उनमें से प्रत्येक पर इनाम राशि को 50,000/-रु0 तक बढ़ाने पर कार्रवाई चल रही थी। निरीक्षक वेद प्रकाश टोयोटा क्वालिस से नीचे कूद गए और स्कोर्पिओ की ओर तेजी से भागे। अनिल भरसी, जो चालक की सीट पर बैठा हुआ था, ने कार्बाइन उठा ली और उसने निरीक्षक वेद प्रकाश पर गोलियों की बौछार कर दी, जिन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना, और अपने टीम के अन्य सदस्यों की जिंदगी को खतरे में पड़ते देखकर, अपनी छाती और पेट पर गोलियों का सामना करने के बावजूद, कार्बाइन को पकड़ लिया और उसकी दिशा ऊपर की ओर कर दी तथा अनिल भरसी को वाहन से बाहर घसीट लिया। निरीक्षक वेदप्रकाश ने डकैत अनिल भरसी द्वारा की गई गोलियों की बौछार को अपनी छाती और पेट पर बहादुरी से झेला। अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हुए और उत्कृष्ट प्रकृति की वीरता का प्रदर्शन करते हुए, उन्होंने बहादुरी के साथ गोलियों की बौछार का सामना किया और अपने पीछे मोर्चा लिए हुए टीम के सदस्यों को सुरक्षा कवच प्रदान किया तथा निडरता के साथ, फिरौती के लिए अपहरण करने, व्यापक हत्याओं इत्यादि के लगभग दर्जनों मामलों में संलिप्त दुस्साहसी डकैत को स्वयं पकड़ा।

इस मुठभेड़ में, श्री वेद प्रकाश, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 6 अक्तूबर, 2004 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 17-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री ह्रदय भूषण

निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

अगस्त, 2004 के प्रथम सप्ताह के दौरान केन्द्रीय आसूचना एजेंसी के माध्यम से आसूचना जानकारियां प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित आतंकवादी गुट "लश्कर-ए-तैयबा" (एल ई टी) से संबंधित एक आतंकवादी ने, जिसका सांकेतिक नाम विक्की है, अपने साथियों के साथ दिल्ली में अपना अड्डा स्थापित किया है और उसके द्वारा आतंकवादी गतिविधियां किए जाने की संभावना है। इस सूचना को तकनीकी और मानवीय आसूचना के साथ जोड़ कर और विकसित किया गया। इसी बीच, यह भी पता चला कि उक्त आतंकवादी एक पाकिस्तानी नागरिक है और उसका वास्तविक नाम आबिद है तथा उसने खतरनाक हथियार एवं अन्य संभारिकी प्राप्त कर लिए हैं। आबिद उर्फ विक्की की गतिविधियां दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में पाई गईं और यह भी ध्यान में आया कि वह सीमा पार से अपने कमांडर से अनुदेश प्राप्त कर रहा है। 16.8.2004 को तकनीकी जानकारियों के माध्यम से एक विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई कि आबिद उर्फ विक्की सीमा पार के अपने कमांडर से बातचीत करने के लिए सायं द्वारका क्षेत्र में एक साइबर कैफे में आयेगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस सूचना पर विचार-विमर्श किया गया और इस सूचना पर कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजबीर सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। निगरानी रखने के लिए द्वारका की मार्किट के क्षेत्रों में स्थित विभिन्न साइबर कैफों में छोटी टीमें भेजी गईं। रात्रि लगभग 9.30 बजे तकनीकी निगरानी के माध्यम से पता चला कि उक्त आतंकवादी ए पी जे साइबर कैफे, सेक्टर-6 मार्किट, द्वारका, दिल्ली में बातचीत कर रहा है। टीम के सभी सदस्य तेजी से उक्त मार्किट की ओर गए और साथ ही शेष टीमों को भी सूचित किया। जांच करने पर यह पता चला कि एक व्यक्ति, जिसने टोपी पहनी हुई थी, अभी कैफे से गया है। इसी बीच, संदिग्ध व्यक्ति मार्किट और डी डी ए फ्लैट के बीच की पीछे की लेन में खड़ी की गई एक मोटरसाईकल के नजदीक पहुंच गया था। उस समय तक उसे पुलिस पार्टी की गतिविधि के बारे में संदेह हो गया था और उसने मार्किट के पीछे स्थित सेक्टर-6, द्वारका के रिहाइशी फ्लैटों की ओर भागना शुरु कर दिया। पुलिस पार्टी ने उसका पीछा किया और उसे अपनी पहचान बताई तथा उससे रुकने के लिए कहा। उसने सबसे आगे की पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी और भागना जारी रखा। आतंकवादी को पकड़ने के उद्देश्य से और अपनी आत्मरक्षा में, पुलिस पार्टी ने जवाबी गोलीबारी की। लगभग 15 मिनट तक चली उस मुठभेड़ में प्रतिबंधित आतंकवादी गुट लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित पाक आतंकवादी आबिद गैरेज सं. 39-बी और 16-बी, एस एफ एस फ्लैट्स, पॉकेट-II, फेज-I, सेक्टर-6, द्वारका, दिल्ली के नजदीक घायल हो गया। घायल हुए आतंकवादी के पास .30 बोर की पिस्तौल पाई गई। घायल आतंकवादी को ए आई आई एम एस अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत लाया गया घोषित कर किया गया।

यह सूचना प्राप्त होने पर, कि आतंकवादी सेक्टर-6 मार्किट, द्वारका दिल्ली में ए पी जे साइबर कैफे में बातचीत कर रहा है, टीम के सभी सदस्य तेजी से उक्त मार्किट की ओर रवाना हुए। निरीक्षक ह्रदय भूषण ने अपनी टीम के साथ पीछे की लेन से मार्किट में प्रवेश किया। जब आतंकवादी को अपनी मोटरसाईकल के

नजदीक पहुँचने पर पुलिस पार्टी की गतिविधि के बारे में संदेह हुआ तब उसने मार्किट के पीछे स्थित सेक्टर-6, द्वारका के रिहाइशी फ्लैटों की ओर दौड़ना शुरु कर दिया। पुलिस पार्टी ने उसका पीछा किया और उसे अपनी पहचान बता कर उससे रुकने के लिए कहा तब उसने सबसे आगे की पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी और भागना जारी रखा। निरीक्षक हृदय भूषण, जो काफी निकट थे और आतंकवादी द्वारा की ज़ा रही सीधी गोलीबारी की जद में थे, की जान जाने से बाल-बाल बची। लेकिन अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना और अत्यंत साहस का परिचय देते हुए, पराक्रमी अधिकारी ने निडरतापूर्वक कट्टर आतंकवादी का पीछा जारी रखा और जबाबी गोलीबारी भी की। प्रशिक्षित आतंकवादी फ्लैटों की अंधेरी गलियों में घुसने में कामयाब हो गया लेकिन अपनी शारीरिक क्षमता से ज्यादा क्षमता के साथ दौड़ रहे अधिकारी ने उस रात काफी हुई बरसात में फिसलन भरी सड़क होने के बावजूद उसका पीछा किया। अपनी सुरक्षा के लिए कोई आड़ लिए बिना, दृढ़संकल्प किए उस अधिकारी ने आमने-सामने उस आतंकवादी का सामना किया। लगभग 15 मिनट तक चली उस मुठभेड़ में पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया। निरीक्षक हृदय भूषण ने अपनी सर्विस पिस्तौल से 7 राऊंड चलाए और उस पाकिस्तानी आतंकवादी का सफाया करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस प्रकार से अपनी टीम के सदस्यों और जनता की जान बचाई। लेकिन निरीक्षक हृदय भूषण के अनुकरणीय साहस न करने पर आतंकवादी बच कर भाग सकता था और सिविल डिजाईन को अंजाम देने में कामयाब हो सकता था। निरीक्षक हृदय भूषण ने अपनी जान को जोखिम में डाला और इस अभियान में अनुकरणीय साहस, बहादुरी और प्रेरणा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस की इस बहादुरी भरी कार्रवाई की न केवल विभिन्न राज्यों के उच्च रैंक के पुलिस अधिकारियों एवं मीडिया द्वारा बल्कि व्यापक रुप से जनता द्वारा भी प्रशंसा की गई। उन्होंने वीरता और ड्यूटी के प्रति समर्पण की भावना का परिचय प्रस्तुत किया।

इस मुठभेड़ में, श्री हृदय भूषण, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 16 अगस्त, 2004 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 18-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

(1) सुभाष टंडन, निरीक्षक

(2) रमेश डबास,
उप निरीक्षक

(3) रणवीर सिंह,
सहायक उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

8.6.2005 को, निरीक्षक सुभाष टंडन, उप निरीक्षक रमेश डबास, सहायक उप निरीक्षक रणवीर सिंह, हैड कांस्टेबल केवल कृष्ण, हैड कांस्टेबल कुलदीप कुमार, हैड कांस्टेबल रमेश चंद, कांस्टेबल शिव वीर सिंह, कांस्टेबल प्रमोद कुमार, कांस्टेबल धर्मबीर सिंह, कांस्टेबल प्रीत और अन्य के नेतृत्व वाली क्रैक टीम ने कुछ आतंकवादियों की गतिविधियों का पता लगाने की योजना बनाई और उन्होंने नरेला औद्योगिक क्षेत्र के निकट जी टी करनाल रोड पर एक जाल बिछाया। पुलिस पार्टी को यह सूचना मिली थी कि आतंकवादी दिल्ली से हवाला की धनराशि एकत्र करने के पश्चात नेपाल भागने की योजना बना रहे हैं। प्रातः लगभग 6.15 बजे, सूचना के अनुरुप पुलिस पार्टी को सड़क के किनारे खड़ी की गई एक एक्सेंट कार मिली। जब पुलिस पार्टी ने अपनी क्वालिस कार एक्सेंट कार के निकट रोकी तब कार में मौजूद लोगों ने पकड़े जाने से बचने के उद्देश्य से उस जगह से भागने का प्रयास किया। इन लोगों की बाद में जगतार सिंह हवारा, जसपाल सिंह और विकास सहगल के रुप में पहचान की गई। जगतार सिंह हवारा ने निरीक्षक सुभाष टंडन, उप निरीक्षक रमेश डबास और सहायक उप निरीक्षक रणवीर सिंह पर तीन गोलियां चलाईं जो उसका सबसे आगे से पीछा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जगतार सिंह हवारा को काबू में कर लिया और निरीक्षक सुभाष टंडन ने हाथापाई के पश्चात उसकी पिस्तौल छीन ली और इस प्रकिया में उसका दाएं हाथ का अंगूठा और दायीं तरफ की पसलियां जख्मी हो गईं। पुलिस पार्टी ने गोलीबारी कर रहे आततायी को बचने का कोई मौका नहीं दिया और उन खतरनाक अपराधियों को काबू करने में अपनी जानें खतरे में डालीं। टीम के सदस्यों द्वारा दिखाई गई इस असाधारण वीरतापूर्ण कार्रवाई ने पूरे परिदृश्य को बदल कर रख दिया और पुलिस ने उनका पीछा किया और उनके साथ मुठभेड़ के दौरान हाथापाई के पश्चात जगतार सिंह हवारा उर्फ प्रिंस उर्फ साहिब सिंह उर्फ सुखा सिंह पुत्र स्वर्गीय सरदार शेर सिंह निवासी गांव हवारा कलां, तहसील खमानो, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब, जसपाल सिंह उर्फ राजा उर्फ हनी सहोता पुत्र हरदीप सिंह निवासी वी पी ओ सिम्बली, थाना गढ़ शंकर जिला होशियारपुर, पंजाब और विकास सहगल उर्फ मोंटू पुत्र सिकंदर सहगल निवासी मकान सं. 2701/13, रणजीत नगर, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली को सहज रुप से गिरफ्तार कर लिया। इन गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से 4 स्टार निर्मित पिस्तौल, 207 सजीव कारतूस, चलाए गए 3 कारतूस, 1 हैंड ग्रेनेड, 10.350 किलो आर डी एक्स, 3 रिमोट नियंत्रित डिवाईस, 2 रिमोट टाइमर स्विच, 2 बैटरी चालित टाइमर्स, 3 डेटोनेटर्स और एक लग्जरी कार इत्यादि बरामद की गई। इस संबंध में, पुलिस स्टेशन अलीपुर, दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 121/121क/122/186/353/332/307/120ख/34, शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27/54/59 और

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4/5 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 229/05 दर्ज की गई। उपर्युक्त बरामदगी के अतिरिक्त, अन्य आतंकवादियों और उनके शस्त्र, गोलाबारुद और विस्फोटकों के भंडार से संबंधित सूचना पंजाब पुलिस को भेज दी गई। उस सूचना के आधार पर, पंजाब पुलिस ने अकेले ही और संयुक्त रुप से पंजाब में छापे मारे, जिसके परिणामस्वरुप शस्त्र, गोलाबारुद और विस्फोटकों की भारी मात्रा में बरामदगी की गई। उन्होंने "बब्बर खालसा इंटरनेशनल" के अन्य उग्रवादियों को गिरफ्तार करने के अलावा इस आतंकवादी गुट के संपूर्ण माड्यूल का पता लगाकर उसे नष्ट किया। यह आतंकवादी गुट न केवल पंजाब में बल्कि पूरे भारतवर्ष में अपनी मौजूदगी का अहसास कराने के लिए आतंकवाद को पुनर्जीवित करने में संलिप्त था। दिल्ली में हाल ही में हुए विस्फोट इन्हीं की करतूतों का हिस्सा थे।

यह निरीक्षक सुभाष टंडन, उप निरीक्षक रमेश डबास और सहायक उप निरीक्षक रणवीर सिंह का ही असाधारण प्रयास था, जिन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना असाधारण साहस, ड्यूटी के प्रति समर्पण और वीरतापूर्ण कार्रवाई का प्रदर्शन किया और खतरनाक आतंकवादी जगतार सिंह हवारा को पकड़ा। निरीक्षक सुभाष टंडन ने उसकी गोलियों से भरी पिस्तौल छीन ली जिससे वह पहले ही पुलिस पार्टी पर 3 राउंड चला चुका था। जगतार सिंह हवारा न केवल पंजाब के पूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय श्री बेअंत सिंह को मारने में मुख्य अभियुक्त था बल्कि वह पंजाब में कई नृशंस हत्याओं में भी संलिप्त था और जिस पर उन मामलों में भी विचारण चल रहा था। उपर्युक्त टीम को विशिष्ट रुप से इन बब्बर खालसा अतांकवादियों को जिंदा पकड़ने के निदेश दिए गए थे ताकि बी के आई के तंत्र और उसके षडयंत्रों का भण्डा फोड़ हो सके और उनका पता लगाया जा सके और उनकी गिफ्तारी से अन्य आतंकवादियों की भी गिरफ्तारी हो सके। टीम सदस्यों ने उनको जिंदा पकड़ने की महत्ता को ध्यान में रखते हुए बिना गोली चलाए उन्हें गिफ्तार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी हालांकि जगतार सिंह हवारा द्वारा उन पर तीन बार गोलीबारी की गई। टीम के सदस्यों द्वारा की गई प्रतिबद्धता उत्कृष्ट थी। यद्यपि आतंकवादी भी सशस्त्र थे फिर भी उन्होंने अपनी जानों की परवाह नहीं की।

दो अन्य आतंकवादी अर्थात् जसपाल सिंह और विकास, लिबर्टी और सत्यम में हाल ही में हुए बम विस्फोट के लिए उत्तरदायी थे। इन गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों से की गई पूछताछ से यह पता चला कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन "बब्बर खालसा इंटरनेशनल" का प्रमुख वधवा सिंह आपराधिक पृष्ठभूमि वाले युवकों को प्रेरित करके विशेष रुप से पंजाब में उग्रवाद को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री सुभाष टंडन, निरीक्षक, रमेश डबास, उप निरीक्षक और रणवीर सिंह, सहायक उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 8 जून, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 19-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री अनिल कुमार,
सहायक उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

5.3.2004 की रात्रि को अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस के उप निरीक्षक सतीश कुमार दलाल और एक आम आदमी विजय कुमार स्वामी की मंगोलपुरी क्षेत्र में निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। उप-निरीक्षक की सर्विस रिवाल्वर भी छीन ली गई थी। उनका सिर काट दिया गया और उनके सिर जला दिए गए और ये दिल्ली में अन्य जगहों पर फेंक दिए गए। उनकी सिरकटी लाशें हरियाणा में विभिन्न जगहों पर फेंक दी गई। की गई जांच-पड़ताल के पश्चात (क) राजेन्द्र सिंह उर्फ जिन्दर जो 24 से ज्यादा आपराधिक मामलों में संलिप्त था और पहले राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में निरुद्ध किया गया था, (ख) जोगिन्दर सिंह उर्फ डेनी, राजेन्द्र सिंह का भाई जो 19 से ज्यादा आपराधिक मामलों में संलिप्त था और पहले भी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में निरुद्ध किया गया था और उनकी माता लक्ष्मी जो 20 से ज्यादा आपराधिक मामलों में संलिप्त थी, को गिरफ्तार किया गया। वे सभी मंगोलपुरी, दिल्ली के निवासी हैं। उनसे की गई जांच-पड़ताल से पता चला कि राजेन्द्र सिंह उर्फ जिन्दर और जोगिन्दर सिंह उर्फ डेनी का भाई विनोद भी इस नृशंस अपराध में संलिप्त था। तथापि अपराध करने के पश्चात वह फरार हो गया और वह पुलिस के घेरे से बचकर निकलने में सफल हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए न्यायालय से गैर जमानती वारंट प्राप्त किए गए और उसकी गिरफ्तारी के लिए 30,000/-रु0 का ईनाम घोषित किया गया।

फरार अभियुक्त विनोद के संबंध में एक पखवाड़ा पहले एक सूचना प्राप्त हुई थी कि वह चंडीगढ़, लुधियाना और देहरादून में सक्रिय है। तदनुसार विशेष प्रकोष्ठ के अधिकारियों की तैनाती की गई और मुखबिरों की तैनाती की गई। 6.4.2004 को, विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई कि विनोद एक व्यक्ति से मिलने के लिए आई एस बी टी सराय काले खां के मुख्य गेट की ओर रात्रि में आएगा। एक जाल बिछाया गया और विनोद को घेरा गया। पुलिस पार्टी के पहुँचने पर विनोद ने पिस्तौल निकाली थी और उसने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी। पुलिस पार्टी ने जवाबी गोलीबारी की। विनोद जख्मी हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत लाया गया घोषित कर दिया गया। पुलिस पार्टी द्वारा 24 राउंड चलाए गए जबकि मृत विनोद द्वारा 7 राउंड चलाए गए और उसकी 9 एम एम पिस्तौल के चैंबर में एक सजीव राउंड पाया गया। कानून की उचित धाराओं के अंतर्गत एक मामला पुलिस स्टेशन हजरत निजामुद्दीन में दर्ज किया गया। अभियान के दौरान सहायक उप निरीक्षक अनिल कुमार को सराय काले खाँ आई एस बी टी के मुख्य गेट के नजदीक तैनात किया गया। रात्रि लगभग 1.10 बजे, विनोद को सराय काले खाँ आई एस बी टी के मुख्य गेट से घुसते देखा गया। तत्काल, सहायक उप निरीक्षक अनिल कुमार को उसके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सतर्क कर दिया गया और उसने उसे पकड़ने के उद्देश्य से विनोद की ओर दौड़ना शुरु कर दिया। सहायक उप निरीक्षक अनिल कुमार को उसके नजदीक पहुँचता देखकर वह मुख्य बस स्टैंड के अंदर प्रवेश करने लगा। इस अवस्था में, सहायक पुलिस आयुक्त राजबीर सिंह ने तेज आवाज में अपनी पहचान के संबंध में बताया और विनोद को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा लेकिन इसकी बजाय विनोद ने अपनी तरफ बढ़ते सहायक उप-निरीक्षक अनिल कुमार पर गोलियां चलानी शुरु कर दी। सहायक उप-निरीक्षक अनिल कुमार, विनोद द्वारा

चलाई गई गोलियों से बाल-बाल बचे क्योंकि वह खुले में बगैर किसी आड़ के थे। इसके बाद विनोद कुमार ने प्रवेश द्वार के नजदीक कूड़ेदान की आड़ ले ली। सहायक उप निरीक्षक अनिल कुमार ने काफी नजदीक से विनोद का सामना किया। सहायक उप निरीक्षक अनिल कुमार अपनी जान की परवाह किए बिना उसके सामने डटे रहे। उनके अत्यंत अनुकरणीय साहस के कारण ही ईनाम घोषित खतरनाक अपराधी को निष्क्रिय किया जा सका। निडरतापूर्वक उन्होंने विनोद का सामना किया और अपनी सर्विस पिस्तौल से 5 राऊंड चलाए।

इस मुठभेड़ में, श्री अनिल कुमार, सहायक उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 अप्रैल, 2004 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं० 20-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

(1) कैलाश सिंह बिष्ट
उप निरीक्षक

(2) प्रहलाद कुमार,
हैड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

25.4.2005 को लगभग अपराह्न 5.30 बजे, एक विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई कि एक एल ई टी उग्रवादी, एक और पाकिस्तानी एल ई टी उग्रवादी साद को विस्फोटक और शस्त्र तथा गोलाबारुद की खेप सौंपने के लिए रात्रि लगभग 8-8.30 बजे एक सफेद रंग की मारुती 800 कार में, जिसका नं. 3792 था, बस स्टॉप, गेट सं. 2 के सामने, प्रगति मैदान की ओर आएगा। तदनुसार भैरों मंदिर रोड, गेट सं. 2, प्रगति मैदान, नई दिल्ली के चारों ओर एक जाल बिछाया गया। रात्रि लगभग 9 बजे, पंजीकरण सं. डी एल 3 सी के-3792 वाली एक सफेद रंग की मारुति कार 800 रिंग रोड की तरफ से आई और नेशनल साईंस सेंटर, प्रगति मैदान के सामने रुकी। उस गाड़ी में केवल एक व्यक्ति था जो गाड़ी चला रहा था। लगभग 15 मिनट के पश्चात, एक व्यक्ति नेशनल साइंस सेंटर की तरफ से आया और कार में मौजूद चालक से बातचीत शुरु कर दी। तत्काल, टीम को सतर्क कर दिया गया। चालक के साथ कुछ देर बातचीत करने के पश्चात, अन्य व्यक्ति भी चालक के पास कार में बैठ गया। जब वे चलने की प्रक्रिया में थे तभी पुलिस टीम उक्त कार के पास

पहुँची और कार को रोकने के लिए चालक को संकेत दिया लेकिन उन्होंने कार रोकने की बजाय कार को तेजी से भैरों मंदिर की ओर जाने वाली लिंक रोड की ओर भगा दिया और घटनास्थल से भागने का प्रयास किया। रक्षक और अन्य वाहनों ने दोनों तरफ से कार को भागने से रोका। अपना रास्ता रोका जाते देखकर और पुलिस पार्टी द्वारा घिरा हुआ पाने पर, दोनों कार से बाहर कूद गए और पुलिस टीमों को अपनी ओर बढ़ते देखकर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए विभिन्न दिशाओं में भागना शुरु कर दिया। इसी बीच, पुलिस टीम ने ऊँचे स्वर में बोलकर अपनी पहचान बताई और दोनों उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। आत्मसमर्पण करने की बजाय, वह उग्रवादी जो चालक की जगह पर बैठा था, पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए सड़क के दूसरी तरफ दौड़ा जबकि चालक की सीट के पास बैठने वाले उग्रवादी ने अपनी तरफ बढ़ती पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए सड़क के नीचे के रास्ते पर छलांग लगा दी। पुलिस पार्टी ने भी अपनी आत्मरक्षा में और भाग रहे एल ई टी उग्रवादियों को पकड़ने के उद्देश्य से गोलियां चलाईं। गोलीबारी लगभग 15-20 मिनट तक चली। उन्हें उपयुक्त सावधानी बरतनी थी ताकि राहगीरों की जान और माल की सुरक्षा की जा सके। जब उग्रवादियों की तरफ से की जा रही गोलीबारी रुक गई तब पुलिस पार्टी ने तत्काल गोलीबारी रोक दी और सावधानीपूर्वक सड़क के किनारे और नीचे के रास्ते पर घायल पड़े उग्रवादियों की ओर बढ़े। तत्काल पी सी आर और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया और घायलों को अस्पताल ले जाया गया जहां दोनों उग्रवादियों को मृत लाया गया घोषित किया गया। इस संबंध में पुलिस स्टेशन तिलक मार्ग, नई दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 121/121क/122/123/186/353/307/120ख, शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 2004 की धारा 18/19/20 के अंतर्गत एक मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 162 दिनांक 26.4.2005 दर्ज किया गया।

अधिकारियों की व्यक्तिगत भूमिका

श्री कैलाश सिंह बिष्ट उस अगुवाई टीम का हिस्सा थे जिसने विशिष्ट सूचना के आधार पर, लश्कर-ए-तैयबा (एल ई टी) के आतंकवादियों को पकड़ने के उद्देश्य से 25.4.2005 की रात्रि को नेशनल साइंस सेंटर के सामने बस स्टैंड के चारों ओर जाल बिछाया। ब्रीफिंग के अनुसार टीम के सदस्य जानते थे कि वे बुलटप्रूफ जैकेट नहीं पहन सकते थे क्योंकि इससे आतंकवादियों को संदेह हो जाता और उन्हें उस खतरनाक गुट लश्कर-ए-तैयबा के सदस्यों से सामना करना पड़ता जो खतरनाक हथियारों से लैस होंगे। यह भी पुलिस पार्टी के प्रत्येक सदस्य को मालूम था कि एक आतंकवादी नेशनल साइंस सेंटर, प्रगति मैदान, नई दिल्ली के सामने बस स्टॉप पर अन्य आतंकवादी को विस्फोटक, शस्त्र एवं गोलाबारुद सौंपने के लिए एक सफेद रंग की मारुती कार, जिसका नंबर 3792 था, में आएगा। प्रत्येक को जानकारी थी कि एल ई टी आतंकवादियों द्वारा कड़ा प्रतिरोध किया जाएगा और वे अपने अधुनातन शस्त्र और गोलाबारुद का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे। सहायक पुलिस आयुक्त ने एक योजना बनाई कि जब दोनों आतंकवादी मिलेंगे तब पुलिस टीम आत्मसमर्पण करने के लिए कहेगी और पकड़ने का प्रयास करेगी और यदि वे अपनी कार में घटनास्थल से भागने का प्रयास करेंगे तब उस कार को बुलट प्रूफ कार "रक्षक" और अन्य वाहनों द्वारा रोका जाएगा। उप निरीक्षक कैलाश सिंह बिष्ट ने इसमें निहित खतरे की परवाह न करते हुए, उस टीम का नेतृत्व किया जो लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तैयार की गई थी।

गोलीबारी के दौरान, जब उग्रवादियों ने अपनी मारुती कार में घटनास्थल से भागने का प्रयास किया और उनकी कार का रास्ता रक्षक और अन्य वाहनों द्वारा रोका गया, तब दोनों एल ई टी उग्रवादी कार से बाहर कूद गए और उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए और आगे बढ़ रही पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी

शुरु कर दी तथा विपरीत दिशाओं में भागना शुरु कर दिया। उप निरीक्षक कैलाश सिंह बिष्ट भी फुर्ती से पुलिस पार्टी के वाहन से बाहर कूद गए और उस आतंकवादी का पीछा करना शुरु कर दिया जो रेलिंग की ओर भाग रहा था और उसने अपनी ओर बढ़ते उप निरीक्षक कैलाश सिंह बिष्ट पर गोलीबारी करते हुए नीचे की ओर जाती एक सड़क पर छलांग लगा दी। उप निरीक्षक कैलाश सिंह बिष्ट ने उस एल ई टी उग्रवादी का निडरता से सामना किया जो नीचे की ओर जाने वाली सड़क पर लगी रैलिंग के निकट अपनी पोजीशन लेने के लिए नीचे की ओर जाने वाले रास्ते पर कूद गया था। उग्रवादी ने अपनी पोजीशन बदलनी जारी रखी और उप निरीक्षक कैलाश सिंह बिष्ट पर गोलीबारी जारी रखी। यह एक युद्ध जैसी स्थिति थी और वह दुश्मन द्वारा की जा रही गोलीबारी से घिरा हुआ था, और उस आतंकवादी को काबू करना लगभग असंभव था जो घटनास्थल से भागने के उद्देश्य से झाड़ियों में अपनी पोजीशन निरंतर बदल रहा था। अधुनातन हथियार से युक्त आतंकवादी सुरक्षित पोजीशन पर था और वह भली-भांति जानता था कि वह उस पोजीशन से पुलिस पार्टी को भारी नुकसान पहुँचाने में समर्थ था। उप निरीक्षक कैलाश सिंह बिष्ट ने भी अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को जरा सी भी परवाह न करते हुए, सभी खतरों को अनदेखा करते हुए नीचे की ओर जाने वाले रास्ते पर मौजूद झाड़ियों में छलांग लगा दी और उन्होंने उन पर आतंकवादी द्वारा निरंतर की जा रही गोलीबारी का बहादुरी से सामना किया। उप निरीक्षक कैलाश सिंह बिष्ट वहां पर डटे रहे और उस एल ई टी उग्रवादी का सामना किया जो भारी गोलीबारी कर रहा था। आत्मरक्षा में और पुलिस टीम के सदस्यों की जानें बचाने के उद्देश्य से, उप निरीक्षक कैलाश सिंह बिष्ट ने भी अपनी सर्विस पिस्तौल से तीन राऊंड चलाए। जब आतंकवादी की ओर से की जा रही गोलीबारी रुक गई तब पुलिस टीम ने भी तत्काल गोलीबारी रोक दी। उप निरीक्षक कैलाश सिंह बिष्ट ने अपनी टीम के सदस्यों की सुरक्षा के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डाला और आतंकवादी का सामना करने में उच्च व्यक्तिगत बहादुरी और उच्चकोटि की वीरता का प्रदर्शन किया। असाधारण परिस्थितियों में की गई यह बहादुरी सम्मान के योग्य है, जिसमें उन्होंने ड्यूटी के लिए वीरता और समर्पण की भावना का उदाहरण प्रस्तुत किया।

हैड कांस्टेबल प्रह्लाद

हैड कांस्टेबल प्रह्लाद की उपनिरीक्षक कैलाश सिंह बिष्ट के साथ तैनाती थी। उप निरीक्षक कैलाश सिंह बिष्ट के पश्चात हैड कांस्टेबल प्रह्लाद ने भी वाहन से छलांग लगा दी और उस उग्रवादी की ओर दौड़े जो चालक के साथ वाले आगे के दरवाजे से बाहर आ गया था। आतंकवादी आगे बढ़ रहे उप निरीक्षक कैलाश सिंह बिष्ट और हैड कांस्टेबल प्रह्लाद पर गोलीबारी कर रहा था और उसने नीचे की ओर जाने वाले रास्ते को जाने वाली सड़क पर मौजूद झाड़ियों में छलांग लगा दी। आतंकवादी ने अपनी पोजीशन को बदलना जारी रखा और साथ ही घटनास्थल से भागने के उद्देश्य से गोलीबारी करता रहा। यह महसूस करने पर कि आतंकवादी पुलिस पार्टी को भारी नुकसान पहुँचा सकता है, हैड कांस्टेबल प्रह्लाद ने नीचे की ओर जाने वाले रास्ते की ओर जाती सड़क पर उप निरीक्षक कैलाश सिंह बिष्ट के छलांग लगाने के पश्चात उनके पीछे रैलिंग के साथ अपनी पोजीशन ले ली। आतंकवादी ने हैड कांस्टेबल प्रह्लाद पर गोलियां चला दीं जिन्होंने रैलिंग के पीछे, जहां सुरक्षा बिल्कुल नहीं थी, से साहस के साथ डट कर बहादुरी के साथ गोलियों की बौछार कर दी। हैड कांस्टेबल प्रह्लाद ने अपनी पोजीशन पर डटे रहकर अनुकरणीय वीरतापूर्ण कार्रवाई का प्रदर्शन किया और एल ई टी आतंकवादी को निष्क्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने अपनी सर्विस पिस्तौल से 2 राऊंड चलाए।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री कैलाश सिंह बिष्ट, उप निरीक्षक और प्रह्लाद कुमार, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 25 अप्रैल, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 21- प्रेज/2007-राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री ललित मोहन,
निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

जून, 2004 के माह में, दिल्ली और फरीदाबाद में कुख्यात और अंतर्राज्यीय अपराधी यासीन, निवासी सिविल लाइन्स, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश और उसके गिरोह के सदस्यों की गतिविधि के बारे में एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई। यासीन पहले पुलिस हिरासत से भाग गया था। तदनुसार संदिग्ध छिपने के स्थानों पर निगरानी रखी गई और मुखबिरों की तैनाती की गई। 11.6.2004 को, विशिष्ट सूचना के आधार पर, यासीन गैंग से संबंधित दो व्यक्ति नामतः मुन्ना उर्फ मुनेश निवासी बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश और मोहम्मद साहिल निवासी दादरी, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश को हल्दीराम स्वीट्स, मथुरा रोड, दिल्ली के नजदीक गिरफ्तार किया गया और उनसे सजीव कारतूस युक्त दो देशी पिस्तौलें बरामद की गईं। इस संबंध में क्रमशः पुलिस स्टेशन विशेष प्रकोष्ठ, लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 77/2004 और पुलिस स्टेशन विशेष प्रकोष्ठ, लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 78/2004 के तहत मामले दर्ज किए गए और जांच-पड़ताल शुरु की गई। पूछताछ करने पर अभियुक्त मुन्ना और साहिल ने बताया कि यासीन और उसका निकट सहयोगी बेनामी सिंह निवासी अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, फरीदाबाद, हरियाणा में छिपे हुए हैं और सिल्वर रंग की मारुती आल्टो कार जिसका नं. यू पी 81 पी 6090 है, का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके पास अधुनातन हथियार भी हैं। अभियुक्तों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उनके छिपने के स्थानों पर मुखबिर तैनात किए गए लेकिन यासीन और बेनामी उक्त छिपने के स्थानों पर मौजूद नहीं थे। तथापि, सूत्रों में से एक ने सूचना दी कि यासीन और बेनामी दिल्ली चले गए हैं और वे किसी भी समय रात को वापिस फरीदाबाद आएंगे। तदनुसार श्री राजबीर सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त की अगुवाई वाले दल ने उन्हें पकड़ने के उद्देश्य से मथुरा रोड, सूरजकुंड रोड, शूटिंग रेंज रोड पर दिल्ली से फरीदाबाद की ओर जाने वाले छिपने की संभावना वाले महत्वपूर्ण स्थलों पर एक जाल बिछाया। रात्रि लगभग 11.15 बजे उक्त आल्टो कार को गोविंदपुरी की तरफ से आते देखा गया और वह बदरपुर की ओर बायीं ओर मुड़ गई। इसे एम बी रोड-शूटिंग रेंज रोड टी-पॉइन्ट पर रुकने का संकेत दिया गया लेकिन कार को रोकने की बजाय उन्होंने इसे शूटिंग रेंज रोड पर फरीदाबाद की ओर मोड़ दिया। उक्त आल्टो कार को अंत में करनी सिंह शूटिंग रेंज के नजदीक पुलिस टीमों द्वारा रोक लिया गया। आल्टो कार के चालक ने भागने के प्रयास में कार पर से अपना नियंत्रण खो दिया और कार सड़क के बायीं तरफ एक

पेड़ से टकरा गई। कार में मौजूद व्यक्तियों से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया लेकिन ऐसा करने के बजाय आगे की सीट पर बैठे हुए दो व्यक्ति कार से नीचे उतर गए और उन्होंने भागने का प्रयास किया। उन्होंने अपने हथियार भी निकाल लिए और आगे बढ़ रही पुलिस टीम पर गोलीबारी शुरु कर दी। आत्मरक्षा में और उन्हें पकड़ने के उद्देश्य से, पुलिस टीम ने जबाबी गोलीबारी की। इस मुठभेड़ में यासीन और बेनामी सिंह घायल हो गए। यासीन के कब्जे से .30 बोर की एक पिस्तौल पाई गई जबकि बेनामी सिंह के पास .38 कोल्ट की एक रिवाल्वर थी। दोनों घायल अपराधियों को ए आई आई एम एस अस्पताल ले जाया गया और वहां उन्हें मृत लाया गया घोषित किया गया। इस संबंध में पुलिस स्टेशन संगम विहार, नई दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 307/186/353/34 और शस्त्र अधिनियम 25/27 के तहत एक मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 442 दिनांक 12.6.2004 दर्ज किया गया और इसकी दक्षिण जिला पुलिस द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है।

निरीक्षक ललित मोहन, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजबीर सिंह के साथ कार में बायीं तरफ बैठे हुए थे। उन पर सबसे पहले खतरनाक अपराधी द्वारा गोलीबारी की गई जब उनकी कार ने अपराधियों को रोकने और उन्हें आत्मसमर्पण करने हेतु बाध्य करने के लिए अपराधियों की कार का रास्ता दायीं तरफ से रोका। वह खतरनाक अपराधी कार से नीचे उतर गया और उसने उसकी कार के सड़क के बायीं तरफ पेड़ से टकराने के पश्चात भागने का प्रयास किया और साथ ही उसने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी की। निडरता के साथ, निरीक्षक ललित मोहन फुर्ती से कार से नीचे उतर गए और उन्होंने गिरोह के सदस्यों का बहादुरी से सामना किया और वे उनकी गोलीबारी से बाल-बाल बचे। उन्होंने बेनामी का पीछा किया जो पुलिस को आगे बढ़ने से रोकने और अंधेरे का लाभ उठाकर बच कर भागने के उद्देश्य से अंधाधुंध गोलीबारी कर रहा था। निरीक्षक ललित मोहन ने डकैतों की ओर आगे बढ़ते हुए असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया और अपनी जान की परवाह न करते हुए निडरता के साथ गिरोह का सामना किया। उन्होंने अपनी सर्विस पिस्तौल से 5 राऊंड चलाए और उस गिरोह का सफाया करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस मुठभेड़ में, श्री ललित मोहन, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11 जून, 2004 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 22-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री पंकज सूद,
निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

सोनीपत, हरियाणा में जैन भाइयों की सनसनीखेज अपहरण की घटना हुई और इस संबंध में पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स, सोनीपत, हरियाणा में भारतीय दंड संहिता की धारा 364/420/468/471 के अंतर्गत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 71/04 दिनांक 25.3.2004 के तहत एक मामला दर्ज किया गया। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती के रुप में 2 करोड़ रु. की मांग की और दोनों जैन भाईयों को उनके छोड़ें जाने के पहले 15 दिनों तक दुखदायी कैद झेलनी पड़ी। यूरोपीय देशों से फिरौती के लिए की जा रही अंतर्राष्ट्रीय कॉलों के कारण कॉर्टेल प्रोफाइल और ऑपरेशन में और ज्यादा रहस्य और सनसनी पैदा हो गई। अत:, हरियाणा पुलिस ने अपराध शाखा, दिल्ली से मदद मांगी। उप निरीक्षक रमेश शर्मा, उप निरीक्षक हरबीर सिंह, उप निरीक्षक नरेश शर्मा और सहायक उप निरीक्षक प्रमोद कुमार सहित निरीक्षक पंकज सूद को अपनी टीम के साथ कॉर्टेल पर कार्य करने के लिए तैनात किया गया। अतिसावधानी और वैज्ञानिक ढंग से कार्य करते हुए यह आसूचना सामने आई कि इस अपहरण में खालिस्तान कमांडो फोर्स का एक आतंकवादी जगतार सिंह उर्फ जग्गा शामिल है जिसका मुखिया परमजीत सिंह पंजवार है और उसके पाकिस्तान में अड्डे हैं तथा जिसकी सहायता रतनदीप सिंह उर्फ छोटू कर रहा है और जिस पर संगठन के लिए धन एकत्र करने के लिए यूरोपियन देश में स्थित होने के संबंध में संदेह है। 28/29.4.2004 की मध्यरात्रि को, निरीक्षक पंकज सूद को जानकारी प्राप्त हुई कि जगतार सिंह और उसके साथियों से जुड़ा आतंकवादी गुट एक मॉडल टाऊन में रह रहे धनी व्यवसायी को प्रात: काल की सैर के समय अपहरण करने की मंशा से दिल्ली की ओर गए हैं। फुर्ती के साथ, निरीक्षक पंकज सूद के नेतृत्व वाली समर्पित टीम तुरंत हरकत में आई और तीन वाहनों में पुलिस स्टेशन तिमारपुर के क्षेत्र में वजीराबाद रोड में एक जाल बिछाया। उप निरीक्षक रमेश शर्मा की देखरेख में सहायक उप निरीक्षक प्रमोद कुमार सहित स्टाफ के साथ सरकारी गाड़ी क्वालिस को डबल पुलिया के नजदीक खड़ी किया। निरीक्षक पंकज सूद की देखरेख में उप निरीक्षक नरेश शर्मा की कार सहित स्टाफ के साथ एक निजी मारुती को सूरघाट के नजदीक खड़ा किया गया और उप निरीक्षक हरबीर सिंह की देखरेख में स्टाफ के साथ सरकारी जिप्सी को रेड लाईट, टी-पॉइन्ट के निकट खड़ा किया गया। अपराहन लगभग 4.20 बजे एक मारुती एस्टीम कार को गाजियाबाद की तरफ से आते देखा गया, तभी उप निरीक्षक रमेश शर्मा, जो वर्दी में थे, ने वाहन को रुकने का संकेत दिया। लेकिन रुकने की बजाय मारुती एस्टीम में बैठे लोगों ने पिस्तौल निकाल ली और क्वालिस में पीछा कर रही पुलिस पार्टी पर गोलियां चलाईं। उनके द्वारा की गई शुरुआती गोलीबारी में से एक गोली विंडस्क्रीन से निकलकर क्वालिस के स्टियरिंग पर लगी। गोलीबारी होते और क्वालिस में पीछा करते देखकर, अन्य दो वाहनों में शेष टीम ने भी एस्टीम का पीछा किया, जबकि क्वालिस ने एस्टीम को ओवरटेक करने का प्रयास किया, कि तभी चालक जगतार सिंह वाली क्वालिस से पुन: गोलीबारी की गई लेकिन उप निरीक्षक रमेश शर्मा के समय से किए गए हस्तक्षेप के कारण, चलाई गई गोली खिड़की से अंदर आकर क्वालिस के ऊपरी हिस्से में लगी। पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षा में एस्टीम पर गोलियां चलाईं और एक भीषण मुठभेड़ हुई। पुलिस द्वारा घिरा हुआ पाने पर, एस्टीम में मौजूद लोगों ने बाहर निकलकर पुलिस पार्टी पर गोलीबारी करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस पार्टी भी अपनी आत्मरक्षा में

गोलीबारी करते हुए वाहन से बाहर निकल आई। जगतार सिंह और रविन्द्र सिंह के जिंदा पकड़े जाने पर आतंकवादी गुट के वास्तविक परिदृश्य और उसके अड्डों का पता चलना था और भारत में आतंक फैलाने में उनके नापाक इरादों का पता चलना था। निरीक्षक पंकज सूद, उप निरीक्षक रमेश शर्मा, उप निरीक्षक हरबीर सिंह, उप निरीक्षक नरेश कुमार और सहायक उप निरीक्षक प्रमोद कुमार की अग्रिम पंक्ति दल ने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाला और गोलीबारी कर रहे उन दोनों व्यक्तियों को जिंदा पकड़ने के लिए वे उनके और नजदीक आए लेकिन काफी नजदीक की आपसी गोलीबारी में, एस्टीम में बैठे वे दोनों गोलियां लगने से घायल हो गए और जमीन पर गिर पड़े। घायल व्यक्तियों को तत्काल उपचार हेतु बाड़ा हिन्दू राव अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत लाया गया घोषित कर दिया गया। अनदगे सजीव कारतूस, दागे गए कारतूस और जैन भाईयों से छीने गए मोबाइल फोन के उपकरण के साथ-साथ दो विदेश निर्मित पिस्तौल उन दोनों से बरामद की गई। इसके साथ ही, उत्तर भारत के फिरौती सरगना, जिसके अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संबंध थे, के लिए शीर्ष स्तर पर होने वाले अपहरण का अंत हुआ अन्यथा तबाही और सनसनी पैदा की जा सकती थी। इससे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के पुनर्गठित होने और भारत में अपहरण करने के उनके नापाक इरादों के प्रयासों द्वारा धन बढ़ाने की प्रक्रिया में कमी आएगी। इस प्रकार की प्रतिकूल स्थिति में, जहां दुस्साहसी कट्टर-सशस्त्र अपराधी गोलीबारी करते हैं और वहां विशेष रुप से निरीक्षक पंकज सूद, उप निरीक्षक रमेश शर्मा, उप निरीक्षक हरबीर सिंह, उप निरीक्षक नरेश कुमार और सहायक उप निरीक्षक प्रमोद कुमार की अग्रिम पंक्ति वाली टीम को गंभीर रुप से क्षति पहुँचने की पूरी संभावना थी। इन अधिकारियों ने गोलीबारी कर रहे उन दोनों व्यक्तियों को जिंदा पकड़ने के लिए अपनी जानों को जोखिम में डाला, उनके और नजदीक आए और आसाधारण साहस और वीरता की अनोखी कार्रवाई का प्रदर्शन किया और वे उन दोनों के गोलियों से घायल होने पर उनकी जान बचाने के लिए उन्हें तेजी से अस्पताल ले गए। उप निरीक्षक रमेश शर्मा (तीन राउंड चलाए), उप निरीक्षक हरबीर सिंह (तीन राउंड चलाए), उप निरीक्षक नरेश शर्मा (पांच राउंड चलाए) और सहायक उप निरीक्षक प्रमोद कुमार (तीन राउंड चलाए) को अपनी टीम के सदस्यों की जान बचाने के उद्देश्य से गोलियां चलानी पड़ीं। निरीक्षक पंकज सूद, जो यद्यपि निहत्थे थे, उप निरीक्षक रमेश शर्मा, उप निरीक्षक हरबीर सिंह, उप निरीक्षक नरेश कुमार और सहायक उप निरीक्षक प्रमोद कुमार ने अपनी ड्यूटी के प्रति अनुकरणीय अद्वितीय वीरता, साहस, समर्पण की भावना, अपने टीम के सदस्यों की जानों की परवाह करते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जिम्मेवारी और अत्यधिक बुद्धिमानी का प्रदर्शन किया।

निरीक्षक (एक्स.) पंकज सूद, सं.डी-3030 निहत्थे टीम की अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली और गोलीबारी कर रहे दोनों व्यक्तियों को जिंदा पकड़ने के उनके और नजदीक आए लेकिन निकट की आपसी गोलीबारी के दौरान एस्टीम में बैठे वे दोनों गोलियां लगने से घायल हो गए और जमीन पर गिर पड़े। घायल व्यक्तियों को तत्काल उपचार हेतु बाड़ा हिन्दू राव अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत लाया गया घोषित किया गया। अनदगे सजीव कारतूस और दागे गए कारतूस और जैन भाइयों से छीना गया मोबाइल फोन उपकरण के साथ-साथ दो विदेश निर्मित पिस्तौल उन दोनों व्यक्तियों से बरामद किए गए। इस प्रतिकारी कार्रवाई के साथ ही, उत्तर भारत के फिरौती सरगना, जिसके अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संबंध थे, के लिए शीर्ष स्तर पर होने वाले अपहरण का अंत हुआ अन्यथा तबाही की जा सकती और सनसनी पैदा की जा सकती थी। इससे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के पुनर्गठित होने और भारत में अपहरण करने के उनके नापाक इरादों के प्रयासों द्वारा धन बढ़ाने की प्रक्रिया में कमी आएगी। निरीक्षक पंकज सूद ने वीरता की अनोखी कार्रवाई का प्रदर्शन किया और दोनों आतंकवादियों को जिंदा पकड़ने के प्रयास द्वारा अपनी जान को खतरे में डाला जब वह स्वयं निहत्था थे और दोनों आतंकवादियों की गोलियों से जख्मी होने के बावजूद वे उन्हें जिंदा रखने के लिए उन्हें तेजी से अस्पताल ले गए। इस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति में जहां दुस्साहसी सशस्त्र-कट्टर अपराधी गोलीबारी कर रहे थे तब निरीक्षक पंकज सूद ने ड्यूटी के

प्रति अनुकरणीय वीरता साहस, समर्पण, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जिम्मेवारी और अत्यधिक बुद्धिमानी का परिचय दिया।

इस मुठभेड़ में, श्री पंकज सूद, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 29 अप्रैल, 2004 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं०-23-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके शौर्य के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. **मारी तुलसी राम**
   सहायक असॉल्ट कमांडर/
   आरक्षित उप-निरीक्षक **(राष्ट्रपति का पुलिस पदक)**
2. **एम मूर्ति**
   पुलिस कांस्टेबल **(पुलिस पदक)**
3. **एन.अनिल कुमार**
   कनिष्ठ कमांडो **(पुलिस पदक)**
4. **जी.वी.वी.डी.प्रसाद**
   पुलिस कांस्टेबल **(पुलिस पदक)**
5. **एस.रामू**
   पुलिस कांस्टेबल **(पुलिस पदक)**

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

पुलिस अधीक्षक, निजामाबाद को यह सूचना मिली कि रमेश और बाबना तथा अन्य गुरिल्ला उग्रवादी कमरपल्ली, पुलिस स्टेशन, जिला निजामाबाद के मनाला आरक्षित वन में इस इरादे से घूम रहे हैं कि निर्दोष ग्रामीणों को हानि पहुंचाई जाए या फिर घात लगा कर किसी पुलिस स्टेशन पर हमला कर पुलिस को ललचा कर उनकी हत्या की जाए। तत्काल ही 18 कार्मिकों की एक टुकड़ी के साथ नामिती 1 और एएसी पी. वैंकट राव की अगुवाई में खोजी दस्ते की 3 सी असॉल्ट यूनिट को " धनुष" नामक अभियान के भाग के रुप में आवश्यक ब्रीफिंग के बाद 5.3.05 की रात को बुलाया गया और मनाला के भयानक आरक्षित वन में अन्य नामितियों के साथ भेजा गया। कमांडो ने उन्हें दिए गए क्षेत्र की दो दिन तक छानबीन की लेकिन माओवादी उन्हें कहीं भी नहीं मिले। अभियान को सफल बनाने के लिए दृढ़ संकल्प नामिती 1 ने कमांडो के साथ मिलकर पुलिस अधीक्षक, निजामाबाद के साथ फिर से विचार-विमर्श किया और योजना में बदलाव किया। 7.3.05 को 0645 बजे उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए वन की छानबीन करते समय पुलिस टीम को पैरों के ताजे निशान मिले जिन्हें पुलिस को गुमराह करने के लिए आंशिक रुप से मिटाया गया था और थोड़ी देर बाद उन्हें वन की पगडंडी पर जंगल कैंप मिल गया। नामिती 1 और एएसी पी. वैंकट राव ने तत्काल पूरी टीम को 3 ग्रुपों में बांटा। नामिती 1 से 5 मुख्य असॉल्ट ग्रुप में थे। जिस पगडंडी पर चौकसी ग्रुप खड़ा था उस पगडंडी के पश्चिम से उस ग्रुप को पहाड़ी पर चढ़ने के लिए कहा गया ताकि वहां से पूरे क्षेत्र को अच्छी तरह से देखा जा सके और शत्रु, जिसके बारे में यह आशंका की गई थी कि उसने पहाड़ी के नीचे मैदानी भागों

में जल स्रोतों के निकटवर्ती क्षेत्रों में शिविर लगा रखे होंगे, की स्थिति के बारे में मुख्य असॉल्ट ग्रुप को सूचित किया जा सके। तीसरे ग्रुप को रास्ता काटने के लिए दक्षिण की ओर भेजा गया। तथापि, माओवादियों ने पहाड़ी के शिखर पर शिविर लगाया हुआ था। जब चौकसी ग्रुप पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा और पूर्व से पश्चिम की ओर जाने लगा तो माओवादियों ने उन्हें देख लिया, उन पर गोलीबारी कर दी और बचने के लिए पहाड़ी के दक्षिण की ओर दौड़ पड़े । चौकसी ग्रुप ने माओवादियों पर गोलीबारी की और ग्रुप 3 को सतर्क कर दिया जो पहाड़ी के दक्षिण क्षेत्र को कवर कर रहा था। उन्होंने नामिती 1 से 5 वाले उस दल को भी सतर्क कर दिया जो पहाड़ी के नीचे जंगल की छानबीन कर रहा था। तत्काल ही पार्टी 3 ने दक्षिण की तरफ से माओवादियों पर गोलीबारी कर उनका बाहर निकलने का रास्ता रोक लिया। चूंकि चौकसी ग्रुप, पश्चिम क्षेत्र को कवर कर रहा था इसलिए माओवादी, पहाड़ी के पूर्वी किनारे के साथ-साथ पहाड़ी के उत्तर की ओर भागने पर विवश हो गए। इसी बीच मुख्य असॉल्ट ग्रुप पहाड़ी पर पहुंच गया और उसने माओवादियों पर गोलीबारी कर दी। गोली लगने से माओवाद जिला समिति का एक सदस्य गिर पड़ा जिससे वे भयभीत हो गए। उसके बाद असॉल्ट ग्रुप के सदस्य दो और ग्रुपों में विभाजित हो गए। नामिती 4 और 5 की अगुवाई में एक टीम, माओवादियों के बाहर निकलने के रास्तों को रोकने के लिए उत्तर की ओर दौड़ पड़ी। जब शत्रु पक्ष का उस क्षेत्र पर दबदबा बना हुआ था और वे गोलियों की बौछार कर रहे थे तभी नामिती 2 और 3 तथा 2 अन्य कनिष्ठ कमांडो ने पहाड़ी की पूर्व दिशा की तरफ से चढ़ाई शुरु कर दी। यद्यपि शत्रु पक्ष ए के -47 से गोलियों की बौछार कर रहा था तो भी नामिती 1, 2 और 3 अपनी जान की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते गए। अंततः वे पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गए और उन्होंने एक और माओवादी को मार गिराया। इसे देख कर माओवादी, नामिती 1 के नेतृत्व वाली टीम 1 पर गोलीबारी करते हुए पहाड़ी के उत्तर की ओर भाग खड़े हुए। नामिती 1, 2 और 3 ने बड़ी बहादुरी से गोलियों की बौछार का सामना किया और चार और माओवादियों को मार गिराया।इस कारण शेष माओवादी उत्तर की ओर सीधे ढलान से नीचे उतरने को मजबूर हो गए। जब माओवादी पहाड़ी की तलहटी में पहुंचे तो वहां उनका सामना नामिती 4 और 5 के नेतृत्व वाले मुख्य असॉल्ट ग्रुप की टीम 2 के साथ हुआ। जब कि माओवादियों के पास जंगल की ओट थी लेकिन खुले में होने के कारण पुलिस पार्टी के पास कोई ओट नहीं थी। तथापि, पुलिस पार्टी अपने मोर्चे पर डटी रही। नामिती 4 और 5 ने अपने प्राणों को अत्यंत गंभीर संकट में डालते हुए शत्रु की गोलियों का सामना किया और 4 माओवादियों को मार गिराया। दो माओवादियों ने हथियार डाल दिए, अपने हाथ खड़े कर दिए और पुलिस पार्टी ने आत्मसमर्पण करने वाले इन दो माओवादियों को तत्काल अपने कब्जे में ले लिया। क्षेत्र की तलाशी लेने पर जिला समिति सचिव, जिला समिति सदस्य, 3 दलम कमांडर, 2 दलम उप-कमांडर और 3 स्थानीय गुरिल्ला सदस्यों सहित 10 माओवादियों के शव बरामद हुए। इस तलाशी से एक ए के -47 , 3-एस एल आर, 4-.303 राइफलें और 3 एस बी बी एल भी बरामद हुए। पहली बार ऐसा हुआ है कि शिविर में मौजूद सभी सदस्यों को या तो मार डाला गया या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। चूंकि माओवादी, किसी पुलिस थाने पर हमला करने की अपनी योजना को अंतिम रुप देने के लिए शीर्ष कार्यकर्ताओं की

बैठक कर रहे थे, इसलिए अत्याधुनिक हथियारों से गोलीबारी करने की उनकी ताकत भी अधिक थी। इस प्रकार, एक बड़ी दुर्घटना को होने से रोक दिया गया। चूंकि जिला समिति के नेता और सभी दलम कमांडर और उप-कमांडर मार गिराये गए थे, इसलिए इससे उन्हें गहरा धक्का लगा और दोनों ओर से हुई इस गोलीबारी के बाद पश्चिम करीमनगर प्रभाग में माओवादी गतिविधि का लगभग खात्मा हो गया। यद्यपि पुलिस दल के सभी सदस्यों ने अद्भुत टीम भावना का परिचय दिया, आगे बढ़ते हुए हर पल अपनी योजना बनाई, शत्रु का मुकाबला करते समय असाधारण बहादुरी का परिचय दिया और आदर्श तरीके से अपनी-अपनी भूमिका का निर्वाह किया, लेकिन नामिती 1 से 5 तक का विशेष उल्लेख किए जाने और मान्यता दिए जाने के पात्र हैं। नामिती 1 ने स्थिति का जायजा लेने में उत्कृष्ट नेतृत्व का परिचय दिया जिसमें शुरु में टीमों को विभिन्न ग्रुपों में बांटना और फिर मुख्य असॉल्ट ग्रुप को 2 टीमों में विभाजित करना तथा शत्रु के बच निकलने के सभी रास्तों को बंद कर देना शामिल है। अपने साथ के कार्मिकों को प्रेरित करते हुए ये हमेशा ही सोचते रहते थे। पहाड़ी की चोटी पर 5 माओवादियों को मार गिराने में इन्होंने नामिती 2 और 3 के साथ मुख्य भूमिका निभाई। इन्होंने अभियान में नामिती 4 और 5 का भी मार्ग दर्शन किया जिसके परिणामस्वरुप पहाड़ी की उत्तरी ढलान पर 4 माओवादी मार गिराए गए। जब माओवादी, पहाड़ी की चोटी से नामिती 2 और 3 पर गोलीबारी कर रहे थे तो इन्होंने पहाड़ी पर चढ़ने में अद्भुत और अदम्य साहस का परिचय देते हुए न केवल चोटी पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की बल्कि माओवादियों में दहशत भी फैलाई और पहाड़ी की चोटी पर 5 माओवादियों को मार गिराया जिससे स्थिति माओवादियों के प्रतिकूल हो गई। यदि वे दुस्साहसिक वीरता का परिचय न देते तो माओवादी अपने मोर्चों पर डटे रहते और बच कर भाग निकलते। नामिती 4 और 5 ने बिना किसी ओट के दुश्मनों की गोलियों का सामना किया और ए के -47 से लैस जिला समिति सचिव सहित 4 माओवादियों को मार गिराया। एक अत्यंत कठिन मुठभेड़ में, जिसमें एक के -47, सेल्फ लोडिंग राइफल, .303 राइफल जैसे 8 अत्याधुनिक हथियारों सहित 11 हथियारों की बरामदगी हुई, शीर्ष नेताओं सहित सशस्त्र गुरिल्ला मार गिराये गए और दो अन्य गिरफ्तार किए गए थे, नामिती 1 से 5 तक ने आश्चर्यजनक पहलकदमी, असाधारण बहादुरी का परिचय दिया जिससे निजामाबाद और करीमनगर जिला दोनों की ग्रामीण जनता को काफी राहत मिली।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री मारी तुलसी राम, सहायक असॉल्ट कमांडर/आरक्षित उपनिरीक्षक, एम. मूर्ति, पुलिस कांस्टेबल, एन. अनिल कुमार, कनिष्ठ कमांडो, जी. वी.वी. डी. प्रसाद, पुलिस कांस्टेबल और एस रामू, पुलिस कांस्टेबल ने अदम्य शौर्य, साहस तथा उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/ पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ते भी दिनांक 7 मार्च, 2005 से दिये जाएंगे ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 24-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, जम्मू-कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री अब्दुल रशीद वानी
कांस्टेबल **(मरणोपरांत)**

उस सेवा का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया है:

18.10.2005 को लगभग 0900 बजे दो अज्ञात आतंकवादियों ने श्रीनगर के तुलसीबाग स्थित रिहायशी क्वार्टरों पर हमला कर दिया। एक हमलावर ने मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, महासचिव, सी पी आई (एम) के मकान संख्या टी-20, तुलसीबाग के मुख्य प्रवेश द्वार में घुसने की कोशिश की। द्वार पर तैनात कांस्टेबल अब्दुल रशीद वानी, संख्या 1296/ऑक्स, पुलिस पहली बटालियन नामक सुरक्षाकर्मी ने उसे रोका और उसकी तलाशी लेने की कोशिश की। उस आतंकवादी ने जैकेट पहन रखी थी तथा उसके नीचे एक हथियार छिपा रखा था। उसने वह हथियार बाहर निकाला और कांस्टेबल अब्दुल रशीद पर गोली चला दी। इस पर कांस्टेबल ने अनुकरणीय साहस का परिचय देते हुए उस आतंकवादी को पकड़ लिया और उसे श्री तारिगामी के आवास में घुसने से रोक दिया। सी आर पी एफ के कार्मिक और श्री एम.वाई. तारिगामी के दो पी एस ओ ने उस आतंकवादी का पीछा किया और श्री तरिगामी के निवास स्थल से मुश्किल से 20 मीटर की दूरी पर उसे मार गिराया। इस प्रक्रिया में कांस्टेबल अब्दुल रशीद बुरी तरह घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। मृत आतंकवादी के कब्जे से एक ए के-47 राइफल, 06-मैग्जीन, 04-ग्रेनेड बरामद हुए। इस प्रकार इस कांस्टेबल ने अपने जीवन की परवाह किए बगैर अदम्य शौर्य, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया और एम एल ए तथा उनके घर के अंदर रह रहे लोगों की जान बचाने में सफल हुआ। अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उसने अपने जीवन का बलिदान दे दिया।

इस मुठभेड़ में (स्व.)श्री अब्दुल रशीद वानी, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18 अक्तूबर, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 25-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, राजस्थान पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री गंगा राम
कांस्टेबल (मरणोपरांत)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

27 जुलाई, 2005 की रात को एसएचओ थाना कल्याणपुर (जिला-बाड़मेर) ने अपने स्टाफ के साथ, जिसमें कांस्टेबल गंगाराम संख्या 769 भी शामिल था, शिव नगरी क्रासिंग की नाकेबंदी की ताकि अवैध शराब की आवाजाही रोकी जा सके।रात लगभग 1245 बजे एक जीप ने नाकेबंदी तोड़ दी। एसएचओ ने अपने स्टाफ के साथ चिंचरली गांव तक जीप का पीछा किया जहां तीन संदिग्ध व्यक्ति जीप से उतरे और भागने लगे। दो व्यक्तियों को तत्काल पकड़ लिया गया जबकि तीसरा व्यक्ति अपने साथ राइफल लेकर अंधेरे में भाग गया। तत्काल ही कांस्टेबल गंगा राम इस हथियारबंद संदिग्ध व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। संदिग्ध व्यक्ति के निकट पहुंचने पर गंगा राम ने उसे रुकने की चुनौती दी। जब उसने आज्ञा का पालन नहीं किया तो गंगा राम ने उसे पकड़ लिया और उस पर काबू पाने के लिए उससे गुत्थम-गुत्था की। हथियारबंद संदिग्ध व्यक्ति ने बच निकलने के बेतहाशा प्रयास किए लेकिन गंगा राम ने उसे साहस के साथ जकड़े रखा। गंगाराम ने उस पर लगभग काबू पा ही लिया था कि संदिग्ध व्यक्ति ने इरादतन उनकी छाती में गोली दाग दी। इससे गंभीर रुप से घायल होने पर भी गंगा राम ने वीरोचित गति पाने से पहले संदिग्ध व्यक्ति पर काबू पाने की नाकाम कोशिश की। इस मामले में थाना कल्याणपुर में आई पी सी की धारा 302/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के तहत मामला संख्या 45/05 दायर किया गया था। बाद में जांच पड़ताल करने से जंगली जानवरों का चोरी-छिपे शिकार करने वाले एक गैंग का भंडाफोड़ हुआ जो कई वर्षों से वन्य जीवों की हत्या करने और उनके अंगों को बेचने में संलिप्त था। कांस्टेबल संख्या 769 गंगा राम ने संदिग्ध हथियारबंद व्यक्ति का साहसपूर्वक पीछा कर उत्कृष्ट कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया। वर्दीधारी सेवा के उत्कृष्ट आदर्शों को जीवंत करते हुए उन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देकर अपनी कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया। इस मामले में जीवों को शिकार करने के प्रयोजनार्थ एक जीप आर जे 19-1सी-1635, एक एम एल बंदूक (बिना लाइसेंस के) जब्त की गई। बाद में हिरण के सिर के 10 भाग, हिरण की 6 खालें और बड़ी मात्रा में जानवरों की हड्डियां भी बरामद हुई।

इस मुठभेड़ में (स्व.) श्री गंगा राम, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27 जुलाई, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 26-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. **पामेश्वर सोनवाल,**
   हवलदार/ जनरल ड्यूटी
2. **जीवन कुमार,**
   राइफलमैन/जनरल डयूटी

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

लोकटक झील के पैट क्षेत्र (फ्लोटिंग बायो मास) के अंदर गहराई में यूएनएलएफ के छिपने के स्थान के बारे में अपने स्रोत से सूचना मिलने के आधार पर 27 दिसम्बर, 2005 को 0330 बजे कंपनी कमांडर के नेतृत्व में 7 असम राइफल्स की टुकड़ी द्वारा " ऑप. एम्फिबियस" अभियान चलाया गया। इस पार्टी में चार देशी नावों और एक इंजीनियर फैब्रिकेटिड नाव पर कुल 03 अधिकारी और 15 अन्य रैंकों के कार्मिक सवार थे। लगभग 0515 बजे धुंध के कवर में जब सबसे आगे वाली नाव, जिसमें मेजर जितेन्द्र कुमार सवार थे, जब 3-4 मीटर लम्बी घास से ढके छिपने के संदिग्ध स्थान तक पहुंची तो एक आतंकवादी ने उनकी यह चाल भांप ली और टीम पर गोलियों की बौछार कर दी। आतंकवादी की गोलियों की पहली बौछार ने मेजर जितेन्द्र कुमार और इनकी टीम को पानी में कूदने पर विवश कर दिया। तथापि, संख्या जी/75321 वाई हवलदार (जनरल ड्यूटी) पामेश्वर सोनवाल नाव पर ही रहे और इन्होंने अपनी एलएमजी से आतंकवादियों पर गोलीबारी जारी रखी तथा आतंकवादियों को गोलाबारी रोकने और कवर लेने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही निकटवर्ती झोपड़ियों से पांच और आतंकवादी अपने हथियारों के साथ निकले और उन्होंने हवलदार (जनरल डयूटी) पामेश्वर सोनवाल पर गोलीबारी करनी शुरु कर दी जिससे इनके हाथ पर बंदूक की गोली लगने से घाव हो गया और इन्हें भी विवश हो कर पानी में कूदना पड़ा और इसी प्रक्रिया में इनकी एलएमजी झील में गिर गई। गोलीबारी की इस

लड़ाई के दौरान संख्या जी/76247 एच राइफलमैन (जनरल ड्यूटी) जीवन कुमार, जो स्वयं झील में गिर पड़े थे और इन्होंने घास पकड़ी हुई थी, ने सूझ-बूझ और साहस का परिचय दिया तथा अपनी टीम को कवरिंग फायरिंग दी और इस प्रकार आतंकवादियों का ध्यान बंटाया। इस टीम की गोलीबारी की बौछार से घटना स्थल पर तीन आतंकवादी मारे गए और इस प्रकार जोश में आकर पूरी टीम ने यूएनएलएफ के कुल चार आतंकवादियों को मार गिराया और उनसे हथियार, गोलीबारुद और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए। बाद में अवरोधों से प्राप्त सूचना के आधार पर यूएनएलएफ के दो और आतंकवादियों की मौत की पुष्टि हुई।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री पामेश्वर सोनवाल, हवलदार/जनरल ड्यूटी और जीवन कुमार, राइफैलमैन/जनरल ड्यूटी ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27 दिसम्बर, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 27-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री रुधि सिंह

हवलदार/जनरल ड्यूटी

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

शांकला क्यू टी 9892 सामान्य क्षेत्र में एटीटीएफ आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में मुश्किल से प्राप्त सूचना के आधार पर 10 फरवरी, 2006 को 1930 बजे एक विशेष अभियान चलाया गया था जिसमें नायब सुबेदार ज्ञान बहादुर गुरुंग एक्स. हेजमरा के नेतृत्व में एक जूनियर कमीशन अधिकारी, 13 अन्य रैंक के अधिकारी और पुलिस का एक प्रतिनिधि शामिल था। इस टुकड़ी ने 11 फरवरी, 2006 को 1900 बजे बलुआबारी-शांकला के सामान्य क्षेत्र में घात लगाई। जब अभियान पार्टी को कोई संदिग्ध हलचल महसूस नहीं हुई तो इस पार्टी ने 12 फरवरी, 2006 की सुबह को निकटतम गांव लखमोदी में तालाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान और स्थानीय लोगों से बात करने पर पता चला कि संभावित आतंकवादी पड़ोस के गांव मस्राहीपाड़ा में छुपा हो सकता है। पार्टी ने इस बारे में और सूचना प्राप्त की और वे मस्राहीपाड़ा गांव की ओर बढ़े। गांव पहुंचने पर जब हवलदार जनरल ड्यूटी रुधि सिंह, अग्रणी स्काउट संख्या 2, घनी झाड़ियों के बीच अपना रास्ता बना रहे थे तो उन पर भारी गोलीबारी की गई। आतंकवादियों द्वारा की गई शुरुआती गोलीबारी से एनसीओ के बांये बाजू में गोली लगने के बावजूद इन्होंने नजदीक से ही आतंकवादियों पर अपनी ए के -47 से गोलीबारी कर दी। आतंकवादियों ने दो ग्रेनेड फेंके। आतंकवादियों की गोलीबारी के सामने अदम्य साहस, बहादुरी और शांति का परिचय देते हुए हवलदार रुधि सिंह ने ग्रेनेड को ठोकर मारी और एक आड़ में मोर्चा संभाला तथा भाग रहे आतंकवादियों पर गोलीबारी जारी रखी। वह ग्रेनेड कुछ मीटर की दूरी पर फटा जिससे इनकी टुकड़ी के लोगों की प्राण रक्षा हुई।हवलदार रुधि सिंह और इनके बड्डी हवलदार ज्ञानवीर प्रधान द्वारा की गई भारी गोलीबारी के कारण खतरे को भांपते हुए आतंकवादी ने भागना शुरु किया। श्री रुधि सिंह द्वारा प्रदर्शित साहस और बीरता के कारण गश्तीदल, आतंकवादियों द्वारा लगाई गई घात तोड़ने में सफल हुआ और इस कारण इनकी टुकड़ी के लोगों की प्राणों की रक्षा हुई। इस कार्मिक का "जीएसडब्ल्यू से बायें हाथ और बाजू बुरी तरह जख्मी हुआ" और तदनुसार इन्हें कमान अस्पताल कोलकाता ले जाया गया।

इस मुठभेड़ में श्री रुधि सिंह, हवलदार/जनरल डयूटी ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 12 फरवरी, 2006 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 28-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री विनोद कुमार
कांस्टेबल (मरणोपरांत)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

विशिष्ट "जी" सूचना के आधार पर श्री हंस राज, सहायक कमांडेंट ने 14/15 मई, 2005 की मध्यवर्ती रात्रि को जम्मू के डोडा सेक्टर में एक विशेष अभियान की योजना बनाई और उसे निष्पादित किया। आपरेशनल बेस सुम्बर के एक पुलिस प्रतिनिधि के साथ श्री हंस राज, सहायक कमांडेंट की कमान में एक पार्टी ने नाग चस्मा और बरकोटला के सामान्य क्षेत्र में घात लगाई और दूसरी पार्टी ने अपर मलपती रिज के निकट घात लगाई। चकमा देने की दृष्टि से सुबह होने पर दोनों ही पार्टियों को 3-4 कार्मिकों वाले उप-ग्रुपों में बांटा गया। बहुत सावधानी से क्षेत्र की तलाशी ली गई और इसके बाद पार्टियां सिकना टॉप की ओर बढ़ीं। यह क्षेत्र घने वन से आच्छादित है, चट्टानों से भरा पड़ा है और यहां पर रास्ता बनाने की भी जगह नहीं है। लगभग 150800 बजे कांस्टेबल विनोद कुमार , जो पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, ने लगभग 100 गज की दूरी पर वन में दो व्यक्तियों की संदिग्ध हलचल महसूस की और पार्टी कमांडर को इसकी सूचना दी, जिसने सभी पार्टियों को सावधान कर दिया तथा उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए चुपके-चुपके संदिग्ध व्यक्तियों की ओर बढ़े। जब पार्टी सीधी ढलान से गुजर रही थी और संदिग्ध व्यक्तियों के छिपने के स्थान से लगभग 50 गज की दूरी पर थी तभी उग्रवादियों ने अग्रणी बीएसएफ की पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। पार्टी ने भी जबाबी गोलीबारी की। पार्टी कमांडर ने ग्रुप को पुनर्गठित किया और कवरिंग गोलीबारी के बीच श्री हंस राज, सहायक कमांडेंट, हैड कांस्टेबल रिचपाल सिंह और कांस्टेबल विनोद कुमार ने उग्रवादियों की गोलीबारी की परवाह न करते हुए सीधी ढलान से नीचे उतरे और उग्रवादियों के निकट पहुंच गए। बीएसएफ की टुकड़ियों के अचानक सामने आ जाने से उग्रवादी अचंभित रह गए और उन्होंने पार्टी पर भारी गोलीबारी कर दी जिससे कांस्टेबल विनोद कुमार घायल हो गए। गोली

लगने से घायल होने की परवाह न करते हुए कांस्टेबल विनोद कुमार ने अनुकरणीय साहस का परिचय दिया और छिपे हुए उग्रवादी पर गोलीबारी कर दी जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गया। घायल कांस्टेबल विनोद कुमार को निकटतम आपरेशनल बेस सुम्बर ले जाया गया लेकिन दुर्भाग्य से घायलावस्था में इनका देहावसान हो गया। दोनों ओर से लगभग एक घंटे तक गोलीबारी होती रही। लगभग 151500 बजे जब उग्रवादियों की तरफ से गोलीबारी रुकी तो क्षेत्र की तलाशी ली गई और 01 ए के-56 राइफल, 03 ए के-56 मैग्जीन और ए के-56 गोलीबारुद के 26 राउंदों के साथ एक उग्रवादी का शव बरामद हुआ। मारे गए उग्रवादी की पहचान बाद में अब्दुल करीम उर्फ गुलजार अहमद (कोड चिन्ह-जन मोहम्मद) पुत्र इमामदीन गुज्जर, निवासी सुम्बर, पुलिस स्टेशन रामबन, जिला डोडा (जम्मू और कश्मीर) के रुप में की गई।

इस मुठभेड़ में (स्व.) श्री विनोद कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 15 मई, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 29-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक /पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. जितेन्द्र सिंह,
कांस्टेबल **(राष्ट्रपति का पुलिस पदक)**

2. डी. अप्पना
कांस्टेबल **(पुलिस पदक)**

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

30 मार्च, 2005 को लगभग 1055 बजे फेरन पहने दो अज्ञात फिदाईन, बी एस एफ चौकी आरमपोरा -सोपोर (जम्मू और कश्मीर) के सामने एक तांगे से उतरे और मुख्य द्वार की ओर बढ़े। उन्होंने गार्ड कमांडर हैड कांस्टेबल टी एम सिंह से कहा कि वे कंपनी कमांडर से मिलना चाहते हैं।जब उनसे फेरन उठाने और अपनी पहचान बताने के लिए कहा गया तो दोनों फिदाईनों ने अपनी एक के 47 राइफलों से अचानक ही भारी गोलीबारी कर दी। ये हथियार उनकी फेरन के नीचे छिपे हुए थे। यह गोलीबारी

गार्ड कमांडर और संतरी कांस्टेबल धर्मवीर सिंह की ओर की गई थी। फिदाईन ने कामचलाऊ मोर्चेबंदी पर भी ग्रेनेड फेंका जो मुख्य द्वार और प्रवेश के निकट फटा। गोलीबारी के दौरान गार्ड कमांडर और संतरी गोली लगने से घायल हो गए। इसका लाभ उठाते हुए फिदाईन मुख्य कैंपस में घुस गए और अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए आफिस कांप्लेक्स की ओर भागे। कांस्टेबल डी अप्पना, जो कंपनी कमांडर कार्यालय में संतरी थे, ने बिल्डिंग के प्रवेश के निकट मोर्चा संभाला और बहादुरी से फिदाईन को उलझाये रखा तथा एक फिदाईन को घायल कर दिया जिससे उसकी शरीरिक क्षमता काफी क्षीण हो गई। कांस्टेबल अप्पना को तत्काल, मौके पर और साहसिक तथा अकेले ही की गई कार्रवाई से चौकी के बाकी कार्मिकों को पुन: संगठित होने और आगामी खतरे का मुकाबला करने का बहुमूल्य समय मिल गया। इसी बीच दूसरा फिदाईन जवानों की बैरक तक पहुंच गया और उसने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। घायल फिदाईन भी गोलीबारी और ग्रेनेड फेंकते हुए कुक हाउस तक पहुंच गया। कांस्टेबल जितेन्द्र सिंह, जो बैरक की पहली मंजिल में थे, ने फिदाईन की गतिविधियों को देखा और तत्काल ही दरवाजे के निकट स्वयं मोर्चा संभाल लिया ताकि फिदाईन को उलझाये रखा जा सके और बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करने की उसकी कोशिश को नाकाम किया जा सके। कांस्टेबल जितेन्द्र सिंह ने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह नहीं की और दरवाजे के सामने आ गए तथा अपने अचूक निशाने से दोनों फिदाईन को मार गिराया। कांस्टेबल जितेन्द्र सिंह ने दोनों फिदाईन को सफलतापूर्वक मार गिराया जिससे इनकी टुकड़ी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। बाद में हैड कांस्टेबल टी एम सिंह का घायलावास्था में देहांत हो गया। मारे गए फिदाईन की पहचान अबू विसारी लस्खरी उर्फ अबू और अबू सलीम, जरार उर्फ मलिक के रुप में हुई जो पाकिस्तान के निवासी थे तथा एल ई टी तंजीम से संबंध रखते थे। उनके कब्जे से 02 ए के राइफलें, ए के श्रृंखला की 16 मैग्जीन और ए के गोलीबारुद के 340 राउंड बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री जितेन्द्र सिंह, कांस्टेबल और डी अप्पना, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 30 मार्च, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 30-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. **अवधेश सिंह,**
   कांस्टेबल
2. **एस. के. अरबन सिंह**
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

फारवर्डेड डिफेंडिड लोकेलिटी 430 (मेंधर, पुंछ, जम्मू और कश्मीर) के सामान्य क्षेत्र से हो कर राष्ट्र -विरोधी तत्वों की संभावित घुसपैठ के बारे में प्राप्त विशिष्ट सूचना के आधार पर सीमा सुरक्षा बल की 153 बटालियन की टुकड़ियों को सतर्क कर दिया गया था और उस क्षेत्र में अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात करके, उसे सुदृढ़ बनाया गया था। एफ डी एल 430 और 429 के बीच तैनात टुकड़ियों ने 17 जनवरी, 2005 को लगभग 1825 बजे उग्रवादी ग्रुपों की कुछ संदिग्ध गतिविधि महसूस की। उस क्षेत्र में घात लगाने वाली सभी पार्टियों को तत्काल सचेत कर दिया गया। उग्रवादियों का ग्रुप जब बाड़ के निकट पहुंचा तो घात लगाने वाली पार्टी ने उन्हें ललकारा। जबावी कार्रवाई में उग्रवादियों ने घात लगाने वाली पार्टी पर भारी गोलीबारी कर दी और ग्रेनेड फेंके। इस बात को भांपते हुए कि उग्रवादी, घात लगाने वाली पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कांस्टेबल एस. के अरबन सिंह ने स्वयं अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए घात लगाने के स्थान से बाहर अपनी एलएमजी खड़ी कर दी और अपनी लाभप्रद स्थिति से कांस्टेबल अरबन सिंह ने अपने अचूक निशाने और प्रभावी गोलीबारी से घटनास्थल पर ही तीन उग्रवादियों को ढेर कर दिया। इसी बीच कांस्टेबल अवधेश सिंह ने घात लगाने वाले स्थान के निकट देवदार के पेड़ के पीछे छिपे चौथे उग्रवादी को देख लिया। घात लगाने वाली पार्टी ने जबावी गोलीबारी की लेकिन क्योंकि उग्रवादी सुरक्षित रुप से मोर्चे के अंदर थे इसलिए यह प्रभावी नहीं हुई। कांस्टेबल अवधेश सिंह ने स्थिति का जायजा लेने के बाद पहल की और स्वयं अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर अदम्य साहस का परिचय देते हुए घात लगाने वाले स्थान से बाहर आए और उग्रवादियों पर ग्रेनेड फेंके जिसके कारण उग्रवादी ने अपना मोर्चा बदलने की कोशिश की। इस पर कांस्टेबल अवधेश सिंह ने बिजली की तेजी से अचूक निशाना साधा और घटनास्थल पर ही उग्रवादी को ढेर कर दिया। घात लगाने वाली पार्टी ने पांचवें उग्रवादी को भी ढेर कर दिया। क्षेत्र की तलाशी लेने पर ए के श्रृंखला की 05 राइफलें, 32 ए के मैग्जीन, ए के गोलीबारुद के 941 राउंद और मैग्जीन के साथ एस एस जी राइफल सहित पांच उग्रवादियों के शव बरामद हुए। उग्रवादियों की पहचान सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री अवधेश सिंह, कांस्टेबल और एस. के. अरबन सिंह,

कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 17 जनवरी, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 31-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. ए. आनंदन (मरणोपरांत)
   द्वितीय कमान अधिकारी
2. चेत राम कुल्हार (मरणोपरांत)
   द्वितीय कमान अधिकारी
3. अशोक कुमार शॉ (मरणोपरांत)
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

11.9.2004 को लश्कर-ए-तैयबा के अल-मंसूरियन आतंकवादी गुट के दो फिदायीन (पाक राष्ट्रिक) लगभग 2120 बजे 94 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल मुख्यालय, होटल योर्क कोहना खां (डलगेट) श्रीनगर के अंदर घुस गए। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बल के कार्मिकों पर ग्रेनेड फेंके और गोलीबारी की। मोर्चा सं0 11 पर ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल/जनरल ड्यूटी अशोक कुमार शॉ ने एक उग्रवादी को देखा जिसने इनके मोर्चे से लगभग 10 गज की दूरी पर चाहरदीवारी को लांघा और तत्काल ही इन पर गोलीबारी कर दी। सामना होने पर भौचक्क हुए इस उग्रवादी ने उनकी संतरी चौकी की तरफ ग्रेनेड फेंका जो वहीं फट गया और कांस्टेबल अशोक कुमार शॉ का दांया पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। अपनी चोटों की परवाह न करते हुए कांस्टेबल अशोक कुमार शॉ ने साहस बटोरते हुए अपनी एस एल आर से फिदायीन पर गोलीबारी जारी रखी और उनकी एक गोली उग्रवादी की जैकेट में छिपाकर रखे गए चाइनी ग्रेनेड पर लगी जिससे एकदम विस्फोट हुआ। इसके परिणामस्वरुप उग्रवादी के शरीर के चीथड़े उड़ गए। कांस्टेबल अशोक कुमार शॉ बुरी तरह जख्मी हो गए थे और उन्हें इनके क्षतविक्षत पैर के साथ एस के आई एम एस अस्पताल, सूरा, श्रीनगर ले जाया गया जहां घायलावस्था के कारण 15.9.2004 को उनका देहावसान हो गया। श्री ए. आनंदन, सेंकंड इन कमांड, 60 बटालियन और श्री चेत राम कुल्हार सेंकंड इन कमांड, 65 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को निदेश दिया गया था कि वे अपने-अपने यूनिट मुख्यालयों और बी.पी. बंकरों के साथ कुमुक के रुप में 94 बटालियन मुख्यालय में रिपोर्ट करें। श्री ए. आनंदन, सेंकंड इन कमांड ने स्थिति का जायजा लेने के

बाद लगभग 2200 बजे दूसरे आतंकवादी को बाहर निकालने के लिए एम टी बिल्डिंग में "रुम इंटरवेंशन" के लिए स्वयं तैयार हुए। पहली तलाशी में कुछ नहीं मिला। तथापि, दूसरे प्रयास में श्री वी.एस. अग्रवाल, सेकंड, 94 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के नेतृत्व वाली एक और पार्टी इनके साथ मिल गई। कांस्टेबल शिव कुमार, श्री ए. आनंदन, सेकंड इन कमांड को सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे थे। इन्होंने एक कमरे को छोड़ कर सभी कमरों की तलाशी ली। जब श्री ए. आनंदन, सेकंड इन कमांड ने अंतिम कमरे के दरवाजे पर धक्का मारा तो कमरे के अंदर छिपे उग्रवादी ने गोलियों की बौछार कर दी। श्री ए. आनंदन, सेकंड इन कमांड को उस समय गोली लग गई जब वह कमरे में घुसने ही वाले थे। यद्यपि इनकी छाती और पैर पर गोली लगी थी तो भी इन्होंने स्वयं अपने प्राणों की परवाह किए बगैर अपनी ए के-47 से जवाबी गोलीबारी की और उग्रवादी को घायल कर दिया जिससे उस उग्रवादी ने गोलीबारी बंद कर दी। श्री ए. आनंदन, सेकंड इन कमांड ने कमरे में प्रवेश करने की कोशिश की लेकिन कांस्टेबल शिव कुमार ने जब देखा कि इनका अधिकारी गंभीर रुप से घायल है तो इन्होंने इन्हें वापस बाहर खींच लिया। उन्हें 92 बेस आर्मी अस्पताल ले जाया गया जहां इन्हें "मृत लाया गया" घोषित किया गया। यह क्षति होने के बाद लगभग 0230 बजे चाल में परिवर्तन किया गया और बी पी बंकरों के साथ एम टी बिल्डिंग का घेराव करने का निर्णय लिया गया। आतंकवादी के छिपने के कमरे में आंसू गैस के कुछ गोले छोड़े गए। आंसू गैस के गोले फेंकने के कारण बेकार पड़े एम टी स्टोर में आग लग गई। आंसू गैस के धुएं और आग के कारण छिपे हुए आतंकवादी ने गोलीबारी करते हुए और ग्रेनेड फेंकते हुए कमरा बदल दिया और वह उसी बिल्डिंग के अंतिम किनारे के सामने वाले कमरे में चला गया। सी आर पी एफ के एक कार्मिक हैड कांस्टेबल (ड्राइवर) उमा शंकर, जो उस कमरे में था, ने सहायता के लिए शोर मचाया और बाहर जाने की कोशिश की। श्री चेत राम कुल्हार, सेकंड इन कमांड, 65 बटालियन, सी आर पी एफ ने उसकी गतिविधि नोटिस की। हैड कांस्टेबल/ड्राइवर उमा शंकर को बचाने के उद्देश्य से श्री चेत राम कुल्हार, सेकंड इन कमांड अपने साथियों के साथ चतुराईपूर्ण ढंग से बंकर के बाहर आए और हैड कांस्टेबल/ड्राइवर उमा शंकर को कवरिंग फाइरिंग देनी शुरु कर दी। इसी बीच छिपे हुए आतंकवादी ने भी पलट कर गोलियों की बौछार कर दी जिससे श्री चेत राम कुल्हार, सेकंड इन कमांड, 65 बटालियन, सी आर पी एफ की जांघ में गोली लग गई। तत्काल ही इन्हें 92 आर्मी बेस अस्पताल, श्रीनगर ले जाया गया जहां लगभग 0400 बजे घायलावस्था के कारण इनका देहावसान हो गया। श्री चेत राम कुल्हार, सेकंड इन कमांड, 65 बटालियन ने अपने जीवन की परवाह किए बगैर इस अभियान के दौरान अदम्य साहस और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया और हैड कांस्टेबल/ड्राइवर उमा शंकर को बचाया। इस प्रकार हैड कांस्टेबल/ड्राइवर उमा शंकर, 94 बटालियन का जीवन बचाने की प्रक्रिया में श्री चेत राम कुल्हार, सेकंड इन कमांड ने स्वयं अपने जीवन का बलिदान दे दिया। उग्रवादी को उलझाये रखने के लिए बिल्डिंग के चारों ओर घेराव करने वाली पार्टी ने पूरी रात रुक-रुक कर गोलीबारी जारी रखी। 12.9.2004 को सुबह सवेरे बिल्डिंग पर ग्रेनेड फेंक कर और भारी गोलीबारी करके इसे उड़ाया गया जिससे उग्रवादी बाहर आने के लिए विवश हो गया और उस पर सी आर पी एफ ने भारी गोलीबारी कर उसे मार गिराया।

इस मुठभेड़ में (स्व.) सर्व/श्री ए. आनंदन, द्वितीय कमान अधिकारी, चेत राम कुल्हार, द्वितीय कमान अधिकारी और अशोक कुमार शॉ, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11 सितम्बर, 2004 से दिया जाएगा।

—बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 32-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री कुलदीप सिंह, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

27.11.2004 को लगभग 2345 बजे आर्मी ओल्ड डेरी फार्म बारामूला (जम्मू और कश्मीर) स्थित एफ/152 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात इस यूनिट के सं. 031527527 कांस्टेबल समरेन्द्र डेका, सं. 810180028 हैड कांस्टेबल कृष्णन देव शर्मा, कंपनी सी एच एम के कमरे की ओर हड़बड़ी में बेतहाशा भागा और बिल्कुल नजदीक से उनके माथे को निशाना बना कर गोली मार कर उनकी हत्या कर दी तथा सी एच एम का निजी हथियार (ए के एम) उठा कर ले गया। इसके बाद वह सं. 710430023 उप निरीक्षक चन्द्र राम के निकटवर्ती कमरे में गया और उन्हें भी गोली मार दी। गोलियों की आवाजें सुन कर कांस्टेबल पी.सी. सूर्यवंशी, जो बैरक के निकट मोर्चा सं. 1 पर संतरी था, ने "तैयार रहो" के रुप में कैंप को सचेत कर दिया। "तैयार रहो" के आह्वान से जवान अपनी बैरकों से बाहर निकले लेकिन उन्हें कांस्टेबल समरेन्द्र डेका की भारी अंधाधुंध गोलीबारी का सामना करना पड़ा जिससे सं. 031523177 कांस्टेबल एम. मारिया पिल्लई की मृत्यु हो गई और सं. 850846632 कांस्टेबल रमेश चन्द पठानिया के बांये पैर के घुटने के नीचे गोली लगी जिससे वह घायल हो गया। इस प्रकार कांस्टेबल समरेन्द्र डेका की करतूतों से पूरा कैंप आतंकित हो उठा। इस अफरा-तफरी का फायदा उठाते हुए कांस्टेबल समरेन्द्र डेका, सं. 680373578 निरीक्षक/जनरल ड्यूटी साधु राम, (जो कमांडिंग अधिकारी की ड्यूटी कर रहे थे) के कमरे की ओर दौड़ा और उन्हें भी उस समय गोली मार दी जब वह गोलियों की आवाज सुन कर तैयार हो रहे थे। इसके बाद कांस्टेबल समरेन्द्र डेका दूसरी बैरक में गया और वहां सं. 01510635 कांस्टेबल तारक नाथ डे और 031527456 कांस्टेबल हरदीप सिंह को गोली मार दी। 6 कार्मिकों की हत्यां और एक कार्मिक को घायल करने के बाद कांस्टेबल समरेन्द्र डेका इस संभावित ध्येय से मोर्चा सं. 6 की ओर बढ़ा कि वह कैंप की दीवार कूद कर वहां से भाग जाएगा। इसी बीच सं. 031523913 कांस्टेबल कुलदीप सिंह, जो मोर्चा सं. 6 पर संतरी की ड्यूटी पर थे और 031524144 कांस्टेबल मुनीश कुमार, जिन्होंने "तैयार रहो" के आह्वान पर उसी मोर्चे पर आड़ ले ली थी, ने मोर्चे की तरफ आते हुए एक व्यक्ति को देखा। पूछने पर उसकी पहचान कांस्टेबल समरेन्द्र डेका के रुप में हुई। कांस्टेबल कुलदीप सिंह ने उससे पूछा कि जब कैंप पर फिदायीन हमले की आशंका है (उस समय तक सभी कार्मिक यही समझ रहे थे) तो वह इस प्रकार बाहर क्यों घूम रहा है और उससे मोर्चे के अंदर आने के लिए कहा। जैसे ही कांस्टेबल समरेन्द्र डेका मोर्चे के अंदर आया वैसे ही उसने कांस्टेबल कुलदीप सिंह और कांस्टेबल मुनीश कुमार पर गोलीबारी कर दी। कांस्टेबल कुलदीप सिंह और कांस्टेबल मुनीश कुमार गोलियां लगने से गंभीर रुप से घायल हो गए। कांस्टेबल कुलदीप सिंह ने अत्यधिक प्रतिकूल और कष्टकर परिस्थितियों में सूझ-बूझ नहीं खोई। उन्होंने अत्यधिक पेशेवर अंदाज में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखा और गोलियों से गंभीर रुप से घायल होने के बावजूद कांस्टेबल समरेन्द्र डेका पर पलट कर गोलीबारी कर दी और उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया और इस प्रकार वह दिन सी आर पी एफ के लिए बचा लिया। कांस्टेबल समरेन्द्र डेका को मार गिराने के बाद कांस्टेबल कुलदीप सिंह का भी अस्पताल ले जाते समय घायलावस्था के कारण देहावसान हो गया।

इस मुठभेड़ में (स्व.) श्री कुलदीप सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27 नवम्बर, 2004 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 33-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री हरे कृष्णा मणि, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की घेराबंदी के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की उप-यूनिट बी और डी/11 की तैनाती की गई थी। 26.4.2003 को लगभग 1255 बजे तीन उग्रवादियों का एक फिदायीन ग्रुप, लाल बत्ती लगी और प्रभावी आवाज वाले साइरन वाली सफेद एम्बेसडर कार में सड़क के रास्ते आया। एक फिदायीन कार चला रहा था और दो, कार की पिछली सीट पर बैठे थे। यह कार लगभग 30-40 कि.मी./घंटे की रफ्तार से चल रही थी और इसने लोहे के बाहरी ड्राप गेट पर टक्कर मारी (बेरियर) जिससे वे टूट गए। वाहन की गति देख कर गार्ड कमांडर सं. 810696668 हैड कांस्टेबल/जनरल ड्यूटी (अब उपनिरीक्षक/जनरल ड्यूटी) साह मोहम्मद को संदेह हुआ और गेट खोलने के बजाय उन्होंने कांस्टेबल/जनरल ड्यूटी एच.के. मणि से मोर्चा संभालने के लिए कहा। संतरी सं. 891141443 कांस्टेबल/जनरल ड्यूटी एच.के. मणि ने आतंकवादियों को ललकारा और यथोचित उत्तर न पाने पर कार पर गोलीबारी कर दी। सभी तीन फिदायीन तेजी से कार से उतरे और उन्होंने अपने स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। इसी बीच एक फिदायीन ने मुख्य गेट के मोर्चे पर एक ग्रेनेड फेंक दिया जिससे स्व. कांस्टेबल/जनरल ड्यूटी एच.के. मणि घायल हो गए लेकिन घायल होने के बावजूद उन्होंने साहस से काम लिया और उन्होंने एक आतंकवादी को उस समय मार गिराया जब वह उनसे लगभग 2 मीटर की दूरी पर था और जब इसने मोर्चा संभाल कर अपने हथियार से गोलीबारी की थी। चूंकि स्व. कांस्टेबल/जनरल ड्यूटी एच.के. मणि ने फिदायीन-फिदायीन चिल्लाकर कर समय पर कैंप कार्मिकों को सचेत कर लिया था और वीरतापूर्वक उन पर पलट कर जवाबी गोलीबारी कर दी थी इसलिए फिदायीन उग्रवादियों को आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र के परिसरों में घुसने का मौका नहीं मिल सका। चूंकि उग्रवादी, परिसरों में नहीं घुस सके थे इसलिए उग्रवादियों ने आर डी एक्स से भरी एम्बेसडर कार को मुख्य गेट के सामने विस्फोट से उड़ा दिया जिससे मुख्य गेट का मोर्चा क्षतिग्रस्त हो गया तथा साथ ही आकाशवाणी भवन का सामने वाला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया और विस्फोट के कारण और

फिदायीन आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी से घायल होने के कारण स्व. कांस्टेबल/जनरल ड्यूटी एच.के. मणि का भी देहावसान हो गया। पुलिस कंट्रोल रुम, श्रीनगर के डा. सुहेल नजकी द्वारा किए गए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार गोली लगने से हुए घाव के कारण मृत्यु हुई। दूसरे आतंकवादी को हैड कांस्टेबल/जनरल ड्यूटी (अब उप-निरीक्षक/जनरल ड्यूटी) साह मोहम्मद ने मार गिराया और तीसरा आतंकवादी, जो रेजीडेंसी सड़क की दाहिनी तरफ दौड़ रहा था, सीमा सुरक्षा बल के एक पतरोल में घुस गया और इस प्रकार उसने एक ग्रेनेड का विस्फोट कर आत्महत्या कर ली तथा बी एस एफ के एक कार्मिक की भी हत्या कर दी।

सं0 891141443 स्व. कांस्टेबल/जनरल ड्यूटी एच.के. मणि ने आदर्श कार्य के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और फिदायीनों का बहादुरी से सामना करते हुए सरकारी संपत्ति को बचाने के अतिरिक्त अपनी कंपनी के कार्मिकों और आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र के कर्मचारियों के बेशकीमती प्राणों की भी रक्षा की। उन्होंने ईमानदार, प्रेरित और समर्पित सैनिक का सच्चा उदाहरण प्रस्तुत किया और संगठन के सभी स्तर के रैंक के कार्मिकों के लिए वह उत्कृष्ट वीरता और कर्तव्यनिष्ठा का चमकता उदाहरण बन गए।

इस मुठभेड़ में (स्व.) श्री हरे कृष्णा मणि, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 26 अप्रैल, 2003 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 34-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री प्रभु स्वामी, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 23.12.2003 को 1100 बजे एस ओ जी, पुलवामा (जम्मू और कश्मीर) के साथ ई/69 बटालियन के 6 सेक्शनों ने 69 बटालियन मुख्यालय से 12 कि.मी. दूर द्रुबगांव में घेराबंदी की। संदिग्ध मकानों की घेराबंदी करने और तलाशी लेने की प्रक्रिया में अंदर छिपे आतंकवादी ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी और हमारी पार्टी पर ग्रेनेड फेंके। टुकड़ियों ने जबाबी गोलीबारी की और इस आशय के प्रयास किए गए कि आतंकवादी आत्मसमर्पण कर दें। आतंकवादी ने इसकी परवाह नहीं की और गोलीबारी करते हुए बचने की कोशिश की। इस प्रक्रिया में ई/69 बटालियन की पार्टी ने उस बिल्डिंग पर राकेट लांचर से गोलीबारी कर दी जिसमें उग्रवादी छिपे हुए थे जिसके परिणामस्वरुप बिल्डिंग में आग लग गई। सं.943300859 कांस्टेबल/जनरल ड्यूटी प्रभु स्वामी, इन्होंने स्वयं पिछली तरफ से मोर्चा संभाला हुआ था, ने देखा कि बाउंड्री की दीवार की आड़ लेकर आतंकवादी बच निकल रहा है। तत्काल ही कांस्टेबल ने वीरतापूर्वक स्थिति का सामना किया और अपना मोर्चा बदला तथा भागते उग्रवादी पर गोलियां चला दीं। वह उग्रवादी गोली लगने से घायल हो गया और बिल्डिंग में वापस आने के लिए विवश हो गया लेकिन अंदर से उसने कांस्टेबल/जनरल ड्यूटी प्रभु स्वामी पर गोलियों की बौछार कर दी। कांस्टेबल प्रभु स्वामी को दो गोलियां लगीं (एक छाती में और दूसरी पेट में) और बाद में घायलावस्था में उनका देहावसान हो गया। कांस्टेबल/जनरल ड्यूटी प्रभु स्वामी ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर अद्भुत साहस और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया और आतंकवादी को भागने से रोका तथा उसे मार गिराने में सहायता की। बाद में मकान के अंदर आतंकवादी को मारा गया और उसकी पहचान मोहम्मद रफीक, उम्र 25 वर्ष पुत्र मोहम्मद सफीक निवासी ग्राम संगरवानी, जिला पुलवामा के रुप में की गई जो जैश-ए-मोहम्मद ग्रुप का सदस्य था। मृतक उग्रवादी से एक ए.के-56 राइफल, मैगजीन-5 और 77 सक्रिय राउंद बरामद हुए जिन्हें सिविल पुलिस को सौंप दिया गया।

आतंकवादी को मार गिराने का श्रेय, मृतक सं. 943300859 कांस्टेबल/जनरल ड्यूटी प्रभु स्वामी की सूझ-बूझ और इनके द्वारा दर्शाई गए ओजस्वी साहस को जाता है। उन्होंने अकेले ही भागते हुए आतंकवादी को ललकारा, गोलीबारी कर घायल किया और उसे भागने से रोका।

इस मुठभेड़ में (स्व.) श्री प्रभु स्वामी, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 23 दिसम्बर, 2003 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 35-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री मो. हैदर,
हैड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

15.04.05 को 5 ए की पूरी यूनिट, बिजाग जिले के नरसीपट्टनम में शिविर लगाए हुए थी। पुलिस अधीक्षक, बिजाग ग्रामीण को सूचना मिली कि माओवादियों ने एक होम गार्ड को पुलिस का मुखबिर मान कर 15.04.05 को उसकी हत्या कर दी है। पुलिस अधीक्षक, बिजाग ग्रामीण ने तत्काल खोजी दस्तों की 5 ए ए /यूनिट को बुलाया जिसमें 21 सदस्य थे और उनको अपने द्वारा बनाई गई अभियान की योजना के बारे में बताया। योजना के अनुसार उप-एसॉल्ट कमांडर श्री के. सुब्रमणयम के नेतृत्व में खोजी दस्तों की 5ए एसॉल्ट यूनिट के 21 सदस्यों को 16.4.2005 को 2130 बजे कनुगुला में उतारा गया। वहां पर उतरने के बाद यह दल, रोल्लागड्डा गांव की ओर 1300/1400 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर पैदल ही 8 कि.मी. चला और उस रात वहीं पर रुका। अगले दिन की सुबह अर्थात् 17.04.2005 को यह दल गुनुकुरिया गांव की ओर 7 कि.मी. पैदल चला। वहां से वे एक पानी वाले स्थान की ओर पानी लेने के लिए चले। पानी लेते समय लगभग 1730 बजे नामिती मो. हैदर, एस सी 2185 ने पानी वाले स्थान से 300 गज की दूरी पर कोई चमकती धातु देखी। नामिती ने दूरबीन की सहायता से हरी जैतूनी वर्दी में सशस्त्र माओवादियों के एक ग्रुप की मौजूदगी की पुष्टि की। यह संदेश दल प्रभारी को पहुंचाया गया।

दल प्रभारी ने सूचना पर चर्चा की और मोओवादियों के ग्रुप को निष्क्रिय करने के लिए वहीं पर एक कार्य योजना तैयार की। यह अभियान पहाड़ियों में घने वन में अत्यंत दुर्गम भूभाग में चलाया जाना था जो माओवादियों का गढ़ है। दुश्मन ऊँचाई पर था और पुलिस दल पहाड़ी की तलहटी में। दल नेतृत्व ने ग्रुप को 3 उप-ग्रुपों में बांटा। मुख्य एसॉल्ट ग्रुप का नेतृत्व ए ए सी किरण कुमार कर रहे थे और नामिती भी इसी ग्रुप में था। यह ग्रुप पहाड़ी के पीछे की ओर से जा रहा था जहां दलम का रुकने का ठिकाना था। दूसरे ग्रुप की अगुवाई, इस दल के नेता कर रहे थे और तीसरे ग्रुप का नेतृत्व एक और ए ए सी पी. प्रभाकर राव कर रहे थे ताकि बच कर भाग निकलने के सभी रास्तों को कवर किया जा सके।

अत्यंत कठिन विपरीत परिस्थितियों में पुलिस टीम ने सभी दिशाओं से दलम के कैंप क्षेत्र को कवर किया, माओवादी ग्रुप पर हमला करने के लिए ऊंची पहाड़ी पर चढ़ा। इस माओवादी ग्रुप ने ऊंची पहाड़ी पर डेरा जमाया हुआ था तथा वहां पर संतरियों आदि की तैनाती जैसी सभी एहतियातें बरती हुई थीं। टीम नेता ए ए सी ने एक बार फिर अपने ग्रुप को दो उप-ग्रुपों में बांटा जिसमें से एक उप-ग्रुप का नेतृत्व वे स्वयं कर रहे थे और दूसरे का नेतृत्व नामिती मो. हैदर, ए सी 2185 कर रहे थे। यह टीम अपने प्राणों के जोखिम की परवाह किए बगैर मोओवादियों का मुकाबला करने के लिए दृढ़ संकल्प थी. इसने अद्भुत साहस और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया। जब नामिती के नेतृत्व वाली टीम माओवादियों के ठिकाने की ओर बढ़ रही थी तो संतरी ने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी कर दी और अपने

ग्रुप को चौकस कर दिया। पूरे माओवादी दलम ने तुरंत गोलीबारी शुरु कर दी। साथ ही नामिती ने उसी दिशा में जबाबी गोलीबारी कर दी। नामिती अपनी टीम के सदस्यों के साथ तेजी से आगे बढ़ा और गोलीबारी में दलम कमांडर, रमना और उप दलम कमांडर बी. शालू सहित दो माओवादी मारे गए। नामिती ने देखा कि दो महिलायें उस स्थल से बचकर भाग रही हैं, इन्होंने उनका पीछा किया और आत्मसमर्पण करने के लिए उन्हें आदेश दिया। लेकिन उन्होंने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी कर दी। इसलिए नामिती ने भी गोलीबारी कर दी जिससे दोनों अतिवादी महिलायें मारी गई।

यह भयंकर लड़ाई 50 मिनट से अधिक समय तक चली और इसमें कोरुकोंडा दलम कमांडर रमना सहित 4 दुर्दांत माओवादी (1 पुरुष + 3 महिला) मारे गए। वह विस्फोटकों का प्रयोग करने, बारुदी सुरंगे, क्लेमोर सुरंगे बिछाने और उन्हें आपरेट करने का विशेषज्ञ था। गोलीबारी रुकने के बाद जब पुलिस पार्टी ने क्षेत्र की तलाशी ली तो उन्हें माओवादियों के चार (पुरुष) शव मिले जिनकी पहचान (1) आलम श्रिनु उर्फ रमना, दलम कमांडर, (2) बी. शालू उर्फ चिलकम्मा (महिला), उप-दलम कमांडर, (3) के. मल्लेश्वरी उर्फ शांति (महिला), दलम सदस्य और (4) कन्नगी नूकलम्मा उर्फ निर्मला (महिला), दलम सदस्य के रुप में की गई। पुलिस पार्टी ने .303 राइफलें-2, डी बी बी एल-1, तपंचा-1, ग्रेनेड-15, क्लेमोर सुरंग-1, डिस्चार्जर कप -1, बड़ी मात्रा में गोलीबारुद और माओवाद पार्टी से संबंधित साहित्य बरामद किया।

इस मुठभेड़ में श्री मो. हैदर, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 17 अप्रैल, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 36-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. के.एन.एस.वी. प्रसाद,
   उप-निरीक्षक
2. एम. मल्लेश,
   कनिष्ठ कमांडो
3. ओ. शिवा चरण,
   कनिष्ठि कमांडो

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

13.07.2005 को सूचना मिली कि लगभग 30 से 40 माओवादी उग्रवादियों के एक ग्रुप ने आन्ध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ग्रामीण क्षेत्र के घने जंगल में डेरा डाला हुआ है। नामिती 2 और 3 सहित खोजी दल यूनिट एस 2-सी के साथ नामिती 1 को सशस्त्र माओवादियों को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया। 15.07.05 को लगभग 1040 बजे, जब खोज़ी दल एसॉल्ट यूनिट, पुट्टोकोटा से कांतावरम की ओर बढ़ रहा था तो अचानक ही उग्रवादियों ने इस पार्टी पर गोलीबारी कर दी। पुलिस पार्टी ने उग्रवादियों को गोलीबारी रोकने और आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। लेकिन माओवादियों ने गोलीबारी जारी रखी। इसी बीच पार्टी प्रभारी ने पुलिस पार्टी को तीन ग्रुपों में विभाजित कर दिया ताकि शत्रु को तीन तरफ से घेरा जा सके। उक्त तीन नामितों वाले एक ग्रुप ने अपनी निजी सुरक्षा का विचार किए बगैर एक तरफ से हमला कर दिया। इसे देख कर उग्रवादियों ने वापस वन की ओर जाने की कोशिश की। नामिती 1 से 3 ने आधा किलोमीटर तक उन उग्रवादियों का पीछा किया और मुख्य कैंप तक पहुंच गए। इस समय उग्रवादियों ने क्लेमोर माइंस के 6 विस्फोट किए जिससे नामिती बाल-बाल बच गये। नामिती 1 से 3 ने अपने प्राणों के लिए गंभीर खतरे की परवाह किए बगैर उनका पीछा करना और गोलीबारी करनी जारी रखी। इनके साहसिक और निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरुप सी पी आई (माओवादी) का जिला समिति सदस्य एम. रमनजनेयुलु उर्फ रमना उर्फ कैलासम, गुनीपल्ली (वी), अनंतपुर जिला, गलीकोंडा कृषि टीम का प्रमुख मारा गया। संघर्ष विराम के बाद, पुलिस पार्टी उस क्षेत्र की ओर बढी और उस क्षेत्र से एक .303 राइफल और गोलीबारुद के साथ एक तमंचा, 9 एम एम के 22 राउंद, दो देशी ग्रेनेड, 37 डिटोनेटर, एक क्लेमोर माइन, दो केनवुड मैनपैक, विस्फोटक सामग्री, पार्टी साहित्य, 7,670/-रुपए की राशि और अन्य वस्तुयें बरामद की। यह मामला मंपा पुलिस स्टेशन में आई पी सी की धारा 149 के साथ पठित धारा 147, 148, 307, आई ए अधिनियम की धारा 25 और 27, ई एस अधिनियम की धारा 4 और 5 तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के तहत अपराध सं. 7/2005 के रुप में दर्ज है।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री के.एन.एस.वी. प्रसाद, उप-निरीक्षक, एम. मल्लेश, कनिष्ठ कमांडो और ओ. शिवा चरण, कनष्ठि कमांडो ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 15 जुलाई, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 37-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री के. रवि,
सहायक एसॉल्ट कमांडर/आरक्षी उप-निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

20.02.2005 को श्री के. रवि, सहायक एसॉल्ट कमांडर, आर एस आई ने टीम के नेता के रूप में एक भीषण मुठभेड़ में भाग लिया और केडिगुड्लागुंडी (वी) के निकट, कालीमेला पुलिस स्टेशन, मल्कागिरी उप-प्रभाग, उड़ीसा राज्य की सीमांतर्गत ए ओ बी क्षेत्र के सघन वन में मिलिट्री कैंप पर हमला किया। श्री के. रवि और एस-7 बी ए/यूनिट के प्रभारी ने संयुक्त अभियान चलाने के लिए उड़ीसा राज्य की विशेष पुलिस पार्टी के 5 सदस्यों के साथ एसॉल्ट यूनिट का नेतृत्व किया। पूरी पार्टी ने 19.2.2005 को लगभग 0700 बजे अभियान के लिए कूच किया। इन्हें लगभग 2030 बजे सिलेरु पावर प्रोजेक्ट के निकट उतारा गया और ये पूरी रात 0300 बजे तक 25 कि.मी. पैदल चले और एक सुविधाजनक तथा रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान के निकट रुके और वहां पर डेढ़ घंटे तक विश्राम किया। श्री के. रवि, सहायक एसॉल्ट कमांडर, आर एस आई ने अगले दिन अर्थात् 20.02.2005 की सुबह 0500 बजे पैदल चलना शुरु कर दिया और विश्राम स्थल से लगभग 9 कि.मी. दूर चले गये। लगभग 0900 बजे श्री के. रवि, सहायक एसॉल्ट कमांडर, आर एस आई अपनी टीम के साथ कोडिगुड्लागुंडी गांव पहुंचे और गांव के आस-पास के क्षेत्र का जायजा लिया। कुछ समय बाद किसी संदिग्ध गतिविधि का पता नहीं चलने पर नामिती ने अपनी टीम के साथ गांव की घेराबंदी कर दी और कुछ ग्रामीणों से पूछ-ताछ की। पूछ-ताछ करने पर एक ग्रामीण ने बताया कि गांव के निकट एक मिलिट्री कैंप है। तत्काल ही श्री के. रवि, सहायक एसॉल्ट कमांडर, आर एस आई ने कोई समय गंवाए बगैर पूरी टीम को दो भागों में बांटा और ग्रामीण द्वारा बताई गई दिशा के अनुसार मिलिट्री कैंप की ओर कूच किया। छोटी पहाड़ी पर स्थित उस स्थान विशेष तक पहुंचने पर यह पाया गया कि वहां पर मिलिट्री कैंप के कोई चिह्न नहीं हैं। पूरी पार्टी फिर कुछ दूरी तक आगे बढ़ी और पहाड़ी की चोटी से दिन के दूरबीन से आस-पास के क्षेत्र का जायजा लिया। लगभग 10.30 बजे नामिती की नजर पहाड़ी की तलहटी पर लगे एक टेंट पर पड़ी जो थोड़ा-थोड़ा दिखाई दे रहा था और वहां से कुछ आवाज भी महसूस की। तत्काल ही श्री के. रवि, ए ए सी ने पहाड़ी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए एक

रणनीतिक अभियान की योजना बनाई और पूरी पार्टी को तीन ग्रुपों में बांट दिया तथा सभी एहतियाती उपाय अपनाते हुए स्वयं पार्टी का रणनीतिक दृष्टि से नेतृत्व किया और शत्रु के कैंप की ओर बढ़े। पहले फ्लैंक का नेतृत्व नामिती और यूनिट के 4 अन्य कार्मिकों ने किया। दूसरे फ्लैंक में ए ए सी बी. सोमैया और यूनिट के 12 अन्य सदस्य शामिल थे। तीसरे फ्लैंक में एस सी-1309 और अन्य सदस्य थे। दो फ्लैंकों को कट-ऑफ पार्टी के रुप में बनाया गया था ताकि दुश्मन को बच कर भाग निकलने से रोका जा सके। कट-ऑफ पार्टी से इस बात की पुष्टि होने पर कि इन्होंने बच निकलने के सभी रास्तों को पूरी तरह से कवर कर लिया है, श्री के. रवि, सहायक एसॉल्ट कमांडर, आर एस आई अपनी पार्टी के साथ शत्रु के निकट पहुंचे और उन्हें आत्मसमर्पण करने का निदेश दिया। लेकिन उग्रवादियों ने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी कर दी। अत: श्री के. रवि, सहायक एसॉल्ट कमांडर, आर एस आई के इशारे पर पार्टी अत्यंत खतरनाक जोखिम लेते हुए शत्रु के टेंट की ओर 5 गज की दूरी तक रेंगती रही। उस समय जे सी-1885 ने दो ग्रेनेड फेंके और तत्काल श्री के. रवि, सहायक एसॉल्ट कमांडर, आर एस आई ने दुश्मन के टेंट पर अंधाधुंध गोलियां बरसायी और दो उग्रवादियों को घटनास्थल पर ही मार गिराया। इसी बीच उग्रवादियों ने क्लेमोर माइंस के दो धमाके किए और श्री के. रवि, सहायक एसॉल्ट कमांडर, आर एस आई के प्राणों को खतरा होने के बावजूद उन्होंने दुश्मन की तेज गोलीबारी के प्रतिरोध में गोलीबारी की और वे तुरन्त ही वहां से बचकर भाग रहे उग्रवादियों की ओर बढ़े और लगभग एक कि.मी. तक उनका पीछा किया। जब दो उग्रवादियों ने अपने हथियार डाल दिए और हाथ ऊपर कर दिए तो श्री के. रवि, सहायक एसॉल्ट कमांडर, आर एस आई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मारे गए उग्रवादियों की पहचान 1. डी. युगांधर, क्षेत्रीय समिति सचिव, 2. येरिनि, सदस्य मिलिट्री प्लाटून, उड़ीसा राज्य के रुप में की गई। आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी हैं - 1. जालंधर और 2. कुखिया। उस क्षेत्र से निम्नलिखित हथियार, गोलीबारुद और अन्य वस्तुएं बरामद हुईं :-

एस एल आर-1, .303 राइफल-2, एस बी बी एल-1, तपंचा-2, ग्रेनेड-6, किटबैग-13, होंडा जेनेरेटर-1, जीरोक्स मशीन-1, सिलाई मशीन-3, लोहे का बक्सा-1, हरे जैतूनी कपड़ों के बंडल-10, कुर्सियां-3 और राशन से भरी बैलगाड़ी ।

इस मुठभेड़ में श्री के. रवि, सहायक एसॉल्ट कमांडर/आरक्षी उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20 फरवरी, 2005 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 38-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. के. किस्तैया,
   निरीक्षक
2. बी. श्रीनिवासा राव,
   कनिष्ठ कमांडो

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

24.07.2005 को श्री के. किस्तैया और उनकी टीम को अपने निजी स्रोत से सूचना मिली कि रचकोंडा दलम ने तूम्बई ठांडा, समस्थान नारायणपुर पुलिस स्टेशन सीमांतर्गत, नालगोंडा जिले में येलियाह गुट्टा की पहाड़ी पर डेरा डाला हुआ है। श्री के. किस्तैया ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस आयुक्त, साइबराबाद को दी जिसने नालगोंडा पुलिस और खोजी दलों को सतर्क कर दिया। पुलिस आयुक्त, साइबराबाद ने अभियान के लिए खोजी दलों की यूनिट को श्री के. किस्तैया के पास प्रतिनियुक्त कर दिया। श्री के. किस्तैया ने पुलिस अधीक्षक, नालगोंडा से संपर्क किया जिसने खोजी दलों की एक यूनिट को पहाड़ी की तलहटी की ओर भेजा। श्री किस्तैया के मुखबिर की अगुवाई में सर्व/श्री के. किस्तैया और बी. श्रीनिवासा राव, कांस्टेबल और उनकी टीम ने 24.07.2005 को सांय 9 बजे येलियाह गुट्टा, समस्थान, नारायणपुर की ओर कूच किया। सर्व/श्री के. किस्तैया और बी. श्रीनिवासा राव, कांस्टेबल और उनकी टीम ने अपनी जान जोखिम में डाल कर पहाड़ियों, पठारी क्षेत्रों, भारी वर्षा के कारण कीचड़ भरी सड़क की सभी कठिनाईयों को पार करते हुए पैदल ही 20 कि.मी. से अधिक की यात्रा की और 25.07.2005 को सुबह 5 बजे येलियाह गुट्टा में बेसप्वाइंट पर पहुंचे। श्री किस्तैया ने श्री बी. श्रीनिवासा राव के नेतृत्व वाली दूसरी पार्टी, जो नालगोंडा से यहां आयी थी, को दसकी उस छोटी पहाडी तक ले गए जहां पर माओवादियों ने डेरा डाला हुआ था। अब सर्वश्री के. किस्तैया और बी. श्रीनिवास राव, कांस्टेबल को पहाड़ी की तलहटी से 600 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचना था। 600 मीटर ऊंचाई की यह दूरी बड़ी-बड़ी चट्टानों, घनी झाड़ियों और पत्थरों से अटी पड़ी थी जिसे पार कर कैंप तक पहुंचना व्यावहारिक रुप से अत्यंत कठिन था। इसके अतिरिक्त यदि उग्रवादी इन्हें थोड़ा सा भी देख लेते तो निश्चित ही यह सर्व श्री के. किस्तैया और बी. श्रीनिवासा राव, कांस्टेबल तथा पूरी टीम के प्राणों के लिए घातक होता क्योंकि टीम छोटी पहाड़ी की तलहटी में थी जबकि उग्रवादी पहाड़ी की चोटी पर थे तथा पुलिस कार्मिकों पर हमला करने के लिए वे हर प्रकार से लाभप्रद स्थिति में थे। श्री किस्तैया ने पूरी टीम को प्रेरित किया और किसी भी हादसे का मुकाबला करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में टीम के प्रत्येक सदस्य को बताया। इसके बाद श्री किस्तैया ने माओवादियों के कैंप पर हमला करने के लिए टीम का नेतृत्व किया और जब माओवादियों ने पुलिस पार्टी को देखा तो उन्होंने श्री किस्तैया और श्री बी. श्रीनिवासा राव के नेतृत्व वाली दोनों पार्टियों पर अंधाधुंध गोलीबारी करनी शुरु कर दी और वहां से भागना शुरु कर दिया। श्री किस्तैया और इनकी टीम माओवादियों को चेतावनी देकर साहसपूर्वक उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ी लेकिन इनकी चेतावनी का उन पर कोई असर नहीं हुआ। कोई विकल्प शेष न देखकर श्री किस्तैया और टीम को जबावी कार्रवाई करनी पड़ी और दोनों ओर से चली गोलीबारी में श्रीमती मंगा उर्फ प्रेमलता, लेडी दलम

सदस्य, जो जिला समिति के सदस्य जी. चंद्रैया की पत्नी थीं, की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। बचकर भाग निकलने की कोशिश में जिला समिति सदस्य जी. चन्द्रैया और श्रीमती तलारी मजुला उर्फ श्यामला, श्री बी. श्रीनिवास राव के नेतृत्व वाली कट ऑफ पार्टी के हाथों मारे गए जिसको गोलीबारी के दौरान मूल कैंप पर सतर्क कर दिया गया था। इस घटना स्थल से हथियार, साहित्य आदि बरामद हुआ। श्री के. किस्तैया, पुलिस निरीक्षक, ए एन एस टीम, साइबराबाद ने अपने स्रोत से सूचना प्राप्त करने, दलम की गतिविधियों पर नजर रखने और वरिष्ठ अधिकारियों, नालगोंडा पुलिस को सूचना देने तथा माओवादियों की गोलियों से अपने जीवन को जोखिम में डाल कर पूरे अभियान को सफल बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। अत: नामिती द्वारा प्रदर्शित साहस, दृढ़ संकल्प, बहादुरी और जोखिम उठाने की भावना से विभाग का नाम ऊंचा हुआ तथा ग्रामीणों, व्यवसायी समुदाय और राजनीतिज्ञों को राहत मिली जो सामान्य जीवन जीने के लिए अपने गांवों को लौट गए। सभी ने इस कृत्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

श्री बी. श्रीनिवासा राव ने दूसरी पार्टी का नेतृत्व किया जो मुख्य एसॉल्ट पार्टी थी। माओवादियों की गोलियों से अपने जीवन को उत्पन्न गंभीर खतरे का सामना करते हुए, वे अपने ग्रुप के कार्मिकों को गोली चलाने का आदेश देकर साहसपूर्वक आगे बढ़े। उक्त गोलीबारी में इनके द्वारा लिए गए सामयिक निर्णय और प्रदर्शित नेतृत्व क्षमता के कारण दो कट्टर उग्रवादी 1) जी. चन्द्रैया उर्फ वैंकन्ना उर्फ राजू, जिला समिति सदस्य और रचकोंडा क्षेत्रीय समिति का सचिव तथा 2) वी. प्रेम लता उर्फ मंगा, दलम सदस्य, रचकोंडा एल जी एस मारे गए और उस क्षेत्र से एक एस एल आर, एक .303 राइफल और एक मैन पैक जब्त किये गये। खोजी दल के श्री बी. श्रीनिवासा राव ने आगे बढ़ कर पार्टी का नेतृत्व किया और माओवादियों की गोलियों के सामने अपने प्राणों को गंभीर जोखिम में डालते हुए अद्वितीय बहादुरी, दृढ़ संकल्प और साहस का परिचय दिया।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री के. किस्तैया, निरीक्षक और बी. श्रीनिवासा राव, कनिष्ठ कमांडो ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 25 जुलाई, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 39-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. पी. बालाजी वाराप्रसाद,
   रिजर्व उप निरीक्षक
2. के. रामैय्या,
   सशस्त्र रिजर्व पुलिस कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

डॉ. टी. प्रभाकर राव, पुलिस अधीक्षक, जो विशेषकर आसूचना एकत्र करने और आंतकवाद-विरोधी अभियान आयोजित करने का कार्य देखते हैं, को 18.03.2005 को वेंकटपुर पुलिस स्टेशन की परिधि के अन्तर्गत पड़ने वाले अन्दुगुलमेदी और रामकृष्णपुर गांवों के बीच में घने जंगल में स्थित चकलीमदुगु के पास उत्तरी तेलंगाना विशेष जोनल समिति और वारंगल-खम्माम जिला समिति के शीर्ष केडरों द्वारा गुप्त बैठक आयोजित किए जाने और जिले में सनसनीखेज घटना करने की योजना बनाने के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई। डॉ. टी. प्रभाकर राव ने पुलिस अधीक्षक वारंगल से मुलाकात की और सूचना के बारे में उनको अवगत करवाया। पुलिस अधीक्षक वारंगल और डॉ. टी. प्रभाकर राव ने सूचना के ताने-बाने का विश्लेषण किया और सतर्कतापूर्ण आप्रेशन की योजना तैयार की। पुलिस अधीक्षक वारंगल ने शिविर पर छापा मारने के लिए उपलब्ध जिला रक्षकों को एकत्र किया।

डॉ. टी. प्रभाकर राव, पुलिस अधाक्षक, सर्व श्री पी. बालाजी वाराप्रसाद, आर एस आई और के. रामैय्या, ए आर पी सी जिला रक्षकों की दो यूनिटों के साथ 19.03.2005 को अर्ध रात्रि में (0100 बजे) जिला मुख्यालय से निकले और रामाकृष्णापुर गांव के निकट रिजर्व जंगल के आस-पास उतर गए चूंकि जंगल से निकलने वाले सभी रास्तों का बारुदी सुरंग से पटे होने का संदेह था इसलिए डॉ. टी. प्रभाकर राव. पुलिस अधीक्षक, सर्व श्री पी बालाजी वाराप्रसाद, आर एस आई और के. रामैय्या, ए आर पी सी ने दल के साथ त्वरित युक्तियों का पालन करने के पश्चात पैदल ही चलना शुरु कर दिया। दलों ने घने जंगल में से चलना शुरु किया और वे सुबह-सुबह उग्रवादियों के संदेहास्पद शिविर तक पहुंच गए। उन्हें शिविर खाली मिले। डॉ. टी. प्रभाकर राव, पुलिस अधीक्षक, सर्व श्री पी. बालाजी वाराप्रसाद, आर एस आई और के. रामैय्या, ए आर पी सी ने अत्यन्त दृढ़ता और उच्च प्रेरणा के साथ दल का नेतत्व किया और उग्रवादियों के सम्भावित रास्ते की खोज की। लगभग 0700 बजे श्री के. रामैय्या. जो एक स्काउट के रुप में कार्य कर रहे थे, ने दूरबीन के जरिए जंगल की छानबान की। उन्होंने एक व्यक्ति को कुछ ही दूरी पर पेड की शाखाओं की आड़ के पीछे छिपे हुए पाया। श्री के. रामैय्या ने तत्काल यह बात डॉ. टी. प्रभाकर राव को बतायी जिन्होंने दल को रुकने का संकेत दिया और उन्होंने व्यक्तिगत रुप से दूरबीन के जरिए संदिग्ध क्षेत्र की छानबीन की और एक व्यक्ति के संतरी के रुप में पेड पर बैठ होने की पुष्टि की। डॉ. टी. प्रभाकर राव, पुलिस अधीक्षक, सर्व श्री पी. बालाजी वाराप्रसाद, आर एस आई और के. रामैय्या, ए आर पी सी ने सम्पूर्ण दल को दो आक्रमण दलों जिनमें प्रत्येक में 5 सदस्य तथा 16 सदस्यों के साथ एक कट आफ दल में विभाजित कर दिया। डॉ. टी. प्रभाकर राव प्रथम आक्रमण दल में और सर्व श्री पी. बालाजी वाराप्रसाद और के. रामैय्या दूसरे आक्रमण दल में शामिल थे। अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन के नेतृत्व में कट आफ पार्टी द्वारा भागने के सम्भावित रास्तों पर

अपना मोर्चा सम्भालने के पश्चात, डॉ. टी. प्रभाकर राव ने आक्रमण दलों को आगे बढ़ने का संकेत दिया। चूंकि आक्रमण दलों ने उग्रवादियों के शिविर की तरफ रेंगते हुए बढ़ना शुरु किया। आगे बढ़ती हुई पुलिस पार्टी को उस संतरी ने देख लिया और "पुलिस" कह कर चिल्लाते हुए शिविर में उग्रवादियों को सतर्क कर दिया और इसके साथ ही उन्होंने पुलिसपार्टी पर तेजी से गोली चलाना शुरु कर दिया। उग्रवादियों ने, जिनकी संख्या लगभग 20 थी, जो लाभप्रद स्थिति में थे, अपने स्वचालित हथियारों से सभी दिशाओं में तत्काल अंधाधुंध गोली चलाना शुरु कर दिया और इसके साथ ही उन्होंने एच ई ग्रेनेड भी दागे। डॉ. टी. प्रभाकर राव ने उग्रवादियों को गोलीबारी रोकने और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने की चेतावनी देते हुए, कट आफ पार्टी को सतर्क किया और आतंकवादी शिविर की तरफ उपलब्ध कवर लेते हुए रेंगते हुए आगे बढ़ने के लिए आक्रमण दलों को आदेश दिया। चूंकि उग्रवादी बार-बार दी गई चेतावनियों से बेखबर रहे और उन्होंने पुलिस को मारने की इच्छा से ए के-47, एस एल आर और अन्य स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी करना जारी रखा, डॉ. टी. प्रभाकर राव ने आत्मरक्षा में पुलिस दल को उग्रवादियों की गोलीबारी का जवाब देने का आदेश दिया और भागने के रास्ते सील करने के लिए कट आफ पार्टी को भी सतर्क किया। डॉ. टी. प्रभाकर राव और श्री के. रामैय्या, बुलेट प्रुफ जैकेट पहने हुए थे, वे अपनी जान के प्रति जोखिम की परवाह किए बगैर उग्रवादियों की गोलीबारी का जवाब देते हुए शिविर स्थल के समीप पहुँच गए। कुछ उग्रवादी बडे पेडों और शिलाखण्ड के पीछे छिपते हुए बारुदी सुरंगों में विस्फोट करते हुए भागने में सफल रहे, जबकि अन्य गुटों ने शिविर स्थल से अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए पुलिस को व्यस्त रखा। भीषण गोलीबारी से घने जंगल में युद्ध सी स्थिति पैदा हो गई। डॉ. टी. प्रभाकर राव, पुलिस अधीक्षक, सर्व श्री पी. बालाजी वाराप्रसाद, आर एस आई और के. रामैय्या, ए आर पी सी पर हालांकि उग्रवादियों द्वारा भारी गोलीबारी की जा रही थी और गोलियां बिल्कुल पास से गुजर रही थीं, किन्तु इन्होंने बहादुरी से उग्रवादियों का सामना किया और नियंत्रित गोलीबारी के जरिए उग्रवादियों की गोलीबारी को निष्क्रिय कर दिया। उग्रवादियों की तरफ से 0745 बजे तक गोलीबारी होती रही। डॉ. टी. प्रभाकर राव, पुलिस अधीक्षक, सर्व श्री पी. बालाजी वाराप्रसाद, आर एस आई और के. रामैय्या, ए आर पी सी और उनका दल हालांकि संख्या में कम था, फिर भी उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर पराक्रम से जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद पुलिस पार्टी ने घटना स्थल की तलाशी ली और शिविर स्थल पर चार पुरुष उग्रवादी मृत पाए।

पुलिस को घटनास्थल से एक ए के-47 राइफल, एक कारबाइन, एक 8 एम एम राइफल, एक रिवाल्वर, एक डी बी बी एल, बारुद सहित एक तमंचा, 3 आईकोम ब्रान्ड वी एच एफ वायरलैस सेट, 11 किट बैग और खाना पकाने के बर्तन भी बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री पी. बालाजी वाराप्रसाद, रिजर्व उप निरीक्षक और के. रामैय्या, सशस्त्र रिजर्व पुलिस कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 19 मार्च, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 40-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री के. रामुलू नायक,

सहायक असाल्ट कमान्डर/रिजर्व उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

15.01.05 को खोजी टुकड़ी को समूह 2 ए यूनिट ने प्रकाशम जिले में शिविर डाला हुआ था। प्रकाशम के पुलिस अधीक्षक को सूचना प्राप्त हुई कि सी पी आई माओवादियों की मिलिट्री प्लाटून जो 11.1.05 को अर्द्धवेदू पुलिस स्टेशन के वेलागलापाया गांव के बाहर गोलीबारी में बाल-बाल बची थी, कुछ सनसनीखेज आक्रमण करने की योजना बना रही है। अतः उन्होंने दोरनाला पुलिस स्टेशन सीमा में दो स्थानों पर घात लगाने के लिए यूनिट को कहा। तदनुसार आई/सी यूनिट 2 ए यूनिट ए ए सी एस.वी. रमन्ना ने यूनिट को दो दलों में विभाजित कर दिया। प्रथम दल का नेतृत्व ए ए सी एस.वी. रमन्ना और दूसरे दल का नेतृत्व ए ए सी के. रामुलू नायक कर रहे थे। ए ए सी रामुलू नायक के नेतृत्व वाले दूसरे दल में, 3 एस सी और 9 जे सी उपस्थित थे। दोनों दलों ने मरकापुर से लॉरी और आर टी सी बस में प्रस्थान किया। कार्यक्रम के अनुसार ए ए सी रामुल्लू नायक के नेतृत्व के अन्तर्गत दूसरे दल को चिन्ताला गांव के बाहर उतार दिया गया, वे 5 कि.मी. तक जंगल में चलते रहे और उन्होंने नक्शे 57 I/13 में .462 पर घात लगाई। दूसरे दल 2 ए ए सी के. रामुल्लू नायक ने 3 संतरियों को तफसील किया, जिसमें से 2 संतरियों को दो रास्तों की निगरानी करने के लिए ओ पी के रुप में रखा गया तथा एक संतरी को मैन पैकस और दूरबीन के साथ पेड़ (ऊंचे स्थान) पर ओ पी ड्यूटी के लिए रखा गया। दल ने दो दिनों तक घात लगाई। तीसरे दिन अर्थात 15.1.05 को लगभग 12.30 बजे पेड़ पर ओ पी ड्यूटी पर जे सी संतरी ने दो छोटी पहाड़ियों के बीच में दक्षिणी तरफ के रास्ते पर दलम को घूमते हुए देखा। संतरी ने तत्काल इसकी सूचना ए ए सी रामुलू नायक को दी जिन्होंने स्वयं भी दलम को देखा और इसकी पुष्टि की। उन्होंने तत्काल 2 दलों को तफसील किया। एक दल उनके नेतृत्व में आक्रमण दल के रुप में तथा एस सी गोपाल, मित्या नायक के अन्तर्गत दूसरे दल को कट आफ के रुप में रखा गया। नामांकित ने एस सी राठौड को पर्यवेक्षक के रुप में रखा, जिनकी ड्यूटी दलम आवाजाही पर निगरानी रखने और समय-समय पर दोनों दलों को सूचित करने की थी। ब्रीफ करने के पश्चात नामांकित ने अपने दल को साथ लिया और वे उत्तरी दिशा में पहाडी से नीचे उतर गए, आगे बढ़े और उसी रास्ते पर घात लगाई जिस पर दलम बढ़ रहा था। इसी तरह एस सी गोपाल दल भी उत्तरी दिशा में आगे बढ़ा और रास्ते (अर्थात् दक्षिणी रास्ते) से नीचे उतरा जिस पर दलम आगे बढ़ रहा था। उन्होंने पद चिन्हों को देखा था और कुछ सीमा तक उनका पीछा किया और तत्पश्चात पद चिन्ह गायब हो गए। एस सी गोपाल के अन्तर्गत पीछे वाला दल रुक गया और उसने पहाड़ी के ऊपर ओ पी संतरी राठौड से सम्पर्क किया परन्तु कोई उत्तर नहीं दिया गया। उन्होंने दुबारा नामांकित ए ए सी रामुल्लू नायक से वी एच एफ पर सम्पर्क किया परन्तु कोई उत्तर नहीं दिया गया। उन्होंने दुबारा नामांकित ए ए सी रामुलू नायक से वी एच एफ पर सम्पर्क किया परन्तु कोई उत्तर प्रदान नहीं किया गया। लगभग 13.30 बजे नामांकित ए ए सी रामुल्लू नायक ने 4 दलम सदस्यों को पानी के लिए मिर्ची के खेतों की तरफ 2 हथियारों और पानी की 2 कैनों के साथ जाते हुए देखा था। तब नामांकित ए ए सी, 4 जे सी के साथ घात से बाहर आए और दलम सदस्यों की तरफ बढ़ने लगे। इसी बीच सिविलियनों ने पुलिस पार्टी को

देख लिया और दलम सदस्यों को चेतावनी दी। नामांकित ने उग्रवादियों का आत्मसमपण करने को चेतावनी दी परन्तु उन्होंने भागते हुए अन्धाधुन्ध गोलीबारी करना शुरु कर दिया। नामांकित ए.ए सी रामुलू नायक ने तत्काल उग्रवादियों का पीछा किया और गोलीबारी शुरु करते हुए बहादुरी से आगे बढ़े। उनको साहसपूर्ण और समयपूर्वक की गई कार्रवाई से 3 खूंखार उग्रवादी मारे गए और गोलीबारी रुकने के पश्चात उन्होंने पूरी तग्द क्षेत्र की तलाशी ली और 1-.303 राइफलें, 1-.22 राइफल, 1-एस बी बी एल, 1-410 मस्केट और 28 राउन्ड जंव कारतूस बरामद किए। नामांकित द्वारा की गई पहल और समयपूर्वक कार्रवाई के कारण ही ऐसा परिणाम प्राप्त किया जा सका। ऐसा करते समय, नामांकित ने अपनी जान को जोखिम में डाला और साहस तथा दृढ़ता के साथ कार्रवाई की।

नामांकित श्री के. रामुलू नायक, ए ए सी/आर एस आई खोजी टुकड़ी ने माओवादियों की गोलियों से अपने जीवन को उत्पन्न जोखिम का सामना करते हुए उत्कृष्ट पराक्रम, उच्च दृढ़ता और साहस का परिचय देते हुए आगे बढ़कर नेतृत्व किया। इस तरह नामांकित द्वारा प्रदर्शित नेतृत्व, साहस, दृढ़ता, बहादुरी और साहस की भावना ने पुलिस विभाग का यश बढ़ाया और पुलिस के मनोबल में वृद्धि की क्योंकि उन्होंने विकट परिस्थितियों में माओवादियों को उनके ही घर में निष्क्रिय कर दिया।

गोलियों के इस आदान-प्रदान से माओवादियों को गहरा धक्का पहुंचा क्योंकि गोलियों का आदान-प्रदान प्रकाशम जिले में दोरनाला पुलिस स्टेशन सीमाओं के बाहर चिन्ताला (V) में हुआ जिसे उग्रवादियों का गढ़ माना जाता था।

इस मुठभेड़ में, श्री के. रामुलू नायक, सहायक असाल्ट कमान्डर/रिजर्व उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 15 जनवरी, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 41-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री अदला महेश,
उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

15.03.2005 को नामांकित ने स्रोत के जरिए विशिष्ट सूचना प्राप्त की कि खूंखार जनशक्ति समूह के उग्रवादी करीमनगर और वारंगल जिलो की सीमा पर गुप्त बैठक कर रहे हैं और महत्वपूर्ण राजनैतिक नेताओं/लक्ष्यों को समाप्त करने की योजना बना रहे हैं। नामांकित ने तत्काल सूचना पुलिस अधीक्षक, करीमनगर को प्रेषित की और एक खोजी टुकड़ी ली और टाडीचेरला मंडल के घने, आरक्षित जंगल में तलाशी अभियान शुरु कर दिया। नामांकित ने 10 कि.मी. की दूरी तक असाल्ट पार्टी का नेतृत्व किया, क्षेत्र की तलाशी की और घात लगाई। लगभग 1710 बजे नामांकित ने उग्रवादियों के समूह के आगमन को नोटिस किया। नामांकित ने तत्काल आकस्मिकता योजना बनाई और पुलिस पार्टी को दो समूहों में विभाजित कर दिया और उग्रवादियों को घेर लिया। लगभग 1715 बजे उग्रवादियों ने पुलिस पार्टी की हलचल को देख लिया, वे चौकन्ने हो गए और उन्होंने पुलिस पार्टी पर अपने स्वचालित और अर्द्ध स्वचालित आग्नेय अस्त्रों से अंधाधुंध गोलबारी शुरु कर दी। नामांकित ने साहस का परिचय दिया और उग्रवादी, जिनकी संख्या लगभग 10 व्यक्ति थी, द्वारा की जा रही गोलीबारी में अपनी जान जोखिम में डालते हुए आक्रमण कर दिया। उग्रवादियों ने हथगोले दागे जोकि नामांकित से कुछ गज की दूरी पर फटे। नामांकित ने अपनी जान की परवाह किए बिना और कर्तव्य के प्रति उच्च निष्ठा का परिचय देते हुए, अकेले गोलीबारी शुरु की और उग्रवादियों पर आक्रमण कर दिया। भीषण गोलीबारी लगभग 45 मिनट तक चली और उग्रवादियों का 2 कि.मी. तक पीछा किया गया और वे 3 उग्रवादियों को मार गिराने में सफल रहे। बाद में दोनों मृत उग्रवादियों की पहचान 1) सिरी कोन्डा जलपथी उर्फ मंगाना, खम्मम और वारंगल जिलों के प्रभागीय सचिव और राज्य समिति सदस्य, 2) जीला सम्मैया उर्फ सरैय्या पुत्र मलैय्या, 30 वर्ष, यादव, निवासी महाबूबपल्ली (V), भुपलपल्ली मंडल, उप कमान्डर और 3) अम्बाला ज्योति उर्फ अरुणा उर्फ रजिठा पुत्री मदनैय्या, मदिगा निवासी गोलाबुददरम (V), भुपलपल्ली मंडल, दलम सदस्य के रुप में की गई। गोलियों के आदान-प्रदान में घटना स्थल से 8 एम एम बोल्ट एक्शन राइफल, दो रिवाल्वर, तीन किट बैग, दो सैल फोन, एक कैमरा, 8 एम एम राइफल के 40 जैव कारतूस, रिवाल्वर के 3 कारतूस चार 8 एम एम मैगजीन और पार्टी साहित्य बरामद किया गया। मृत उग्रवादी मंगाना, वारंगल और खम्मम जिलों का सचिव खूंखार और दुर्दान्त उग्रवादी के रुप में कुख्यात था और पुलिस पार्टी सहित (80) हत्याओं के लिए जिम्मेदार था और क्रमशः करीमनगर और वारंगल जिलों से संबंधित (150) मामलों में संलिप्त था। उसका मारा जाना राज्य में सी पी आई एम एल जनशक्ति के लिए गहरा धक्का और आघात था।

इस मुठभेड़ में, श्री अदला महेश, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 15.3.2005 से दिया जाएगा।

सं0 42-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. पी. भक्तवत्सला रेड्डी,
   सहायक असाल्ट कमांडर/रिजर्व उप निरीक्षक
2. पी. मोगीली,
   कनिष्ठ कमांडो

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

29.01.2005 को 2-ए ए सी, 3-एस सी, 22-जे सी, कुल संख्या 27 को मिलाकर खोजी टुकडी की एस आई सी असाल्ट यूनिट ने करीमनगर जिले के गोदावरिकहानी हेतु आपरेशन ड्यूटी के लिए प्रस्थान किया और सूचना प्राप्त करने के लिए 02.02.2005 को वे बैंस में रुके। 03.02.2005 की रात्रि को 01:30 बजे उन्हें पुलिस अधीक्षक, आदिलाबाद जिला से सूचना प्राप्त हुई कि सी पी आई-एम एल माओवादियों का एक समूह जिनकी संख्या 10 से 12 है, आदिलाबाद जिले के जयपुर पुलिस स्टेशन सीमा के अन्तर्गत शिवाराम गांव के निकट छुपा हुआ है। माओवादियों की योजना जयपुर पुलिस स्टेशन पर आक्रमण करने की है। श्री पी. भक्तवत्सल रेड्डी, सहायक असाल्ट कमान्डर, पी. मोगीली कनिष्ठ कमांडो-2147 ने दो अन्य कनिष्ठ कमान्डो के साथ सम्भावित माओवादी शिविर स्थल की तलाशी की। श्री पी. भक्तवत्सला रेड्डी, ए ए सी/आर एस आई खोजी पुलिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने सूचना पर चर्चा की और माओवादी समूह को निष्क्रिय करने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की। अभियान घने जंगल में बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों वाले भू-भाग में चलाया जाना था, जो माओवादियों का गढ़ है। श्री पी. भक्तवत्सला रेड्डी, ए ए सी/आर एस आई, पी. मोगीली, कनिष्ठ कमान्डो और एस-आई सी असाल्ट यूनिट को उसी रात अभियान चलाने का काम सौंपा गया। उन्होंने गोदावरिकहानी से मंथानी तक यात्रा की और वे लगभग 02-30 बजे मंथानी-वेंकटपुरम सड़क पर स्थित 7 कि.मी. मील पत्थर के पश्चात उतर गए। वे अंधेरी रात में घने जंगल में लगभग 4 कि.मी. तक पैदल चले और करीमनगर जिले से गोदावरी नदी तक पहुंच गए। उन्होंने बहादुरी से विकट परिस्थिति में बड़ी कठिनाई से नाव की सुविधा के बगैर रात में गोदावरी नदी को पार किया और आदिलाबाद जिला क्षेत्र में प्रवेश किया। नदी को पार करने के पश्चात संदिग्ध क्षेत्र में पहुंचने के लिए वे 7 कि.मी. तक और पैदल चले। श्री पी. भक्तवत्सला रेड्डी, ए ए सी/आर एस आई ने खोजी पार्टी को 03.02.2005 की सुबह 6 छोटे समूहों में विभाजित कर दिया और सभी दिशाओं से क्षेत्र की तलाशी शुरु कर दी और 10 से 12 माओवादियों के गुट पर आक्रमण शुरु करने के लिए पहाड़ी पर चढ़ गए जो सभी तैयारी करने और क्षेत्र को सुरक्षित करने के पश्चात रात्रि में रुके हुए थे। इसके बावजूद अवसर को न चूकने के निश्चय के साथ नामांकितों ने पुलिस टीम का नेतृत्व किया। अपनी जान के प्रति जोखिम की परवाह किए बिना, साहस और अनूठी कर्त्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए वे माओवादियों का मुकाबला करने के लिए दृढ़ निश्चयी थे। जब ये पुलिस पार्टियाँ लगभग माओवादियों के ठिकाने पर पहुंच गई, श्री पी. मोगीली, कनिष्ठ कमान्डो ने सशस्त्र माओवादियों को जैतून हरित वेश भूषा में देखा और अपने हैंडसैट के जरिए श्री पी. भक्तवत्सला रेड्डी, ए ए सी/आर एस आई को सूचित किया।उसी समय माओवादियों ने पुलिस पार्टी को भी देखा और ए के-47, स्टेनगन, एस एल आर, एस बी बी एल आदि जैसे स्वचालित हथियारों से गोलीबारी शुरु कर दी। पुलिस पार्टी के पास पर्याप्त कवर नहीं था। श्री पी. भक्तवत्सला रेड्डी,

ए ए सी/आर एस आई, मुख्य असाल्ट पार्टी में थे, वे माओवादी ग्रुप के काफी निकट थे तथा उन्होंने माओवादियों की गोलीबारी का जवाब दिया। श्री पी. भक्तवत्सला रेड्डी, ए ए सी/आर एस आई ने हैंडसैट के जरिए सभी ग्रुपों को सतर्क कर दिया और भागने के रास्तों को कवर करने के लिए उनको आदेश दिया। श्री पी. भक्तवत्सला रेड्डी, ए ए सी/आर एस आई अपनी टीम के सदस्यों के साथ आगे बढ़े तथा दो माओवादियों को मार गिराया। श्री पी. मोगीली, कनिष्ठ कमान्डो कट आफ ग्रुप प्रभारी की भूमिका निभा रहे थे, उन्होंने भी एक माओवादी का पीछा किया और उसको मार गिराया। यह भीषण संग्राम 20 मिनट से अधिक चला और इसके परिणामस्वरुप 3 दुर्दान्त माओवादी (3 पुरूष) मारे गए जिनमें से दो शीर्ष माओवादी नेता थे। गोलीबारी बंद होने के पश्चात जब पुलिस पार्टी ने क्षेत्र की तलाशी की उनको 3 माओवादियों के शव प्राप्त हुए जिनकी पहचान (1) ब्यागनी श्रीनिवास उर्फ रंजीत जिला समिति सचिव, आयु-35 पुत्र मौगीलई गौड, जदलपेट (vii), चित्याल (एम) वारंगल जिला जिसके सिर पर 5 लाख रुपए का ईनाम था (2) कम्बलसम्मैया उर्फ श्रीकान्त जिला समिति सदस्य आयु 28 वर्ष, बदराराम गांव, मल्लाराम (एम), करीमनगर जिला, जिसके सिर पर 5 लाख रुपए का ईनाम था, (3) मेदी सेट्टी अंजैय्या उर्फ श्रीनू, सिकासा का केन्द्रीय संचालक, आयु 30 वर्ष पालेमगुडा (v), कासीपेट (एम), आदिलाबाद जिले के रुप में की गई। इसके सिर पर 3 लाख रुपए का ईनाम था। रंजीत और श्रीकान्त ऐसे दो मुख्य कैडर थे जो विस्फोटकों के इस्तेमाल में विशेषज्ञ थे और दिनांक 13.04.1999 की घटना में मुख्य अभियुक्त थे, जिसमें आन्ध्र प्रदेश राज्य विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री श्रीपद राव, मंथानी के विधायक की हत्या कर दी गई थी। पुलिस पार्टी ने 2-एस एल आर, 1-स्टेनगन, 2-एस बी बी एल राइफल, 4-एस एल आर मैगजीन, 1-कैमरा, 3-नोकिया सैल फोन, 35-एस एल आर के जैव कारतूस, 2-एस बी बी एल के 30 कारतूस, 78,000 रुपए नकद, फोटो एल्बम, महत्वपूर्ण दस्तावेज और साहित्य, 6-किट बैग, आदि घटनास्थल से जब्त किए। यह मुठभेड़ सामान्य रुप से सी पी आई-एम एल माओवादी ग्रुप और विशेष रुप से आदिलाबाद जिले के सिकासा संगठन के लिए गहरा झटका थी, इसमें एक जिला समिति सचिव, जिला समिति सदस्य और एक केन्द्रीय संचालक मारे गए थे। यह सबसे परिणामदायी मुठभेड़ थी जोकि गोदावरी नदी क्षेत्र में घने दण्डकारण्य जंगल में घटित हुई थी। श्री पी. भक्तवत्सला रेड्डी ए ए सी/आर एसआई खोजी टुकड़ी ने हमलावर माओवादियों से अपनी जान के प्रति खतरे का सामना करते हुए उत्कृष्ट वीरता, दृढ़ निश्चय और साहस का परिचय देते हुए नेतृत्व किया। श्री पी. मोगीली, कनिष्ठ कमान्डेंट ने भागते हुए उन माओवादियों जोकि पुलिस पार्टी पर गोलियों की बौछार कर रहे थे, का पीछा करते हुए, अपनी जान के प्रति गंभीर जोखिम की परवाह किए बगैर गोलियों के आदान-प्रदान में सक्रिय रुप से भाग लिया और वे माओवादियों के ठिकाने पर सबसे पहले पहुंचे। इस तरह दोनों नामांकितों द्वारा प्रदर्शित नेतृत्व, साहस, दृढ़ निश्चय, साहस और प्रयोजन ने पुलिस विभाग के यश को बढ़ाया और माओवादियों के मनोबल को गहरा आघात पहुंचाते समय पुलिस के मनोबल में वृद्धि की।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री श्री पी. भक्तवत्सला रेड्डी, सहायक असालट कमान्डर/रिजर्व उप निरीक्षक और पी. मोगीली, कनिष्ठ कमान्डो ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 3 फरवरी, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 43-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री शैक हुसैन साहेब,
पुलिस उप अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

श्री शैक हुसैन साहेब, पुलिस उप अधीक्षक एस आई बी, को 30.06.2005 को आसूचना प्राप्त हुई कि सी पी आई (एम एल) जनशक्ति (राजन्ना गुट) मनेरु दलम अपने शीर्ष नेताओं के साथ तेलंगाना क्षेत्र में सशस्त्र संग्राम की भविष्य की योजना के बारे में मोहिनीकुन्टा (V) के बाहरी क्षेत्र में स्थित आम के बाग में बैठक करने जा रहे हैं। श्री शैक हुसैन साहेब, पुलिस उप अधीक्षक एस आई बी, ने तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी और उनके निर्देशों पर जनशक्ति आतंकवादियों को निष्क्रिय करने के लिए दो जिला विशेष पार्टियों के साथ एक योजना तैयार की।दो जिला विशेष पार्टियों को 3 समूहों असाल्ट, कट आफ तथा बाहरी घेरे में विभाजित किया गया। प्रत्येक समूह का नेतृत्व एक अधिकारी द्वारा किया जा रहा था और श्री एस.के. हुसैन साहेब, पुलिस उप अधीक्षक एस आई बी स्वयं समग्र प्रभारी बने और उन्होंने विशेष रुप से असाल्ट समूह का नेतृत्व किया। ए आर मुख्यालय, करीमनगर में 2000 बजे नामांकित द्वारा इन तीनों समूहों को ब्रीफ किया गया। श्री शैक हुसैन साहेब, पुलिस उप अधीक्षक, एस आई बी, ने सभी समूहों का नेतृत्व किया और 01.07.2005 को लगभग 0030 बजे मोहिनी कुन्टा (V) के बाहरी क्षेत्र में पहुंच गए। आम के बाग में पहुचने के पश्चात एस के हुसैन साहेब, पुलिस उप अधीक्षक ने आपसी गोलीबारी से बचने के लिए आतंकवादियों के ठिकाने की उत्तरी और पूर्वी दिशाओं में बाहरी घेरा और कट आफ समूह तैनात किए। श्री एस.के. हुसैन साहेब, पुलिस उप अधीक्षक के नेतृत्व में असाल्ट समूह ने लगभग 0130 बजे आम के बाग में प्रवेश किया और दो दिशाओं से आड़ के पास से बाग की तलाशी लेनी शुरु की, आतंकवादियों की चर्चा की आवाज सुनी, तत्काल मोर्चा संभाला और सभी सावधानियां बरतते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़े। उस स्थान पर लगभग 10-12 संदिग्ध आतंकवादी पाए गए। हालांकि श्री एस.के. हुसैन साहेब, पुलिस उप अधीक्षक एस आई बी के नेतृत्व में असाल्ट समूह उस स्थान से 30 गज की दूरी पर था, एक संदिग्ध आतंकवादी ने उनको नोटिस किया तथा उन्होंने यह कहते हुए चेतावनी दी कि "आप कौन हैं" इस पर नामांकित ने पहचान का खुलासा किया कि वे पुलिस है। इस पर संदिग्ध आतंकवादियों ने तत्काल पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी। उसी समय अन्य आतंकवादियों ने मोर्चा संभाला और उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। नामांकित ने दुबारा पहचान का खुलासा किया और उनको हथियार डाल कर आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। परन्तु आतंकवादियों ने उनकी चेतावनियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और उनको मारने की इच्छा से उन पर लगातार गोली चलाते रहे। गोलियां और हथगोलों के स्पिलिन्टर नामांकितों के बिल्कुल पास से गुजर रहे थे। गोलीबारी लगभग 20 मिनट तक चली और कुछ आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाते हुए झाड़ियों में से भाग निकले। श्री एस.के. हुसैन साहेब, पुलिस उप अधीक्षक, आगे बढ़े और कुछ दूरी तक भागते हुए आतंकवादी का पीछा किया जब एक आतंकवादी ने उनको लक्ष्य बनाकर हथगोले फेंके परन्तु नामांकित बहादुरी और पराक्रम से आगे बढ़े और आतंकवादियों पर गोली चलाई। कुछ समय पश्चात असाल्ट पार्टी के साथ नामांकित धीरे-धीरे रेंगते हुए आड़ की तरफ आगे बढ़े तथा सभी सावधानियां

बरतते हुए क्षेत्र की तलाशी ली और गोलियों के निशान लगे 4 पुरुषों के शव बरामद हुए। घटनास्थल से एक 9 एम एम पिस्तौल, एक स्प्रिंग फील्ड राइफल, दो 3 एम एम राइफल, एक डी बी बी एल बंदूक, जैव और खाली कारतूस, किट बैगस, साहित्य और खाने-पीने की वस्तुएं बरामद की गई। गोलीबारी के इस आदान-प्रदान में मारे गए आतंकवादियों की पहचान वेंकटेश्वरलू उर्फ रियाज, आयु, 35 वर्ष, निवासी कवाली, नैलोर जिला, राज्य समिति सदस्य आई/सी नलामाला विशेष क्षेत्रीय समिति, सी पी आई (एम एल) जनशक्ति (राजन्ना धडा) रेगुला श्री सैलम उर्फ श्रीनू उर्फ विजय उर्फ गुटन्ना निवासी मुठचेरला, गम्बीरावपेट (एम), करीम नगर, डी सी एस, करीमनगर, कुमारी सुरेश उर्फ गौतम, 21 वर्ष, निवासी चित्तपुर, दुबाका, मेढक, राज्य समिति सदस्य का संदेशहर, पेड्डी यादागिरि पुत्र नरसइया, 28 वर्ष, निवासी कादावेन्डी, देवरूप्पला, वारंगल जिला के रुप में की गई। सिरिसिला, करीमनगर जिला (सी आर सं. 41/05 पी एस मुस्ताबाद) के मोहिनीकुन्टा स्थित ई ओ एफ में तकनीकी फील्ड और डेन कीपर मारे गए।

मृतक खूंखार आतंकवादी थे और करीमनगर, खम्मम, वारंगल, आदिलाबाद और निजामाबाद के उत्तरी तेलंगाना जिलों में कई हिंसात्मक घटनाओं के लिए वे जिम्मेदार थे। उनकी मृत्यु से जनशक्ति समूह को गहरा आघात पहुंचा। श्री शैक हुसैन साहेब, पुलिस उप अधीक्षक ने न केवल आसूचना को एकत्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी बल्कि योजना, संगठन और आतंकवादियों के साथ गोलियों के आदान-प्रदान में बलों को योग्य नेतृत्व प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। उन्होंने अपने जीवन के प्रति जोखिम की परवाह न करते हुए उत्कृष्ट साहस का परिचय दिया तथा कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा, दृढ़ निश्चय और बहादुरी से आतंकवादियों की भीषण गोलीबारी का सामना किया जिससे उत्तरी तेलंगाना में सी पी आई (एम एल) जनशक्ति ग्रुप को अपूरणीय क्षति पहुंची।

इस मुठभेड़ में, श्री शैक हुसैन साहेब, पुलिस उप अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 1 जुलाई, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 44-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, अरुणाचल प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री मंदीप मिश्रा,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

25 अगस्त, 2005 को पगलाम में ओ पी रेड रोज के दौरान श्री भोला शंकर, भारतीय पुलिस सेवा, पुलिस अधीक्षक रोइंग और लेफ्टिनेंट कर्नल करण सिंह, 2-आई सी, 5 मद्रास के नेतृत्व वाली पुलिस-सेना की पार्टी ने बंगो के नजदीक कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को देखा। श्री भोला शंकर आगे बढ़े और उन्हें चुनौती दी। कांस्टेबल मंदीप मिश्रा अपने निजी सुरक्षा अधिकारी (पी एस ओ) की हैसियत से पुलिस अधीक्षक रोइंग के साथ थे। जब पुलिस अधीक्षक रोइंग पर उल्फा (यूनाईटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम) उग्रवादियों द्वारा गोलीबारी की गई तब कांस्टेबल मंदीप मिश्रा ने उनको तुरंत जमीन पर धकेल दिया और उग्रवादियों पर पलट कर गोलीबारी की। तथापि भोला शंकर की भुजा में गोली स्पर्श करती हुई और उन्हें घायल करते हुए निकल गई और वे बाल-बाल बच गए। उनके निजी सुरक्षा अधिकारी कांस्टेबल मंदीप मिश्रा पेट और भुजाओं में गोलियां लगने से जख्मी हो गए, उनके शरीर से तेजी से रक्त बहने लगा। उन्होंने गंभीर रुप से जख्मी होने और अत्यधिक पीड़ा होने के बावजूद उग्रवादियों से लड़ाई जारी रखी। जब उग्रवादियों ने सिविलियनों की आड़ लेते हुए बच कर भागने का प्रयास किया तब श्री भोला ने एक तलाशी अभियान शुरु किया। अगले दिन कैप्टिन विरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में सेना के साथ एक और अभियान शुरु किया गया और दोमुख क्षेत्र में उन्हीं उग्रवादियों से मुठभेड़ हुई जहां श्री रितु बोरा, उल्फा का एरिया कमांडर मारा गया था और 5 मद्रास के नायक चंद्रशेखर मारे गए थे।

इस मुठभेड़ में, श्री मंदीप मिश्रा, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 25 अगस्त, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 45-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. स्वप्ननील डेका,
   अपर पुलिस अधीक्षक
2. रोहित दत्ता,
   उप निरीक्षक
3. खगेन बोरगोहेन, हवलदार
4. धर्मेन्द्र सोनोवाल, कांस्टेबल
5. कुलाधर बोराह, कांस्टेबल
6. सरत गोगोई, कांस्टेबल
7. मनोज हजारिका, कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

22.06.2005 को बहुत ही विश्वसनीय स्रोत से इस गुप्त सूचना के आधार पर कि प्रतिबंधित उल्फा संगठन के सदस्य मांगे गए फिरौती के धन को एकत्र करने के लिए जोनई पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत पोभा रिजर्व जंगल में डेरा डाले हुए हैं, श्री मृदुलानन्द शर्मा, ए पी एस, पुलिस अधीक्षक, धीमाजी ने श्री स्वप्ननील डेका, ए पी एस, अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), धीमाजी को आतंकवादियों को पकड़ने की योजना बनाने का निर्देश दिया। उक्त अभियान चलाने के लिए दो टीमें गठित की गई। एक टीम का नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), श्री स्वप्ननील डेका, कर रहे थे जिसमें उप निरीक्षक रोहित दत्ता, प्रभारी अधिकारी, जोनई पुलिस स्टेशन, हवलदार खगेन बोरगोहेन, सशस्त्र कांस्टैबल धर्मेन्द्र सोनोवाल, ए बी सी/सरत गोगोई, ए बी सी/कुलाधर बोराह और ए बी सी/मनोज हजारिका शामिल थे, स्रोत के साथ उस स्थान तक जहां आतंकवादी छुपे हुए थे, छलावरण में अपनी जान जोखिम में डालकर स्त्रोत की मारुति वैन में गए। 5 कमान्डो बटालियन कार्मिक के साथ निरीक्षक सिद्धेश्वर गोगोई, सी.आई. जोनई के नेतृत्व में अन्य टीम को स्टाप पार्टी के रूप में लेकू झेलम के मार्ग पर भेजा गया जिससे कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में उनका इस्तेमाल पुन: प्रवर्तन के रुप में किया जा सके। लेकू झेलम गांव में मुख्य प्रहारी पार्टी के पूर्वाहन 4.15 बजे पहुंचने पर स्त्रोत को योजना के अनुसार आतंकवादी को प्रलोभन देने के लिए वाहन से उतर जाने के लिए कहा गया। स्त्रोत को देखने के पश्चात आतंकवादी स्त्रोत से फिरौती के धन को वसूलने के लिए वाहन के निकट आए। पुलिस पार्टी तत्काल वाहन से बाहर आई और आतंकवादियों को चुनौती दी। आतंकवादी भौंचक्के हो कर अपर पुलिस अधीक्षक और उनकी पार्टी को मारने की दृष्टि से हथगौला फेंकते हुए जंगल की तरफ भागे परन्तु हथगोला फटा नहीं। आतंकवादियों ने पुलिस पार्टी की तरफ .32 रिवाल्वर से भी चार राउन्ड गोली चलाई। अपर पुलिस अधीक्षक श्री डेका की प्रभावपूर्ण कमान्ड ने पुलिस पार्टी को प्रोत्साहित किया और उन्होंने प्रभावपूर्ण ढंग से जवाबी कार्रवाई की। गोलीबारी लगभग 10 मिनट तक चली। इसके परिणामस्वरुप दो आतंकवादी घटनास्थल पर ही मारे गए जिनके नाम निम्नलिखित हैं :-

(i) एस/एस सी पी एल. सोरबेशवर कारडांग उर्फ अविनाश कारडांग, पुत्र फुकन सा एच. कारडांग, गांव बोटुआमुख, पुलिस स्टेशन-धीमाजी।

(ii) एस/एस एस जी टी मेजर विष्णु प्रसाद रिगन उर्फ सेनीराम ताथे, पुत्र श्री बनेश्वर ताए, गांव सोमोनी मिसिंगगांव, पुलिस स्टेशन-दीमोअ, जिला-शिवसागर।

तदनन्तर घटनास्थल के तलाशी अभियान में घटनास्थल से दस्तावेजों सहित निम्नलिखित हथियार और गोलाबारुद बरामद किए गए।

(i) .32 रिवाल्वर (फैक्टरी निर्मित)
(ii) एक हथगोला
(iii) एक डेटोनेटर
(iv) कोरडेक्स का एक नग (लगभग छः इंच)
(v) जोनई क्षेत्र के कुछ सरकारी अधिकारी/व्यवसायी को सम्बोधित कुछ फ़िरौती नोट्स
(vi) कुछ दवाएं
(vii) आतंकवादिया से संबंधित पाकेट डायरी
(viii) म्यांमार सरकार का 50 रुपए मूल्य का एक करेंसी नोट

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री स्वप्ननील डेका, अपर पुलिस अधीक्षक, रोहित दत्ता, उप निरीक्षक, खगेन बोरगोहेन, हवलदार, धर्मेन्द्र सोनोवाल, कांस्टेबल, कुलाधर बोराह, कांस्टेबल, सरत गोगोई, कांस्टेबल और मनोज हजारिका, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 22 जून, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 46-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री सिवा रामा प्रसाद कल्लुरी,
पुलिस अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

पुलिस को सिलाजु और उचेरवा गांवों के पास नक्सलवादी गतिविधि के बारे में सूचना प्राप्त हुई। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री सिवा रामा प्रसाद कल्लुरी और अपर पुलिस अधीक्षक श्री नारायण सिंह कंवर के नेतृत्व में पुलिस बल की बड़ी टुकड़ी ने मोटर साइकिलों पर उपर्युक्त गांवों की तरफ प्रस्थान किया। रास्ते में कनकपुर नामक गांव के पास एक संदिग्ध सिविलियन मोटर साइकिल को श्री एस.आर.पी. कल्लुरी द्वारा रोका गया और उनकी टीम द्वारा उसकी जांच की गई। एक नक्सलीवादी रितेश गुप्ता उस मोटर साइकिल पर बैठा हुआ था जिसे तत्काल रोका गया और उसकी ओर उसके वाहन की गहन जांच की गई। उक्त तलाशी के दौरान पुलिस ने दो भरे हुए हथियार और लगभग 10,000/-रुपए नगद बरामद किए। नक्सलवादी रितेश गुप्ता को तब पुलिस स्टेशन रामचन्द्रपुर ले जाया गया। पूछताछ पर रितेश गुप्ता ने बताया कि नक्सलवादियों की बैठक उस दिन गांव इन्द्रपुर खोरी में होनी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एक कार्य योजना तैयार की गई। तीन पुलिस पार्टियों का गठन किया गया। पुलिस अधीक्षक श्री सिवा रामा प्रसाद कल्लुरी ने स्वंय प्रथम पार्टी का नेतृत्व किया। दूसरी पार्टी का नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक श्री एन.एस. कंवर द्वारा किया गया। तीसरी पार्टी का नेतृत्व एस.एच.ओ. पुलिस स्टेशन बलरामपुर श्री अजितेश सिंह द्वारा किया गया। सभी तीनों पार्टियों ने तीन भिन्न दिशाओं से इन्द्रपुर खोरी की तरफ प्रस्थान किया। सभी पार्टियों ने अपने लक्ष्य पर पहुंचने के पश्चात अपने वायरलैस सैट्स द्वारा अपने मोर्चे की पुष्टि की। कार्य योजना के अनुसार तीनों पुलिस पार्टियों ने घेराबंदी को मजबूत कर दिया। पुलिस पार्टियों को देखने के पश्चात नक्सल संतरी ने नक्सलवादी ग्रुप को सतर्क करने के लिए कुछ राउन्ड गोली चलाई। नक्सलवादियों को तीन ग्रुपों में विभाजित कर दिया गया और उन्होंने पुलिस कार्मिकों को मारने और उनके हथियार लूटने के उद्देश्य से अंधाधुंध गोलीबारी करना शुरु कर दिया। तब पुलिस अधीक्षक ने नक्सलवादियों को चेतावनी दी कि उनको चारों तरफ से घेर लिया गया है और ऐसे में उन्हें अपने हथियार डाल देने चाहिए और पुलिस के सम्मुख आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। नक्सलवादियों ने पुलिस की चेतावनियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और पुलिस की तरफ शनै: शनै: आगे बढ़ते हुए भारी गोलीबारी चालू रखी। गंभीर स्थिति को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस पार्टियों को वायरलेस के जरिए आत्मरक्षा के रुप में गोलीबारी शुरु करने का निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक स्वयं खड़े हुए, गोलीबारी शुरु की और अपने पार्टी सदस्यों को प्रोत्साहित करने और अन्य पार्टियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए आगे बढ़े। अपने संबंधित नेताओं के नेतृत्व के अन्तर्गत सभी तीनों पुलिस पार्टियां बहादुरी से आगे बढ़ीं। नेता अपने साथी पुलिस कार्मिकों के मनोबल को प्रोत्साहित कर रहे थे और बढ़ा रहे थे। पुलिस और नक्सलवादियों के बीच मुठभेड़ लगभग चार घंटों तक चली जिसके परिणामस्वरुप रमन कोडाकू नामक सशस्त्र वर्दीधारी नक्सलवादी मारा गया। बाकी नक्सलवादी जिनमें से अधिकतर घायल थे, पहाड़ी जंगली रास्ते, अंधेरे और उस क्षेत्र के पास गांव वालों की उपस्थिति का लाभ उठाकर भाग गए। पुलिस ने बड़ी मात्रा में शस्त्र, गोला बारुद, हथगोले, टिफिन बम, डेटोनेटर, वायरलैस सेट, चीन निर्मित दूरबीन, नक्सलवादी वर्दी और पिट्ठू बरामद किए और सबसे महत्वपूर्ण कोई सिविलियन अथवा पुलिस कार्मिक घायल नहीं हुआ। इस मुठभेड़ के

दौरान, इस तरह श्री एस.आर.पी. कल्लुरी ने अपने व्यक्तिगत जीवन को गंभीर संकट में डालकर उच्च श्रेणी के साहस का परिचय दिया।

क) एस.आर.पी. कल्लुरी ने स्वंय एक सशस्त्र नक्सलवादी रितेश गुप्ता को पकड़ा जिसके पास पूरी तरह भरी हुई दो बंदूकें अर्थात् 0.38 रिवाल्वर और 315 डबल बैरल बंदूक थी।

ख) तीन पार्टियों में से, श्री एस.आर.पी. कल्लुरी के नेतृत्व वाली पार्टी में केवल नौ पुलिस कार्मिक थे और जो मार्ग उन्होंने अपनाया वह बहुत अधिक संवेदनशील और घात सापेक्ष था। यही वह मार्ग था जिस पर 8 जनवरी 2005 को नक्सलवादियों ने घात लगाई थी और एक उप-निरीक्षक श्री बेलसजर टिर्की तथा दो कांस्टेबलों सहित 3 पुलिस कार्मिकों को मार गिराया। इस अभियान की स्कीमें ऐसी थी कि पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम इस खतरनाक सड़क पर जाएगी और नक्सलवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए चेतावनी देगी और यदि नक्सलवादी गोली चलाना शुरु करते हैं अथवा इधर-उधर भागना शुरु करते हैं तो अन्य दो पार्टियां अपने संबंधित मोर्चो से उनको घेर लेगी।

ग) कई बार तेज आवाज में और कई बार अपनी टीम के सदस्यों को वायरलैस पर उपर्युक्त निर्देश देने के लिए उन्होंने अपने आपको पर्याप्त रुप से शान्त और सयंम रखा।

घ) भारी गोलीबारी के बीच पराक्रम से अपने ग्रुप का नेतृत्व किया औरउसी समय उपयुक्त कवर के जरिए सुरक्षा सुनिश्चित की और इस तरह नक्सलवादियों को सब कुछ पीछे छोड़कर भागने पर विवश कर दिया।

ङ) उन्होंने इतनी ईमानदारी से अभियान की योजना बनाई और उसको संचालित किया कि मुठभेड़ स्थल के आस-पास कोई सिविलियन घायल नहीं हुआ।

मुठभेड़ के दौरान न केवल उत्कृष्ट साहस, उच्चतम निडरता का परिचय दिया बल्कि अनुकरणीय नेतृत्व का प्रदर्शन किया जिसमें एक भी पुलिस कार्मिक घायल नहीं हुआ और इस तरह सम्पूर्ण अभियान को शानदार सफलता प्राप्त हुई।

इस मुठभेड़ में, श्री सिवा रामा प्रसाद कल्लुरी, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 4 अप्रैल, 2005 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं() 47-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, हरियाणा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

(1) अरुण सिंह,
उप पुलिस अधीक्षक

(2) जयवीर सिंह,
छूट प्राप्त हैड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

12.5.2005 को श्री अरूण सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, झज्जर के साथ -साथ निरीक्षक प्रताप सिंह, सी आई ए, बहादुरगढ़, उप निरीक्षक अनूप सिंह, सहायक उप निरीक्षक चंद्र गुप्त, सहायक उप निरीक्षक संत राम और अन्य ओ आर भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 83/2005, पुलिस स्टेशन बहादुरगढ़ मामले की जांच पड़ताल के संबंध में नरेला गए जिसमें एक अति वांछित अपराधी, जिसने दिल्ली और हरियाणा राज्यों में आतंक पैदा कर रखा था और जिसका नाम युद्धवीर पुत्र ईश्वर सिंह, निवासी गांव फरमाना को उसके सह अभियुक्त गोपाल पुत्र प्रताप सिंह निवासी हलालपुर के साथ गिरफ्तार किया जाना था। एक और अभियुक्त नरेन्द्र पुत्र ओम प्रकाश निवासी गंगना, जो इस मामले में पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, को भी युद्धवीर और गोपाल की पहचान करने हेतु छापेमार दल द्वारा अपने साथ ले जाया गया। जब पुलिस पार्टी झंडा चौक, नरेला के नजदीक पहुँची तब नरेन्द्र पुत्र ओम प्रकाश, जो पुलिस पार्टी के साथ था, ने दो व्यक्तियों की ओर इशारा किया जो एक कार के पास खड़े हुए थे और बताया कि ये दोनों युद्धवीर और गोपाल हैं, तभी दोनों व्यक्तियों ने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी। पुलिस पार्टी ने भी अपनी आत्मरक्षा में गोलियां चलाईं। तथापि युद्धवीर और गोपाल अपनी मारूति एस्टीम कार में बहादुरगढ़ की ओर भाग गए। पुलिस पार्टी ने कार का पीछा शुरू कर दिया। जब युद्धवीर और गोपाल बहादुरगढ़ की ओर भाग रहे थे तब पुलिस पार्टी ने हरियाणा के विभिन्न जिलों की नजदीक की पुलिस चौकियों और पुलिस नियंत्रण कक्ष, झज्जर के माध्यम से दिल्ली पुलिस को भी तत्क्षण संदेश भेजा। जब पुलिस पार्टी बहादुरगढ़ क्षेत्र पहुँची तब श्री कप्तान सिंह प्रभारी पी. पी. झज्जर के नेतृत्व में एक और पुलिस कर्मी भी ऑपरेशन में शामिल हो गया। पुलिस अधीक्षक, झज्जर भी तब तक छापेमार पार्टी में शामिल हो गए। जब पुलिस पार्टी संदिग्ध व्यक्तियों का पीछा कर रही थी तब संदिग्ध व्यक्ति गांव सिद्धीपुर क्षेत्र में श्री अरुण सिंह की जिप्सी के पास पहुँचे। तब उप पुलिस अधीक्षक ने अभियुक्त व्यक्तियों की कार को ओवरटेक करने का प्रयास किया जब पुलिस जिप्सी कार की बगल में पहुँच गई। युद्धवीर और गोपाल ने अपनी कार रोकी और श्री अरुण सिंह, उप पुलिस अधीक्षक पर गोलीबारी की जिन्होंने खिड़की के नीचे

झुककर स्वयं को बचाया। उन संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा चलाई गई एक गोली श्री अरुण सिंह, उप पुलिस अधीक्षक की जिप्सी की खिड़की पर लगी। तभी अभियुक्त युद्धवीर कार से बाहर निकल आया और उसने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी करते हुए खेत की ओर भागना शुरू कर दिया। उप पुलिस अधीक्षक अरूण सिंह और उनके साथ वाली पुलिस पार्टी ने भी जवाबी गोलीबारी की युद्धवीर जमीन पर गिर पड़ा जबकि गोपाल कार में भाग गया। युद्धवीर को काबू में करके पकड़ लिया गया। वह जख्मी हो गया था और उसके पास 12 बोर की देशी पिस्तोल थी। उसकी व्यक्तिगत रूप से तलाशी लेने पर, उसकी पैंट की जेब से 12 बोर के छह जिंदा कारतूस और 315 बोर का एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। उसके पास से 315 बोर की एक देशी पिस्तौल भी बरामद की गई। 0.12 बोर की पिस्तौल में एक खाली कारतूस था जबकि 0.315 बोर की पिस्तौल में एक जिंदा कारतूस था जो इसके चैंबर में लोड किया पाया गया। इस ऑपरेशन के दौरान ई एच सी जयवीर को चोटें आई। कुछ समय के पश्चात युद्धवीर ने अपने जख्मों के कारण दम तोड़ दिया और उसे अस्पताल में मृत लाया गया घोषित किया गया।

यह भी उल्लेख किया जाता है कि युद्धवीर के खिलाफ सोनीपत और दिल्ली में कई न्यायालयों में विचारण चल रहा था। वह बहुत खतरनाक अपराधी था और उसका करतूतों का क्षेत्र केवल हरियाणा ही नहीं था बल्कि वह जघन्य अपराध जैसे कि जबरन धन उगाही करने, फिरौती के लिए अपहरण करने, हत्या करने तथा उसने दिल्ली में भी हत्या का प्रयास किया था। उत्तरवर्ती जांच-पड़ताल के अनुसार, यह पता चला कि 50 से ज्यादा लोगों से नियमित आधार पर जबरन धन उगाही कर रहा था। हत्या के प्रयास के एक मामले में, उसे अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा 7 वर्ष के कठोर कारावास के लिए भेजा गया। उसे 22.3.2004 को जेल से 2 माह के लिए पैरोल पर रिहा किया गया। लेकिन वह वापिस नहीं लौटा। यह प्रासंगिक है कि युद्धवीर कई आपराधिक मामलों और हत्या के मामलों में संलिप्त था।

उपर्युक्त तथ्यों से यह काफी स्पष्ट हो जाता है कि अत्यधिक खतरनाक अपराधी युद्धवीर को पकड़ने के दौरान श्री अरूण नेहरा, उप पुलिस अधीक्षक और ई एच सी जयबीर सिंह संख्या 244 /जे जे आर ने अपने जीवन को खतरे में डाला।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री अरुण सिंह, उप पुलिस अधीक्षक और जयवीर सिंह, छूट-प्राप्त हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 12 मई, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 48-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व /श्री

1. आनन्द जैन, पुलिस अधीक्षक
2. एस.पी.पाणी, पुलिस अधीक्षक
3. अब्दुल हमीद, उप-निरीक्षक
4. अशोक कुमार, हैड कांस्टेबल
5. शबीर अहमद, हैड कांस्टेबल
6. अनिल दत्त, चयन ग्रेड कांस्टेबल
7. शुब करन, कांस्टेबल
8. बशीर अहमद, चयन ग्रेड कांस्टेबल
9. कुलरत्तन सिंह, चयन ग्रेड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

14.11.2005 को लगभग 1505 बजे श्रीनगर शहर के दिल-लाल चौक में आतंकवादियों द्वारा आत्मघाती हमला किया गया। आत्मघाती हमलावरों ने व्यापारिक बाजार में हथगोला दागा और सी आर पी एफ 131 बटालियन की पालाडियम चौकी की तरफ अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। गोलीबारी के दौरान घनश्याम सं.930040446 और दयानंद जय सिंह संख्या 931181345 नामक सी आर पी एफ के दो कांस्टेबल घटनास्थल पर ही मारे गए और उक्त बटालियन के कांस्टेबल नजमुल हक और कांस्टेबल भगवत सिंह संख्या 031310027 घायल हो गए। तब दोनों आत्मघाती हमलावरों ने लाल चौक क्षेत्र में स्थित पीक व्यू और पंजाब होटल नामक दो महत्वपूर्ण होटलों में प्रवेश किया। क्यू आर टी के साथ वरिष्ठ अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। यह वह समय था जब लाल चौक के व्यापारिक बाजार में वास्तव में क्या हुआ है, इस बारे में स्थानीय लोगों में भ्रम फैला हुआ था। इस तथ्य को समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि आत्मघाती हमलावरों ने हमला कर दिया है। स्थिति का आकलन करने, सिविलियनों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने और तब अभियान को पूरा करने के लिए आतंकवादियों को उलझाने/समाप्त करने की चुनौती थी। इस अभियान के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि पिछले आत्मघाती हमलों की तरह यह न तो किसी सरकारी प्रतिष्ठान में हुआ था और न ही सुरक्षा बलों के शिविर में अपितु यह हमला व्यापारिक बाजार स्थल में श्रीनगर शहर के दिल में और वह भी ऐसे होटल में जिसमें सिविलियन रह रहे थे, हुआ था। इसको करने के पीछे

आतंकवादियों का मकसद योजनाबद्ध था क्योंकि वे मीडया का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे और इस तरह यह सिद्ध करना चाहते थे कि वे कहीं पर भी हमला कर सकते हैं। क्यू आर टी और आई जी पी कश्मीर, डी आई जी सी के आर, एस एस पी एस जी आर, एस पी दक्षिण, एस पी पूर्व, एस डी पी ओ कोठी बाग, एस एच ओ पुलिस /स्टेशन मायसुमा स्थल पर पहुंचे और बिना किसी विलम्ब के स्थिति का तुरन्त जायजा लिया। बिना कोई समय गंवाए दो बंकर वाहनों की सहायता से दोनों सी आर पी एफ कांस्टेबलों के शवों का निकाला गया। अधिकारियों ने क्यू आर टी के साथ ज्यादा से ज्यादा सिविलियनों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का प्रयास किया। इस प्रक्रिया में आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी के प्रारम्भिक चरण में फंसे काफी लोगों को सफलतापूर्वक सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। तब सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह जानना था कि वास्तव में आतंकवादी कहां छुपे हुए हैं। होटलों में छुपे आतंकवादियों का पता लगाने/उनको समाप्त करने तथा इन होटलों के अन्दर फंसे सिविलियनों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए श्री आनन्द जैन, पुलिस अधीक्षक पूर्व और श्री एस पी पाणी-पुलिस अधीक्षक, दक्षिण के नेतृत्व में दो पार्टियों का गठन किया गया। लाल चौक के आस-पास सख्त बाहरी घेराबंदी की गई। पीक व्यू होटल का भवन जिसकी तीन मंजिलें हैं और जिसका आगे से केवल एक प्रवेश द्वार है, पुलिस अधीक्षक पूर्व ने उपनिरीक्षक अब्दुल हमीद संख्या 5825/एन जी ओ, हैड कांस्टेबल अशोक कुमार संख्या-665/जेकेएपी 5वीं बटालियन, कांस्टेबल शुभकरन संख्या 680 /जे के ए पी 5वीं बटालियन, के साथ पीछे से प्रवेश किया। रणनीति सफल रही क्योंकि उन्होंने सफलतापूर्वक भवन के पीछे सीढी लगाई और पीक व्यू होटल में प्रवेश किया और पीक व्यू होटल से फंसे हुए सिविलियनों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। जब यह प्रक्रिया चल रही थी, एक आतंकवादी ने, जो पंजाब होटल में छुपा हुआ था, सुरक्षा बलों पर हथगोला फैंका जिससे पता चला कि अन्य आतंकवादी पंजाब होटल में छुपे हुए हैं।चूंकि अंधेरा हो रहा था और किसी भी प्रकार का अभियान चलाना व्यावहारिक रुप से असम्भव था क्योंकि इससे सिविलियनों के जीवन को खतरा हो सकता था, इसलिए भोर होने तक अभियान को स्थगित कर दिया गया। घेराबंदी को सुदृढ़ किया गया और इन दोनों होटलों के बाहर जाने के रास्तों पर बंकर वाहनों को तैनात किया गया। जैसे ही सुबह हुई दोनों होटलों के अन्दर फंसे सिविलियनों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के उद्देश्य से आम उदघोषणा की गई। पीक व्यू होटल में पुलिस पार्टियों ने पहले ही मध्यरात्रि में प्रवेश कर लिया था । इसी बीच एक सिविलियन होटल से बाहर आया जिसने बताया कि होटल में एक आतंकवादी है जिसने उसे बंदी बना रखा था। तथापि, प्रात:काल एक आतंकवादी सिविलियन के भेष में पंजाब होटल से बाहर आया जिसे पकड़ लिया गया क्योंकि वह उस क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहा था। उसकी पहचान एजाज अहमद भट्ट उर्फ अबु सुमामा पुत्र रियाज अहमद भट्ट निवासी मंसुराबाद पाकिस्तान के रूप में की गई। आतंकवादी ने पीक व्यू होटल में अपने साथी की

उपस्थिति के बारे में बताया जो पाक आतंकवादी था और उसका नाम अबु फुरकान था। श्री एस.पी.पाणी एसपी. दक्षिण, हैड कांस्टेबल शौकत अहमद संख्या 2550/एस, एसजी.कांस्टेबल बशीर अहमद संख्या 4330/एस. एस.जी.कांस्टेबल कुल रतन सिंह सं. 3191/एस तथा कांस्टेबल शिव करन संख्या 680/जे के ए पी 5वीं बटालियन वाली पार्टी छुपे हुए आतंकवादियों पर निर्णायक हमला करने के लिए तैयार हो गई। जो पार्टी पहले से ही अन्दर थी और जिसने सिविलियनों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया था, अपने स्थान से होटल के हॉल की तरफ हिल नहीं सकती थी जो कि पहले से ही आतंकवादियों के कब्जे में था। पीक व्यू होटल के साथ वाला होटल जोकि न्यू ओरियन है का प्रयोग हमलावर पार्टी की सहायता के लिए सारी आपूर्ति सामग्री रखने के लिए किया जा रहा था। गंभीर जोखिम उठाते हुए हमलावर पार्टी ने सीढी के जरिए पीक व्यू होटल की तीसरी मंजिल पर प्रवेश किया, इस अवधि के दौरान छुपे हुए आतंकवादी ने प्रथम मंजिल से अंधाधुंध गोलीबारी की और दो हथगोले दागे। परन्तु चूंकि पार्टी सुरक्षित स्थिति में थी अत: कोई घायल नहीं हुआ। पीक व्यू होटल के सामने वाले न्यू ओरियन होटल में स्थित पार्टी ने प्रथम मंजिल से कुछ कवरिंग गोलीबारी की, जिसने लक्षित भवन में पुलिस पार्टी के हमले को सुविधा जनक बना दिया। यह निर्णय लिया गया कि छुपे हुए आतंकवादी को समाप्त करने के उद्देश्य से हमलावर पार्टियों का नेतृत्व श्री आनन्द जैन पुलिस अधीक्षक पूर्व और अन्य पार्टी का नेतृत्व श्री एस. पी पाणी पुलिस अधीक्षक दक्षिण करेंगे। आतंकवादी पीक व्यू होटल की प्रथम मंजिल पर छुपा हुआ था जहां से तीसरी मंजिल दो सीढियों से जुड़ी हुई थी। एक सीढी का प्रयोग पुलिस अधीक्षक दक्षिण द्वारा किया जा रहा था तथा जब दूसरी मंजिल और उसके बाद प्रथम मंजिल के मोर्चों पर गोलीबारी की जा रही थी और हथगोले दागे जा रहे थे और अन्य सीढी का प्रयोग पुलिस अधीक्षक पूर्व और उनकी पार्टी द्वारा किया जा रहा था, इसके परिणामस्वरूप आतंकवादी प्रथम मंजिल पर फंस कर रह गए। पुलिस अधीक्षक, पूर्व के नेतृत्व में दूसरी मंजिल वाली पुलिस पार्टी ने प्रथम मंजिल से किसी अन्य मंजिल पर जाने की आतंकवादी की हरकत को अवरुद्ध कर दिया। छुपे हुए आतंकवादी ने हमलावार पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी की परन्तु उच्च साहस प्रदर्शित करते हुए उन्होंने आतंकवादी को प्रथम मंजिल पर रोके रखा। एक सिविलियन जिसे आतंकवादी ने प्रथम मंजिल पर एक कमरे में फंसा रखा था को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। कई हथगोले दागे गए और आतंकवादी को निष्क्रिय करने के लिए गोलीबारी की गई। आतंकवादी ने दोनों पार्टियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। दोनों पार्टियों ने आतंकवादियों की गोलीबारी को कवर करने के लिए बी.पी.शीट्स का श्रेष्ठतम इस्तेमाल किया। भारी गोलीबारी के परिणामस्वरूप कमरा गहरे धुंआ से भर गया और उस बड़े हॉल में आतंकवादी की वास्तविक स्थिति को जानना अत्यंत कठिन हो गया। दोनों हमलावर पाटियों ने कमरे में धावा बोल दिया और सफलतापूर्वक उसको

समाप्त कर दिया। इस अभियान को युक्तिपूर्वक चलाया गया क्योंकि इस अभियान के दौरान अधिक क्षति नहीं हुई। यह भय बना हुआ था कि होटलों में स्थित लकड़ी की संरचना में आग लगने की पूरी सम्भावना है? परन्तु पार्टी ने अत्यधिक सावधानी बरती और सफलतापूर्वक कार्य को अंजाम दिया। इस अभियान में पीक व्यू होटल के अन्दर फंसे काफी सिविलियनों को बचाया गया जिसके लिए पुलिस पार्टी ने अपनी जान की परवाह किए बिना काफी जोखिम उठाया।

इस मुठभेड़ में, श्री सर्वश्री आनन्द जैन, पुलिस अधीक्षक, एस.पी पाणी, पुलिस अधीक्षक, अब्दुल हमीद, उप निरीक्षक, अशोक कुमार,हैड कांस्टेबल, शबीर अहमद, हैड कांस्टेबल, अनिल दत्त, चयन ग्रेड कांस्टेबल, शुब करन, कांस्टेबल, बशीर अहमद, चयन ग्रेड कांस्टेबल और कुलरत्तन सिंह, चयन ग्रेड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14 नवम्बर, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं०-49-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके शौर्य के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. एस.पी. पाणी, पुलिस अधीक्षक	**वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार**
2. जोगिन्दर सिंह, पुलिस उपाधीक्षक	**वीरता के लिए पुलिस पदक**
3. शबीर अहमद, कांस्टेबल	**वीरता के लिए पुलिस पदक**
4. बशीर अहमद, कांस्टेबल	**वीरता के लिए पुलिस पदक**
5. जी एच. रसूल, कांस्टेबल	**वीरता के लिए पुलिस पदक**
6. शबीर अहमद गनी, कांस्टेबल	**वीरता के लिए पुलिस पदक**
7. दौलत सिंह, कांस्टेबल	**वीरता के लिए पुलिस पदक**
8. सफीर अहमद खान, कांस्टेबल	**वीरता के लिए पुलिस पदक**
9. जाकिर हुसैन, कांस्टेबल	**वीरता के लिए पुलिस पदक**
10. मोहम्मद शफी, कांस्टेबल	**वीरता के लिए पुलिस पदक**
11. अजित पाल सिंह, कांस्टेबल	**वीरता के लिए पुलिस पदक**

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

15.01.2005 को लगभग 1605 बजे सूचना प्राप्त हुई कि बख्शी इनडोर स्टेडियम परिसर, श्रीनगर के अन्दर स्थित पास पोर्ट कार्यालय भवन के अन्दर दो आतंकवादी घुस गए हैं। इस सूचना के प्राप्त होने के बाद श्री जाविद मुखदुमी, आई पी एस, आई जी पी कश्मीर जोन, की कमान के अन्तर्गत वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल की तरफ दौड़े। घटनास्थल पर पहुंचने पर यह पता चला कि दो आतंकवादी पासपोर्ट परिसर में घुस गए हैं जहां काफी संख्या में सिविलियनों और खेल तथा युवा सेवा विभाग के कर्मचारियों सहित दो शस्त्र विहिन सी आर पी एफ कार्मिक पासपोर्ट कार्यालय परिसर; और निकटवर्ती खेल परिषद भवन में फंसे हुए हैं। हालांकि छुपे हुए आतंकवादियों की वास्तविक संख्या और स्थिति का पता लगाना कठिन था, पुलिस महानिरीक्षक, कश्मीर जोन श्री जाविद मुखदुमी, आई पी एस, ने स्थिति का तत्काल आकलन किया और उन्होंने फंसे हुए कर्मचारियों और सिविलियनों को बचाने तथा आतंकवादियों को निष्क्रिय करने के लिए कार्य योजना को तुरन्त अन्तिम रूप प्रदान किया। उप महानिरीक्षक सी के आर श्रीनगर, उप महानिरीक्षक (ओ पी एस) सी आर पी एफ और एस एस पी

श्रीनगर के सहयोग से आई जी पी कश्मीर ने फंसे हुए सिविलियनों और कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए बचाव पार्टियों का गठन किया। अत्यधिक जोखिम के बावजूद, बचाव पार्टियों ने युवा होस्टल और खेल परिसर की तरफ प्रस्थान किया और सभी सिविलियनों और कर्मचारियों को बचाया और अंधेरे के कारण अगली सुबह तक अभियान को स्थगित करने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इसके बाद समग्र परिसर की जम्मू ओर कश्मीर पुलिस तथा सी आर एफ की तीन पंक्ति में तैनाती के साथ घेराबन्दी की गई और विभिन्न रणनीतिपरक बिन्दुओं पर छः बंकरों को लगाया गया। बाहरी घेराबंदी की प्रक्रिया के दौरान दो सी आर पी एफ अधिकारियों अर्थात् 50 बटालियन सी आर एफ के उप निरीक्षक (जी डी) अनिल कुमार राय संख्या 961240552 तथा 84 बटालियन सी आर पी एफ के हैड कांस्टेबल (जी डी) नेक राम संख्या 850845769 जो गोली से घायल हुए थे को उपचार हेतु एस एम एच एस अस्पताल में भेजा गया। अगले दिन आतंकवादियों के भागने से पहले, महानिरीक्षक पुलिस, कश्मीर जोन श्री जाविद मुखदुमी ने तत्काल घेराबन्दी की और वे बंकर में चले गए। जब वे भवन में आतंकवादियों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने का प्रयास कर रहे थे, एक आतंकवादी अचानक एक खिड़की पर नजर आया और उसने अधिकारी की तरफ अंधाधुंध गोलीबारी करना शुरू कर दिया। आई जी पी कश्मीर जो बाल -बाल बचे थे, ने आतंकवादियों की गोलीबारी से बिना डरे आतंकवादियों पर अन्तिम हमला करने के उद्देश्य से दो टीमों का गठन किया, जिसमें अन्यों के अलावा पुलिस उपाधीक्षक (ओ पी एस) और कांस्टेबल शबीर अहमद, बशीर अहमद, जी एच. रसुल, शबीर अहमद गनई, दौलत सिंह, सफीर अहमद खान, जाकिर हुसैन मोहम्मद शफी और अजित सिंह शामिल थे, किसी सिविलियन को हताहत किए बिना, आई जी पी कश्मीर ने आतंकवादियों की हरकत को अवरुद्ध करने की योजना बनाई; तब तक वे पासपोर्ट कार्यालय भवन के एक निश्चित क्षेत्र में घिरने के लिए मजबूर हो गए। तत्पश्चात आई जी पी कश्मीर ने अपने आप्रेशन दल के सहयोग से पूरी ताकत के साथ जवाबी कार्रवाई शुरु की और अन्ततः आतंकवादी को मार गिराया। श्री एच. के. लोहिया, आई पी एस उप महानिरीक्षक, सी के आर श्रीनगर की कमान के अन्तर्गत अन्य पार्टी में उप महानिरीक्षक (ओ पी एस) सी आर पी एफ, पुलिस अधीक्षक दक्षिण श्रीनगर 2 आई. सी. कमान्डेंट 50 बटालियन सी आर पी एफ, उप कमांडेंट 123 बटालियन सी आर पी एफ और कांस्टेबल/जी डी एच. एस. चौहान संख्या 920750637, 123 बटालियन सी आर पी एफ शामिल थे, वे बंकर में चले गए और उन्होंने धीरे धीरे भू-तल की कमान संभाली तथा यह पता चला कि आतंकवादी भवन की प्रथम मंजिल पर छुपे हुए हैं। तुरन्त बंकर की सहायता से खेल परिसर की एक खिड़की पर सीढी लगाई गई तथा खिड़कियों के अन्दर कुछ हथगोले दागे गए। बाद में पुलिस अधीक्षक दक्षिण सीढ़ी की सहायता से कमरे में चले गए, और उस दौरान वे आतंकवादियों की भारी गोलीबारी में फंस गए जिसका उन्होंने प्रभावपूर्ण ढंग से जवाब दिया जिसके परिणामस्वरुप आतंकवादी भागने के प्रयास में कमरे से बाहर कूदे परन्तु अग्रिम पार्टी ने आतंकवादी पर गोलीबारी की उसे निष्क्रिय कर दिया।

इस मुठभेड़ में, सर्व श्री एस. पी.पाणी, पुलिस अधीक्षक, जोगिन्दर सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, शबीर अहमद, कांस्टेबल, बशीर अहमद, कांस्टेबल, जी एच.रसूल, कांस्टेबल, शबीर अहमद गनी, कांस्टेबल, दौलत सिंह, कांस्टेबल, सफीर अहमद खान, कांस्टेबल, जाकिर हुसैन, कांस्टेबल, मोहम्मद शफी, कांस्टेबल और अजित पाल सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक , 15 जनवरी, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 50-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. शिव दर्शन सिंह,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

2. परषोत्तम सिंह,
चयन ग्रेड कांस्टेबल

3. मोहम्मद फैसर,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

06.06.2005 को एस एस पी पुंछ को निचले नाका मंजरी में नाले के किनारे के समीप अबु मावीय और उसके दो साथियों की उपस्थिति के बारे मे विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई। बिना कोई समय गंवाए, एस एस पी पुंछ मेंढर की तरफ दौड़े और कमान्डो ग्रुप मेंढर, 37 आर आर की एन सी ए टुकड़ियों और सी आर पी एफ के सहयोग से अभियान की योजना बनाई गई। कार्मिक संख्या को तीन ग्रुपों में विभाजित किया गया तथा तीन भिन्न दिशाओं से तलाशी शुरु की गई। दो कॉलमों ने क्रमशः नाले के बायें और दायें किनारों से क्षेत्र की तलाशी लेना शुरु कर दिया और एस एस पी पुँछ के नेतृत्व में एक कॉलम ने पहाड़ी के ऊपर से नीचे की तरफ तलाशी अभियान शुरु कर दिया। पूर्वाह्न लगभग 7 बजे जब क्षेत्र की तलाशी चल रही थी, नाले की बायीं और दायीं तरफ से आगे बढ़ने वाले कॉलम आतंकवादियों की भारी गोलीबारी में फंस गए। एस एस पी पुंछ ने तत्काल कार्मिकों को मोर्चा संभालने का निर्देश दिया और भीषण मुठभेड़ शुरु हो गई। छुपने के स्थान का पता लगा लिया गया जो कि नाले की दिवार के पीछे था और बड़े शिलाखंडों के पीछे छुपा हुआ था। गोलीबारी का आदान प्रदान तीन घंटों से अधिक तक चला और पुलिस/ एन सी ए पार्टियों के पास गोलाबारुद कम पड़ गया। उस स्थिति में आपातकालीन कदम उठाने की आवश्यकता थी। एस जी कांस्टेबल परषोत्तम सिंह सं. 143/जे के ए पी 6ठी बटालियन और कांस्टेबल मोहम्मद फैसर संख्या 1081/पी स्वैच्छा से छुपने के स्थान के अंदर हथगोले दागने के लिए वहां गए । दोनों अधिकारियों ने छुपने के स्थान की तरफ रेंगते हुए बढ़ना शुरु कर दिया और उन्हें पुलिस पार्टी द्वारा कवरिंग गोलीबारी प्रदान की गई जिन्होंने शिलाखंडों के पीछे कवर ले रखा था तथा जो किसी भी स्थिति में प्रतिक्रिया करने के लिए सतर्क थे। दोनों अधिकारियों ने छुपने के स्थान के अन्दर हथगोले दागे और दो आतंकवादी

तत्काल भारी मात्रा में गोलीबारी करते हुए छुपने के स्थान से निकल कर भागे। ऐसा ही एक आतंकवादी जिसने छुपने के स्थान की दायीं तरफ नाले की दिवार का कवर लेते हुए भागना शुरु किया, श्री शिव दर्शन सिंह, आई पी एस, एस.एस पी पुंछ की गोलीबारी द्वारा मारा गया। नाले की बायीं तरफ भागने वाला दूसरा आतंकवादी एस पी ओ मोहम्मद शाहिद और एस पी ओ राजेश कुमार की संयुक्त गोलीबारी द्वारा मारा गया। इस अभियान के परिणामस्वरुप सभी तीनों खूंखार आतंकवादी मारे गए जिनकी बाद में पहचान अबू मावीय, हरकत-ए-इस्लामी (एच ई आई) का स्वयं भू प्रभागीय कमान्डर, अबू लेराब (जिला कमांडर) और इब्राहीम उर्फ ड्राइवर। आतंकवादियों के इस ग्रुप ने नाका माजरी क्षेत्र जो पुलिस गुरासी, जिला पुंछ के अधिकार क्षेत्र में आता है की आम जनता में आतंक का माहौल और असुरक्षा की भावना पैदा कर रखी थी। खूंखार आतंकवादी (अबू मावीय) पिछले चार वर्षो से सक्रिय था और वो गुरासी क्षेत्र में कम से कम 19 सिविलियनों और चार सेना अधिकारी/ जवानों की हत्या में शामिल था। वह 18.12.2003 को श्री एस.एम. सहाय, आई पी एस तब के डी आई जी राजौरी/पुंछ क्षेत्र पर घातक हमले में भी शामिल था जिसमें उसके दो पी एस ओ भी मारे गए थे। अभियान की युक्तिपूर्वक योजना बनाई गई थी और इस क्षेत्र के सिविलियनों के जीवन और सम्पत्ति को कोई संपार्शिवक हानि पहुंचाए बिना श्री शिव दर्शन सिंह, आई पी एस, एस पी पुंछ की कमान के अन्तर्गत पुलिस /सुरक्षा बलों द्वारा इसे पेशेवर ढंग से संचालित किया गया।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री शिव दर्शन सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, परषोतम सिंह, चयन ग्रेड कांस्टेबल और मोहम्मद फैसर, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 6 जून, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 51-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री मुकेश चंदर,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

19.6.2005 को, उप निरीक्षक विनय परिहार के नेतृत्व में कमांडो ग्रुप मेंधार की एक टुकड़ी मेंधार शहर के चारों ओर नित्यक्रम की गश्त पर थी। पी एस आई पवन सिंह के नेतृत्व में कमांडो ग्रुप की एक और टुकड़ी पूर्वोत्तर की ओर गश्त हेतु एक सेना की टुकड़ी के साथ थी। लगभग 2115 बजे, एस डी पी ओ के कार्यालय/कमांडो ग्रुप पर हमला करने की चेष्टा में दो फिदायीन मुख्य गेट पर प्रकट हुए। उन्हें कांस्टेबल मुकेश चंदर और एस पी ओ इम्तियाज अहमद और सुनील कुमार ने देख लिया और उन्हें अपनी पहचान बताने के लिए कहा। लेकिन पहचान बताने की बजाय आतंकवादियों ने इन अधिकारियों को लक्ष्य बनाकर गोलियों की बौछार की और ग्रेनेड फेंके। जिसके परिणामस्वरुप कांस्टेबल मुकेश चंदर और 2 एस पी ओ गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी होने के बावजूद अधिकारियों ने कारगर रुप से जवाबी गोलीबारी की और आतंकवादी को एस डी पी ओ के कार्यालय/कमांडो ग्रुप के परिसर के अंदर घुसने से रोका। हमले का कारगर रुप से जवाब देने के कारण फिदायीन शहर की पूर्वोत्तर दिशा की ओर भाग गए जिस रास्ते से वे आए थे। एस पी ओ इम्तियाज अहमद और सुनील कुमार ने अपने जख्मों के कारण दम तोड़ दिया। इसी बीच आतंकवादियों को निष्क्रिय करने हेतु एक अभियान शुरु किया गया। पी एस आई के नेतृत्व वाली पुलिस पार्टी ने उन आतंकवादियों की गतिविधि को देखा जो शिलाखंड के पीछे छिपे हुए थे। भीषण मुठभेड़ हुई जिसमें पी एस आई पवन सिंह द्वारा एक आतंकवादी को मार गिराया गया और दूसरे आतंकवादी, जिसने भागने का प्रयास किया, वह कांस्टेबल मुकेश चंदर द्वारा मार गिराया गया और इस प्रकार से बड़ा हादसा होने से टल गया।

इस मुठभेड़ में, श्री मुकेश चंदर, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 19 जून, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 52-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व श्री

1. **अब्दुल रजाक खान,**
   अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
2. **मोहम्मद असलम,**
   सहायक उप निरीक्षक
3. **मंसूर अहमद,**
   हैड कांस्टेबल
4. **बलबीर सिंह,**
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

10/11-05-2004 को 0030 बजे पुलिस को पंडेक सोरा में आतंकवादियों की गतिविधियों/मौजूदगी के संबंध में सूचना प्राप्त हुई कि वे आतंक पैदा करने तथा उच्च स्तर के कुछ राजनीतिज्ञों/सरकारी अधिकारियों को मारने के लिए श्रीनगर सिटी में एक आत्मघाती हमला करने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना के प्राप्त होने पर, श्री अब्दुल रजाक खान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ओप्स) श्रीनगर तत्काल अपनी टीम के साथ उस स्थान पर पहुँचे और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए उन्होंने उनकी घेराबंदी की। उनकी गतिविधियों को देखने पर, संदिग्ध आतंकवादियों को रुकने हेतु ललकारा गया लेकिन उन्होंने अपने स्वचालित हथियारों से पुलिस पार्टी पर गोलीबारी की और पुलिस पार्टी को अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए हथगोले फैंके। तथापि, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीनगर, ने तत्काल एक रणनीति बनाई और अपने कर्मियों को आतंकवादियों पर लक्ष्य बनाकर हमला करने के लिए पोजीशन लने की सलाह दी। घात बिछाई गई तथा आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले का जवाब श्री अब्दुल राजक खान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ओप्स), श्रीनगर के नेतृत्व वाली संयुक्त टीम, ने दिया जिसकी सहायता सहायक उप निरीक्षक मोहम्मद असलम संख्या 8063 /एन जी ओ, हैड कांस्टेबल मंसूर अहमद संख्या1061/एस, कांस्टेबल बलबीर सिंह संख्या 501/9 वीं जे के ए पी और अन्य कर रहे थे। यद्यपि आतंकवादियों को ऊँचाई पर होने का लाभ था, फिर भी पुलिस पार्टी ने आतंकवादियों पर हमला करने में अत्यधिक वीरता और साहस का प्रदर्शन किया तथा आतंकवादी कमांडर अर्थात् शकील अहमद भट्ट सांकेतिक नाम शकील अंसार निवासी डोडा को मारने में सफल हो गए। घटनास्थल से 01 ए के राइफल, 04 ए के मैगजीन, 64 ए के राऊंड, 1 पाऊच और 2 चीनी ग्रेनेड बरामद किए गए। शकील अहमद भट्ट सांकेतिक नाम शकील अंसारी को हाल ही में खतरनाक उग्रवादी गुट हिजबुल मुजाहिद्दीन का डिप्टी चीफ

ऑपरेशनल कमांडर बनाया गया था और वह अर्द्ध सैनिक बल और पुलिस के विरुद्ध कई आतंकवादी कार्रवाईयों के लिए जिम्मेदार था।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री अब्दुल रजाक खान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मोहम्मद असलम, सहायक उप निरीक्षक, मंसूर अहमद,हैड कांस्टेबल और बलबीर सिंह कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 10 मई, 2004 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 53-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, कर्नाटक पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. एन.श्रीनिधि,
   सर्कल पुलिस निरीक्षक
2. आर.एम. अजय,
   उप निरीक्षक
3. ए.एम. सथीशा,
   सिविल पुलिस कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

चिकमगलुर जिले में नक्सलवादी गतिविधियों को प्रभावपूर्ण ढंग से समाप्त करने के उद्देश्य से, जिला पुलिस अधीक्षक श्री बिजय कुमार सिंह, आई पी एस ने उप अधीक्षक पुलिस, कोप्पा उप-प्रभाग के योग्य पर्यवेक्षण के अन्तर्गत पुलिस निरीक्षकों की अध्यक्षता में 10-15 पुलिस कार्मिकों को शामिल करके 4 टीमें बनाई। उन्होंने कुद्रेमुखा सर्कल पुलिस कार्मिकों को शामिल करके नक्सलवादी विरोधी अभियान दल का नेतृत्व श्री एन. श्रीनिधि को सौंपा।

कर्मठ, युवा और साहसी पुलिस अधिकारी श्री श्रीनिधि ने इस कार्य को एक चुनौती के रुप में लिया और अपने स्टाफ के साथ रात दिन जंगलों और पहाड़ियों को पैदल ही पार किया। उन्होंने जिला शस्त्रागार से 7 एस एल आर प्राप्त करने के लिए पहल करने के पश्चात अपनी टीम को एस एल आर .76 एम एम गोलीबारी का अभ्यास करवाने के लिए संगठित किया। उन्होंने टीम भावना पैदा करने के लिए उनके साथ कई बार क्रिकेट भी खेला। उनके सख्त प्रयास 06.02.2005 को फलदायक सिद्ध हुए।

05.02.2005 शाम को पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप अधीक्षक से सूचना प्राप्त हुई कि 10-15 सशस्त्र नक्सलवादियों का एक समूह मेनासिनहाधया और बालिज गांवों के आस-पास विचरण कर रहा है और वे उन गांवों के आस-पास मकान में रुके हो सकते हैं। रात्रि में ही विभिन्न स्थानों पर घेराबंदी करने के लिए निर्देश दिए गए और कहा गया कि प्रात:काल में नक्सलवादियों की आवाजाही का अवलोकन करने के पश्चात ही उनको पकड़ना चाहिए। वे आर.एम. अजय, प्रोब.पी एस आई और अन्य स्टाफ के साथ लगभग 11:30 बजे कलासा से निकले और सुबह तड़के लगभग 3:00 बजे बालिज के पास विगनेश्वर कट्टे पहुंचे। उन्होंने अपनी टीम को नक्सलवादियों को पकड़ने और उनके निर्देशों के बिना गोलीबारी न करने तथा उनकी स्वंय की आत्म-रक्षा के अलावा गोलीबारी शुरु न करने का निर्देश दिया। अन्य टीमों ने भी इस टीम से लगभग 4-5 किलोमीटर के अंदर पुलिस उप अधीक्षक कोप्पा के नेतृत्व में विभिन्न स्थानों और दिशाओं में मोर्चा संभाल लिया। प्रात: लगभग 04:15 बजे, पुलिस उप अधीक्षक कोप्पा जोकि मेनासिनहाधया गांव की दूसरी तरफ थे, ने कुत्ते के भौंकने के पश्चात कुछ टार्च की रोशनी की हरकत को देखा। उन्होंने श्रीनिधि और अन्य टीमों से इस बारे में पूछताछ की। पुलिस उप अधीक्षक कोप्पा ने दुबारा 3-4 टार्चों की रोशनी की हरकत को देखा और उन्होंने दुबारा श्रीनिधि और अन्य टीम से पूछताछ की। परन्तु श्रीनिधि और उनकी टीम किसी टार्च की किसी हरकत को देख नहीं सकी। श्रीनिधि ने इसके बारे में अपनी टीम को सतर्क कर दिया। उस समय तक पुलिस उप अधीक्षक कोप्पा ने देखा कि टार्च की रोशनी उस घेराबन्दी की तरफ बढ़ रही है जहां श्रीनिधि और उनकी टीम उपस्थित है। कुछ समय पश्चात, अचानक एक के बाद एक 8-10 टार्चों की रोशनी पंक्ति में अंधेरे की काली पृष्ठभूमि में उभरी और रोशनी लगभग घेराबंदी बिन्दु की तरफ बढ़ रही थी। कुछ समय पश्चात, जब वे घेराबंदी बिन्दु से लगभग 200-250 गज की दूरी पर थे, टार्च की वह रोशनी बंद हो गई और कोई हरकत नहीं देखी गई। इसे पुलिस उप अधीक्षक को बता दिया गया और श्रीनिधि और उनकी टीम द्वारा क्षेत्र पर पैनी नजर रखी गई।

इसी बीच क्षितिज पर भोर होने से पूर्व की लालिमा का कुछ प्रकाश गहरे कोहरे के बीच से उभर रहा था। प्रात:काल लगभग 6.00 बजे श्रीनिधि और उनकी टीम ने धीरे-धीरे उस स्थान की तरफ बढ़ना शुरु किया जहां टार्च की रोशनी बंद हो गई थी। श्री श्रीनिधि टीम के आगे थे और आर.एम. अजय पंक्ति में उनके पीछे थे। जब वे उस स्थान की तरफ लगभग 100-150 गज आगे बढ़े होंगे और प्रात: लगभग 06:15 बजे अचानक गोलीबारी की आवाज हुई और एक गोली श्रीनिधि के सिर के बांयी तरफ लगी। तत्काल, श्रीनिधि ने स्टाफ को लेटकर मोर्चा संभालने के लिए सतर्क किया और तब उन्होंने भी लेटते हुए मोर्चा संभाला। नक्सलवादियों ने नक्सलवादी नारों के साथ इस टीम पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। इसी समय, श्री एन. श्रीनिधि ने गोलीबारी शुरु करने में अदम्य साहस दिखाया और उनको गोली लगने के पश्चात उन्होंने अपनी टीम को नक्सलवादियों पर गोली चलाने का आदेश दिया और अपनी टीम के कार्मिकों की सुरक्षा के लिए नि:स्वार्थ गोलीबारी करते हुए खड़े रहे। नक्सलवादियों पर गोलबारी करते समय वे नक्सलवादियों द्वारा की जा रही गोलीबारी में ए के-47 की गोली का दुबारा शिकार हुए जब वे आत्मरक्षा में गोलीबारी कर रहे थे। चूंकि वे आगे गोलीबारी करने में असमर्थ थे इसलिए उन्होंने अपना हथियार श्री आर.एम. अजय, प्रोब.पी एस आई को सौंप दिया और उनको टीम का नेतृत्व करने के लिए कहा और बाद में उनको अस्पताल भेज दिया गया।

नक्सलवादी नारे लगा रहे थे और हथगौले फैंक कर विरोधियों को चुनौती दे रहे थे और हथगौले टीम से 10 फीट के अंदर-अंदर फटे। जब ए.एम. सतीशा अपनी राइफल में अतिरिक्त मैगजीन लगा रहे थे, ए के 47 की एक गोली उनकी एस एल आर की ट्रिगर गार्ड पर लगी। वे उस गोली से बाल-बाल बचे। इसी बीच ए.एम. सतीशा, सी पी सी 110 को हँसली और दांयी जांघ में छर्रे लगे और उन्हें भी अस्पताल भेज दिया गया।

बाद में श्री आर.एम. अजय, प्रोब.पी एस आई ने बिना घबराए उस स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया दिखाते हुए टीम सदस्यों को प्रोत्साहित किया और वास्तविक लड़ाई में सक्रिय रुप से भाग लिया। गोलीबारी का आदान-प्रदान लगभग 30 मिनट तक चला और वे पुलिस टीम की तरफ हथगौले फैंक रहे थे। उसी समय दोनों तरफ से गोलीबारी कम हो गई और 30-35 मिनट के पश्चात अन्ततः बंद हो गई। जब पुलिस उप अधीक्षक के आगमन के पश्चात पुलिस पार्टी आगे बढ़ी, उनको दो नक्सलवादियों के शव और ए के-47 राइफल, एक एस बी बी एल बंदूक, ए के-47 की 43 जैव गोलियों सहित 3 मैगजीन, गोला बारुद और अन्य सामान बरामद हुए। पुलिस पर अंधाधुंध गोलीबारी करने के पश्चात 10-12 नक्सलवादी जंगल में भाग निकले। ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी मारे जा सकते थे।

बाद में शवों की पहचान प्रेम उर्फ साकेत राजन उर्फ अमरनाथ उर्फ एस एस जालान उर्फ फोसले साकेत राजन, खूंखार नक्सलवादी नेता और पीपल वार ग्रुप कार्यकर्ता के रूप में की गई जो आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक पुलिस की वांछित सूची में था और बैंक डकैती (बालागनुर पुलिस स्टेशन सी आर सं. 50/89 आई पी सी की धारा 395 के अंतर्गत) सहित कई अपराधिक मामलों में भी मुख्य अपराधी था और दूसरे की पहचान शिवलिंगा, रायचुर के अन्य नक्सलवादी के रुप में की गई।

श्री एन.श्रीनिधि, सर्कल पुलिस निरीक्षक, कुद्रेमुख सर्कल ने नक्सलवादियों की बंदूक की गोली लगने के पश्चात गोलीबारी शुरु करके अदम्य साहस प्रदर्शित किया और वे अपनी टीम के कार्मिकों की सुरक्षा के लिए निःस्वार्थ रुप से गोलीबारी करते रहे। उन्होंने कर्त्तव्य को स्वंय से ऊपर रखा और आगे बढ़कर टीम का नेतृत्व करते हुए उच्चतम पराक्रम का परिचय दिया।

श्री आर.एम. अजय ने हालांकि परिवीक्षाधीन पी एस आई होने के बावजूद समयपूर्वक प्रतिक्रिया के रुप में अदम्य साहस और पराक्रम और व्यावसायिक कौशल का परिचय दिया और स्वंय से ऊपर कर्त्तव्य को रखते हुए अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए अपने कार्मिकों की सुरक्षा हेतु अपने जीवन से भयभीत हुए बिना गोलीबारी की और टीम का नेतृत्व किया।

श्री ए.एम. सथीशा ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश प्राप्त होने के पश्चात बिना हिचकिचाए अपने कार्मिकों के हित में अपने जीवन से भयभीत हुए बिना, साहसपूर्वक और बहादुरी से कार्रवाई की और छर्रों द्वारा घायल होने के बाद भी अदम्य साहस का परिचय दिया।

श्री श्रीनिधि और उनकी टीम अपने जीवन को जोखिम में डालकर और अनूठे साहस का परिचय देते हुए नक्सलवादियों को काबू करने में सफल रही। यदि श्री श्रीनिधि, पुलिस निरीक्षक, श्री आर.एम. अजय, प्रोब.पी एस आई और श्री ए.एम. सथीशा, पुलिस कांस्टेबल और अन्य स्टाफ को शामिल करके ऐसी समर्पित और योग्य युवा टीम का साहसपूर्ण और पराक्रमपूर्ण कृत्य न होता तो काफी खून खराबा होता और जीवन हानि होती। इस गोलीबारी के पश्चात, चिकमगलुर जिले में नक्सलवादी गतिविधियां, नियंत्रणाधीन हैं। इन संस्तुत कार्मिकों द्वारा प्रदर्शित साहसपूर्ण कृत्य उच्च श्रेणी का है और कर्त्तव्य के पालन के समय अपने जीवन की परवाह न करने के इस पराक्रमपूर्ण कार्य को मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री एन.श्रीनिधि, सर्कल पुलिस निरीक्षक, आर.एम. अजय, उप निरीक्षक और ए.एम. सथीशा, सिविल पुलिस कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 6 फरवरी, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 54-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, कर्नाटक पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. बी.के. शिवराम,
   सहायक पुलिस आयुक्त
2. वाई.सी. नगन्ना गौडा,
   पुलिस उप निरीक्षक
3. बी.सी. रुद्रमूर्ति,
   हैड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

बैंगलौर शहर का खूंखार गुण्डा नसरु और उसका गिरोह बैंगलोर में लूटपाट, डकैती, अपहरण, लूटखसोट आदि की कई घटनाओं में शामिल था और वे गिरफ्तारी से बच रहे थे। वे आई पी सी की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत माइको लेआउट पुलिस स्टेशन में दर्ज नृशंस हत्या के एक मामले अपराध सं. 226/2005 में भी संलिप्त थे जिसमें उन्होंने दिन दहाड़े घातक हथियारों के साथ शफी नामक व्यक्ति का पीछा किया और गुरापनपलया स्थित एक मस्जिद के सामने ईद के दिन उसकी नृशंस हत्या कर दी। इस घटना ने उस इलाके में तनाव उत्पन्न कर दिया था। श्री बी.के. शिवराम, सहायक पुलिस आयुक्त और उनके अधिकारियों तथा स्टाफ ने नसरू और उसके गैंग के बारे में पता लगाने संबंधी सूचना एकत्र करने के लिए मुखबिरों को तैनात किया। 6.5.2005 को रात्रि लगभग 10.00 बजे श्री बी.के. शिवराम को सूचना प्राप्त हुई कि उक्त गुंडा और उसके गिरोह के सदस्य बैंगलोर ग्रामीण जिले अनेकल में के ए 0 4 ए 8926 संख्या की पलसर मोटर साईकिल पर घूमते हुए देखे गए हैं और उसने अनेकल में कहीं घर ले रखा है। श्री बी.के. शिवराम, सहायक पुलिस आयुक्त ने तत्काल अपने अधिकारियों अर्थात् पुलिस निरीक्षकों श्री रेवन्ना, श्री एस.के. उमेश, श्री नन्जुन देगौडा और श्री रत्नाकर शैट्टी; पुलिस उप निरीक्षक श्री नगन्ना गौडा, सहायक उप निरीक्षक श्री हनुमानथैया और स्टाफ को अपने कार्यालय में बुलाया, उनके साथ चर्चा की और नसरु और उसके गैंग का पता लगाने और उनको गिरफ्तार करने के लिए रणनीति तैयार की। तदनुसार मुखबिर की सहायता से लगभग रात 11.30 बजे वे अनेकल आएं, घर का पता लगाने के लिए अनेकल शहर की सभी गलियों और उप गलियों में व्यापक तलाशी की। अन्ततः वे पलसर मोटर साईकिल सं. के ए 0 4 ए 8926 का पता लगाने में सफल रहे जो बुनकरों की कॉलोनी, इन्दिरा नगर, अनेकल शहर में छोटी

उप-गली में स्थित घरों के झुड के ब.ध स्थित एक घर के सामने खड़ी थी। श्री बी.के. शिवराम ने तत्काल घरों में रहने वालों को जगा दिया तथा पलसर मोटर साईकिल के बारे में उनसे पूछताछ की। एक श्री सोमशेखर पुज स्वर्गीय जी. हनुमानथप्पा ने उनको बताया कि मोटर साईकिल उन व्यक्तियों की है जिन्होंने हाल ही में घर किराए पर लिया है। चूंकि यह सूचना विश्वनीय थी कि उक्त पलसर मोटरसाईकिल का इस्तेमाल नसरु और उनके गिरोह द्वारा किया जा रहा है, इसलिए श्री बी.के. शिवराम और उनके अधिकारियों ने छुपने के स्थान को चारों और से घेरने के लिए छुपने के स्थान के आस-पास स्थित मकानों के निवासियों को जगाने का प्रयास किया। श्रीमती जयअम्मा पत्नी स्वर्गीय हनुमानथप्पा ने ए सी पी को बताया कि अगले घर (छुपने के स्थान) में रहने वाले व्यक्ति मुस्लिम हैं और वे इस महीने की 2 तारीख को ही आए हैं। इसने इस संदेह की पुष्टि कर दी कि नसरू और उनका गिरोह उस स्थान पर छुपा हुआ है। उनको भागने से रोकने के लिए, उन्होंने घर के सामने सड़क पर श्री रेवन्ना, पुलिस निरीक्षक और 1 हैड कांस्टेबल और 1 पुलिस कांस्टेबल को तैनात किया गया; श्री ननजुनदेगौडा, पुलिस निरीक्षक और एक पुलिस कांस्टेबल को घर के बांयी तरफ तैनात किया; श्री एस.के. उमेश, पुलिस निरीक्षक और 3 पुलिस कांस्टेबलों को घर के दांयी तरफ तैनात किया गया। यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, श्री बी.के. शिवराम, ए सी पी, पुलिस निरीक्षक श्री रत्नाकर शेट्टी; पुलिस उप निरीक्षक श्री नगन्ना गौडा, सहायक उप निरीक्षक श्री हुनमानथैय्या; हैड कांस्टेबल रुद्रामूर्ति और पुलिस कांस्टेबल सुरेश के साथ छुपने के स्थान के मुख्य द्वार के निकट आए और दरवाजे पर दस्तक दी और वहां रहने वालों से दरवाजा खोलने के लिए कहा। एक व्यक्ति ने अंदर से हिन्दी में पूछा कि कौन है। श्री बी.के. शिवराम ने अपना परिचय दिया तथा अन्दर के व्यक्ति को लाइट जलाने और दरवाजा खोलने के लिए कहा। घर के अंदर लाइट जला दी गई थी। श्री बी.के. शिवराम ने खिड़की के जरिए तत्काल अंदर झांका और घर के भीतर नसरु और उसके साथी वसीम (माइको लेआउट पुलिस स्टेशन के हत्या के मामले में भी संलिप्त) को पाया। श्री शिवराम ने तत्काल उनको बताया कि वे माइको लेआउट पुलिस स्टेशन में सूचित हत्या के मामले में संलिप्त भागे हुए अभियुक्त हैं और उनको दरवाजा खोलने और पुलिस को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। तत्काल नसरू जिसने दरवाजा खोला था, अपनी लम्बी तलवार (छुरा) चलाते हुए बाहर की तरफ दौड़ा और उसने श्री रत्नाकर शेट्टी, पुलिस निरीक्षक की गर्दन पर वार कर दिया जोकि दरवाजे के पास खड़े थे। इसके परिणामस्वरुप श्री रत्नाकर शेट्टी का खून बहने लगा और वे घायल हो गए। नसरु ने अपने साथियों को किसी भी पुलिस-अधिकारी को जिन्दा न छोड़ने की चेतावनी भी दी। तत्काल वसीम ने हैड कांस्टेबल रुद्रामूर्ति पर अपनी दरांती निकाल ली, वे भी दरवाजे के समीप खड़े थे। हैड कांस्टेबल, जिसने हमले को भांप लिया था, अपना हाथ आगे कर दिया, उनके हाथ पर चोट पहुंची और खून बहने लगा। श्री रत्नाकर शेट्टी जो घायल हो गए थे, जमीन पर गिर पड़े। चूंकि यह सब पल भर में ही हो गया, श्री बी.के. शिवराम ने उस गुंडे और उसके गिरोह के सदस्यों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। ए सी पी द्वारा दी गई चेतावनी की परवाह न करते हुए नसरु, जोकि खून से सनी तलवार अपने हाथ में लेकर खड़ा था, ने सहायक उप निरीक्षक श्री हनुमानथैय्या के सिर पर हमला कर दिया। जैसे ही श्री हुनमानथैय्या ने भागने की कोशिश की वह उनके हाथ पर लगी। उनके हाथ पर भी चोट पहुंची और खून बहने लगा। इसी समय पुलिस अधिकारियों के जीवन की रक्षा करने के लिए और आत्मसुरक्षा में श्री बी.के. शिवराम ने अपनी सर्विस रिवाल्वर से वसीम पर एक राउन्ड गोली चलाई और पुलिस निरीक्षक श्री ननजुनदेगौडा ने नसरु पर एक राउन्ड गोली चलाई। गोली से घायल होने के बाद भी नसरु और उसका साथी वसीम आगे बढ़ते रहे। उसी समय, श्री एस.के. उमेश, पुलिस निरीक्षक ने नसरु और वसीम पर एक-एक, कुल 2 राउन्ड गोली चलाई। तब वसीम और नसरु गोली से घायल होने के कारण जमीन पर गिर पड़े। तत्काल नसरु के 2 अन्य साथी अपनी तलवारों के साथ घर से बाहर निकले।

तथापि, उनको काबू में कर लिया गया और हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने अपने नाम जफरु और प्रेम बताए। नसरु 07.05.2005 को रात्रिकाल में 02:45 बजे घटनास्थल पर ही मारा गया और वसीम अभी भी जिन्दा है। उसको उपचार के लिए विक्टोरिया अस्पताल भेजा गया। घायल पुलिस अधिकारियों श्री रत्नाकर शेट्टी, पुलिस निरीक्षक, श्री नगन्ना गौडा, पुलिस उप निरीक्षक, श्री हनुमानथैय्या, सहायक पुलिस निरीक्षक और श्री रुद्रामूर्ति, हैड कांस्टेबल को भी उपचार के लिए सागर अपोलो अस्पताल भेजा गया। घटनास्थल से 4 तलवारें, 3 गंडासे, एक मोबाइल फोन और एक बजाज पलसर मोटर साईकिल बरामद की गई।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री बी.के. शिवराम, सहायक पुलिस आयुक्त, वाई.सी. नगन्ना गौडा, पुलिस उप निरीक्षक और बी.सी. रुद्रमूर्ति, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7.5.2005 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 55-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

(1) बी. लुन्थांग वैफई,
उप निरीक्षक

(2) टी एच. सुधीर सिंह
जमादार

(3) अथीशो डेविड चलई,
हवलदार

(4) एल. समनंदा सिंह,
राइफलमैन

(5) एस. बोइपू वैफई
राइफलमैन

(6) थोंगबैम देवन सिंह,
राइफलमैन

(7) दैंगसावा मैथ्यू मारिंग,
राइफलमैन

(8) एस. प्रेमजीत सिंह,
राइफलमैन

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

23.01.2006 को दोपहर लगभग 3.30 बजे, उप निरीक्षक बी. लुनथांग वैफई को एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि गैर कानूनी संगठन पीपल लिब्रेशन आर्मी (पी एल ए) से संबंध रखने वाले भूमिगत तत्व उक्त क्षेत्र में तैनात सुरक्षा बलों पर हमला/घात लगाकर हमला करने की मंशा से वेंगू बाजार और कुम्बी क्षेत्र के सामान्य क्षेत्रों के आसपास छिपे हुए हैं। उक्त विश्वसनीय सूत्र की सूचना प्राप्त होने पर, एस.आई.बी. लुनथांग वैफई के नेतृत्व में बिश्नुपुर जिले के कमांडो का संयुक्त बल और सागैंग 7वीं असम राइफल्स चौकी के मेजर जितेन्द्र कुमार के अंतर्गत जमादार टी एच. सुधीर सिंह और 7वीं असम राइफल्स कर्मियों को संगठित किया गया और उन्हें चार समूहों में विभाजित करके उन्होंने वांगू बाजार क्षेत्र में जाम: तलाशी और जांच की। उन्होंने क्षेत्र की चुनिंदा जगहों पर तलाशी अभियान भी चलाया। दोपहर लगभग 4.00 बजे, जब वांगू बाजार में संयुक्त बल जांच करने और तलाशी करने में व्यस्त था तभी एक सफेद टाटा सूमो वाहन, जिसका बाद में संपुष्टि हुआ पंजीकरण नंबर एम एन-01 के/4582 था और जिसमें चार अज्ञात पुरुष सवार थे, उसे वांगू बाजार की तरफ वांगू खुनजाओ सड़क के साथ-साथ उत्तरी दिशा की ओर आते देखा गया और वह उसी क्षेत्र/स्थल की ओर आ रही जहां उप निरीक्षक बी. लुनथांग वैफई के नेतृत्व में कमांडो टीम आने-जाने वालों की जाम: तलाशी और जांच कर रही थी। उप निरीक्षक बी. लुनथांग वैफई ने सुरक्षा जांच हेतु वाहन को रुकने का संकेत दिया। तथापि, वाहन रुकने की बजाय तेजी से वांगू पुल की ओर तेज गति से दौड़ा। तत्काल, उस वाहन में मौजूद लोगों ने टाटा सूमो के पीछे की विंड शील्ड से वाहन के अंदर से कमांडो पर अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए गोलीबारी शुरु कर दी जिससे कमांडो वाहन की मारुती जिप्सी नंबर एम एन-आई ए/8220, के सामने की विन्ड शील्ड को काफी नुकसान पहुंचा। इस प्रकार, गाड़ी में बैठे चार अज्ञात सशस्त्र लोग उसी वाहन (टाटा सूमो) को पूर्व में वांगो पुल को पार करके वांगो सैन्डैंगखोंग की ओर तेजी से भाग रहे थे। तत्काल, कमांडो अपने वाहन में सवार हो गए और उन्होंने भाग रहे सशस्त्र तत्वों को रोकने के दृढ़ संकल्प के साथ गोलीबारी करते हुए टाटा सूमो का पीछा किया। रास्ते में, उप निरीक्षक बी. लुन्थांग वैफई ने सूचना कमांडो नियंत्रण कक्ष को भेज दी, जिन्होंने वह सूचना पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बिश्नुपुर जिला को भेज दी, जिन्होंने उस क्षेत्र में और अधिक कुमुक भी भेज दी। वेंगो पुल से लगभग 1 कि.मी. तक पीछा करने के पश्चात दोपहर लगभग 4.15 बजे कमांडो टीम सैन्डैंगखोंग पुंगाजाओ माखोंग एल.पी. स्कूल के नजदीक अपने सर्विस ए के-47 राइफल्स से गोलीबारी करके टाटा सूमो के पिछले टायर में हवा निकाल के उसे रोकने में सफल हो गई। तत्काल बाद, सशस्त्र लोगों में से दो लोग, जिनमें से एक के पास ए के-47 राइफल और दूसरे के पास लिथोड लांचिंग गन थी, सैन्डैंगखोंग पुंगाजाओ माखोंग के एक नोंगथोम्बाम अंगो सिंह के वासभूमि क्षेत्र के सूखे गड्डे की तरफ टाटा सूमो के सीधी तरफ से कूद गए, जबकि टाटा सूमो के अंदर मौजूद शेष दो सशस्त्र व्यक्तियों ने कमांडो की तरफ ए के-47 राइफल से गोलीबारी जारी रखी। तत्काल कमांडो ने एक दूसरे को डब्ल्यू/टी सेट से संदेश भेजकर अपने को तीन ग्रुपों में विभाजित कर लिया और उन दो सशस्त्र युवकों को घेर लिया जो अभी भी वाहन (टाटा सूमो) के भीतर थे और जो पहले ही टाटा सूमो के दायीं तरफ कूद गए थे। (प्रथम बटालियन मणिपुर राइफल्स) का राइफल सं. 0697240 नेरन्जम समनन्दा सिंह, कमांडो/बिश्नुपुर के साथ उप निरीक्षक लुन्थैंग वेफई नीचे कूद गए और वे जल-निकास (नाले) के साथ दायीं तरफ जमीन पर गिरे तथा उन्होंने उन सशस्त्र युवकों का प्रत्यक्ष रुप से सामना किया जिनके पास लिथोड लांचिंग गन थी। कमांडो को देखने पर, उन युवकों ने कमांडो पर लिथोड बम का एक राउंड चलाया। हालांकि वह बम नहीं फटा। इस महत्वपूर्ण समय में, एक युवक अपना लिथोड बम रीलोड करने का प्रयास कर रहा था। उप निरीक्षक लुनथांग वेफई और राइफलमैन एल. समनंदा सिंह ने दृढ़ता के साथ अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना तत्काल

उस युवक पर हमला बोल दिया। कुछ ही पलों में, दोनों ने अपनी सर्विस ए के-47 राइफलों से निरंतर गोलीबारी करके सशस्त्र युवक पर धावा बोल दिया और उस युवक को उसके द्वारा बम को रीलोड किए जाने से पहले ही मार गिराया। इस प्रकार इस युवक की पहचान सलाम सन्थोम्बा उर्फ जयंता उर्फ इन्द्रजीत सिंह (23), थंगलावई सबल लेकई के पुत्र एस. थोईबा सिंह के रुप में की गई जिसे घटनास्थल (वाहन अर्थात टाटा सूमो के पश्चिमी तरफ पर एक सूखे नाले में) पर मार गिराया गया। मृत युवक की कमर की बेल्ट के चारों ओर लपेटे हुए 6 लीथोड बमों के साथ-साथ एक लीथोड लांचिंग गन बरामद की गई। वह उन अभियुक्तों में से एक अभियुक्त था जिसने 31.12.2005 को श्री टी. थंगथुअम, भारतीय पुलिस सेवा पुलिस महानिरीक्षक (इंट), मणिपुर और उसके मार्गरक्षी को मार दिया था और जिसकी अभियुक्तों में से एक अभियुक्त के रुप में पहचान की गई जो न्यायिक हिरासत में था। दूसरी ओर, असाधारण कर्त्तव्य भावना से प्रेरित होकर, टीम जिसका नेतृत्व जमादार, टी एच. सुधीर सिंह, एस. बोइपू वैफई और सिनाम प्रेमजीत सिंह, कमांडो/बिश्नुपुर कर रहे थे, और जो उप निरीक्षक लुन्थैंग के वाहन के थोड़ी पीछे से ही आ रहे थे, सड़क के बांयी तरफ कूद गए और रेंगतें हुए आगे बढ़े तथा उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की जरा सी भी परवाह न करते हुए दो सशस्त्र युवकों के विरुद्ध, जो ए के-राइफलों से टाटा सूमो के अंदर से कमांडो की तरफ निरंतर गोलीबारी कर रहे थे, बहादुरी से गोलीबारी की। भीषण गोलीबारी के दौरान, जमादार टी एच. सुधीर सिंह, राइफलमैन एस. बोइपु वेफई और राइफलमैन सिनाम प्रेमजीत सिंह, कमांडो/बिश्नुपुर ने अपनी व्यक्तिगत जान को जोखिम में डालते हुए घटनास्थल पर ही दो सशस्त्र युवकों को मार गिराया। मारे गए दो युवकों की बाद में (i) लैमशैंग बाजार के खेदम मेमु सिंह उर्फ नोंगजु (24 वर्ष) पुत्र (एल) के एच. बीरा सिंह, पीपल्स लिब्रेशन आर्मी (पी एल ए) का स्वंभू कॉरपरल और गोलाबारुद के 10 सजीव राउंड से भरी एक मैगजीन युक्त ए के-47 राइफल बरामद की गई। (ii) टैंगजैंग सबल लेकई के मौइरैंगथैम हीरामणी सिंह उर्फ मोचा (32 वर्ष), पुत्र (एल) एम. पूर्णा सिंह, पी एल ए के लड़ाकू ग्रुप के एक कट्टर सदस्य और एक मैगजीन के साथ-साथ एक ए के-47 राइफल बरामद की गई, के रुप में पहचान की गई। बेहतर पोजीशन में होने के बावजूद सशस्त्र युवक राइफलमैन थोंगबैम देबन सिंह के साथ-साथ हवलदार अथीशो डेविड चलई पर भारी पड़ रहे थे और राइफलमैन दैंगसावा मैथ्यू मारिंग पोजीशन से चतुराईपूर्ण ढंग से जमीन पर लेटते हुए और बहादुरी के साथ आगे रेंगते हुए उन सशस्त्र युवकों की ओर बढ़े जो लोबुक (एल ओ यू बी यू के) (धान के खेत) के लौरी (रिज) के पीछे पोजीशन लिए हुए थे। युवकों के लाभप्रद स्थिति में होने के बावजूद, हवलदार अथीशो डेविड चलई ने राइफलमैन थोंगबैम डेबन सिंह और राइफलमैन दैंगसावा मैथ्यू मारिंग के साथ मिलकर सशस्त्र युवकों पर धावा बोल दिया। अंत में, अब कमांडो सशस्त्र युवक को मार सकते थे और उसे उन्होंने घटनास्थल (धान के खेत) पर मार गिराया। मारे गए उग्रवादी की बाद में निंगोमबैन राजू सिंह (26 वर्ष), हाओरेबी मखा लेखई (पी एल ए का कट्टर उग्रवादी) के पुत्र नित्य सिंह के रुप में पहचान की गई और मारे गए पी एल ए उग्रवादी से 14 सजीव राउंड गोलाबारुद से भरी एक मैगजीन युक्त एक ए के-47 राइफल बरामद की गई। इस प्रकार से इस भीषण मुठभेड़ में, यू.जी. गुट के एक स्वंभू कॉरपरल सहित "पीपल्स लिब्रेशन आर्मी" (पी एल ए) के चार कट्टर उग्रवादी मारे गए और उनसे निम्नलिखित शस्त्र और गोलाबारुद बरामद किया गया।

(i) एक ए के-56 राइफल

(ii) दो ए के-47 राइफल

(iii) एक लीथोड लांचिंग गन

(iv) ए के गोलाबारुद के 24 सजीव राऊंड

(v) ए के-राइफल की 3 मैगजीन

(vi) 6 लीथोड बम

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री बी. लुन्थांग वैफई, उप निरीक्षक, टी एच. सुधीर सिंह, जमादार, अथीशो डेविड चलई, हवलदार, एल. समनंदा सिंह, राइफ़लमैन, एस. बोइपू वैफई, राइफलमैन, थोंगबैम देवन सिंह, राइफलमैन, दैंगसावा मैथ्यू मारिंग, राइफलमैन और एस. प्रेमजीत सिंह, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 23 जनवरी, 2006 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 56-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, राजस्थान पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री सुरेश चन्द्र मीणा,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

8.4.2003 को श्री एस सी मीणा, कांस्टेबल बेल्ट सं. 137, जो सर्किल ऑफिसर सिटी वेस्ट उदयपुर के साथ कमांडो के रुप में तैनात थे, पुलिस स्टेशन हाथीपोल, जिला उदयपुर के दैनिकी रजिस्टर में नोट सं. 47/8.4.2003 के अनुसार सरकारी ड्यूटी के लिए डुंगरपुर गए थे। डुंगरपुर में अपनी ड्यूटी पूरी करने के पश्चात श्री मीणा 10.4.2003 की रात को अहमदाबाद-दिल्ली मेल द्वारा वापिस उदयपुर जा रहे थे। डुंगरपुर रेलवे स्टेशन से चलने के 30 मिनट के पश्चात अर्थात कोटाना और ऋषभदेव रेलवे स्टेशनों के बीच कांस्टेबल ने उस रेल के डिब्बे के दूसरे हिस्से में, जिसमें वह यात्रा कर रहे थे, मदद के लिए चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनी। कांस्टेबल मीणा तत्काल उस जगह पहुँचे और उन्होंने देखा कि कुछ मास्क पहने डकैत लूटपाट कर रहे थे और वे यात्रियों से धन और कीमती सामान लूट रहे थे तथा उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे थे। डकैतों की संख्या 5-6 के लगभग थी और वे सभी आग्नेयास्त्रों और चाकुओं से लैसे थे। अपनी जान की परवाह न करते हुए कांस्टेबल मीणा निहत्थे डकैतों पर कूद पड़े और उनमें से एक को पकड़ लिया। उस डकैत के गिरोह के अन्य साथियों ने अपने साथी को कांस्टेबल से छुड़ाने के लिए आग्नेयास्त्रों, चाकू और सूखी लाल मिर्च पाऊडर का इस्तेमाल किया। डकैतों में से एक ने कांस्टेबल मीणा पर गोली चलाई जिससे वह दिल के नजदीक छाती में गोली लगने से घायल हो गए। तथापि, उन्होंने डकैत पर से अपनी पकड़ ढीली नहीं की। इसी बीच डकैतों के गिरोह के अन्य तीन सदस्य गैंग के एक सदस्य द्वारा चेन खींचने के कारण धीमी हुई ट्रेन का लाभ उठाते हुए, डिब्बे से बाहर कूद गए। पुन: श्री मीणा ने अपनी छाती में से तेजी से बहते रक्त की परवाह न करते हुए और पहले डकैत को दबोचने के पश्चात, बच कर भाग रहे अन्य डकैतों को पकड़ने के लिए चलती रेल से बाहर कूद गए। डकैतों ने उन पर पुन: चाकू से और सूखी लाल मिर्च का पाऊडर फेंकते हुए हमला किया लेकिन उन्होंने एक और डकैत को काबू में कर लिया और उसे सुरक्षित उसी डिब्बे में ले गए। ज्यादा रक्त बह जाने के कारण वे शेष डकैतों का पीछा नहीं कर सके लेकिन उन्होंने घटनास्थल से आग्नेयास्त्र और कुछ सूखी लाल मिर्च का पाऊडर एकत्र किया। उनकी

हालत बिगड़ती जा रही थी क्योंकि उन्हें चिकित्सा सहायता की सख्त आवश्यकता थी। रेल के यात्रियों ने रेल को नजदीक के रेलवे स्टेशन तक चलने के लिए जोर दिया जहां वे कुछेक यात्रियों की मदद से डकैतों के लिए पुलिस की हिरासत सुनिश्चित कर सकते थे और अपनी छाती में लगी गोलियों को निकालने के लिए चिकित्सा सहायता प्राप्त कर सकते थे। तथापि, उनकी नाजुक स्थिति के कारण उन्हें उदयपुर में एम बी कॉलेज हॉस्पिटल में भेजा गया जहां वे लंबे उपचार के पश्चात ठीक हुए और उसके बाद ठीक होने पर वे ड्यूटी पर गए। कांस्टेबल एस.सी. मीणा बेल्ट सं. 137 की बहादुरी पूर्ण इस कार्रवाई से कुछ विदेशी पर्यटकों सहित बड़ी संख्या में यात्रियों की जान-माल की रक्षा हुई और उन्होंने उनकी ड्यूटी के प्रति समर्पण की भावना की भूरि-भूरि प्रशंसा की। कांस्टेबल द्वारा पकड़े गए डकैतों पर मुकद्दमा चलाया गया और उन्हें सात वर्ष की सजा दी गई और उन पर 21,000/-रु. का जुर्माना लगाया गया। सेशन न्यायाधीश अजमेर के न्यायालय ने अपने निर्णय में कांस्टेबल की बहादुरी की प्रशंसनीय कार्रवाई का विशेष रुप से उल्लेख किया और उन्हें सिद्धदोषियों के जुर्माने से 10,000/-रु. का नकद पुरस्कार देने का निर्णय दिया।

इस मुठभेड़ में, श्री सुरेश चन्द्र मीणा, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 10 अप्रैल, 2003 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 57-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. फर्मूद अली पुंडीर,
   उप निरीक्षक
2. राकेश कुमार यादव,
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

श्री एन पी सिंह, सी ओ सिटी प्रथम, अलीगढ़ को 25.4.05 को एक व्यक्ति नामत: इस्लाम से एक लाइसेंसी रिवाल्वर के साथ-साथ 4000/-रु. की लूटपाट की सूचना आर टी सेट से प्राप्त हुई। श्री एन पी सिंह ने सभी संबंधित पुलिस स्टेशनों को हीरो होंडा मोटरसाईकल का प्रयोग करते हुए अपराधियों की खोज करने का अनुदेश दिया। श्री एन पी सिंह अपने वाहन में गोंडा मार्ग जाने के लिए तलासपुर पुलिया की ओर बढ़े। श्री एन पी सिंह ने दो युवकों, जिन पर अपराधी होने का संदेह प्रतीत होता था, को एक मोटरसाईकल से आते देखा और उन्होंने श्री एन पी सिंह के वाहन की नीले रंग की लाइट को देखने पर अपनी मोटरसाईकल तेजी से वापिस मोड़ ली। श्री सिंह ने सी सी आर को स्थिति की सूचना देते हुए उनका पीछा किया। श्री सिंह ने भाग रहे अपराधियों को उच्च स्वर में रुकने के लिए

ललकारा लेकिन अपराधियों ने श्री सिंह को मारने की मंशा से उन पर गोलियां चला दीं लेकिन वे जरा सा बच गए। उस समय तक उप निरीक्षक श्री फर्मूद अली पुंडीर, प्रभारी एस.ओ.ज़ी. ने श्री सिंह को सूचित किया कि वे कुछ बल के साथ तलासपुर पुलिया पहुँच गए हैं, तब श्री सिंह ने प्रभारी एस.ओ.जी. को सूचित किया कि अपराधी तलासपुर पुलिया की ओर बढ़ रहे हैं और वे उनका पीछा कर रहे हैं। श्री एन पी सिंह ने श्री पुंडीर को अपने वाहन को उचित तरीके से तिरछा करके अपराधियों के रास्ते को रोकने का आदेश दिया। श्री पुंडीर ने रास्ते को रोक दिया और तब अपराधी और कोई विकल्प न देखकर खेतों की ओर भाग लिए। अपराधियों ने अपना वाहन छोड़ दिया और खेतों के पास एक चारदिवारी के पीछे पोजीशन ले ली। श्री सिंह ने शीघ्रता से बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया और अपराधियों की तलाश हेतु पुलिस पार्टी की मदद के लिए पुलिस वाहनों के चालकों को अपने वाहनों की हैड लाइटें जलाने का आदेश दिया। श्री सिंह ने उप निरीक्षक को अपने दायीं तरफ आगे बढ़ने के लिए कहा और उन्होंने स्वयं चारदिवारी के नजदीक कोने में पोजीशन ले ली और पुनः अपराधियों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। उनकी इस आवाज पर अपराधियों ने गोलियां चलाई और श्री सिंह को बचाने में वह चारदिवारी का कोना उनके लिए भाग्यशाली सिद्ध हुआ। प्राणों के उच्चतम जोखिम में भी अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर श्री सिंह एक हाथ में टार्च लेकर दूसरे हाथ से अपराधियों पर गोलियाँ चलाते रहे। एस.ओ.जी. प्रभारी श्री पुंडीर और उसके साथ चल रहे बल ने भी अपराधियों पर गोलीबारी की। जब अपराधियों की ओर से की जाने वाली गोलीबारी रुक गई तब श्री एन.पी. सिंह पुलिस बल के अन्य सदस्यों के साथ सावधानीपूर्वक आगे बढ़े और उन्होंने अपराधियों में से एक अपराधी को वहां मृत पाया। उस अपराधी की कुख्यात शंकर उर्फ शंकरिया के रुप में पहचान की गई, जिस पर 20,000/-रु. का ईनाम था और जो 45 जघन्य अपराध संबंधी मामलों में संलिप्त था। इस मुठभेड़ के दौरान श्री एन पी सिंह सी.ओ. सिटी प्रथम के दायें हाथ का अग्र भाग गोली लगने से घायल हो गया लेकिन उस बहादुर अधिकारी ने जख्मी होने के बावजूद उस हाथ से गोलीबारी जारी रखी। उप निरीक्षक फर्मूद अली पुंडीर और कांस्टेबल 181 सी.पी. राकेश कुमार भी जख्मी हो गए। निम्नलिखित बरामदगियां की गईं :-

(1) फैक्टरी निर्मित एक पिस्तौल, 20 सजीव और 10 खाली राऊंड।
(2) एक रिवाल्वर, वेबले स्कॉट (इग्लैंड निर्मित), 02 खाली राऊंड।
(3) एक मोटरसाईकल सं. यू.पी-81 एल 6977
(4) लूटे गए 4000/-रु.

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री फर्मूद अली पुंडीर, उप निरीक्षक और राकेश कुमार यादव, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 25 अप्रैल, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 58-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री जस बहादुर थापा,
हवलदार/सामान्य ड्यूटी

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

15 फरवरी, 2006 को काकचिंग खुनोऊ के आम क्षेत्र में ऑपरेट कर रहे सशस्त्र उग्रवादियों की मौजूदगी के संबंध में विशिष्ट सूचना के आधार पर एक ऑपरेशन की योजना तैयार की गई। गांव की ओर जाने वाले उन मार्गों पर लैफ्टिनेंट कर्नल आर एन सिन्हा द्वारा घात लगाए जाने वाले अनेक स्थल तैयार किए जिनसे होकर उग्रवादी आमतौर पर आते-जाते थे। घात 2200 बजे तक बिछाई गई थीं। लेफ्टिनेंट कर्नल के अंतर्गत एक पार्टी काकचिंग खुनोऊ लामखई से काकचिंग खुनोऊ जाने वाली सड़क पर थे, और हवलदार सामान्य ड्यूटी जस बहादुर थापा पार्टी के स्काऊट का नेतृत्व कर रहे थे। लगभग 2330 बजे हवलदार जस बहादुर थापा नें घात वाली जगह की ओर दो संदिग्ध उग्रवादियों को आते देखा। हवलदार सामान्य ड्यूटी जस बहादुर थापा ने उन व्यक्तियों को ललकारा और ललकारे जाने पर उग्रवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी और अंधेरे में घनी झाड़ियों का लाभ उठाकर बच कर भागने का प्रयास किया। हवलदार सामान्य ड्यूटी जस बहादुर थापा ने धैर्य, साहस और मानसिक संतुलन का प्रदर्शन करते हुए अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए उग्रवादियों द्वारा की जा रही प्रभावी गोलीबारी के बीच भाग रहे उग्रवादियों में से एक का पीछा किया और काफी निकट की लड़ाई में उसे मार गिराया। मुठभेड़ स्थल की बाद में ली गई तलाशी के दौरान, एक ए के-47 जड़ित बट, एक ए के-47 मैगजीन, ए के-47 के सात सजीव राऊंड और ए के-47 के 12 दागे गए खोल बरामद किए गए। मारे गए उग्रवादी की बाद में यू एन एल एफ, भारत सरकार द्वारा एक प्रतिबंधित गुट, के इलैंगबम ब्रोइनाओ के रुप में की गई। हवलदार सामान्य ड्यूटी जस बहादुर थापा ने ऑपरेशन के दौरान अनुकरणीय साहस और ड्यूटी के प्रति असाधारण समर्पण की भावना का प्रदर्शन किया। उन्होंने बच कर भाग रहे उग्रवादी का पीछा किया और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की जरा सी परवाह न करते हुए उस पर अचूक गोलीबारी की जिसके परिणामस्वरुप वह उग्रवादी मारा गया।

इस मुठभेड़ में, श्री जस बहादुर थापा, हवलदार/सामान्य ड्यूटी ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 15 फरवरी, 2006 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 59-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

(1) इनाहो सुमी,
राइफलमैन/सामान्य ड्यूटी

(2) सुलक्षण कुमार,
राइफलमैन/सामान्य ड्यूटी

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

16 फरवरी, 2006 को लगभग 1500 बजे कानालोक नदी पार से कंपनी ऑपरेशन बेस के दो लॉक्स ईस्ट से एगिजेंग स्थित कंपनी ऑपरेशन बेस आतंकवादियों (यू एन एल एफ आतंकवादी) की ओर से प्रक्षेपित मोर., लीथोड और एस ए की गोलीबारी की जद में आ गए। कंपनी ऑपरेशन बेस की टुकड़ियों की ओर से मोर., ए जी एस और एस ए से जवाबी गोलीबारी की गई। कंपनी ऑपरेशन बेस एगिजेंग में गोलीबारी के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर, कंपनी ऑपरेशन बेस में कुमुक भेजने के लिए दो टुकड़ी तैयार की गई। 20 ओ आर एस युक्त क्यू आर टी कमांडेंट्स की बनी एक टुकड़ी लगभग 1600 बजे चतुराईपूर्ण ढंग से घात लगाते हुए पैदल एगिजेंग की ओर बढ़ी। लगभग 1745 बजे जब टुकड़ी कंपनी ऑपरेशन बेस एगिजेंग से लगभग 2.5 कि.मी. दूर थी तभी उन पर गांव मौलनुआम आर एम 3111 के आम क्षेत्र में आर पी जी, लिथोड और एस ए से गोलीबारी की गई। यू एन एल एफ आतंकवादियों ने टुकड़ी पर साजिक-ऐगिजेंग (आर एम-316104) के पूर्वी तरफ के ऊँचे हिस्से से गोलीबारी की। क्यू आर टी ने तत्काल घात लगा कर जवाबी कार्रवाई की और वे आतंकवादियों द्वारा किए जा रहे हमले को नाकाम करने के लिए फुर्ती से आगे बढ़े। उन्होंने साथ ही ए के-47, इनसास और एल एम जी से कारगर रुप से गोलीबारी भी की। कार्रवाई के दौरान, राइफलमैन/जी डी सुलक्षण कुमार, जो स्काऊट नं. 2 थे, की दायीं टांग में जी एस डब्ल्यू लगी। राइफलमैन/सामान्य डयूटी इनाहो सुमी और राइफलमैन/सामान्य ड्यूटी सुलक्षण कुमार द्वारा की गई घात विरोधी ठोस कार्रवाई ने यू एन एल एफ आतंकवादियों को उस स्थल से भागने पर विवश कर दिया। निडरतापूर्वक की गई इस कार्रवाई से एक आतंकवादी मारा गया और दो अन्य घायल हो गए। घायल होने के बावजूद राइफलमैन/सामान्य ड्यूटी सुलक्षण कुमार कंपनी ऑपरेशन बेस एगिजेंग तक पूरे रास्ते पैदल पहुंचे। उन्हें राइफलमैन/सामान्य ड्यूटी इनाहो सूमी से काफी मदद मिली। ये दोनों कार्मिक अपनी बहादुरी भरी कार्रवाई से आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले का जवाब देने में समर्थ हो सके और इस प्रक्रिया में एक आतंकवादी मारा गया और दो अन्य घायल हो गए।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री इनाहो सुमी, राइफलमैन/सामान्य ड्यूटी और सुलक्षण कुमार, राइफलमैन/सामान्य ड्यूटी ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 16 फरवरी, 2006 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 60-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

(1) अरुण कुमार भट्टा
राइफलमैन/सामान्य ड्यूटी

(2) लोईटोंगबाम जॉयचन्द्रा सिंह,
राइफलमैन/सामान्य ड्यूटी

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

राइफलमैन सामान्य ड्यूटी अरुण कुमार भट्ट कंपनी आसूचना टीम का हिस्सा थे। 7 नवम्बर, 2005 को विशिष्ट सूचना के आधार पर मोबाइल वाहन जांच चौकी स्थापित की गई। जांच चौकी पर एक मारुती कार को रोका गया और तलाशी लेने पर एक .303 राइफल बरामद की गई। राइफलमैन भट्ट ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए कांगलेईपाक कॉम्यूनिस्ट पार्टी (पृथ्वी) के स्वंभू सार्जेंट चौनगाम्बा को काबू में कर लिया जो भागने का प्रयास कर रहा था। गुप्त सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर कंपनी कमांडर द्वारा कई स्तरों पर घात बिछाई गई। 8 नवम्बर, 2005 को राइफलमैन सामान्य ड्यूटी लोईटोंगबाम जॉयचन्द्रा सिंह जो एक टुकड़ी का हिस्सा थे उन्होंने फाखनुंग पर्वत पर घात बिछाई। उन्हें घात टुकड़ी बनाते समय स्काऊट के रुप में कंपनी कमांडर द्वारा चुना गया था। राइफलमैन भट्ट घात टुकड़ी का भी हिस्सा थे। 0300 बजे राइफलमैन जयचन्द्र ने घात वाले स्थान की ओर दो संदिग्ध लोगों को आते महसूस किया। उन्होंने चुपचाप प्रतीक्षा की और उसी समय उन संदिग्धों के बारे में अपने टुकड़ी कमांडर मेजर उदय गनपतराव जरांदे को संकेत दिया। जब उग्रवादी काफी नजदीक पहुंचे तब टुकड़ी ने उग्रवादियों के छिपने के स्थान पर हमला कर दिया। उग्रवादियों ने तत्काल ही इनकी टुकड़ियों पर पलट कर गोलीबारी कर दी और बच कर भागने का प्रयास किया। राइफलमैन भट्ट ने आड़ लेने वाली जगह पर छलांग लगा दी और भाग रहे आतंकवादियों को उलझाए रखा। इसी बीच राइफलमैन जॉयचन्द्रा लाभप्रद स्थिति की ओर रेंग कर पहुंच गए और उन्होंने आतंकवादियों के बच कर भाग निकलने के रास्ते को बंद कर दिया और भाग रहे आतंकवादियों को उलझा लिया। इस साहसिक ऑपरेशन में दो आतंकवादी मारे गए और एक ए के-47 राइफल, दो पिस्तौलें बरामद की गईं।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री अरुण कुमार भट्टा, राइफलमैन/सामान्य ड्यूटी और लोईटोंगबाम जॉयचन्द्रा सिंह, राइफलमैन/सामान्य ड्यूटी ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 नवम्बर, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं० 61-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

(1) तुला राम राणा
राइफलमैन/सामान्य ड्यूटी

(2) सत्यनारायण प्रसाद
नायब सूबेदार

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

कुम्बी गांव में सशस्त्र प्रीपाक आतंकवादियों की गतिविधियों के संबंध में सूत्रों से विशिष्ट जानकारी के आधार पर, दो टुकड़ियां तैयार की गईं, जिनमें प्रत्येक टुकड़ी में भूतपूर्व कुम्बी कंपनी ऑपरेशन बेस के एक कनिष्ठ कमीशन अधिकारी और 12 अन्य रैंक के अधिकारियों को शामिल किया गया। यह टुकड़ी तुरंत हरकत में आ गई। जे सी-74130 एक्स नायब सूबेदार (सामान्य ड्यूटी) सत्यनारायण प्रसाद के नेतृत्व में प्रथम टुकड़ी 10 सितम्बर, 2005 को लगभग 2245 बजे जब कुम्बी गांव के वार्ड सं. 9 से गुजर रही थी की तभी उन पर पास ही में छिपे हुए आतंकवादियों द्वारा दो दिशाओं से गोलीबारी की गई। अपनी टुकडी को खतरे में भांपकर, नायब सूबेदार (सामान्य ड्यूटी) सत्यनारायण प्रसाद ने अपने स्कॉऊटों को घात लगाकर जवाबी कार्रवाई करने के लिए सतर्क किया, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की जरा सी भी परवाह न करते हुए, बटालियन के लिए युद्ध की सी स्थिति मानते हुए नायब सूबेदार (सामान्य ड्यूटी) के साथ स्कॉऊट सं. 2 जी/76104 पी राइफलमैन (सामान्य ड्यूटी) तुला राम राणा ने अपनी ए के-47 से गोलीबारी करते हुए आतंकवादियों पर झपटे और घटनास्थल पर एक आतंकवादी को मार गिराया और पांच अन्य को घायल कर दिया। राइफलमैन तुला राम राणा और नायब सूबेदार सत्यनारायण प्रसाद की ओर से की गई गोलीबारी और आतंकवादियों में से एक को मरा हुआ देखकर आतंकवादियों का धैर्य जवाब दे गया और वे अंधेरे की आड़ लेते हुए पीछे हट गए तथा वे झील की ओर बच कर भाग गए। मुठभेड़ लगभग 10 मिनट तक चली और निम्नलिखित मदें बरामद की गईं:-

(i) आतंकवादी की प्रीपाक आतंकवादी लांस. कोरपोरल कोंन्जेंगबाम बॉबी उर्फ थोईथोईबा उर्फ रोबिन्द्रो, आयु 21 वर्ष, निवासी मोईरंग ओक्रयोंगबुंग के रुप में पहचान की गई।

(ii)	ए के-47	-	01
(iii)	ए के-47 मैगजीन	-	03
(iv)	ए के-47 के सजीव राऊंड	-	151 राऊंड
(v)	ब्लैक वेब बेल्ट के साथ पाऊच	-	01
(vi)	पानी की बोतल	-	01

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री तुला राम राणा, राइफलमैन/सामान्य ड्यूटी और सत्यनारायण प्रसाद, नायब सूबेदार ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 10 सितम्बर, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 62-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री अलेम ए ओ,
नायब सूबेदार

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

30 सितम्बर, 2005 को एक सिविल वाहन में शस्त्र और गोलाबारुद के साथ आतंकवादियों की गतिविधि के संबंध में विश्वसनीय सूत्र से विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर, कनिष्ठ कमीशन अधिकारी सं. 3800026 वाई नायब सूबेदार/सामान्य ड्यूटी अलेम अओ के नेतृत्व में "ए" कंपनी की एक टुकड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर चल रहे वाहनों की जांच करने हेतु कंपनी ऑपरेशनल बेस (आर एम 2289) की ओर रवाना हो गई। 30 सितम्बर, 2005 को 0600 बजे गांव मोईडैंगपोक (आर एम 2884) के निकट नायब सूबेदार/सामान्य ड्यूटी अलेम अओ के नेतृत्व में एक मोबाइल वाहन जांच चौकी की स्थापना की गई। 0615 बजे नायब सूबेदार अलेम अओ ने एक वाहन को रोका जिसका पंजीकरण संख्या एम एल-06 एल 1746 था, और जो संदेहास्पद स्थिति में राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर इम्फाल की ओर जा रहा था। सुरक्षा बल द्वारा स्थापित मोबाइल वाहन जांच चौकी को देखकर, आतंकवादियों ने वाहन छोड़ दिया और नजदीक के गांव की ओर भाग गए। तत्काल नायब सुबेदार अलेम अओ ने प्रभारी कंपनी कमांडर 50781 ए मेजर विक्रम सिंह को मामले की जानकारी थी और इसी बीच उस क्षेत्र की घेराबंदी कर दी। मेजर विक्रम सिंह ने अपनी क्यू आर टी के साथ "ए" कंपनी की टुकड़ी द्वारा रोके जाने के बाद कार्रवाई की और भाग रहे आतंकवादियों को रोकने हेतु गांव मोईडेंगपोक के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र की तत्काल घेराबंदी की। तलाशी के दौरान नायब सूबेदार/सामान्य ड्यूटी अलेम ए ओ पार्टी द्वारा ए के-47 राइफलों द्वारा की गई गोलीबारी से आतंकवादियों को काबू में कर लिया गया। आतंकवादियों द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्रवाई से पहले नायब सूबेदार अलेम ए ओ के नेतृत्व वाली टुकड़ी ने उस घर की घेराबंदी कर दी जहां दोनों आतंकवादियों ने पनाह ले रखी थी। सुरक्षा बलों द्वारा घर की घेराबंदी होने को भांपकर आतंकवादियों ने खिड़की से बच कर भागने का प्रयास किया। नायब सूबेदार/सामान्य ड्यूटी अलेम ए ओ ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की जरा सी भी परवाह किए बिना पहल की और बच कर भाग रहे आतंकवादियों में से एक पर झपट पड़े और उसे पकड़ लिया, लेकिन दूसरा आतंकवादी बच कर भागने में सफल हो गया। व्यापक रुप से तलाशी के बाद निम्नलिखित शस्त्र और गोलाबारुद बरामद किया गया:-

(क):	ए के-47 राइफल	-	02 नग
(ख)	ए के-47 के सजीव राऊंड	-	34 नग
(ग)	9 एम एम पिस्तौल	-	01 नग
(घ)	9 एम एम पिस्तौल के सजीव राऊंड	-	03 नग
(ङ)	मारुति कार	-	01 नग

इस मुठभेड़ में, श्री अलेम ए ओ, नायब सूबेदार ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 30 सितम्बर, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 63-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व श्री

1. **ससींदरन एम.,**
   सहायक कमांडेंट
2. **सोंगटेन लेपचा**
   हैड कांस्टेबल
3. **केसरी दास**
   हैड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

सहायक कमांडेंट, 14 आर श्री ससींदरन एम द्वारा निभाई गई भूमिका

मणिपुर के सेनापति जिले में कालापहाड़ आर जी 4122 सामान्य क्षेत्र में नेपाली गांव वालों के अपहरण, जबरन धन ऐंठने और उन्हें डराने धमकाने में संलिप्त नेंशनल सोसलिस्ट काऊंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) केडरों के बारे में उच्च मुख्यालयों सहित स्रोतों से लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। 04 जनवरी को लगभग 1930 बजे के आसपास कालापहाड़ सामान्य क्षेत्र में धन ऐंठने में संलिप्त नेशनल सोसलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) केडर के तीन से चार सशस्त्रधारियों के बारे में विशेष सूचना पर आधारित, भूतपूर्व कांगपोक्पी कम्पनी ओपरेटिंग बेस की दो टुकड़िया द्रुत गति से उस क्षेत्र की ओर भेजी गई। आई सी-60141 वाई मेजर मुकुन्द एम जी के अधीन एक टुकड़ी ने संदिग्ध स्थान के आसपास डेरा डाल लिया और ए आर 247 एल सहायक कमांडेंट ससींदरन एम के अधीन दूसरी टुकड़ी पुलिस प्रतिनिधि के साथ कालापहाड़ मार्केट पहुंची। जिस स्थाम पर डेरा डाला गया था वहां ए आर 247 एल सहायक कमांडेंट ससींदरन ने अपनी पार्टी के साथ तलाशी लेनी शुरु की। सुरक्षा बलों को आते देखकर चार संदिग्ध सशस्त्रधारी विपरीत दिशा में गांव मेकहा आर जी 4022

की ओर भागे। ए आर -247 एल सहायक कमांडेंट ससींदरन एम ने अपनी पार्टी के साथ अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए संदिग्धों के पीछे पूरी ताकत से भागे। बार-बार चेतावनी देने के बावजूद संदिग्ध व्यक्ति नहीं रुके और उन्होंने पीछा छुड़ाने और बचने के लिए जवानों पर गोलीबारी शुरु कर दी। उग्र उत्तेजना के बावजूद ए आर-247 एल सहायक कमांडेंट ससींदरन एम ने निर्मित क्षेत्र के नजदीक होने के कारण जवाबी कार्रवाई में दृढ़ निश्चय का परिचय दिया। अधिकारी ने अदम्य साहस और अनुकरणीय आदेश के अवर नेतृत्व का परिचय दिया और आदेश के अवर नेतृत्व का परिचय दिया और संदिग्धों का बचकर न भागना सुनिश्चित किया। भारी गोलीबारी में आई सी-60141 वाई मेजर मुकुन्द एम जी के नेतृत्व में घात दल के संयोजन में ए आर-247 एल सहायक कमांडेंट ससीधरन एम के नेतृत्व में जवानों द्वारा नेशनल सोशलिस्ट काऊंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) केडर के चार उग्रवादी मारे गए। अंधाधुंध गोलीबारी करने वाले सशस्त्र आतंकवादियों का पीछा करते हुए और अंत में उन्हें मार गिराने में ए आर-247 एल सहायक कमांडेंट ससीधरन एम और उनकी पार्टी ने बहादुरी का प्रदर्शन किया और सेवा की उत्कृष्ट परम्परा का और कर्तव्य निष्ठा का प्रदर्शन करते हुए अपने सिपाहियों का और कोई संपार्श्विक नुकसान नहीं होने दिया। ए आर-247 एल सहायक ससीधरन एम द्वारा प्रदर्शित बहादुरी के परिणामस्वरुप नेशनल सोसलिस्ट काऊंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) केडर के चार उग्रवादियों को खत्म किया जा सका और उनसे शस्त्र, गोलाबारूद और अभिषंसी दस्तावेज भी बरामद किए गए।

श्री सोंगटेन लेपचा, 14 ए आर द्वारा निभाई गई भूमिका

कालापहाड़ आर जी 4122 गांव में ग्रामीणों से धन ऐंठने और उन्हें डराने धमकाने में संलिप्त नेशनल सोसलिस्ट काऊंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) केडर के बारे में आई सी-60141 वाई मेजर मुकुंद एम जी द्वारा 04 जनवरी, 2006 को लगभग 1930 बजे के आसपास विशेष सूचना प्राप्त हुई। स्टॉप पार्टी कमांडरों में से एक संख्या जी/144132 एच हवलदार सामान्य डयूटी सोंगटेन लेपचा को बाहरी घेरे में तैनात किया गया। ऑपरेशन में उच्च स्तर के आत्मसंयम की आवश्यकता थी क्योंकि वह क्षेत्र जनसंख्या बहुल था और सिविलियनों के घायल होने की संभावना ज्यादा थी। तलाशी पार्टी द्वारा पीछा किए जा रहे हैं चार आतंकवादियों ने तलाशी पार्टी पर गोलीबारी करते हुए उनके संपर्क को तोड़ने की कोशिश की। उनको घेराबंदी दल द्वारा अवरूद्ध करके रूकने के लिए ललकारा गया। आई सी-60141 वाई मेजर मुकुंद एम जी के नेतृत्व में स्टॉप पार्टी ने जहां दो आतंकवादियों को मार गिराया वहीं दो अन्य आतंकवादी अंधेरे और तारतम्य टूटने का फायदा उठाते हुए आंतरिक घेरे से बच निकले। संख्या जी/ 144132 एच हवलदार सामान्य डयूटी सोंगटेन लेपचा ने नाइट विजन डिवाइस के माध्यम से उन आतंकवादियों की गतिविधियों का पता लगाया और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना, बड़ी तेजी से उनका पीछा किया।

उन्होंने निर्मित क्षेत्र की निकटता और अपने सैनिकों के हताहत होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए गोलबारी का जबाव देते समय पूर्ण आत्मसंयम का प्रदर्शन किया। प्रभावपूर्ण गोलीबारी के बावजूद उन्होंने निकट लड़ाई में दो आतंकवादियों को मार गिराया। संख्या जी/144132 एच हवलदार सामान्य डयूटी सांगटने लेपचा ने अपने सैनिकों और किसी अन्य नुकसान के बिना जिस प्रकार आतंकवादियों को फंसाने और मार गिराने में जिस अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन किया वह उनकी कर्त्तव्यनिष्ठा की पराकाष्ठा है। इस कार्य के परिणामस्वरूप ही नेशनल सोसलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) केडर के चार दुर्दांत उग्रवादियों को मारा जा सका और उनसे शस्त्र, गोलाबारूद और अभिषंसी दस्तावेजों की बरामदगी की गई। संख्या जी/144132 एच हवलदार सामान्य डयूटी सोंगटेन लेपचा की कर्त्तव्यनिष्ठा और कुशाग्र पेशावरी से किए गए उनके गौरवशाली कृत्य से संगठन के सभी रैंकों के अधिकारियों को प्रेरणा मिलेगी।

श्री केसरी दास, 14 ए आर द्वारा निभाई गई भूमिका

कालापहाड़ आर जी 4122 के सामान्य क्षेत्र में नेपाली गांव वालों के अपहरण, जबरन धन ऐंठने और उन्हें डराने धमकाने में संलिप्त नेशनल सोसलिस्ट काऊंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) केडर के बारे में उच्च मुख्यालयों सहित स्रोतों से नियमित सूचनाएं प्राप्त हो रही थी।जनवरी को लगभग 1930 बजे के आस पास कालापहाड़ सामान्य क्षेत्र में धन ऐंठने में शामिल क्षेत्र में धन ऐंठने में शामिल नेशनल सोसलिस्ट काऊंसिल ऑफ नागालैंड (खांपलांग) संगठन के तीन से चार सशस्त्रधारियों के बारे में विशेष सूचना पर आधारित भूतपूर्व कांगपोक्सी कम्पनी ओपरेटिंग बेस की दो टुकड़िया द्रुत गति से भेजी गई। आई सी 60141 वाई मेजर मुकुन्द एम जी के अधीन एक टुकड़ी ने संदिग्ध स्थान के आसपास डेरा डाल लिया और ए आर-247 एल सहायक कामंडेंट ससीदरन एम के अधीन दूसरी टुकड़ी पुलिस प्रतिनिधि के साथ कालापहाड़ मार्केट पहुंची। ए आर- 247 एल सहायक कमांडेंट ससीधरन एम के नेतृत्व में संख्या जी/143542 एम हवलदार सामान्य डयूटी केसरीदास ने, पार्टी के शेष सदस्यों के साथ उस क्षेत्र की तलाशी लेनी शुरू की जहां उन्होंने डेरा डाला था। सुरक्षा बलों को आते देखकर चार संदिग्ध सशस्त्रधारी विपरीत दिशा में गांव मे कहा आर जी 4022 की ओर भागे। संख्या जी/143542 एम हवलदार सामान्य डयूटी केसरी दास ने अपनी पार्टी के साथ अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए, जबरदस्त पीछा करते हुए संदिग्धों के पीछे भागे। बार बार चेतावनी देने के बावजूद संदिग्ध व्यक्ति नहीं रुके और उन्होंने पीछा छुड़ाने और बचने के लिए जवानों पर गोलीबारी शुरु कर दी। निर्मित क्षेत्र के नजदीक होने होने के बावजूद संख्या जी/14352 एम हवलदार सामान्य डयूटी केसरीदास ने गोलीबारी करने में आत्मसंयम का परिचय दिया। गैर कमीशन अधिकारी ने अदम्य साहस और अनुकरणीय आदेश के अवर नेतृत्व का परिचय दिया और यह सुनिश्चित किया कि संदिग्ध व्यक्ति बचकर न भाग सकें। भारी गोलीबारी में आई सी -

60141 वाई मेजर मुकुन्द एम जा के नेतृत्व में घात दल के संयोजन में ए आर 247 एल सहायक कमांडेंट ससींदरन एम के नेतृत्व में जवानों ने नेशनल सोसलिस्ट काऊंसिल आफ नागालैंड (खापलांग) के चार उग्रवादियों को मार गिराया। अंधाधुंध गोलीबारी में शामिल सशस्त्र आतंकवादियों का पीछा करते हुए संख्या जी/143542 एम हवलदार सामान्य डयूटी केसरी दास और उसकी पार्टी ने अदम्य साहस और निर्भीकता का प्रदर्शन किया और सेवा की उत्कृष्ठ परम्परा और कर्तव्य निष्ठा का प्रदर्शन करते हुए अपने सिपाहियों को और किसी अन्य नुकसान के बिना अतत: उन्हें मार गिराया। संख्या जी/143542 एम हवलदार सामान्य डयूटी केसरी दास के बहादुरी पूर्ण प्रदर्शन के परिणामस्वरूप ही नेशनल सोसलिस्ट काऊंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) के चार दुर्दांत उग्रवादियों को मारा जा सका और उग्रवादियों से शस्त्र, गोलाबारूद और अभिषंसी दस्तावेज बरामद किए जा सके।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री ससींदरन एम, सहायक कमांडेंट, सोंगटेन लेपचा, हेड कांस्टेबल और केसरी दास, हेड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 4 जनवरी, 2006 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 64-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. **गुलाम मुस्तफा अंसारी**
   हवलदार
2. **मोहम्मद रियाजुद्दीन,**
   राइफलमैन

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

25 अप्रैल 2006 को जी/ 3200342 ए हवलदार (सामान्य ड्यूटी) गुलाम मुस्तफा अंसारी और जी/3200321 के राइफलमैन मोहम्मद रियाजुद्दीन, मणिपुर में थोबल जिले के केबोंग क्षेत्र में विद्रोह विरोधी अभियानों के लिए मेजर निशांत नायर के नेतृत्व वाली टुकड़ी का एक हिस्सा बने। जब वे 0030 बजे, केबोंग से चिंखाम गांव की ओर मेजर निशांत के साथ अग्रिम वाहन में जा रहे थे कि तभी उन्होंने एक मारुती वैन को गांव मोईजैंग से नुंगई की ओर आते देखा। वैन में मौजूद व्यक्तियों ने भी अपने वाहन को देखा और फिर उसकी गति तेज कर दी। हवलदार अंसारी और राइफैलमैन रियाजुद्दीन ने भी निडरतापूर्वक उत्साह के साथ उनका तब तक पीछा किया जब तक वे नुंगई के नजदीक आतंकवादियों के निकट नहीं पहुँच गए। आतंकवादियों को वैन से बाहर निकलने के लिए ललकारे जाने पर, आतंकवादियों ने अंधेरे में बच कर भाग निकलने के प्रयास में प्रभावी गोलीबारी शुरू कर दी। काफी निकट से हो रही गोलीबारी के बावजूद, हवलदार अंसारी और राइफैलमैन रियाजुद्दीन ने आतंकवादियों को प्रभावी ढंग से उलझाए रखने में मेजर निशांत और जी/3201229 एक्स राइफलमैन को समर्थ बनाने हेतु उन्हें कवरिंग फायर प्रदान करने के लिए फुर्ती से पोजीशन ले ली, जिसके फलस्वरूप सभी चार आतंकवादियों को निष्क्रिय कर दिया गया। अत्यधिक खतरे के समक्ष निडरतापूर्वक और सुविचारित कार्रवाई के द्वारा, उन्होंने कारगर रुप से कवरिंग गोलीबारी प्रदान की और इस प्रकार से सभी चारों आतंकवादियों का सफाया करने में टुकड़ी को सहायता प्रदान की।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री गुलाम मुस्तफा अंसारी, हवलदार और मोहम्मद रियाजुद्दीन, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 25 अप्रैल, 2006 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 65-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

1. श्री मोहम्मद इस्राइल,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

12 मई, 2005 को लगभग 1200 बजे, बेहिबाग, जिला- कुलगाम (जम्मू ओर कश्मीर) में तैनात 17 जे ए के राइफल के मेजर विवेक भंडारी के अनुरोध पर, सी आई पोस्ट यारीपोरा में तैनात श्री देवेश कंडवाल सहायक कमांडेट की कमान में सीमा सुरक्षा बल की 143 वीं बटालियन की "सी" कंपनी पतरीगाम-त्रिगाम के सामान्य क्षेत्र में चलाए जा रहे अभियान में शामिल हुई । योजना के अनुसार क्षेत्र को बांट लिया गया और तदनुसार सीमा सुरक्षा बल को 143वीं बटालियन की टुकड़ियों को पूर्वोत्तर दिशा से तलाशी/काम्बिग की जिम्मेदारी सौंपी गई। तलाशी अभियान के दौरान, उग्रवादियों ने 17 जे ए के राइफल की तलाशी पार्टियों पर गोलीबारी शुरु कर दी। दोनों तलाशी पार्टियां चतुराई पूर्ण ढंग से गोलीबारी करते हुए उग्रवादियों के छिपने के स्थल की ओर बढ़ी । मेजर विवेक भंडारी ने एक उग्रवादी को देख लिया और उस पर गोली चला दी। अन्य उग्रवादी जो मेजर विवेक भंडारी पर गोली चलाने वाला ही था कि तभी उसे बी एस एफ की 143 वीं बटालियन के संख्या 01121818 कांस्टेबल मोहम्मद इस्राइल ने देख लिया। मेजर विवेक भंडारी के जीवन को आसन्न खतरे में महसूस होते देखकर कांस्टेबल मोहम्मद इस्राइल ने अपने व्यक्तिगत हथियार से उस पर गोली चला दी और उस दूसरे उग्रवादी का सफलतापूर्वक सफाया कर दिया तथा इस प्रकार से मेजर विवेक भंडारी के बहुमूल्य जीवन को भी बचाया। उपर्युक्त अभियान के दौरान निम्नलिखित असला बरामद किया गया:-

i.	ए के 47 राइफल	01नग
ii.	यू बी जी एल युक्त ए के 56	01 नग
iii.	ए के श्रेणी की मैगजीन	05 नग
iv.	ए के 47 श्रेणी का गोलाबारूद	35 राऊंड
v.	यू बी जी एल ग्रेनेड	07 नग
vi.	रेडियो सेट	01 नग
vii.	मोबाइल फोन	01 नग
viii.	आजाद अहमद मलिक का पहचान पत्र	01 नग
ix.	भारतीय मुद्रा	200/-रू
x.	फोटोग्राफ	10 नग
xi.	कैमरा रोल	01 नग

इस मुठभेड़ में, श्री मोहम्मद इस्राइल, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 12 मई, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 66-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियो को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व श्री

1. **एम एस मीणा,**
   उप निरीक्षक
2. **राय सिंह,**
   कांस्टेबल/चालक
3. **सुलेमान टिर्की,**
   हैड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

जम्मू और कश्मीर के बड़गाम जिले में गांव -पंजन से छिपा कर रखे गए शस्त्र और गोलाबारुद को दूसरी जगह ले जाए जाने के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर, कमांडेंट 76 बटालियन सीमा सुरक्षा बल द्वारा 1 नवंबर, 2004 को एक घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरु करने हेतु एक योजना तैयार की गई। पार्टियों को घेराबंदी और तलाशी करने के लिए बांट दिया गया। गांव पंजन में पहुंचने पर, उन्होंने पीर मोहल्ले की घेराबंदी कर दी। श्री असीम शर्मा, डिप्टी कमांडेंट की कमान में पार्टी चतुराईपूर्ण ढंग से एक स्थानीय प्रशिक्षित उग्रवादी रियाज अहमद डार पुत्र गुलाम रसूल डार, के घर पर पहुंची और उन्होंने उसे पकड़ लिया। उसके घर में कतिपय विस्फोटक सामग्री और शस्त्र /गोलाबारुद की छिपी हुई रसद के संबंध में उन्हें दी गई सूचना के आधार पर, पार्टी ने उस घर की तलाशी लेनी शुरु कर दी। जब तलाशी की जा रही थी तब हैड कांस्टेबल एस टिर्की, जो उस घर के मुख्य द्वार की चौकसी कर रहे थे, ने प्रथम मंजिल पर कुछ संदिग्ध गतिविधि महसूस की और उन्होंने तत्काल उप-निरीक्षक एम एस मीणा को सतर्क कर दिया। इस पर उप निरीक्षक एम एस मीणा ने अपनी स्वयं की सुरक्षा की जरा सी भी परवाह न करते हुए घर से बाहर निकले ताकि वह प्रथम मंजिल पर उस व्यक्ति की वास्तविक स्थिति को जान सकें। इसी बीच हैड कांस्टेबल एस टिर्की ने यू बी जी एल फिट की गई ए के 47 राइफल लिए हुए का पता लगा लिया और उन्होंने तत्काल अन्य को सतर्क कर दिया तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए, उप निरीक्षक एम एस

मीणा उस घर के बायीं तरफ कूद गए और वहां पोजीशन ले ली। उस समय तक उप निरीक्षक एम एस मीणा का उस उग्रवादी से आमना सामना हो गया और उनके कुछ करने से पहले ही उग्रवादी उनकी तथा हैड कांस्टेबल एस टिर्की की ओर गोलीबारी करते और ग्रेनेड फेंकते हुए प्रथम मंजिल पर कूद गया। उप निरीक्षक एम एस मीणा और हैड कांस्टेबल एस टिर्की दोनों बाल-बाल बचे। निडरतापूर्वक आगे बढ़ते हुए हैड कांस्टेबल एस टिर्की ने एक मानवीय कवच के रुप में सबसे आगे मोर्चाबंदी की और कवरिंग गोलीबारी की। भारी गोलीबारी का सामना कर रहे उस उग्रवादी ने पंजन कनीर सड़क के दूसरी और भागना शुरू कर दिया। यह देखने पर, कांस्टेबल चालक राय सिंह जो बी पी वाहन पर अपने हथियार के साथ तैनात थे, उच्च स्वर में चुनौती देते हुए उग्रवादी की ओर दोड़े। कांस्टेबल/चालक राय सिंह ने अत्याधिक बहादुरी का प्रदर्शन किया और भाग रहे सशस्त्र उग्रवादी का गोलीबारी करते हुए पीछा किया। उप निरीक्षक एम एस मीणा, हैड कांस्टेबल एस टिर्की और कांस्टेबल/चालक राय सिंह द्वारा की गई गोलीबारी के कारण गंभीर रुप से जख्मी हुआ वह उग्रवादी पंजन-कनीर सड़क के दूसरी तरफ एक घर में पनाह लेने में कामयाब हो गया। घर की तलाशी के दौरान, गंभीर रूप से जख्मी उग्रवादी को एक शौचालय के निकट जमीन पर पड़े हुए पाया गया। गंभीर रुप से घायल उग्रवादी ने हताशा भरे प्रयास में और तलाशी पार्टी का विनाश करने के उद्देश्य से, हैड ग्रेनेड के पिन को निकालने का प्रयास किया। यह देखते ही तलाशी पार्टी द्वारा उग्रवादी पर समन्वित गोलीबारी की गई और उस उग्रवादी को मार गिराया जिसकी बाद में दकियाबाद, फैजलबाद, पाकिस्तान के एल ई टी गुट के डिविजनल कमांडर अब्दुल मन्ना उर्फ असादुल्ला सेट कोड एम वाई पुत्र अब्दुल हफीज के रूप में शिनाख्त की गई। पकड़े गए उग्रवादी को आगे छदूरा, पुलिस थानां, बडगाम (जम्मू और कश्मीर) को सौंप दिया गया। उस क्षेत्र की तलाशी लेने पर 1 ए के 47 राइफल, 5 ए के मैगजीन और ए के गोलाबारुद के 139 राउंड बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री एम एस मीणा, उप निरीक्षक, राय सिंह, कांस्टेबल/चालक और सुलेमान टिर्की, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 1 नवंबर, 2004 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 67-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व श्री

1. जे. आर.टिर्की,
उप निरीक्षक

2. एम. तोम्बा सिंह,
कांस्टेबल

3. सुधीर कुमार,
सहायक कमांडेंट

4. अफजल खान
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

20 जनवरी, 2005 को पुलवामा जिले (जम्मू और कश्मीर) के दरूबगम गांव में आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में प्राप्त विशेष सूचना के आधार पर बी एस एफ की 71 वीं बटालियन के कमांडेंट ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए एक व्यापक कार्रवाई योजना बनाई। योजनानुसार, एस आई जे आर टिर्की के नेतृत्व में 15 अन्य रैंकों के कार्मिकों के साथ एक विशेष गश्ती दल लक्षित क्षेत्र की ओर चला। क्षेत्र में पहुंचने पर, पार्टी ने दरूबगम गांव के खेतों में दो सशस्त्र आतंकवादियों को देखा। एस आई जे आर टिर्की, कांस्टेबल एम तोम्बा सिंह और कांस्टेबल दिलबाग सिंह की सबसे आगे वाली पार्टी ने उनको ललकारा। इस पर संदिग्ध आतंकवादियों ने अपने स्थान से इस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। अच्छी मोर्चाबंदी किए हुए आतंकवादियों के साथ भीषण मुठभेड़ में पार्टी ने अपनी स्थिति संभाली और कारगर रूप से गोलीबारी का जवाब दिया और अपनी अचूक गोलीबारी से वे मौके पर एक आतंकवादी को मारने में सफल रहे। दूसरा आतंकवादी घेराबंदी पार्टी पर भारी गोलीबारी करते हुए बचने के लिए जंगल की ओर दौड़ा। आतंकवादी ने उबड़-खाबड़ जमीन पर अपना मोर्चा बनाया। एस आई(SI) जे आर टिर्की ने और कुमक लगाने तथा सभी नाकों को अनुकूल बनाकर बचने के सभी रास्तों को बंद करने के लिए कहा। गोलीबारी की आवाज सुनने पर, श्री सुधीर कुमार, सहायक कमांडेंट उस क्षेत्र के रास्ते में मौजूद लम्बी दूरी की गश्ती पार्टी के साथ, घटनास्थल की ओर दौड़े और ऑपरेशन में शामिल हो गए और इस प्रकार उन्होंने घेराबंदी को सुदृढ़ किया। ऑपरेशन को और तेजी से चलाने के लिए बी एस एफ की 8 वीं बटालियन के जवानों के साथ तदनुरूप समन्वय किया गया। इसी बीच थानाध्यक्ष राजपुरा भी पुलिस कार्मिकों के साथ आपरेशन में शामिल हो गए। श्री सुधीर कुमार, सहायक कमांडेंट अपनी पार्टी के साथ छिपे हुए

आतंकवादी की सही स्थिति का पता लगाने के लिए नुल्हा की तरफ से दरूबगम गांव के दक्षिण-पश्चिम की ओर गए। श्री सुधीर कुमार ने कांस्टेबल अफजल खान के साथ एक साहसपूर्ण निर्णय लिया और आतंकवादी द्वारा की जा रही लगातार गोलीबारी के बावजूद भी अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए आतंकवादी की स्थिति की ओर 15 गज के लगभग रेंगते हुए गए। दोनों ने ग्रेनेड फैंके ओर अचूक गोलीबारी की तथा दुर्दान्त आतंकवादी को मारने में सफल हो गए। मारे गए दो आतंकवादियों की पहचान बाद में फारूक अहमद बट उर्फ अरूफ अरसलान (एच एम का बटालियन कमांडर) पुत्र अमीरूल्ला बट निवासी परिगोम, पुलवामा (जम्मू और कश्मीर) और तारिक अहमद खान कोड तारिक मौलवी, (एच एम गुट के "सी" श्रेणी के जिला कमांडर) पुत्र अम्मा खान निवासी सम्बल (केल्लर) , पुलवामा (जम्मू और कश्मीर) के रूप में हुई और उनसे 02 ए के राईफल्स, 07 नग ए के मैगजीन और ए के गोलाबारूद के 181 राऊंद भी बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री जे आर टिर्की, उप निरीक्षक, एम. तोम्बा सिंह, कांस्टेबल, सुधीर कुमार, सहायक कमांडेंट और अफजल खान, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20 जनवरी, 2005 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 68-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व श्री

1. डी एस बरार,
उप कमांडेंट

2. जी एच खान,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

एक सूचना के आधार पर, जम्मू और कश्मीर राज्य में गांव खसीरमर, जिला पुलवामा में 9 जुलाई, 2005 को विशेष ऑपरेशन ग्रुप ने एक छापा और तलाशी अभियान चलाया। लगभग 0900 बजे, ऑपरेशन पार्टी ने क्षेत्र की घेराबंदी कर दी और बच कर भाग निकल सकने के सभी मार्ग बंद कर दिए। श्री डी एस बरार उप कमांडेंट ने छिपने के संदिग्ध ठिकाने की ओर अनुमान लगाते हुए गोलीबारी की। इस पर, उग्रवादियों ने गोलियों की भारी बौछार शुरू कर दी और बी एस एफ पार्टी पर दो रॉकेट भी दागे, जिसकी प्रतिक्रिया में उनकी टुकड़ियों ने तुरंत जवाबी हमला किया। बगैर किसी परिणाम के दोनों पक्षों के बीच आपसी गोलीबारी लगातार लगभग एक घंटे तक चली। इस गतिरोध को तोड़ने के लिए, उग्रवादियों को निष्क्रिय करने के प्रयास में श्री डी एस बरार, उप कमांडेंट अपनी पार्टी के साथ निकट से लड़ने के लिए आगे बढे। निरंतर गोलीबारी और ग्रेनेडों के विस्फोटो के पश्चात उग्रवादी छिपने के अड्डे से बाहर निकल आया और उसने आगे बढ़ रहे एक अधिकारी पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी लेकिन वह उस निर्भय अधिकारी की राइफल से निकली गोली से मारा गया। श्री डी एस बरार, डी सी ने अपनी जान और सुरक्षा की जरा सी परवाह न करते हुए उच्च स्तर की पेशावरी, दृढसंकल्प और साहस के साथ इस ऑपरेशन को चलाया। कांस्टेबल जी एच खान का असाधारण साहस कुल मिलाकर उस खतरनाक उग्रवादी का सफाया करने में सहायक सिद्ध हुआ। उन्होंने इतनी अतिसावधानीपूर्वक कार्रवाई की जिसके कारण उनकी अपनी टुकड़ियों या सिविलियनों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। उनकी वीरतापूर्वक की गई कार्रवाई के कारण खतरनाक"ए" श्रेणी के जे ई एम उग्रवादी को मारा जा सका जिसकी पहचान बाद में पाकिस्तान के एक निवासी तिपू भाई के रुप में की गई और उस क्षेत्र से एक उग्रवादी का शव, 01 एक ए के राइफल, 02 ए एक के मैगजीन और 5 जीवित राऊंड बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री डी एस बरार, उप कमांडेंट और जी एच खान, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 9 जुलाई, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 69-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

1. श्री जाला नंदू सिंह,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

16 दिसम्बर, 2004 लगभग 0640 बजे, गांव इच्चागोज, जिला पुलवामा (जम्मू और कश्मीर) में उग्रवादियों की मौजूदगी के संबंध में प्राप्त विशिष्ट सूचना के आधार पर, सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ) की 42 वीं बटालियन द्वारा एक योजना बनाई गई तथा घेराबंदी की गई। योजनानुसार उग्रवादियों को धरने के लिए श्री एस एफ पी वाइफाई के नेतृत्व में एक लांग रेंज गश्ती दल को कतिपय पॉकटों को छोड़ते हुए गांव में छानबीन करते हुए पूर्वोत्तर दिशा से आगे बढ़ने के लिए कहा गया। स्टॉप पार्टी में से एक पार्टी ने, चुपचाप बढ़ते हुए एक उग्रवादी को देख लिया। उसे ललकारने पर, उस उग्रवादी ने पार्टी पर गोलियां चला दी। कांस्टेबल बिपुल कंवर और कांस्टेबल भीम सिंह ने जवाबी गोलीबारी की जिसके फलस्वरुप उग्रवादी जख्मी हो गया। उन्होंने उस उग्रवादी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जख्मी होने के बावजूद, उस उग्रवादी ने अंधाधुंध गोलीबारी करना जारी रखा और उसने उबड़-खाबड़ वाले रास्ते तथा अंधेरे का लाभ उठाते हुए बच कर भागने का प्रयास किया। तथापि, दूसरी पार्टी द्वारा की गई प्रभावी गोलीबारी से उग्रवादी बच कर भाग नहीं सका। उग्रवादी ने स्टॉप पार्टी में से एक पार्टी के काफी निकट मोर्चाबंदी कर ली। चूंकि उग्रवादी रक्षात्मक स्थिति में था इसलिए स्टॉप पार्टी उसे निष्क्रिय नहीं कर सकती थी। उग्रवादी के पास उनकी टुकड़ियों को जख्मी करने का पर्याप्त मौका था। आसन्न खतरे को महसूस करते हुए, संख्या 00633896 कांस्टेबल जाला नंदू सिंह ने लड़ाई वाली पोजीशन में अपनी एल एम जी ले ली और अपनी जान की परवाह किए बिना, उस उग्रवादी पर निडरतपूर्वक धावा बोल दिया और मोर्चा संभाले उस उग्रवादी को घटनास्थल पर मार गिराया। मारे गए उग्रवादी की बाद में पहचान जिला पुलवामा (जम्मू और कश्मीर) के दंगरपुरा के निवासी गुलजार अहमद मीर (सांकेतिक नाम सुलेमान) पुत्र मोहम्मद कासिम मीर के रूप में की गई। उसके कब्जे से 01 ए के राइफल, 03 ए के श्रेणी की मैगजीन और ए के गोलाबारूद के 66 राउंड बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में, श्री जाला नंदू सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 16 दिसंबर, 2004 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 70-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों का नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. अमित कुमार,
   सहायक कमांडेंट
2. सुरेन्द्र सिंह
   कांस्टेबल
3. जगरूप सिंह
   कांस्टेबल
4. सुजाराम
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

एक विशेष सूचना पर, ऊधमपुर जिले (जम्मू और कश्मीर) में बखीवाल के जंगली क्षेत्र में श्री अमित कुमार, सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में लम्बी दूरी के गश्ती दल ने 21 जनवरी, 2005 को एक तलाशी अभियान चलाया। लगभग 0930 बजे जब लम्बी दूरी का गश्त दल घने जंगल की ओर गया तो, उसने जंगल में आतंकवादियों के छिपने के संभावित ठिकाने की ओर जाने वाले रास्ते पर गिरी बर्फ पर पैरों के निशान देखे। श्री अमित कुमार सहायक कमांडेंट ने तुरंत स्थिति को भापा और ठिकाने की घेराबंदी करने हेतु जवानों को तैनात किया। तथापि, पार्टी द्वारा ठिकाने के प्रवेश का पता लगाने से पहले ही एक आतंकवादी ठिकाने से बाहर आया और उसने अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी जिसका तत्परता से जवाब दिया गया। इसी बीच, ऊंची पहाड़ियों पर स्थित आतंकवादियों के एक गुट ने फंसे हुए आतंकवादियों को बचाने के लिए बी एस एफ पार्टी की तरफ स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी शुरु कर दी। जब आतंकवादियों के साथ भारी गोलीबारी हो रही थी तब कांस्टेबल सुरेन्द्र सिंह ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए, उनके ठिकाने की छत में बने छेद द्वारा धीरे

से ग्रेनेड डालने के लिए ठिकाने तक गए परन्तु ऊंची छत पर मौजूद आतंकवादी ने गोलीबारी कर दी जिससे कांस्टेबल सुरेन्द्र सिंह घायल हो गए। घायल होने की बावजूद कांस्टेबल सुरेन्द्र सिंह उनके ठिकाने के भीतर ग्रेनेड फेंकने में सफल हो गए। इसी बीच कांस्टेबल जगरूप सिंह भी एल एम जी लिए हुए आगे आए और उग्रवादियों की मौजूदगी वाले ऊंचे स्थान से की जा रही गोलीबारी को निष्प्रभावी कर दिया। ऐसा करते समय उनके सिर में गोली लगी जिससे वह घायल हो गए। घायल होने के बावजूद कांस्टेबल सुरेन्द्र सिंह और कांस्टेबल जगरूप सिंह अपनी स्थिति पर डटे रहे और आतंकवादियों पर गोलीबारी करते रहे। गोलीबारी के दौरान श्री अमित कुमार सहायक कमांडेंट भी बाएं कान में किरचे लगने से घायल हो गए। ऑपरेशन के लिए और अधिक कुमक भेजी गई। 84 एम एम सी जी आर एल और 30 एम एम ए जी एल से गोलीबारी करने के बावजूद भी उग्रवादियों के ठिकाने को नष्ट नहीं किया जा सका। छिपे हुए घायल आतंकवादी अभी भी हमलावर पार्टी को व्यस्त रखे हुए थे। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण संख्या 010088539 कांस्टेबल सुजा राम बड़ी निडरता से रेंगते हुए ठिकाने के प्रवेश द्वार तक पहुंचे और उन्होंने ठिकाने में दो ग्रेनेड डाल दिए जिसके कारण ठिकाने से हो रही गोलीबारी बंद हो गई। ऑपरेशन 21 जनवरी, 2005 को खत्म हुआ और घायलों को ऑपरेशन बेस केम्प ले जाया गया। खराब मौसम और भारी बर्फबारी के कारण, क्षेत्र की तलाशी 23 जनवरी, 2005 को ली गई जिसमें 01 यू जी बी एल, 01 ए के 47 मैगजीन और ए के गोलाबारूद के 34 ई एफ सी उस स्थल से बरामद किए गए। 15 मार्च, 2005 को गोली लगा एक शव नहर गली से बरामद हुआ जिसकी बाद में पहचान मोहम्मद तौशीद(कोड चिन्ह-टाइगर 02) के रुप में हुई। बर्फ के पिघलने के बाद, 6 से 12 अप्रैल, 2005 की कार्रवाई में सैनिकों को 02 नग ए के राईफल्स, 04 नग ए के मैगजीन, ए के गोलाबारूद के 114 राऊंड ओर 01 रेडियो सेट के साथ दो और शव बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री अमित कुमार, सहायक कमांडेंट, सुरेन्द्र सिंह, कांस्टेबल, जगरूप सिंह, कांस्टेबल और सुजा राम, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 21 जनवरी, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 71-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री अब्दुल हमीद,
लांस नायक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

विशिष्ट सूचना के आधार पर, 10 मार्च, 2005 को, सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ) की 143 वीं बटालियन की टुकड़ी ने यारीपोरा गांव, जिला अनंतनाग (जम्मू और कश्मीर) के क्षेत्र में घात बिछाने की योजना बनाई। घात स्थल के रास्ते में 1 अधीनस्थ अधिकारी तथा 11 अन्य रैंक के अधिकारियों की एक पार्टी ने जिला अस्पताल यारीपोरा के निकट रजि. सं.जे के -03 -8538 की एक टाटा सूमो (सफेद रंग की) को रोका जो फ्रिसल टाऊन की तरफ से आ रही थी। लांसनायक अब्दुल हमीद और कांस्टेबल पी सी लालनुंट लुआंगा, जो घात पार्टी के स्काउट थे, ने ड्राइवर को इंजन और हैड लाइट बंद करने का निदेश दिया। उस वाहन में मौजूद लोगों की संदिग्ध गतिविधियां महसूस करने और यह अनुभूति होने पर कि वे उग्रवादी है, लांस नायक अब्दुल हमीद ने सूझबूझ का परिचय देते हुए तथा फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए ड्राइवर के साथ वाली सीट में बैठे उग्रवादी को खींच कर नीचे गिरा दिया। इससे पहले कि वह उग्रवादी ग्रनेड निकाल पाता लांस नायक अब्दुल हमीद ने काफी निकट की लड़ाई में उस उग्रवादी को मार गिराया। इसी बीच, अन्य उग्रवादी ने, जो उस वाहन के पीछे की सीट पर बैठा हुआ था, लांसनायक अब्दुल हमीद और कांस्टेबल पी सी लालनुंत लुआंगा पर गोलियां चला दी। जिसके फलस्वरुप कांस्टेबल पी सी लालनुंत लुआंगा के बायें हाथ का ऊपरी हिस्सा गोली लगने से जख्मी हो गया। तथापि, दूसरा उग्रवादी, जख्मी होने के बावजूद अंधेरे का लाभ उठाते हुए बचकर भाग निकलने में सफल हो गया। उस क्षेत्र की तलाशी लेने पर, 01 ए के राइफल, 03 -ए के मैगजीन, ए के गोलाबारुद के 100 राऊंड और एक टाटा सूमो के साथ-साथ एक उग्रवादी का शव बरामद हुआ। मारे गए उग्रवादी की बाद में पहचान जिला कुलगाम (जम्मू और कश्मीर) के निवासी मोहम्मद सरताज अहमद डार पुत्र गुलाम मुस्तफा डार (एल ई टी गुट का जिला कमांडर) के रूप में की गई।

इस मुठभेड़ में, श्री अब्दुल हमीद, लांस नायक, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 10 मार्च, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 72-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. **रफीक अजीज खान**
   कांस्टेबल
2. **आर एस बिष्ट**
   सहायक कमांडेंट
3. **जोगी शाह**
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

बिसमई- करमूल्ला टॉप, जिला पुलवामा (जम्मू और कश्मीर) के क्षेत्र में चोटी के उग्रवादी नेता की गतिविधि के बारे में स्रोत और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अवंतीपुरा से प्राप्त एक विश्वसनीय सूचना के आधार पर 1 अक्तूबर, 2005 को एस ओ जी, त्राल के साथ मिलकर बी एस एफ की 173 वीं बंटालियन द्वारा एक विशेष अभियान शुरु किया गया। उग्रवादियों की गतिविधि के सभी संभावित रास्तों में घात बिछाई गई। लगभग 1745 बजे, जब अंधेरा हो गया, तब श्री आर एस बिष्ट, सहायक कमांडेंट और पार्टी द्वारा बिछाई गई घात में दो व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधि महसूस की। उन्हें चुनौती दिए जाने पर उन्होंने घात पार्टी पर गोलियां चला दीं और एक ग्रेनेड फेंका। श्री आर एस बिष्ट, सहायक कमांडेंट ने तत्काल उस उग्रवादी पर अपनी ए के 47 राइफल से गोली चला दी जो उस उग्रवादी को लगी और वह नीचे गिर पड़ा। वह अधिकारी कांस्टेबल जोगी शाह के साथ उग्रवादी की ओर रेंगते हुए उसकी पोजीशन का पता करने के लिए आगे बढ़ा। तथापि, जख्मी उग्रवादी ने एक और ग्रेनेड फेंका जो एक खड्ड में गिरा और फट गया। लेकिन उससे कोई जख्मी नहीं हुआ। उस असहाय उग्रवादी ने एक और ग्रेनेड फेंकने का प्रयास किया लेकिन आसन्न खतरे को महसूस करते हुए, श्री आर एस बिष्ट, सहायक कमांडेंट और कांस्टेबल जोगीशाह, अपनी जान को खतरे में डालकर, उग्रवादी की ओर दौड़े तथा उसे काबू में कर लिया। पकड़े गए उग्रवादी की पहचान बाद में करमुल्ला, त्राल, जिला पुलवामा (जम्मू और कश्मीर) के निवासी मुश्ताक गुज्जर पुत्र नूरिया गुज्जर (एच एम गुट) के रुप में की गई। उसे प्राथमिक चिकित्सा के लिए टाक मुख्यालय त्राल (जम्मू और कश्मीर) ले जाया गया और बाद में उसे पुलिस स्टेशन त्राल को सौंप दिया गया। दूसरा उग्रवादी अभी भी गोलीबारी कर रहा था। कांस्टेबल रफीक अजीज खान द्वारा यह अनुमान लगाए जाने पर कि इस उग्रवादी को मौजूदा पोजीशन से निष्क्रिय नहीं किया जा सकता है, वे अपनी जान की जरा सी परवाह न करते हुए अपनी पोजीशन से बाहर निकल आए और उन्होंने उस उग्रवादी पर एक सटीक गोली चलाई और उसे घटनास्थल पर ही मार

गिराया। मारे गए उग्रवादी की पहचान अब्दुल रशीद गुज्जर उर्फ बिशारत/रशीदा पुत्र गुलाम मोहम्मद गुज्जर निवासी जदिमार, मचामा, त्राल (जम्मू और कश्मीर) (एच एम गुट का ऑपरेशनल कमांडर) के रुप में की गई। वहां से 01 ए के 47 राइफल, ए के मैगजीन के 5 नग और ए के श्रेणी के गोलाबारुद के 122 राऊंड बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री रफीक अजीज खान कांस्टेबल, आर एस बिष्ट, सहायक कामांडेंट और जोगी शाह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 1 अक्टूबर, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 73-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व /श्री

1. **टेनिसन जमातिया,** **(मरणोपरांत)**
   कांस्टेबल
2. **विशरी,**
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

जनवरी/ फरवरी, 2005 के माह में राज्य विधान सभा चुनाव ड्यूटी के लिए झारखंड के जिला पलामू में सीमा सुरक्षा बल की 17 वीं बटालियन की "सी" कंपनी तैनाती की गई। इस कंपनी को पुलिस स्टेशन मनातू (झारखंड) के अंतर्गत नक्सलियों के एक गढ़ अर्थात् मितर मतदान केन्द्र में पुन: मतदान कराने के लिए तैनात किया गया। 7 फरवरी, 2005 को लगभग 0750 बजे बी एस एफ की 17 वीं बटालियन की "सी" कंपनी की टुकड़ियां पैदल ही मतदान केन्द्र मित्तर की ओर बढ़ी। वह रास्ता उबड़-खाबड़ और घने जंगल वाला था। मित्तर मतदान केन्द्र मित्तर के रास्ते में नक्सलियों द्वारा कई बारूदी सुरंगें सक्रिय करके तथा घात लगाकर गश्त पार्टी की टुकड़ियों पर भारी गोलीबारी की गई। पैदल टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे बी एस एफ की 17 वीं बटालियन के कांस्टेबल टेनिसन जमातिया और कांस्टेबल विशरी पर बारुदी सुरंग के विस्फोट का पूरा प्रभाव पड़ा और उसके परिणामस्वरुप दोनों के मुंह कई छर्रों के लगने से कई जगह जख्मी हो गए। जख्मी होने के बावजूद उन्होंने वीरतापूर्वक जवाबी गोलीबारी की और नक्सलियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस मुठभेड़ में बी एस एफ की 17 वीं बटालियन के कांस्टेबल टेनिसन जमातिया और कांस्टेबल विशरी ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अनुकरणीय साहस और उत्कृष्ट कार्रवाई का प्रदर्शन किया और नक्सलियों द्वारा लगाई गई घात को विफल कर दिया तथा अपनी टुकड़ियों को हताहत होने से बचा लिया। इस घात - रोधी अभियान में कांस्टेबल टेनिसन जमातिया ने राष्ट्र की सेवा के लिए उच्चतम बलिदान किया।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री (दिवंगत) टेनिसन जमातिया, कांस्टेबल और विशरी, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 फरवरी, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 74-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व /श्री

1. रमेश टी.
कांस्टेबल

2. मुकेश
उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

28 जुलाई, 2004 को बड़गाम (श्रीनगर) जम्मू और कश्मीर के गांव-वथूरा में लश्कर-ए-तैयबा के दो सशस्त्र खतरनाक उग्रवादियों की उपस्थिति के संबंध में प्राप्त विशिष्ट सूचना के आधार पर, बी एस एफ की 96 वीं बटालियन की टुकड़ियों द्वारा एक घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया। घेराबंदी करने वाली पार्टी में से एक पार्टी के पार्टी कमांडर, उप निरीक्षक मुकेश ने लक्षित घर के पीछे चुपचाप पोजीशन ले ली। वहां दृश्यता काफी कम थी क्योंकि वह क्षेत्र घनी झाड़ियों और ऑर्किडस से ढका हुआ था। स्थिति का आकलन करने के पश्चात , उप निरीक्षक मुकेश ने अपने ग्रुप के चार सदस्यों के साथ मिलकर उस घर के पीछे की तरफ से उग्रवादियों के बच कर निकल भागने के संभावित रास्ते को कवर करने हेतु घर के जरा सा पीछे पोजीशन ले ली। कुछ समय के पश्चात उप निरीक्षक मुकेश ने 10 से 15 मीटर की दूरी पर दो उग्रवादियों को देखा। नजदीक जाने पर, सबसे आगे के उग्रवादी ने बी एस एफ की टुकड़ियों को देख लिया और उसने उप निरीक्षक मुकेश और उसकी पार्टी पर गोलियां चला दीं। तत्पश्चात दूसरे उग्रवादी ने भी गोलियां चलानी शुरु कर दीं। उप निरीक्षक मुकेश ने अपनी जान की जरा सी भी परवाह न करते हुए प्रभावी जवाबी गोलीबारी की और एक उग्रवादी को पीछे की तरफ गोली मार दीं जिसके फलस्वरूप वह नीचे गिर गया। उग्रवादी को नीचे गिरते हुए देखकर कांस्टेबल रमेश टी ने पोजीशन ले ली और सटीक गोलीबारी की और उस उग्रवादी को घटनास्थल पर मार

गिराया। समीप के एक घर में छिपे हुए दूसरे उग्रवादी ने घेराबंदी करने वाली पार्टी पर एक ग्रेनेड फेंका और उस विस्फोट का और उसके बाद हुए उसके प्रभाव का लाभ उठाते हुए वह कमरे से बाहर कूद गया तथा बच कर भागने में कामयाब हो गया। 01 ए के 47 राइफल, 06 ए के मैगजीन और ए के श्रेणी के 175 राउंड के साथ-साथ एक उग्रवादी के शव की बरामदगी की गई। मृत उग्रवादी की बाद में पहचान फैशल शाह (सांकेतिक नाम अबु मूसा) उर्फ नईम भाई के रुप में की गई।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री रमेश टी., कांस्टेबल और मुकेश, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28 जुलाई, 2004 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 75-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री एम. श्रीनिवास,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

20.3.2004 को एक विश्वसनीय सूचना के प्राप्त होने पर, आंध्र प्रदेश पुलिस के तीन कांस्टेबलों के साथ थानाध्यक्ष, कोथागुडा पुलिस स्टेशन की सम्पूर्ण ऑपरेशन कमान के तहत बी/83 बटालियन के छह कांस्टेबलों के साथ संख्या 830440194 हैड कांस्टेबल/ जी डी गजराज सिंह की कमान के अंतर्गत सी आर पी एफ की बी/83 बटालियन की टुकड़ी इड्डुल्लपल्ली गांव में जो कोथागुडा थाने के उत्तर की ओर लगभग 10 किमी की दूरी पर है, 1900 बजे घात लगाने और तलाशी अभियान चलाने के लिए निकल पड़ी। लगभग 2300 बजे, जब पार्टी कोथागुडा थाने के अंतर्गत इड्डुल्लापल्ली गांव के समीप घात लगा रही थी कि तभी सी आर पी एफ पार्टी को महिलाओं और बच्चों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। पार्टी तत्काल उस घर की ओर बढ़ी जहां से चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं और उन्होंने वहां पी डब्ल्यू जी के कुछ अतिवादियों को एक व्यक्ति को बुरी तरह पीटते हुए देखा । उन्हें पता लगा कि वह व्यक्ति टी डी पी के नेता श्री पेंथाला करुणाकर है। उन्हें नक्सलियों से बचाने के 12 से 14 सिविलियनों ने भी प्रयास किए थे। तत्काल सी आर पी एफ के पार्टी कमांडर

ने उस घर की घेराबंदी करने हेतु अपनी कमान के तहत सी आर पी एफ कर्मिकों को आदेश दिया। संख्या 881132879 कांस्टेबल एम. श्रीनिवास पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। लेकिन कांस्टेबल एम श्री निवास और संख्या 9543322132 कांस्टेबल डी. बरूआ ने घेराबंदी करने के लिए दायीं तरफ के अंतिम छोर की ओर चतुराईपूर्ण ढंग से रेंगते हुए आगे बढना शुरू कर दिया। उन्हें देखकर, एक नक्सली ने अपनी एस एल आर से कांस्टेबल एम. श्रीनिवास पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। लेकिन कांस्टेबल एम. श्रीनिवास अपनी जान और व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना, पी डब्ल्यू जी अतिवादी की ओर उत्कृष्ट साहस का प्रदर्शन करते हुए चतुराई पूर्ण ढंग से आगे बढ़ता रहा और उसने अपनी एस एल आर से गोलियां चलाई जो पी डब्ल्यू जी. आतिवादी को लगी जिससे वह मर गया। मारे गए अतिवादी की पहचान गोरिल्ला स्क्वैड के निवासी नरसमपेट निवासी मूला रमेश उर्फ रणजीत, एरिया कमांडर सी पी आई (एम एल), पी डब्ल्यू जी के रूप में की गई जिस पर आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक लाख रुपए के ईनाम की घोषणा की हुई थी। कांस्टेबल श्रीनिवास की वीरतापूर्ण की गई कार्रवाई से श्री पेंथाला करुणाकर, टी डी पी नेता की जान बची और जिसके फलस्वरूप पी डब्ल्यू जी के गोरिल्ला स्क्वैड का एरिया कमांडर मूला रमेश उर्फ उर्फ रणजीत मारा गया। एक 7.62 एम एम एस एल आर और मृत अतिवादी के पास से 17 संख्या के गोलाबारूद से भरी दो मैगजीन, 33 डिटोनेटर्स, 3 बम, फ्लैश युक्त एक कैमरा तथा कुछ अभिशंसी दस्तावेजों वाले दो किट बैग बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में, श्री एम. श्रीनिवास, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20 मार्च, 2004 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं0 76-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री रक्षा राम पाठक, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

कांस्टेबल/जी डी रक्षा राम पाठक उन कुछ व्यक्तियों में से एक थे जो स्वेच्छा से यूनिट की विध्वंसरोधी टीम में शामिल हुए थे। उन्हें विध्वंस रोधी ड्यूटी के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण प्रदान करने के पश्चात विध्वंस रोधी टीम के एक सदस्य के रूप में चुना गया और एफ/141 में उनकी तैनाती की गई। 15 जनवरी, 2005 को लगभग 0655 बजे जब विध्वंसरोधी तलाशी पार्टी, जिसमें एक उप निरीक्षक, दो हैड कांस्टेबल और एफ/141 के 6 कांस्टेबल थे, माइल स्टोन 281 के समीप पंपोरा क्षेत्र में तलाशी कर रही थी, कांस्टेबल/जी डी रक्षा राम पाठक पार्टी में सबसे आगे थे और उनके हाथ में एक खोदनी थी। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-1 ए पर जहां घना जंगल था, एक छोटे पुल की एक मुंडेर के बायीं तरफ कुछ संदिग्ध गतिविधि महसूस करने पर अपनी पार्टी के सदस्यों को सतर्क कर दिया। कांस्टेबल/जी डी रक्षा राम पाठक पार्टी के अन्य सदस्यों को पीछे रुकने के लिए कहकर स्वयं आगे बढ़े और थोड़ी ही दूरी पर खड़े संख्या 031412426कांस्टेबल/जी डी विजय कुमार द्वारा धारित एच एच एस एल के प्रकाश में क्षेत्र की तलाशी ली। कांस्टेबल रक्षा राम पाठक अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी खोदनी का इस्तेमाल करते हुए ध्यानपूर्वक आगे बढ़े। जब वे छिपे हुए आई ई डी का पता लगाने ही वाले थे, कि रिमोट चालित आई ई डी लगाने वाले उग्रवादियों ने उसमें विस्फोट कर दिया, जिसके फलस्वरूप वहां शक्तिशाली विस्फोट हुआ। विस्फोट ने कांस्टेबल/जी डी रक्षा राम पाठक को उस स्थान से 15 मीटर परे फेंक दिया और वे सड़क के परे जा गिरे। उस विस्फोट के फलस्वरुप वह पूरी मुंडेर भी उड़ गई। कांस्टेबल/जी डी रक्षा राम पाठक जिन्होंने हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट और हैलमेट पहनकर सभी एहतियाती उपाय किए हुए थे, फिर भी लीवर के क्षतिग्रस्त होने के साथ उनकी पसलियाँ टूटने के अतिरिक्त उनकी छाती, पेट, अण्डकोश और टांगों में कई जगह छर्रे लगने के कारण जख्म हो गए और जलने से घाव हो गए। इसके अतिरिक्त उनकी आंखे भी जख्मी हो गईं। वे उस विस्फोट के तत्काल प्रभाव के बाद भी जीवित थे और उन्हें तुरंत 92 बेस अस्पताल ले जाया गया जहां वह 19 जनवरी, 2005 तक रहे लेकिन 19.1.2005 को 1500 बजे दुर्भाग्यवश उन्होंने अपने घावों के कारण दम तोड़ दिया।

उस यूनिट में शामिल होने के बाद से ही कांस्टेबल/जी डी रक्षा राम पाठक ने वीरता के संकेत दे दिए थे, और उन्होंने उस क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि महसूस होने के पश्चात अपनी जान को जाखिम में डालते हुए आई ई डी को ढूंढने का साहसिक कार्य किया। उन्होंने अपने साथियों की सुरक्षा के प्रति चिंता भी दर्शाई और स्वयं साहस पूर्ण ढंग से उस दुष्कर कार्य को किया जिससे न केवल उनके साथियों की जाने बची बल्कि उन्होंने एस एफ एस कॉनवॉइ को होने वाले जान-माल के नुकसान को भी होने से बचाया जिसके लिए आई ई डी को लगाया गया था। उनकी पार्टी के केवल दो अन्य कांस्टेबलों अर्थात एच एच एस एल धारित कांस्टेबल वी. विजय कुमार तथा कांस्टेबल राजकुमार को मामूली चोटें आई जबकि उन्होंने अपना जीवन का बलिदान कर दिया। विस्फोट के पूरे ताप को झेलने वाले कांस्टेबल/जी डी रक्षा राम पाठक अपने जीवन का बलिदान करके उग्रवादियों के नापाक इरादों को विफल करने में सफल रहे।

इस मुठभेड़ में, श्री (दिवंगत) श्री रक्षा राम पाठक, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 15 जनवरी, 2005 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं०-77-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनके शौर्य के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री के. आर. रंगास्वामी,

कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

12.5.2003 को श्री एल. डेविड, ए/सी, ओ/सी, सी/113 बटालियन, सी आर पी एफ के साथ 12 व्यक्तियों की एक पार्टी, भारतीय स्टेट बैंक, कुपवाड़ा से सी आर पी एफ की सी/113 बटालियन के कार्मिकों की अप्रैल , 2003 महीने के वेतन के बैंक ड्राफ्ट को भुनाने के लिए दो वाहनों (जिप्सी और एक टोनर) में कुपवाड़ा (जम्मू और कश्मीर) की ओर निकले। एस बी आई कुपवाड़ा पहंचने पर, पार्टी को बैंक खुला नहीं मिला, इसलिए ओ सी ने डी पी एल, कुपवाड़ा (डी ई ई टी/ 113) से संख्या 880909346 एस / के बी. के रमेह को लेने का निर्णय लिया जिन्हें 9.5.2003 को डी पी एल के लिए भेजा गया था। एस/ के बी के रमेह को साथ में लेने के बाद, पार्टी एस बी आई कुपवाड़ा पहुंची, जो इस समय तक खुल गया था और एस बी आई के सामने सुरक्षा की सही तैनाती सुनिश्चित , करने के बाद, सी आर पी एफ के चार कार्मिकों के साथ ओ सी बैंक में पहुंचे। लगभग 1045 बजे, आतंकवादी अचानक सी पी एम एफ /पुलिस वर्दी में दिखाई पड़े और यू पी स्वीट हाऊस बिल्डिंग के ऊपर खाली होटल से उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। उनकी पहली बौछार ने संख्या 931130457 सी टी/जी डी बी. प्रसाद और संख्या 880909346 एस/के बी.के रमेह पर प्रहार किया और उन्हें मौके पर ही मार गिराया। संख्या 941382495 सी टी/ जी डी के. आर. रंगा स्वामी भी बांयी जांघ में गोली लगने से घायल हो गए। पार्टी के अन्य कार्मिकों ने गोलीबारी का जवाब दिया और बन्दूकी लड़ाई शुरु हो गई। फियादीन अंधाधुध गोलीबारी कर रहे थे और ग्रेनेड फेंक रहे थे। इसके बाद, फियादीन ने बैंक के अन्दर ग्रेनेड फेंकने का प्रयास किया ताकि बल कार्मिकों के साथ बैंक के अन्दर ग्राहकों को भी ज्यादा चोट पहुंचाई जा सके। उसी क्षण, सी टी/जी डी के. आर. रंगा स्वामी ने तत्काल अपनी बुद्धिमता का परिचय देते हुए द्रुत गति से प्रतिक्रिया की और उस फियादीन पर गोलीबारी शुरु कर दी जो बैंक के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। गोली उसकी जांघ में लगी जिसके परिणामस्वरूप फियादीन की ग्रनेड से पकड़ ढीली हो गई और वह मोर्चे में गिर गया। ग्रेनेड फट गया जिसके फलस्वरुप फियादीन की गर्दन से ऊपर का हिस्सा फट गया और वह मर गया। संख्या 941382495 सी टी /जी डी के आर. रंगास्वामी को यह पूरी तरह मालूम था कि दूसरा आतंकवादी उसे फियादीन पर गोलीबारी करते हुए देख लेगा और उन्हीं पर गोलीबारी चला देगा। किन्तु यह सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया और अपनी जिन्दगी की परवाह न करके, उच्च कोटि के पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए, उन्होंने आतंकवादी पर गोलीबारी शुरु दी जिसके कारण आतंकवादी मारा गया। इस कारनामें से यह पता चलता है कि सी टी /जी डी के आर.रंगास्वामी ने पूरी गंभीरता और जिम्मेवारी से अपनी ड्यूटी निभाई जिसके कारण कई सौ बहुमूल्य जिन्दगियों और सरकारी सम्पत्ति को बचाया जा सका क्योंकि बैंक के अन्दर घुसने का प्रयास करने वाला आतंकवादी कई लोगों को मार सकता था क्योंकि बैंक में बहुत ग्राहक मौजूद थे। हेहमा चौक की ओर दोड़ रहे दूसरे आतंकवादी ने देखा

कि सी टी /जी डी के आर रंगा स्वामी ने उसके साथी को मार गिराया है, इसलिए उसने सीटी /जी डी के आर रंगास्वामी पर गोलियों की बौछार कर दी और उनको बुरी तरह से घायल करके घटनास्थल से बच कर भागने में सफल हो गया। इस प्रकार उक्त घटना में, आतंकवादियों द्वारा की गई गोलियों की प्रथम बौछार में गम्भीर रुप से घायल हुए सी आर पी एफ की 113 वीं बटालियन के सी टी/जी डी के आर रंगास्वामी यह भी भली-भांति जानते हुए कि वे अन्य आतंकवादी द्वारा की जाने वाली गोलीबारी की जद में आ जाएंगे उन्होंने उच्च कोटि की वीरता का प्रदर्शन करते हुए और अपनी जान की परवाह न करते हुए उस फियादीन पर गोली चला दी जो बैंक में घुसने का प्रयास कर रहा था।

इस मुठभेड़ में, श्री के. आर. रंगास्वामी, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 12 मई, 2003 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं078-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियो के नाम और रैंक

1. **पवन कुमार सिंह,**
   उप कमांडेंट
2. **सुरेश कुमार,**
   हैड कांस्टेबल
3. **रामानुज कुमार सिंह,**
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

10 और 11 मई, 2004 की मध्य रात्रि में विश्वसनीय सूत्र से एक सूचना प्राप्त हुई कि हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के दो से तीन वरिष्ठ कमांडर पांडिअक, श्रीनगर से होकर जाएंगे। वे आत्मघाती हमले (फियादीन हमला) के द्वारा घाटी के वरिष्ठ राजनीतिज्ञों को मारने की योजना बना रहे थे, ताकि आतंक फैलाया जा सके। श्री पवन कुमार सिंह, उप कमांडेंट (डी सी), औ पी एस (आई आर एल ए संख्या 4729) ने उनके नापाक इरादे को नाकाम करने के लिए अवसर का लाभ उठाया। यह अधिकारी मुश्किल भू भागों से अच्छी तरह से परिचित था। उसने जमीनी स्थिति का

आकलन किया और घात लगाने की योजना बनाई। व्यक्तिगत उदाहरण पेश करते और आगे बढ़कर नेतृत्व करते हुए, श्री पवन कुमार सिंह एच सी/जी डी सुरेश कुमार और सी टी/जी डी रामानुज कुमार सिंह और एस ओ जी (जे के पी) के तीन कार्मिकों के साथ संभावित स्थान पर पहुंच गए। 11.5.2004 को 0025 बजे के लगभग भेदिये ने संदिग्ध गतिविधि महसूस की। श्री पवन कुमार सिंह ने शांत रहते हुए अपने साथियों को गोली चलाने से रोका और संदिग्धों को नजदीक आने दिया। मरने मारने की स्थिति आने पर उन्होंने चुनौती देते हुए उनको अपनी पहचान बताने के लिए कहा परन्तु उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और आड़ ले ली। उचित ढंग से गोलीबारी, कमान और नियंत्रण को सुनिश्चित करते हुए, श्री पवन कुमार सिंह ने आतंकवादियों की गोलीबारी को निष्प्रभावित कर दिया। आतंकवादी अनेक ग्रेनेड फेंकते हुए पीछे हटे और उन्होंने पुन: जोरदार हमला किया और कार्रवाई पार्टी को अधिक से अधिक क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से भारी गोलीबारी शुरू कर दी। श्री पवन कुमार सिंह ने अपनी सूझ-बूझ नहीं खोई। स्थिति का पूरा उत्तरदायित्व लेते हुए श्री पवन कुमार सिंह ने एक रणनीति सोची और क्षति से बचने के संबंध में अपने साथियों को स्थिति बदलने और आतंकवादियों पर लक्ष्योंमुखे हमला करने का कहा। श्री पवन कुमार सिंह ने एच सी सुरेश कुमार और 116 बटालियन और 3 एस ओ जी (जे के पी) के कार्मिक सी टी रामानुज कुमार सिंह को दायी तरफ से उन्हें कवर करने के आदेश दिए। दोनों छोटे हथियारों एवं ग्रनेडों से हो रही भारी गोलीबारी के अधीन कुशलता का प्रदर्शन करते हुए उन दोनों ने चतुराई से अपनी स्थिति को पुन: व्यवस्थित किया और रेंगते हुए दायीं तरफ के सूचित स्थान पर पहुंचें और छिपे हुए आतंकवादियों पर काबू पाने के लिए उन पर लगातार गोलीबारी करते रहे। श्री पवन कुमार सिंह अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते रहे और नजदीकी लड़ाई में दुर्दान्त आतंकवादी को मार गिराया जिसकी बाद में पहचान शकील अंसारी, हिज्ब-उल- मुजाहिदीन के मुख्य प्रचालक के रुप में हुई।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री पवन कुमार, उप कमांडेंट, सुरेश कुमार, हैड कांस्टेबल और रामानुज कुमार सिंह कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11 मई, 2004 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 दिसम्बर 2006

संकल्प

सं. क्यू/हिंदी/621/21/2006--

दिनांक 8 फरवरी, 2005 के संकल्प सं. क्यू/हिंदी/621/88/98 में आंशिक संशोधन करते हुए विदेश मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में श्री नवीन जिंदल, संसद सदस्य(लोक सभा) और श्रीमती कमला मनहर, संसद सदस्य (राज्य सभा) के स्थान पर क्रमशः कुंवर मानवेन्द्र सिंह, संसद सदस्य(लोक सभा) और श्री द्विजेन्द्र नाथ शर्मा, संसद सदस्य(राज्य सभा) को नामित किया जाता है। विदेश मंत्रालय द्वारा नामित दो गैर-सरकारी सदस्यों, श्री हिमांशु जोशी और डा0 वेद प्रताप वैदिक के स्थान पर श्री अलोक मेहता और श्री बाल कवि बैरागी को विदेश मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की शेष अवधि के लिए नामित किया जाता है । समिति के कार्य, कार्य क्षेत्र और कार्यकाल यथावत रहेंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति निम्नलिखित को प्रेषित की जाएः

राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लेखापरीक्षा निदेशक, केन्द्रीय राजस्व, समिति के सभी सदस्य और भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण के सूचनार्थ यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

वी. पी. हरन
संयुक्त सचिव

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 2007

संकल्प

सं0 2/2/2003-एनएस-I भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग ने वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहे एक अधीनस्थ कार्यालय/संगठन, राष्ट्रीय बचत संगठन (एनएसओ) को दिनांक 29.10.2003 के अपने संकल्प के द्वारा राष्ट्रीय बचत संस्थान (एनएसआई) के रूप में पुनर्गठित किया है।

उक्त संकल्प के पैरा 2 में राष्ट्रीय बचत संस्थान के स्टाफ का ब्यौरा दिया गया है।

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में दी गई सारणी की क्रम सं0 1 और 8 के सामने निर्दिष्ट पदों को पुनः पदनाम देने के लिए दिनांक 29.10.2003 के संकल्प सं0 2/2/2003 एनएस(I) में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए निम्नलिखित संशोधनों को अधिसूचित किया गया है।

पैरा 2 के नीचे सारणी 2 में क्रम सं0 1 और 8 के सामने प्रविष्टियों को निम्नलिखित प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :

क्रम सं0	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या (छूटटी रिजर्व सहित)
1	निदेशक	18400-500-22400	1
2	निजी सचिव	6500-200-10500	1

एल. एम. वास
संयुक्त सचिव

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 9 जनवरी 2007

संकल्प

सं. एमओईएस/एसईसीवाई/ईसी/1/2006--

यह महसूस करते हुए कि मानसून राष्ट्रीय जीवन को बुरी तरह प्रभावित करते हैं तथा इससे भारत के जन-जीवन पर प्रभाव पड़ता है, यह मानते हुए कि वायुमण्डल, महासागर तथा धरती एक जटिल युग्मित प्रणाली है, इस बात पर गौर करते हुए कि देश सूखा, बाढ़, भूकंप, सुनामी इत्यादि सहित अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का शिकार रहा है, तथा इस बात पर ध्यान देते हुए कि सामान्यतया आम आदमी तथा कृषि, मात्स्यिकी तथा सभी औद्योगिक कार्य-कलाप दोनों के लिए भूमि और जल प्रमुख संसाधन हैं, सरकार ने पृथ्वी विज्ञान में राष्ट्रीय प्रयास को एकीकृत करने के लिए एक प्रमुख नई पहल आरम्भ करने का संकल्प लिया है । यह महसूस किया गया है कि इक्कीसवीं सदी में जल, वैश्विक जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, भूमि उपयोग तथा समुद्री संसाधनों से संबंधित मुद्दे छाए रहने की संभावना है । सरकारी विभागों द्वारा अलग-अलग समय पर निर्धारित कार्य-कलापों और कार्यक्रमों को अब एकीकृत किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि वायुमण्डल, भूमि और महासागर को शामिल करते हुए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता विश्व स्तर पर तेजी से महसूस की जा रही है, इसके परिणामस्वरुप पृथ्वी प्रणाली विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रों के भीतर एक प्रमुख अंतर-विधात्मक वैज्ञानिक प्रयास के रुप में उभरा है ।

2. मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, भूकंप विज्ञान और संबंधित पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (पृविमं) की स्थापना करने का निर्णय लिया है, इसका पर्यवेक्षण परमाणु ऊर्जा आयोग और अंतरिक्ष आयोग की तर्ज पर गठित पूर्ण कार्यकारी और वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त पृथ्वी आयोग करेगा ।

3. आयोग का गठन

(क) आयोग, प्रभारी पृथ्वी विज्ञान मंत्री के अधीन होगा ।

(ख) आयोग में पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य होंगे । इसमें कम से कम चार तथा अधिकतम कुल बारह सदस्य होगें ।

(ग) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव आयोग के अध्यक्ष होंगे ।

(घ) आयोग का एक सदस्य (वित्त) होगा, जो वित्तीय मामलों में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में भारत सरकार का पदेन सचिव भी होगा ।

4. कार्य

पृथ्वी आयोग के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

(क) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की नीतियां तैयार करना ।

(ख) मंत्रालय के लिए बजट तैयार करना ।

(ग) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आने वाले पृथ्वी विज्ञान से संबंधित सभी मामलों में नियमों और नीतियों का कार्यान्वयन ।

(घ) इसके नियंत्रणधीन संगठनों के भीतर व संगठनों के बाहर जनशक्ति की मंजूरी/छंटनी/पुनर्तैनाती करने के उद्देश्य से इसके प्रत्येक केन्द्र/संस्थान में जनशक्ति की आवश्यकता का मूल्यांकन ।

(ङ) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय जनशक्ति का चयन और नियुक्ति करने के लिए अपनी स्वयं की क्रियाविधियां निर्धारित करना ।

(च) मानव संसाधन विकास में अच्छी तरह पहल करने को बढ़ावा देना ताकि पृथ्वी विज्ञान में राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए उचित प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध हो सके । साथ ही विश्वविद्यालयों और अन्य अनुसंधान केन्द्रों में पृथ्वी विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वित्तपोषण संबंधी क्रियाविधियां निर्धारित करना ।

(छ) सरकार की विभिन्न एजेन्सियों द्वारा चलाए जा रहे पृथ्वी विज्ञान से जुड़े सभी कार्यकलापों के लिए एक नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करना तथा इस प्रकार की गतिविधियों को पृथ्वी आयोग के कार्यक्रमों के साथ समेकित करना ।

(ज) उपयुक्त कार्यकारी तन्त्रों का सृजन करना, इसमें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के कार्यों को करने के लिए समय-समय पर आवश्यक और उपयुक्त अतिरिक्त केन्द्रों और इकाइयों की स्थापना करना भी शामिल है ।

(झ) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के केन्द्रों और इकाइयों तथा संबद्ध कार्यों से जुड़े अन्य संगठनों के भीतर प्रोगाम कार्यालयों के माध्यम से उपयुक्त नेटवर्क वाले तंत्र का सृजन करना ताकि निर्धारित कार्यक्रमों/परियोजना के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके ।

(ञ) पृथ्वी विज्ञान से संबद्ध मामलों पर संसद द्वारा उपयुक्त राष्ट्रीय कानून बनाने के लिए कार्रवाई करना ।

5. संसद द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधानों की सीमा के भीतर ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के कार्यों को करने के लिए आयोग को भारत सरकार के प्रशासनिक एवं वित्तीय दोनों अधिकार प्राप्त होंगे ।

6. अध्यक्ष

(क) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव की हैसियत से इसके अध्यक्ष, तकनीकी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी होंगे तथा पृथ्वी विज्ञान नीति संबंधी मामलों पर सरकार को सुझाव भी देंगे । नीति और संबद्ध मामलों पर आयोग की सभी सिफारिशों को अध्यक्ष के माध्यम से संबंधित मंत्री को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ख) अध्यक्ष को आयोग के अन्य सदस्यों की बात न मानने का अधिकार होगा, परंतु सदस्य (वित्त) को उन वित्तीय मामलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार होगा जिन मामलों में वह अध्यक्ष से सहमत नहीं है तथा ऐसे मामलों को प्रभारी मंत्री और वित्त मंत्री को भेजा जा सकता है ।

(ग) अध्यक्ष, आयोग के किसी भी सदस्य को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दे सकते हैं, बशर्ते कि वे समय-समय पर इस आशय के सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश जारी करें जिनमें उनकी ऐसी शक्ति और अधिकारों का उल्लेख किया गया हो ।

7. वित्त सदस्य

वित्त सदस्य इस मंत्रालय को अब तक सौंपी गई अथवा प्रत्यायोज़ित शक्तियों अथवा भविष्य में सौंपी जानी वाली या प्रत्यायोजित की जाने वाली शक्तियों के अलावा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित वित्तीय मामलों में भारत सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेंगे ।

8. आयोग को अपनी स्वयं की नियम-प्रक्रिया तैयार करने का अधिकार होगा । आयोग की बैठक के समय और स्थान का निर्धारण अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा ।

9. आवश्यकतानुसार सुधार लाने के लिए पृथ्वी आयोग में पुनर्गठित निकायों के कार्यनिष्पादन की तीन वर्ष बाद समीक्षा की जाएगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

प्रकाश कुमार
संयुक्त सचिव एवं
सचिव, पृथ्वी आयोग

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी 2007

शुद्धिपत्र

सं. एफ. 9-25/2000/यू-3--

इस मंत्रालय की दिनांक 28 दिसम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या 9-25/2000-यू.3 में आंशिक संशोधन करते हुए उपर्युक्त अधिसूचना में 'स्कूल' शब्द के स्थान पर 'कालेज' रखा जाए और इसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

विद्यापीठम के अनुरोध और इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विद्यापीठम की उपर्युक्त संघटक संस्था अर्थात "अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साईंसेज, कोच्चि" के नाम को तत्काल प्रभाव से बदलकर 'अमृता कालेज ऑफ नर्सिंग, कोच्चि' करने की अनुमति प्रदान करती है।

2. ..."

केशव देसिराजु
संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 2007

सं. एफ. 3-1/2007-यू.3--

भारत सरकार भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद में एक नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक कार्य के हित को ध्यान में रखते हुए श्री के.एम. आचार्य, अपर सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अस्थायी रूप से भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त करती है। श्री के.एम. आचार्य तत्काल प्रभाव से भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करेंगे।

रवि माथुर
संयुक्त सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 2007

संकल्प

सं. एफ. 12-30/2006 - ए एण्ड ए। सरकार, अनुसंधान, सर्वेक्षणों और अन्य कार्यकलापों से सम्बंधित कार्यक्रमों पर भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सलाह देने के लिए, निम्नलिखित संघटन के अनुसार भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण हेतु सलाहकार समिति का पुनर्गठन करती है।

	सदस्य :	
1.	श्री बादल के. दास, सचिव, संस्कृति मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	प्रो. टी. एन. मदान, अवकाशप्राप्त प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड चेयरमैन, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, दिल्ली यूनीवर्सिटी एनक्लेव, दिल्ली-110007	सदस्य
3.	प्रो. ए. सी. भगवती, (सेवानिवृत्त प्रोफेसर, मानव-विज्ञान तथा भूतपूर्व कुलपति, अरूणाचल बिश्वविद्यालय) मानद समन्वयक, फील्ड स्टेशन, पूर्वोत्तर भारत, आई जी एन सी ए राष्ट्रीय राजमार्ग, 37 (बाई पास) जालुकबारी, गुवाहाटी - 781014	सदस्य
4.	प्रो. ई. हरिबाबू, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद-500046	सदस्य
5.	प्रो. टी. बी. सुब्बा, प्रोफेसर, मानव-विज्ञान विभाग नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनीवर्सिटी शिलांग, मेघालय - 783014	सदस्य
6.	प्रो. एस. बी. रॉय, परामर्शदाता, प्रिंसिपल फैकल्टी एंड हॉनरेरी चेयरमैन, आई बी आर ए डी, 3-ए, हिंदुथान रोड, गैयाहाट, कोलकाता-700029	सदस्य

7.	डॉ. पी. एस. चौहान, (अवकाशप्राप्त भूतपूर्व चिकित्सा वैज्ञानिक, आई सी एम आर, मुंबई तथा सेवानिवृत्त प्रमुख, सेल बॉयोलॉजी, बी ए आर सी), चामहानास, आर एस # 99, सेक्टर-18-ए नेरुल-पश्चिम, नवी मुंबई-400706	सदस्य
8.	डॉ (सुश्री) दीपिका मोहंती, (पूर्व निदेशक इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोहीमैटोलॉजी, मुंबई), 'विजानपुरी', डोलामंडई, कटक-9	सदस्य
9.	प्रो. के. के. बासा, निदेशक, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, (प्रोफेसर और भूतपूर्व विभागाध्यक्ष, मानव-विज्ञान, उत्कल विश्वविद्यालय), पोस्ट बैग स. 2, शामला हिल्स, भोपाल - 462013	सदस्य
10.	डॉ. एस. बी. ओटा, अधीक्षक पुरातत्वविद, नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड ऐंटीक्विटीज, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जनपथ, नई दिल्ली - 110001	सदस्य
11.	डॉ. एस. आर. वालीम्बे, ऐसोसिएट प्रोफेसर, पुरातत्व विभाग, डेक्कन कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे - 411006	सदस्य
12.	प्रो. पी. के. मिश्रा (पूर्व प्रोफेसर, मानव-विज्ञान, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनीवर्सिटी, शिलांग) सुदर्शन, ई 583, जे. पी. नगर, फर्स्ट स्टेज, 17 वॉं मेन, मैसूर - 570008	सदस्य
13.	प्रो. माधव गाडगिल, (प्रोफेसर, सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर) अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगरकर, पुणे - 411004	सदस्य
14.	प्रो. पी. एस. रामकृष्णन, इनसा - वरिष्ठ वैज्ञानिक और अवकाशप्राप्त प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एनवायरनमेंटल साइंसेज, जवाहरलाल नेहरू यूनीवर्सिटी, नई दिल्ली - 110067	सदस्य

पदेन सदस्य :

15.	प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, मानव–विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली - 110007	सदस्य
16.	निदेशक, पुरातत्व विभाग, डेक्कन कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे - 411006	सदस्य
17.	महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जनपथ, नई दिल्ली - 110011	सदस्य
18.	महानिदेशक, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, अंसारी नगर, पोस्ट बॉक्स सं. 4911, नई दिल्ली - 110029	सदस्य
19.	सदस्य सचिव, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, अरूणा आसिफ अली मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं. 10528, नई दिल्ली - 110067	सदस्य
20.	सचिव, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डी बी टी), ब्लॉक - II, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003	सदस्य
21.	सलाहकार (अ.जा/अ.ज.जा) योजना आयोग, 454, योजना भवन नई दिल्ली - 110001	सदस्य
22.	निदेशक, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, 27, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता - 700016	सदस्य सचिव

सलाहकार समिति के विचारार्थ विषय

(i) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसंधान के कार्यक्रमों, सर्वेक्षणों तथा अन्य कार्यकलापों की समय-समय पर समीक्षा और सरकार को उन पर सिफारिश करना।

(ii) सहयोगशील अनुसंधान विषयों, कार्मिकों के आदान-प्रदान, विशेष अध्ययनों, संगोष्ठियों, परिसंवाद और प्रकाशनों के विशेष संदर्भ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विभागों के बीच सहयोग हेतु विशिष्ट उपाय की सिफारिश करना; तथा

(iii) ऐसे अन्य सभी मामलों पर सलाह देना जो इसे सरकार द्वारा विशेष रूप से सौंपे जा सकते हैं।

2. सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल इस संकल्प के जारी होने की तारीख से पाँच वर्ष का होगा। तथापि, सरकार किसी भी सदस्य की सदस्यता, उसका कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व कोई कारण बताए बिना समाप्त कर सकती है अथवा सलाहकार समिति का पूर्णतया पुनर्गठन कर सकती है।

3. समिति की बैठक आवश्यकतानुसार लेकिन कम से कम वर्ष में एक बार अवश्य होनी चाहिए।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

वर्षा सिन्हा
अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी 2007

नियम

सं. 2006/ई(जी.आर./I/1/4)--भारतीय रेल के यांत्रिक विभाग में विशेष श्रेणी अप्रेन्टिसों के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 2007 में ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा के नियम आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

2. परीक्षा परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने से पहले सरकार द्वारा निश्चित किया जाएगा। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों के सम्बन्ध में रिक्तियों का आरक्षण भारत सरकार द्वारा नियत की जाने वाली संख्या के अनुसार किया जाएगा।

3. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट में निर्धारित ढंग से ली जाएगी।

4. उम्मीदवारों के लिए आवश्यक होगा कि वह या तो:

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ड.) कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और केनिया, उगांडा तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य और पूर्वी अफ्रीका देशों से या जांबिया, मलावी, जेरे, इथोपिया और वियतनाम से आया हो।

परन्तु (ख),(ग), (घ) और (ड.) वर्गों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजिबिलिटी) प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

ऐसे उम्मीदवारों को भी उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है जिसके बारे में पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो किन्तु उसको नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा उस सम्बन्ध में पात्रता प्रमाणपत्र जारी कर दिए जाने के बाद ही भेजा जा सकता है।

5. (क) उम्मदीवार के लिए आवश्यक है कि उसकी आयु पहली अगस्त, 2007 को 17 वर्ष हो चुकी हो लेकिन 21 वर्ष न हुई हो अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1986 से पहले और पहली अगस्त, 1990 के बाद का न हो।

(ख) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में ढील दी जा सकती है :--

(1) यदि कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष।

(2) अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उन उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक जो ऐसे उम्मीदवारों के लिए लागू आरक्षण को पाने के पात्र हों।

(3) ऐसे उम्मीदवार के मामले में, जिन्होंने 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान साधारणतया जम्मू और कश्मीर राज्य में अधिवास किया हो, अधिकतम 5 वर्ष तक।

(4) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक 3 वर्ष।

(5) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशनप्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन) कमीशनप्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित पहली अगस्त, 2007 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की हो और जो (1) कदाचार अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न हो कर अन्य कारणों से कार्यकाल समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित है जिनका कार्यकाल पहली अगस्त, 2007 से एक वर्ष के अन्दर पूरा न होता हो) या (2) सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या (3) अशक्तता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक।

(6) आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के उन मामलों में जिन्होंने पहली अगस्त, 2007 को सैनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली है और जिसका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाण-पत्र जारी करता है कि ये सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा, अधिकतम 5 वर्ष।

टिप्पणी : 1 अनुससूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वे उम्मीदवार जो उपर्युक्त नियम 5 (ख) के किन्हीं अन्य खंडों अर्थात् जो भूतपूर्व सैनिकों जम्मू तथा कश्मीर राज्य में अधिवास करने वाले व्यक्तियों की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं, दोनों श्रेणियों के अन्तर्गत दी जाने वाली संचयी आयु सीमा छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे।

टिप्पणी : 2 भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा और पद में पुन: रोजगार) नियम, 1979 के अधीन भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया जाता है।

टिप्पणी : 3 आपतकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा के कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित वे भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन अधिकारी, जो स्वयं के अनुरोध पर सेवामुक्त हुए है, उन्हें उपर्युक्त नियम 5 (ख), (5) और (6) के अधीन आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी।

उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर अन्य किसी भी स्थिति में निर्धारित आयु-सीमा में छूट नहीं दी जा सकती है।

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण-पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रीकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। जो उम्मीदवार उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है वह उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर सकता है।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुण्डली शपथ-पत्र, नगर निगम तथा सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा अन्य ऐसे प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुदेशों के इस भाग में आए हुए "मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र" वाक्यांश के अन्तर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : 1 उम्मीदवार यह ध्यान में रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर परीक्षा प्रमाण-पत्र में या समकक्ष परीक्षा प्रमाण-पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न ही विचार किया जाएगा और न ही उसे स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी : 2 उम्मीदवार यह भी नोट कर ले कि उसके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें किसी भी परिस्थिति में बाद में (या किसी बाद की परीक्षा में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी)।

6. उम्मीदवार ने:--

(क) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड से इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा गणित के साथ और भौतिकी और रसायन विज्ञान में से कम से कम एक विषय लेकर प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो: गणित और भौतिकी या रसायन विज्ञान में से कम से कम एक विषय के साथ स्नातक भी आवेदन कर सकते हैं, या

(ख) स्कूली शिक्षा की (10+2) प्रणाली के अन्तर्गत हायर सैकण्डरी (12 वर्ष) परीक्षा गणित के साथ और भौतिकी तथा रसायन विज्ञान में कम से कम एक विषय लेकर प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो; या

(ग) किसी विश्वविद्यालय के तीन वर्ष के किसी डिग्री पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम वर्ष की परीक्षा या ग्रामीण उच्चतर शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् की ग्रामीण सेवाओं में तीन वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रम की प्रथम परीक्षा पास की हो या मद्रास विश्वविद्यालय (सान्ध्य कालेज) के स्नातक कला/विज्ञान के चार वर्षीय पाठ्यक्रम के चौथे में प्रोन्नति के लिए तीसरे वर्ष की परीक्षा पास की हो जिसमें गणित के साथ भौतिकी और रसायन विज्ञान में कम से कम एक विषय रहा हो, लेकिन शर्त यह है कि डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले उसने उच्चतर/माध्यमिक परीक्षा या पूर्व विश्वविद्यालय या समकक्ष परीक्षा प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो।

जिन उम्मीदवारों ने तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा प्रथम या द्वितीय श्रेणी में गणित के साथ और भौतिकी और रसायन विज्ञान में एक विषय के साथ पास की हो वे आवेदन पत्र भेज सकते हैं लेकिन शर्त यह है कि प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा किसी विश्वविद्यालय द्वारा ली गई हो; या

(घ) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय की पूर्व इंजीनियरी परीक्षा प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो; या

(ङ) किसी भारतीय विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त बोर्ड की पूर्व व्यावसायिक/पूर्व तकनीकी परीक्षा जो उच्चतर माध्यमिक या पूर्व विश्वविद्यालय स्तर के एक वर्ष के बाद ली गई हो प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो और परीक्षा के विषयों में गणित के साथ भौतिकी और रसायन विज्ञान में कम से कम एक परीक्षा का विषय रहा हो; या

(च) किसी विश्वविद्यालय के पांच वर्षीय इंजीनियरी डिग्री पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम वर्ष की परीक्षा पास की हो लेकिन शर्त यह है कि डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले उसने उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या पूर्व विश्वविद्यालय या समकक्ष परीक्षा प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो।

जिन उम्मीदवारों ने पांच वर्षीय इंजीनियरी डिग्री पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हों वे आवेदन-पत्र भेज सकते हैं लेकिन शर्त यह कि प्रथम वर्ष की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा ली गई हो; या

(छ) केरल और कालीकट के विश्वविद्यालयों से गणित के साथ भौतिकी और रसायन विज्ञान में कम से कम एक विषय लेकर पूर्व-स्नातक परीक्षा, प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो।

टिप्पणी : 1 जिन उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय/बोर्ड इंटरमीडिएट या उपर्युक्त किसी अन्य परीक्षा में कोई विशिष्ट श्रेणी न दी गई हो उन्हें भी शैक्षणिक दृष्टि में पात्र समझा जाएगा लेकिन शर्त यह है कि उसके प्राप्तांकों का कुल योग सम्बन्धित विश्वविद्यालयों/बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रथम या द्वितीय श्रेणी में अंकों की सीमा में हो।

टिप्पणी : 2 ऐसे उम्मीदवार जो कि ऐसी परीक्षा में बैठ चुके हैं जिसे पास करने से वह इस परीक्षा में बैठने के पात्र बनते हैं लेकिन जिसके परीक्षाफल की सूचना उन्हें नहीं मिली है, इस परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र भेज सकते हैं। यदि कोई उम्मीदवार, किसी ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठने चाहते हैं तो वह भी आवेदन-पत्र दे सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार को यदि वह अन्यथा पात्र हो, तो परीक्षा में प्रवेश मिल जाएगा लेकिन उसके प्रवेश को अनंतिम

समझा जाएगा तथा अर्हक परीक्षा का पास करने का प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में रद्द कर दिया जाएगा उक्त प्रमाण विस्तृत आवेदन पत्र के, जो उक्त परीक्षा के लिखित-भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा आयोग को प्रस्तुत करने पड़ेंगे, साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

टिप्पणी : 3 अपवादित मामलों में, आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को शैक्षणिक दृष्टि से अर्हक मान सकता है जिसके पास इस नियम में निर्धारित अर्हताओं में से कोई भी अर्हक न हो लेकिन ऐसी अर्हताएं हों, जिसके स्तर के बारे में आयोग का यह मत हो कि उनके आधार पर उसे परीक्षा में प्रवेश देना उचित है।

टिप्पणी : 4 राज्य तकनीकी-शिक्षा बोर्ड द्वारा दिए गए इंजीनियरी डिप्लोमा स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज परीक्षा में प्रवेश के लिए स्वीकार्य नहीं है।

7. उम्मीदवार के लिए आवश्यक होगा कि वह आयोग के नोटिस में विनिर्दिष्ट फीस दे।

8. जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में आकस्मिक या दैनिक दर कर्मचारी से इतर स्थाई या अस्थाई हैसियत से या कार्य प्रभारित कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन सेवारत है, उन्हें यह वचन (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने सिविल रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवार को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उसका आवेदन-पत्र अस्वीकृत/उनकी उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है।

9. परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवार पात्र है या नहीं, इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के उन सभी स्तरों, जिनके लिए आयोग ने उन्हें प्रवेश दिया है अर्थात् लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षा में उनके प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा तथा उनके निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर आधारित होगा। यदि लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण के पहले या बाद में सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि वे पा त्र की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

10. जब तक किसी उम्मीदवार के पास आयोग से प्राप्त प्रवेश प्रमाण-पत्र नहीं होगा तब तक उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा।

11. जो उम्मीदवार आयोग द्वारा निम्नांकित कदाचार का दोषी घोषित होता है या हो चुका है :--

(1) किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करना; या

(2) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना; या

(3) अपने स्थान पर किसी दूसरे का प्रस्तुत करना; या

(4) जाली प्रलेख या फेर बदल किए गए प्रलेख प्रस्तुत करना; या

(5) अशुद्ध या असत्य वक्तव्य देना या महत्वपूर्ण सूचना को छिपाकर रखना; या

(6) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के सम्बन्ध में किसी अनियमित या अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करना; या

(7) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाए हों; या

(8) उत्तर पुस्तिका (ओं) पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा या अभद्र आशय की हों; या

(9) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो; या

(10) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या

(11) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलैक्ट्रोनिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो; या

(12) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवारों को भेजे गए प्रवेश-पत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो; अथवा

(13) उपर्युक्त वाक्यांश में निर्धारित सभी या कोई भी कृत्य करने का प्रयास करने या उसे अवप्रेरित करने, जैसा भी मामला हो, का दोषी हो या आयोग द्वारा दोषी घोषित किया गया हो तो उसके विरुद्ध आपराधिक अभियोग चलाए जाने के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकती है :--

(क) आयोग द्वारा उसे परीक्षा के लिए जिसका वह उम्मीदवार है; अनर्हक घोषित किया जा सकता है; और या

(ख) उसे स्थाई रूप से या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जा सकता है :--

(1) आयोग द्वारा स्व-आयोजित परीक्षा या चयन से,

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी नौकरी से; और

(ग) यदि वह पहले से ही सरकारी नौकरी में है तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक :--

(1) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(2) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

12. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उसमें न्यूनतम अर्हत अंक प्राप्त कर लेते हैं, जितने आयोग स्वविवेक से निर्धारित करे; उन्हें आयोग व्यक्तित्व परीक्षा हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाएगा।

किन्तु यदि आयोग की राय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ी श्रेणी के उम्मीदवारों को उसके लिए आरक्षित रिक्तियों के भरने के उद्देश्य से सामान्य स्तर के आधार पर पर्याप्त संख्या में साक्षात्कार के लिए बुलाना संभव न हो तो आयोग द्वारा उन्हें निर्धारित स्तर में छूट दी जा सकती है।

13. (1) सांक्षात्कार के बाद आयोग प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में अंतिम रूप से प्राप्त, उसके कुल अंकों के आधार पर योग्यताक्रम से उम्मीदवारों की सूची बनाएगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों में से जिन्हें आयोग उचित समझेगा उन अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा करेगा जिन्हें इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरा जाना है।

(2) आयोग द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक, स्तर में छूट दे कर सिफारिश की जा सकेगी किन्तु शर्त यह है कि ये उम्मीदवार सेवा पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों।

परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी श्रेणियों के जिन उम्मीदवारों की अनुशंसा आयोग द्वारा परीक्षा के किसी भी चरण में अर्हक या चयन मापदंडों में रियायत/छूट दिए बिना की जाती है, उनका समायोजन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पि. श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों में नहीं किया जाएगा।

14. प्रत्येक उम्मीदवार का परीक्षाफल किस रूप में और किस ढंग से भेजा जाए, इस बात का निर्णय आयोग स्वविवेक से करेगा। परिणाम के सम्बन्ध में आयोग उम्मीदवारों से कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

15. परीक्षा में सफल होने से तब तक नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता जब तक सरकार आवश्यक जांच पड़ताल के बाद इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार उसके चरित्र और पूर्व वृत्त को ध्यान में रखते हुए सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त हो।

16. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए, जिससे वह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों की कुशलतापूर्वक न निभा सके सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जैसी भी स्थिति हो, निर्धारित चिकित्सा परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह पाया जाता है कि वह इस अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की स्वास्थ्य परीक्षा की जाएगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा स्पेशल क्लास रेलवे अप्रैंटिसेज परीक्षा, 2007 में अंतिम रूप से उत्तीर्ण घोषित किए जाएंगे। रेल मंत्रालय द्वारा चिकित्सा/स्वास्थ्य परीक्षा हेतु सूचना पत्र उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से उनके उस डाक पते पर भेज दिया जाएगा जो उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग को सूचित किया है। यदि किसी उम्मीदवार को रेल मंत्रालय से ऐसा पत्र अंतिम परिणाम घोषित होने के 21 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो वह उनसे स्वास्थ्य परीक्षा की तिथि जानने हेतु संपर्क कर सकता/सकती है। अंतिम परिणाम घोषित होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर ऐसा नहीं करने पर, वह स्वास्थ्य परीक्षा तथा उसके उपरान्त स्पेशल क्लास रेलवे अप्रैंटिसेज परीक्षा, 2007 के आधार पर सेवा-आबंटन का अपना दावा खो देगा/देगी।

डाक्टरी जांच के लिए सभी सफल उम्मीदवारों को अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय अस्पताल, उत्तरी रेलवे, बसन्त लेन, नई दिल्ली पर उपस्थित होना पड़ेगा। यदि उम्मीदवार चश्मा लगाए हों तो उन्हें हाल ही के चश्मे के नम्बर के साथ मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होना चाहिए।

डाक्टरी जांच की तारीख या स्थान-परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि किसी भी हालत में डाक्टरी जांच से छूट के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा :--

उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि :--

(1) उनको (सोलह रुपए) रु. 16/- की नकद राशि मेडिकल बोर्ड को भुगतान करनी होगी,

(2) डाक्टरी जांच के सम्बन्ध में की गई यात्राओं के लिए उम्मीदवार को कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, और

(3) उम्मीदवार की डाक्टरी जांच हो जाने का अर्थ यह नहीं होता कि नियुक्ति के लिए उसके मामले पर विचार किया ही जाएगा।

उम्मीदवार यह नोट कर लें कि उसको रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) से डाक्टरी जांच से सम्बन्धित अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी।

उम्मीदवारों को किसी प्रकार की निराशा न हो उनके लिए उन्हें सलाह दी जाती है कि परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने से पहले सिविल सर्जन स्तर के किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी से परीक्षा करा लें। नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों को किस प्रकार की डाक्टरी परीक्षा देनी होगी और इसमें उनसे किस स्तर की अपेक्षा की जाएगी, इसका ब्यौरा इन नियमों के परिशिष्ट-2 में दिया गया है। अपाहिज, भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रत्येक सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन मानकों से छूट दी जाएगी।

17. कोई भी व्यक्ति :--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने की संविदा की हो, जिसकी एक पत्नी/जिसका पति जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने एक पत्नी/पति के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने की संविदा की हो।

सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीकार्य विधि के अन्तर्गत इस प्रकार का विवाह अनुमेय है और ऐसे करने के अन्य कारण हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

18. इस परीक्षा के माध्यम से चयन किए गए विशेष श्रेणी अप्रेंटिसों के लिए अप्रेंटिसों की शर्त परिशिष्ट-3 में दी गई है। यांत्रिक इंजीनियरों के भारतीय रेल सेवा से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण भी परिशिष्ट-4 में दिए गए हैं।

ममता कंडवाल
उप निदेशक
रेलवे बोर्ड

परिशिष्ट-1

(देखिए नियम-3)

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी :--

भाग--1 नीचे दर्शाए गए विषयों में अधिकतम 600 अंकों की लिखित परीक्षा।

भाग--2 व्यक्तित्व परीक्षण जिसमें अधिकतम अंक 200 होंगे। (देखिए नियम 12)।

2. भाग 1 के अन्तर्गत लिखित परीक्षा के विषय, प्रत्येक विषय प्रश्न-पत्र के लिए निर्धारित समय और अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे :--

क्रम सं.	विषय	कोड सं.	अनुमत समय	अधिकतम अंक
1	2	3	4	5
प्रश्न-पत्र-1	सामान्य योग्यता परीक्षा (अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान एवं मनो-वैज्ञानिक परीक्षण)	01	2 घंटे	200
प्रश्न-पत्र-2	भौतिक विज्ञान (भौतिकी एवं रसायन)	02	2 घंटे	200
प्रश्न-पत्र-3	गणित	03	2 घंटे	200
			कुल अंक	600

3. सभी विषयों के प्रश्न-पत्रों में केवल "वस्तुपरक (बहुविकल्प) प्रश्न" होंगे। प्रश्न-पत्र केवल अंग्रेजी में ही होंगे।

4. प्रश्न-पत्र में जहां आवश्यक हो एस. आई. (SI) इकाइयों का प्रयोग किया जाएगा।

5. प्रश्न-पत्र लगभग इण्टरमीडिएट स्तर के होंगे।

6. उम्मीदवार उत्तरों को अपने ही हाथ से लिखें। उन्हें किसी भी हालत में उत्तर लिखने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7. आयोग परीक्षा के किसी एक विषय या सभी विषयों के लिए अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है।

8. उम्मीदवार वस्तुपरक प्रश्न-पत्रों (परीक्षण-पुस्तिका) का उत्तर देने के लिए कैलकुलेटरों का प्रयोग नहीं कर सकते। अत: वे इन्हें परीक्षा-भवन में न लाएं।

9. परीक्षा का पाठ्यक्रम संलग्न अनुसूची में दिया गया है।

अनुसूची

प्रश्न-पत्र I

(i) अंग्रेजी--प्रश्न इस प्रकार के होंगे जिनसे उम्मीदवार की समझ और भाषा पर अधिकार का पता लग सके।

(ii) सामान्य ज्ञान--प्रश्न इस प्रकार के होंगे जिनसे उम्मीदवार को अपने चारों ओर के वातावरण और सामाजिक व्यवस्थाओं की सामान्य जानकारी का परीक्षण करना है। प्रश्न के उत्तरों का स्तर उस स्तर का होगा जैसा कि 12वीं कक्षा या समकक्ष स्तर के विद्यार्थियों का होता है।

व्यक्ति और उसका परिवेश:

जीवन का विकास, पौध और पशु वंशानुगत और परिवेश आनुवंशिकी प्रकोष्ठ ग्रोमोसोन, जीन्स।

मानस-शरीर की जानकारी--पोषाहार सन्तुलित भोजन प्रतिस्थाई खाद्य महामारियों और सामान्य रोगों की रोकथाम सहित लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, वातावरणीय प्रदूषण और उसकी रोकथाम, खाद्य अपमिश्रण, खाद्यान्नों और उनसे निर्मित उत्पादों का सही प्रकार से स्टोर करना तथा परीक्षण। जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या नियंत्रण, खाद्य और कच्चे सामान का उत्पादन। पशुओं तथा पोधों का संप्रजनन, कृत्रिम गर्भाधान, खाद और उर्वरक, फसल रक्षण उपाय, अधिकतम किस्में और हरित क्रांति भारत के मुख्य अनाज और नकदी फसलें।

सौर-परिवार और पृथ्वी ऋतुएं, जलवायु, मौसम। भूमि--इनकी रचना और अपरदन, वन तथा उनके उपयोग, प्राकृतिक संकट--चक्रवात, तूफान, बाढ़, भूकम्प, ज्वालामुखी उदगार। पर्वत और नदियों और भारत में सिंचाई के लिये उनका योगदान। भारत में प्राकृतिक साधनों और उद्योगों का वितरण, तेल सहित भूगत खनिजों की खोज। भारत के वनस्पतिजात और प्राणिजात के विषय सन्दर्भ के साथ प्राकृतिक साधन।

भारत का इतिहास राजनीति और समाज:

वैदिक, महावीर, बुद्ध, मौर्य, शुंग, आंध्र कुषाण, गुप्त काल (मौर्य कालीन स्तम्भ, स्तूप, कन्दराएं, सांची, मथुरा और गन्धर्व विद्यालय, मन्दिर, वास्तुकला, अजन्ता और एलोरा)।

इस्लाम के आने के साथ नई शक्तियों की उत्पत्ति और व्यापक सम्बन्धों की स्थापना। सामन्तवाद में, पूंजीवाद में स्थानान्तरण। यूरोपीय सम्बन्धों की शुरूआत। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना। राष्ट्रीयवाद और स्वतंत्रता-प्राप्ति के लिये राष्ट्रीय संग्राम।

भारत का संविधान और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं--लोकतन्त्र, धर्म-निरपेक्षता, समाजवाद, समानता के अवसर और सरकार की संसदीय प्रणाली, प्रमुख राजनैतिक विचारधाराएं--लोकतन्त्र, समाजवाद, साम्यवाद और अहिंसा के गांधीवाद विचार। भारतीय राजनैतिक दल, प्रभावशाली गुट, लोकमत और प्रैस, चुनाव प्रणाली।

भारत की विदेश-नीति और गुट-निरपेक्षता, शस्त्र-निर्माण होड़ शक्ति सन्तुलन। विश्व संगठन--राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पिछले दो वर्ष के दौरान भारत और विदेश में घटित प्रमुख घटनाएं (खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यकलाप सहित)।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं--जाति व्यवस्था से हाल में हुए परिवर्तनों और दृष्टिकोण, अल्प संख्यक सामाजिक संस्थाएं, विवाह, परिवार, धर्म और संस्कृति संक्रमण।

श्रम-विभाजन, सहकारिता, टकराव और प्रतियोगिता, सामाजिक नियंत्रण, पुरस्कार और सभा, कला, कानून, रीति-रिवाज, गलत प्रचार, लोकमत, सामाजिक नियंत्रण की एर्जेसियां--परिवार, धर्म, राज्य शैक्षिक संस्थाएं, सामाजिक परिवर्तन के कारण, आर्थिक औद्योगिकीय जन सांख्यिकीय सांस्कृतिक क्रांति की संकल्पना।

भारत में सामाजिक विघटन:

जातिवाद साम्प्रदायिकता, जनजीवन में भ्रष्टाचार, युवक अशांति, भीख मांगना, औषध अपराधवृत और अपराध, गरीबी और बेरोजगारी।

सामाजिक योजना और भारतीय सामुदायिक विकास का कल्याण और श्रम कल्याण, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण।

धन कराधान, मूल्य, जन सांख्यिकीय दृष्टिकोण, राष्ट्रीय आय, आर्थिक विकास निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, योजना में आर्थिक और गैर-आर्थिक कारण, संतुलित बनाम असंतुलित विकास, कृषि बनाम औद्योगिक विकास स्फीती और साधन जुटाने के संबंध में मूल्य स्थिरीकरण समस्याएं, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं।

मनोवैज्ञानिक परीक्षण

(iii) प्रश्न इस प्रकार के होंगे जिन से उम्मीदवारों को बुनियादी जानकारी और यांत्रिक अभिरूचि का मूल्यांकन हो सके।

प्रश्न-पत्र-II

(i) भौतिकी

वर्नियर, स्कुगेज स्फीरोमीटर और आप्टीक: लीवर का प्रयोग करते हुए लंबाई की माप।

समय और द्रव्यमान का माप:

सरल रेखिक गति और विस्थापन, वेग और त्वरण के बीच संबंध।

न्यूटन के गति के नियम, संवेग, आवेग, कार्य, ऊर्जा और शक्ति।

घर्षण गुणांक:

बल क्रिया के अन्तर्गत पिंडों का संतुलन: बल का आघूर्ण, युगपत न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। पलायन वेग। गुरुत्व के कारण त्वरण। द्रव्यमान तथा भार। गुरूत्व केन्द्र। एक समान चक्रीय गति अभिकेन्द्र बल। सरल आवर्त गति। सरल लोलक।

द्रव में दबाव और इसकी विभिन्न गहराई पास्कल का नियम। आर्कीमिडिज का सिद्धांत, तैरने वाले पिण्ड, परिवेशी दबाव और इसकी माप।

तापमान और इसकी माप। तापीय प्रभार। गैस नियम और परम ताप। विशिष्ट ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा और उसकी माप। गैसों की विशिष्ट ऊष्मा का यांत्रिक समकक्ष, आंतरिक ऊर्जा और ऊष्मागति का पहला नियम। समपाती और रूद्रयों में निर्भरत अनुनाद परिघटना (वायु स्तम्भ और रज्जु)।

तरंग गति अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगें। प्रगामी और अप्रगामी तरंगें गैस में ध्वनि का वेग और विविध कारणों पर निर्भरता। अनुवाद परिघटना (वायु स्तम्भ और रज्जू)।

प्रकाश का परिवर्तन और आवता। वक्र दर्पणों और लैंसों द्वारा बिंब रचना। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी (दृष्टि दोष)।

प्रिज्म:--विचलन और प्रकीर्णत। न्यूनतम विचलन दृश्य स्पेक्ट्रम।

छड़ चुम्बक का क्षेत्र। चुम्बकीय आघूर्ण। भू-चुम्बकीय क्षेत्र के तत्व चुम्बकीयमापी। डाय, पैरा और फारी चुम्बकत्व।

विद्युत चार्ज, विद्युत क्षेत्र और विभव-कोलम्ब नियम।

विद्युत धारा:--विद्युत सेल, इं.एम.ई., प्रतिरोध एमीटर और वोल्टमीटर। ओह्म का नियम; श्रेणी और समान्तर में प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध और चारकता धारा का तापन प्रभाव।

व्हीटस्टोन ब्रिज, विभवमापी:

धारा का चुम्बकीय प्रभाव: सीध तार कुन्डली और सोलिनायड: विद्युत चुम्बक, विद्युत घंटी।

चुम्बकीय क्षेत्र में चालक वाली धारा पर बल: बल कुंडली धारामापी एमीटर या वोल्टमीटर परिवर्तन।

धारा के रासायनिक प्रभाव: प्राथमिक और स्टोरिज सैल में उनकी क्रिया विधि, विद्युत अपघटन के नियम।

विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा, सरल ए सी तथा डी सी जनित्र। ट्रांसफार्मर। अपघटन कुण्डली।

केथोड किरणें, एलैक्ट्रान की खोज, परमाणु का बौहर माडल डायोड और परिशोधक के रूप में इसके उपयोग।

एक्स-किरण का उत्पादन, गुण और उपयोग

रेडियोधर्मिता--अल्फा, बीटा और गामा किरणें।

नाभिकीय ऊर्जा, विखंडन और सलयन: द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्त शृंखला अभिक्रिया।

(ii) रसायन विज्ञान

भौतिकी रसायन विज्ञान:

1. परमाणु संरचना, संक्षेप में पूर्ण माडल। क्रिविम माडल के रूप में परमाणु। कक्षाएं परिसंकलना क्वांगटम, संख्या और उनकी विशेषता; केवल आरंभिक/अभिक्रिया। वाली का अपवर्जत सिद्धांत। इलैक्ट्रोनिक विन्यास अंकन सिद्धांत एम पी डी और एफ ब्लाक तत्व।

आवर्ती वर्गीकरण--केवल दीर्घ रूप/आवर्त और इलैक्ट्रोनिक विन्यास परमाणु अनुपात/आवर्तक और ग्रुपों में विद्युत नकारात्मकता।

2. रासायनिक आबंधन, इलैक्ट्रोलेट, कोबलेड कार्डिनेट की ब्लैड बंधन/जा तथा एक्स/बंधनों के बंधन गुण, जल हाइड्रोजन सल्फाइड मीथेन और अनोमियम क्लोराइट जैसे सरल अणुओं के आकार। मोलेक्यूलर संबंध और हाइड्रोजन आबंधन।

3. रासायनिक अभिक्रिया ऊर्जा परिवर्तन ऊष्मा उन्मीवी और ऊष्मा-शोधी अभिक्रिया ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का प्रयोग। स्थिर ऊष्मा संकलन की हैस क्या नियम है।

4. रासायनिक संकलन और अभिक्रिया की दरें। द्रव्यमान का नियम दबाव के प्रभाव। तापमान और अभिक्रिया दर पर केन्द्रीयकरण

(लाचेटीलियनर के सिद्धांत पर आधारित अभिक्रिया) आणविकता प्रथम तथा द्वितीय क्रम अभिक्रियाएं संक्रियमण की ऊर्जा परिकल्पना। अमोनिया और सल्फर ट्राइआक्साइड के निर्माण के लिए प्रयोग।

5. विलयन: वास्तवकि विलयन, गोलयड़ विलयन और स्थगन। टन विलयनों के अनुसंख्य गुणधर्म और विज्ञान पदार्थों के अनुसार निश्चित करना। क्वाली बिन्दुओं का उनयन हिमांक मूल्यांकन अल्मटे दबाव। राल्ट का नियम (केवल अनुष्मागति की अभिक्रिया)।

6. विद्युत रसायन विज्ञान--विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन का फैराडे नियम। आयमी संलयन। धुल शीलता उत्पाद। प्रवल तथा क्षीण अपघटन। अम्ल तथा गैस (लोवण तथा यूरिस्टड की परिकल्पना) पी एच तथा उभय प्रतिरोधी विलयन।

7. आक्सीजन अपचयन:--आधुनिकी इलैक्ट्रानिक परिकल्पना और आक्सीजन अंक।

8. प्राकृतिक और कृतिम विघटनात्मिकता:--नाभिकीय विखंडन और संचयन। विघटनात्मिक समास्थानिकों के उपयोग, अकार्बनिक रसायन विज्ञान।

अजैव रसायन विज्ञान ;

तत्वों की संक्षिप्त अभिक्रिया और उनके औद्योगिकीय महत्वपूर्ण मिश्रण।

1. हाइड्रोजन : अवत तालिकाओं स्थित हाइड्रोजन का समस्थानिक--गुणत्मक तथा घनात्मक विद्युत। जल, कठोर तथा मृदु जल उद्योगों में जल का उपयोग। भारी पानी और इसके उपयोग।

2. ग्रुप 1 तत्व। सोडियम हाइड्रोआक्साइड का विनिर्माण सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम फ्लोसाईड।

3. ग्रुप 2 तत्व। आश तथा बुझा हुआ चूना। जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस। मैगनीशियम सल्फेट और मैगनीशिया।

4. ग्रुप 3 वीररस; एलमिया तत्व और एलम।

5. ग्रुप 4 तत्व। कोयला, लकड़ी तथ ठोस ईंधन। सिलिकेट, जोलिंटिस तथा अर्द्ध सुचालक। शीशा (प्रारम्भिक अभिक्रिया)।

6. ग्रुप 5 तत्व। अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल का विनिर्माण। शैल फास्फेट और रिनापट दियासलाई।

7. ग्रुप 6 तत्व। हाइड्रोजन और आक्साइड, गंधक सल्फयूरिक अम्ल की उपभोगता गंधक के आकसाइड।

8. ग्रुप 7 तत्व। फुलरीन, क्लोरीन प्रोटीन और आयोडीन का निर्माण तथा उपयोग। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ब्लीचिंग पाउडर।

9. ग्रुप 0 (उत्कृष्ट गैस हीलियम और इसके उपयोग)।

10. धातुकर्मीय संसाधक--तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम। चांदी, सोना, जस्त तथा सीसे के विशिष्ट संदर्भ के साथ धातुओं को निकालने की सामान्य पद्धतियां। इन धातुओं को सर्वनिष्ट मिश्रधातु : निकिल मैगनीज इस्पात।

कार्बनिक रसायन विज्ञान :

1. कार्बन का टेट्रोहाइन स्वरूप। संस्करण जी. एन. बंधन तथा उनकी सापेक्षित शक्ति। जल तथा बहुबंधन अणु का आकार। ज्योमितीय तथा प्रकाशीय समावयकता।

2. एलकेन, एलकीम और एल्फिलीन के तैयार करने के गुणधर्मी और अभिक्रियाओं की सामान्य पद्धतियां। पेट्रोलियम और इनका परिष्करण, ईंधन के रूप में इसके उपयोग।

एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन् :--

अनुवाद और एरोमैटिकता। बैन्जीन तथा नैथालीन और उसके सादृश्य एरोमैटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं।

3. हेलोकिन व्युत्पत्तियां, क्लोरोफार्म कार्बन टैट्राक्लोराइड, क्लोरोबेनजीन--डी. डी. टी. और गमवसीन।

4. हाइड्राक्सी मिश्रण--प्राथमिक और द्वितीय और तृतीयक एल्कोहल, मिथनोल, एथनोल, ग्लासरोल और फिनाइल के तैयार करने, गुणधर्म उपयोग। एलिफेटिक कार्बन अणु पर प्रतिस्थापना अभिक्रियाएं।

5. प्रवर--डाइथाइल इथर।

6. एल्डीहाइड्स और केन्यस। फार्मल्डीहाइड। एसीटे लाइज पनेल्डाइड, एसेटीन एस्सायफीनोल।

7. नाइड्रो योगक एमीन, नाईड्रोबेन्जीन, डी. एन. टी.। एनीलाम डाइजीनियम यौगिक। एजोडाइज।

8. कार्बोक्सीलिक अम्ल : फोर्सीक, एसीटिक, बनजोईक और सेलिसिलिक अम्ल, एसीटाइल सेलिसिलिक अम्ल।

9. एसटर एथालरोसीटड, मिथाइल, सेलिसिलेट्स इथाइल बंजार।

10. पालीमर्स : पोलीथीन टजलान, पसपैक्स, कृत्रिम रबड़, नायलान और पोलिस्टलत।

11. कार्बोहाईटस, वसा और लिपीडस, एमीनी अम्ल और प्रोटीन विटामिन और हर्मोन्स का असंरचनात्मक अभिक्रिया।

प्रश्न पत्र III

गणित

1. बीजगणित

समुच्चय की अवधारणा, समुच्चयों का सम्मिलन व सर्वनिष्ठ, समुच्चय का पूरक समुच्चय, रिक्त समुच्चय, समष्टीय समुच्चय और घात समुच्चय, वेन आरेख और साधारण अनुप्रयोग। दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन, संबंध व प्रतिचित्रण--उदाहरण, समुच्चय पर द्वि-आधारी संक्रिया उदाहरण।

वास्तविक संख्याओं का एक रेखा पर निरूपण। संमिश्र संख्याएं : मापांक, कोणांक, संमिश्र संख्याओं पर बीजगणितीय संक्रिया। ईकाई का घनमूल। संख्याओं की द्विआधारी प्रणाली, दशमलव संख्या का द्विआधारी संख्या में परिवर्तन तथा विलोमत: परिवर्तन। अंकगणितीय, ज्यामितीय, तथा हरात्मक श्रेणी। अंकगणितीय श्रेणी, ज्यामितीय श्रेणी तथा हरात्मक श्रेणी को अन्तर्ग्रस्त करके श्रेणियों का संकलन। वास्तविक गुणांकों के द्विघात समीकरण। द्विघात व्यंजक, चरम मान। क्रमचय तथा संचय, द्विपद प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग।

आव्यूह तथा सारणिक : आव्यूहों के प्रकार, समानता, आव्यूह योग तथा अदिश गुणन-गुणधर्म आव्यूह गुणन-अक्रम-विनिमय तथा योग के सापेक्ष वितरण गुणधर्म, आव्यूह-परिवर्त, आव्यूह का सारणिक, उपसारणिक तथा

सह-खण्ड। सारणिकों के गुणधर्म। अव्युत्क्रमणीय तथा व्युतक्रमणीय आव्यूह वर्ग आव्यूह का सहखंडज तथा व्युत्क्रम। दो तथा तीन चरों में रेखिक समीकरणों के समूह का हल--निराकरण विधि, क्रैमर नियम तथा आव्यूह व्युतक्रमण विधि। (m पंक्ति तथा n स्तंभ सहित आव्यूह जहां $m, n \leq 3$ माना जाना है।)

समूह की धारणा, समूह की कोटि, आबेली समूह तत्समक तथा व्युत्तक्रम अवयव-साधारण उदाहरणों द्वारा समझाना।

2. त्रिकोणमिति

संकलन एवं व्यकलन-सूत्र; बहुल तथा उपवर्तक कोण, गुणनफल तथा गुणनखंड सूत्र, व्युतक्रम त्रिकोणमितीय फलन-प्रांत, रेंज तथा ग्राफ। द--मायवर प्रमेय, साइन तथा कोसाइन के बहुगुणकों की श्रेणी में साइन n.q. तथा कोस n.o. का प्रसार साधारण त्रिकोणमितीय समीकरणों का हल। अनुप्रयोग : ऊँचाई व दूरी।

3. विश्लेषक जयामिति (दो विमाएं)

आयतीय कार्तीय निर्देशांक पद्धति, दो बिन्दुओं के मध्य दूरी, विभिन्न प्रकारों में सरल रेखा के समीकरण, दो रेखाओं के मध्य कोण, एक रेखा से एक बिन्दु की दूरी। अक्षों का रूपांतरण। सरल रेखाओं के युग्म, x तथा y में द्वितीय डिग्री के सामान्य समीकरण-सरल रेखाओं के युग्म को निरूपित करने की शर्तें, प्रतिच्छेद बिन्दु, दो रेखाओं का मध्य कोण। मानक तथा सामान्य प्रकार में एक वृत का समीकरण, एक बिन्दु पर स्पर्शरेखा तथा अभिलंब के समीकरण दो वृत्तों की लंब कोणीयता। परवलय, दीर्घवृत्त तथा अतिपरवलय के मानक समीकरण-प्राचलिक समीकरण, एक बिन्दु पर स्पर्शरेखा तथा अभिलम्ब के कार्तीय तथा प्राचलिक दोनों प्रकार के समीकरण।

4. अवकल गणित

वास्तविक मान फलन की अवधारणा--प्रांत, रेंज व ग्राफ, संयुक्त फलन, एकेकी, आच्छादिक तथा व्युतक्रम फलन, वास्तविक फलनों का बीजगणित। बहुपद, परिमेय, त्रिकोणमितीय, चरघातांकी तथा लघु गणकीय (लागेरिथमीय) फलनों के उदाहरण। सीमांत की धारणा मानक सीमांत--उदाहरण। फलनों के सांतत्य--उदाहरण, सांतत्य फलनों पर बीजगणितीय संक्रिया। एक बिन्दु पर एक फलन का अवकलज, एक अवकलज के ज्यामितीय तथा भौतिक निर्वचन--अनुप्रयोग। फलनों के योग, गुणनफल और भागफल के अवकलज, एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का अवकलज, संयुक्त फलन का अवकलज, श्रृंखला नियम। द्वितीय क्रम अवकलज। रौले का प्रमेय (केवल प्रकथन), वर्धमान तथा समान फलन। एक फलन के उच्चिष्ठ, अल्पिष्ठ, उच्चतम तथा लघुतम मानों की समस्याओं में अवकलजों का अनुप्रयोग।

5. समाकलन गणित तथा अवकल समीकरण

समाकलन गणित :

अवकलन के प्रतिलोम के रूप में समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन तथा खंडशः समाकलन, बीजीय व्यंजक त्रिकोणमितीय, चरघातांकी तथा अतिपरवयिक फलनों को अंतर्ग्रस्त करके मानक समाकल--निश्चित समाकलों का मानांकन-वक्र रेखाओं द्वारा घिरे समतल क्षेत्रों के क्षेत्रफलों का निर्धारण--अनुप्रयोग।

अवकल समीकरण :

अवकल समीकरण की कोटि तथा डिग्री की परिभाषा, उदारणों द्वारा अवकल समीकरण की रचना। अवकल समीकरण का सामान्य तथा विशेष हल। विभिन्न प्रकार के प्रथम कोटि तथा प्रथम डिग्री अवकल समीकरणों का हल--उदाहरण। नियम गुणांकों के द्वितीय कोटि समघात अवकल समीकरण का हल।

6. सदिश तथा इसके अनुप्रयोग

सदिश का परिमाण तथा दिशा, समान सदिश, इकाई सदिश, शून्य सदिश दो तथा तीन विमाओं में सदिश, स्थिति सदिश। सदिश का अदिश द्वारा गुणन, दो सदिशों का योग व अन्तर, योग का समांतर चतुर्भुज नियम तथा त्रिभुज नियम। सदिशों का गुणन--दो सदिशों का अदिश गुणनफल या बिन्दु गुणनफल, लम्बता, क्रम विनिमेय तथा बंटन गुणधर्म। दो सदिशों का सदिश गुणनफल या क्रास गुणनफल--इसके गुण, दिए गए दो सदिशों पर लम्ब इकाई सदिश। अदिश तथा सदिश त्रिक गुणनफल। सदिश रूप में एक रेखा, समतल तथा गोले का समीकरण--साधारण प्रश्न, त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तथा सदिश पद्धति द्वारा समतल ज्यामिति तथा त्रिकोणमिति के प्रश्न। बल तथा बल के आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य।

7. सांख्यिकी तथा प्रायिकता

सांख्यिकी : बारंबारता-बंटन, संचयी बारंबारता-बंटन--उदाहरण। ग्राफी निरूपण-आयात चित्र, बारंबारता बहुभुज--उदारण केन्द्रीय प्रवृत्ति का मापन-माध्य, माध्यिका तथा बहुलक। प्रसरण तथा मानक विचलन-निर्धारण तथा तुलना। सहसंबंध तथा समाश्रयण।

प्रायिकता : यादृच्छिक प्रयोग, परिणाम तथा सहचारी प्रतिदर्श समष्टि, घटना, परस्पर अपवर्जित तथा निश्शेष घटनाएं, असंभव तथा निश्चित घटनाएं। घटनाओं का सम्मिलन तथा सर्वनिष्ठ। पूरक, प्रारंभिक तथा संयुक्त घटनाएं। प्रायिकता की परिभाषा : चिरसम्मत और सांख्यिकीय--उदाहरण प्रायिकता पर प्रारंभिक प्रमेय। साधारण प्रश्न। सप्रतिबंध प्रायिकता, बेज़ प्रमेह--साधारण प्रश्न। प्रतिदर्श समष्टि पर फलन के रूप में यादृच्छिक चर। द्वि आधारी बंटन, द्वि आधारी बंटन को उत्पन्न करने वाले यादृच्छिक प्रयोगों के उदाहरण।

व्यक्तिगत परीक्षण

प्रत्येक उम्मीदवार का एक ऐसे बोर्ड द्वारा साक्षात्कार किया जाएगा जिसके सामने उम्मीदवार के शैक्षिक तथा बाहरी दोनों प्रकार के जीवन वृत्त का अभिलेख होगा। इनमें सामान्य हित के मामलों में संबद्ध प्रश्न पूछे जाएंगे। उनके नेतृत्व में पहलशक्ति और बौद्धिक उत्सुकता व्यवहार कुशलता और अन्य सामाजिक गुणों, मानसिक और शारीरिक शक्ति व्यवहारिक प्रयोग की शक्ति और चरित्र की सत्यनिष्ठा के गुणों का मूल्यांकन करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा।

परिशिष्ट--2

1. यांत्रिक इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा में नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के लिए विनियम।

[ये विनियम उम्मीदवारों को सुविधा और अनके अपेक्षित शारीरिक स्तर की संभाव्यता को सुनिश्चित करने के लिए प्रकाशित किए जाते हैं। विनियमों का उद्‌देश्य स्वास्थ्य परीक्षकों और उन उम्मीदवारों का मार्गदर्शन भी करता हैं जो विनियमों में निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते और जिन्हें स्वास्थ्य परीक्षकों द्वारा योग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। किन्तु यदि कोई उम्मीदवार इन विनियमों में दिए गए नियमों के अनुसार योग्य नहीं है तो भी चिकित्सा बोर्ड को भारत सरकार को उनकी अनुशंसा करने का अधिकार होगा जिसके लिए बोर्ड इस आशय के लिखित कारणों का उल्लेख करेगा कि अमुक उम्मीदवार सरकार को हानि के बिना सेवा में भर्ती किया जा सकता है।

(क) यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि भारत सरकार के चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद किसी भी उम्मीदवार को अस्वीकृत या स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(ख) केवल उन्हीं उम्मीदवारों की स्वास्थ्य परीक्षा की जाएगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा स्पेशल क्लास रेलवे अप्रैंटिसेज परीक्षा, 2007 में अंतिम रूप से उत्तीर्ण घोषित किए जाएंगे। रेल मंत्रालय द्वारा चिकित्सा/स्वास्थ्य परीक्षा हेतु सूचना पत्र उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से उनके उस डाक पते पर भेज दिया जाएगा जो उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग को सूचित किया है। यदि किसी उम्मीदवार को रेल मंत्रालय से ऐसा पत्र अंतिम परिणाम घोषित होने के 21 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो वह उनसे स्वास्थ्य परीक्षा की तिथि जानने हेतु संपर्क कर सकता/सकती है। अंतिम परिणाम घोषित होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर ऐसा नहीं करने पर, वह स्वास्थ्य परीक्षा तथा उसके उपरांत स्पेशल क्लास रेलवे अप्रैंटिसेज परीक्षा 2007 के आधार पर सेवा आबंटन का अपना दावा खो देगा/देगी।]

2. नियुक्ति के लिए स्वस्थ ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवारों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उनमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे नियुक्ति के साथ दक्षतापूर्ण काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।]

(क) केवल भारतीय (एंग्लो इण्डियन सहित) जाति के उम्मीदवारों की आयु, ऊंचाई और छाती के घेरे के परस्पर संबंध के बारे में मेडिकल बोर्ड के ऊपर यह छोड़ दिया गया है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्गदर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के आंकड़े सबसे उपयुक्त समझे, व्यवहार में लाए। यदि वजन, कद और छाती के घेरे में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और उसकी छाती का एक्स-रे लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही कोई बोर्ड उम्मीदवार को स्वस्थ अथवा अस्वस्थ घोषित करेगा।

(ख) किन्तु कद और छाती के घेरे के लिए कम से कम मानक निम्नलिखित है। जिसके बिना पूरा उतरने पर उम्मीदवार स्वीकार नहीं किया जा सकता :--

	कद	छाती का फैलाव (पूरा फैलाकर)	
	सें.मी.	सें.मी.	सें.मी.
पुरुष उम्मीदवारों के लिए	152	79	5
महिला उम्मीदवारों के लिए	150	74	5

अनुसूचित जनजातियों तथा गोरखाओं, गढवालियों, असमियों, नागालैंड के आदिवासियों आदि जैसी जातियों जिनका औसत कद स्पष्टत: ही कम होता है के उम्मीदवारों के मामले में भी निर्धारित न्यूनतम कद में छूट दी जा सकती है।

3. उम्मीदवारों का कद निम्नलिख्वित विधि से मापा जाएगा

वह अपने जूते उतार देगा और उसे मापदण्ड (स्टैण्डर्ड) के साथ इस तरह सटाकर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन सिवाय एड़ियों के पांवों के अंगूठों या किसी हिस्से पर न पडे। वह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियों, पिण्डलियां, नितम्ब और कंधें मापदण्ड के साथ लगे होंगे। उसकी ठोड़ी नीचे रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (बटेक्स आफ दी हैड लेवल) हारिजेंटल बार (आड़ छड़) के नीचे जाए। कद सेंटीमीटरों और आधे सेंटीमीटरों में मापा जाएगा।

4. उम्मीदवारों की छाती मापने का तरीका इस प्रकार है

उसे इस भांति खड़ा किया जाएगा कि उनके पांव जुड़े हों और उसकी भुजाएं सिर से ऊपर खड़ी हो। फीते को छाती के गिर्द इस तरह लगाया जाएगा कि उसका ऊपर किनारा असफीक (सोल्डर ब्लेड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर एंगिल्स) के पीछे रहे यह फीते उसकी छाती के गिर्द के जाने पर (आड़े समतल उसी हारिजेंटल प्लेन) में रहे। फिर भुजाओं को नीचे किया जाएगा और उन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा। किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कंधे ऊपर या पीछे की ओर न किए जाएं ताकि फीता अपने स्थान से हट न जाए। तब उम्मीदवार को कई बार गहरी सांस लेने के लिए कहा जाएगा तथा छाती के अधिक से अधिक फैलाव पर सावधानी से ध्यान दिया जाएगा और कम से कम अधिक से अधिक फैलाव सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जाएगा। जैसे 84--89, 86--93 आदि। माप रिकार्ड करते समय आधा सेंटीमीटर से कम भिन्न फ्रैक्शन को नोट नहीं करना चाहिए।

विशेष ध्यान--अंतिम निर्णय से पूर्व उम्मीदवार का कद और छाती दो बार मापे जाने चाहिएं।

5. उम्मीदवार का वजन किया जाएगा और यह किलोग्राम में होगा। आधा किलोग्राम या उसका अंश नोट नहीं करना चाहिए।

६. उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जाएगी प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा।

(1) सामान्य (जनरल) :--किसी रोग या असामान्यता (एबनार्मिलिटी) पता लगाने के लिए उम्मीदवार की आखों

की सामान्य परीक्षा की जाएगी। यदि उम्मीदवार की आंखों, पलकों अथवा साथ लगी संरचनाओं (कन्टिगुअस स्ट्रकचर) का कोई रोग हो जो उसे अब या आगे किसी समय सेवा के लिए अयोग्य बना सकता हो तो उसको अस्वीकृत कर देना चाहिए।

(2) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्यूटी):--के दृष्टि की तीव्रता का निर्धारण करने के लिए दो तरह की जांच की जाएगी। एक दूर की नजर के लिए और दूसरी नजदीक की नजर के लिए। प्रत्येक आंख की अलग-अलग परीक्षा की जाएगी।

चश्मे के बिना आंख की नजर (नेकेड आई विजन) की कोई उच्चतम सीमा (मैक्सीमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक माप में मैडिकल बोर्ड या अन्य मैडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा, क्योंकि इससे आंख की हालत के बारे में मूल सूचना (बेसिक इनफारमेशन) मिल जाएगी।

उम्मीदवार की उपकरण से परीक्षा की जाएगी और उसकी दृष्टि सुतीक्ष्णता रेलवे बोर्ड के चिकित्सा अधिकारी की स्थाई सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार की जाएगी।

विशेष ध्यान:-- नीचे निर्धारित स्तर को जो उम्मीदवार पूरा नहीं करेंगे उन्हें नियुक्ति हेतु स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उम्मीदवार की दृष्टि का परीक्षण निम्नलिखित नियमों के अनुसार किया जाएगा:--

क्रम संख्या	अच्छी दृष्टि (सुधारी हुई दृष्टि)	खराब दृष्टि
1. दूर दृष्टि	6/6 या 6/9	6/12 या 6/9
2. निकट दृष्टि	जे 1	जे 2
3. सुधार का अनुमत प्रकार		चश्मा
4. रंग-दृष्टि अपेक्षाएं		उच्च श्रेणी
5. बाइनोकुलर दृष्टि की आवश्यकता		हां

टिप्पणी (1)

(क) मायोपिया (सिलेण्डर सहित) कुल (-4.00 डी) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ख) हाइपरमैट्रापिया (सिलेण्डर सहित) कुल (4.00 डी.) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ग) मायापिया फंडस की प्रत्येक मामले में परीक्षा की जानी चाहिए और उसका परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए। यदि उम्मीदवार की ऐसी रोगात्मक दशा हो जो कि बढ़ सकती है और उम्मीदवार की कार्यकुशलता पर प्रभाव डाल सकती है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जाए।

रेडियल केरीटेटमी/लेसिक सर्जरी को इस सेवा के लिए अयोग्यता माना जाएगा।

टिप्पणी (2)

कलर विजन--कलर विजन की जांच जरूरी है और समस्त उम्मीदवारों के सम्बन्ध में परिणाम सामान्य होना चाहिए। लाल संकेत, हरे संकेत और पीले रंग के संकेत के प्रभाव से और हिचकिचाहट के बिना पहचान कर लेना सन्तोषजनक कलर विजन है। कलर विजर जांच के लिए इशिहारों के प्लेटों और एडिग्रीन जैसे दोनों मटन का प्रयोग होगा।

नीचे दी गई तालिका के अनुसार रंग का प्रयोग ज्ञान उच्चतर हायर और निम्नतर (लोअर) ग्रेडों में होना चाहिए जो लैन्टर्न अपर्चर के आकार पर निर्भर होगा।

ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का उच्चतर ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का निम्नतर ग्रेड
1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी	16 फीट	16 फीट
2. द्वारक (एपर्चर) का आकार	1.3 मी. मीटर	13 मी. मीटर
3. उदभासन काल	5 सेकण्ड	5 सेकण्ड

स्पेशल क्लास के लिए रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का उपचार ग्रेड आवश्यक है।

टिप्पणी (3)

दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन)--सभी सेवाओं के लिए सम्मुखन विधि (कन्फेन्टेशन मेथड) द्वारा यूनिट दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी। जब ऐसी जांच का नतीजा असन्तोषजनक या संदिग्ध हो तब दृष्टि जांच क्षेत्र की (परमापी) पैरामीटर पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी (4)

रतौंधी (लाइट ब्लाइण्डनेस)--केवल विशेष मामलों को छोड़कर रतौंधी की जांच नेमी रूप से जरूरी नहीं। रतौंधी में दिखाई न देने की जांच करने के बाद कोई स्टेण्डर्ड टैस्ट निश्चित नहीं हैं। मैडिकल बोर्ड को ही ऐसे काम चलाऊ टेस्ट कर लेने चाहिए। ऐसे रोशनी कम करके या उम्मीदवार को अंधेरे कमरे में लाकर 20 से 30 मिनट के बाद उससे विविध चीजों की पहचान करवा कर दृष्टि तीक्षणता रिकार्ड करना। उम्मीदवार के कहने पर ही हमेशा रिकार्ड नहीं करना चाहिए। किन्तु उन पर उचित विचार किया जाना चाहिए।

टिप्पणी (5)

दृष्टि से तीक्षणता से भिन्न आंख की दशा आक्यूलर कन्डीशन :--

(क) आंख की अंग सम्बन्धी बीमारी को या बढ़ती हुई अपवर्धन त्रुटि (रिफ्रैक्टिव एरर) जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की तीक्षणता के कम न होने की संभावना हो अयोग्यता का कारण समझा जाना चाहिए।

(ख) भैंगापन--जहां दोनों आंख की दृष्टि का होना जरूरी है भैंगापन अयोग्यता माना जाएगा चाहे दृष्टि की तीक्षणता निर्धारित स्तर की ही क्यों न हो।

(ग) एक आंख वाला व्यक्ति--एक आंख वाला व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

टिप्पणी (6)

कान्टेक्ट लैंस--चिकित्सा परीक्षा के दौरान उम्मीदवार को कान्टैक्ट लैंस का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यहां आवश्यक है कि आंख का परीक्षण करते समय दूर की दृष्टि के लिए टाइप अक्षरों की प्रदीप्ति 15 फुट कन्डिल की प्रदीप्ति जैसी हो। विशेष परिस्थितियों में किसी उम्मीदवार के सम्बन्ध में किसी भी शर्त को शिथिल करने की छूट सरकार को है।

टिप्पणी (7)

रक्त दाब (ब्लड प्रेशर)

ब्लड प्रेशर के सम्बन्ध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा। नार्मल मैक्सीमम सिस्टलिक प्रेशर की आकलन की काम चलाऊ विधि निम्न प्रकार है :-

(1) 15 से 25 वर्षों के युवा व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रेशर लगभग 100 जमा आयु होता है।

(2) 25 के ऊपर की आयु वाले व्यक्ति में ब्लड प्रेशर के आकलन में 110 जमा आधी आयु का सामान्य नियम बिल्कुल सन्तोषजनक दिखाई पड़ता है।

विशेष ध्यान--सामान्य नियम के रूप में 140 एम. एम. के ऊपर सिस्टलिक प्रेशर और 90 एम. एम. के उपर डयिस्टलिक प्रेशर को संदिग्धा मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को अयोग्य या योग्य ठहराने के सम्बन्ध में अपनी अन्तिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखें। अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह पता लगाना चाहिए कि घबराहट (एकसाइटमेंट) आदि के कारण ब्लड प्रेशर थोड़े समय रहने वाला इसका कारण कायिक (आगनिक) बीमारी है? ऐसे सभी मामलों में हृदय का एक्सरे और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जांच और रक्त यूरिया निकास (क्लियरेंस) की जांच भी नेमी तौर पर की जानी चाहिए। फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे में अन्तिम फैसला केवल मेडिकल बोर्ड ही करेगा।

ब्लड प्रेशर (रक्त दाब) लेने का तरीका।

नियमित : पारे वाले दाब मापी (मरकरी मोनोमीटर) किस्म का उपकरण (इन्स्ट्रूमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए। किसी किस्म के व्यापार या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं होना चाहिए। रोगी बैठा हो या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी आंख शिथिल और आराम से हो। यहां थोड़ी बहुत हारिजेंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर ही तथा उसके कन्धे से कपड़ा उतार देना चाहिए। कफ में से पूरी तरह हवा निकालकर बीच में रबड़ भुजा के अन्दर की ओर रखकर और उसके निचले किनारे को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच उपर करके लगाना चाहिए। इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर समान रूप से लपेटना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर न निकले।

कोहनी के मोड़ पर बांह धकनी (बैकिजल आर्टरी) को दबा कर ढूंढा जाता है और तब इसके ऊपर बीचों-बीच स्टथोस्कोप को हल्के से लगाया जाता है। जो कफ के साथ न लगे। कफ में लगभग 200 एम.एस.जी. हवा भरी जाती है इसके बाद इसमें धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है। हल्की क्रमिक ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्टलिक प्रेशर दर्शाता है और जब हवा निकाली जाएगी तो और तेज ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी। जिस स्तर पर साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई सी लुप्त प्राय: हो जाए व डायस्टलिक प्रेशर है। ब्लड प्रेशर काफी थोड़ी अवधि में ही लेना चाहिए क्योंकि कफ से लम्बे समय का दबाव रोगी के लिए क्षोभकारी होता है और इससे रीडिंग गलत होती है। यदि दोबारा पड़ताल करनी जरूरी है तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए। (कभी-कभी कफ में हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर तक ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, दाब गिरने पर ये गायब हो जाती है तथा निम्नस्तर पर पुन: प्रकट हो जाती हैं। इस "साइलैण्ट गैप" से रीडिंग गलत हो सकती है)।

8. परीक्षक की उपस्थिति में किए गए मूत्र की भी परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए। अब मेडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायबिटीज) के द्योतक चिन्ह और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा। यदि बोर्ड उम्मीदवार को गुलुकोज मेह (ग्लाइकोसूरिया) के सिवाय अपेक्षित मेडिकल फिटनेस के स्टैण्डर्ड के अनुरूप पाये तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिटनेस घोषित कर सकता है कि ग्लूकोज मेह (अमधुमेही) (नान डायबिटीज) है और बोर्ड यह केस उस विनिर्दिष्ट काय-चिकित्सा विशेषज्ञ के पास भेज देगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाली की सुविधाएं हों। मेडिकल विशेषज्ञ स्टैण्डर्ड ब्लड शुगर रालरैस टैस्ट समेत जो भी क्लिनिकल लेबोरेटरी परीक्षाएं जरूरी समझेगा, करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की "फिट" "अनफिट" की अंतिम राय आधारित होगी। दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा। औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में देख-रेख में रखा जाए।

9. जांच के परिणाम के आधार पर यदि कोई महिला उम्मीदवार 12 हफ्ते या उससे अधिक समय की गर्भवती पाई जाती है तो उसको अस्थाई रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका प्रसव पूरा न हो। किसी रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी का स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर प्रसूती की तारीख से 6 हफ्ते बाद आरोग्य प्रमाण-पत्र के लिए उसकी फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिए।

10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए :--

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है और उसके कान में बीमारी का कोई चिह्न नहीं है। परीक्षा कान विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य क्रिया (आपरेशन में) हियरिंग एड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की बामारी बढने वाली न हो।

चिकित्सा परीक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन के लिए इस सम्बन्ध में निम्नलिखित मार्गदर्शन जानकारी दी जाती है :--

(1)	एक कान में प्रकट अथवा पूर्ण बहरापन हो दूसरा कान सामान्य।	स्पेशल क्लास अप्रेन्टिस पदों पर नियुक्ति के लिए अयोग्य।

(2)	दोनों कानों में बहरापन का प्रत्यक्ष बोध जिसमें श्रवण के लिए यन्त्र (हियरिंग एड) कुछ सुधार सम्भव हो।	स्पेशल क्लास अप्रेन्टिस पदों पर नियुक्ति के द्वारा अयोग्य।
(3)	सेन्ट्रल अथवा मार्जिनल टाइप के टिमपेनिक मेम्ब्रेन का छिद्र।	कर्ण पटल का कोई छिद्र ठीक न हो तो अयोग्य किन्तु विक्षम घाव का निशान अयोग्यता का कारण नहीं माना जाएगा।
(4)	कान के एक ओर दोनों ओर मस्टाइड कैविटी सबनार्मल श्रवण।	स्पेशल क्लास अप्रेन्टिसिज के पदों के लिए अयोग्य।
(5)	बहते रहने वाला आपरेशन किया गया/बिना आपरेशन किया गया।	तकनीकी और गैर तकनीकी पदों के लिए अस्थाई रूप से अयोग्य।
(6)	नासापुट की हड्डी सम्बन्धी विषमताओं (बोन डिफार्मिटी) सहित अथवा उससे रहित नाक के जीर्ण प्रवाहक आलर्जिक दशा।	(1) प्रत्येक मामले का परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। (2) यदि लक्षणों सहित नासापुट अक्सर विद्यमान हो तो अस्थाई रूप से अयोग्य।
(7)	टांसिल्स और अथवा स्वर यंत्र लैरिक्स जीर्ण प्रवाहक दशा।	(1) टांसिल्स और/अथवा स्वर यंत्र की जीर्ण प्रवाहक दशा–योग्य। (2) यदि आवाज में अत्यधिक कर्कशता विद्यमान हो तो अस्थाई रूप से अयोग्य।
(8)	कान नाक गले (ई.एन.टी.) हल्के अथवा अपने स्थान पर यदम-ट्यूमर।	(1) हल्का ट्यूमर अस्थाई/स्थाई रूप से अयोग्य। (2) दुर्लभ ट्यूमर--अयोग्य।
(9)	आस्टेकिलरोसी।	स्पेशल क्लास अप्रेंटिसेज के लिए अयोग्य आपरेशन के बाद श्रवण सहायक यंत्रों की सहायता से सुनाई देने की मात्रा 30 डेसिबिल के अन्दर होने पर स्वस्थ्य।
(10)	कान, नाक अथवा गले के जन्मजात दोष।	(1) यदि कामकाज में बाधक न हो तो योग्य। (2) भारी मात्रा में हकलाहट हो तो अयोग्य।
(11)	नजलपोली।	अस्थाई रूप से अयोग्य।

(ख) उम्मीदवार बोलने में हकलाता/हकलाती नहीं हो।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं और अच्छी तरह चबाने के लिये जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं/अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा।

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं तथा उसका दिल या फेफड़े ठीक हैं या नहीं।

(ङ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं।

(च) उसे रपचूर है या नहीं।

(छ) उसे हाइड्रोसील, बढ़ी हुई बेरिकासिल, बेरिका (शिरावेन) या बवासीर है या नहीं।

(ज) उसके अंगों, हाथों और पैरों की बनावट और विकास अच्छी है या नहीं और उसकी ग्रंथियां भली भांति स्वतन्त्र रूप से हिलती हैं या नहीं।

(झ) उसे कोई चिरस्थाई त्वचा बीमारी है या नहीं।

(ञ) कोई जन्मजात कुरचना या दोष है या नहीं।

(ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान हैं या नहीं जिसमें कमजोर गठन का पता लगे।

(ठ) कारगर टीके के निशान हैं या नहीं।

(ड) उसे कोई संचारी (कम्युनिकेबल) रोग है या नहीं।

11. हृदय तथा फेफड़ों की किन्हीं ऐसी असमान्यताओं का पता लगाने, जिन्हें सामान्य शारीरिक परीक्षण के आधार पर नहीं देखा जा सकता है, के लिए छाती का रेडियाग्राफी परीक्षण केवल उन्हीं उम्मीदवारों का किया जाएगा जिन्हें स्पेशल क्लास रेलवे अप्रैन्टिसेज परीक्षा में अंतिम रूप से सफल घोषित किया जाता है।

अभ्यर्थी के स्वास्थ्य के बारे में केन्द्रीय स्थायी चिकित्सा मंडल (संबंधित अभ्यर्थी की चिकित्सा परीक्षा का संचालन करने वाला) के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।''

कोई रोग मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य ही नोट किया जाए। मैडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्ण ड्यूटी में इसे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं।

टिप्पणी (क)--उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि उक्त सेवा के लिए उनकी स्वस्थता निर्धारित करने हेतु नियुक्त चिकित्सा बोर्ड चाहे बोर्ड विशेष हो या स्थाई हो--के विरुद्ध अपील करने का अधिकार नहीं है, किन्तु फिर भी यदि सरकार पहले बोर्ड के निर्णय में गलती की संभावना के विषय में प्रमाण प्रस्तुत कर दिए जाने पर संतुष्ट हो जाती है तो यह सरकार की इच्छा पर होगा कि वह दूसरे बोर्ड के सामने अपील की इजाजत दे। इस प्रकार का प्रमाण जिस पत्र में उम्मीदवार को पहले चिकित्सा बोर्ड का निर्णय सूचित किया गया है उसकी तारीख से 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा दूसरे चिकित्सा बोर्ड को अपील करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

यदि किसी उम्मीदवार द्वारा पहले बोर्ड के विनिश्चय में निर्णय संबंधी त्रुटि की संभावना से सम्बद्ध प्रमाण-पत्र के रूप में कोई चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसी प्रमाण-पत्र पर तब तक कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा जब इसमें सम्बद्ध चिकित्सा व्यवसायी की इस आशय की टिप्पणी अंकित न हो तो वह टिप्पणी इस तथ्य को पूरी तरह जानते हुए अंकित की गई

है कि उक्त उम्मीदवार चिकित्सा बोर्ड द्वारा सेवा हेतु अयोग्य पाए जाने पर अस्वीकृत कर दिया गया।

टिप्पणी (ख)--अपीलीय चिकित्सा बोर्ड के बाद कोई अन्य अपील स्वीकार्य नहीं होगी और अपीलीय चिकित्सा बोर्ड का निर्णय फाइनल होगा।

मैडिकल बोर्ड उनकी रिपोर्ट

मैडिकल परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है :--

1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस), के लिए अपनाए जाने वाले स्टैण्डर्ड में संबंधित उम्मीदवार की आयु और सेवा काल (यदि हो) के लिए गुंजाइश करनी चाहिए।

2. यदि किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस भर्ती के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपाइंटिंग आथारिटी) को यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे कोई ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बॉडिली इनफर्मिटी) नहीं है जिससे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की संभावना है।

3. यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी उतना ही सम्बद्ध है जितना वर्तमान से है और मैडिकल परीक्षा का मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थाई नियुक्ति के उम्मीदवार के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या अदायगियों को रोकना है। साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि जहां प्रश्न केवल निरन्तर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए जबकि कोई ऐसा दोष हो जो केवल बहुत कम स्थितियों में निरंतर कारगर सेवा में लायक पाया गया हो।

4. महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को मैडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा।

5. डाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए।

6. ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किए जाने के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उम्मीदवार को बताये जा सकते हैं, किन्तु डाक्टरी बोर्ड ने जो खराबी बताई उसका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।

7. ऐसे मामले में जहां डाक्टरी बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी-मोटी खराबी चिकित्सा (औषध या शल्य) द्वारा दूर हो सकती है वहां डाक्टरी बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार की बोर्ड की राय सूचित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है और जब वह खराबी दूर हो जाये तो दूसरे डाक्टरी बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने से संबंधित प्राधिकारी स्वतंत्र है।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेंट देनी चाहिए और उनके पास लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिए। नीचे दिए गए नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए :--

1. अपना पूरा नाम लिखें।
(साफ अक्षरों में)
2. अपनी आयु और जन्म स्थान बताएं।
3. क्या आप गोरखा, गढ़वाली, असमियों जैसी जातियों, नागालैण्ड जन-जाति आदि में से किसी से सम्बन्धित हैं जिनका औसत कद दूसरों से कम होता है "हां" या "नहीं" में उत्तर दीजिए। उत्तर "हां" में हो तो उस जाति का नाम बताइए।
4. (क) क्या आपको कभी चेचक, रुक-रुक कर होने वाला कोई दूसरा बुखार, ग्रंथियां (ग्लेण्ड्स) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना, थूक में खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मूर्छा के दौरे, रुमेटिज्म, एपैंडिसाइटिस हुआ है।
अथवा
(ख) दूसरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना, जिसके कारण शय्या पर लेटे रहना पड़ा हो, और जिसका मेडिकल या सर्जिकल किया गया हो, हुई है?
5. क्या आप या आपका कोई निकट का सम्बन्धी कभी कन्जम्पशन, सिरोफला, गाउट, दमा, दौरे अपस्मार या पागलपन का शिकार हुआ है।
6. क्या आप को अधिक काम या किसी दूसरे कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई?
7. अपने परिवार के सम्बन्ध में निम्नलिखित ब्यौरे दें :--

यदि पिता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण
1	2

आपके कितने भाई जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आप के कितने भाईयों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण
3	4

यदि माता जीवित हों तो उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय माता की आयु और मृत्यु का कारण
5	6

आपकी कितनी बहनें जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहनों की मृत्यु हो चुकी है मृत्यु की समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण
7	8

8. क्या इसके पहले किसी मैडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है।

9. यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर "हां" में हो तो बताइए किस सेवा/किन सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा की है?

10. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था?

11. कब और कहां मैडिकल बोर्ड हुआ?

12. मैडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो।

13. उपर्युक्त सभी उत्तर मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही हैं तथा मैं अपने द्वारा दी गई किसी सूचना में की गई विकृति या किसी संगत जानकारी को छुपाने के लिए कानून के अंतर्गत किसी भी कार्रवाई का भागी हूंगा। झूठी सूचनाएं देना व किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाना अयोग्यता मानी जाएगी और मुझे सरकार के अंतर्गत नियुक्ति के लिए अयोग्य माना जाएगा। मेरे सेवाकाल के दौरान किसी भी समय ऐसी कोई जानकारी मिलती है कि मैंने कोई गलत सूचना दी है या किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाया है तो मेरी सेवाएं रद्द कर दी जाएंगी।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर----------------

उपस्थिति में हस्ताक्षर-----------------

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर------------

प्रपत्र-I

(...उम्मीदवार का नाम की शारीरिक परीक्षा करने पर मैडिकल बोर्ड की रिपोर्ट)।

1. सामान्य विकास : अच्छा.................................. बीच का................................ खराब ....पोषण : ....पतला ....(औसत) मोटा ....कद (जूते उतारकर) .... वजन......... ....अत्युत्तम वजन ....कब था वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन ....तापमान .... छाती का घेरा.................. ....

(1) पूरा सांस खींचने पर ....

(2) पूरा सांस निकालने पर ....

2. त्वचा :--कोई जाहिर बीमारी।

3. नेत्र :

(1) कोई बीमारी ....

(2)

रतौंधी ....

(3) कलर विजन व दोष ....

(4) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन) ....

(5) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्विटी) ....

(6) फण्ड्स की जांच ....

दृष्टि की तीक्षणता		चश्मे के बिना	चश्मे से चश्मे की स्फीसिल गावर एसकल
दूर की नज़र	दा. ने. बां. ने		
पास की नज़र	दा. ने. बां. ने.		
--हाईपरनिट्रोपिया व्यक्त	दा. ने. बां. ने.		

4. कान........................निरीक्षण..............................सुनना दायां कान ....बायां कान ....

5. ग्रथियां ....थाइराइड ....

6. दांतों की हालत ....

7. श्वसन तन्त्र (रेसपायरेटरी सिस्टम)--क्या शारीरिक परीक्षा करने पर सांस के अंगों में किसी असामान्यता का पता लगा?

यदि पता लगा हो तो ब्यौरा दें।

8. परिसंचरण तन्त्र (सर्क्यूलेटरी सिस्टम)।

क. हृदय : कोई अंगिक क्षति (आर्गेनिक लीज न .... गति रहे........................खड़े होने पर।

25 बार कुदाये जाने के बाद .... कुदाये जाने के 2 मिनट बाद .... ब्लड प्रैसर .... सिस्टालिक ....डायस्टालिक ....

9. उदर (पेट), घेरा..स्पर्श सदाश्यता हर्निया

(क) दया कर मालूम पड़ना/जिगर......................................

तिल्ली...................................गुर्दे ....ट्यूमर

(ख) स्कतार्श..

भगंदर..

10. तंत्रिका तंत्र—(नर्वस सिस्टम) तंत्रिका या मानसिक असमान्यता का संकेत।

11. ताल तंत्र (लोकोमीटर सिस्टम)..............................

कोई अपसामान्यता ....

12. जनन मूत्र तंत्र :—हाइड्रोसिल, बेरिकोसिल आदि का कोई संकेत :—

मूल परीक्षा :

(क) कैसा दिखाई पड़ता है ?

(ख) अपेक्षित गुरुत्व (स्पेसिफिक ग्रेविटी)

(ग) एल्यूमैन

(घ) शक्कर

(ङ) कास्ट्स

(च) कोशिकाएं (सेल्स)

13. छाती की एक्सरे परीक्षा की रिपोर्ट

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह इस सेवा की ड्यूटी को दक्षतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता है।

नोट :—महिला उम्मीदवार के मामले में, यदि वह पाया जाता है कि वह 12 सप्ताह अथवा उससे अधिक समय से गर्भिणी है तो उसे अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिये, देखिये विनियम 9।

15. उम्मीदवार परीक्षा पास कर लिये जाने के बाद किन सेवाओं में कार्य के दक्ष सतत निष्पादन हेतु सभी प्रकार से योग्य पाया गया है और किन सेवाओं के लिये अयोग्य पाया गया है।

टिप्पणी 1 :—बोर्ड को अपने जांच परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए।

(i) स्वास्थ्य

(ii) ....के कारण अस्वस्थ

(iii) ....के कारण अस्थाई रूप से अस्वस्थ

टिप्पणी 2 :—उम्मीदवार की छाती का एक्स-रे परीक्षण नहीं किया गया है, इस कारण उपर्युक्त निष्कर्ष अंतिम नहीं है और छाती के एक्स-रे परीक्षण की रिपोर्ट के अध्यधीन है।

स्थान :

हस्ताक्षर { अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य }

दिनांक : मैडिकल बोर्ड की मुहर

प्रपत्र-II

उम्मीदवार का कथन/घोषणा

1. अपना नाम लिखें : (बड़े अक्षरों में)

2. रोल नम्बर :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

मैडिकल बोर्ड द्वारा भरे जाने के लिए

टिप्पणी :—बोर्ड उम्मीदवार की छाती के एक्स-रे परीक्षण की जांच रिपोर्ट निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग के अंतर्गत अपने निष्कर्ष रिकार्ड करना चाहिए।

उम्मीदवार का नाम..

(i) स्वास्थ्य

(ii) ....के कारण अस्वस्थ

(iii) ....के कारण अस्थाई रूप से अस्वस्थ

स्थान :

हस्ताक्षर { अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य }

दिनांक : मैडिकल बोर्ड की मुहर

परिशिष्ट 3

इस परीक्षा के आधार पर चुने गये स्पेशल क्लास अप्रैन्टिस हेतु अप्रैन्टिसशिप की शर्तें।

अप्रैन्टिसशिप की शर्तों का उल्लेख इण्डियन रेलवे एस्टेबिलिशमेन्ट मैनुअल में निर्धारित करार पत्र में कर दिया जाएगा इसका संक्षिप्त निम्न प्रकार है :—

1. स्पेशल क्लास रेलवे अप्रैन्टिस के रूप में नियुक्ति के लिये प्रस्तावित उम्मीदवार को निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का करार करना होगा कि सन्तुष्टि के अनुरूप स्पेशल क्लास रेलवे अप्रैन्टिस का प्रशिक्षण पूरा करने में असफल रहने पर यांत्रिक इंजीनियरों की भारतीय रेलवे सेवा में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में प्रस्तावित नियुक्ति को स्वीकार करने की स्थिति में जो धन उसे दिया गया है या सरकार द्वारा जो धन उस पर खर्च किया गया है, उसको लौटाने के लिये वह तथा उसका एक प्रतिभू संयुक्त रूप में तथा पृथक-पृथक रूप में बाध्य होंगे। सरकार को खर्च की राशि के बारे में निर्णय करने का एकमात्र अधिकार होगा।

अप्रैन्टिस को शुरू में एक चार वर्षीय प्रायोगिकी तथा सैद्धान्तिक प्रशिक्षण इस आशय के बाधक अनुबन्ध पत्र के अन्तर्गत लेना होगा कि यदि जरूरत पड़ी तो उन्हें प्रशिक्षण पूरा होने पर भारतीय रेलवे में सेवा करनी पड़ेगी। उनकी अप्रैन्टिसशिप एक वर्ष बाद दूसरे वर्ष तभी रखी जायेगी जब जिस अधिकारी के अधीन वह कार्य कर रहा है उससे सन्तोषजनक रिपोर्ट मिल जाती है। अप्रैन्टिसशिप के दौरान यदि किसी समय वह अपने वरिष्ठ अधिकारी को इस बारे में सन्तुष्ट नहीं करता है कि वह अच्छी प्रगति कर रहा है तो उसे अप्रैन्टिसशिप से अलग कर दिया जायेगा।

टिप्पणी :--भारत सरकार अपने विवेक से प्रशिक्षण की अवधि तथा कोर्स में कोई परिवर्तन या संशोधन कर सकती है।

2. ऊपर संदर्भित व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक प्रशिक्षण उनकी शिक्षुता के चार वर्षों तक रेलवे वर्कशॉप में दिया जाएगा। स्पेशल क्लास रेलवे शिक्षुओं को इस अवधि के भीतर काउन्सिल ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीटयूशन परीक्षा (लंदन) के भाग 1 और 2 अथवा एसोसिएट मेम्बरशिप ऑफ इंस्टीटयूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत) परीक्षा अथवा रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित अन्य कोई अवश्य उत्तीर्ण करनी होगी। शिशुओं को प्रथम व द्वितीय वर्ष के दौरान 4000 रु. प्रतिमाह तथा तृतीय वर्ष के दौरान व चतुर्थ वर्ष के प्रथम छह माह के दौरान 4200 रु. प्रतिमाह तथा चतुर्थ वर्ष के अंतिम छह माह के दौरान 4400 रु. प्रतिमाह की वृत्तिका प्रदान की जाएगी। शिक्षुता के दौरान, उम्मीदवारों को सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक दोनों प्रशिक्षण प्राप्त करने होंगे। कुल 6 सत्रार्थ परीक्षाएं होंगी जिनमें से प्रत्येक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यदि वे इनमें से किसी भी परीक्षा में असफल रहते हैं, तो उन्हें उनके प्रदर्शन के आधार पर पूरक परीक्षा में बैठने तथा उत्तीर्ण होने के लिए कहा जाएगा अथवा अगले निम्न बैच में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा या शिक्षुता से हटा दिया जाएगा।

टिप्पणी: सिवाए जैसी कि नीचे के पैराग्राफ 4 में व्यवस्था है या वह अधीनता असंयम या अन्य कदाचार का दोषी पाया जाता है या कोई करार भंग कर दिया जाता है, अप्रैन्टिसशिप से हटाने के लिए नौ सप्ताह का नोटिस दिया जाएगा।

3. उपर्युक्त पैरा 2 में निर्दिष्ट प्रशिक्षण का चौथा वर्ष पूरा होने से पहले अप्रैन्टिसों को एक सूची दी गई परीक्षा या अप्रैन्टिसशिप की अवधि के दौरान प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर योग्यताक्रम में तैयार की जाएगी। सफल अप्रैन्टिस यांत्रिकी इंजीनियरी को भारतीय रेल सेवा में तीन वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किए जाएंगे।

टिप्पणी: किसी भी प्रशिक्षु को अहर्क स्तर पर योग्यता से युक्त तभी माना जाएगा जब उसके प्रशिक्षण को यह सिमेस्टर परीक्षाओं की अवधि में संचालित सभी परीक्षाओं में उसको कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त हों, जिसमें भारतीय रेलवे यांत्रिकी व विद्युत इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर के प्रधानाचार्य तथा उप-मुख्य यांत्रिकी इंजीनियर के प्रतिवेदनों में प्राप्त अंक भी शौमिल होंगे। यह भी जरूरी है कि छह सिमेस्टर परीक्षाओं की इस अवधि में प्रत्येक वर्ष कुल मिलाकर कम से कम 45 प्रतिशत और प्रत्येक विषय में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त हों।

4. असफल प्रशिक्षुता को एक महीना पहले यह सूचना देकर कि उसकी प्रशिक्षता असफल रही प्रशिक्षता से निवृत्त कर दिया जाएगा।

5. अप्रैन्टिसशिप के चार वर्ष सफलतापूर्वक पूरे करने के बाद परिशिष्ट 4 के नीचे पैरा 1 के परन्तुक की शर्तों के अनुसार अप्रैन्टिसशिप को यांत्रिक इंजीनियरी की भारतीय रेल सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। यांत्रिक इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा के अधिकारियों के वेतन एवं सेवा को सामान्य शर्तों के विवरण परिशिष्ट-4 में दिए गए हैं।

परिशिष्ट-4

यांत्रिकी इंजीनियरों का भारतीय रेल सेवा से संबंधित विवरण

1. परिवीक्षा की अवधि तीन वर्ष होगी। परिवीक्षकों के रूप में नियुक्ति और वेतन का आरम्भ (क) अप्रैन्टिसशिप की 4 वर्ष की अवधि के समाप्त होने की तारीख से या (ख) प्रशिक्षण के पूरा करने की वास्तविक तारीख से जो भी बाद की हो, माना जाएगा।

किन्तु शर्त यह है कि उन स्पेशल क्लास अप्रैन्टिसेज के जो अपने अप्रैन्टिसशिप के 4 वर्ष के भीतर ए.एम. आई.एम.ई. (लन्दन) के भाग 1 और 2 ए.एम.आई.ई. (इंडिया) के भाग ए और बी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे तो उन्हें केवल उसी तारीख से परिवीक्षकों के पद पर नियुक्त किया जाएगा जिससे वे इन परीक्षाओं में से किसी एक में पूर्ण रूप से सफल होंगे।

नोट:--(1) परिवीक्षकों को सेवा में बनाए रखने और उनको वार्षिक वेतन वृद्धियां स्वीकृत करने के बारे में तभी विचार किया जाएगा जब तक उनके कार्य के सम्बन्ध में वर्ष के अन्त में संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त न हो जाए।

(2) किसी भी ओर से तीन मास का नोटिस दिए जाने पर परिवीक्षकों की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

2. परिवीक्षा के प्रथम और द्वितीय वर्षों में उनकी एक या अनेक भारतीय रेलवे केन्द्रो में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा जिसके लिए एक निर्धारित पाठ्यक्रम होगा और यह समय-समय पर संशोधित भी हो सकता है। परिवीक्षाधीन अधिकारियों को कार्य समय के बाद किसी प्राविधिक महाविद्यालय में या इंजीनियरी विषयों पर विशिष्ट भाषण करने के लिए भेजा जा सकता है। प्रशिक्षण को इस दो वर्ष की अवधि में प्रशिक्षण की प्रत्येक दशा के बाद अभियंता और जिस रेलवे में परिवीक्षित की नियुक्ति होती है यहां के मुख्य परिचालक अधीक्षक द्वारा सम्मिलित रूप में आयोजित होगी। जिसमें अर्हता प्राप्त करने के लिए 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

3. परिवीक्षा की अवधि में उनके रेलवे कर्मचारी महाविद्यालय, बड़ौदा में एक निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। और महाविद्यालय के द्वारा आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण भी होना होगा। महाविद्यालय की यह परीक्षा अनिवार्य होगी इसमें दुबारा बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब तक कुछ अपवादिक परिस्थितियां न हों और अधिकारियों को कार्य लेख इस प्रकार की छूट को उपयुक्त प्रमाणित न करे। परीक्षा में उत्तीर्ण न होने पर सेवा समाप्त की जा सकती है और किसी भी हालत में जब तक ये परीक्षा में उत्तीर्ण न हों उनका स्थायीकरण नहीं हो सकेगा और प्रशिक्षण और या

परिवीक्षा अवधि यथावश्यक बढ़ा दी जाएगी। परिवीक्षा की अवधि के दो वर्ष पूरा होने के पहले उनको एक विभागीय परीक्षा में भी बैठना होगा जिसमें विषय होंगे--लेखा और प्राक्कलन सामान्य और आर्षंगित नियम कारखाना, अधिनियम, कारीगर प्रतिपूर्ति अधिनियम, श्रमिकों से काम कराने का कौशल तथा परिवीक्षा की अवधि में प्रत्येक अधिकारी को सोंपे गए कार्य या कार्यों में उनकी सामान्य अनुप्रयुक्ता। उनको इस विभागीय परीक्षा में परीवीक्षा के दूसरे साल के अन्दर-अन्दर उत्तीर्ण होना होगा। इस परीक्षा में उत्तीर्ण न होने पर सेवा समाप्त की जा सकती है और किसी भी हालत में उनकी वेतन-वृद्धि रुकवा दी जाती है। निश्चित अवधि के अन्दर कोई या सभी विभागीय परीक्षा या परीक्षाओं में उत्तीर्ण न होने के कारण जब परिवीक्षा की अवधि बढ़ानी पड़ती है, उस दशा में विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने और बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के बाद स्थायी बना दिए जाने पर पहली और उसके बाद की वेतन वृद्धि की प्राप्ति समय-समय पर परिवर्तित नियमों और आदेशों के अनुसार नियंत्रित होगी। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में दूसरी बार बैठने की अनुमति नियमानुसार नहीं दी जाती है जब तक कि कुछ अपवादिक परिस्थितियां न हों और प्रशिक्षण की अवधि में उम्मीदवार का कार्यलेख कुछ ऐसा न हो कि इस प्रकार की छूट उपयुक्त मालूम पड़े।

ध्यान दें: सरकार, अपने निर्णय के किसी भी कार्यधारी पद की प्रशिक्षण अवधि और परीक्षा अवधि में परिवर्तन कर सकती है। अगर किसी मामले में प्रशिक्षण की अवधि बढ़ा दी जाती है तो तदनुसार परिवीक्षा की समस्त अवधि बढ़ाई जाती है।

4. परिवीक्षाधीन अधिकारियों को देवनागरी लिपि में हिन्दी की किसी अनुमोदित स्तर की परीक्षा में पहले से ही उत्तीर्ण हुआ होना चाहिए या परिवीक्षा अवधि में उत्तीर्ण होना चाहिए। यह परीक्षा शिक्षा निदेशक दिल्ली के माध्यम द्वारा आयोजित हिन्दी प्रवीण या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और कोई समकक्ष परीक्षा हो सकती है।

जब तक कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी इस अपेक्षा की पूर्ति नहीं करता है, तब तक उसको न स्थायी किया जा सकता है और न उसकी वेतन सामाजिक वेतनमान में रु. 8550.00 प्रतिमास तक बढ़ाया जा सकता है। अगर इस अपेक्षा की पूर्ति नहीं कर पाता है तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। कोई छूट नहीं दी जा सकती।

5. परीक्षा के आधार पर यांत्रिक इंजीनियरी की भारतीय, रेलवे सेवा में नियुक्ति किसी भी व्यक्ति को, अपेक्षित होने पर, किसी रक्षा सेवा से या भारतीय रक्षा से सम्बन्धित किसी पद पर कम से कम चार वर्ष की अवधि तक काम करना होगा। अगर कोई प्रशिक्षण हो, तो इसमें उस प्रशिक्षण की अवधि शामिल है।

परन्तु उस व्यक्ति को :

(क) परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति होने की तारीख से दस वर्ष समाप्त होने पर उपर्युक्त पद पर काम करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) सामान्य : 40 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर पूर्वोक्त सेवा नहीं करनी पड़ेगी।

6. यांत्रिक इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा के अधिकारी :--

(क) पेंशन लाभ के पात्र होंगे, और

(ख) राज्य रेलवे गैर अंशदायी भविष्य निधि में उक्त निधि के नियमों के अन्तर्गत अंशदान करेंगे :--

जैसा कि उन रेलवे कर्मचारियों के जो अपनी नियुक्ति के दिन कार्य भार ग्रहण करते हैं लागू करेंगे:--

7. परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में सेवा शुरू करने की तारीख से वेतन शुरू हो जाएगा। उपर्युक्त पैरा 3 के अधीन वेतन वृद्धि हेतु सेवा भी उसी दिन से गिनी जाएगी। वेतन आदि का विवरण इस परिशिष्ट के पैरा 10 में उल्लिखित है।

8. इन विनियमों के अधीन भर्ती हुए अधिकारी इस समय लागू नियमों के जो भारतीय रेल अधिकारियों पर लागू है अनुसार छूट्टी के पात्र होंगे।

9. सामान्यत : अधिकारी पूरी सेवा के लिए उसी रेल में लगे रहेंगे जहां पहली नियुक्ति होती है और किसी दूसरे रेल में उन्हें स्थानान्तरण का कोई अधिकार नहीं होगा किन्तु भारत सरकार को यह अधिकार है कि सेवा की परीक्षाओं को देखते हुए भारत में या बाहर किसी दूसरी रेल में परियोजना में स्थानान्तरण कर सके। अपेक्षित होने पर अधिकारियों को भारतीय रेल के स्टोर डिपार्टमेंट में सेवा करनी होगी।

10. यांत्रिक इंजीनियरों को भारतीय रेल सेवा में नियुक्त अधिकारियों को इस समय वेतन की निम्न दरें--ग्राह्य हैं :--

कनिष्ठ वेतनमान : रु. 8,000-275-13,500

वरिष्ठ वेनतमान : रु. 10,000-325-15200

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड रु. : 12,000-375-16,500

वनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड } (1) रु. 16,400-450-20,000
(2) रु. 18,400-500-22,400

टिप्पणी 1 : परिवीक्षाधीन अधिकारियों को शुरू में कनिष्ठ वेतनमान का न्यूनतम दिया जाएगा और वेतन वृद्धि के लिए उनकी सेवा कार्यारम्भ की तारीख से गिनी जाएगी। किन्तु इससे पहले की उक्त समयमान में उनका वेतन 8275.00 रु. प्र. मा. से 8550.00 रु. प्र. मा. तक बढ़ाया जाएगा। उन्हें निर्धारित परीक्ष या परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी।

टिप्पणी 2 : यदि वे प्रशिक्षण के पहले के वर्षों और परिवीक्षा की अवधि के दौरान विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में असमर्थ रहते हैं 8275.00 से 8550.00 रु. तक वृद्धि रोक दी जाएगी जब निर्धारित अवधि के दौरान सभी विभागीया परीक्षाओं में असफल रहने के कारण प्रशिक्षण अवधि बढ़ानी पड़ी हो तब प्रशिक्षण की बड़ी हुई अवधि की समाप्ति के पश्चात् उनके विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर उनका वेतन जिस तारीख को अन्तिम परीक्षा समाप्त होती है, उसके बाद की तारीख से उक्त समयमान में--व्यवस्था पर नियत किया जाएगा जो वे अन्यथा प्राप्त कर लेंगे। किन्तु उन्हें वेतन का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा। ऐसे मामलों में भविष्यगत वेतनवृद्धि की तारीख प्रभावित नहीं होगी।

11. वेतन वृद्धि केवल अनुमोदित सेवा के लिए और विभागीय नियमों के अनुसार दी जाएगी।

12. प्रशासनिक ग्रेडों में पदोन्नति संस्वीकृत स्थापना में रिक्तियां होने पर ही होता है और पूरी तरह चयन पर आधारित होता है। केवल वरिष्ठता पदोन्नति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।

ममता कंडवाल
उप निदेशक (स्था.) (GR)
(रेलवे बोर्ड)

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 03 जनवरी 2007

सं. के-14012/101/2006-एनयुआरएम--इस मंत्रालय के दिनांक 27.2.2006 और 21.7.2006 समसंख्यक अधिसूचनाओं के अनुक्रम में प्रो. आर.वी. रामाराव, जो वर्तमान में विकास और योजना अध्ययन संस्थान (आईडीपीएस), विशाखापत्तनम में मुख्य परियोजना समन्वयक के रूप में कार्यरत हैं, को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयुआरएम) के तहत तकनीकी सलाहकार समूह (टीएजी) में एक सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

2. इस मंत्रालय की दिनांक 27.2.2006 और 21.7.2006 की पूर्वर्ती अधिसूचनाओं में यथा परिकलित टीएजी की शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

3. इसे शहरी विकास मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

मेहर सिंह
उप सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 2007

No. 3-Pres/2007—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2007 to award the President's Police Medal for Distinguished Service to the undermentioned officer:—

Shri V. Dinesh Reddy
Vice Chairman and Managing Director,
Andhra Pradesh State Road Transport
Andhra Pradesh

Shri S K Jayachandra
Addl DGP & Director Police Communication
Andhra Pradesh

Shri Lokendra Sharma
Addl Director General of Police,
Human Rights, Hyderabad
Andhra Pradesh

Shri Ambati Siva Narayana
Addl Director General of Police
A. P. Special Police, Hyderabad
Andhra Pradesh

Shri Vidiyala Rudra Kumar
Addl SP
Counter Intelligence Cell, Hyderabad
Andhra Pradesh

Shri P D Goswami
DIGP
V&AC, Assam Guwahati
Assam

Shri Rajyabardhan Sharma
IGP
Patna
Bihar

Shri Paras Nath Rai
Special Secretary and Inspector General
Patna
Bihar

Shri Ramesh Kumar Singh
IGP
SCRB & Personnel, Bihar, Patna
Bihar

Shri Krishna Kumar Maheshwari
Joint CP
R P Bhawan, New Delhi
N. C. T. of Delhi

Shri Qamar Ahmed
Joint CP/Traffic
PHQ, New Delhi
N. C. T. of Delhi

Shri Hanuman Singh
ACP
New Delhi
N. C. T. of Delhi

Shri Data Ram
Inspector
South Distt., New Delhi
N. C. T. of Delhi

Shri J K Jhala
Inspector
SVS, DGP Office, Gandhinagar
Gujarat

Shri Sohan Singh
ADG-cum-Comdt Gen. Home Guard
Civil Defence and Fire Services
Himachal Pradesh

Shri Kashmir Singh Rana
IGP/State. HRC
Shimla
Himachal Pradesh

Shri John V. George
ADGP
Crime L&O, Panchkula
Haryana

Shri J D H Guria
S. P.
CID Jharkhand, Ranchi
Jharkhand

Shri Om Prakash
IGP & Director
K. P. A. Mysore
Karnataka

Shri Bipin Gopalkrishna
IGP/Addl. C. P.
Bangalore City
Karnata

Dr. Alphonse Louis Earayil
ADGP, AP Battalion
Trivandrum
Kerala

Shri Siby Mathews
Addl Director, V&ACB
Trivandrum
Kerala

Dr. N L Dongre
DIG
Home Guard and Civil Defence, Jabalpur
Madhya Pradesh

Shri Til Bahadur Thapa
Head Const
Bhopal
Madhya Pradesh

Shri Rakesh Harikrishan Maria
SPL IGP
Mumbai
Maharashtra

Shri P R Padvi
Reserve Police Inspector
Thane City
Maharashtra

Shri R M Sayyed
Inspector
CBD PS. Navi Mumbai
Maharashtra

Shri Anup Kumar Parashar
Director General of Police
Manipur, Imphal
Manipur

Shri C. Vanramlawma
Assistant Principal
PTC Lungverh
Mizoram

Shri Bishnu Charan Dash
S. P.
Jeypore, Dist. Koraput, Orissa
Orissa

Shri Nila Mohan Tripathy
Zonal Dy. S. P.
SB Bhubneshwar
Orissa

Shri Ranbir Singh
ASI
Chandigarh
Punjab

Shri Gian Singh
ASI (ORP)
Chandigarh
Punjab

Shri Sunil Mathur
S. P.
Ajmer
Rajasthan

Shri Salahuddin Siddiqui
S. I.
Kota
Rajasthan

Shri R Sekar
IGP
Chennai
Tamil Nadu

Shri A Subramanian
IGP Intelligence
Cheenai
Tamil Nadu

Shri A. Ch. Rama Rao
ADGP
LO & AP
Tripura

Shri Deo Raj Nagar
ADGP
Intelligence Hqrs Lucknow
Uttar Pradesh

Shri Rajiv
Director (Vigilance)
Food Corpn of India Ltd., New Delhi
Uttar Pradesh

Shri Harinath Yadav
Dy. S. P.
Azamgarh
Uttar Pradesh

Shri Kavi Raj Negi
ADGP (Crime, Law and Order)
PHQ Dehradun
Uttaranchal

Shri Vijay Raghav Pant
Chief Vigilance Officer, N. H. P. C. Ltd.
Faridabad
Uttaranchal

Shri Raj Kanojia
IGP (Law & Order)
West Bengal

Shri A. K. Chatterjee
Addl. C. P.
Kolkata
West Bengal

Shri K L Meena
IGP
North Bengal Region, Siliguri, Darjeeling
West Bengal

Shri Ranjit Kumar Pachnanda
Inspector General
Hq DG, BSF, New Delhi
Border Security Force

Shri P K Misra
DIG
FHQ CGO Complex, New Delhi
Border Security Force

Shri Baljit Singh
DIG
Hq DG, BSF, CGO Complex, New Delhi
Border Security Force

Shri Balbir Singh
DIG
FTR Hq BSF NB, Kadamtala, Siliguri, W. B.
Border Security Force

Shri Mohinder Lal Wasan
DIG
FTR Hq BSF Camp, Jalandhar
Border Security Force

Shri N N Aiyappa
ADIG
STS Bangalore, AF Station, Yelahanka
Border Security Force

Shri O. P. Singh
IG
N/S R. K. Puram, New Delhi
C. R. P. F.

Shri N G Subramania
DIG
Raipur (CG)
C. R. P. F.

Shri A Ponnuswamy
ADIG
GC, Siliguri (WB)
C. R. P. F.

Shri Shridhar Prasad Pokheriyal
Comdt
108 Bn, Raf, Meerut
C. R. P. F.

Shri Satpal Kapoor
Comdt
CTC-III, Nanded Maharashtra
C. R. P. F.

Shri Karpal Singh
Comdt
137 Bn, CRPF, Srinagar
C. R. P. F.

Shri Ananda Chandra Padhi
S. I.
73 Bn, CRPF, Mehrauli, New Delhi
C. R. P. F.

Shri S. A. Naeem
Sr. Comdt
CISF Unit IOC (GR) Baroda
C. I. S. F.

Shri Ramdhar Singh
Sr. Comdt.
Tarapur
C. I. S. F.

Shri B B Mishra
Joint Director
East CBI
C. B. I.

Shri Om Prakash Gaur
S. P.
ACB Jammu
C. B. I.

Shri S. N. Saxena
S. P. ACB Mumbai
C. B. I.

Shri S. Vijaya Kumar
Addl: S. P.
BS&FC Bangalore
C. B. I.

Shri S. K. Peshin
Addl. S. P.
CBI EOU-VIII, New Delhi
C. B. I.

Shri Surender Singh
Joint Director
Jaipur
Ministry of Home Affairs

Shri Ashok Kumar Patnaik
Joint Director
New Delhi
Ministry of Home Affairs

Shri S K Sinha
Joint Director
New Delhi
Ministry of Home Affairs

Shri Jaikrit Singh Negi
Deputy Director
New Delhi
Ministry of Home Affairs

Shri Subramania Shiva Sivaramaswami
Jt. Dy. Director
Chennai
Ministry of Home Affairs

Shri D N Pande
Astt. Director
New Delhi
Ministry of Home Affairs

Shri V P Mahajan
Astt. Director
New Delhi
Ministry of Home Affairs

Shri Tarani Dey
Assistant Central Intelligence Officer
Grade-I/G, Guwahati
Ministry of Home Affairs

Shri Rajeev Rai Bhatnagar
IG (Hq)
Dte. Genl. ITBP, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi
I. T. B. P.

Shri Ram Kishan Sharma
Astt. Comdt.
2nd Bn PO-Babeli, Distt. Kullu
I. T. B. P.

Shri Surendra Kumar Bhagat
IG
FHQ, SSB, New Delhi
M. H. A. (SSB)

Shri D M Mitra
Director
NICFS
New Delhi

Shri Sudhir Kumar Awasthi
Director, NCRB
New Delhi
M. H. A. (NCRB)

Shri P. Gourishankar
Dy. Commissioner of Security
BCAS Chennai Airport, Chennai
Ministry of Civil Aviation

Shri T Murugaraj
ASC
Intelligence Railway Board, New Delhi
Ministry of Railways

2. These awards are made under rule 4 (ii) of the rules governing the grant of President's Police Medal for Distinguished Service.

BARUN MITRA
Director

No. 4-Pres/2007—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2007 to award the Police Medal for Meritorious Service to the undermentioned officers:—

Shri Govind Singh
DIGP
Visakhapatnam Range
Andhra Pradesh

Shri Anjani Kumar
DIGP
Nizamabad Range
Andhra Pradesh

Shri Ravi Gupta
DIG
Warangal
Andhra Pradesh

Shri K. Raja Sikhamani
Comdt
Home Guards, Hyderabad
Andhra Pradesh

Shri Suhas Chaturvedi
Dy. SP
V&E, Hyderabad Rural Unit
Andhra Pradesh

Shri U Rama Mohan
Dy. SP
APFSL Hyderabad
Andhra Pradesh

Shri G. Mallaiah
Inspector
SIB. INT.
Andhra Pradesh

Shri S Jawaharbasha
Inspector
V&E Kurnool
Andhra Pradesh

Shri Ch. Rajasekhara Reddy
Inspector
Kurnool Town Circle
Andhra Pradesh

Shri R. Bhima Rao
ARSI
3rd Bn APSP
Andhra Pradesh

Shri N Kota Reddy
ARSI
2nd Bn APSP, Kurnool
Andhra Pradesh

Shri K A Bari
ARSI
SAR/CPL
Andhra Pradesh

Shri Shaik Mahanoon Basha
ARSI
PTC, Anantapur
Andhra Pradesh

Shri J Malgonda
Head Const
SBHC Banswada
Andhra Pradesh

Shri J R Babu
SB RPHC
Guntakal
Andhra Pradesh

Shri Md. Qutbuddin
Head Const
Police Transport Organisation, Hyderabad
Andhra Pradesh

Shri B R D Rao
Const
Range Office
Andhra Pradesh

Shri Manoj Kumar Lall
DIGP
PHQ-Itanagar
Arunachal Pradesh

Shri K V Singh Deo
DIGP (Security)
SB Assam, Guwahati
Assam

Shri A J Baruah
S. P.
Sonitpur
Assam

Shri BB Chetri
S. P.
N. C. Hills Halflong
Assam

Shri Moneswar Borah
ASI,
V&AC Guwahati
Assam

Shri Premo Dihingia
Havildar
4th Bn APBN, Kahilipara Guwahati
Assam

Shri T S Talukdar
Head Const
CID Orgn., Guwahati
Assam

Shri Durlav Deka
Const
CID Org. Ulubari, Guwahati
Assam

Shri K M Sinha
Addl. S. P.
Bihar Police Radio, Hqrs
Bihar

Shri Anjani Kumar Sinha
Sergeant of Police
PHQ, Bihar, Patna
Bihar

Shri Arvind Kumar
S. I.
SB DGP Office
Bihar

Md. Wasi Ahmad Khan
Havildar
BMP-14
Bihar

Md. Zafrullah Khan
Const
Patna
Bihar

Shri Hardeo Pandit
Sepoy
BMP-2 Dehri
Bihar

Shri Narendra Kumar Khare
Comdt
8th Bn Chhattisgarh Armed Force
Chhattisgarh

Shri Dhirendra Singh
APC
11th Bn CAF
Chhattisgarh

Shri Anand Singh Rawat
Section Commander
10 Bn Caf Surguja
Chhattisgarh

Shri Bhagwat Singh Tomar
Head Const
4th Bn Caf Mana Raipur C. G.
Chhattisgarh

Shri Shashi Bhushan Singh
Head Const
4 Bn Caf Mana Raipur
Chhattisgarh

Shri P. Danteshwar Rao
Sr. Const
SIB
Chhattisgarh

Shri Ram Naresh Singh Sengar
S. I.
Gidam P. S., Dantewada
Chhattisgarh

Shri Ahmad Saeed Khan
CVO
DTC, Delhi Administration
N. C. T. of Delhi

Shri Tajender Singh Luthra
Addl CP
C. W. C. Nanakpura, New Delhi
N. C. T. of Delhi

Dr. N. Dilip Kumar
Addl CP
Prov. & Logistics Delhi
N. C. T. of Delhi

Shri Prabhakar
DCP
EOW, New Delhi
N. C. T. of Delhi

Shri Siri Ram Meena
ACP
R P Bhawan, New Delhi
N. C. T. of Delhi

Shri Yashwant Singh Yadav
ACP
PTC, New Delhi
N. C. T. of Delhi

Shri Chandra Has
Inspector
Anti Corruption Branch
N. C. T. of Delhi

Ms. Achala Rani
Women Inspector
South West Distt., New Delhi
N. C. T. of Delhi

Shri Ramesh Kumar
Inspector
SHO/Subzi Mandi, North Distt., New Delhi
N. C. T. of Delhi

Shri Rajinder Singh
S. I.
Security, New Delhi
N. C. T. of Delhi

Shri Girdhari Singh
ASI
Security, New Delhi
N. C. T. of Delhi

Shri Chura Mani
Head Cosnt
2nd Bn DAP, Delhi
N. C. T. of Delhi

Shri Kehsar Chand
Head Const
South West, New Delhi
N. C. T. of Delhi

Shri S. R. Varmora
Dy. SP
SRPF Gr-13 Ghanteshwar, Rajkot
Gujarat

Shri I. N. Desai
Inspector
State Traffic Branch Gandhinagar
Gujarat

Shri D. H. Goswami
Inspector
ATS Ahmedabad
Gujarat

Shri Siraj Zabha
S. I.
RR Cell Surat Range Surat
Gujarat

Shri N. L. Vyas
S. I.
Sector-1, Ahmedabad
Gujarat

Shri Abdulkarim Shaikh
S. I.
Spl. Branch, Vadodra City
Gujarat

Shri Meghrajbhai N. Harsh
S. I.
Reader Branch S. P. Office Palanpur
Gujarat

Shri Moghajibhai R. Gameti
Head Const
ECO Call Mehsana
Gujarat

Shri Vithalbhai L. Vaghasiya
Const
SRPF Gr. 13 Ghanteshwar Rajkot
Gujarat

Mrs. T. T. D'Souza
Inspector
CID Immigration Dabolim Airport
Goa

Shri Ramesh Chandra Mishra
DIG
M&W. PHQ Panchkula
Haryana

Shri Mohinder Singh Malik
SP
Jind
Haryana

Shri Jagdish Chand
Inspector
IT Cell, PHQ Panchkula
Haryana

Shri Raj Pal
S. I.
SVB Panchkula
Haryana

Shri Tarkeshwar
S. I.
Hissar
Haryana

Shri Vasdev
ASI
2nd Bn HAP Madhuban
Haryana

Shri Inderjeet Singh
ASI
O/o IGP/Rlys & Ts, Panchkula
Haryana

Shri Kundan Singh
ASI
CID
Haryana

Shri Madan Lal
Head Cosnt
2nd Bn HAP
Haryana

Shri Sansar Chand
Inspector
Vig. ACZ Una
Himachal Pradesh

Shri Gurdial Singh Chaudhary
Inspector
Barotiwala
Himachal Pradesh

Ms. Shakuntala Devi Sharma
S. I.
Shimla
Himachal Pradesh

Shri Om Prakash Khare
DIGP
SB Jharkhand, Ranchi
Jharkhand

Shri Sagar Gurung
Havildar
JAP Doranda, Ranchi
Jharkhand

Shri Gh. Ahmad Dar
SSP
Security Kashmir
Jammu & Kashmir

Shri Mansoor Ahmad Untoo
S. P.
CID Hqrs
Jammu & Kashmir

Shri Puran Singh Katoch
Dy. SP
SSG Hqrs
Jammu & Kashmir

Shri Rafiq Ahmad Sheikh
Inspector
Vigilance
Jammu & Kashmir

Shri Mohd. Shaban
Inspector
SKPA Udhampur
Jammu & Kashmir

Shri Moti Lal Bhat
Head Const
NGO Sec. CID Hqrs
Jammu & Kashmir

Shri Sajjad Hussain Ganai
Asst. Dir. (Dy. SP.)
SSG
Jammu & Kashmir

Shri M. V. Murthy
IGP (Vigilance)
KPTCL Bangalore
Karnataka

Shri Kamal Pant
DIGP
Intelligence Bangaloe
Karnataka

Shri K. S. Karning
S. P.
DCRI, Bangalore
Karnataka

Shri R. Nagaraj Urs
S. P.
O/o DG & IGP Bangalore
Karnataka

Shri K. Eshwar Prasad
ACP
Central Traffic, S. D. Bangalore City
Karnataka

Shri M. Pradeep Kumar
Dy. SP
KPTCL Bangalore
Karnataka

Shri H. K. Srinivas Prasad
Dy. SP
Wireless Bangalore
Karnataka

Shri N. Shivakumar
Assistant Comdt
Xth Bn KSRP Shiggaon
Karnataka

Shri Shankaregowda
Inspector
Devaraja Traffic Police Station, Mysore
Karnataka

Shri N. Chalapathy
Inspector
BDA Bangalore
Karnataka

Shri A. Yalagaiah
S. I.
Bidadi PS Bangalore
Karnataka

Shri Manjunatha Prakash
S. I.
Ulsoor TR. PS. Bangalore
Karnataka

Shri M. B. Sayyed
ASI
DCRB Belgaum
Karnataka

Shri K. Nagaraja
Head Const
CSB Bangalore
Karnataka

Shri Y. Anil Kumar
IGP (Administration)
PHQ Trivandrum
Kerala

Shri K. Nadarajan
SP
Kasaragod
Kerala

Shri Abraham Mathew
SP
SBCID Ernakulam Range
Kerala

Shri K. P. Lilaram
Asst. Commissioner of Police
Kochi City
Kerala

Shri A. Jayarajan
Asstt. Comdt
Mangattuparamba
Kerala

Shri T. J. Joshy Joseph
Dy. SP
VACB Special Cell Kozhikode
Kerala

Shri Methew Joseph
Dy. SP., VACB
Alappuzha
Kerala

Shri K. V. Thomas Mathew
Inspector
Kottayam
Kerala

Shri K. V. Raghavan Nair
Head Const
CB CID, Kasaragod
Kerala

Shri I. Nazimudeen
Head Const
SB CID, Kollam
Kerala

Shri Arvind Kumar
IGP (PSO To DG)
Bhopal
Madhya Pradesh

Shri Anvesh Manglam
IGP Range
Balaghar
Madhya Pradesh

Shri Sanjay Vasantrao Mane
DIG, Intelligence
PHQ, MP, Bhopal
Madhya Pradesh

Shri Mohammad Sharif Khan
Dy. SP (Radio)
Bhopal
Madhya Pradesh

Shri Mahendra Singh Thakur
Dy. SP (CID) PHQ
Bhopal
Madhya Pradesh

Shri Rajendra Singh Bhadouriya
Coy Commdr
Indore
Madhya Pradesh

Dr. Satyanarayan Soni
Inspector (M)
IGP Ujjain Range
Madhya Pradesh

Shri Surendra Singh Chauhan
Head Const
13th Bn SAF Gwalior
Madhya Pradesh

Shri Jainarayan Soni
Head Const
GRP Bhopal
Madhya Pradesh

Shri Niranjan Singh Rajput
Head Const
S. P. E., Lokayukta Sagar
Madhya Pradesh

Shri Ramveer Singh Raghuvanshi
Const
26th Bn SAF Guna
Madhya Pradesh

Shri Jagdish Prasad Gour
Const
Bhopal
Madhya Pradesh

Shri Prem Lal Jaat
Const
SPE, Lokayukta Sagar
Madhya Pradesh

Shri Chander Singh Parmar
Const
Special Police Establishment, Ujjain
Madhya Pradesh

Shri Deen Dayal Tiwari
Const
Bhopal
Madhya Pradesh

Shri Chandrasen Pande
Senior Const
S. B. I. E. O., Bhopal
Madhya Pradesh

Shri Sadanand Vasant Date
Addl C. P.
E. O. W., C. B. Mumbai
Maharashtra

Shri Dinkar Govind Hiremani
Asst Comdt
S. R. P. F. Gr. X
Solapur
Maharashtra

Shri Anilkumar Lakduji Jagtap
Police Inspector
Nashik City, Bhadrakali P. ST
Maharashtra

Shri Pandurang Uddhavrao Kohinkar
Inspector
Pune City
Maharashtra

Shri Maroti Shankarrao Dafale
PI (One Step Dy SP)
CID, M. S. Pune
Maharashtra

Shri Ramesh Nimbaji Patil
Police Inspector
Nashik City, Ambad P ST.
Maharashtra

Shri Shamrao Yadu Mohite
PI (One Step Dy SP)
ACB, Pune
Maharashtra

Shri Dinesh Mohan Ahir
Police Inspector
ATS, Mumbai City
Maharashtra

Shri Milind Bhikaji Khetle
Inspector
Dy. Comdt. B, CID, Mumbai
Maharashtra

Shri Narsing Bhimsing Thakur
Asstt. Police Inspector
GRP, Jalna
Maharashtra

Shri Balasaheb Bhau Gadekar
Police Sub Inspector
L. T. Marg, P. ST. Mumbai
Maharashtra

Shri Motiram Mahadeo Pakhare
Police Sub Inspector
Nagpur Rural
Maharashtra

Shri Rajan Govind Chavan
Police Sub Inspector
Nagpada P. ST, Mumbai
Maharashtra

Shri Bapu Dnyandeo Girame
Police Sub Inspector
S. R. P. F. Gr. V, Daund
Maharashtra

Shri Nagnath Sandipan Gore
Asst. Sub Inspector
ACB, Pune
Maharashtra

Shri Shripati Vithu Bhalekar
ASI
S. R. P. F. Gr.-II, Pune
Maharashtra

Shri Govind Vitthal Rao Gadhe
ASI
Police HQ Nanded
Maharashtra

Shri Rajendra Nagorao Kolhe
ASI
Spl. Branch, Nagpur City
Maharashtra

Shri Tukaram Sheshrao Anchule
ASI
MT, PHQ Nanded
Maharashtra

Shri Rajirao Ramchandra Kumbhar
Head Const
Kolhapur Range
Maharashtra

Shri Limbaji Pandurang Shrimangal
Police Head Const
SB, Solapur City
Maharashtra

Shri Shivaji Yashwant Pawar
Head Const
LCB, Kolhapur
Maharashtra

Shri Atmaram Dhondu Kasar
Police Head Const
Spl. Branch, Pune City
Maharashtra

Shri Dilip Rajaram Deore
Police Head Const
MT, Nashik Rural
Maharashtra

Shri Ashok Anna Kore
Head Const
PHQ, Sangli
Maharashtra

Shri Rajendra Baliram Kshatriya
Police Head Const
Traffic Br, Nashik City
Maharashtra

Shri Dnyaneshwar Baburao Thorat
Police Head Const
RCP, Mumbai City
Maharashtra

Shri Chandrakant Khanderao Patil
Head Const
Bhadrakali P. ST. Nashik City
Maharashtra

Shri Nandkumar Shankarrao Jadhav
Head Const
LCB, Kolhapur
Maharashtra

Shri Balu Raghunath Gaikawad
Head Const
Vadgaon P. ST. Kolhapur
Maharashtra

Shri Rajendra Sudarn Toraskar
Police Naik
Kudal P. ST. Sindhudurg
Maharashtra

Shri Appasaheb Dashrath Patil
Naik
Gandhinagar, P. ST.
Maharashtra

Shri S B Devane
Police Naik
Juna Rajwada PS Kolhapur
Maharashtra

Shri N. Apabi Singh
Jemadar Adjutant
PTS, Pangei, Imphal
Manipur

Shri Bishamdev Thakur
Bn. Havildar Major
PTS, Pangei, Imphal
Manipur

Shri Lalthlamuana
Inspector
District Magistrate Court Lunglei
Mizoram

Shri N. Gurnghinga
Head Constable
OR Branch, SP Office Lunglei
Mizoram

Shri Santhosh Kumar Upadhyay
DIGP
Southern Range Berhampur
Orissa

Shri Sudhanshu Sarangi
DIGP
SWR Sunabeda
Orissa

Shri Arun Kumar Sarangi
DIGP
Talcher Angul
Orissa

Shri Surendra Nath Parida
Inspector
SB Cuttack
Orissa

Shri Swarup Kumar Parida
Inspector
Vig. Unit Office, Rourkela, Distt.
Orissa

Shri Budhi Bahadur Thapa
Havildar
OSAP 2nd Bn Jharsuguda
Orissa

Shri Manoranjan Samal
Const
Vigilance Dte. Buxi Bazar, Cuttack
Orissa

Shri S. M. Sharma
ADGP/C&T
Chandigarh
Punjab

Shri Gopal Dass
SI/Reader ADGP
Chandigarh
Punjab

Shri Som Nath
ASI/Reader SDAG-Cum-OSD to DGP
Chandigarh
Punjab

Shri Kuldeep Singh
ASI, CID Hqrs
Chandigarh
Punjab

Shri Bikkar Singh
ASI/PSO to ADGP, Int
Chandigarh
Punjab

Shri Surjit Singh
ASI I/C Kot
7 Bn PAP Jalandhar
Punjab

Shri Surinder Kumar
ASI (ORP)
Reader to SSP Ludhiana
Punjab

Shri Jagtar Singh
Head Const
Jalandhar
Punjab

Shri Prabhati Lal Jat
Coy. Commander
SO to ADGP, Jaipur
Rajasthan

Shri Lalu Ram
Platoon Commander
11th Bn RAC Delhi
Rajasthan

Shri Hridya Nand Pandey
SI
CID (SB) Zone, Jaipur
Rajasthan

Shri Ramdev Prajapat
ASI
PS Sursagar, Jodhpur City
Rajasthan

Shri Mali Ram Saini
ASI
CID CB Jaipur
Rajasthan

Shri Budhi Prakash
ASI
Kota City
Rajasthan

Shri Astali Khan
Head Const
3 Bn RAC Bikaner
Rajasthan

Shri Jai Kumar Sharma
Head Const
CID CB Rajasthan
Rajasthan

Shri Sanjeev Babu
Head Const
Police Tele Communication Rajasthan
Rajasthan

Shri Sohan Lal Vishnoi
Head Const
PS Sadar Kotwali
Rajasthan

Shri Rameng Patidar
Head Const
PS Sadar Banswara
Rajasthan

Shri Dhulji Bheel
Head Const
PS Sallopat, Distt. Banswara
Rajasthan

Shri Hari Ram Yadav
Const
PS Rajaldesar
Rajasthan

Shri Ram Gopal Nai
Const
ACB Jaipur
Rajasthan

Shri Tenzing Mapen Bhutia
Dy. SP
Gangtok
Sikkim

Shri A K Viswanathan
DIG CID Intelligence
Chennai
Tamil Nadu

Shri P. Kannappan
Dy Cop
Madhavaram, Chennai City
Tamil Nadu

Shri P. Sakthivelu
Dy Cop
Salem City
Tamil Nadu

Shri J. Gunasekaran
Comdt
TSP X Bn, Ulundurpet
Tamil Nadu

Shri Johnson Arthur
Addl. Dy. SP
Q Branch CID, Chennai
Tamil Nadu

Shri M. Chandrapaul
Dy. SP
Kanyakumari District
Tamil Nadu

Shri T. Krishna Rao
Dy. SP
V & AC Chennai
Tamil Nadu

Shri P. V. Thomas
Dy. SP
Chennai
Tamil Nadu

Shri R. A. Ambigapathy
Dy. SP
Tiruchy
Tamil Nadu

Shri K Ponnuchamy
Dy. SP
SIC, V & AC, Chennai
Tamil Nadu

Shri R Devadoss
S. I.
V & AC Kanyakumari
Tamil Nadu

Shri Rakesh Ranjan
DIGP
S/Range
Tripura

Smt. Anju Gupta
DIG
UNO.DC, India, New Delhi
Uttar Pradesh

Shri Virendra Kumar
CVO
Tehri Hydro Electric Development, Corpn
Uttar Pradesh

Shri Rakesh Pradhan
Addl. SP
Int. Hqrs Lucknow
Uttar Pradesh

Shri Raj Narayan Shukla
Asstt. Comdt
45 Bn PAC Aligarh
Uttar Pradesh

Shri Vinod Kumar Yadav
Dy. SP
Saharanpur
Uttar Pradesh

Shri Ram Chandra Yadav
Dy. SP
Deoria
Uttar Pradesh

Shri Raj Narayan Shukla
Dy. SP
CB CID Hq Lucknow
Uttar Pradesh

Shri Hari Shanker Shukla
Dy. SP
Agra
Uttar Pradesh

Shri Om Prakash Mishra
Dy. SP
Int. Hq Lucknow
Uttar Pradesh

Shri Sanjay Choudhry
Dy. SP
ISBF Range Mirzapur
Uttar Pradesh

Shri Sarju Prasad Choudhry
Dy. SP
Allahabad
Uttar Pradesh

Shri Indrapal Singh Fobia
Dy. SP
LIU Saharanpur
Uttar Pradesh

Shri Charan Singh
Dy. SP
Raebareli
Uttar Pradesh

Shri Om Prakash Rai
D. SP
Mirzapur
Uttar Pradesh

Shri Sohanpal Singh Tomar
Dy. SP
Faizabad
Uttar Pradesh

Shri Jai Narayan Singh
Asst. Comdt
42 Bn PAC Allahabad
Uttar Pradesh

Shri Dharmendra Kumar Yadav
Inspector
Jyotibaphule Nagar
Uttar Pradesh

Shri Prakash Chandra Sachan
SI
Training and Security Lucknow
Uttar Pradesh

Shri Lal Chand Singh
SI, Steno
ISBF Varanasi
Uttar Pradesh

Shri Brij Nandan Sharma
SIO
Muzzafar Nagar/SB
Uttar Pradesh

Shri Subhash Chandra Srivastav
SI (M)
PAC Hq Lucknow
Uttar Pradesh

Shri Dinesh Kumar Saxena
Dy. INSPR (M)/Steno
Training and Security Hqrs Lucknow
Uttar Pradesh

Shri Shri Ram
Radio Station Officer
Radio Hqrs Lucknow
Uttar Pradesh

Shri Ram Vishal Sharma
Head Operator
Radio Hqrs Lucknow
Uttar Pradesh

Shri Dhirendra Kumar Dhawan
Quarter Master
35 Bn PAC Lucknow
Uttar Pradesh

Shri Pradeep Singh
Head Const
Saharanpur
Uttar Pradesh

Shri Dashrath Maurya
Head Const
Barabanki
Uttar Pradesh

Shri Bhola Singh
Head Const
Hardoi
Uttar Pradesh

Shri Beerbal Prasad
Head Const
42 Bn PAC Allahabad
Uttar Pradesh

Shri Amjad Ali
Head Const
Badaun
Uttar Pradesh

Shri Rajendra Kumar Sharma
Head Const
Shahjahanpur
Uttar Pradesh

Shri Raj Narain
Const
Kanpur Nagar
Uttar Pradesh

Shri Pradeep Kumar Tripathi
Const
Training and Security Lucknow
Uttar Pradesh

Shri Vinod Kumar
Const
Bulandsahar
Uttar Pradesh

Shri Mahesh Chandra Tamta
Addl. SP
PHQ, Dehradun
Uttaranchal

Shri Devendra Singh Negi
Dy. SP
District-Pithoragarh
Uttaranchal

Shri Hira Singh Rauthan
Reserve Inspector
Nainital
Uttaranchal

Shri Khyali Dutt Pathak
RSO
Police Headquarters, Dehradun
Uttaranchal

Shri Ranvir Kumar
Jt. Commissioner of Police
Kolkata
West Bengal

Shri S Chatterjee
Inspector
IR Bn. DGP
West Bengal

Shri R K Sarkar
SI
North 24 PGS
West Bengal

Shri Pinaki Khanra
SI
Int. Branch West Bengal
West Bengal

Shri Arabinda Barik
SI
Reserve Force
West Bengal

Shri Sudhir Misra
Jt. C. P.,
Lal Bazar, Kolkata
West Bengal

Ms. Subhra Sil
Asst. C. P.
Hq Lalbazar
West Bengal

Shri Anil Kumar
IGP Training
Kolkata
West Bengal

Shri S C Mondal
IGP
IB. West Bengal
West Bengal

Shri C R Roy
SI
VC WB Bikash Bhavan, Salt Lake Kolkata
West Bengal

Shri B K Goswami
RO (I)
Birbhum Police Line
West Bengal

Shri Ashim Chandra
ASI
DIG (AP) Cell B'kpore, North 24 PGNS
West Bengal

Shri B K Das
Const
SB 14 Lord Sinha Road
West Bengal

Shri B D Goswami
ASI
SAP 8th Bn Lalbagan Barrackpore
West Bengal

Shri D P Chhettri
SI (AB)
SAP 12 Bn Jalpaiguri
West Bengal

Shri N C Dey
ASI, Int. Branch West Bengal
West Bengal

Shri Rafiuddin Ahamed
Const
DD. Lalbazar
West Bengal

Shri Bhanu Pariyar
Const
DAP Balurghat
West Bengal

Shri K. Ramakrishna Pillai
S. I.
Home Guard Office
A & N Islands

Shri N. Arumugam
Head Const
Car Nicobar
A & N Islands

Shri Tulsi Ram
Head Const
CID (FRO), Chandigarh
Chandigarh

Shri C Syed Ismail
A. S. I.
Amini Police Station
Lakshadweep

Shri Vannan Kandy Achuthan
Inspector
Welfare Section
Pondicherry

Shri S. P. Sundramoorthy
S. I.
Katterikuppam PS
Pondicherry

Shri Attar Chand
Subedar Major
Shillong
Assam Rifles

Shri Shiv Kumar Singh Tyagi
Comdt
Hq 23 Sector (AR) Aizawl
Assam Rifles

Shri Kharka Bahadur Aley
Subedar Major
Churachandpur
Assam Rifles

Shri Kharka Bahadur Sunwar
Coy 2/IC
Churachandpur
Assam Rifles

Shri Khimanand Joshi
Sub/GD
Kadamtala, Distt-Imphal, East, Manipur
Assam Rifles

Shri Umesh Kumar Thapa
Naib Subedar/General Duty
Kadamtala, Distt-Imphal East Manipur
Assam Rifles

Shri Ram Prasad Newar
Naib Subedar/GD
Kadamtala, Distt-Imphal, East Manipur
Assam Rifles

Shri Kunwar Singh
Naib Subedar
Aizawl
Assam Rifles

Shri Paras Nath
Subedar Major
41 Assam Rifles, Lunglei, Mizoram
Assam Rifles

Shri Vidya Prasad Singh
Subedar Clerk
Silchar
Assam Rifles

Shri Bhumidhar Haloi
Subedar/Cipher
25 Assam Rifles, C/o 99 APO
Assam Rifles

Shri Sanjay Kundu
DIG
SHQ BSF Teliamura, Distt-Tripura
Border Security Force

Shri Sushil Kumar Singh
Comdt
53 Bn BSF Gogaland, C/o 56 APO
Border Security Force

Shri Sunil Kumar Tyagi
Comdt
Cenwosto BSF, Tekanpur
Border Security Force

Shri Rajesh Gupta
Comdt (PROC)
HQ DG BSG 10 CGO Complex, Lodhi Road
Border Security Force

Shri Keshawa Nand Suyal
Comdt
129 Bn BSF Indreshwar Nagar, C/o 56 APO
Border Security Force

Shri Jatinder Singh Oberoi
Comdt
BSF Academy, Tekanpur
Border Security Force

Shri Hardeep Singh
Comdt
BSF Academy, Tekanpur
Border Security Force

Shri Kuldeep Saini
Law Officer Gr-I
HQ DG BSF, CGO Complex, New Delhi
Border Security Force

Shri Ravi Kiran Thapa
Comdt
55 Bn BSF PO & Distt-Bikaner, Rajasthan
Border Security Force

Dr. Mukesh Saxena
CMO (SG)
SHQ BSF Chholi, Udyog Vihar, Sriganganagar
Border Security Force

Shri Om Prakash
2-IC
25 Bn BSF Chhawla Camp, New Delhi
Border Security Force

Shri Sikander Singh Dhillon
2-IC
12 Bn BSF, Khasa, Chhehrata, Amritsar (PB)
Border Security Force

Shri Suresh Kumar Sharma
2-IC
143 Bn BSF, Pantha Chowk, Srinagar (J&K)
Border Security Force

Shri Laxman Singh
2-IC
88 Bn BSF, Alamganj Dubri, Assam
Border Security Force

Shri Lal Bahadur Thapa
Dy. Comdt
50 Bn BSF Raninagar, PO & Distt-Jalpaiguri, W. B.
Border Security Force

Shri Chandan Kumar Mandal
Dy. Comdt
121 Bn BSF, Umbling, East Kasi Hills, Shillong
Border Security Force

Shri Rabindra Chandra Das
Dy. Comdt
34 Bn BSF, PO-Harish Nagar, Distt-Tripura
Border Security Force

Shri Rafique Ahmed Khan
Dy. Comdt
BSF Academy, Tekanpur
Border Security Force

Shri Rajesh Kumar Sahay
Dy. Comdt
38 Bn BSF, Dobasipara, West Garo Hills
Meghalaya
Border Security Force

Shri Poonam Chand Barupal
AC
1033 BSF Arty, Sagar Road, Bikaner, Rajasthan
Border Security Force

Shri Jabar Singh
Inspector
71 Bn BSF, Anupgarh, Sriganganagar
Border Security Force

Shri Om Chand
Inspector
96 Bn BSF, Arunachal, Cachar, Assam
Border Security Force

Shri G Gopinathan Nair
Inspector/PA
HQ DG BSF, CGO Complex, New Delhi
Border Security Force

Shri Vijay Singh Mann
Inspector (Min)
FTR HQ BSF, PO-CRPF Group Centre, Gandhinagar
Border Security Force

Shri Sunder Lal
Sub Inspector
28 Bn BSF, Barmer, Rajasthan
Border Security Force

Shri Sri Niwas Thakur
SI
137 Bn BSF, Raisingnagar, Ganganagar
Border Security Force

Shri N Moses
ASI/RM
SIW, Tigri Camp, Madangir, New Delhi
Border Security Force

Shri C Chandran
Head Const
102 Bn BSF, Distt-Barmer, Rajasthan
Border Security Force

Shri Jagmohan Singh
Head Const
124 Bn BSF, Gandidham, Kutch Gujarat
Border Security Force

Shri Abdul Razak
Head Const
64 Bn BSF, Jaraitala Bazar Cachar, Assam
Border Security Force

Shri Ganga Singh
Head Const
Cenwosto, BSF, Tekanpur
Border Security Force

Shri S Nesayan
Head Const
1st Bn, Praharinagar, Arimile, Garo Hills
Meghalaya
Border Security Force

Shri Dilbag Singh Rajput
Head Const
120 Bn BSF, Jalipa, Barmer, Rajasthan
Border Security Force

Shri Rajender Singh
Head Const
137 Bn BSF, Raisinghnagar, Sriganganagar
Border Security Force

Shri B N Kalita
Head Const
108 Bn BSF, Baishnab Nagar, Malda W. B.
Border Security Force

Shri Paramjeet Singh
Head Const
75 Bn BSF, Srikaranpur, Karanpur
Sriganganagar
Border Security Force

Shri Sugan Lal
Head Const
24 Bn BSF, Khajuwala, Bikaner, Rajasthan
Border Security Force

Shri Basti Ram Nehra
Head Const
128 Bn BSF, Patgaon, PO-Azara, Guwahati
Border Security Force

Shri Santu Lal Balmiki
Lance Naik
02 Bn BSF, Tagorevilla, Kolkata
Border Security Force

Shri Hem Bahadur Chhetry
LNK
96 Bn BSF, PO-Arunachal, Cachar, Assam
Border Security Force

Shri Sultan Singh
Gardner
TSU BSF, Tekenpur
Border Security Force

Shri Amarjit Singh
EF (Sweeper)
108 Bn BSF, Baishnab Nagar, Chamagram, Malda
Border Security Force

Dr. Bhanwar Lal Meena
CMO, SG/DIG (Med)
CH, CRPF, Neemuch, M. P.
C. R. P. F.

Dr. Ramesh Chandra Mohanty
DIG (Med)
C. H. Imphal
C. R. P. F.

Shri Savyasachi Mukherjee
ADIG
Lucknow
C. R. P. F.

Shri Ranjit Singh
ADIG (Pers-I)
Dte. Genl., CRPF, CGO Complex, New Delhi
C. R. P. F.

Shri Madan Singh Raghava
ADIGP
GC, CRPF, Ajmer
C. R. P. F.

Shri S. A. M. Kazmi
ADIG
GC Srinagar
C. R. P. F.

Shri Amar Singh
ADIG
NWS Hqrs, Chandigarh
C. R. P. F.

Shri Kulbir Singh
ADIG
R K Puram, New Delhi
C. R. P. F.

Shri K. Arkesh
ADIG
S/S. Hqr, Hyderabad
C. R. P. F.

Shri Mukesh Kumar Sinha
ADIG
Navi Mumbai
C. R. P. F.

Shri S N Rudrappa
ADIG
Dte Genl, CRPF, New Delhi
C. R. P. F.

Shri Deep Kumar Sirohi
ADIG
GC, CRPF, Pinjore
C. R. P. F.

Shri Suraj Bhan Kajal
Comdt
98 Bn Bawana, New Delhi
C. R. P. F.

Shri Prakash Janardhan Rao Mohane
Comdt
184 Bn, Rangareddy (AP)
C. R. P. F.

Shri Praveen Kumar Sharma
Comdt
RTC-1, CRPF Neemuch
C. R. P. F.

Shri Vijay Kuamr
Comdt
188 Bn CRPF, Allahabad
C. R. P. F.

Shri Rameshwar Lal
Comdt.
180 Bn, Bhopal
C. R. P. F.

Shri Sharad Kumar Sharma
Comdt
181 Bn, CRPF, Shivpuri (MP)
C. R. P. F.

Shri Ram Kishan Sharma
Comdt
M. A. Road, Srinagar, J & K
C. R. P. F.

Shri A Vivekananth
Comdt
CRPF, Campus, Avadi
C. R. P. F.

Shri Om Kar Koslia
Comdt
1st Bn Inder Nagar, Srinagar, J & K
C. R. P. F.

Shri P. M. Damodaran
Comdt
182 Bn, Bangalore
C. R. P. F.

Shri Indra Deo Singh
Comdt
84 Bn CRPF, Jaipur, Rajasthan
C. R. P. F.

Shri Narendra Singh
Comdt
O/o DIG Nagpur
C. R. P. F.

Shri N K Nath
Comdt
144 Bn, CRPF Nagaon (Assam)
C. R. P. F.

Shri Hari Singh
2 I/C
GC, CRPF Gandhinagar
C. R. P. F.

Shri H S Mall
2 I/C
GC, CRPF Pune
C. R. P. F.

Shri A K Bajpai
2 I/C, 77 Bn Srinagar
J & K
C. R. P. F.

Shri V K Mishra
Dy. Comdt.
Aizawal, Mizoram
C. R. P. F.

Shri Gurcharan Singh
Dy. Comdt.
GC Jalandhar
C. R. P. F.

Shri Ram Naresh Prasad
Astt. Comdt
GC CRPF, Sindri
C. R. P. F.

Shri Debasis Poddar
Astt. Comdt
177 Bn Durgapur
C. R. P. F.

Shri Mota Ram Choudhary
Astt. Comdt
RTC-1, Neemuch
C. R. P. F.

Shri Babu K.
Inspector
133 Bn CRPF, North, Tripura
C. R. P. F.

Shri J P Sharma
Inspector/Tech.
1st SIG Bn CRPF, New Delhi
C. R. P. F.

Shri B S Negi
Inspector/Crypto
5th Signal Bn Mohali, Punjab
C. R. P. F.

Shri Sreedharan M.
SI
42, Bn Srinagar
C. R. P. F.

Shri Ram Chand
SI
GC CRPF, BTB
C. R. P. F.

Shri M. C. Dogra
SI
94 Bn Dimapur
C. R. P. F.

Shri Madan Singh
SI
119 Bn CRPF Humaama
C. R. P. F.

Shri Shankar Mishra
SI
GC CRPF Siliguri (WB)
C. R. P. F.

Shri N Sharma
SI
Secunderabad, A. P.
C. R. P. F.

Shri Pradeep Kumar Chhetri
Comdt
50 Bn Srinagar, J & K
C. R. P. F.

Shri Chhaju Ram
Comdt
ISA CRPF, M-Abu
C. R. P. F.

Shri Sudhir Singh Dogra
Comdt
ISA CRPF, M-Abu
C. R. P. F.

Shri Jai Ram Yadav
2 I/C
GC CRPF, Gurgaon
C. R. P. F.

Shri Suresh Rai
S. I.
ISA, M-Abu, Rajasthan
C. R. P. F.

Shri Sama Gopal Reddy
DIG
Hyderabad
C. I. S. F.

Shri Sunil Roy
DIG,
Bokoro
C. I. S. F.

Shri Sanjit Das
Sr. Comdt
CISF Unit Svpia Ahmedabad
C. I. S. F.

Shri Tarsem Kumar
AIG
CISF EZ (HQ) Patna
C. I. S. F.

Shri Girdhar Lal Gopa
Dy. Comdt
CISF Unit VSSC Thumba
C. I. S. F.

Shri Mehar Singh Pathania
Astt. Comdt
Unit CCIL Tughlakabad
C. I. S. F.

Shri Mohan Singh Bisht
Astt. Comdt
CISF RTC Barwaha
C. I. S. F.

Shri Ravindra Nath Sharma
Astt. Comdt
CISF Unit VSSC Thumba
C. I. S. F.

Shri S Muthu Swamy
Inspector
2nd Res Bn Mahipalpur
C. I. S. F.

Shri Rabindra Nath Das
Inspector/Min.
CISF, Unit, Nalco, Angul
C. I. S. F.

Shri Ram Lakhan Shukla
SI
RCFL Mumbai
C. I. S. F.

Shri Manoj Shah Mahangoo
SI
VSP Vizag
C. I. S. F.

Shri M S Grewal
SI/Min
CISF Unit MPT Goa
C. I. S. F.

Shri M S Kapase
Head Const
CISF Unit CNP Nasik
C. I. S. F.

Shri Bijender Singh
Head Const
IPGCL/PPCL New Delhi
C. I. S. F.

Shri Shiv Shankar Bhagat
Head Const
BSL Bokaro
C. I. S. F.

Shri Shishu Pal
Head Const
CISF RTC-1, Deoli
C. I. S. F.

Shri Jagdish Chand
Head Const
CISF Unit IGI Airport
C. I. S. F.

Shri S Venkateshan
Cook
FSTI Hyderabad
C. I. S. F.

Shri Sukh Ram
Sweeper
CISF Hqrs New Delhi
C. I. S. F.

Shri Anil Kumar Ohri
S. P.
EOU-VI, New Delhi
C. B. I.

Shri A K Banerjee
Addl. SP
CBI ACB Kolkata
C. B. I.

Shri Ram Mohan Krishna
Addl. SP
ACB Lucknow
C. B. I.

Shri P Rama Mohan Rao
Dy. SP
ACB Chennai
C. B. I.

Shri Rajiv Dwivedi
Dy. SP
EOU-VII, New Delhi
C. B. I.

Shri N Krishnamurthy
Dy. SP
ACB Chennai
C. B. I.

Shri Syed Bazlullah
Dy. SP
EOW, Chennai
C. B. I.

Shri K S Nageswaran
Inspector
O/o JD SC-II Delhi
C. B. I.

Shri M S Patil
Inspector
ACB Mumbai
C. B. I.

Shri Inder Pal Singh
S. I.
CBI HQ New Delhi
C. B. I.

Shri R P Sharma
ASI
SCB New Delhi
C. B. I.

Shri P A Rane
Head Const
EOW, Mumbai
C. B. I.

Shri A M Kulkarni
Deputy Director
Mumbai
Ministry of Home Affairs

Shri Kulwant Kumar
Deputy Director
Siliguri
Ministry of Home Affairs

Shri T. V. Ravichandran
Deputy Director
Srinagar
Ministry of Home Affairs

Shri B. K. Sidhra
Addl. Deputy Director
New Delhi
Ministry of Home Affairs

Shri N K Mendiratta
Addl. Deputy Director
New Delhi
Ministry of Home Affairs

Shri S S Sabharwal
Asstt. Director
New Delhi
Ministry of Home Affairs

Shri R S Kansal
Asstt. Director
New Delhi
Ministry of Home Affairs

Shri N Prabhakaran
Asstt Director
Bangalore
Ministry of Home Affairs

Shri Harjit Singh Bawa
SO
New Delhi
Ministry of Home Affairs

Shri B S Rawat
Deputy Central Intelligence Officer
New Delhi
Ministry of Home Affairs

Shri Nagendra Prasad Singh
D. C. I. O.
Hatia, Ranchi
Ministry of Home Affairs

Shri C P Singh
ACIO-I/G
Lucknow
Ministry of Home Affairs

Shri R K Agrawal
D. C. I. O.
New Delhi
Ministry of Home Affairs

Shri K D Sharma
ACIO-I/G
Jammu
Ministry of Home Affairs

Shri B D Bhattacharya
ACIO-I/WT
Itanagar
Ministry of Home Affairs

Shri P K Gaur
ACIO-I/WT
New Delhi
Ministry of Home Affairs

Shri Newal Kishore
Assistant
New Delhi
Ministry of Home Affairs

Shri B P Singh
ACIO-II/G
Koderma (Ranchi)
Ministry of Home Affairs

Shri C P B Singh
JIO-I/G
Imphal
Ministry of Home Affairs

Shri R Zongsam
JIO-I/G
Itanagar
Ministry of Home Affairs

Shri Manoj Singh Rawat
Comdt (CW)
Mussoorie
I. T. B. P.

Shri Subhash Bhardwaj
Dy. Comdt
Pegong, Sikkim
I. T. B. P.

Shri Jogender Singh
AC/GD
Joshimath, Uttaranchal
I. T. B. P.

Shri Matwar Singh
Inspector/GD
BTC, Bhanu, Haryana
I. T. B. P.

Shri Gurdayal Singh
Inspector
5 Bn ITBP, C/o 56 APO
I. T. B. P.

Shri Ram Prasad
S. I./PNR
SHQ (HP) Taradevi, Shimla
I. T. B. P.

Shri Arun Kumar
Head Const/GD
5th Bn C/o 56 APO
I. T. B. P.

Shri Moti Lal Bhandari
Head Const/Medic
ITBP Academy Mussoorie
I. T. B. P.

Dr. Dinesh Kumar Jain
Director (Medical)
Composite Hospital, NSG, Manesar
M. H. A. (NSG)

Shri Sunil Kumar Verma
GP Comdr. (Comn)
HQ NSG
M. H. A. (NSG)

Shri Jai Singh
Asst. Comdr-1 (Min)
HQ NSG (CRO)
M. H. A. (NSG)

Shri K S Rawat
Asst. Comdr-II
NSG HQ
M. H. A. (NSG)

Mrs. Renuka Mishra
DIG
T.C., SSB, Gwaldam
M. H. A. (SSB)

Shri V P Singh
Comdt
18th Bn Birpur
M. H. A. (SSB)

Shri Uttam Chand
Supdt. Engineer
New Delhi
M. H. A. (SSB)

Shri Romesh Chandra Sharma
Jt. Area Organiser
Sikkim
M. H. A. (SSB)

Shri Baldev Singh
Acctt. Officer
FHQ SSB New Delhi
M. H. A. (SSB)

Shri Gulab Singh
Inspector
TC, SSB SAPRI
M. H. A. (SSB)

Shri Onkar Singh
Head Const
6th Bn. SSB Girijapuri
M. H. A. (SSB)

Shri Ram Lok
Field Astt.
SSB Academy Gwaldam
M. H. A. (SSB)

Shri Himender Singh Sen
Comdt
25th Bn. Ghitorni, New Dlhi
M. H. A. (SSB)

Shri Gopi Nath Deka
DIG
FTR SSB, Lucknow
M. H. A. (SSB)

Shri Amarjeet
AO
G School Ghitorni
M. H. A. (SSB)

Shri Raghubir Singh Negi
Const
BPR&D, CGO,Complex, New Delhi
M. H. A. (BPR&D)

Shri B S Bajwa
SSO
ISPW Station Chandigar
M. H. A. (DCPW)

Shri Shankar Jiwal
Dy. Inspector General of Police
Narcotics Control Bureau, R K Puram
Ministry of Home Affairs (N C. B.)

Shri Harish Chandra Sharma
Inspector
NCRB R K Puram New Delhi
M. H. A. (NCRB)

Dr. S D Saheb
Dy. Director
SVP NPA Hyderabad
M. H. A. (NPA)

Shri Nazir Ahamed
Head Const/Driver
SVP NPA HYD
Erabad
M. H. A. (NPA)

Shri Madhu Raj Popli
Veterinary Surgeon
9 Race Course Road, New Delhi
Cab. Sectt. (SPG)

Shri A K Dixit
Security Assistant-I
9 Race Course Road, New Delhi
Cab. Sectt. (SPG)

Shri Virbhan Singh
Junior Security Assistant
9 Race Course Road, New Delhi
Cab. Sectt. (SPG)

Shri Mohan Lal
Senior Security Assistant
9 Race Course Road, New Delhi
Cab. Sectt. (SPG)

Shri Rudra Kanta Borah
Senior Security Assistant
9 Race Course Road, New Delhi
Cab. Sectt. (SPG)

Shri Anant Kumar Dhul
Chief Vigilance Officer
BIS, Manak Bhavan, New Delhi
Bureu of Indian Standards

Shri Krishan Kumar Arora
Dy. SP
N. H. R. C. New Delhi
N. H. R. C.

Shri C. Thamotharan
CSC
Hubli
Ministry of Railways

Shri Bhupathi Mohan
CSC
Integral Coach Factory Chennai
Ministry of Railways

Shri Mewa Lal Ram
DSC
Raipur (CG)
Ministry of Railways

Shri A B Siddiq
Dy. Dir.
Central Crime Bureau, New Delhi
Ministry of Railways

Shri G A Khan
Inspector
8th Bn RPSF/CRG
Ministry of Railways

Shri R P Singh
S. I.
2Bn RPSF GKP
Ministry of Railways

Shri Suresh Chand Sharma
ASI
6 BN/Daya Basti New Delhi
Ministry of Railways

Shri DD Pushpakar
ASI
DSC (R) JBP
Ministry of Railways

2. These awards are made under rule 4 (ii) of the rules governing the grant of Police Medal for Meritorious service.

BARUN MITRA
Director

No. 5-Pres/2007—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2007 to award the President's Fire Service Medal for Distinguished Service to the undermentioned officers:—

Shri Jitendra Nath Bhuyan
Station Officer
Assam

Shri Rajinder Singh Sodhi
Joint Director
Jammu & Kashmir

Shri Ram Tirath Dubey
Deputy Director
Jammu & Kashmir

Shri Rash Behari Mohanty
Fire Officer
Orissa

Shri Brajendu Bhusan Das
Assistant Fire Officer
Orissa

Shri Devendra Kumar Shami
Dy. Fire Adviser
DGCD, MHA

2. This award is made under Rule 3 (ii) of the rules governing the award of President's Fire Service Medal for Distinguished Service.

BARUN MITRA
Director

No. 6-Pres/2007—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2007 to award the Fire Service Medal for Meritorious Service to the undermentioned officers:—

Shri Thumati Mohan Rao
Leading Fireman
Andhra Pradesh

Shri Pavuluri Satyanarayana
Leading Fireman
Andhra Pradesh

Shri Tilok Chandra Borah
Senior Station Officer
Assam

Shri Padma Kanta Dewri
Sub Officer
Assam

Shri Ananda Chutia
Sub Officer
Assam

Shri Ramesh Chandra Bodabhai Kotia
Fire Brigade Superintendent
Gujrat

Shri Dalip Singh Thapa
Sub Fire Officer
Himachal Pradesh

Shri Natho Ram Thakur
Leading Fireman
Himachal Pradesh

Shri Sajjad Ahmad Khan
Divisional Fire Officer
Jammu & Kashmir

Shri Ali Mohd. Dar
Station Officer
Jammu & Kashmir

Shri Keshava Rao Manjunatha Rao
Distt. Fire Officer
Karnataka

Shri Hanumanthappa Venkatappa
Fire Station Officer (Trg)
Karnataka

Shri Chandrashekar
Fire Station Officer
Karnataka

Shri Ashwathappa
Assistant Fire Station Officer
Karnataka

Shri Siddalinga Shashtrigallu Mahalingaiah
Assistant Fire Station Officer
Karnataka

Shri H. Gopal Rao
Fireman 139
Karnataka

Shri Frankline Mark
Fireman 07
Karnataka

Shri J. Gopinathapillai Vikrama Kurup
Station Officer
Kerala

Shri Viswanathan Thampi
Leading Fireman 2485
Kerala

Shri Saroj Kumar Rai
Sub-Station Officer
Mizoram

Shri Zakiamlova
Leading Fireman
Mozoram

Shri Prakash Chandra Padhi
Assistant Fire Officer
Orissa

Shri Raghu Nath Prusty
Station Officer
Orissa

Shri Padu Singh Gurla
Assistant Station Officer
Orissa

Shri Padma Nava Panigrahi
Leading Fireman
Orissa

Shri Dhurba Charan Mallik
Fireman No. 441
Orissa

Shri Nata Bara Behera
Fireman No. 780
Orissa

Shri Chinnappan Krishnan
Assistant Divisional Officer
Tamil Nadu

Shri Periasamy Narayanasamy
Station Officer
Tamil Nadu

Shri Ramaiyan Lakshminarayanan
Station Officer
Tamil Nadu

Shri Achuthanarayana Krishnamurthy
Upgraded Assistant Station Officer (3293)
Tamil Nadu

Shri Arumugam Selvaraj
Upgraded Assistant Officer (3451)
Tamil Nadu

Shri Subramanian Rangarajan
Upgraded Leading Fireman 3246
Tamil Nadu

Shri Kuppannan Arivazhagan
Upgraded Leading Fireman 3379
Tamil Nadu

Shri Chandan Singh Jeena
Fire Station Officer
Uttaranchal

Shri Ram Swaroop Pal
Fire Station Officer
Uttaranchal

Shri Sita Ram Yadav
F. S. S. O.
Uttaranchal

Shri Nathi Ram Naudiyal
Leading Fireman
Uttaranchal

Shri Subhas Chowdhury
Divisional Officer
West Bengal

Shri Pankaj Mohan Chowdhury
Divisional Officer
West Bengal

Shri Prabir Kumar Bhattacharjee
Divisional Officer
West Bengal

Shri Partha Pratim Kar
Station Officer
West Bengal

Shri Sachindra Nath Mondal
Station Officer
West Bengal

Shri Tapan Kumar Debnath
Fire Operator
West Bengal

Shri Ajit Kumar Dutta
Fire Operator
West Bengal

Shri Jagdish Fakirchand Bathav
Fireman
NFSC, MHA

Shri Sheikh Kamaludin Shafi
Fireman
NFSC, MHA

Shri Sewa Ram
Head Constable (Fire)
CISF, M. H. A.

Shri Bir Singh
Head Constable (Fire)
CISF, M. H. A.

Shri Madan Mohan Mandal
Head Constable (Fire)
CISF, M. H. A.

2. This award is made under Rule 3 (ii) of the rules governing the award of Fire Service Medal for Meritorious Service.

BARUN MITRA
Director

No. 7-Pres/2007—The President is pleased, on the occasion of the Republic Day, 2007 to award the President's Home Guards and Civil Defence Medal for Distinguished Service to the undermentioned officers:—

Shri Chandra Kanta Das
Divisional Commandant (HG)
Assam

Shri Sushil Chandra Boruah
Assistant Deputy Controller (Sr.)
Assam

Shri Hamant Rajwade
Distt. Commandant (HG)
Chhatisgarh

Shri Govind Singh Tomar
Distt. Staff Officer (HG)
Delhi

Shri Dilip Kumar Midha
Company Commander (Paid)
Delhi

Shri Kikkeri Vasantha Balaram
Dy. Commandant (HG)
Karnataka

Shri H. K. Mahadevappa
Dy. Commandant (HG)
Karnataka

Shri Manohar Lal Hanotiya
Distt. Commandant (HG)
Madhya Pradesh

Shri Bhupendra Singh Markam
Distt. Commandant (HG)
Madhya Pradesh

Shri Sushil Kumar Tiwari
Inspector (M), Home Guards
Madhya Pradesh

Shri Ajai Kumar Singh
Dy. Commandant General (HG)
Uttar Pradesh

Shri Deo Nath Ram
Dy. Controller (CD)
Uttar Pradesh

Shri Indra Pal Singh
Chief Warden (CD)
Uttar Pradesh

Shri Akram Shamsi
Chief Warden (CD)
Uttar Pradesh

Shri Yogambar Singh
Staff Officer (CD/HG)
Uttar Pradesh

2. These awards are made under Rule 3 (ii) of the rules, governing the grant of the President's Home Guards and Civil Defence Medal for Distinguished Service.

BARUN MITRA
Director

No. 8-Pres/2007—The President is pleased, on the occasion of the Republic Day, 2007 to award the President's Home Guards and Civil Defence Medal for Meritorious Service to the undermentioned officers:—

Shri Karra Jaya Kumar
Platoon Commander (HG)
Andhra Pradesh

Shri Ishwar Chandra Bhattacharya
Chief Warden (CD)
Assam

Shri Pradip Kumar Khemka
Chief Warden (CD)
Assam

Shri Anil Kumar Joshi
Subedar (M)/HG
Chhatisgarh

Shri S. K. Shokeen
Junior Staff Officer (HG)
Delhi

Shri Mohan Chandra Maheshwari
Dy. Divisional Warden (CD)
Delhi

Shri Ramadas Sonu Morgaonkar
Senior Platoon Commander (HG)
Goa

Shri Uday Shankar Kudtarkar
Platoon Commander (HG)
Goa

Shri Ulhas Balaappa Talwar
Coy Quarter Master (HG)
Goa

Shri Harsukhlal Ramjibhai Pala
Coy Commander (HG)
Gujarat

Shri Surinder Singh
Distt Commandant (HG)
Haryana

SD Sube Singh
Coy Commander (HG)
Haryana

Shri Sat Pal
Havildar Instructor (HG)
Haryana

Shri Ram Singh Thakur
Platoon Commander (HG)
Himachal Pradesh

Smt Sudesh Kumari Rana
Platoon Commander (HG)
Himachal Pradesh

Shri Jia Lal Sharma
Divisional Warden (CD)
Jammu & Kashmir

Shri Venkata Satya Suryanaryana Sarma Manda
Hony Instructor (CD)
Jharkhand

Shri Mariraj Guttipet
Senior Platoon Commander (HG)
Karnataka

Shri Meega Narashima Yogappa Heggade
Instructor (HG)
Karnataka

Shri A. N. Momin
Instructor (HG)
Karnataka

Shri Vishad Tiwari
Divisional Commandant (HG)
Madhya Pradesh

Shri Ravindra Kumar Ghune
Inspector (M), Home Guards
Madhya Pradesh

Shri Ram Kumar Tiwari
Platoon Commander (HG)
Madhya Pradesh

Shri Sanjay Saxena
Photographer (HG)
Madhya Pradesh

Shri Shri Ram Rajput
Havildar Instructor (HG)
Madhya Pradesh

Shri Onesh Ch Sangma
Havildar (BWHG)
Meghalaya

Shri Michael Yaden
Additional Director (CD) &
Deputy Commandant General (HG)
Nagaland

Shri Basanta Kumar Patra
Pl Sergeant (HG)
Orissa

Smt. Urmila Pani
Platoon Commander (WHG)
Orissa

Shri Ramesh Chandra Mohanty
Pl Sergeant (HG)
Orissa

Shri Panu Behera
Home Guard
Orissa

Shri Rama Nath Mishra
Deputy Controller (CD)
Orissa

Shri Sukanta Barik
CD Volunteer
Orissa

Shri Simanchal Kundu
CD Volunteer
Orissa

Shri Rai Singh
Coy Commander (HG)
Punjab

Shri Bhanwar Singh Chauhan
Coy Commander (HG)
Rajasthan

Shri Mahipal Singh Jakher
Platoon Commander (HG)
Rajasthan

Shri Ram Charan Verma
Divisional Warden (CD)
Rajasthan

Shri S. P. Kumaresan
Platoon Commander (HG)
Tamil Nadu

Shri R. Govindaraj
Divisional Commander (HG)
Tamil Nadu

Shri T Natarajan
Platoon Commander (HG)
Tamil Nadu

Shri Ananda Jamatia
Home Guard
Tripura

Shri Baboo Lal Kureel
Deputy Controller (CD)
Uttar Pradesh

Shri Udai Pratap Singh
Deputy Controller (CD)
Uttar Pradesh

Shri Rajeev Agrawal
Chief Warden (CD)
Uttar Pradesh

Dr. Ramesh Narain Tripathi
Divisional Warden (CD)
Uttar Pradesh

Shri Mohammad Murtuza Khan
Staff Oficer (WS)
Uttar Pradesh

Shri Rajesh Kumar Srivastava
Chief Staff Officer (CS)
Uttar Pradesh

Shri Pralay Jana Ray
Staff Officer Instructor (CD)
West Bengal

Shri Swapan Kumar Chattopadhyay
Senior Civil Defence Inspector
Ministry of Railways

2. These awards are made under Rule 3 (ii) of the rules, governing the grant of the Home Guards and Civil Defence Medal for Meritorious Service.

BARUN MITRA
Director

No. 9-Pres/2007—The President is pleased, on the occasion of the Republic Day, 2007 to award the President's Correctional Service Medal for Distinguished Service to the following prison personnel:—

Mohammed Riazuddin Ahmed
Additional Inspector General (Prisons) (Training & Development)
Telangana Region
Hyderabad

Shri Sunil Kumar Gupta
Law Officer, Prison Headquarters
Central Jail, Tihar
National Capital Territory of Delhi

Shri Ashok Kumar Khare
Deputy Inspector General of Prisons
Jail Headquarters, Bhopal
Madhya Pradesh

Shri Hari Shankar Singh
Deputy Inspector General of Prisons
Bareilly
Uttar Pradesh

2. These awards are made under Rule 4 of the rules, governing the grant of the President's Correctional Service Medal for Distinguished Service.

BARUN MITRA
Director

No. 10-Pres/2007—The President is pleased, on the occasion of the Republic Day, 2007 to award the Correctional Service Medal for Meritorious Service to the following prison personnel:—

Shri Ganivada Satyanarayana
Head Warder
Central Prison, Rajamundry
Andhra Pradesh

Shri K. Krishna Murthy
Chief Head Warder
Central Jail, Visakhapatnam
Andhra Pradesh

Mohd. Jahangeer
Chief Head Warder
Central Jail, Cherlapalli
Andhra Pradesh

Sri T. Doraiah
Head Warder
Central Prison, Rajahmundry
Andhra Pradesh

Shri Rakesh Sharma
Deputy Superintendent Gr. II
Central Jail No. 4, Tihar
National Capital Territory of Delhi

Shri Dharambir Singh Dabas
Head Warder
Central Jail, Tihar
National Capital Territory of Delhi

Shri V. S. Raja
Cheif Superintendent
Central Prison, Bangalore
Karnataka

Shri S. Lakshminarayanappa
Chief Jailor
District Prison, Tumkur
Karnataka

Shri Aliyarukunju Badarudeen
Superintendent
Open Prison, Nettukaltheri
Thiruvananthapuram, Kerala

Shri Maniyan Nadar
Gate Keeper
Central Prison, Thiruvananthapuram
Kerala

Shri Jai Narayan Singh Baghel
Jailor
District Jail Chhindwara
Madhya Pradesh

Shri Prabhu Dayal Kushwaha
Deputy Jailor
Central Jail Sagar
Madhya Pradesh

Shri Mani Shankar Pal
Deputy Jailor
District Jail Sidhi
Madhya Pradesh

Shri Stanley Lyngwa
Head Warder
District Jail, Jowai
Meghalaya

Shri Dhiren Kumar Das
Head Warder
Sub-Jail Chatrapur
Orissa

Shri Sarat Kumar Parija
Warder
Circle Jail Choudwar
Orissa

Shri M. Kalyanasundaram
Chief Head Warder
Sub-Jail, Panruti
Tamilnadu

Shri S. Dayalan
Chief Head Warder
Sub Jail Wallaja
Tamilnadu

Shri K. Mathiyalagan
Grade-I Warder
Central Prison Salem
Tamilnadu

Shri M. Narayanasamy
Grade-I Warder
Central Prison Chennai
Tamilnadu

Shri P. Gangadharan
Grade-I Warder
Central Prison, Chennai
Tamilnadu

Shri Moohmmad Umar
Head Warder
Distt. Jail Fatehpur
Uttar Pradesh

Shri Paras Nath Singh
Head Warder
Central Jail Varanasi
Uttar Pradesh

Shri Arun Sharma
Warder
Central Jail Varanasi
Uttar Pradesh

Shri Kishun Lal
Warder
Central Jail Varanasi
Uttar Pradesh

Shri Ambika Yadav
Warder
Central Jail Varanasi
Uttar Pradesh

Shri Satish Chandra Srivastva
Head Warder
Model Jail, Lucknow
Uttar Pradesh

Shri Gaya Prasad Mishra
Warder
Model Jail Lucknow
Uttar Pradesh

2. These awards are made under Rule 4 (iii) of the Rules governing the grant of Correctional Service Medal for Meritorious Service.

BARUN MITRA
Director

No. 11-Pres/2007 - The President is pleased to award the Fire Service Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Uttar Pradesh Fire Service:-

SHRI YADU NATH SINGH
FIRE STATION 2ND OFFICER

SHRI DHARAMPAL SINGH
LEADING FIREMAN

On 22nd July 2004 at 0930 hrs, serious fire broke out in the diesel storage godown of brass bare factory near Gala Kate Ki Maszid, P.S. Nagphani, Muradabad. Immediately on receipt of call, Shri Yadu Nath Singh, Fire Station 2nd Officers, Muradabad rushed to the seen of fire alongwith his fire crews.

On reaching the site, Shri Yadu Nath Singh saw flames and thick black smoke coming out of the factory. He was informed that some people are trapped in the building. After quickly sizing up of the situation he started fire fighting and rescue operations. Knowing fully well the danger to life from the flames and deadly smoke S/Shri Yadu Nath Singh, Fire Station 2nd Officers and Dharampal Singh, Leading Fireman dared to enter inside the factory and rescued five persons. While fire fighting operation were going on, there was sudden flare up of fire in the diesel drums in which both these officers got trapped and burn injuries on the body.

S/Shri Yadu Nath Singh, Fire Station 2nd Officers and Dharampal Singh, Leading Fireman thus displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, leadership, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

This award is made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5(a) w.e.f. 22nd July, 2004.

BARUN MITRA
Director

No. 12-Pres./2007- The President is pleased to award the President's Correctional Service Medal for Gallantry to Shri Krishna Pal Chandila, Deputy Jailor, District Jail, Agra (U.P) on the occasion of Republic Day, 2007.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On 27th November, 2005, in the Mulaqat Ghar of premises of District Jail, Agra wherein about 400 persons were present, firing took place between the two groups. Though Shri Chandila was unarmed, displaying the exemplary courage, he not only overpowered the assailants alongwith their fire arms but also saved life of a person who was being beaten by the unruly mob. The aforesaid act of Shri Chandila has not only saved many lives in the jail but also ensured the security of the prisoners in jail.

While posted as Deputy Jailor in the District Jail, Agra, Shri Chandila thus displayed exemplary gallantry, courage and devotion to duty.

2. This award is made under Rule 4(iv) of the Rules governing the grant of President's Correctional Service Medal for Distinguished Service/Gallantry and consequently carries with it the special allowance as is admissible under rule 5 with effect from the 27th November, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 13- Pres./2007- The President is pleased to award the Correctional Service Medal for Gallantry to Shri Vikas Sharma, Warder, District Jail Dharamshala, Himachal Pradesh on the occasion of Republic Day, 2007.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On 27th September, 2005, Shri Vikas Sharma, Warder was on duty at the gate of District jail, Dharamshala when a convict viz. Shri Amrish Rana was brought to readmit in District Jail by a Police team from the hospital after his treatment. The convict instead of going to his barrack entered forcefully to the office of Jail Superintendent and started misbehaving with him with some ulterior motive. Sensing danger to the life of Jail Superintendent, Shri Sharma immediately intervened, scuffled and catch hold of the convict and prevented him from making any intended attempt on the life of Jail Superintendent. During the scuffle, the convict has caused serious injury to Shri Sharma by way of severing his right ear completely off. Shri Sharma has thus not only rescued the life of Jail Superintendent but also shown exemplary courage in preventing possible escape of this convict.

While posted as Warder in the District Jail, Dharamshala, Shri Sharma has displayed exemplary gallantry, courage and devotion to duty.

2. This award is made under Rule 4(iv) of the Rules governing the grant of President's Correctional Service Medal for Distinguished Service/Gallantry and consequently carries with it the special allowance as is admissible under rule 4(a) with effect from the 27th September, 2005.

BARUN MITRA
Director

The 12th February 2007

No. 14–Pres/2007 - The President is pleased to award the 1st Bar to President's Police Medal for Gallantry/1st Bar to Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Delhi Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1.	**Mehtab Singh, Sub Inspector**	**1st Bar to PPMG (Posthumous)**
2.	**Rahul Kumar, Sub Inspector**	**1st Bar to PMG**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 30.12.2004 a dreaded gangster of Krishan Pahalwan gang Surender @ Sunder s/o Rattan Singh r/o Vill. Titoli, PS Sadar, Rohtak, Haryana, carrying cash reward of Rs. 25,000/- on his arrest from Haryana police, was killed in an encounter after a shoot out which took place at outer gate, Sugar Mill, Panipat, Haryana. He was found to be involved in a number of cases of murder, attempt to murder, dacoity and extortion. Two other associates Pradeep s/o Charan Singh and Ranbir s/o Dharam Singh, both r/o Vill Nangal Kheri, Panipat, Haryana were apprehended. One English revolver of 0.455 bore, one 9 mm Browning pistol with three live cartridges and one country made pistol with ammunition were recovered from their possession. **During the shoot out SI Mehtab Singh also sustained bullet injuries and later on succumbed to injuries.** A Case vide FIR No. 413/2004 dated 30.12.2004 U/s 302/186/353/307/34 IPC & 25/27 Arms Act was registered at PS Model Town, Panipat, Haryana, in this regard.

A team of officials of Special Cell under the supervision of Inspector Mohan Chand Sharma was constituted to eliminate the terror and roots of the Krishan Pahalwan gang and to make Delhi safe. In the month of 2004 investigation of case FIR No.154/04 U/S 385,386 IPC PS Nangloi, Delhi was transferred to Special Cell, Lodhi Colobny, Delhi for further investigation. The team consisting of SI Mehtab Singh, SI Rahul Kumar, SI Dharmender Kumar, HC Rajinder Singh and HC Ajit was formed to arrest the accused Surender @ Sunder s/o Ratan Singh r/o VPO Titoli, Rohtak, Haryana wanted in this case. Accordingly raids were conducted in different parts of Delhi in search of wanted Surender @ Sunder and other associates of Krishan Pahalwan and sources were deployed.

On 30.12.2004, a specific information was received by the informer through telephone that today, Surender @ Sunder would come to meet someone at Sugar

Mill Colony, Panipat, Haryana at about 4.30 PM on motorcycle No. HR-06 H-2580 along with his associates and they are having illegal arms in their possession. Accordingly after sharing this information with Haryana police a trap was laid around the outer gate of sugar mill in Panipat, Haryana. SI Mehtab, SI Rahul, SI Dharmender, HC Ajit and HC Rajinder along with informer took position at the outer gate, Sugar Mill colony. Around 4.40 PM three persons came on a motorcycle from the inside of colony and slowed down at the barricades. The informer identified the second pillion rider as Surender @ Sundre. At this SI Mehtab and SI Dharmender loudly disclosed their identity and asked to stop. But being found themselves cordoned by the police party, all the three persons started firing at police party. During this period SI Mehtab and SI Dharmender again loudly asked them to surrender before police party but all the three continued firing at police party. SI Mehtab, SI Rahul, SI Dharmender, HC Rajinder and HC Ajit also fired from their service weapons in self-defense and to protect the other members of police party. During the shoot out SI Mehtab Singh sustained bullet injuries. After the firing stopped from the side of criminals, Surender @ Sunder was found injured and other two criminals namely Pradeep and Ranbeer both R/O Panipat Haryana, surrendered before police party along with their weapons. Injured SI Mehtab Singh and criminal Surender @ Sunder were removed to Govt hospital, Panipat where both of them declared as brought dead. One English revolver of 0.455 bore used by criminal Surender @ sunder was recovered from the spot. One 9 mm Browning pistol with three live cartridges and one country made pistol with ammunition were recovered from the possession of Pradeep and Ranbeer. A case under the appropriate sections of law was registered at PS Model Town, Panipat, Haryana.

RECOVERIES FROM THE GANGSTERS.

I) One .45 bore Remington pistol
II) One 9 mm Browning Pistol with three live rounds
III) One .315 bore country made pistol with two live rounds.

INDIVIDUAL ROLE OF THE OFFICERS

SI Mehtab Singh: He led the police party from the front. On 30.12.2004 on the basis of specific information a trap was laid around outer gate, Sugar Mill colony, Panipat, Haryana in order to apprehend the criminal Surender @ Sunder. SI Mehtab Singh along with other team members took position at the outer gate, Sugar Mill colony. Around 4.40 PM three persons came on a motorcycle from the inside of colony and slowed down at the barricades. The informer identified the second pillion rider as Surender @ Sundre. At this SI Mehtab loudly disclosed his identity and directed them to stop. But being found themselves cordoned by the police party, all three criminals started firing at police party. Criminal Surender @ Sunder started to run back inside the colony while indiscriminately firing at the police party but undeterred and unfazed SI Mehtab Singh along with other team

members kept on chasing the fleeing gangster Surender @ Sunder. During shoot out SI Mehtab Singh was critically injured by the bullets fired by criminal Surender @ Sunder however he did not loose heart and in spite of sustaining severe fire arm injuries, he kept on the chase and fired at the gangster in order to apprehend him and to save the lives of his fellow team members. It was due to the gallant and heroic effort of SI Mehtab Singh that gangster Surender @ Sunder was critically injured. Later on both SI Mehtab Singh and criminal Surender @ Sunder succumbed to their injuries and were declared brought dead at the hospital. SI Mehtab Singh very closely faced the hail of bullets being showered from the dreaded criminal's pistol. He put his life at risk and bravely confronted the criminal and made the supreme sacrifice in the line of duty. He fired 5 rounds from his pistol and played a vital role in neutralizing the rewarded dreaded criminal Surender @ Sunder.

SI Rahul Kumar: On 30.12.2004 on the basis of specific information a trap was laid around outer gate, Sugar Mill colony, Panipat, Haryana in order to apprehend the criminal Surender @ Sunder. SI Rahul Kumar along with other team members took position at the outer gate, Sugar Mill colony. Around 4.40 PM three persons came on a motorcycle from the in side of colony and slowed down at the barricades. The informer identified the second pillion rider as Surender @ Sundre. At this SI Mehtab and SI Dharmender loudly disclosed their identity and directed them to stop. But being found themselves cordoned by the police party, all three criminals started firing at police party. Criminal Surender @ Sunder started to run back inside the colony but SI Rahul Kumar along with SI Mehtab and SI Dharmender chased Surender @ Sunder. During shoot out SI Mehtab Singh was critically injured by the bullets fired by criminal Surender @ Sunder and he fell down while SI Rahul Kumar who was in the forefront had a close shave and without caring for his life, he bravely confronted with the gangster and simultaneously directed his other team members to provide immediate first aid/ medical aid to the injured officer. During the shoot out Surender @ Sunder was also sustained injuries but kept on indiscriminately firing at him. SI Rahul Kumar also continued firing in self-defense and to protect the lives of other team members. After the firing stopped from the side of criminals, the police team also immediately stopped firing and injured Surender @ Sunder was removed to the hospital by SI Rahul Kumar however both SI Mehtab Singh and criminal Surender @ Sunder succumbed to their injuries and were declared brought dead at the hospital. SI Rahul Kumar very closely faced the hail of bullets being showered from the dreaded criminal's pistol. Undeterred and unfazed, he put his life at risk and bravely confronted the criminal. He fired 3 rounds from his pistol and played a vital role in neutralizing the rewarded dreaded criminal Surender @ Sunder. During the shoot out SI Rahul Kumar took prompt decisions in sending injured SI Mehtab Singh to the hospital and to ensure safety of other team members.

In this encounter S/Shri (Late) Mehtab Singh, Sub Inspector and Rahul Kumar, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of 1st Bar to President's Police Medal/ 1st Bar to Police Medal and consequently carry with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30th December, 2004.

BARUN MITRA
Director

No. 15-Pres/2007 - The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Delhi Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Kharak Singh,
Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Inspr. Kharak Singh posted as Addl. SHO Ashok Vihar, North-West District, Delhi for his exemplary gallant action and pivotal role, that led to the on the spot arrest of a dreaded criminal Nitin Nagpal S/o Ramesh Nagpal R/o B-3/412, Civil Road, Rohtak, Haryana along with his associate Ranbir S/o Ramji Lal R/o Rohtak, Haryana vide case FIR No. 419, dt. 23.06.2005, U/s 302/307/393/397/353/332/186/34 IPC & 25/27 Arms Act, PS Ashok Vihar, Delhi. This operation led to the neutralization of dreaded criminals who had created a synonym of terror in the capital city by committing a broad day light sensational gruesome murder cum house robbery of Giriraj Kishore R/o E-174, Ph. 1st Ashok Vihar, Delhi. When the police party tried to intercept the criminals, they took out loaded weapons and in desperate bid to escape, started firing indiscriminately at the police party in which Inspr. Kharak Singh ASI Harish Chand, Ct. Ravinder & Ct. Dharampal sustained serious bullet injuries. But the daring police officers, without caring for their lives, pounced upon them and also over-powered them. Besides being involved in the above noted case, accused Nitin Nagpal had committed another house robbery by adopting the same modus operandi in H. No. BN-80, Shalimar Bagh, Delhi in which he decamped with jewellery and house hold articles worth Rs. 20 lacs. In this regard a case vide FIR No. 999, dt. 18.11.2004, U/s 392/397/34 IPC & 25/27 Arms Act was registered at PS Shalimar Bagh, Delhi which has also been worked out with his arrest. This could be possible only due to timely response, resource fulness and daring act done by Inspr. Karak Singh.

The brief facts of the case are that on 23.06.05 at about 12:35 pm, an information through police control room was received that a dacoity is being committed at house No. E-174, Ph. Ist. Ashok Vihar, Delhi and firing is also going on. On receipt of this information, Addl. SHO Ashok Vihar along with Ct. Paramjeet Singh, Ct. Ravinder & Ct. Dharam Pal immediately rushed to the spot. When the police party reached the spot, they saw that two youngsters were

running out of H. No. E-174, Phase-I.Ashok Vihar. When the police party tried to intercept them, Nitin Nagpal took out a loaded weapon and in a very desperate bid to escape, he started firing indiscriminately at the police party in which Addl. SHO Ashok Vihar, ASI Harish Chand PCR, Ct. Ravinder & Dharam Pal sustained serious bullet injuries. But the daring police officers pounced upon the culprits and without caring for their lives, they over powered them and also recovered the weapons of crime from their possession. It was revealed from further enquiries at the spot that they had committed a house robbery in the H. No. E-174, Ph. Ist. Ashok Vihar and were running out of the house after killing Sh. Giriraj Kishore, the owner of the house and faced encountered with police. Inspr. Kharak Singh has shown high sense of responsibility and leadership quality by leading the police party from the front which led to the neutralization of culprits on the spot. During the shootout with the dreaded/desperate robbers he took timely decision of informing the control room for confirmation of call and very closely faced the hail of bullets fired by the robbers. Undettered and unfazed even after being shot in knee, he bravely faced the criminals and showed exemplary presence of mind and resourcefulness. He was hit on the knee by the bullet fired by the criminals and continued the chase, which ultimately led to the arrest of two dreaded robbers.

Inspr. Kharak Singh,Addl. SHO/Ashok Vihar risked his life and conspicuously exhibited exemplary courage, bravery and motivation in this operation. The brave action of the Inspr. won applause not only from the highest ranks of Police of different states & Media, but also from the Public at large. He has set an example of gallantry & dedication towards his duty.

The following items were recovered from the slain gangster.:-

1) One loaded .32 caliber revolver with 10 live & 9 empty cartridges.
2) One Knife.

In this encounter Shri Kharak Singh, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23rd June, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 16 –Pres/2007 - The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Delhi Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Ved Prakash,
Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 06.10.2004, at about 11.15 AM, Ved Pakash received information that most wanted gangster of Uttar Pradesh, Anil Bharsi alongwith his associates would be coming to Delhi from UP via Tronica City through Yamuna Pushta, Sonia Vihar, Delhi in order to Shift the arsenal of their gang from UP to some safer den in Delhi in one Mahindra Scorpio bearing registration No.HR26 S 2186. Accordingly, two raiding parties under the sepervision of ACP Shri Hemant Chopra and led by Inspector Ved Prakash were formed and a trap was laid at Yamuna Pushta, Sonia Vihar near Adi Shakti Mata, Annapoorna Mandir. Inspector Ved Prakash along with team took position on main pushta road, near Hanuman Shiv Mandir and the second party took position at a distance of around 200 yards from the first party on the same road towards UP Border side with the direction to watch vehicles coming from that side and give signal by blinking the dipper lights of their vehicles as soon as the vehicle of above description is spotted. At around 12.25 PM, the second party spotted vehicle and signaled accordingly, Constable Jasbir Singh, Immediately drove the official Toyota Qualis and placed the same in front of the Scorpio and forced the Scorpio driver to stop his vehicle. Inspector Ved Prakash, taking account of the lethal turning of events, jumped out of Toyota Qualis and rushed towards the Scorpio. Anil Bharsi, the dreaded gangster, seated in the vehicle on driving seat, picked up the carbine and showered a volley of bullets on Inspector Ved Prakash who, without caring for his own life, considering the lives of his other team member at stake, showing an exemplary piece of courage, despite facing bullets on his chest and stomach, grabbed the carbine and changed its directon upwards and dragged Anil Bharsi out of the vehicle. Inspector Ved Prakash faced the hail of bullets showered by gangster Anil Bharsi bravely on his chest and stomach. Putting his life at risk and exhibiting velour of outstanding nature, he bravely confronted the volley of bullets fired and shielded the team members positioned behind him and fearlessly nabbed the desperate gangster involved in around a dozen cases of abduction for ransom, mass killing and murder etc. on his own. Meanwhile, accused Rajiv @ Bhura, seated on left side behind the driver seat, having loaded carbine in his hand, jumped out of the vehicle and moved behind to escape. When he found HC Hira Lal and SI Amar Deep Sehgal and other staff member came running towards him, he opened fire on HC Hira Lal, who was in front of all. HC Hira Lal, assessed the gravity of the situation and escaped the bullet which passed him by his left ear and later passed between the legs of SI Amar Deep Sehgal who, taking account of the

situation, fired two rounds from his official pistol and challenged him. Seeing no sign of giving up by HC Hira Lal, Rajiv @ Bhura ran towards the nearby fields and fired on police party following him. But HC Hira Lal did not deter from bullets and displaying rare gallant act and unparallel courage, pounced upon him and made him fell on the ground and almost simultaneously, changed the direction of carbine upwards and snatched the carbine from him in jerk. Meanwhile, ASI Pramod Tyagi,, Constable Rishi Raj and Constable Devender reached there and Rajiv @ Bhura was overpowered. Accused Anil Bharsi, Harish, Rajive Bhura and Manoj were desperately wanted by UP Police and a reward of Rs.10000/- was declared for the arrest of Anil Bharsi and Harish and Rs.2500/- was declared on the arrest of accused Rajiv @ Bhura by UP Police and the process to enhance the reward money to Rs.50000/- on each of them was in progress. Inspector Ved Prakash jumped out of Toyota Qualis and rushed towards the Scorpio. Anil Bharsi, seated on driving seat, picked up the carbine and showered a volley of bullets on Inspector Ved Prakash who, without caring for his own life, considering the lives of his other team member at stake, despite facing bullets on his chest and stomach, grabbed the carbine and changed its direction upwards and dragged Anil Bharsi out of the vehicle. Inspector Ved Prakash faced the hail of bullets showered by gangster Anil Bharsi bravely on his chest and stomach. Putting his life at risk and exhibiting velour of outstanding nature, he bravely confronted the volley of bullets fired and shielded the team members positioned behind him and fearlessly nabbed the desperate gangster involved in around a dozen cases of abduction for ransom, mass killing and murder etc. on his own.

In this encounter Shri Ved Prakash, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 6th October, 2004.

BARUN MITRA
Director

No. 17-Pres/2007 - The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Delhi Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Hridaya Bhushan,
Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

During the first week of August 2004, intelligence inputs were received through a Central Intelligence Agency that a terrorist code name Vicky alongwith his associates belonging to banned terrorist outfit " Lashkar-e-Toiba" (LeT), has set up his base in Delhi and is likely to carry out terrorist activities. This information was developed through technical and human intelligence. Meanwhile, it was also learnt that the said terrorist is a Pak National and his actual name is Abid and that he has acquired dangerous weapons & other logistics. The Movement of Abid @ Vicky was found in Dwarka area of Delhi and it also came to notice that he was receiving instructions from his Commander across the border. On 16.08.2004 specific information was received through technical inputs that Abid @ Vicky would be coming to a cyber café in Dwarka area during evening time to communicate with his Commander across the border. The information was discussed with senior officers and a team headed by ACP Rajbir Singh was constituted to act upon the information. Small teams were dispatched to different Cyber Cafes located in market areas of Dwarka to keep surveillance. At about 9.30 p.m. It was revealed through technical surveillance that the said terrorist was communicating from APJ Cyber Café, Sector-6 market, Dwarka Delhi. All the team members rushed immediately to the said market and simultaneously informed rest of the teams. On enquiry it was known that one person wearing a cap had just left the café. Meanwhile, the suspected person reached near a motorcycle parked in the back lane between the market and DDA flats. By that time he got suspicious about the movement of the police party and started running towards the residential flats of Sector-6, Dwarka located on the backside of the market. Police party chased him, disclosing identities and asked him to stop, who in turn started firing on the advancing police party while still running. In order to apprehend the terrorist and in self-defence, the police party returned the fire. In the ensuing encounter, which lasted for about 15 minutes, Pak terrorist Abid belonging to banned terrorist outfit Lashkar-e-Toiba was injured near garage No.39-B & 16-B, SFS Flats, Pocket-II, Phase-I, Sector-6, Dwarka, Delhi. Injured terrorist was found in possession of a Pistol .30 bore. The injured terrorist was removed to AIIMS Hospital where he was declared as brought dead.

On receiving information that the terrorist was communicating from APJ Cyber Café located in the Sector-6 Market, Dwarka, Delhi all the team members rushed immediately to the said market. Inspector Hardaya Bhushan alongwith his team entered the market from the back lane. When the terrorist got suspicious about the movement of the police party on reaching near his motorcycle, he started running towards the residential flats of Sector –6, Dwarka, located at the backside of the market. Police party chased him, disclosing identities and asked him to stop, who in turn started firing on the advancing police party while still running. Inspector Hridaya Bhushan, being closest and in the direct firing line of the terrorist, narrowly escaped death. But without caring for his life and exhibiting utmost courage, the valiant officer fearlessly continued chasing the hard nosed terrorist and also returned fire. The trained terrorist managed to enter the dark alleys of the flats, but the officer running out his breath, followed him despite the slippery road in the heavily rained night. Without any cover for his own safety, the die-hard officer bravely confronted the terrorist face to face. In the ensuing encounter, which lasted for about 15 minutes, the Pak terrorist was killed. Inspector Hridaya Bhushan fired 7 rounds from his service pistol and played a vital role in eliminating the Pak terrorist, thereby, saving the lives of his fellow team-members and public persons. But for the exemplary valour of Inspector Hridaya Bhushan, the terrorist could have escaped and succeeded in executing his evil designs. Inspector Hridaya Bhushan risked his life and conspicuously exhibited exemplary courage, bravery and motivation in this operation. The brave action of Delhi Police won applause not only from the highest ranks of Police different states & media, but also from the public at large. He has set an example of gallantry & dedication towards his duty.

In this encounter Shri Hridaya Bhushan, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 16th August, 2004.

BARUN MITRA
Director

No. 18-Pres/2007 - The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Delhi Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Subhash Tandon,**
   Inspector
2. **Ramesh Dabas,**
   Sub Inspector
3. **Ranvir Singh,**
   Assistant Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 08.06.2005, a crack team lead by Insp. Subhash Tandon, SI Ramesh Dabas, ASI Ranvir Singh, HC Kewal Krishan, HC Kuldeep Kumar, HC Ramesh Chand, Ct. Shiv Veer Singh, Ct. Pramod Kumar, Ct. Dharmbir Singh, Ct. Preet & others managed to track the movements of these terrorists and laid a trap at GT Karnal Road, near Narela Industrial Area. The police party had information that the terrorists were planning to run away to Nepal after collecting Hawala money from Delhi. At about 6.15 AM, the police party found one Accent car parked by the roadside as per information. When the police party stopped their Qualis car near Accent car, the occupants of the car, later on identified as Jagtar Singh Hawara, Jaspal Singh & Vikas Sehgal, tried to run away from the spot in order to evade their apprehension. Jagtar Singh Hawara fired three bullets on Inspector Subhash Tandon, SI Ramesh Dabas & ASI Ranvir Singh who were chasing him from the front side but they overpowered Jagtar Singh Hawara and Inspector Subhash Tandon snatched his pistol after a scuffle, in the process he also sustained injury on his right hand thumb and right ribs. The police party never gave a chance to the firing desperado to escape and took the risk of their lives for overpowering the dreaded criminals. The rare gallant act shown by the team members totally changed the scenario that resulted in the spontaneous arrest of Jagtar Singh Hawara @ Prince @ Sahib Singh @ Sukha Singh s/o late Sardar Sher Singh r/o Vill. Hawara Kalan, Tehsil Khamano, Distt. Fatehgarh Sahib, Punjab, Jaspal Singh @ Raja @ Honey Sahota s/o Hardeep Singh r/o VPO Simbli, PS Garh Shanker, Distt. Hosiyarpur, Punjab and Vikas Sehgal @ Montu s/o Sikander Sehgal r/o House No.2701/13, Ranjit Nagar, West Patel Nagar, New Delhi after a hot chase and scuffle during encounter with police. 4 Star make pistols, 207 live cartridges, 3 fired cartridges, 1 hand grenade, 10.350 kgs. of RDX, 3 Remote Control devices, 2 remote timer switches, 2 Battery operated timers, 3 detonators and a luxurious car, etc were recovered from possession of these arrested accused persons. In this regard, a case FIR no.229/05 u/s 121/121A/122/186/353/332/307/120B/34 IPC, 25/27/54/59 Arms Act & 3/4/5 Explosive Sub. Act has been registered at PS Alipur, Delhi. Besides, above recovery, the information about the other terrorists

and their stock of arms, ammunitions and explosives were passed on to Punjab Police. On the basis of those information, Punjab Police solely and jointly conducted raids in Punjab, which resulted in the recovery of huge cache of arms, ammunitions and explosives. Besides the arrest of other activists of "Babbar Khalsa International" smashing and unearthing the complete module of this terrorist outfit who were engaged in revival of terrorism not only in Punjab but through out India to get their presence felt. The recent blasts in Cinema Halls at Delhi were part of it.

It was an extra-ordinary effort of Inspector Subhash Tandon, Sub Insp. Ramesh Dabas & Asstt. Sub Insp. Ranbir Singh, who showed extra-ordinary courage, devotion to duty and gallant act without caring his life apprehended dreaded terrorist Jagtar Singh Hawara .Insp Subhash Tandon snatched his loaded pistol from which he already had fired 3 rounds on police party. Jagtar Singh Hawara was not only the main accused of killing of Late Sh. Beant Singh, Ex. Chief Minister of Punjab but was involved in many other brutal killings in Punjab and was facing trial in those cases too. The above-mentioned team was specifically directed to get hold of these Babbar Khalsa terrorists alive so that the network of BKI & its conspiracies could be exposed and unearthed. So that their arrest could further lead to the arrest of other terrorists. The team members keeping in view the importance of their alive apprehension put in all their physical efforts into the arrest by not resorting the fire, though they were fired upon by Jagtar Singh Hawara thrice. Commitment to the cause by the team members recommended was above the mark. They did not care for their lives, though they were armed too.

The two other terrorists namely Jaspal Singh & Vikas were responsible for the recent bomb blast at Liberty & Satyam. The interrogation of these arrested terrorists revealed that Wadhawa Singh, the Chief of banned terrorist organization "Babbar Khalsa International" is trying to revive that militancy especially in Punjab, by motivating youths of criminal background.

In this encounter S/Shri Subhash Tandon, Inspector, Ramesh Dabas, Sub Inspector and Ranvir Singh, Assistant Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 8th June, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 19-Pres/2007 - The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Delhi Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Anil Kumar,
Assistant Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On the night of 5.3.2004 SI Satish Kumar Dalal of Crime Branch, Delhi Police and public person Vijay Kumar Swami were brutally murdered in the area of Mangolpuri. The service revolver of the Sub-Inspector was also snatched. They were beheaded and the heads were burnt and were thrown at other places in Delhi. Their headless bodies were thrown at different places in Haryana. Investigations led to the arrest of (a) Rajinder Singh @ Jinder involved in over more than criminal 24 criminal cases and earlier detained under National Security Act, (b) Joginder Singh @ Danny, brother of Rajinder Singh who was involved in over more than 19 criminal cases and also earlier detained under National Security Act and their mother Laxmi involved in more than 20 criminal cases. All are residents of Mangolpuri, Delhi. Their interrogation revealed that Vinod brother of Rajinder Singh @ Jinder and Joginder Singh @ Danny was also involved in the brutal crime. However after committing the crime he absconded and was successful in evading the police dragnet. Non bailable warrants were obtained from the court for his arrest and reward of Rs. 30,000/- was declared for his apprehension.

Information was received about a fortnight back regarding the movements of the absconding accused Vinod in Chandigarh, Ludhiana and Dehradoon. Officers of Special Cell were deputed accordingly and sources were deployed. **On 6.4.2004**, specific information was received that Vinod would come in the night to the main gate of ISBT Sarai Kale Khan to meet a contact. A trap was laid and Vinod was intercepted. On being approached by the police party Vinod whipped out a pistol and opened fire at the police party. The police party returned the fire. Vinod was injured and removed to hospital where he was declared brought dead. 24 rounds were fired by the Police party while 7 rounds were fired by the deceased Vinod and one live round was found in the chamber of his 9 mm pistol. A case under the appropriate sections of law was registered at PS Hazrat Nizamuddin, New Delhi. During the operation ASI Anil Kumar was deputed near the main gate of Sarai Kale Khan ISBT. At about **1.10 AM**, Vinod was spotted entering the main gate of Sarai Kale Khan ISBT. Immediately, ASI Anil Kumar alerted by the senior officer and he started moving towards Vinod in order to apprehend him. On seeing, being approached by ASI Anil Kumar, he started moving inside the main bus stand. At this stage, ACP Rajbir Singh disclosed about his identity in a loud voice and asked Vinod to surrender but instead Vinod started firing at the approaching ASI Anil Kumar, who had a very close shave from the bullets fired by Vinod as he was in open space with out any cover. Vinod Kumar then took cover of the dustbin near the entrance and kept on firing at the police party. ASI

Anil Kumar confronted Vinod from a very short distance. ASI Anil Kumar remained in the front without caring for his life. It was his utmost exemplary courage, which resulted in the neutralization of rewarded dreaded criminal. Undeterred and unfazed, he bravely confronted Vinod and fired 5 rounds from his service pistol.

In this encounter Shri Anil Kumar, Assistant Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th April, 2004.

BARUN MITRA
Director

No. 20–Pres/2007 - The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Delhi Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Kailash Singh Bisht,**
   Sub Inspector
2. **Prahlad Kumar,**
   Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 25.04.2005 at about 5.30 PM, specific information was received that one LeT militant would come to bus stop, Opp. Gate No.2, Pragati Maidan, Delhi in a white Maruti 800 car bearing No.3792 at about 8-8.30 PM to deliver a consignment of explosives and arms and ammunition to another Pakistani LeT militant Saad. Accordingly a trap was laid down at and around Bhairon Mandir Road, Opposite Gate No. 2, Pragati Maidan, New Delhi. At about 9 PM, one white colour Maruti car 800 bearing Registration No. DL 3C K-3792 came from Ring Road side and stopped Opp. National Science Centre, Pragati Maidan. There was only one occupant who was driving the car. After about 15 minutes, one person came from National Science Centre side and started talking to the occupant driver of the car. Immediately, the team was alerted. After talking for a while with the driver, the other person also sat in the car besides the driver. When they were in the process of getting away, the police team approached the said car and signaled the driver to stop the car, but instead of stopping the car they sped the car towards Link Road leading to Bhairon Mandir and tried to flee from the spot. Rakshak and other vehicles blocked the escape of the car from both sides. On finding themselves being blocked and surrounded by police party, both of them jumped out of the car and started running in different directions, firing indiscriminately at

the approaching police teams. In the meanwhile, police team loudly disclosed its identity and asked both the militants to surrender. Instead of surrendering, the militant sitting on the driver seat ran towards the other side of the road, firing indiscriminately at police party whereas the militant sitting next to the driver seat jumped into the under pass firing indiscriminately towards the approaching police party. Police party also fired back in self-defense and in order to apprehend the fleeing LeT militants. The firing continued for about 15-20 minutes. Proper care was taken so as to protect the lives and property of passer byes. When the firing was stopped from militants side, police party immediately stopped firing and cautiously approached the injured militants lying on the road side and near the under pass. Immediately PCR and senior officers were informed and the injured were removed to the hospital where both the militants were declared brought dead A case was registered vide FIR No. 162 dated 26.04.2005 U/s 121/121A/122/123/186/353/307/120B IPC, 25/27 Arms Act, 4/5 Explosive Substance Act and 18/19/20 Unlawful Activities (Prevention) Act, 2004 at PS Tilak Marg, New Delhi in this regard.

INDIVIDUAL ROLE OF THE OFFICERS

SI Kailash Singh Bisht was part of the leading team, which on the basis of specific information had laid a trap around Bus Stand Opposite National Science Centre in the evening of 25.4.2005 in order to apprehend the terrorists of Lashkar-e-Tayyeba (LeT). The team members knew as per briefing that they couldn't wear bulletproof jackets lest the terrorists get suspicious and that they have to confront with the members of deadly terrorist outfit Laskhar-e-Tayyeba, who would be armed with deadly weapons. It was also known to every member of the police party that one terrorist will come in a white Maruti car bearing No. 3792 to deliver explosive, arms & ammunition to other terrorist at Bus Stop, opposite National Science Center, Pragati Maidan, New Delhi. Everybody knew that there was going to be a stiff resistance by the LeT terrorists, who will not hesitate to use their sophisticated arms and ammunitions. ACP Rajbir Singh made a plan that when both the terrorists would meet, the police team would ask them to surrender and try to apprehend them, in case they tried to run away from the spot in their car, the car would be blocked by bullet proof car 'RAKSHAK' and other vehicles. SI Kailash Singh Bisht unmindful of the danger involved volunteered to lead the team, which was to move to apprehend the terrorists of Lashkar-e-Tayyeba.

During the shoot out, when the militants tried to flee from the spot in their Maruti car and their car was blocked by Rakshak and other vehicles, both the Let militants jumped out of the car while pulling out their weapons and started firing indiscriminately at the approaching police party and started running in opposite directions. SI Kailash Singh Bisht also swiftly jumped out of the police party vehicle and started chasing the terrorist who was running towards the railing side and had jumped into the underpass road while firing on approaching SI Kailash Singh Bisht. SI Kailash Singh Bisht daringly confronted the LeT militant who had

jumped into the under pass by taking his position adjacent to the railing over the under pass road. The militant kept on changing his position and continued firing on SI Kailash Singh Bisht. It was a war like condition, ringed by enemy fire, it was almost impossible to nail down the terrorist who was continuously changing his position in the bushes in order to flee from the spot. It was a safer position held by the terrorist with sophisticated weapon knowing fully well that he, in that position, was capable of inflicting heavy causality on the police party. SI Kailash Singh Bisht, with reckless disregard to the personal safety, ignoring all the dangers, also jumped into the bushes into the underpass, braving continuous firing from the terrorist towards him. SI Kailash Singh Bisht continued to hold on and confront LeT militant who was putting intense fight. In self-defence and in order to protect the lives of the members of the police team, SI Kailash Singh Bisht also fired three rounds from his service pistol. When the firing stopped from the terrorist side, the police team also immediately stopped firing. SI Kailash Singh Bisht endangered his life for the safety of his team members and displayed the most personal bravery and gallantry of the highest order on the face of terrorism. This Act of bravery under extraordinary circumstances is worthy of recognition, which has set an example of gallantry and dedication to the duty.

HC Prahlad: Head constable Prahlad was deputed with SI Kailash Singh Bisht. HC Prahlad jumped out of the vehicle after SI Kailash Singh Bisht and ran towards the terrorist who had come out of the front door next to the driver. The terrorist firing at the approaching SI Kailash Singh Bisht and HC Prahlad and Jumped into the bushes on the road leading to the underpass. The terrorist continued shifting his position and simultaneously firing in order to flee from the spot. On sensing that the terrorist could inflict heavy causalities on the police party. HC Prahlad had taken his position next to the railing after SI Kailash Singh Bisht jumped on to the road leading to the underpass. The terrorists fired at HC Prahlad who braving hails of Bullets sat courageously behind railing, which offered no safety at all. HC Prahlad showing exemplary gallant Act held on to his position and played vital role in neutralizing the LeT terrorist, he fired 2 rounds from his service Pistol.

In this encounter S/Shri Kailash Singh Bisht, Sub Inspector and Prahlad Kumar, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 25th April, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 21–Pres/2007 - The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Delhi Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Lalit Mohan,
Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

In the month of June 2004, reliable information was received about the movement of notorious & interstate criminal Yaseen r/o Civil Lines, Aligarh, UP and his gang members in Delhi and Faridabad. Yaseen had earlier escaped from the police custody. Accordingly Surveillance was mounted at his suspected hideouts and sources were deployed. On 11.06.2004, on the basis of specific information, two persons belonging to Yaseen Gang namely Munna @ Munesh r/o Bulandsahr, UP and Mohd. Sahil R/o Dadri, Gautambudh Nagar, UP were arrested from near Haldiram Sweets, Mathura Road, Delhi and two country made pistols along with live cartridges were recovered from them. Cases vide FIR no. 77/2004 u/s 25 Arms Act, PS Special Cell, Lodhi Colony, New Delhi and FIR No. 78/2004 u/s 25 Arms Act, PS Special Cell, Lodhi Colony, New Delhi respectively, were registered in this regard and investigation taken up. On interrogation, accused Munna and Sahil disclosed that Yaseen and his close associate Benami Singh r/o Aligarh, UP were hiding in Faridabad, Haryana and were using Maurti Alto Car, Silver Colour bearing No. UP 81 P 6090 and were also having sophisticated weapons. Further sources were deployed at their hideouts as disclosed by the accused persons, but Yaseen and Benami were not present at the said hideouts. However, one of the sources informed that Yaseen and Benami had gone to Delhi and would come back to Faridabad any time during night. Accordingly a team led by Sh. Rajbir Singh, ACP laid a trap at strategic points of accesses to Faridabad from Delhi on Mathura Road, Surajkund Road, Shooting Range Road and criminals' suspected hideout in order to apprehend them. At about 11.15 PM, the said Alto car was spotted coming from Govindpuri side and it took a left turn towards Badarpur. It was signaled to stop at MB Road-Shooting Range Road T-Point but the car instead sped towards Faridabad on Shooting Range Road. The said Alto car was finally intercepted by the police teams near Karni Singh shooting-range. The driver of the Alto car, in a bid to escape, lost control of the car and hit the car on a tree on the left side of the road. The occupants were asked to surrender, but instead the two persons sitting in the front seats, alighted from the car and tried to flee. They also took out their weapons and started firing at the advancing police party. In self-defence, and in order to apprehend them, the police party returned the fire. In the ensuing encounter Yaseen and Benami Singh were injured. Yaseen was found in possession of a Pistol .30 bore, whereas, Benami Singh was having a revolver .38 colt in his possession. Both the injured criminals were removed to AIIMS hospital and they were declared as brought dead. A Case

vide FIR No. 442 dated 12.06.2004 u/s 307/186/353/34 IPC & 25/27 Arms Act was registered at PS Sangam Vihar, New Delhi in this regard and is being investigated by South District police.

Inspector Lalit Mohan was sitting on the left side in the car with ACP Rajbir Singh. He had to face the initial burst of fire from the dreaded duo when their car blocked the criminals' car from the right side while forcing the criminals to stop and surrender. The dreaded duo alighted from the car and tried to flee after their car hit a tree on the left side of the road and simultaneously fired on the police party. Undeterred, Insp. Lalit Mohan swiftly got out of the car and bravely confronted the gangsters and he narrowly escaped death by a whisker's breadth. He led the chase on Benami, who was firing indiscriminately in order to stop the police and escape in the cover of darkness. Insp. Lalit Mohan while advancing towards the gangster, exhibited uncommon valour and without caring for his life, fearlessly confronted the gangsters. He fired 5 rounds from his service pistol and played a vital role in eliminating the gangster.

In this encounter Shri Lalit Mohan, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 11th June, 2004.

BARUN MITRA
Director

No. 22-Pres/2007 - The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Delhi Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Pankaj Sood,
Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

A sensational Jain Brothers kidnapping took place at Sonepat, Haryana registered vide case FIR No. 71/04 dated 25.03.2004 u/s 364/420/468/471 IPC PS civil Lines, Sonepat, Haryana. The kidnappers demanded Rs. 2 Crores as ransom money and the duo Jain brother had to undergo the torturous captivity for 15 days before their release. The international ransom calls originating from European countries brought more mystery and sensation in the cartel profile and operation. Hence, Haryana Police soughted assistance from Crime Branch, Delhi. Inspr Pankaj Sood alongwith his team including SI Ramesh Sharma, SI Harbir Singh, SI Naresh Sharma and ASI Pramod Kumar was deputed to work upon the cartel. Working meticulously and scientifically , intelligence was developed that this kidnapping was the handy work of Jagtar Singh @ Jagga, a terrorists of Khalistan Commando Force headed by Paramjit Singh Panjwar based in Pakistan and assisted by Rattandeep Singh @ Chotu suspectedly based in a European Country, to raise funds for the organization. On the intervening night of 28/29.04.2004, Inspr Pankaj Sood received a input that the terrorists outfit linked Jagtar Singh and his associates had moved towards Delhi intending to kidnap one Model Town based rich businessman while on morning walk in the early hours. Swiftly, the dedicated team headed by Inspector Pankaj Sood swung into action and laid a trap at Wazirabad Road, in the area of PS Timarpur, in three vehicles. Officials Qaulis with staff including ASI Pramod Kumar under the supervision of SI Ramesh Sharma was stationed near Duble Pulia, A private Maruti with staff including SI Naresh Sharma Car under the supervision of Insp. Pankaj Sood was stationed near Soorghat and official Gypsy with staff under the supervision of SI Harbir Singh was stationed near Red Light, T-Point Around 4.20 AM, one Maruti Esteem car was seen coming from Ghaziabad side, SI Ramesh Sharma, who was in uniform, signaled the vehicle to stop. But instead of stopping, the Maruti Esteem occupants took out a pistol and fired on the chasing police party in Qualis. Their initial burst of fire hit the steering of Qualis through windscreen. Noticing the fire and chase by Qualis, the remaining team in another two vehicles chased the Esteem car during chase, while the Qualis tried to overtake the Esteem, the driver Jagtar Singh again fired in the Qualis but due to timely intervention of SI Ramesh Sharma, the fire hit at the roof the Qualis from inside through window. The police party also fired in self-defence on the esteem leading to a fierce encounter. Found cordoned by the police, the occupants of the Esteem came out firing on the police party trying to escape. The police party also came out of the vehicles firing in self-defence. The apprehension of Jagtar Singh and Ravinder Singh alive was most

desired to know the exact scenario and footings of terrorist outfit and its nefarious designs to spread terror in India. The front line team of Insp. Pankaj Sood, SI Ramesh Sharma, SI Harbir Singh, SI Naresh Kumar and ASI Pramod Kumar, took the risk of their life, came closer and closer to apprehended the firing duo alive, but during close cross firing the duo Esteem occupants received bullet injuries and fell on the ground. The injured were immediately shifted to Bara Hindu Rao Hospital for treatment where they were declared brought dead. Two foreign made pistol alongwith live misfired, fired cartridges and the mobile phone instrument snatched from the Jain Brothers were recovered from the duo. With this, the terror of top of the line kidnapping for ransom kingpin of North India having international terrorist links was ended which could have created havoc and sensation. This also would curtail the international terrorist organization regrouping and fund raising efforts by their nefarious act of kidnappings in India. In such an adverse situation where the desperate hardcore-armed criminals were firing and there was every possibility of serious casualties particularly to the front line team of Insp. Pankaj Sood, SI Ramesh Sharma, SI Harbir Singh, SI Naresh Kumar and ASI Pramod Kumar. These officers took the risk of their lives by trying to apprehended the firing duo alive, came closer to the duo and showed extra ordinary courage and a rare act of gallant and even after the duo received bullet injuries, rushed them to hospital for their survival. SI Ramesh Sharma (Fired three rounds), SI Harbir Singh (fired three rounds), SI Naresh Sharma (fired five rounds), and ASI Pramod Kumar (fired three rounds), had to open fire in order to save the life of teammates. Insp. Pankaj Sood, who was even unarmed, SI Ramesh Sharma, SI Harbir Singh, SI Naresh Kumar and ASI Pramod Kumar showed exemplary rare gallant, courage, dedication towards their duties, caring for the lives of teammates, responsibility towards the National Security and great presence of mind.

Inspector (Exe.) Pankaj Sood, No. D-3030 was leading the team unarmed and the front line team and took the risk of his life and came closer and closer to apprehend the firing duo alive, but during close cross firing the duo Esteem occupants received bullet injuries and fell on the ground. The injured were immediately shifted to Bara Hindu Rao Hospital for treatment where they were declared brought dead. Two foreign made pistol alongwith live misfired and fired cartridges and the mobile phone instrument snatched from the Jain Brothers were recovered from the duo. With this proactive, the terror of top of the line kidnapping for ransom kingpin of North India having international terrorist links was ended which could have created havoc and sensation. This also would curtail the internationally terrorist organization regrouping and fund raising efforts by their nefarious act of kidnappings in India. Insp. Pankaj Sood showed a rare act of gallant and took the risk of his life by trying to apprehend the firing duo alive while he himself was even unarmed and even after the duo received bullet injuries, rushed them to hospital for their survival. In such and adverse situation where the

desperate hardcore-armed criminals were firing, Insp. Pankaj Sood showed exemplary gallant, courage, dedication towards his duties, responsibility towards the National Security and great presence of mind.

In this encounter Shri Pankaj Sood, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29th April, 2004.

BARUN MITRA
Director

No. 23–Pres/2007- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Marri Tulasi Ram,** **Assistant Assault Commander/Reserve Sub Inspector**	**(PPMG)**
2.	**M. Murthy,** **Police Constable**	**(PMG)**
3.	**N. Anil Kumar,** **Junior Commando**	**(PMG)**
4.	**G.V.V.D. Prasad,** **Police Constable**	**(PMG)**
5.	**S.Ramu,** **Police Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Superintendent of Police, Nizambad received information that Ramesh and Babanna and other guerrilla, were moving in the Manala reserve forest of Kammarpalli PS of Nizamabad district with a plan to either harm innocent villagers or to kill police by luring them into an ambush or attack a police station. Immediately 3C Assault unit of Greyhounds led by the nominees 1 and AAC P. Venkat Rao with a strength of 18 was called and dropped along with the other nominees in the treacherous reserve forest of Manala on the night of 5-3-05 after thorough briefing as a part of operation code named "Dhanush". The commandos combed the area given to them for two days, but the Maoist remained elusive. Determined to make the operation successful, the nominees 1 along with commandos discussed with the Superintendent of Police, Nizamabad again and altered the plan. **On 7-3-05 at 06.45** hours while combing the forest travelling from North to South,

the police team observed few fresh footprints which are partly erased to mislead police and a little later found a jungle cap on the forest track. Nominee No.1 and AAC P. Venkat Rao immediately divided the entire team into 3 groups. Nominee 1 to 5 were in the main assault group. The observation group which was asked to go up the hillock to the west of the track on which they were standing so as to get a commanding view of the area and to brief the main assault group of the location of the enemy which was expected to be camping in area near the water points in the plains below the hillock. The third group was sent southward to act as cut off. However, the Maoists were camping on the hillock. When the observation group reached the top of the hillock and moving from east to west the Maoists noticed them, opened fire on them and ran towards the south of the hillock to escape. The observation group opened fire on Maoists alerted group 3 which was covering the South of the hill. They also alerted the party one consisting of nominees 1 to 5 who were combing the jungle below the hillock. Party 3 immediately cut off the exit route of Maoist opening fire on team from the Southern side. Since the observation group was covering the western flank the Maoists were forced to flee towards the North of the hillock moving along the eastern edge of the hillock. By this time the main assault group reached the hillock and opened fire on the Maoists. One Maoist Dist. Committee Member fell to the bullets which caused panic among them. Then the main assault group got further divided into 2 teams. One team led by nominee 4 and 5 rushed to the North to cut off the exit routes for the Maoists. Nominee No 1 followed by nominees No.2 and 3 and 2 other Junior Commando climbed up the Eastern face of the hill while the enemy was dominating the area and showering them with bullets. Nominees 1, 2 and 3 pressed forward unmindful of the grave risk to their lives though the enemy was giving burst fire with AK-47. Ultimately they reached the top and felled one more Maoist. Seeing this the Maoists run towards the Northern face of the hillock still firing at the team 1 lead by Nominee 1. Nominees 1, 2 and 3 bravely stood against the barrage of bullets and brought down 4 more Maoists making the balance to run down the steep slope to the North. When the Maoists reached the foot of the hill they came face to face with team 2 of the main assault group led by nominee 4 & 5. While the Maoists had forest cover the police party did not have any cover being in the open. However the police party stood their ground. Nominees 4 and 5 stood up to face the enemy bullets and felled 4 Maoists at grave risk to their lives. Two Maoists dropped their weapons, raised their hands and surrendered Police party immediately took them into custody. A search of the area led to the recovery of the dead bodies of 10 Maoists including the District Committee Secretary, District Committee Member, 3 dalam commanders, 2 dalam Deputy Commanders and 3 Local Guerilla Squad members. It also led to the recovery of 1 A.k-47, 3- SLRs, 4 - .303 Rifles and 3 SBBLs. This is the first time that all the member present in a camp were either decimated or arrested. The fire power of the Maoist was also very high with sophisticated weapons since top cadres were meeting for finalizing their plan for an attack on a P.S. Thus a major incident was also

averted. Since the Dist Committee leaders and all the Dalam Commanders and Dy. Commanders were decimated the Maoist received a serious set back and the movement became almost non-existent in the west Karimnagar Division after this exchange of fire. While all the member of the police party displayed rare team spirit, planning from minute to minute while on the move, exceptional bravery while facing the enemy and played their individual roles in an ideal fashion, nominees 1 to 5 deserve special mention and recognition. Nominees No. 1 provided excellent leadership in assessing the situation, forming the teams into various groups initially and again dividing to the main assault group into 2 teams and cutting off all escape routes for the enemy. He was thinking on his feet all the time while motivating the staff with him. He along with nominees 2 and 3 was instrumental in felling 5 Maoists on the hilltop. He also guided nominees 4 and 5 in the operation which resulted in bringing down 4 Maoists on the northern slopes of the hillocks. Nominees No. 2 and 3 displayed rare and conspicuous bravery in climbing the hillock when the Maoist were firing on them from the top, reaching the top and not only creating panic but also in felling 5 Maoists on the hilltop which totally turned the tide against them. But for their bravery bordering on foolhardiness the Maoist would have managed to hold their ground and escape. Nominees No. 4 and 5 displayed rare courage in facing the enemy fire without any cover to protect them and bringing down the 4 Maoists including the Dist Committee Secretary who was armed with an AK-47. In the light of tremendous initiative, extraordinary bravery shown by the nominees 1 to 5 in an encounter that was presented supra where in ten armed guerrillas including top leaders were eliminated and two other were arrested along with recovery of 11 weapons including 8 sophisticated weapons such as A.K-47, Self Loading Rifle, .303 Rifles much to the relief of rural masses of both Nizamabad and Karimnagar districts.

In this encounter S/Shri Marri Tulasi Ram, Assistant Assault Commander/ Reserve Sub Inspector, M. Murthy, Police Constable, N. Anil Kumar, Junior Commando, G.V.V.D. Prasad, Police Constable and S. Ramu, Police Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th March, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 24–Pres/2007- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Abdul Rashid Wani, (Posthumous)
Constable.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

The Tulsibagh residential quarters at Srinagar came under attack by two unknown terrorists on 18.10.2005 at around 0900 hours. One of the attackers tried to enter main gate of Shri Mohd Yousuf Tarigami, General Secretary CPI (M) at House No. T-20 Tulsibagh. The security personnel at the gate namely constable Abdul Rashid Wani No. 1296/Aux. Police 1st Bn stopped him and attempted to search him. The terrorist who was wearing a jacket and hiding a weapon underneath pulled out the weapon and fired at constable Abdul Rashid. The constable displaying exemplary courage, captured the terrorist and managed to prevent his entry to Shri Tarigami's residence. The CRPF personnel and two PSOs of Shri M. Y. Tarigami chased and killed the terrorist barely 20 meters away from the residence of Shri. Tarigami. In this process Constable Abdul Rashid was critically injured and later succumbed to his injuries. From the possession of deceased terrorist one AK-47 Rifle, 06-Magazines, 04-Grenades were recovered. The constable thus displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order, without caring for his life, succeeded to save the life of MLA and other incumbents of his house and laid his life while performing his duties.

In this encounter (Late) Shri Abdul Rashid Wani, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18th October, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 25–Pres/2007- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Rajasthan Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Ganga Ram, **(Posthumous)**
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On the night of July 27, 2005 SHO PS Kalyanpur (Distt. Barmer) with his staff, which also included Constable Ganga Ram No.769, organized a naka at Shiv Nagri Crossing with a view to prevent movement of illicit liquor. At around 12.45 AM, a jeep broke the nakabandi. The SHO with his staff chased the jeep till Chincharli village, where three suspected persons got down and started running. Two persons were caught immediately while the third ran into the dark carrying a rifle with him. Immediately, Constable Ganga Ram ran in hot pursuit of this armed suspect. After closing on the suspect, Ganga Ram challenged him to stop. When he did not obey, Ganga Ram caught hold of him and wrestled to immobilize him. The armed suspect made desperate efforts to escape but Ganga Ram bravely held on. Ganga Ram had almost overpowered the suspect, when the latter intentionally shot him in the chest. Grievously injured, Ganga Ram made valiant attempt to hold to the suspect, before dying a hero's death. In this backdrop, case No.45/05 u/s 302/34 IPC & 3/25 Arms Act was registered at PS Kalyanpur. Subsequent investigation led to busting of a gang of poachers who had been indulging in killing and selling of parts of wild life for several years. Constable Ganga Ram No.769 showed a great sense of duty by bravely pursuing an armed suspect. Living upto the exalted ideals of uniformed service, he made the supreme sacrifice of his life performing his duty. One Jeep RJ19-IC-1635, One M.L.Gun.(without Licence) for the purpose of wildlife hunting seized in this case. Later, 10 parts of heads of deer, 6 deer hides and huge quantity of animal bones were also recovered.

In this encounter (Late) Shri Ganga Ram, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27th July, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 26–Pres/2007- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Assam Rifles: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. Pameswar Sonwal,
Havildar/ General Duty

2. Jeevan Kumar,
Rifleman/General Duty

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on information from own source about UNLF hideout located deep inside the Pat Area (Floating Bio Mass) of the LOKTAK lake "OP AMPHIBIOUS" was launched by troops of 7 Assam Rifles under the Company Commander on 27th December 2005 at 0330 hours. The party comprised a total of 03 officers and 15 Other Ranks in four country made boats and one Engineer Fabricated boat. At approx 0515 hours when the leading boat, with Major Jitender Kumar, under the cover of the fog reached the suspected hideout covered with 3-4 meters of tall grass, their move was noticed by a terrorist who opened up a barrage of fire at the team. The first salvo of burst fired by the terrorist forced Major Jitender Kumar and his team to jump into the water. However, No G/75321Y Havildar (General Duty) Pameswar Sonowal stayed in the boat and continued firing on the terrorist from his LMG and forced the terrorist to stop firing and take cover. Simultaneously, five more terrorists emerged from the nearby huts with their weapons and started firing on Havildar (General Duty) Pameswar Sonowal who sustained a Gun Shot Wound on his hand, forcing him also to jump in the water, and in the process his LMG fell into the lake. During this firefight, No. G/76247H Rifleman (General Duty) Jeevan Kumar who had also fallen into the lake and was holding on to the grass, used his presence of mind and grit also kept on giving covering fire to his team thus dividing the attention of the terrorists. The salvo of fire from this team as first wave of attack killed three terrorists on the spot and thus enthused, the entire team killing a total of four UNLF terrorists and recovery of arms, ammunition and incriminating documents. Later, intercepts confirmed the death of two more UNLF terrorists.

In this encounter S/Shri Pameswar Sonwal, Havildar/General Duty and Jeevan Kumar, Rifleman/ General Duty displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27th December, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 27–Pres/2007- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Assam Rifles: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Rudhi Singh,
Havildar/ General Duty

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on diligently cultivated information about the presence of ATTF terrorists in general area Shankhla QT 9892, a special operation was launched comprising of one Junior Commission Officer, 13 other Ranks and one Police Representative, led by Nb. Sub Gyan Bahadur Gurung ex Hejamara on 10 Feb 2006 at 1930 hours. Column laid ambush in general area Baluabari – Shankhala on 11 Feb 2006 at 1900 hrs. On the morning of **12 Feb 2006** after observing no suspicious movement, the operation party proceeded to search the nearest village Lakhamodi. Search operation and interaction with locals revealed the probable movement of terrorist in adjoining village of Masrahipara. The party further developed on the information and moved towards village of Masrahipara. On approaching the village, Havildar General Duty Rudhi Singh, the leading scout No. 2 came under heavy fire while negotiating a steep defile with thick undergrowth. The NCO in spite of being hit by a bullet him on his left arm in the initial firing by the terrorists, opened fire from his AK-47 on the terrorists at close quarter. The terrorists lobbed two grenades. Showing dauntless courage, bravery and calmness in face of terrorist fire, Havildar Rudhi Singh kicked the grenade and took position in a cutting and continued to fire on the fleeing terrorists. The grenade busted a few meters away saving the lives of own troops. The terrorist realizing the danger due to heavy fire opened by Havildar Rudhi Singh and his buddy Havildar Gyanbir Pradhan, started to flee. The courage and bravery shown by Hav Rudhi Singh enabled the patrol to break the ambush laid by the terrorists without any loss of life to own troops. The individual sustained "GSW LT FORARM AND ARM-SEVERE" and was subsequently evacuated to Command Hospital Kolkotta.

In this encounter Shri Rudhi Singh, Havildar/General Duty displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12th February, 2006.

BARUN MITRA
Director

No. 28–Pres/2007- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Vinod Kumar, (Posthumous)
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on specific 'G' information, Shri Hans Raj, Assistant Commandant planned and executed a special operation on the night intervening 14/15 May 2005 in Doda Sector of Jammu. A party under Command of Sh Hans Raj, AC along with one police representative of Operational base Sumber laid ambush in the general area of Nag Chasma and Barkotola and the other party laid ambush near Upper Malpati ridge. After first light to maintain surprise, both the parties were further divided into sub groups consisting of 03 to 04 personnel. Search of the area was done in a very stealth manner thereafter the parties moved towards the Sikna Top height. This area is full of dense forest, covered with rocks and without any foot track.. At about 150800 hrs, Ct Vinod Kumar who was leading the party, observed suspicious movement of two person in the forest at a distance of about 100 yards and informed the party Comdr who then, alerted all the parties and started approaching towards the suspects stealthily to ascertain their identity. When the party was trying to negotiate a steep gradient, approx 50 yards short of the hideout, the militants started indiscriminate firing on the leading BSF party. The fire was retaliated. The party commander re-organized the group and under the cover of covering fire, Sh Hans Raj, AC, HC Richpal Singh and Ct Vinod Kumar, undeterred by the fire from the militants negotiated the steep climb and reached close to the militants. The militants surprised by the sudden appearance of BSF troops, brought heavy fire on the party, causing bullet injury to Constable Vinod Kumar. Not deterred by bullet injury, Constable Vinod Kumar in a rare example of courage located and fired at the hiding militant thereby inflicting serious bullet injuries to the militant. The injured Ct Vinod Kumar was evacuated to nearest Operation base Sumber but unfortunately succumbed to his injuries. The exchange of fire was continued for about five hours. At about 151500 hrs, when the fire from the militants stopped, the area was searched and dead body of one militant along with 01 AK-56 Rifle, 03 AK-56 Mag and 26 rounds of AK-56 Amn were recovered. The killed militant was later identified as Abdul Karim @ Gulzar Ahmed (Code sign-Jan Mohd) s/o Imamdin Gujjar resident of Sumber, P.S- Ramban, Distt Doda (J & K).

In this encounter (Late) Shri Vinod Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 15th May, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 29–Pres/2007- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry / Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force:

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Jitender Singh, Constable**	**(PPMG)**
2.	**D Appana, Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 30th March 2005 at about 1055 hrs, two unknown Fidayeen wearing ferran got down from a tonga in front of BSF Post Arampora-Sopore (J&K) and approached the main gate. They told guard commander Head Constable T M Singh that they wanted to meet Coy Commander. On being asked to lift their ferran and to prove identity, both the Fidayeen suddenly opened heavy volume of fire from the AK 47 rifles which were hidden under their ferran. The fire was directed on guard commander and sentry Constable Dharambir Singh. The fidayeen also succeeded in throwing a grenade on the makeshift defense which blasted near the main gate-cum-entrance. During exchange of fire the guard Commander and the sentry sustained bullet injuries. Taking advantage of this, the Fidayeens gained entry to the main campus and rushed towards the office complex firing indiscriminately. Constable D Appana who was sentry at the Coy Commander office, took position near the entrance of building and gallantly engaged the Fidayeen and inflicted injuries to one of them which hampered the physical ability of the Fidayeen considerably. Instant, spontaneous, brave and single handed reaction at this crucial stage by Constable D Appana gave valuable reaction time to the rest of the post personnel to re-organize and meet the impending threat. Meanwhile, the second Fidayeen reached Jawans Barrack and opened indiscriminate firing. The injured Fidayeen also rushed to the cook house firing and lobbing grenades. Constable Jitender Singh who was present in the first floor of barrack spotted the movement of Fidayeen and immediately positioned himself near the door in order to engage the Fidayeen and thwart their effort from entering inside the building. Constable Jitender Singh with utter

disregard to his personal safety came in front of the door and pinned down both the Fidayeen with his accurate fire. Ct Jitender Singh successfully eliminated both the Fidayeen thereby averted casualty to own troops. Head Constable T M Singh later succumbed to his injuries. The killed fidayeen were identified as Abu Bisari Laskhari @ Abu and Abu Salim, Jarar @ Malik resident of Pak belonging to LeT Tanjeem. 02 AK Rifle, 16 AK Series Mag and 340 rounds of AK Ammunition, were recovered from their possession.

In this encounter S/Shri Jitender Singh, Constable and D. Appana, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30th March, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 30–Pres/2007- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Awadesh Singh, Constable**
2. **S.K.Arban Singh, Constable**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On specific intelligence regarding likely infiltration by anti national elements through general area of Forwarded Defended Locality 430 (Mendhar, Poonch, Jammu and Kashmir) troops of 153 Bn BSF were alerted and the area was strengthened by deploying additional troops. On 17th Jan 2005 at about 1825 hrs, troops deployed between FDL 430 and 429 observed some suspicious movement of group of militants. Immediately all the ambushes deployed in the area were alerted. When the group of militants reached near the fencing, the ambush party challenged them, in a counter move the militants opened heavy volume of fire and lobbed hand grenades at the ambush party. This resulted in heavy exchange of fire between the militants and the ambush party. Sensing that the militant could cause damage to the ambush party, Constable S K Arban Singh, with utter disregard to his own safety re-sited his LMG outside the ambush position by exposing himself to the militants' fire. From this

vantage point Ct Arban Singh brought down accurate and effective fire and was successful in eliminating three militants on the spot. Meanwhile, Constable Awadesh Singh spotted the fourth militant hiding behind a pine tree near the ambush site, firing heavily on the ambush. The ambush party retaliated the fire but the fire was not effective, since the militant was well entrenched. Constable Awadesh Singh after appraising the situation took the initiative and with utter disregard to his own safety and exhibiting raw courage came out from the ambush and lobbed hand grenades at the militant as a consequence of which the militant tried to shift his position. In a dashing move Constable Awadesh Singh fired accurately and killed the militant on the spot. The fifth militant was also shot dead by the ambush party. On search of the area, dead bodies of five militants were recovered along with 05 AK series rifles, 32 AK Mag, 941 Rds of AK Amn, and one SSG Rifle with magazine . Identity of the killed militants could not be ascertained.

In this encounter S/Shri Awadesh Singh, Constable and S.K.Arban Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 17th January, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 31–Pres/2007- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri.

1.	**A. Anandan, Second-in-Command**	**(Posthumous)**
2.	**Chet Ram Kulhar, Second-in-Command**	**(Posthumous)**
3.	**Ashok Kumar Shaw, Constable**	**(Posthumous)**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 11-9-2004, two Fidayeens (Pak National) of Al-Mansoorian terrorist out-fit of Laskhar-E-Toiba, stormed inside the 94 Bn. CRPF. HQr at Hotel York Kohna Khan (Dalgate) Srinagar at around 2120 hrs. They hurled grenades followed by firing on the security force personnel on duty. Ct/GD Ashok Kumar Shaw on duty at Morcha No.11, saw one of the militants, who had scaled the perimeter wall at a distance of approximate 10 yards from his position and instantly fired on him. Sensing his exposure and loss of surprise, this militant lobbed a grenade towards his sentry post, which exploded and severed the right leg of CT Ashok Kumar Shaw. Not caring for his injuries and by retaining his guts, CT Ashok Kumar Shaw continued to fire on the Fidayeen from his SLR and one of the bullets hit the Chinese grenade kept in the chest pouch of the militant and triggered an instant explosion. As a result of which, the militant was blown into pieces and killed instantly. CT Ashok Kumar Shaw was badly injured and evacuated to SKIMS Hospital, Soura, Srinagar, with amputated leg, where he succumbed to his injuries on 15/9/2004. Shri A. Anandan, 2-I/C of 60 Bn. And Shri Chetram Kulhar 2-I/C of 65 Bn CRPF alongwith respective Unit QRTs and B.P. Bunkers was directed to report to 94 Bn, HQ as re-enforcement. Shri A.Anandan, 2-I/C after making assessment, volunteered to go in for "room intervention" in MT building to flush out the second terrorist at about 2200 hrs. Nothing could be found in the first search. However, in the second attempt he was joined by another party led by Shri V.S.Aggrawal, 2-I/C 94 Bn, CRPF. CT Shiv Kumar was giving cover to Shri A.Anandan, 2-I/C. They had checked all the rooms except one. When Shri A.Anandan, 2-I/C pushed the door of last room, the militant hiding inside the room opened a burst of fire. Shri A.Anandan,2-I/C. who was about to storm the room was hit by the fire. Though being injured in the chest and right leg, he without caring for his own life, fired back from his AK-47 injuring the militant as a result of which militant stopped firing. Shri A.Anandan 2-I/C tried to enter the room but CT Shiv Kumar, finding his officer seriously injured, pulled him back. He was

evacuated to 92 Base Army Hospital, where he was declared brought dead. After suffering these casualties, the tactics was changed at around 0230 hrs to cordon the MT building with BP Bunkers. Few tear smoke shells were fired into the room of hiding terrorist. Due to lobbying of tear smoke shells the condemned MT Store caught fire. Suffocated by tear smoke and fire, the hiding terrorist changed room while firing and lobbing grenade and shifted to a room on the opposite last corner of the same building. One of CRPF personnel HC(Dvr) Uma Shanker, who happened to be in that room shouted for help and tried to move outside. His movement was noticed by Shri Chet Ram Kulhar 2-I/C 65 Bn CRPF. In order to rescue HC/DVR Uma Shanker, Shri Chet Ram Kulhar,2-I/C came out of the bunker alongwith his men tactically and started giving covering fire to HC/Dvr. Uma Shanker. In the meantime, the hiding terrorist also returned burst fire, which hit Shri Chet Ram Kulhar,2-I/C 65 Bn. CRPF in the thigh. Immediately, he was evacuated to 92 Army Base Hospital, Srinagar where he succumbed to his injuries at about 0400 hrs. Shri Chet Ram Kulhar 2-I/C 65 Bn displayed high degree of courage and devotion to duty without caring for his life and rescued HC/Dvr Uma Shanker during this operation. Thus, in the process of saving the life of HC/Dvr Uma Shanker of 94 Bn., Shri Chet Ram Kulhar 2-I/C 65 Bn. sacrificed his own life. The cordon party around the building kept on firing intermittently throughout the night to keep the militant engaged. On the first light of 12/9/04, the building was stormed by lobbying of grenades and heavy firing, which forced the militant to come out, and he was fired upon heavily by CRPF and killed.

In this encounter (Late) S/Shri A. Anandan, Second-in-Command, Chet Ram Kulhar, Second-in-Command and Ashok Kumar Shaw, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 11th September, 2004.

BARUN MITRA
Director

No. 32–Pres/2007- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Kuldeep Singh, (Posthumous)
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 27/11/2004 at about 2345 hrs, No. 031527527 Constable Samrendra Deka of this unit who was also posted in F/152 Bn, CRPF located at Army Old Dairy Farm Baramulla (J&K), suddenly ran Amok and rushed towards the room of No. 810180028 HC Krishnan Dev Sharma, Coy CHM and shot him dead at point blank range by aiming on his forehead and picked up personal weapon (AKM) of CHM. He then walked to the nearby room of No. 710430023 S.I. Chandra Ram and shot him dead as well. On hearing the gunshots, CT P.C.Suryavanshi, who was Sentry of Morcha No. 1 near barrack, alerted the camp in the form of "Stand To". In response of "Stand To" call jawans came out from their barracks, but they all came under the heavy, indiscriminate firing of CT Samrendra Deka, causing death of No. 031523177 CT M.Maria Pillai and inflicting bullet injury to No. 850846632 CT Ramesh Chand Pathania on left leg below knee. Thus the whole camp was terrorized by the act of CT Samrendra Deka. Taking advantage of the confusion Constable Samrendra Deka rushed to the room of No. 680373578 Insp/GD Sadhu Ram (who was performing duties of officer commanding) and also shot him dead while he was in the act of dressing up on hearing the sound of bullets. Thereafter, CT Samrendra Deka went to another barrack and shot dead No. 01510635 CT Tarak Nath Dey and No. 031527456 CT Hardeep Singh. Having committed 6 murders and injuring one, CT Samrendra Deka advanced towards Morcha No. 6 with a probable motive to scale over the camp wall and flee the camp. In the mean time No. 031523913 CT Kuldeep Singh who was on Sentry duty in Morcha No. 6 and No. 031524144 CT Munish Kumar who had also taken position in the same morcha when the camp was made to come on stand to, saw a person coming towards morcha. On query he identified himself as CT Samrendra Deka. He was asked by CT Kuldeep Singh as to why he was roaming out as the camp was under Fidayeen attack (this was the truth known to the trooper still then) and asked him to come inside the morcha. As soon as CT Samrendra Deka reached the gate of morcha, he opened fire on CT Kuldeep Singh and CT Munish Kumar. CT Kuldeep Singh and Munish Kumar sustained grievous bullet injuries. CT Kuldeep Singh in the most adverse and trying circumstances did not lose presence of mind. In most professional way he maintained his cool and inspite of grievous bullet injuries, retaliated by opening fire on CT Samrendra Deka, thus killing him on the spot and saving the day for CRPF. After killing CT Samrendra Deka, CT Kuldeep Singh also succumbed to his injuries while on way to hospital.

In this encounter (Late) Shri Kuldeep Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27th November, 2004.

BARUN MITRA
Director

No. 33–Pres/2007- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Hare Krishna Mani, (Posthumous)
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

The sub-unit of B and D/11 Bn CRPF was deployed at All India Radio and Doordarshan Kendra, Srinagar for its inner and outer cordon security. On 26/4/03 at about 1255 hrs a Fidayeen Group of three militants came from roadside in a white Ambassador car having red light and siren operating with effective sound. One Fidayeen was driving the car and two were sitting in the rear seat of the car. The car that was at the speed of at about 30-40 Kms/hour hit the outer iron drop gate (barrier) breaking the barrier. Seeing the speed of the vehicle, the Guard Commander No. 810696668 HC/GD (Now SI/GD) Sah Mohammad had his doubts and instead of opening the gate, he directed Ct/GD H.K. Mani to take position. The sentry No. 891141443 Ct/GD H.K. Mani challenged the terrorists and on not getting proper response fired at the car. All the three Fidayeen rushed out of the car and started firing indiscriminately with their Auto weapons. In the meanwhile, one of the Fidayeens had thrown a grenade at the main gate morcha resulting in injuries to Late Ct/GD H.K. Mani, but Ct/GD H.K.Mani inspite of being injured did not lose his courage and killed one of the terrorists who was around 2 meters from him when he took-up position and fired with his weapon. The Fidayeen militants could not get a chance to enter into the premises of AIR/Doordarshanm Kendra as Late Ct/GD H.K. Mani had timely alerted the camp personnel by shouting Fidayeen-Fidayeen and gallantly retaliated by firing on them. Since the militants could not enter the premises the militants detonated the Ambassador car loaded with RDX and exploded it at the main gate damaging the Morcha of main gate alongwith front side of AIR building and Late Ct/GD H,K. Mani was also killed due to the blast and injuries sustained from the fire of the Fidayeen terrorists. As per postmortem report conducted by Dr. Suhail Nazki of Police Control room Srinagar, the cause of his death was gun shot injury. The second terrorist was killed by HC/GD (now SI/GD) Sah Mohammad &

the third terrorist who was running to the right side of Residency road ran into a patrol of BSF and hence he exploded a grenade blowing himself and killing a BSF soldier as well.

No. 891141443 late Ct/GD H.K. Mani made the supreme sacrifice for the noble cause and saved many precious lives of his Coy personnel and staff of AIR/Doordarshan Kendra besides protecting the Govt. property while gallantly fighting the Fidayeens. He has set a true example of a sincere, motivated and dedicated soldier and has become a shining example of outstanding bravery and devotion to duty for all Ranks and file in the organization.

In this encounter (Late) Shri Hare Krishna Mani, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26th April, 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 34-Pres/2007- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Prabhu Swamy, (Posthumous)
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On dated 23.12.2003 at 1100 hrs 6 Sections of E/69 Bn with SOG, Pulwama (J&K) laid cordon in village Drubgaon 12 Km. Away from 69 Bn HQ. In the process of cordon and search of suspected houses, the terrorist hiding inside started indiscriminate firing and lobbed grenades on our party. The troops retaliated and efforts were made to make the terrorist surrender. The terrorist ignored and tried to escape by firing. In the process the party of E/69 Bn fired with Rocket launcher at the building where militants were hiding and consequently the building where militants were hiding and consequently the building caught fire. No. 943300859 Ct/GD Prabhu Swamy who had positioned himself on the rear side saw the terrorist escaping taking defence of the boundary wall. The Ct braved the situation immediately shifted his position and fired at the fleeing militant. The militant got bullet injury and was compelled to rush back inside the building, but from inside

militant fired a burst at the Ct/GD Prabhu Swamy. Two bullets hit (One each in the Chest & Abdomen) Ct Prabhu Swamy who succumbed to the bullets injury later. Ct/GD Prabhu Swamy displayed a rare act of courage and sense of duty withoutcaring for the personal safety to prevent from escaping and to eliminate the terrorist. Later the terrorist was killed inside the house and identified as Mohd. Rafiq aged 25 years S/o Mohd Safiq resident of village Sangarwani Distt. Pulwama belongs to J.e.M Group. One A.K-56 rifle, Magazines-5 and 77 live rounds were recovered from the slain militant which handed over to the civil police.

The achievement of eliminating the terrorist owes to the presence of mind and spirited courage shown by the deceased No. 943300859 Ct/GD Prabhu Swamy who single handedly challenged the escaping terrorist, injured him by firing and prevented him to escape.

In this encounter (Late) Shri Prabhu Swamy, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23rd December, 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 35–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Md. Hyder,
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 15-04-05 the entire 5A unit was camping at Narsipatnam of Vizag district. The Supdt. of Police Vizag rural received information that one Home Guard was killed by the Maoists on 15-04-05 branding him as a police informant. SP Vizag rural immediately called 5A A/Unit of Greyhounds, consisting of 21 members and briefed them about the operational plan charted by him. As per the plan the 21 members of 5A assault unit of Greyhounds under the leadership of Dy. Assault Commander Sri K. Subramanyam got dropped at Kanugula on 16-4-05 at 2130 hrs. After getting dropped, the party walked 8 kms in high hilly contours of 1300/1400 mtrs height towards Rollagadda village and halted for the night. The next day morning i.e. 17-4-05 the party walked another 7 kms to Gunukurai village. From there they moved towards a water point to collect water. At about 1730 hrs while collecting water the nominee Sri Md. Hyder, SC 2185 observed some shining metal

300 yards away from the water point. The nominee confirmed the presence of a group of armed Maoists in olive green dress with the help of Binocular. The same message was communicated to the party incharge.

The party incharge discussed the information and prepared an action plan on the spot for neutralizing the Maoists group. The operation was to be done in a very hostile terrain in the thick forest in the hills, which is a strong hold of the Maoists. The enemy was on high ground of the police party was at the base of the hillock. The party leader divided the group into 3 sub groups. The Main Assault Group was headed by the AAC Kiran Kumar and the nominee was also in this group, which was moving from the back side of the hill of dalams halting place. The second group was headed by the leader and third group was headed by another AAC P. Prabhakar Rao to cover all escape routes.

With great difficulty in tying condition, the police team covered the dalam's camp area from all directions, climbing uphill to launch an attack on Maoists squad who were camping there taking all precautions such as posting sentries etc. The team leader AAC again divided his group into two sub-groups one lead by himself and other led by nominee Md. Hyder, SC 2185. The team was determined to confront the Maoists, unmindful of the risk to their lives, exhibiting courage and rare devotion to duty. When the team led by nominee as approaching the camp of the Maoists the sentry opened fire on police party and alerted his group. The entire Maoists dalam started firing at once. The nominee retaliated the fire simultaneously in the direction. The Nominee rushed forward with his team members and in the fire two Maoists including the dalam commander by name Ramana and Dy. Dalam commander V. Shalu died. The nominee saw 2 women escaping from the scene, chased them and warned them to surrender. But they opened fire on the police party. Therefore the nominee also opened fire in which both the women extremists were killed.

This fierce fighting lasted more than 50 minutes and resulted in killing of 4 dreaded Maoists (1 male + 3 female) including the Korukonda dalam Commander Ramana. He was an expert in handling explosive, planting and operating land mine and claymore mines. After the firing stopped when the police party searched the area, they found four (Male) dead bodies of Maoists which were identified as 1) Alam Srinu @ Ramana, Dalam Commander, 2) V.Shalu, @ Chilakamma, (Female) Dy. Dala Commander, 3) K. Malleswari @ Shanti, (Female) dalam member and 4) Kannangi Nookalamma @ Nirmala, (Female) dalam member. The police party seized .303 rifles – 2, DBBL -1, Tapancha – 1, Grenades – 15, claymore mine -1, Discharger cup – 1, large quantity of Ammunition and Maoist party literature.

In this encounter Shri Md. Hyder, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 17th April, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 36–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **K.N.S.V. Prasad,**
   Sub Inspector
2. **M. Mallesh,**
   Junior Commando
3. **O. Shiva Charan,**
   Junior Commando

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 13-07-2005 information was received that a group of nearly 30 to 40 Maoist extremists were conducting a camp in the deep jungle of Vishakapatnam rural area of Andhra Pradesh. The nominee-1 alongwith Greyhounds unit S2-C including the nominees 2 & 3 was sent for apprehending the armed Maoists. On 15-07-2005 at about 10.40 hours, when the Greyhounds assault unit was moving towards Kantavaram from Puttakota, the party was fired upon by extremists suddenly. The police party warned extremists to stop fire and surrender. But the Maoists continued firing. Meanwhile the party incharge divided the police party into three groups to cover the enemy from three sides. One group consisting of the above three nominees without any thought for personal safety made a flanking attack. Seeing this, the extremists tried to retreat towards the forest. The nominees 1 to 3 chased the extremists for half a kilometer and reached the main camp. At this time, extremists blasted 6 claymoremines which just missed the nominees. The nominees 1 to 3 continued chasing unmindful of the serious threat to their lives and continued fire. As a result of their valiant and sustained efforts a District Committee Member of CPI(Maoist) M.Ramanjaneyulu @ Ramana @ Kailasam, Gunipalli(v), Ananthapur district, heading Galikonda Agricultural Team was killed. After seize fire, the police party advanced the area and recovered one .303 rifle and one Tapancha with ammunition, 22 rounds of 9MM, two country made grenades, 37 detonators, one claymore mine, two Kenwood manpacks, blasting material, party literature, an amount of Rs.7,670/- and other articles from the scene. This is a subject matter of

Cr.No.7/2005 u/s 147, 148, 307 r/w 149 IPC, Sec.25 & 27 IA Act, Sec.4&5 of ES Act and 174 Cr.P.C. of Mampa Police Station.

In this encounter S/Shri K.N.S.V. Prasad, SI, M.Mallesh, Junior Commando and O. Shiva Charan, Junior Commando displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 15th July, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 37 –Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri K. Ravi,
Assistant Assault Commander/ Reserve Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 20-02-2005, Shri K. Ravi, Assistant Assault Commander, RSI as a team leader participated in a fierce encounter and attacked the military camp in the deep forest of AOB area, near Kodigudlagundi(V), under Kalimella PS limits of Malkangiri Sub-Division of Orissa State. Sri K.Ravi and I/c of S-7B A/Unit led the Assault Unit together with (5) members of Orissa State Special party police for conducting the joint operation. The entire party left for operation on 19-2-2005 at about 0700 hrs. They got dropped near Sileru Power Project at about 2030 hrs and walked the whole night for 25 kms up to 0330 hrs and halted near a convenient and tactically dominant place and took rest for 1 1/2 hr. Shri K. Ravi, Assistant Assault Commander, RSI started early next day i.e., 20-02-2005 at 0500 hrs and again walked for about 9 kms from the place of rest. At about 0900hrs Shri K. Ravi, Assistant Assault Commander, RSI with his team reached the Kodigudlagundi village and observed the surrounding areas of the village. After some time when no suspicious movement was observed, the nominee with his team cordoned the village and interrogated some villagers. On interrogation, it was revealed by one of the villager that there is a military camp nearby the village. Immediately, Shri K. Ravi, Assistant Assault Commander, RSI without wasting the time, divided the whole team in to two and proceeded towards the direction of the Military Camp as shown by the villager. On reaching the particular place, on the Hillock, it was observed that there was no such symptoms of the Military Camp. The whole party again move a distance ahead and observed the surrounding area from the Hill top through Day binoculars. At

about 10.30 hrs the nominee noticed a Tent at the foot hill which was slightly visible and also observed some sort of sound. Immediately, Sri K. Ravi, AAC planned a tactical operation by keeping in view terrain and divided the whole party into three flanks and moved tactically by leading himself towards the enemy Camp by taking all pre-cautionary measures. The first flank was headed by the nominee and 4 others in the unit. The second flank consisted of AAC B. Somaiah and 12 others of the Unit. The third flank consisted of SC-1309 and others. The two flanks were made as cut-off party in order to prevent the enemy from escaping. After confirming from the cut-off party that they have fully covered the escaping routes, Shri K. Ravi, Assistant Assault Commander, RSI with his party reached near the enemy and warned them to surrender. But the extremists opened fire on police party. Hence, on signal of Shri K. Ravi, Assistant Assault Commander, RSI the party crawled forward up to a distance of 5 yards towards the enemy's tent taking a grave risk. At that instance, JC-1885 lobbed two grenades and immediately Shri K. Ravi, Assistant Assault Commander, RSI opened indiscriminate burst fire on the enemy tent and killed two extremists on the spot. Meanwhile the extremists blasted two claymore mines and opened burst fire from the right side of Shri K. Ravi. Even though there was risk to the life of Shri K. Ravi, Assistant Assault Commander, RSI retaliated the enemies punching fire and immediately advanced towards escaping extremists and chased them for about 1 Km and when the two extremists dropped their weapons and raised hands & Shri K. Ravi, Assistant Assault Commander, RSI immediately arrested them.The slained extremists were identified as: 1. D. Yugandhar, Area Committee Secretary, 2. Yerimi , Member from Military Platoons of Orissa State. The surrendered extremists are 1) Jalandhar and 2) Kukhiya. The following arms, ammunition and other articles were recovered from the scene.-

SLR-1,.303 Rifle – 2,SBBL -1,Tapanchas – 2,Grenades – 6,Kitbags 13,Honda Generator – 1, Xerox machine – 1, Sewing machines – 3, Iron Box – 1, Olive green Cloth bundles – 10, Chairs – 3 and Bullock Cart full ration.

In this encounter Shri K. Ravi, Assistant Assault Commander/ Reserve Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20th February, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 38 –Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **K. Kistaiah,**
   Inspector
2. **B. Srinivasa Rao,**
   Junior Commando

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 24.07.2005 Shri K. Kistaiah and his team received specific information through his own source that the Rachakonda Dalam is camping on the hillock of Yelliah Gutta near Toombai Thanda, Samsthan Narayanpur PS limits, Nalgonda District. Immediately Shri K. Kistaiah informed the same to the Commissioner of Police, Cyberabad who in turn alerted Nalgonda Police and Greyhounds. The Commissioner of Police, Cyberabad deputed Greyhounds Unit to Shri K. Kistaiah for operation. Shri K. Kistaiah contacted Superintendent of Police, Nalgonda who in turn, sent one Unit of Greyhounds towards the base of the hillock. S/Shri K. Kistaiah and B. Srinivasa Rao, Constable and their teams led by the informant of Shri Kistaiah left at 9 PM on 24.07.2005 to Yelliahgutta, Samsthan Naryanapur. S/Shri K. Kistaiah and B. Srinivasa Rao, Constable and their team having passed all hurdles of hillocks, rocky areas, mud stained road in the heavy rain risking their own life travelled more than 20 kms by walk and reached the base point of Yelliahgutta on 25.07.2005 at 5 a.m. Shri Kistaiah briefed the other party led by Shri B. Srinivasa Rao who reached from Nalgonda and then he led the team to the hillock where the Maoists are camping. Now. S/Shri K. Kistaiah and B. Srinivasa Rao, Constable had to reach 600 meters height from the base of hillock. The 600 meters distance height is densely covered by huge rocks, bushes and stones and it is practically very difficult to reach the camp. Further, any sort of sight by extremists will definitely risk the lives of S/Shri K. Kistaiah and B. Srinivasa Rao, Constable and entire team as the team is in the base of hillock while the extremists are on the top of the hillocks and they had every advantage to attack the police personnel. Shri Kistaiah motivated the entire team and briefed every member of the team on the steps to be taken to meet any eventuality. Then Shri Kistaiah led a team for assault on camp of Maoists and on seeing the police party the Maoists started indiscriminate firing on both the parties led by Shri Kistaiash and Shri B. Srinivasa Rao and started fleeing. Shri Kistaiah and the team with courage went forward for apprehending by warning them but their warnings were paid deaf ear by the Maoists. As there is no other alternative , Shri Kistaiah and team

had to retaliate and in the exchange of fire on Smt Manga @ Premlatha, Lady Dalam Member who is wife of Dist Committee Member G. Chandraiah died on the spot. While escaping the DCM G Chandraiah and Smt. Talari Majula @ Shyamala died in the hands of cut of party lead by Shri B. Srinivasa Rao who were alerted at the base camp in exchange of fire. In the Incident the weapons, literature etc. were recovered from the spot. Shri K Kistaiah , Inspector of Police, ANS Team, Cyberabad played very vital role in developing his own source of information, tracking the movements of the Dalam and disseminating the information to superior officers, Nalgonda Police and coordinated the entire operation successfully risking his own life from the Maoists bullets. Thus, the bravery, determination, courage and spirit of adventure exhibited by the nominee brought laurels to the Department and a sign of relief to the villagers, business community and politicians who returned to their village for leading their normal life which was highly commended by one and all.

Shri B.Srinivasa Rao, led the second party, which is the main assault party, while facing grave risk to his life from the Maoists' bullets. He with initiative and courage, went forward by order his group men for starting fire. Due to his timely decision and the leadership displayed by him, in the said exchange of fire, two hard core extremists 1) G. Chandraiah @ Venkanna @ Raju, District Committee Member and rachakonda Area Committee Secretary and 2) V. Prema Latha @ Manga, Dalam Member of Rachakonda LGS were killed and one SLR, one .303 rifle and one Manpack were seized from that area. Shri B. Srinivasa Rao, of Grey Hounds led from the front exhibiting conspicuous gallantry, great determination and courage even while facing grave risk to his from the Maoists bullets.

In this encounter S/Shri K. Kistaiah, Inspector and B. Srinivasa Rao, Junior Commando displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 25th July, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 39–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **P. Balaji Varaprasad,**
   Reserve Sub Inspector
2. **K. Ramaiah,**
   Armed Reserve Police Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 18.03.2005, Dr T. Prabhakar Rao, SP who deals exclusively with collection of intelligence and organizing anti-extremist operations, received specific information about top cadres of North Telangana Special Zonal Committee and Warangal-Khammam district committee holding a secret meeting near Chakalimadugu situated in thick forest in between Andugulameedi and Ramakrishnapur villages falling under the limits of Venkatapur police station limits and were planning to commit a sensational incident in the district. Dr T. Prabhakar Rao met the S.P.Warangal and apprised him about the information. SP Warangal, and Dr T. Prabhakar Rao, analyzed the information thread bare and prepared a meticulous operational plan. The S.P.Warangal pooled up the available district guards for organizing a raid on the camp.

Dr T. Prabhakar Rao, SP, S/Shri P. Balaji Varaprasad, RSI and K. Ramaiah, ARPC left the district headquarters on 19.03.2005 early hours (0100hrs), with two units of district guards and got dropped on the fringes of the reserve forest near Ramakrishnapur village. As all the tracks traversing through the forest were suspected to be heavily mined, Dr T. Prabhakar Rao, SP, S/Shri P. Balaji Varaprasad, RSI and K. Ramaiah, ARPC along with the party started moving cross country on foot following field tactics meticulously. The parties trekked through thick forest and at the day break reached suspected camping place of extremists and found it just vacated. Dr T. Prabhakar Rao, SP, S/Shri P. Balaji Varaprasad, RSI and K. Ramaiah, ARPC with utmost perseverance and high motivation, led the party and pursued the likely track of the extremists. At about 0700 hours, the Shri K. Ramaiah who was acting as a scout scanned the forest through binoculars, noticed at a distance one person concealing himself behind the cover of tree branches. Shri K. Ramaiah immediately conveyed his observation to Dr. T. Prabhakar Rao who signaled the party to halt and personally scanned the suspected area through binoculars and confirmed the person sitting on the tree as sentry. Dr T. Prabhakar Rao, SP, S/Shri P. Balaji Varaprasad, RSI and K. Ramaiah, ARPC divided the entire party in to two assault parties each of 5 members and one cut off party with 16 members. Dr. T. Prabhakar Rao, was in the first assault group and S/Shri P. Balaji Varaprasad and K.

Ramaiah were in the second assault group. After the cut off party led by Addl.SP operations took its position on possible escape route, Dr. T. Prabhakar Rao gave signal for advancement of the assault parties. As the assault parties approached the camp of extremists by crawling, the sentry who noticed the advancing police party alerted the extremists in the camp by shouting "police" and simultaneously opened rapid fire on the police party. The extremists numbering about 20 who were in an advantageous location immediately opened indiscriminate fire in all directions with automatic weapons and simultaneously hurled HE grenades. Dr. T. Prabhakar Rao warning the extremists to stop fire and surrender to police alerted cut off party and ordered the assault parties to advance by crawling taking the available cover towards extremist camp. As the extremists failed to yield to the repeated warnings and continued heavy firing from AK-47, SLRs, and other auto weapons with intention kill the police, Dr. T. Prabhakar Rao ordered the party to reply fire of extremists in self defense and also alerted the cut off party to seal the escape route. Dr T. Prabhakar Rao and Shri K. Ramaiah wearing bullet proof jackets unmindful of grave risk to their lives replying fire of extremists, advanced close to the camp site. Some of the extremists taking cover of the big trees and boulders managed to escape by blasting claymore mines , while the other cadre engaged police by incessant fire from the camp place. The fierce gun battle resembled a warlike situation in thick forest. Dr T. Prabhakar Rao, SP, S/Shri P. Balaji Varaprasad, RSI and K. Ramaiah, ARPC though were under intense fire from extremists and the stream of bullets were passing from a hair split distance, bravely chased the extremists and through a controlled fire neutralized the firing of extremists. The firing from extremists continued till 0745hrs. Dr T. Prabhakar Rao, SP, S/Shri P. Balaji Varaprasad, RSI and K. Ramaiah, ARPC and their party, though in small numbers, retaliated valiantly without caring for their lives. The police party subsequently searched the scene and found dead bodies of four male cadres at the camp site.

The police also seized, one AK-47 rifle, one carbine, one 8mm rifle, one revolver, one DBBL, one Tapancha with ammunition, 3 ICOM brand VHF wireless sets, 11 kit bags and cooking vessels from the scene.

In this encounter S/Shri P. Balaji Varaprasad, Reserve Sub Inspector and K. Ramaiah, Armed Reserve Police Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19th March, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 40 –Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri K. Ramulu Naik,
Assistant Assault Commander/ Reserve Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 15-01-05 the entire 2A unit of Greyhounds was camping at Prakasham district. The Supdt. of Police Prakasham received information that the Military platoon of CPI Maoists which escaped narrowly in the exchange of fire at Velagalapaya village outskirts of Ardhaveedu PS on 11-1-05 was planning to commit some sensational attack.. Therefore, he asked the unit to lay ambush at two places in the Dornala PS limits. Accordingly the I/c unit 2A unit AAC S.V. Ramana, divided the unit into two parties. Party 1 was led by AAC S.V. Ramana and Party 2 was led by AAC K. Ramulu Naik. In the second party headed by AAC Ramulu Naik, 3 SCs and 9 JCs were present. The two parties left Markapur in a lorry and RTC Bus. As per the programme 2nd party under leadership of AAC Ramulu Naik was dropped at Chintala Village outskirts moved into the jungle for 5 KM and laid Ambush at .462 in the Map 57 I/13. The party 2 AAC K. Ramulu Naik detailed 3 sentries, out of which 2 sentries were kept as OP to watch 2 tracks and one sentry kept on OP duty on a tree (height place) with man packs and Binoculars. The party was in ambush for 2 days. On third day i.e. 15-1-05 at about 12.30 hrs the sentry JC on OP duty on the tree has noticed the dalam moving on south side track in between two hillocks. The sentry immediately informed the same to the AAC Ramulu Naik, who in turn saw the dalam and confirmed. He immediately detailed 2 parties. One party under his leadership as assault party and second party as cut off under SCs Gopal, Mitya Naik. The nominee has detailed SC Rathod as an observer, whose duty was to watch the dalam movement and inform both parties from time to time. After briefing the nominee took his party and got down from hillock on North direction, proceeded forward and laid ambush on the same track, on which the dalam was moving. Similarly the SC Gopal party also went to north direction and came down followed the track (i.e. South track) on which the dalam was moving. They have noticed foot prints and followed them up to some extent and thereafter foot prints disappeared. The rear party under SC Gopal stopped and contacted hilltop OP sentry Rathod, but no reply was given. Again they contacted the nominee AAC Ramulu Naik on VHF but no reply was given. At about 13.30 hrs the nominee AAC Ramulu Naik has seen 4 dalam members carrying 2 weapons and 2 water cans going towards Mirchi

fields for water. Then the nominee AAC with 4 JCs came out from Ambush and moved towards dalam members. Meanwhile civilians saw the police party and warned dalam members. The nominee warned the extremist to surrender but they started indiscriminate firing while fleeing. Immediately nominee AAC Ramulu Naik chased the extremists and bravely went forward while opening fire. Due to his courageous and timely action 3 hardcore extremists were killed and after firing stopped, they searched the area completely and seized .303 Rifles – 1, .22 Rifle – 1, SBBL – 1, 410 Musket –1 and live rounds 28. It is due to the initiative and timely action by the nominee that such a result could be achieved. While doing so, the nominee had put his life at risk and acted with courage and determination.

The nominee Sri K. Ramulu Naik, AAC/RSI Greyhounds led from the front exhibiting conspicuous gallantry, great determination and courage even while facing grave risk to his life from the Maoists bullets. Thus the leadership, bravery, determination, courage and spirit of adventure exhibited of the nominee brought laurels to police department and raised the morale of the police as they neutralized the Maoists in their own den against all odds.

This exchange of fire gave a stunning blow to the Maoists as the exchange of fire took place at Chintala (V) outskirts of Dornala PS limits in Prakasham District, which was considered to be the stronghold of the Extremists.

In this encounter Shri K. Ramulu Naik, Assistant Assault Commander/ Reserve Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 15th January, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 41 –Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Adla Mahesh,
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 15-03-2005 the nominee secured specific information through source that the extremists of dreaded Janashakthi group are holding a secret meeting in the border of Karimnagar and Warangal districts and planning to eliminate important political leaders/targets. Immediately the nominee conveyed the information to the Superintendent of Police, Karimnagar, and took a Grey Hounds unit and started combing operations, and dense, reserve forest of Tadicherla Mandal. The nominee lead the assault party to a distance of 10 Kms, combed the area and laid ambush. At about 1710 hrs the nominee noticed the arrival of group of extremists. Immediately, the nominee chalked a contingency plan and split the police party into two groups, and surrounded the extremists. At about 1715 hrs the extremists observed the movement of police party, raised alarm and opened fire with their automatic and semi automatic fire arms indiscriminately on Police side party. The nominee, revealed identity and made an assault risking his life in fierce firing from the extremists numbering about 10 persons. The extremists hurled grenades, which exploded just few yards away from the nominee. The nominee without caring for his life and displaying extreme sense of devotion towards duty, single handedly opened fire and made assault on extremists. The fierce gun battle went for about 45 minutes and extremists were chased to a distance of 2 Kms and succeeded in hitting 3 extremists. Later both the slain extremists were identified as 1) Sirikonda Jalapathi @ Manganna, Div. Secretary of Khammam and Warangal Districts and State Committee Member, 2) Jeela Sammaiah @ Saraiah S/o Mallaiah, 30 Years, Yadava, r/o Mahabubpalli (V) of Bhupalpalli Mandal, Dy. Commander and 3) Ambala Jyothi @ Aruna @ Rajitha d/o Madanaiah, Madiga r/o Gollabuddaram (V) of Bhupalapalli Mandal, Dalam Member. In the exchange of fire three 8 mm bolt action rifles, Two revolvers, Three kit bags, Two cell phones, one camera, 40 live catridges of 8 mm rifle, 3 cartridges of revolver, four 8 mm magazines and party literature were recovered from the scene. The slain extremist Manganna, Secretary of Warangal and Khammam districts was well known as a dreaded and ruthless extremist and responsible for (80) killings including Police party and involved in as many as (150) cases pertaining to Karimnagar and Warangal district respectively. His elimination was a major set back and jolt to CPI ML Janashakthi in the State.

In this encounter Shri Adla Mahesh, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 15th March, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 42–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **P. Bhakthavatsala Reddy,**
   Assistant Assault Commander/Reserve Sub Inspector
2. **P. Mogili,**
   Junior Commando

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 29-01-2005 the S-1c Assault unit of Greyhounds consisting of AACs-2, SCs-3, JCs-22, total 27 numbers left for operation duty to Godavarikhani of Karimnagar Dist and halted in base upto 02-02-2005 for getting information. On 03-02-2005 night at 01:30 hours they received information from the Superintendent of Police, Adilabad District, that a group of CPI-ML Maoist consisting of 10 to 12 numbers were hiding near Sivaram village under Jaipur P.S Limits of Adilabad District. The Maoist had a plan to attack Jaipur Police Station. Sri P.Bakthavatsala Reddy Assistant Assault Commander, P.Mogili Junior Commando- 2147 with two other Junior Commandos conducted reccee of likely Maoist camp location. Sri P. Bakthavatsala Reddy, AAC/RSI was leading the greyhounds police party discussed the information and prepared a detailed action plan for neutralizing the Maoist group. The operation was to be done in a very hostile terrain in the thick forest, which is the strong hold of Maoist. Sri P. Bakthavatsala Reddy, AAC/RSI, P. Mogili, Junior Commando and the S-1c Assault unit were assigned to under take the operation the same night. They travelled from Godavarikhani to Manthani and dropped after 7km stone on the Manthani-Venkatapuram road around 02-30 hours. They walked for about 4km in the thick forest in dark night and reached Godavari River from Karimnagar District. They crossed the Godavari river in night without boat facility with great difficulty in trying condition courageously and entered in to Adilabad District area. After crossing the river they walked another 7km to reach the suspected zone. Sri P. Bakthavatsala Reddy, AAC/RSI divided the greyhounds party into 6 small groups on 03-02-2005 early hours and started combing the area from all directions climbing up hill to launch an attack on the 10 to 12 Maoist squad who were

camping for the night having made all preparations and having secured the area. Nevertheless the nominees lead the police team, determined not to lose the opportunity. They were determined to confront the Maoist, un-mindful of the risk to their lives, exhibiting courage and rare devotion to duty. When these police parties almost reached the Maoist location, Sri P. Mogili, Junior Commando noticed a group of armed Maoists in olive green dresses and informed to Sri P. Bakthavatsala Reddy, AAC/RSI through handset. Simultaneously the Maoists also noticed the police party and started firing with automatic weapons like AK-47, Sten gun, SLR, SBBL Etc. The police party did not have enough cover. Sri P. Bakthavatsala Reddy, AAC/RSI was in the main Assault party, was very close to the Maoists group and retaliated the Maoists fire Sri P. Bakthavatsala Reddy, AAC/RSI alerted all the groups through handset and ordered them to cover the escape routes. Sri P. Bakthavatsala Reddy, AAC/RSI rushed forward with his team members and killed two Maoists. Sri P. Mogili, Junior Commando was acting as cutoff group incharge, he too chased one Maoist and killed him. This fierce fighting lasted more than 20 minutes and resulted in the killing of 3 dreaded Maoists (3 males) of whom two were top Maoists leaders. After the cease-fire, when the police party searched the area they found three dead bodies of Maoists which were identified as (1) Bygani Srinivas @ Ranjit District Committee Secretary, Age-35 s/o, Mogilaiah goud, jadalpet (vil), chityal (M) warangal District carrying a reward of 5 lakhs on his head. (2) Kambalasammaiah @ Srikanth District Committee member age 28 years, Badraram Village, Mallaram (M), Karimnagar District. He was carrying a reward of 5 lakhs on his head. (3) Medi setty Anjaiah @ Srinu, Central Organizer of SIKASA, age 30 years, Palemguda (V), Kasipet (M), Adilabad District. He was carrying a reward of 3 lakhs on his head. Ranjit and Srikanth are the two main caders who were expert in the use of explosives and the main accused in the incident date: 13/04/1999 in which the EX-SPEAKER of A.P State Assembly SRI SRIPADA RAO, MLA of Manthani consisting was assassinated. The police party seized SLRs – 2, Sten gun – 1, SBBL rifles – 2, SLR magazines- 4, Camera – 1, Nokia Cell phones-3, SLR live roulds-35, SBBL Catridges-30, cash Rs.78,000/-, Photo album, important documents and literature, kitbags-6, Etc., at the spot. This encounter was a deadly blow to the CPI-ML Maoists group in general and the SIKASA organization of Adilabad District in particular, A District Committee secretary, District Committee member and a Central organizer were killed. This is one of the most fruitful encounters that occurred on the dense Dandkaranya Forest along Godavari River belt. Sri P. Bhakthavatsala Reddy AAC/RSI Greyhounds led from the front exhibiting conspicuous gallantry, great determination and courage even while facing graves to his life from the attacking Maoists. Sri P. Mogili Junior Commando Greyhounds also who reached the Maoist location traced them first and actively participated in exchange of fire unmindful of the grave risk to his life while chasing the fleeing Maoists who were showering the police party with a hail of bullets. Thus the leadership, bravery, determination, courage, and sense of purpose displayed by the two nominees brought laurels to Police Dept and raised the morale of the police while dealing a death blow to the morale of the Maoists.

In this encounter S/Shri P. Bhakthavatsala Reddy, Assistant Assault Commander/ Reserve Sub Inspector and P. Mogili, Junior Commando displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 3rd February, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 43–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Shaik Hussain Saheb,
Deputy Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Shri Shaik Hussain Saheb, Dy. SP SIB, received intelligence input on 30.06.2005, about the CPI (ML) Janasakthi (Rajanna fraction) Maneru dalam along with its top leaders are going to conduct a meeting in a mango garden situated at the out skirts of Mohinikunta (V) about the future course of armed struggle in the Telangana Region. Sri. Shaik Hussain Saheb, Dy. SP SIB, immediately reported to his superior officers and on their instructions, devised a plan with two District special parties for neutralising Janasakthi extremists. The two district special parties divided into 3 groups assault, cut off and outer cordon. Each group was led by an officer and Sri. Sk. Hussain Saheb, Dy. SP SIB, was overall incharge and specially headed the assault Group. Briefing was given to these 3 groups by the nominee in the AR Head Quarter, Karimnagar at 2000 hrs. Shri Shaik Hussain Saheb, Dy. SP SIB, led all the groups and reached the outskirts of Mohinikunta (v) at about 0030 hrs on 01.07.2005. After reaching the Mango garden, SK. Hussain Saheb, Dy. SP deputed the outer cordon and cut off groups in the North and East directions of the shelter of extremists by avoiding cross fire. The Assault group led by Sri. SK. Hussain Saheb, Dy. SP entered into mango garden at about 0130 hrs and started searching the garden near the shed from two directions, heard the noise of extremists' discussions, immediately took position and slowly advanced by taking all precautions. About 10 – 12 suspected extremists were found at the shed. While the assault group led by Sri. Sk. Hussain Saheb, Dy. SP SIB, was 30 yards away from the shed, one suspected extremist noticed them and warned by saying "Are Evarura ?" (Who are you?'). On that the nominee disclosed the identity that they were police. On that the suspected extremist immediately opened fire at the police party. At the same time other extremists are taken position and started firing indiscriminately at them. Again the nominee disclosed the identity and warned them to surrender by dropping fire arms.

But the extremists didn't care their warnings and continued to fire at them with an intention to kill. The bullets and grenades splinters were almost passing through the nominees at a hair split distance. Firing lasted for about 20 minutes and some extremists escaped into the bushes by making advantage of darkness. Sri. SK. Hussain Saheb, Dy. SP, advanced and chased the fleeing extremists in a distance when one of the extremists threw hand grenades targeting them, but the nominees with bravery and courage advanced and fired at extremists. After some time the nominee along with assault party slowly advanced to the shed by crawling and taking all precautions and searched the area and found 4 male dead bodies with bullet injuries. One 9 mm Pistol, one Spring field Rifle, two 8 mm Rifles, one DBBL Gun, live and empty ammunition, kit bags, literature and other eatables were found at the scene. The extremists, who died in this exchange of fire were identified as Venkateswarlu @ Riaz, age. 35 years, r/o Kavali, Nellore district, State Committee Member, i/c Nallamala Special Regional Committee of CPI (ML) Janasakthi (Rajanna fraction). Regula Srisailam @ Srinu @ Vijay @ Guttanna, r/o Muthcherla, Gambiraopet (M), Karimnagar, DCS, Karimnagar. Kummari Suresh @ Goutham, 21 years, r/o Chittapur, Dubbaka, Medak, courier to State Committee Member. Peddi Yadagiri s/o Narasiah, 28 years, r/o Kadavendi, Devaruppala, Warangal district, Technical Field and Den keeper were died in an EOF at Mohinikunta of Sirisilla, Karimnagar district (Cr. No. 41/05 of PS Mustabad).

The deceased were dreaded extremists and were responsible for a number of violent incidents in North Telangana districts of Karimnagar, Khammam, Warangal, Adilabad and Nizamabad and with their death Janashakthi Group suffered a deadly blow. Sri. Shaik Hussain Saheb, Dy. SP, played a leading role not only collection of intelligence but also planning, organising and giving able leadership to forces in exchange of fire with extremists. He exhibited exemplary bravery and faced the fierce firing of the extremists with devotion to duty, determination and courage, unmindful of the grave risk to their lives thereby causing irreparable damage to CPI (ML) Janashakthi Group in North Telangana.

In this encounter Shri Shaik Hussain Saheb, Deputy Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 1st July, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 44 –Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Arunachal Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Mandeep Mishra,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 25th August'2005 during **OP RED ROSE** in Paglam the Police-Army party led by Shri Bhola Shanker, IPS, SP Roing & LT. CoL. Karan Singh,2 I/C, 5 Madras spotted some suspects near Bango. Shri Bhola Shanker moved forward and challenged them. Constable Mandeep Mishra was accompanying SP Roing in capacity of his Personal Security Officer (PSO). When SP Roing was fired upon by ULFA (United Liberation Front of Asom) militants, Const. Mandeep Mishra promptly pushed him on ground and fired back on militants. However Shri Bhola Shanker escaped narrowly with grazing injuries in Arms. His PSO Const. Mandeep Mishra received multiple bullet injuries in stomach and arms and started bleeding profusely. He continued his fight against militants despite being incapacitated by severe injuries and extreme pain. When militants escaped under the cover of civilians; Shri Bhola Shanker launched a search operation. Next day another operation along with Army under Captain Virendra Singh had an encounter with same militants group in Doimukh area, where Shri Ritu Borah, area Commander of ULFA was killed and Naik Chandra Shekhar of 5 Madras was killed.

In this encounter Shri Mandeep Mishra, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 25th August, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 45 –Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Assam Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Swapnaneel Deka,**
   Additional Superintendent of Police
2. **Rohit Dutta,**
   Sub Inspector
3. **Khagen Borgohain,**
   Havildar
4. **Dharmendra Sonowal,**
   Constable
5. **Kuladhar Borah,**
   Constable
6. **Sarat Gogoi,**
   Constable
7. **Manoj Hazarika,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 22-06-2005, based on a secret information from a very reliable source that the members of banned ULFA organization are camping at Pobha Reserved forest under Jonai P.S to collect the demanded ransom money from the source, Shri Mridulananda Sarma, APS, Suptd. of Police, Dhemaji directed Shri Swapnaneel Deka, APS, Addl S.P (HQ), Dhemaji to chalk out a plan to nab the extremists. Two teams were formed for conducting the said operation. One team was led by the Addl S.P. (HQr), Shri Swapnaneel Deka, with S.I. Rohit Dutta, Officer-in-Charge, Jonai P.S., Hav. Khagen Borgohain, Armed Constable Dharmendra Sonowal, ABC/Sarat Gogoi, ABC/Kuladhar Borah and ABC/Manoj Hazarika along with the source went in a Maruti Van belonging to the source in Camouflage risking their lives to the place where extremist were hiding. Another team led by Inspector Sidheswar Gogoi, C.I. Jonai with 5 Comando Bn personnel were put in the route to Leku Jhelam as stop party so that in case of any emergency they can be used as re-enforcement. On arrival of the main striking party at Leku Jhelam Village at 4.15 P.M. the source was asked to get down from the vehicle to lure the extremist as per plan. Seeing the source, the extremists came near the vehicle to collect the ransom money from the source. Immediately, the police party came out of the vehicle and challenged the extremist. Surprised the extremists started running towards the jungle by lobbing a hand grenade

with a view to kill Addl. S.P. and his party but the grenade did not explode. The extremists also fired four rounds from .32 revolver towards the police party. The effective command of Addl S.P. Shri Deka encouraged the police party and they retaliated effectively. The firing continued for about 10 minutes. As a result two extremists got killed on the spot namely :-

(i) S/S CPL. Sorbeswar Kardong @ Abinash Kardong, S/O Phukan Ch. Kardong of village Botuamukh, P. S-Dhemaji.
(ii) S/S SGT Major Bishnu Prasad Regon @ Seniram Taye, S/O Shri Baneswar Taye of village Somoni Misinggaon, PS- Demow, Dist- Sivasagar.

Subsequently, during search operation of the P.O., the following arms and ammunitions including documents were recovered from the P.O.

(i) .32 Revolver (Factory made).
(ii) One hand grenade.
(iii) One Detonator.
(iv) One piece of cordex (about six inch)
(v) Some extortion notes addressed to some Govt. official/businessmen of Jonai area.
(vi) Some medicines.
(vii) Pocket Diaries belonging to the militants.
(viii) One currency note of the Govt. of Mynmar of Rs. 50 denomination.

In this encounter S/Shri Swapnaneel Deka, Additional Superintendent of Police, Rohit Dutta, Sub Inspector, Khagen Borgohain, Havildar, Dharmendra Sonowal, Constable, Kuladhar Borah, Constable, Sarat Gogoi, Constable and Manoj Hazarika, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22nd June, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 46–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Chhatisgarh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Siva Rama Prasad Kalluri,
Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded:

An information about naxalite movement near the villages of Silaju and Ucherwa was received by the Police. A large contingent of Police Force led by S.P. Balrampur Shri Siva Rama Prasad Kalluri and Addl. S.P. Shri Narayan Singh Kanwar proceeded towards the above mentioned villages on motorcycles. On their way near a village called Kanakpur a suspicious civilian motorcycle was stopped by Shri S.R.P. Kalluri and was checked by his team. One naxalite Ritesh Gupta was found sitting on that motorcycle who was immediately detained and a thorough check of him and his vehicle was conducted. Police recovered two loaded weapons and around Rs.10,000/- cash from the above search. Naxalite Ritesh Gupta was then taken to P.S. Ramchanderpur. On interrogation Ritesh Gupta revealed that a meeting of naxalites was to take place that day at the village Inderpur Khori. An action plan was prepared under the direction of Supdt. of Police. Three Police parties were formed. First party was headed by Supdt. of Police Shri Siva Rama Prasad Kalluri himself. Second Party was headed by Addl. S.P. Shri N.S. Kanwar. Third party was headed by S.H.O. P.S. Balrampur Shri Ajitesh Singh. All the three Parties proceeded towards Inderpur Khori from three different directions. All the parties on reaching their destinations confirmed their positions by their wireless sets. As per the action plan all the three police parties tightened the cordon. On seeing the police parties Naxal Sentry fired a few rounds to alert the Naxalite groups. Naxalites were divided into three groups and they started firing indiscriminately with the motive to kill policemen and loot their arms. Then Supdt. of Police warned Naxalites that they have been surrounded from all sides and as such they should throw their arms and surrender before the police. Naxalites paid no heed to the warnings of the police and continued firing heavily while proceeding stealthily towards the police. Seeing the grave situation Supdt. of Police instructed all the police parties through the wireless to open fire as a gesture of self defense. Suptd. of Police himself stood up, opened fire and marched forward to encourage his party members and to boost the morale of the other parties. All the three police parties under the leadership of their respective leaders marched forward bravely. The leaders were encouraging and boosting the morale of fellow policemen. The encounter between police and naxalites lasted for

about four hours which resulted in the death of an armed uniformed naxalite named Raman Kodaku. The remaining naxalites most of whom were injured fled taking advantage of hilly forest track, darkness and the presence of villagers near that area. Police made a huge recovery of arms, ammunition, grenades, tiffin bombs, detonators, wireless set, China made binoculars, naxalite uniforms and pittus and most importantly no civilian or policeman was injured. During this encounter, thus Shri S.R.P. Kalluri exhibited bravery of the highest order putting his own person in grave danger.

a) S.R.P. Kalluri himself apprehended an armed naxalite Ritesh Gupta who was having two fully loaded guns. Viz. 0.38 revolver and 315 double barrel gun.
b) Of the three parties, the party led by Shri S.R.P. Kalluri comprised only nine policemen and the route which he took was most sensitive and ambush prone. It was on this route that on 8th January 2005, naxalites laid an ambush and killed 3 policemen including a Sub-Inspector Mr. Belsajar Tirky and two constables. The scheme of the operation was such that the S.P. and his team would go on this dangerous road and warn the naxalites to surrender and if the naxalites start firing or running helter-skater the other two parties would surround them from their respective positions.
c) Kept himself cool and clam enough to give appropriate instructions often with loud voice and some times on wireless to the members of his team.
d) Led his group valiantly in the midst of heavy firing and at the same time ensuring the safety through suitable covers and there by forced naxalites to run away leaving behind everything they carried.
e) Planned and conducted the operation so scrupulously that none of the civilians who were roaming around the scene of encounter were injured.

Showed not only conspicuous courage, bravery of the highest order but also exemplary leadership during the encounter in which not a single policeman was injured and there by brought the whole operation to a roaring success.

In this encounter Shri Siva Rama Prasad Kalluri, Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 4th April, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 47 –Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Haryana Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Arun Singh,**
   Deputy Superintendent of Police
2. **Jaivir Singh,**
   Exemptee Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 12.05.2005 police party headed by Shri Arun Singh, Dy.S.P., Jhajjar along with Inspector Pratap Singh, CIA, Bahadurgarh, SI Anup singh, ASI Chander Gupt, ASI Sant Ram & other ORs had gone to Narela in connection with investigation of case FIR No.83/2005 u/s 392 IPC, PS Bahadurgarh in which, a most wanted criminal, who had created terror in the States of Delhi and Haryana namely Yudhveer S/o Ishwar singh, r/o Village Farmana was to be arrested alongwith his co-accused Gopal s/o Pratap Singh r/o Halalpur. Another accused Narender s/o Om Prakash r/o Gangana who was already arrested in this case was also taken by the raiding party for identification of Yudhveer and Gopal. When the police party reached near Jhanda Chowk, Narela, accused Narender s/o Om Prakash who was with the police party indicated towards two persons who were standing near a car and told that they were Yudhveer and Gopal, both of them started firing at the police party. The police party also fired in their self-defence, however Yudhveer and Gopal fled away in their Maruti Esteem Car towards Bahadurgarh. The police party started chasing the car. While Yudhveer and Gopal were running towards Bahadurgarh, the police party flashed message to the nearby police posts of various districts of Haryana and also to Delhi Police through police control room, Jhajjar. When the police party reached the area of Bahadurgarh, one more police being headed by Shri Kaptan Singh I/c P.P. Jhajjar also joined the operation. Superintendent of Police, Jhajjar, also joined the raiding party by that time. When the police party was chasing the suspects reached the area of village Sidhipur the Gypsy of Shri Arun Singh, Dy.S.P. tried to over take the car of the accused when the police Gypsy reached the side of the car, Yudhveer and Gopal stopped their car and fired at Shri Arun Singh, DSP who saved himself by ducking under the window. One shot fired by suspects hit the window of the Gypsy of Shri Arun Singh, DSP, Accused Yudhveer got out of the car and started running towards the field while firing at the police party. DSP Arun Singh and the police party with him also returned the fire. Yudhveer fell down in the field, whereas Gopal ran away in the car. Yudhveer was overpowered/apprehended. He was injured and was having one country made pistol of 12 bore. Upon his personal search, six live

cartridges of 12 bore were recovered from the pocket of his pant and one live cartridge of 315 bore, one country made pistol 315 bore was also recovered from his possession. The 0.12 bore pistol contained one empty cartridge whereas the 0.315 bore pistol contained one live cartridge which was found loaded in its chamber. During this operation EHC Jaivir had sustained injuries. After some time Yudhveer succumbed to his injuries and was declared brought dead in the Hospital.

It may be recalled there that Yudhveer was facing trial in various courts at Sonepat and Delhi. He was the most dreaded criminal and his area of operation was not in Haryana only, but he used to commit heinous crime such as extortion, kidnapping for ransom, dacoity, murder and attempt to murder in Delhi also. As per subsequent investigation it was revealed that he was extorting money from more than 50 person on a regular basis. In one case of attempt to murder, he was sentenced to under-go rigirous imprisonment for 7 years by the Addl. Distt. & Sessin Judge, Sonipat. He was released on parole from the jail for 2 months on 22.03.2004, but he never returned. It is pertinent that Yudhveer was involved in many criminal cases and murder cases.

From the above facts, it is amply clear that Shri Arun Nehra, DSP and EHC Jaivir Singh No. 244/JJR had put their life in danger while nabbing the most dreaded criminal yudhveer.

In this encounter S/Shri Arun Singh, Deputy Superintendent of Police and Jaivir Singh, Exemptee Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12th May, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 48 –Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Anand Jain,**
   Superintendent of Police
2. **S.P. Pani,**
   Superintendent of Police
3. **Abdul Hamid,**
   Sub Inspector
4. **Ashok Kumar,**
   Head Constable
5. **Shabir Ahmad,**
   Head Constable
6. **Anil Dutt,**
   Selection Grade Constable
7. **Shub Karan,**
   Constable
8. **Bashir Ahmad,**
   Selection Grade Constable
9. **Kul Rattan Singh,**
   Selection Grade Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 14/11/2005, at about 1505 hrs a suicide attack was made by terrorists in the heart of Srinagar city- Lal Chawk. The sucidal attackers lobbed a grenade in the business market and started indiscriminate firing towards the Palladium post of CRPF 131 Bn. During the fire fight two CRPF constables namely Gansham No. 930040446 and Dayanand Jai Singh No. 931181345 died on spot and Ct Najmul Haq and Ct Bhagwat Singh No. 031310027 of said Bn received injuries. Both the suicidal attackers then entered into two prominent hotels namely Peak View and Punjab Hotel located in the Lal Chowk area. Immediately senior officer along with QRTs reached the spot. It was a time when local confusion was prevailing about what exactly happened in the business market of Lal Chowk. It took no time to understand that a suicidal attackers had attacked. The challenge was to assess the situation, evacuate the civilians and then engage/eliminate the terrorists to complete the operation. The biggest hindrance which came in way in this operation was that like the past suicidal attacks it had neither taken place in a Govt. Establishment nor security forces camp, but was in the heart of Srinagar city in the business market place and that too in a

hotel with civilians occupying it. The idea of the terrorists doing this was planned as they wanted to get the media attention and thus prove that they can strike anywhere.

The QRTs and IGP Kashmir, DIG CKR, SSP Sgr, SP South, SP East, SDPO Kothibagh, SHO P/S Maisuma reached the spot and took a quick stock of the situation without any delay. The dead bodies of two CRPF constables were retrieved with the help of two bunker vehicles without any loss of time. The officers with QRTs tried to evacuate as many civilians as they could. In this process lot of people trapped in the initial phase of firing by the terrorists were successfully evacuated. The prime task then was to know where exactly the terrorists were hiding. Two parties headed by Sh Anand Jain SP East and Sh S P Pani-SP South were formed to trace out/ eliminate the terrorists hiding inside the hotels and evacuate the civilians who were trapped inside these hotels. A strong outer cordon was laid around the Lal Chowk. The building of Peak View hotel which is having three stories and had only one entry from the front side, SP East along with SI Ab Hamid No. 5825/NGO, HC Ashok Kumar No : 665/JKAP 5th Bn, Ct Shubkraran No. 680/JKAP 5th Bn, from back side. The strategy proved a success as they successfully put a ladder behind the building and entered in Peak View hotel had evacuated the trapped civilians from the Peak View hotel. While this process was going on, one terrorist who was hiding in Punjab hotel lobbed a hand genade on security forces that indicated that other terrorist is in Punjab hotel. Since it was getting dark and it was practically impossible to go for any kind of operation as it could endanger the lives of the civilians, the operation was suspended till first light. The cordon was strengthened and bunker vehicles were placed at all exit points of both these hotels. As the first light approached, a general announcement was made in order to evacuate the civilians trapped inside both the hotels. In the Peak View hotel the police parties had already managed the entry in the intervening night. Meanwhile one civilian came out from the hotel, who stated that there is a terrorist in hotel who had made him hostage. However, in the morning one terrorist came out from the hotel Punjab in guise of civilian, who was caught as he was moving in suspicious circumstances in the area. He was identified as Ajaz Ahmad Bhat @ Abu Sumama S/o Riyaz Ahmad Bhat R/o Mansoorabad Pakistan. The terrorist disclosed the presence of his associate in Peak View hotel who happened to be a Pak terrorist named as Abu Furkan. The party comprising of Sh. S.P. Pani South, HC Showkat Ahmad No. 2550/S, SG. Ct Bashir Ahmad No.4330/S, Sgct Kul Rattan Singh No.3191/S & Ct. Shiv Karan No. 680/JKAP 5th Bn. got ready to make final assault on the hiding terrorist. The party which was already inside and evacuated the civilians could not move from that side towards the hall of hotel which was already occupied by the terrorist. The adjoining hotel of the Peak View hotel that is New Orion was used for keeping all supply material to assist the storming party. Taking great risk, the storming party through the ladder got entry into the third floor of Peak View hotel, during which period, the hidden terrorist made indiscriminate firing from the first floor and lobbed couple of grenades. But as the party was in safe position so no injury resulted. The party in the

New Orion hotel side facing towards the Peak View hotel made some covering fire from the first floor, which facilitated the induction of storming of police party in the target building. It was decided that storming parties will be headed by Shri Anand Jain SP East and another by Shri S P Pani SP South in order to eliminate the hidden terrorist. The terrorist was in the first floor of the Peak View hotel where from two stair cases were connecting the third floor. One stair case was used by SP South and while firing and lobbing grenades came in the position in the second floor and then to the first floor and the other stair case was used by SP East and his party, as a result the terrorist got localized in the first floor. The Police party at the second floor headed by SP East blocked the entry of the terrorist for making any movement from first floor to any other floor. The hiding terrorist made indiscriminate firing on the storming party but exhibiting great courage localized the terrorist in the first floor. A civilian who was trapped by terrorist in a room in the first floor was evacuated. Many grenades were lobbed and firing was made to neutralize the terrorist. The terrorist made indiscriminate firing on both the parties. Both the parties had made good use of B.P. Sheets to cover the fire of terrorists. As a result of heavy firing the room became full of thick smoke and became reasingly difficult to know the exact position of the terrorist in that big hall. Both the storming parties stormed in the room and successfully eliminated him. This operation was conducted meticulously as there was no collateral damage during operation. There was every possible threat that wooden structure in the Hotels could have got fire but the party took utmost care and successfully completed the task. In this operation a lot of civilians who were trapped inside the Peak View Hotel were rescued for which police party took lot of risk without caring for their lives.

In this encounter S/Shri Anand Jain, Superintendent of Police, S.P. Pani, Superintendent of Police, Abdul Hamid, Sub Inspector, Ashok Kumar, Head Constable, Shabir Ahmad, Head Constable, Anil Dutt, Selection Grade Constable, Shub Karan, Constable, Bashir Ahmad, Selection Grade Constable and Kul Rattan Singh, Selection Grade Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14th November, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 49–Pres/2007- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**S.P. Pani,** **Superintendent of Police**	**1st Bar to PMG**
2.	**Joginder Singh,** **Deputy Superintendent of Police**	**PMG**
3.	**Shabir Ahmed,** **Constable**	**PMG**
4.	**Bashir Ahmed,** **Constable**	**PMG**
5.	**Gh. Rasool,** **Constable**	**PMG**
6.	**Shabir Ahmed Ganie,** **Constable**	**PMG**
7.	**Doulat Singh,** **Constable**	**PMG**
8.	**Safeer Ahmed Khan,** **Constable**	**PMG**
9.	**Zakir Hussain,** **Constable**	**PMG**
10.	**Mohd Shafi,** **Constable**	**PMG**
11.	**Ajitpal Singh,** **Constable**	**PMG**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 15.01.2005 at about 1605 hours information was received that two terrorists have sneaked into the Passport office building located inside Bakhshi Indoor Stadium Complex, Srinagar. On receiving this information Senior Officers under the command of Shri Javid Mukhdoomi, IPS, IGP Kashmir Zone, rushed to the spot. On reaching spot it was learnt that two terrorists have entered Passport complex where scores of civilians and employees of Sports and Youth Services Department including two unarmed CRPF personnel were trapped inside the Passport Office complex ;and the adjacent Sports Council building. Though it was difficult to ascertain the actual number and location of the hiding terrorists, the Inspector General of Police, Kashmir Zone Shri Javid Mukhdoomi, IPS, made an immediate assessment of the situation and quickly finalized an action plan to rescue the trapped employees and civilians and

neutralize the terrorists. In association with DIG CKR Srinagar, DIG(OPS) CRPF and SSP Srinagar, IGP Kashmir constituted Rescue parties to evacuate the trapped civilians and Employees. Despite great risk, the rescue parties proceeded towards the Youth Hostel and Sports complex and rescued all the civilians and employees and owing to darkness a unanimous decision was taken to hold the operation till next morning. Thereafter, the entire complex was cordoned off with three layer deployment of J&K Police and CRPF and six bunkers were placed at different strategic points. During the process of outer cordon two CRPF officials namely SI(GD) Anil Kumar Roy No. 961240552 of 50 Battalion CRPF and HC (GD) Nek Ram No. 850845769 of 84 Battalion CRPF who sustained bullet injuries were shifted to SMHS Hospital Srinagar for treatment. Next day, before the terrorist could escape, the Inspector General of Police, Kashmir Zone Shri Javid Mukhdoomi, immediately laid cordon and moved in Bunker. While he was trying to find the exact location of the terrorists in the building, one of the terrorists suddenly appeared on one of the window and started firing indiscriminately towards the officer. The IGP Kashmir, who had a narrow escape without getting deterred by the fears firing of the terrorists, in order to launch final assault on the terrorists, consitituted two teams, which among other comprised of Dy SP (OPS) and Constables Shabir Ahmed , Bashir Ahmed , Gh Rasool, Shabir Ahed Ganie, Doulat Singh, Safeer Ahmed Khan , Zakir Hussain Mohd Shafi & Ajit Singh without causing any civilian causality , the IGP Kashmir planned to squeeze the movement of the terrorists till they were compelled to hole up in a particular area of the Passport Office building. Thereafter, the IGP Kashmir in association with his operational party retaliated with full force and finally gunned down the terrorist. Another party under the command of Shri H.K. Lohia, IPS DIG, CKR Srinagar comprised of DIG(OPS) CRPF, SP South Srinagar, 2I/C Commandant 50 Battalion CRPF, Dt. Commandant 123 Battalion CRPF and Constable/GD H.S Chauhan No. 920750637 of 123 Bn CRPF, went in a bunker and slowly took command of ground floor and it was learnt that the terrorist had been hiding in first floor of the building. Quickly with the help of the bunker a ladder was fixed on one windows of the sports complex and a few grenades were lobbed inside the windows. Later SP South with the help of ladder went inside the room during which he came under heavy volume of terrorist firing which he effectively retaliated as a result of which the terrorist jumped out of the room in an attempt to escape but the advance party fired upon terrorist and was neutralized.

In this encounter S/Shri S.P. Pani, Superintendent of Police, Joginder Singh, Deputy Superintendent of Police, Shabir Ahmed, Constable, Bashir Ahmed, Constable, Gh. Rasool, Constable, Shabir Ahmed Ganie, Constable, Doulat Singh, Constable, Safeer Ahmed Khan, Constable Zakir Hussain, Constable, Mohd Shafi, Constable and Ajitpal Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of 1st Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 15th January, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 50 –Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Shiv Darshan Singh,**
   Senior Superintendent of Police
2. **Parshotam Singh,**
   Selection Grade Constable
3. **Mohd. Faiser,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 06.06.2005, SSP Poonch received a specific information about the presence of Abu Maviya and his two associates in a hideout near the bank of a nallah in lower Naka Manjari. Without wasting any time, SSP Poonch rushed to Mendhar and an operation was planned along with Commando Group Mendhar, NCA troops of 37 RR and CRPF. The Manpower was divided into three groups and search was started from three different directions. Two columns started searching the area from left and right banks of the nallah respectively and one column led by SSP Poonch started combing operation from hill top downwards. At around 7 A.M while search of the area was going on, the approaching columns from left and right side of nallah came under heavy fire of the terrorists. SSP Poonch immediately directed the men to take position and a fierce encounter started. The hideout was sighted which was hidden behind the retaining wall of the nallah and concealed by big boulders. Exchange of fire continued for more than three hours and the police/NCA parties started running short of ammunition. Situation demanded emergency steps. SGCt Parshotam Singh No. 143/JKAP 6th Bn. and Constable Mohd. Faiser No.1081/P, volunteered to go close to the hide out to lob grenades inside the hideout. Both the officials started crawling towards the hideout and were given covering fire by the police party which had taken cover behind the boulders and were alert to react to any situation. Both the officials lobbed grenades inside the hideout and immediately two terrorists started running out of the hideout firing huge volume of ammunition. One such terrorist which started running towards the right side of the hideout, taking cover of the

retaining wall of the nallah, was immediately killed by Shri Shiv Darshan Singh, IPS, SSP, Poonch by burst of fire. Other terrorist running towards the left side of the nallah was killed by combined fire of SPO Mohd. Shahid and SPO Rajesh Kumar. The operation resulted in killing of all the three dreaded terrorists who were later identified as Abu Maviya a self styled Divisional Commdr. Of Harkat-e-Islami (HEI), Abu Lerab (Dist. Cmdr.) and Ibrahim @ Driver. This group of terrorist had created a reign of terror and sense of insecurity among the general public of Naka Majari area which falls under the Jurisdiction of P/S Gurasi, distt. Poonch. The dreaded terrorist (Abu Maviya) was active since last four years and his involvement was found in the killing of at least 19 civilians and four army officer/Jawans in Gurasi area. His involvement also surfaced in daredevil attack on Shri S.M. Sahai, IPS then DIG Rajouri/Poonch Range on 18.12.2003 in which two of his PSOs were killed. The operation was meticulously planned and professionally conducted by the Police/ security forces under the command of Shri Shiv Darshan Singh, IPS, SP Poonch, without any collateral loss of life and property of civilians of the area.

In this encounter S/Shri Shiv Darshan Singh, Senior Superintendent of Police, Parshotam Singh, Selection Grade Constable and Mohd. Faiser, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 6th June, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 51–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Mukesh Chander,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 19.06.2005, a contingent of Commando Group Mendhar headed by SI Vinay Parihar was on routine patrolling in and around Mendhar town. Another column of Commando group led by PSI Pawan Singh was also accompanying an Army column for patrolling towards North East. At about 2115 hrs. two fidayeen in a bid to attack SDPO's Office/ Commando Group camp appeared at the main gate. They were spotted by Constable Mukesh Chander and SPOs Imtiaz Ahmed and Sunil Kumar, and asked to disclose their identity. In turn the terrorist showered burst of fire and lobbed grenades targeting these officials. As a result const. Mukesh Chander and 2 SPOs received severe injuries. Despite their injuries the officials returned the fire effectively and prevented the terrorist to intrude inside SDPO's Office/ Commando Group premises. Because of effective counter attack the fidayeens ran away towards North-East side of the town from the lane they had come. SPOs Imtiaz Ahmad and Sunil Kumar succumbed to their injuries. Meanwhile the operation was launched to neutralize the terrorists. The police party headed by PSI Pawan Singh noticed the movement of terrorists who were hiding behind the boulders. A fierce encounter took place in which one terrorist was gunned down by PSI Pawan Singh and another terrorist who tried to run away was killed by Const. Mukesh Chander, thus a major tragedy was averted.

In this encounter Shri Mukesh Chander, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19th June, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 52–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Abdul Razak Khan,**
   Additional Superintendent of Police
2. **Mohd. Aslam,**
   Assistant Sub Inspector
3. **Mansoor Ahmad,**
   Head Constable
4. **Balbir Singh,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 10/11-05-2004 at 0030 hours Police received information regarding movement/presence of terrorists at Pandech Soura, planning to carry out a suicidal attack in the Srinagar city, to create terror and kill some top politicians/ Government officials. On receipt of this information, Shri Abdul Razak Khan, Addl.SP (Ops) Srinagar alongwith his team immediately arrived at the spot and organized a cordon to apprehend the terrorists. On noticing their movement, the suspected terrorists, were challenged to halt, but they fired at the Police party with their automatic weapons and hurled grenades to cause maximum casualty of the police party. However Addl.SP Srinagar, immediately devised a strategy and advised his personnel to take position for a target oriented attack on the terrorists. An ambush was laid and the attack of terrorists was retaliated by a small compact team headed by Shri Abdul Razak Khan, Addl SP (Ops) Srinagar, assisted by ASI Mohd Aslam No.8063/NGO, HC Mansoor Ahmad NO.1061/S, Ct. Balbir Singh NO.501/9th JKAP and others. Though the terrorists had an inherent advantage of the height, the police party exhibited great velour and courage, in attacking the terrorists and succeeded to kill the terrorist Commander namely Shakeel Ahmad Bhat code Shakeel Ansar R/o Doda, and AK Rifle 01, AK Mag-04, AK rounds 64, Pouch 01 number and Chinese grnade-02 Nos. were recovered from the spot. Shakeel Ahmad Bhat code Shakeel Ansari had recently taken over as Dy.Chief Operational Commander of the dreaded militant outfit Hizbul Mujahideen and was responsible for a number of terrorist actions against the PMFs and Police

In this encounter S/Shri Abdul Razak Khan, Additional Superintendent of Police, Mohd. Aslam, Assistant Sub Inspector, Mansoor Ahmad, Head Constable and Balbir Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 10th May, 2004.

BARUN MITRA
Director

No. 53 –Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Karnataka Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **N. Srinidhi,**
   Circle Police Inspector
2. **R.M.Ajay,**
   Sub Inspector
3. **A.M.Sathisha,**
   Civil Police Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

In order to effectively curb the Naxalites activities in the Chikmagalur District, District Superintendent of Police Sri. Bijay Kumar Singh, IPS, has made 4 teams comprising 10-15 police personnel headed by Inspectors of Police under able supervision of Dy.S.P, Koppa Sub-Division. He assigned Sri. N. Srinidhi to lead the Anti-Naxalite Operations team comprising of Kudremukha Circle police personnel.

A sincere, young and courageous police officer Sri. Srinidhi took up this as a challenge and along with his staff moved day in and out of the forests and hillocks by trekking. He also organised his team with SLR .76mm firing practices after taking initiative to get 7 SLRs from district armory. He built up the team spirit by even playing frequent cricket with them. His backbreaking efforts proved fruitful on 06-02-2005.

On 05-02-2005 evening he got the information from the SP and Dy.S.P that a group of 10-15 armed Naxalites are moving around Menasinahadya and Balige villages and they may be halting in a house near those villages. The instructions given was to lay ambush in different locations at the night itself and after the observing the

movements of the Naxalites in the morning they should be captured. Accordingly, He along with R.M.Ajay, Prob.PSI and other staff left Kalasa about 11:30 PM and reached the Vigneshwara Katte near Balige around early morning 3:00 AM. He has instructed his team to capture the Naxalites and not to open fire without his instructions and not to open fire except for their own self-defense. The other teams have also taken positions at various locations and directions under the leadership of DySP Koppa at about 4-5 Kilometers from this team. At around 04:15 AM, DySP Koppa, who was on the other side of the Menasinadya village, has observed some torch light movement after one stray dog barking. He enquired with Srinidhi and other teams regarding the same. Again, DySP Koppa observed 3-4 torchlight movements and again he enquired with Srinidhi and other team. But Srinidhi and his team could not notice any movement of any torches. Srinidhi has alerted his team regarding the same. By that time, DySP Koppa observed that those torchlights are moving towards the ambush point where Srinidhi and his team were present. After some time, suddenly 8-10 torchlights one after the other in a queue appeared in the pitch dark black background of darkness and the lights were almost heading towards the ambush point. After a while, when they were almost around 200-250 yards from the ambush point, the torchlights were off and no movements were observed. The same was conveyed to DySP and sharp observation of the area was kept by Srinidhi and his team.

Meanwhile some light before the crack of dawn was appearing on the horizon was appearing amidst the thick fog. At about 6:00 AM Srinidhi and his team slowly started moving towards the place where the torchlight have switched off. Sri. Srinidhi was in the front of the team and R.M.Ajay behind him in a line formation. When they might have moved 100-150 yards towards the spot and at about 06:15 AM, suddenly, there was a firing sound and a gunshot hit the left head portion of Srinidhi. Immediately, Srinidhi has alerted the staff to take lying position and then he also took lying position. Naxalites started indiscriminate firing towards this team with Naxalite slogans. At this juncture, Sri. N. Srinidhi has shown exemplary courage to open fire and ordered his team to fire at Naxalites after got hit by them and stood there firing selflessly for the safety of his team men. While firing at Naxalites he again got hit by an AK-47 bullet fired by the Naxalite while firing for self-defense. As he was unable to fire further he handed over his weapon to Sri.R.M.Ajay, Prob.PSI and asked him to lead the team and then later he was shifted to hospital.

Naxalites were, shouting slogans and were challenging the opponents by throwing hand grenades and hand grenades exploded about 10 ft besides the team. While A.M.Satisha was fixing an extra magazine to his rifle, an AK 47 bullet hit his SLR's trigger guard. He just missed that bullet hit by a whisker. Meanwhile, A.M.Sathisha, CPC 110 got injured by the pellets in collarbone and right thigh and even he was also shifted to the hospital.

Later, Sri. R.M. Ajay, Prob. PSI, showing electrifying response to the situation, without getting perturbed, encouraged the team members and actively participated literally fighting the battle. The exchange of fire went on about 30 minutes, and they were throwing hand grenades towards the Police team. Gradually the firing reduced from both the sides and at last came to halt after 30-35 minutes. When the police party advanced after the arrival of DySP they have found two Naxalites dead bodies with One AK-47 Rifle, One SBBL Gun, 43 live AK-47 Bullets with 3 Magazines, ammunition and other articles were found along with the dead bodies. 10-12 Naxalites have escaped into the forest after erratically firing on the police. There was ample situation for the Police Officers to get killed in the situation.

The dead bodies were later identified as Prem @ Saketh Rajan @ Amarnath @ S S Jalan @ Phosale Saketh Rajan, a dreaded Naxalite Leader and People War Group Activist who is in the wanted list of Andhra Pradesh and Karnataka Police and also prime accused in many Criminal Cases including Bank Robbery (Balaganur PS Cr.No.50/89 U/s 395 IPC) and other as Shivalinga, another Naxalite from Raichur.

Sri. N. Srinidhi, Circle Inspector of Police, Kudremukha Circle, has shown exemplary courage to open fire after got hit by Naxalites gun shot and stood there firing selflessly for the safety of his team men. He has kept duty before self and shown the highest valor by leading the team by front.

Sri. R.M.Ajay, even though being a Prob.PSI, as a timely response has shown exemplary courage and bravery and professional skills leading the team without fearing for his life stood their firing for the safety of his men in the most daring act, risking his life keeping duty before self.

Sri.A.M.Sathisha, after getting the orders from his superior without thinking twice started firing at the Naxalites without fearing for his life acted bravely and courageously for the well being of his men and has shown exemplary courage even after getting injured by the pellets.

Sri. Srinidhi and his team were successful in overpowering these Naxalites at the risk of their lives and in a rare display of bravery. Had it not been for the brave and gallant act of this dedicated and the dynamic young team comprising of Sri. Srinidhi, Police Inspector, Sri. R.M.Ajay, Prob.PSI and Sri A.M.Sathisha, Police Constable and other staff, there would have been major bloodshed and loss of life. After this shoot out, the Naxalite activities in Chikmagalur District is under control. The act of bravery exhibited by these recommendees, is of the highest order and their gallant act of not fearing for life in the call of duty deserves to be recognized.

In this encounter S/Shri N. Srinidhi, Circle Police Inspector, R.M.Ajay, Sub Inspector and A.M.Sathisha, Civil Police Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 6th February, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 54 –Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Karnataka Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **B.K.Shivaram,**
   Assistant Commissioner of Police
2. **Y.C.Naganna Gowda,**
   Police Sub Inspector
3. **B.C.Rudramurthy,**
   Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Nasru, a notorious rowdy of Bangalore City and his gang were involved in a large number of robberies, dacoities, kidnapping, extortion etc. in Bangalore and had evaded arrest. This were also involved in a case of brutal murder of Mico Layout Police Station in Crime No. 226/2005 under section 302 read with 34 of IPC wherein they chased one Shafi with lethal weapons in broad day light and brutally murdered him on Idd day in front of a mosque at Gurappanapalya. This incident had created a tension in the locality. Shri B.K.Shivaram, Asst. Commissioner of Police and his officers and staff set up informants to collect information about the whereabouts of the Nasru and his gang. On 6-5-2005 at about 10.00 p.m., Shri B.K.Shivaram received information that the said rowdy and his gang members were found moving on a Pulsar Motor Cycle bearing No. KA 04 A 8926 in Anekal in Bangalore Rural District and that he had taken a house somewhere in Anekal. Immediately, Shri B.K.Shivaram, Asst. Commissioner of Police summoned his officers i.e., Police Inspectors Shri Revanna, Shri S.K.Umesh, Shri Nanjundegowda and Shri Rathnakar Shetty; PSI Shri Naganna Gowda; ASI Shri Hanumanthaiah and staff to his office, discussed with them and finalised a strategy to trace Nasru and his gang and arrest them. Accordingly they came to Anekal by about 11.30 p.m. with the help of the informant, made intensive search in all the lanes and by-lanes of Anekal Town to trace the house. Finally, they were successful in tracing the Pulsar Motor Cycle bearing No. KA 04 A 8926 which was parked in front of a house located amidst a cluster of houses in a small by-lane in Weavers' Colony, Indiranagar, Anekal Town.

Immediately, Shri B.K.Shivaram woke up the inimates of the houses and enquired with them about the Pulsar Motor Cycle. One Shri Somashekar S/o Late G. Hanumanthappa told him that the Motor Cycle belongs to persons who have taken the house on rent recently. Since there was credible information that the said Pulsar Motor Cycle was being used by Nasru and his gang, Shri B.K.Shivaram and his officers, in order to cover the hide out from all sides, tried to wake up the residents of the houses adjacent to the hide out. One Smt. Jayamma w/o late Hanumanthappa told the ACP that the persons in the next house (hide out) were muslims and that they had come on the 2nd of this month only. This confirmed the suspicious that Nasru and his gang were hiding in that place. In order to prevent them from escaping, he posted Shri Revanna, Police Inspector and 1 HC and 1 PC on the road in front of the house; Shri Nanjundegowda, Police Inspector and 1 PC were posted on the left side of the house; Shri S.K.Umesh, PI and 3 PCs were posted on the right side of the house. After ensuring that all the escape points are sealed, Shri B.K.Shivaram, ACP along with Police Inspector Shri Rathnakar Shetty; PSI Shri Naganna Gowda, ASI Shri Hanumanthaiah; Head Constable Rudramurthy and Police Constable Suresh came near the main door of the hide-out and knocked on the door and asked the inmates to open the door. A person from inside the house spoke in Hindi asking who was it. Shri B.K.Shivaram revealed his identity and asked the inmate to put on the light and to open the door. The light inside the house was put on. Immediately through the window, Shri B.K. Shivaram peeped inside and found Nasru and his associate Wasim (also involved in the murder case of Mico Layout PS) inside the house. Immediately, Shri Shivaram told them that they are the absconding accused persons involved in the case of murder reported at Mico Layout Police Station and directed them to open the door and to surrender to the Police. Immediately Nasru who opened the door, wielding his long sword (machette) he rushed out and struck on the neck of Shri Rathnakar Shetty, PI who was standing near the door. As a result, Shri Rathnakar Shetty sustained bleeding injury. Nasru also shouted to his associates not to leave any Police Officer alive. Immediately, Wasim brought down his sickle on Head Constable Rudramurthy who was also standing near the door. The Head Constable who sensed the attack brought his hand across as a result, he sustained bleeding injury on his hand. Shri. Rathnakar Shetty who had sustained bleeding injury collapsed on the ground. As all this was happened in a moment's time, Shri B.K.Shivaram shouted at the rowdy and his gang members to surrender. Ignoring the warning given by the ACP, Nasru who was holding the blood-stained long in his hand assaulted ASI Shri Hanumanthaiah on his head. As Shri Hanumanthaiah tried to escape it hit his hand. He also sustained bleeding injury on his hand. At this juncture in order to save the lives of the Police Officers and in self-defence, Shri B.K.Shivaram fired one round at Wasim from his service revolver and PI Shri Nanjundegowda fired one round at Nasru. Inspite of sustained bullet injuries, Nasru and his associate Wasim surged forward. At that time, Shri S.K.Umesh, PI fired 2 rounds – one each at Nasru and Wasim. Then Nasru and Wasim fell on the ground with bullet injuries. Immediately 2 other associates of Nasru came out of the house with longs. However, they were over-powered and taken into custody. They

revealed their names as Jafru and Prem. Nasru died on the spot on 07/05/2005 at 02:45 am and Wasim is still alive. He was shifted to Victoria Hospital for treatment. The injured Police Officers Shri Rathnakar Shetty, PI ; Shri Naganna Gowda, PSI ; Shri Hanumanthaiah, ASI; and Shri Rudramurthy, Head Constable were also shifted to Sagar Appolo Hospital for treatment. 4 swords, 3 choppers, a mobile phone and a Bajaj Pulsar Motor Cycle were seized from the spot.

In this encounter S/Shri B.K.Shivaram, Assistant Commissioner of Police, Y.C.Naganna Gowda, Police Sub Inspector and B.C.Rudramurthy, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th May, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 55 –Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Manipur Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **B. Lunthang Vaiphei,**
   Sub Inspector
2. **Th. Sudhir Singh,**
   Jemadar
3. **Athisho David Chalai,**
   Havildar
4. **L. Samananda Singh,**
   Rifleman
5. **S. Boipu Vaiphei,**
   Rifleman
6. **Thongbam Deven Singh,**
   Rifleman
7. **Dangsawa Methew Maring,**
   Rifleman
8. **S. Premjit Singh,**
   Rifleman

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 23/01/2006, at about 3.30 p.m., a reliable information was received by S.I. B. Luthang Vaiphei that underground elements belonging to the proscribed organization People Liberation Army (PLA) were lurking in and around the general areas of Wangoo Bazar and Kumbi area with intent to attack/ambush on the security forces deployed in the said area. On receipt of the said credible source information, a combined force of Commandos of Bishnupur District led by S.I.B. Lunthang Vaiphei and Jemadar Th. Sudhir Singh and 7th Assam Rifles personnel under Major Jeetenderkumar of Sagang 7th Assam Rifles Post was organized and conducted frisking and checking at Wangoo Bazar area by dividing themselves into four groups. They also conducted search operation at selective sites of the area. At about 4.00 p.m. while the combined force was engaged in the checking and searching at Wangoo Bazar, one white Tata Sumo vehicle which registration number was confirmed later on as registration No. MN –01K/4582 with four unknown male occupants was seen coming from the northern side along Wangoo Khunjao road towards Wangoo Bazar

and it happened to come to the area/site where the commando team led by Sub Inspector B. Lunthang Vaiphei were conducting frisking and checking of the passers by. The S.I. B. Lunthang Vaiphei signaled to stop the vehicle for security checking. However, the vehicle did not stop, rather speeding away towards Wangoo Bridge. Immediately , the occupants started firing by using sophisticated weapons upon the Commandos from inside the vehicle through the rear wind shield of the Tata Sumo causing considerable damage to the front wind shield of the commandos vehicle Maruti Gypsy bearing No. MN-1A/8220. Thus, the four unknown armed occupants were speeding in the same vehicle (Tata Sumo) towards Wangoo Sandangkhong crossing the Wangoo Bridge on the east. Immediately, the commandos boarded their vehicles and chased the Tata Sumo with firing with dogged determination to ban the fleeing armed elements. On the way, S.I. B. Lunthang vaiphei passed the information to commando Control Room, which in turn passed the information to Superintendent of Police and Addl. Supdt of Police, Bishnupur District, who also reinforced to the area. At about 4.15 p.m. after chasing for about 1 km. from wangoo Bridge, the commando teams managed to stop the Tata Sumo by deflating its rear tyres by firing from their service AK-47 Rifles near Sandangkhong Pungajao Makhong L.P School. Immediately, two of the armed occupants, one with AK-47 Rifle and another with lethod launching gun jumped down from the right side of the Tata Sumo towards the dried ditch of the homestead land of one Nongthombam Angou Singh of Sandangkhong Pungjao Makhong, while the remaining two armed occupants inside the Tata Sumo continued firing with AK-47 Rifles towards the commandos. Immediately, the commandos divided themselves into three groups by communicating themselves through W/T set and surrounded the two armed youths who were still inside the vehicle (Tata Sumo) and the other two armed youths who already jumped down on the right side of the Tata Sumo. S.I. Junthang Vaiphei with Rifleman No. 0697240 Lairenjam Samananda Singh of (1st Bn. Manipur Rifles), Commando/Bishnupur, jumped down, hit the ground on the right side along the drainage (Nullah) and directly faced the armed youth who was holding the lethod launching gun. On seeing the commandos, the youth fired one round of lethod bomb on the commandos. However, the bomb did not explode. At this critical juncture, the youth was trying to reload his lethod bomb, S.I. Lunthang Vaiphei and Rifleman L. Samananda Singh with iron nerve charged the youth immediately without caring for their personal safety. Within a split of second, both of them pounced upon the armed youth with incessant firing from their service AK-47 rifles and killed the youth at the spot before he could reload the bomb. Thus, the youth who was later on identified as Salam Sanathomba @ Jayenta @ Indrajit Singh (23) , S/O S. Thoiba Singh of Thangalawai Sabal Leikai was killed at the spot (in a dried ditch on the western side of the vehicle i.e. Tata Sumo). One lethod launching gun along with 6 nos. of the lethod bombs wrapped around the waist belt of the slain youth were recovered. He was one of the accused who killed Shri T. Thangthuam, IPS IGP (int), Manipur , and

his escort commander at Oinam on 31/12/2005 as identified by one of the accused pesons who was in judicial custody. On the other hand, impelled by extraordinary sense of duty, the team led by Jemadar, Th. Sudhir Singh , S. Boipu Vaiphei and Sinam Premjit Singh , commando/Bishnupur, who were just coming behind the vehicle of S.I. Lunthang Vaiphei jumped down on the left side of the road and advanced by crawling and exchanged fire bravely in utter disregard of their personal safety against the two armed youths who were firing continuously towards the commandos from inside the Tata Sumo with AK Rifles. During the fierce encounter, Jamadar Th. Sudhir Singh, Rifleman S. Boipu Vaiphei and Rifleman Sinam Premjit Singh, Commando/Bishnupur killed the two armed youths at the spot by risking the personnel lives. The two slain armed youths who were later on identified as (1) Khaidem Maimu Singh @ Nongju (24 years) s/o (L) Kh. Bira Singh of Lamshang Bazar, self-styled Corporal of People's Liberation Army (PLA) and recovered AK-47 Rifle with one magazine loaded with 10 live rounds of AK ammunition, (ii) Moirangthem Heramani Singh @ Mocha (32 years), s/o (L) M. Purna Singh of Tangjeng Sabal Leikai, a hard core member of PLA fighting group and recovered one AK-47 Rifle along with one magazine. Despite the vintage position the armed youth was occupying, Hav. Athisho David Chalai along with Rifleman Thongbam Deben Singh, and Rifleman Dangsawa Methew Maring position tactically by lying down on the ground and valiantly advanced by crawling towards the armed youth who was taking position behind the LOURI (Ridge) of the LOUBUK (paddy field). Inspite of the advantageous position the youth was having, Havildar Athisho David Chalai along with Riflemen Thongbam Deben Singh, and Riflemen Dangsawa Methew Maring charged the armed youth. Ultimately, the commandos could silence the armed youth and killed him at the spot (paddy field). The slain cadre was later on identified as Ningomban Raju Singh (26 years), s/o Nitya Singh of Haoreibi Makha Leikai (hardcore PLA cadre) and recovered one AK-47 Rifle with one magazine loaded with 14 live rounds of ammunition from the slain PLA cadre. Thus in the fierce encounter, four hard core cadres of "People's Liberation Army" (PLA) including one self – styled Corporal of the U.G outfit were killed with recovery of the following arms and ammunitions.

(i) One AK-56 Rifle,
(ii) Two AK-47 Rifles,
(iii) One Lethod Launching Gun,
(iv) 24 lives rounds of AK ammunition
(v) 3 Magazines of AK-Rifle
(VI) 6 nos. of Lethod Bombs.

In this encounter S/Shri B. Lunthang Vaiphei, Sub Inspector, Th. Sudhir Singh, Jemadar, Athisho David Chalai, Havildar, L. Samananda Singh, Rifleman, S.Boipu Vaiphei, Rifleman, Thongbam Deven Singh, Rifleman, Dangsawa Mathew Maring, Rifleman and S. Premjit Singh, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23rd January, 2006.

BARUN MITRA
Director

No. 56–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Rajasthan Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Suresh Chandra Meena,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 08.04.2003 Shri S.C. Meena, Constable Belt No.137 posted as Commando with Circle Officer City West, Udaipur left for Dungarpur on government duty vide note no.47/8-4-2003 in daily diary register of P.S. Hathipole, District Udaipur. After completing his duty at Dungarpur Shri Meena was travelling back to Udaipur by Ahmadabd- Delhi Mail in the night of **10.04.2003**. Barely 30 minutes after the train left Dungarpur railway station, i.e. between Kotana and Rishabdev railway stations the constable heard shouts and cries for help in the other part of the compartment of the train, in which he was travelling. Constable Meena immediately reached the site and saw some masked dacoits committing robbery, looting money and valuables from the travellers and threatening them of death. The dacoits were 5-6 in number, and all of them were armed with firearms and knives. Without caring for his life, Constable Meena jumped over the dacoits unarmed and caught hold of one of them. The other accomplices of the dacoit gang used firearms, knife and chilly powder to overpower the Constable to get their friend released. One of the dacoits opened fire at Constable Meena who sustained pellet injuries on his chest near his heart. However, he did not loose his grasp over the dacoit. In the meantime, another three members of the dacoit gang taking advantage of the slow speed of train, caused by the chain pulling by one member of the gang jumped out of the compartment. Again Shri Meena without caring for his profusely bleeding chest and after immobilizing the first dacoit, jumped out of the moving train to catch hold of the escaping dacoits. The dacoits attacked him again with knife and chilly powder but he overpowered another dacoit and brought him safe to the same compartment. Because of excessive bleeding he could not chase the remaining dacoits but collected the firearms and some chilly powder from the spot. His condition was deteriorating as there was acute need of medical aid. The passengers of train insisted on moving the train to nearby Railway Station

where with the help of some passengers he secured the custody of Police for the dacoits and received medical aid for removal of fire pellets from his chest. However, due to his critical condition he was shifted to M.B.College Hospital in Udaipur where he recovered after a prolonged treatment and resumed his duties. This brave act of Constable S.C. Meena, belt No. 137 saved the lives & property of large number of passengers including some foreign tourists, who deeply appreciated his sense of devotion to duty. The dacoits captured by the Constable faced trial and were convicted for seven years of imprisonment and fine of Rs.21,000. The court of Session Judge Ajmer in his decision also made a special reference of the commendable act of bravery of the constable and awarded Rs.10,000 as cash reward from the fines of convicts.

In this encounter Shri Suresh Chandra Meena, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 10th April, 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 57 –Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Uttar Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Farmood Ali Pundir,**
   Sub Inspector
2. **Rakesh Kumar Yadav,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Sri N.P.Singh, C.O.City First, Aligarh on 25.04.05 received an information through R.T. Set of a robbery of Rupees 4000/- along with a licensee revolver from a person named Islam. Sri N. P. Singh instructed all concerned police stations to start checking for criminals using a Hero Honda Motorcycle Sri N. P. Singh in his vehicle moved towards the Talaspur Pulia on his way to Gonda Marg. Sri N. P. Singh saw two youths suspected to be the criminals, coming on a motorcycle, who, at the sight of blue light of Sri N. P. Singh's vehicle quickly turned back. Sri Singh chased them informing the situation to the C.C.R. Sri Singh challenged the fleeing criminals in a loud voices to stop but the criminals fired at Sri Singh with an intention to kill but he

just escaped. At that time S.I. Sri Farmood Ali Pundir, I/C S.O.G., informed Sri Singh that he along with some force has reached Talaspur Pulia, Sri Singh informed to I/C S.O.G. that the criminals were moving towards Talaspur Pulia and he was chasing them. Sri N.P. Singh ordered Mr. Pundir to block the way for the criminals by placing his vehicle in suitably oblique position. Sri Pundir blocked the way and the criminals had no option ran towards the agriculture-fields. The criminals left their vehicle and took position behind the boundary wall surrounding the agriculture field. Sri Singh displayed a quick presence of mind and ordered the drivers of police vehicles to switch on their headlights to help police party to search the criminals. Sri Singh asked S.I. to move forward to his right side and he himself took position near corner of the boundary wall and again warned the criminals to surrender. At his voice the bullets came from the criminals and Sri Singh's narrow protection of the corner of the boundary wall was just enough for his providential escape. Exposing his life to the highest risk of mortal injuries Sri Singh opens fire at the criminals with his torch in one hand. S.O.G. incharge Sri Pundir and his accompany force also fired at the criminals. When the fire from the criminals stopped Sri N.P.Singh along with other members of police force advanced cautiously and found one of the criminals lying dead there . The criminal was identified as the notorious Shanker@ Shankaria, who had a reward Rs. 20,000/ and involved in 45 heinous cases. During this encounter Shri N. P. Singh C.O.City First sustained a bullet injury on the front portion of the right hand , the hand of the brave officer continued to fire even after the injury. S.I. Farmood Ali Pundir and Const. 181 C. P.Rakesh Kumar were also injured. The following recoveries were made:-

1. One Pistol Factory made, 20 live & 10 empty rounds.
2. One Revolver, Webley Scott(Made in England) 02 empty rounds.
3. One Motorcycle NO. U.P.-81L 6977
4. Robbed amount Rs. 4000/-

In this encounter S/Shri Farmood Ali Pundir, Sub Inspector and Rakesh Kumar Yadav, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 25th April, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 58 –Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Assam Rifles: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Jas Bahadur Thapa,
Havildar/ General Duty

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 15 Feb 2006 an operation was planned, based on specific information regarding presence of armed militants operating in general area Kakching Khunou. Multiple ambushes were sited by Lt Col R N Sinha on the routes leading to the village and usually frequented by the militants. The ambushes were in place by 2200 hrs. A party under Lt Col R N Sinha was on the road leading from Kakching Khunou Lamkhai to Kakching Khunou, Havildar General Duty Jas Bahadur Thapa was the leading scout of the party. At about 2330 hrs Hav. Jas Bahadur Thapa noticed move of two suspected militants towards the ambush site. The individuals were challenged by Havildar General Duty Jas Bahadur Thapa and on being challenged, militants opened indiscriminate fire and tried to escape taking advantage of darkness and thick foliage. Havildar General Duty Jas Bahadur Thapa showing stoic courage and presence of mind chased one of the fleeing militants under effective hostile fire without caring for his personal safety and shot him dead in a close quarter battle. During subsequent search of the encounter site, one AK-47 fixed butt, one magazine AK-47, seven live rounds of AK-47 and 12 fired cases of AK-47 were recovered. The slain militant was later identified as Elangbam Boinao of UNLF, a banned outfit by the Govt of India. Havildar General Duty Jas Bahadur Thapa displayed exemplary courage and exceptional devotion to duty while in the operation. He chased the fleeing militant and brought down accurate fire on him with utter disregard to his personal safety, which led to the killing of the militant.

In this encounter Shri Jas Bahadur Thapa, Havildar/General Duty displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 15th February, 2006.

BARUN MITRA
Director

No. 59 –Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Assam Rifles: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Inaho Sumi,**
   Rifleman/ General Duty
2. **Sulakshan Kumar,**
   Rifleman/ General Duty

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 16 February 2006 at around 1500 hrs. Company Operation Base at Aigejang came under Mor, Lethode and SA fire from terrorists (UNLF Cadres) from two locs east of the Company Operation Base across River Kanalok. Troops from the Company Operation Base retaliated with Mor, AGS and SA fire. On receipt of information about firing at Company Operation Base Aigejang, two columns were prepared to reinforce the Company Operation Base. One column consisting of Comdts QRT with strength 20 ORS move tactically on foot towards Aigejang at approx 1600 hrs. When the column was approx 2.5 km short of Company Operation Base Aigejang at approx 1745 hrs they came under RPG, Lethode and SA fire in general area village Maulnuam RM 3111. The UNLF cadres fired from height east of troops Sajik - Aigejang (RM - 316104). The QRT immediately carried out counter ambush drill and moved swiftly to outflank the terrorists, simultaneously bringing down effective fire with AK-47, INSAS and LMG. During the action Rifleman/GD Sulakshan Kumar who was scout No 2 sustained GSW in his right leg. The aggressive counter ambush by Rifleman/ General Duty Inaho Sumi and Rifleman/General Duty Sulakshan Kumar forced the UNLF cadres to flee the site. This daring action resulted in the death of one terrorist and injuring two. Inspite of being injured Rifleman/General Duty Sulakshan Kumar walked all the way up to Company Operation Base Aigejang. He was well supported by Rifleman/ General Duty Inaho Sumi. These two personnel with their daring act were able to counter ambush the terrorists and in the process killed one terrorist and injured two.

In this encounter S/Shri Inaho Sumi, Rifleman/ General Duty and Sulakshan Kumar, Rifleman/ General Duty displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 16th Februay, 2006.

BARUN MITRA
Director

No. 60 –Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Assam Rifles: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Arun Kumar Bhatta,**
   Rifleman/ General Duty
2. **Loitongbam Joychandra Singh,**
   Rifleman/ General Duty

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Rifleman General Duty Arun Kumar Bhatta was part of the Company intelligence team. On 07 November 2005 based on specific information a mobile vehicle check post was established. The check post intercepted a maruti car and on search a .303 Rifle was recovered. Rifleman Bhatta showing his presence of mind physically overpowered Self Style Sergeant Choungamba of Kangleipak Communist Party (Prithvi) who was trying to flee and apprehended him. Based on the information received from the underground a multiple ambush was planned by the Company Commander. On 08 November 2005, Rifleman General Duty Loitongbam Joychandra Singh was part of a column that had led ambush on Phakhnung Hills and he was handpicked by the Company Commander as the scout during the ambush. Rifleman Bhatta was also part of the ambush. At 0300 hours Rifleman Joychandra noticed two suspects moving towards the ambush site. He waited stealthily and at the same time signaled his column commander Major Uday Ganpatrao Jarande of the suspects. The column sprung the ambush when the undergrounds were in the killing zone. The undergrounds immediately fired back at own troops and tried to escape. Rifleman Bhatta leaped to a defilade position and engaged the fleeing undergrounds. Meanwhile Rifleman Joychandra had crawled to an advantageous position and blocked the escape route of the terrorists and engaged the fleeing terrorists. In this daring operation two terrorists were shot dead and one AK-47 Rifle, two Pistols were recovered.

In this encounter S/Shri Arun Kumar Bhatta, Rifleman/ General Duty and Loitongbam Joychandra Singh, Rifleman/ General Duty displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th November, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 61 –Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Assam Rifles: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Tula Ram Rana,**
   Rifleman/ General Duty
2. **Satyanarayan Prasad,**
   Naib Subedar

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on specific input from sources, about the move of armed PREPAK cadres in Kumbi village, two columns each consisting of one Junior Commissioned Officer and 12 Other Ranks ex Kumbi Company Operation Base sprung into action. The first column under JC-74130X Naib Subedar (General Duty) Satya Narayan Prasad while going through Ward Number 9 of Kumbi village on 10 September 2005 at about 2245 hours was fired upon from two directions by terrorists hiding nearby. Sensing danger to own column, Naib Subedar (General Duty) Satya Narayan Prasad alerted his scouts to execute anti – ambush drills, whereby with utter disregard for their personal safety, the Scout No. 2, G/76104P Rifleman (General Duty) Tula Ram Rana with Naib Subedar (General Duty) Satya Narayan Prasad charged towards the terrorists shouting the Battalion war cry, firing with their AK – 47, killing one terrorist on the spot and injuring five others. Seeing the barrage of fire, coming from Rifleman Tula Ram Rana and Naib Subedar Satya Narayan Prasad and one of the terrorist dead, the terrorists lost their nerve and withdrew taking cover of darkness and escaped towards the lake side. The encounter lasted for approximately ten minutes and the following was recovered :-

(i) Terrorist identified as PREPAK cadre Lance Corporal Konjengbam Boby @ Thoithoiba @ Robindro, age 21 years, residence of Moirang Oksongbung.

(ii)	AK – 47	-	01
(iii)	Magazine AK – 47	-	03
(iv)	Live rounds AK – 47	-	151 rounds
(v)	Pouch with black web belt	-	01
(vi)	Water bottle	-	01

In this encounter S/Shri Tula Ram Rana, Rifleman/ General Duty and Satyanarayan Prasad, Naib Subedar displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 10th September, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 62 –Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Assam Rifles: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Alem AO,
Naib Subedar

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 30 September 2005, on receiving specific information from the reliable source about the move of terrorists with arms and ammunition in a civil vehicle, a column of `A' Company under Junior Commissioned Number 3800026Y Naib Subedar/General Duty Alem Ao left the Company Operational Base (RM 2289) to check the vehicles plying on National Highway – 53. At 0600 hours on 30 September 2005, a mobile vehicle check post was established under Naib Subedar/General Duty Alem Ao near village Moidangpok (RM 2884). At 0615 hours Naib Subedar Alem Ao intercepted a vehicle bearing registered number ML-06L 1746 moving on National Highway – 53 under suspicious condition towards Imphal. Noticing mobile vehicle check post established by Security Force, the terrorists abandoned the vehicle and fled towards the nearby village. Immediately, Naib Subedar Alem Ao informed the matter to Company Commander IC-50781A Major Vikram Singh and in the mean time cordoned off the area. Major Vikram Singh with his QRT reacted to the intercepts of the 'A' Company column and immediately cordoned the area to stop fleeing terrorists from North and East of the village Moidangpok. During search the terrorists were pinned down with fire of AK-47 Rifles by Naib Subedar/General Duty Alem Ao party. Before the terrorists could be effective, column under Naib Subedar Alem Ao cordoned a house where two terrorists had taken shelter. Sensing the house was cordoned by Security Force, the terrorists tried to escape from window. Naib Subedar/General Duty Alem Ao with utter disregard to his personal safety took initiative and pounced on one of the fleeing terrorists and apprehend him, the second one managed to escape. Detailed search resulted in recovery of the following arms and ammunition: -

(a)	AK-47 Rifle	-	02 Nos
(b)	AK-47 Live Round	-	34 Nos
(c)	Pistol 9 mm	-	01 Nos
(d)	Pistol 9mm live round	-	03 Nos
(e)	Maruti car	-	01 No.

In this encounter Shri Alem AO, Naib Subedar displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30th September, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 63 –Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Assam Rifles: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **Saseendran M.,**
   Assistant Commandant
2. **Songten Lepcha,**
   Head Constable
3. **Kesri Dass,**
   Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

ROLE PLAYED BY SHRI SASEENDRAN M, ASTT COMDT.,14R

Regular inputs about National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) cadres indulging in kidnapping, extortion and intimidation of Nepali villagers in the general area Kalapahar RG 4122 in Senapati District of Manipur were being continuously received from sources as well as Higher Headquarters. Based on specific information of about three to four armed National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) cadres indulging in extortion in gen area Kalaphar on 04 January at around 1930 hours, two columns ex Kangpokpi Company Operating Base were launched with lightening speed. One column under IC – 60141Y Major Mukund MG established stops around the suspected location and the second column under AR-247L Assistant Commandant Saseedran M approached Kalapahar market alongwith a Police representative. Once the stops where in place, AR-247L Assistant Commandant Saseedran M along with his party started searching the area. On seeing the Security Forces approach, four armed suspects ran in the opposite direction towards village Maikha RG 4022. AR-247L Assistant Commandant Saseedran M alongwith his party with total disregard to their personal safety ran after the suspects in hot pursuit. Despite repeated warnings the suspects did not stop and opened fire on the troops while attempting to break contact and escape. Despite this grave provocation, AR-247L Assistant Commandant Saseedran M showed total restrain in retaliation due to close proximity of built up area. The officer displayed raw courage

and junior leadership of exemplary order and ensured the suspects do not escape. In an intensive fire fight four National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) cadres were killed by troops led by AR-247L Assistant Commandant Saseedran M in conjunction with ambush party led by IC – 60141Y Major Mukund MG. Boldness exhibited by AR-247L Assistant Commandant Saseedran M and his party in pursuit of armed terrorists indulging in indiscriminate firing and finally eliminating them without any causality to own troops or any collateral damage is an act of valour in the finest traditions of service and beyond the call of duty. Bravery displayed by AR-247L Assistant Commandant Saseedran M resulted in elimination of four dreaded National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) cadres and recovery of arms ammunition and incriminating documents.

ROLE PLAYED BY SHRI SONGTEN LEPCHA , 14 AR

Specific information about armed National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) terrorists indulging in extortion and intimidation in village Kalapahar RG 4122 was received by IC- 60141Y Major Mukund MG at about 041930 hours on 04 January 2006. Number G/144132H Havildar General Duty Songten Lepcha was earmarked as one of the stop party commanders in the outer cordon. The operation required high degree of restraint being in thickly populated area and chances of civilian casualty. Four armed terrorist accosted by the search party attempted to break contact while firing at the search party. They were intercepted by the cordon party and challenged to stop. While two terrorists were eliminated by stop party led by IC- 60141Y Major Mukund MG, two other terrorists taking advantage of darkness and broken ground could escape through the inner cordon. Number G/144132H Havildar General Duty Songten Lepcha detected the movement of these terrorists through Night Vision Device and then chased them in hot pursuit with utter disregard to personal safety. He displayed total restraint while retaliating with fire, due to the proximity of Built Up Area and chances of casualty to own troops. Despite effective fire he eliminated two terrorists in close combat. The raw courage and boldness displayed by Number G/144132H Havildar General Duty Songten Lepcha in trapping and eliminating four terrorists without any casualty to own troops or any collateral damage is an act beyond the call of duty. The act resulted in elimination of four dreaded National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) cadres and recovery of arms , ammunition and incriminating documents. Number G/144132H Havildar General Duty Songten Lepcha selfless devotion and professional acumen would inspire all ranks of the organization to emulate his gallant act.

ROLE PLAYED BY SHRI KESRI DASS, 14 AR

Regular inputs about National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) cadres indulging in kidnapping, extortion and intimidation of Nepali villagers in the general area Kalapahar RG 4122 were being continuously received from sources as well as Higher Headquarters. Based on specific information of about three to four

armed National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) cadres indulging in extortion in general area Kalaphar on 04 January at around 1930 hours, two columns ex- Kangpokpi Company Operating Base were launched with lightening speed. One column under IC – 60141Y Major Mukund MG established stops around the suspected location and the second column under AR-247L Assistant Commandant Saseedran M approached Kalapahar market alongwith a Police representative. Once the stops where in place, Number G/143542M Havildar General Duty Kesri Dass under AR-247L Assistant Commandant Saseendran M along with the rest of the party started searching the area. On seeing the Security Forces approach, three to four armed suspects ran in the opposite direction towards village Maikha RG 4022. Number G/143542M Havildar General Duty Kesri Dass alongwith his party with total disregard to their personal safety ran after the suspects in hot pursuit. Despite repeated warnings the suspects did not stop and opened fire on the troops while attempting to break contact and escape. Despite grave provocation and the close proximately of built up area, Number G/143542M Havildar General Duty Kesri Dass showed total restrain in exercising fire control. The Non Commissioned Officer displayed raw courage and junior leadership of exemplary order and ensured the suspects do not escape. In an intensive fire fight four National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) cadres were killed by troops led by AR-247L Assistant Commandant Saseendran M in conjunction with ambush party led by IC – 60141Y Major Mukund MG. The raw courage and boldness shown by Number G/143542M Havildar General Duty Kesri Dass and his party in pursuit of armed terrorists indulging in indiscriminate firing and finally eliminating them without any causality to own troops or any collateral damage is an act of valour in the finest traditions of service and beyond the call of duty. Bravery displayed by Number G/143542M Havildar General Duty Kesri Dass resulted in elimination of four dreaded National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) cadres and recovery of arms ammunition and incriminating documents.

In this encounter S/Shri Saseendran M., Assistant Commandant, Songten Lepcha, Head Constable and Kesri Dass, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 4th January, 2006.

BARUN MITRA
Director

No. 64 –Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Assam Rifles: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Ghulam Mustafa Ansari, Havildar**
2. **Mohammad Riyajuddin, Rifleman**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 25 April 2006 G/3200342A Havildar (General Duty) Ghulam Mustafa Ansari and G/3200321K Rifleman Mohammed Riyajuddin were part of a section led by Major Nishant Nair for counter insurgency operations in Kaibong area of Thoubal district in Manipur. At 0030 hours, while moving in the leading vehicle along with Major Nishant, from Kaibong to Chinkham village, a Maruti Van was observed moving from village Moijang towards Nungai. The occupants of the van too saw own vehicle and sped. Undeterred, Havildar Ansari and Rifleman Riyajuddin enthusiastically participated in the chase till they closed in on the terrorists near Nungai. On being challenged to come out of the van, the terrorists opened effective fire in their attempt to escape in the darkness. Despite the fire from a close distance, Havildar Ansari and Rifleman Riyajuddin quickly took position to provide covering fire to enable Maj Nishant and G/3201229X Rifleman Singha to effectively engage the terrorists, leading to neutralising of all four terrorists. By their bold and well-considered action in the face of extreme danger, they provided effective covering fire thus assisting the section in eliminating all four terrorists.

In this encounter S/Shri Ghulam Mustafa Ansari, Havildar and Mohammad Riyajuddin, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 25th April, 2006.

BARUN MITRA
Director

No. 65 –Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Mohd. Israil,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 12th May 2005, at about 1200 hrs, at the request of Major Vivek Bhandhari of 17 JAK Rifle deployed at Behibagh, District- Kulgam (J&K), 'C' Coy of 143 Bn BSF under command of Sh Devesh Kandwal,AC deployed at CI Post Yaripora joined the operation in general area of Patrigam-Trigam. As per plan the area was divided and accordingly responsibility was given to troops of 143 Bn BSF for searching/combing from the North-East direction. During search operation, militants opened fire on the search parties of 17 JAK Rifle. Both the search parties advanced by applying tactics of fire and move towards the hideout of the militants. Major Vivek Bhandari sighted one of the militant and fired upon him. The other militant who was about to fire upon Major Vivek Bhandari was observed by No.01121818 Constable Mohd Israil of 143 Bn BSF. Sensing the eminent danger to life of Major Vivek Bhandari, Constable Mohd Israil fired from his personal weapon and successfully eliminated the second militant and thus also saved the precious life of Major Vivek Bhandari. The following recoveries were made during the above operation:-

(i)	AK 47 Rifle	- 01 No.
(ii)	AK 56 with UBGL	- 01 No.
(iii)	AK Series Mag	- 05 Nos.
(iv)	AK 47 Series Amn	- 35 rds.
(v)	UBGL Grenade	- 07 Nos.
(vi)	Radio Set	- 01 No.
(vii)	Mobile Phone	- 01 No.
(viii)	I/Card of Ajad Ahmad Malik	- 01 No.
(ix)	Indian Currency	- Rs.200/-
(x)	Photographs	- 10 Nos.
(xi)	Camera Roll	- 01 No.

In this encounter Shri Mohd. Israil, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12th May, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 66 –Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **M S Meena,**
   Sub Inspector
2. **Rai Singh,**
   Constable/ Driver
3. **Suleman Tirkey,**
   Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On receipt of information regarding shifting of arms/amn dump from Village-Panzan in District Budgam of (J & K), a plan was drawn by the Commandant 76 Bn BSF on 01st Nov 2004 to launch a cordon and search operation. The parties were divided for cordon and search . On reaching the village Panzan, they cordoned the Peer Mohalla. Party under command of Sh Aseem Sharma, Dy Commandant tactically approached the house of one Riaz Ahmed Dar s/o Gulam Rasool Dar, a local trained militant and apprehended him. Based on the information divulged by him regarding cache of certain explosive materials and arms/amn in his house, the party started search of the house. While the search was in progress, Head Constable S Tirkey who was guarding the main entrance of the house observed some suspicious movement on the first floor and immediately alerted Sub-Inspector M S Meena. On this, Sub Inspector MS Meena with utter disregard to his own safety stepped out of the house with a view to find out the actual position of man on the first floor. By this time Head Constable S Tikey could locate the militant holding an AK 47 Rifle fitted with UBGL and immediately alerted the others. In a quick display of reflexes, Sub-Inspector M S Meena jumped towards left side of the house and took position. At this time Sub Inspector M S Meena came face to face with the militant and before he could do any thing, the militant jumped out of the first floor by firing and throwing grenade towards him and Head Constable S Tirkey. Both, Sub Inspector M S Meena and Head Constable S Tirkey had a narrow escape. In a daring move Head Constable S Tirkey positioned himself in front as human shield and provided covering fire. The militant who was facing heavy volume of fire, started running towards other side of road Panzan-Kanir. Seeing this, Constable/Driver Rai Singh who was deployed with BP vehicle aligned his weapon and ran behind the militant with a loud challenge. Constable/Driver Rai Singh displayed extreme bravery and chased the armed fleeing militant by firing. This

militant who was badly injured due to the firing by Sub Inspector M S Meena, Head Constable S Tirkey and Constable/Driver Rai Singh managed to take shelter in a house on the other side of road Panzan-Kanir. During the search of the house, party spotted the critically injured militant lying on ground near a toilet block. The badly injured militant in desperate attempt and with an aim to annihilate the search party, tried to remove pin of the hand grenade. Seeing this, a coordinate fire was brought on the militant by the search party and killed the militant who was later identified as Abdul Manna @ Assadulla Set Code MY, Div Comdr of LET outfit s/o Abdul Hafiz of Dakiabad, Faisalbad, Pakistan. The apprehended militant was further handed over to PS Chadoora, Budgam (J&K). During search of the area 01 AK 47 Rifle, 05 AK Mag and 139 Rds of AK Amn were recovered.

In this encounter S/Shri M S Meena, Sub Inspector, Rai Singh, Constable/ Driver and Suleman Tirkey, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 01 November, 2004.

BARUN MITRA
Director

No. 67 –Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **J.R.Tirki,**
   Sub Inspector
2. **M. Tomba Singh,**
   Constable
3. **Sudhir Kumar,**
   Assistant Commandant
4. **Afjal Khan,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 20th Jan 2005, based on a specific information regarding presence of militants in village-Drubgam, District Pulwama (J&K) Commandant 71 Bn BSF worked a comprehensive action plan to apprehend the militants. As per plan, a

special patrol party led by SI J R Tirki along with 15 other ranks rushed to the target area. On reaching the area, party observed two armed militants in the fields of village-Drubgam. The advancing party consisting of SI J R Tirki, Ct M Tomba Singh and Ct Dilbag Singh challenged them. On this, the suspected militants opened indiscriminate fire on the leading party from their position. Amidst the fierce encounter with well entrenched militants, the party held their position and retaliated the fire effectively and were able to eliminate one of the militant on the spot by their accurate fire. The Second militant started to escape towards the jungle simultaneously bringing down heavy volume of fire on the cordon party. The militant then took position in undulated ground. SI J R Tirki asked for reinforcement and blocked all escape routes by re-adjusting the stops. On hearing the sound of firing Sh Sudhir Kumar, Assistant Commandant along with long range patrol which was enroute in the area rushed to the spot and joined the operation and thereby strengthened the cordon. Accordingly coordination with the troops of 08 Bn BSF was done for furtherance of the operation. Meanwhile, SHO Rajpora along with police personnel also joined the operation. Shri Sudhir Kumar, Assistant Commandant along with party moved towards South-West of Village-Drubgam from nullah side to locate the actual position of the holed-up militant. Shri Sudhir Kumar along with Ct Afjal Khan took a bold decision and crawled about 15 yards towards the militant position with utter disregard to their safety despite continuous firing from the militant. Both of them lobbed grenades and fired accurately and successfully eliminated the dreaded militant. The two killed militants were later identified as Farooq Ahmed Bhat, @ Aruf-Arsalan (Bn Comdr of HM) s/o Amirrulla Bhatt r/o Parigom, Pulwama (J & K) and Tariq Ahmed Khan Code Tariq Moulavi, ("C" category District Commander of HM outfit) s/o Amma Khan r/o Sambal (Keller), Pulwama (J & K) and also recovered 02 AK Rifle, 07 Nos AK Mag and 181 rounds of AK Ammunition.

In this encounter S/Shri J R Tirki, Sub Inspector, M. Tomba Singh, Constable, Sudhir Kumar, Assistant Commandant and Afjal Khan, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20th January, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 68 –Pres/2007. The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **D.S.Brar,**
   Deputy Commandant
2. **G H Khan,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on an information, special operation group on July 09, 2005 carried out a raid and search operation in village Khasirmar, District-Pulwama in the State of J & K. At about 0900 hrs, the operation party cordoned the area and sealed all the escape routes. Sh D S Brar, Dy Commandant opened speculative fire towards suspected hideout. On this, the militants opened heavy volume of fire and also fired two rockets on BSF party, which was promptly retaliated by own troops. The sustained exchange of fire continued for about an hour without any result. To break the impasse, Sh D S Brar, Dy. Commandant along with his party in a bid to neutralize the militants advanced for a close combat battle. After continuous firing and grenade blasts, the militant came out of the hideout and started firing indiscriminately at the advancing Officer, only to receive precise shot from the fearless officer's rifle. Sh D S Brar,DC conducted this operation with high degree of professionalism, determination and courage with utter disregard to his life and safety. Constable G H Khan displaying extra ordinary courage in tandem was instrumental in eliminating the dreaded militant. Their action was so meticulous that there was no loss of life of own troops or civilians. Their gallant act resulted in killing of dreaded "A" category JeM militant who was later identified as Tipu Bhai, a resident of Pakistan. Dead body of one militant, 01 AK Rifle, 02 AK Mag and 05 live rounds were recovered from the area.

In this encounter S/Shri D S Brar, Deputy Commandant and G H Khan, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 9th July, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 69 –Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Zala Nandu Singh,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 16th Dec 2004, at about 0640 hrs, based on specific information regarding presence of militants in village Ichhagoz, District-Pulwama (J&K) an operation was planned and cordon was laid by 42 Bn BSF. As per plan, long range patrol led by Shri S F P Vaiphei, Dy Comdt was tasked to move from North-East direction sweeping the village leaving certain pockets to trap the militants. One of the stop party, spotted one militant moving stealthily. On being challenged, militant opened fire on the party. Ct Bipul Kunwar and Ct Bhim Singh retaliated the fire which caused injury to the militant and compelled the militant to retreat. Despite injury, the militant continued indiscriminate firing and tried to escape by taking advantage of undulated ground and darkness. However, effective fire from the second party prevented the militant from escaping. The militant managed to entrench himself at a close distance from one of the stop party. Since the militant was in a defensive position, the stop party could not neutralize him and there was ample chance for the militant to inflict casualties to own troops. Sensing impending danger, No. 00633896 Ct Zala Nandu Singh took his LMG in a battle crouch position and without caring for his life, daringly charged towards the militant and killed the entrenched militant on the spot. The killed militant was later identified as Gulzar Ahmed Mir (Code Suleman) s/o Mohd Qasim Mir resident of Dangarpura of District Pulwama (J & K). 01 AK Rifle, 03 AK series mag and 66 rounds of AK Amn was recovered from his possession.

In this encounter Shri Zala Nandu Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 16th December, 2004.

BARUN MITRA
Director

No. 70 –Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **Amit Kumar,**
   Assistant Commandant
2. **Surender Singh,**
   Constable
3. **Jagroop Singh,**
   Constable
4. **Suja Ram,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On a specific information, a long range patrol led by Shri Amit Kumar, Assistant Commandant launched a search operation on 21st Jan 2005 in the forest area of Bakhiwala in District – Udhampur, (J&K). At about 0930 hrs, while the long range patrol was moving towards the dense forest, they observed footmarks on fresh snow leading to a likely hideout in the jungle. Shri Amit Kumar, Assistant Commandant, quickly appraised the situation and deployed the troops to cordon the hideout. However, before the party could locate the entrance to the hideout, one militant came out of the hideout and started indiscriminate firing which was promptly retaliated. Meanwhile, a group of militants who were occupying positions on the heights resorted to heavy volume of fire from automatic weapons towards the BSF party to rescue the trapped militants. While the heavy exchange of fire with the militants was going on, Constable Surender Singh without caring for his personal safety advanced up to the hideout to lob grenade through a hole in the roof of the hideout but the holed up militants fired from the roof top and injured Constable Surender Singh. In spite of being injured, Ct Surender Singh succeeded in lobbing a grenade inside the hideout. In the meantime Ct Jagroop Singh also came forward with his LMG and neutralized the fire of militant which was coming from a dominating heights. While doing so, he sustained bullet injury on his head. Despite injuries, Constable Surender Singh and Contable Jagroop Singh held their position and kept on firing at the militants. In the ensuing fire Sh Amit Kumar Assistant Commandant also sustained splinter injury on his left ear. The operation was augmented by the reinforcement. Despite firing from 84 mm CGRL amd 30 mm AGL, the hideout could not be destroyed. The holed up injured militants was still engaging the storming party. Finding no other alternative, No. 010088539 Ct Suja Ram in a dare devil act, crawled up to the entrance of the hide out and lobbed two

grenades which ultimately silenced the fire from the hideout. The operation was called off on 21st Jan 2005 and the injured were brought to operation base camp. Due to inclement weather and heavy snow, the search of the area was carried out on 23rd Jan 2005 during which 01 UBGL, 01 AK-47 Mag and 34 EFCs of AK Amn were recovered from the site. On 15th March 2005 a dead body with bullet injury was recovered from Nahargali which was later identified as that of one Md Toshid (Code Sign- Tiger 02). After melting of snow, in the follow-up action between 6th and 12th April 2005, troops further recovered dead bodies of 02 more militants with 02 Nos AK Rifles, 04 Nos AK Mag, 114 Rds of AK Amn and 01 Radio Set.

In this encounter S/Shri Amit Kumar, Assistant Commandant, Surender Singh, Constable, Jagroop Singh, Constable and Suja Ram, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 21st January, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 71 –Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Abdul Hamid,
Lance Naik

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 10th Mar 2005, based on specific information, troops of 143 Bn BSF planned an ambush in area of Village Yaripora, District Anantnag (J&K). While enroute to the ambush site, the party consisting of 01 Subordinate Officer and 11 other ranks intercepted one Tata Sumo (White colour), having Regt No.JK-03-8538 near the District Hospital Yaripora, which was coming from Frisal Town. LNK Abdul Hamid and Ct P C Lalnunt Luanga who were the scouts of the ambush party directed the driver to switch off the engine and head light. Observing suspicious activities of occupants of the vehicle and realizing that they are militants, LNK Abdul Hamid displaying presence of mind and exercising quick reflexes pulled down one of the militant sitting in co-driver seat. Before the militant could take out a grenade Lance Naik Abdul Hamid in a close combat shot dead the militant. In the meantime, the other militant who was sitting in the rear seat of the vehicle fired upon LNK Abdul Hamid and Ct P C Lalnunt Luanga. Resulting Ct P C Lalnunt Luanga sustained bullet injury on his left upper arm. The second militant, however, after inflicting injuries managed to escape by taking advantage of darkness. On search of the area, dead body of one militant along with 01 AK Rifle, 03 – AK Mag, 100 rounds of AK Amn and one Tata Sumo were recovered. The killed militant was later identified as Md Sartaz Ahmed Dar s/o Gulam Mustaffa Dar (District Commander of LeT out fit) resident of Distt Kulgam(J&K).

In this encounter Shri Abdul Hamid, Lance Naik, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 10th March, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 72 –Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Rafique Aziz Khan,**
   Constable
2. **R.S.Bisht,**
   Assistant Commandant
3. **Jogi Shah,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on a reliable information received from source and SSP Awantipora, regarding movement of top militant leader in the area of Bismai- Karmulla Top, District Pulwama (J&K), a special operation was launched by 173 Bn BSF in association with SOG, Tral on 01st Oct 2005. Ambushes were laid covering all anticipated routes of the movement of militants. At about 1745 hrs, when it was already dark, the ambush laid by Sh R S Bisht, Assistant Commandant and party observed suspicious movement of two person. On being challenged, they opened fire and lobbed a grenade towards the ambush party. Sh R S Bisht, Assistant Commandant fired from his AK 47 rifle on the militant which hit the militant who fell down. The officer along with Constable Jogi Shah crawled towards the militant to ascertain his position. However, the injured militant lobbed one more grenade which fell into a Khud and exploded without injuring any one. The incapacitated militant tried to lob another grenade, sensing the impending danger, Sh R S Bisht, Assistant Commandant and Contable Jogi Shah, putting their life into danger ran towards the militant and overpowered him. The apprehended militant was later identified as Mustaq Gujjar s/o Nooria Gujjar (HM outfit), resident of Karmulla, Tral, District Pulwama (J&K). He was evacuated to Tac Headquarter Tral (J&K) for first aid and further handed over to Police Station Tral. The second militant was still firing. Constable Rafique Aziz Khan, anticipating that this militant could not be neutralized from the present position, with utter disregard to his life, came out of his position and fired a precise brust on the militant and killed him instantaneously on the spot. The killed militant was identified as Abdul Rashid Gujjar @ Bisharat/ Rashida s/o Gulaml Mohd Gujjar r/o Zadimar, Machhama, Tral (J&K) (Operational Comdr of HM outfit). 01 AK 47 Rifle, 05 Nos AK Mag and 122 rounds of AK Series ammunition were recovered.

In this encounter S/Shri Rafique Aziz Khan, Constable, R.S. Bisht, Assistant

Commandant and Jogi Shah, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 1st October, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 73 –Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **Tenison Jamatia, Constable** **(Posthumous)**
2. **Vishery, Constable**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

'C' Coy of 17 Bn BSF was deployed in District Palamu of Jharkhand for State Assembly Election duty in the month of Jan/Feb 2005. The coy was earmarked for conducting re-polling at Mittar polling station under PS Manatu (Jharkhand) which is a stronghold of Naxalites. On 07th Feb 2005 at about 0750 hrs, troops of 'C' Coy 17 Bn BSF proceeded on foot to the polling station Mittar. The route was through dense forest with undulating terrain. Enroute to polling station Mittar, troops of patrolling party were ambushed by the Naxalites by activating series of land mines followed by heavy volume of fire. Constable Tenison Jamatia and Constable Vishery of 17 Bn BSF who were leading the foot column bore the full impact of the land mine blast resultantly both of them sustained severe multiple splinter injuries on their face. In spite of their injuries they retaliated the fire gallantly and forced the Naxalites to retreat. In this encounter Ct Tenison Jamatia and Const Vishery of 17 Bn BSF displayed exemplary courage and conspicuous action without caring for their personnel safety and foiled the ambush laid by Naxalites and avoided casualty to own troops. In this counter ambush Ct Tenison Jamatia made supreme sacrifice in the service to the nation.

In this encounter S/Shri (Late) Tenison Jamatia, Constable, and Vishery, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th February, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 74 –Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Ramesh T.**
   Constable
2. **Mukesh,**
   Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 28th July 2004, based on a specific information regarding presence of two armed dreaded militants of Lashker-e-Taiba in the village-Wathoora of Budgam (Srinagar) J & K. A cordon and search operation was launched by the troops of 96 Bn BSF. Sub-Inspector Mukesh, party commander of one of the cordon party took position stealthy behind the target house. Visibility was low as the area was covered with thick under growth and orchids. After appreciating the situation, SI Mukesh along with four members of his group took position just behind the house to cover the likely escape route of the militants from the back of the house. After some time Sub-Inspector Mukesh observed two militants at a distance of 10 to 15 mtrs. On coming closer, the militant in the front spotted the BSF troops, and he opened fire on Sub-Inspector Mukesh and his party. Subsequently the second militant also started firing. SI Mukesh with utter disregard to his life retaliated the fire effectively and shot one militant on the back side resulting which he fell down. Constable Ramesh T on seeing the militant fall, took position and fired accurate shot killing the militant on the spot. The second militant who was hiding in a nearby house, lobbed a grenade on the cordon party and by taking the advantage of blast and shock effect, jumped out of the room and managed to escape. Dead body of one militant who was later identified as Faishal Shah (code Abu Musa) @ Naeem Bhai along with 01 AK 47 Rifle, 06 AK Mag and 175 rounds of AK Series were recovered from the area.

In this encounter S/Shri Ramesh T., Constable, and Mukesh, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28th July, 2004.

BARUN MITRA
Director

No. 75 –Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force:.-

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri M. Srinivasa,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On receipt of reliable information on 20/3/2004, one section of B/83 Bn, CRPF, under the command of No. 830440194 HC/GD Gajraj Singh with six constables of B/83 Bn, under over all Ops command of the SHO, Kothaguda PS alongwith three constables of AP Police left for lying ambush and search Ops at 1900 hrs in the Eddullapally village area which is about 10 Kms towards North of P.S Kothaguda. At about 2300 hrs, when the party was laying ambush near Eddullapally Village under P.S Kothaguda, cries of ladies and children were heard by the CRPF party. Immediately the party approached the house where from the cry was coming and found some PWG extremists thrashing a man very badly who reported to be Shri Penthala Karunakar, TDP leader, inspite of attempts made by 12 to 14 civilians to rescue him from the naxalites. Immediately the CRPF Party Commander ordered the CRPF personnel under his command to cordon off the house. No. 881132879 CT M. Srinivasa and No. 9543322132 CT D. Baruah started crawling tactically towards extreme end of right flank to form cordon. On seeing them, one naxalite fired indiscriminately through his SLR towards Ct M. Srinivasa. But Ct M. Srinivasa, without caring for his life and personal safety, advanced tactically towards the extremist of PWG, by exhibiting conspicuous courage and opened fire from his SLR which hit the extremist of PWG and caused his death. The slain extremist was identified as one Moola Ramesh @ Ranjith, Area Commander of Guerrilla Squad, Narsampet of CPI (ML), PWG on whom Government of AP announced a reward of Rs. One Lakh. The gallant action by Ct Srinivasa saved the life of Shri Penthala Karunakar, TDP leader and resulted the death of Moola Ramesh @ Ranjith, Area Commander of guerrilla squad of PWG and recovery of one 7.62 mm SLR and two magazines loaded with 17 no. of ammn. 33 Nos of Detonators, 3 Bombs, one Camera fitted with flash and two kit bags containing some incriminating documents from his possession.

In this encounter Shri M. Srinivasa, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20th March, 2004.

BARUN MITRA
Director

No. 76 –Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Raksha Ram Pathak, **(Posthumous)**
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Const/GD Raksha Ram Pathak was amongst the few who volunteered to join the Anti-sabotage Team of the unit. The individual after undergoing the requisite training in Anti-sabotage duty was selected as a member of the Anti Sabotage Team and posted to F/141. On 15th Jan, 2005 at around 0655 hrs. when the anti-sabotage search party consisting of one SI, two HCs and 6 Cts of F/141 were undertaking search in the Pampora area near mile stone 281; Const/GD Raksha Ram Pathak was in the front of the party with a prodder. He alerted the members of his party when he sensed some mischief in the area on the left side of a parapet wall of a small bridge along side the NH-1A were there was foliage and thick vegetation. Const/GD Raksha Ram Pathak himself advanced after asking the other party members to stay back and searched the area in the focus of the HHSL held by No. 031412426 CT/GD Vijay Kumar who stayed back at a little distance. Const Raksha Ram Pathak advanced cautiously using his prodder without caring for his own life. When he was on the verge of detecting the hidden I.E.D., the militants who had planted the remote controlled I.E.D., detonated the same, as a result of which there was a powerful blast and Const/GD Raksha Ram Pathak was thrown 15 meters away from the site and landed on the other side of the road. The blast had further resulted in the entire parapet wall being blown off. Const/GD Raksha Ram Pathak who had taken all the precautionary measures by wearing the Bullet Proof Jacket and helmet however sustained injuries to his eyes besides multiple splinter injuries and burn wounds over his chest, abdomen, scrotum and legs besides fracturing his ribs with a ruptured liver. The individual survived the immediate impact of the blast and was promptly shifted to 92 Base Hospital where he remained admitted till 19th Jan, 2005 but unfortunately succumbed to his injuries at 1500 hrs. on 19/1/2005. Const/GD Raksha Ram Pathak who had displayed signs of valour right since the time he joined the unit, ventured in locating the I.E.D. risking his live when he had sensed mischief in the area. He had

further shown concern for his colleagues' safety and he himself courageously ventured on the arduous task which not only saved the lives of his colleagues but also averted loss of life and property of SFS convoy for whom the I.E.D. was planted. Only two other Constables of his party viz. Ct. V. Vijay Kumar who was holding the HHSL and CT Raj Kumar sustained minor injuries while he sacrificed his life. Const/GD Raksha Ram Pathak who bore the brunt of the blast was successful in thwarting the malafide intentions of the militants by sacrificing his life.

In this encounter (Late) Shri Raksha Ram Pathak, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 15th January, 2005.

BARUN MITRA
Director

No. 77 –Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri K.R. Ranga Swamy,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 12/5/2003, a party of 12 men along with Shri L. David, A/C, O/C, C/113 Bn, CRPF, proceeded to Kupwara (J&K) in two vehicles (Gypsy and one tonner) for encashment of Bank Draft of pay for the month of April 2003 of C/113 Bn, CRPF personnel from State Bank of India, Kupwara. On reaching SBI, Kupwara, the party found that the Bank was not open, hence OC decided to pick up No. 880909346 S/K B.K. Ramaiah from DPL, Kupwara (Dett/113) who was sent on 9/5/2003 to DPL for maintenance. After collecting S/K B.K. Ramaiah, the party reached SBI Kupwara which was open by that time and after ensuring proper deployment of protection party in front of SBI, the OC entered the Bank along with four CRPF men. At about 1045 hrs, terrorists suddenly appeared in CPMF/Police Uniform and started indiscriminate firing from a vacant hotel above the U.P. Sweet House building. First burst hit No. 931130457 Ct/GD B. Prasad and No. 880909346 S/K B.K. Ramaiah killing them on the spot. No. 941382495 Ct/GD K.R. Ranga Swamy also received bullet injuries in his left thigh. Other personnel of the party retaliated fire of terrorists and a gun battle ensued. The fidayeen were firing indiscriminately and lobbing grenades. Thereafter Fidayeen also tried to lob grenade inside the Bank with a view to inflict heavy casualties to Force personnel as well as to customers who were inside the Bank. At this moment, CT/GD K.R. Ranga Swamy showing presence of mind

reacted with lightning speed and fired at the fidayeen who was trying to enter the bank and hit him in the thigh which resulted in the Fidayeen slipping in the Morcha losing the grip of the grenade. The grenade exploded and as a result the portion above the neck of Fidayeen was blown up and the fidayeen was killed. No. 941382495 Ct/GD K.R. Ranga Swamy was fully aware that the other terrorist may see him firing at the Fidayeen and fire at him but still showing indomitable courage and not caring for his life, he fired at the terrorist showing high order of valour due to which the terrorist was killed. This speaks volumes about the sincerity and a high sense of responsibility on the part of CT/GD K.R. Ranga Swamy who saved hundreds of precious lives and government property as the terrorist who was trying to enter the bank could have easily killed many people as the bank was full of customers. The other terrorist who was in the process of running towards Haihama Chowk saw that Ct/GD K.R. Ranga Swamy had killed his companion and pumped a volley of fire on CT/GD K.R. Ranga Swamy injuring him seriously and managed to escape from the scene. Thus in the said incident, CT/GD K.R. Ranga Swamy of 113 Bn, CRPF, though seriously injured in the first burst of bullets fired by the terrorists and knowing fully well that he will be exposing himself to the fire of other terrorist, fired at the fidayeen who was trying to enter the Bank by showing a high order of valour and not caring for his life.

In this encounter Shri K. R. Ranga Swamy, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12th May, 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 78 –Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Pawan Kumar Singh,**
   Deputy Commandant
2. **Suresh Kumar,**
   Head Constable
3. **Ramanuj Kumar Singh,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

In the intervening night of 10th and 11th May 2004, an information received

from reliable source that two to three senior commanders of Hizb-ul-Muzahideen outfit will be passing through Pandiach Srinagar, who were planning to wipe out senior politicians of valley by carrying out a suicide bomber (Fidayeen attack) so that terror could be elevated. Shri Pawan Kr.Singh,DC,OPS(IRLA No 4729) grabbed the opportunity to thwart their nefarious motive. The Officer was well versed with the difficult terrain. He appreciated the ground situation and planned an ambush. Setting personal example and leading from the front, Shri Pawan Kumar Singh, placed himself at the most probable site alongwith HC/GD Suresh Kumar and CT/GD Ramanuj Kr.Singh and three SOG(JKP) personnel. At around 0025 hours on 11/5/2004, the scout observed suspicious movement. Keeping his cool, Shri Pawan Kumar Singh ordered his men to hold fire and allow the suspects to come closer. On reaching the killing zone, they were challenged to disclose their identity, but they fired indiscriminately and took cover. Ensuring proper fire discipline, command and control, Shri Pawan Kumar Singh neutralised the fire of the militants. Militants banged back with throwing several grenades and opening heavy volume of fire to inflict maximum casualties to the operating party. Shri Pawan Kumar Singh did not loose his nerves. Taking full charge of the situation he devised a strategy and conveyed his men to shift positions in order to avoid casualty and carry out target oriented attack on the militants. Shri Pawan Kumar Singh ordered his buddy HC Suresh Kumar and CT Ramanuj Kumar Singh of 116 BN & 3 SOG(JKP) personnel to give him covering fire from right flank.Using ground tactically under heavy volume of fire both of small arms and grenades they got up intelligently, re-adjusted their positions, crawled to the suggested point on right flank and continuously fired at the hiding militant to pin him down. Shri Pawan Kumar Singh with utter disregard to his personal safety charged forward and shot dead the dreaded militant in close quarter battle who was later on identified as SHAKEEL ANSARI, OPERATIONAL CHIEF OF HIZB-UL-MUZAHIDEEN.

In this encounter S/Shri Pawan Kumar Singh., Deputy Commandant, Suresh Kumar, Head Constable and Ramanuj Kumar Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 11th May, 2004.

BARUN MITRA
Director

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 19th December 2006

RESOLUTION

No. Q/Hindi/621/21/2006

In partial modification of Resolution No. Q/Hindi/621/88/98, dated 8 Feb. 2005, Shri Kunwar Manvendra Singh, MP (Lok Sabha) and Shri Dwijendra Nath Sharma, MP (Rajya Sabha) are nominated as members of the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of External Affairs in place of Shri Naveen Jindal, MP (Lok Sabha) and Smt. Kamla Manhar, MP (Rajya Sabha) respectively. Shri Alok Mehta and Shri. Balkavi Bairagi are nominated as non official members of the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of External Affairs in place of Shri Himanshu Joshi and Dr. Ved Pratap Vaidik for the remaining term of the Committee. The functions, jurisdiction and tenure of the Committee will remain unchanged.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the following:-

President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Committee of the Parliament on Official Language, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Director of Audit, Central Revenue, All members of the Samiti and All Ministries and Departments of the Govt. of India.

Ordered also that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V.P. HARAN
Jt. Secy. (AD)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 23rd January 2007

RESOLUTION

No. 2/2/2003-NS.I-Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs vide its Resolution dated 29.10.2003 restructured the National Savings Organization (NSO), a subordinate office/organization, functioning under the administrative control of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi into National Savings Institute (NSI).

Para 2 of the said Resolution gives the details of staff of the National Savings Institute.

The following amendments, redesignating the Posts mentioned at S.No. 1 and S.No. 8 in the Table given in Para 2 of the said Notification are notified as follows in partial modification of the Resolution No. 2/2/2003-NS(I) dated 29.10.2003.

The Table below para 2, entries at S.No. 1 and 8 may be substituted by the following entries, namely :

S.No.	Name of Post	Scale of Pay	No. of posts (including Leave reserve)
1.	Director	18400-500-22400	1
8.	Private Secretary	6500-200-10500	1

L.M. VAS
Jt. Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi, the 25th January 2007

No.SM/25/003/05-II. The Central Government hereby makes the following amendment in the Resolution for the Constitution of National Spatial Data Infrastructure, published in the Gazette of India, Part-I, Section I, dated the 1st July, 2006 vide Number SMP/25/003/05 dated 13th June, 2006, namely:-

In the said Resolution, in para 6 relating to 'Rules & procedure', for the word "Chairman", the word "President" shall be substituted.

S. CHAKRAVARTHY
Under Secy.

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

New Delhi-110003, the 9th January 2007

RESOLUTION

No.MoES/Secy/EC/1/2006.—

Realizing that the monsoons influence national life in critical ways and affect the lives of the people of India, recognizing that the atmosphere, the oceans and land form a complex coupled system, noting that the country has been the victim of a variety of natural disasters including droughts, floods, earthquakes, tsunamis etc., and noting that for both the common man and for agriculture, fisheries, and all industrial activity in general land and water are major resources, the Government has resolved to take a major new initiative to integrate the national effort in earth sciences. It is realized that the twenty first century is likely to be dominated by concerns regarding water, global climate change, environment, land use and ocean resources. The activities and programmes that government departments have established at various times now need to be integrated as the need for taking such an integrated view that includes atmosphere, land and ocean is being increasingly recognized across the world, and has led to the emergence of earth system science as a major inter-disciplinary scientific endeavour internationally and within nations.

2. In order to achieve its objectives in meteorology, ocean science and technology, seismology and related earth sciences, the Government of India have decided to establish Ministry of Earth Sciences (MoES), overseen by an Earth Commission constituted with full executive and financial powers modeled on the lines of the Atomic Energy Commission and Space Commission.

3. CONSTITUTION OF THE COMMISSION

(a) The Commission will be under the Minister in charge of Earth Sciences.

(b) The Commission shall consist of full-time and part-time members. The total number of members shall be not less than four and not more than twelve.

(c) The Secretary to the Government of India in the Ministry of Earth Sciences will be the Chairman of the Commission.

(d) A member of the Commission shall be the Member (Finance), and also be ex-officio Secretary to the Government of India in the Ministry of Earth Sciences in financial matters.

4. FUNCTIONS

The Earth Commission shall have the following mandate.

(a) Formulation of the policies of the Ministry of Earth Sciences

(b) Preparation of the budget for the Ministry

(c) Implementation of rules and policies in all matters concerning earth sciences coming under the purview of MoES

(d) Assessment of the manpower requirement for each of its centres/institutes with a view to sanctioning/pruning/redeploying manpower in and across organizations under its control

(e) Establishing its own mechanisms for selection and recruitment of the high level manpower required for MoES programmes

(f) Promoting a strong initiative in human resource development so that appropriate trained manpower is available for national programmes in earth sciences, and establishing funding mechanisms for promoting research in different branches of earth sciences among universities and other centres of research

(g) Acting as nodal authority on all activities relating to earth sciences being carried out by various agencies of the Government, and integrating such activities with the programmes of the Earth Commission

(h) Creating suitable executive mechanisms, including the establishment of such additional centres and units as may be necessary and appropriate, for carrying out the tasks of MoES, from time to time

(i) Creating a suitable networking mechanism through programme offices to meet programme/project objectives, within the centres and units of MoES and other organizations engaged in complementary functions.

(j) Taking steps for enactment of suitable national legislation by Parliament on matters pertaining to earth sciences.

5. Within the limits of the budget provision approved by Parliament, the Commission shall have the powers of the Government of India, both administrative and financial, for carrying out the work of the Ministry of Earth Sciences.

6. CHAIRMAN

(a) The Chairman, in his capacity as Secretary to the Government of India in the Ministry of Earth Sciences, shall be responsible for arriving at decisions on technical questions and advising Government on matters of earth science policy. All recommendations of the Commission on policy and allied matters shall be put up to the concerned Minister through the Chairman.

(b) The Chairman shall have the powers to overrule the other Members of the Commission, except that the Member for Finance shall have the right to ask that any financial matter, in which he does not agree with the Chairman, be referred to the Minister in charge and the Finance Minister.

(c) The Chairman may authorize any member of the Commission to exercise on his behalf, subject to such general or special orders as he may issue from time to time, such of his powers and responsibilities as he may decide.

7. MEMBER FOR FINANCE

The Member for Finance shall exercise the powers of the Government of India in financial matters concerning the Ministry of Earth Sciences except in so far as such powers have been, or may in future be, conferred on or delegated to the Ministry.

8. The Commission shall have power to frame its own rules of procedure. The Commission shall meet at such times and places as may be fixed by the Chairman.

9. The performance of the reorganized entities in Earth Commission will be reviewed after three years for carrying out improvements as necessary.

<u>Order</u>

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries/Departments of the Government of India and all the States Governments/Union Territories

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

PRAKASH KUMAR
Jt. Secy. & Secy. of Earth Commission

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-1, the 25th January 2007

CORRIGENDUM

No. F.9-25/2000-U.3.—

In partial modification of this Ministry's notification No. 9-25/2000-U.3 dated December 28, 2006 the word 'School' as mentioned in the aforesaid notification may be replaced with 'College', and read as follows:

The Central Government on the request of the Vidyapeetham and on the advice of the University Grants Commission (UGC) in this respect, hereby allow the change of name of the aforesaid constituent institution of the Vidyapeetham, viz., 'Amrita Institute of Nursing Sciences, Kochi' as 'Amrita College of Nursing, Kochi' with immediate effect.

KESHAV DESIRAJU
Jt. Secy.

New Delhi, the 5th February 2007

No.F.3-1/2007-U.3.—

Government of India is pleased to nominate Shri K.M. Acharya, Additional Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development as Chairman, Indian Council of Historical Research (ICHR) as a purely temporary measure in the interest of work, pending the nomination of a regular Chairman. Shri K.M. Acharya shall assume the Office of Chairman, Indian Council of Historical Research (ICHR) with immediate effect.

RAVI MATHUR
Jt. Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 5th February 2007

RESOLUTION

No.F.12-30/2006-A&A. Government are pleased to reconstitute the Advisory Committee for the Anthropological Survey of India with the following composition to advise it on the programmes of research, surveys and other activities.

Members :

1.	Shri Badal K. Das, Secretary, Ministry of Culture, Shastri Bhawan, New Delhi	Chairman
2.	Prof. T.N. Madan, Emeritus Professor, Institute of Economic Growth and Chairman, Centre for Study of Developing Societies, Delhi, University Enclave, Delhi – 110007	Member
3.	Prof. A.C. Bhagabati, (Retired Professor of Anthropology and Ex-Vice-Chancellor, Arunachal University) Honorary Coordinator, Field Station, North East India, IGNCA National Highway, 37 (By pass), Jalukbari, Guwahati – 781014	Member
4.	Prof. E. Haribabu, Professor and Head of the Department, Department of Sociology, University of Hyderabad, Hyderablad – 500046	Member
5.	Prof. T.B. Subba, Professor, Department of Anthropology, North-Eastern Hill University, Shillong, Mehgalaya – 783014	Member
6.	Prof. S.B. Roy, Consultant Principal Faculty and Hony. Chairman, IBRAD, 3-A, Hinduthan Road, Gaiahat, Kolkata – 700029	Member
7.	Dr. P. S. Chauhan, (Former Emeritus Medical Scientist, ICMR, Mumbai and Retired Head, Cell Biology, BARC), Chamhanas, RH # 99, Sector – 18-A. Nerul – West, Navi Mumbai - 400706	Member
8.	Dr. (Ms.) Dipika Mohanty, (Ex-Director, Institute of Immunohaematology, Mumbai), 'Vijanpuri', Dolamundai, Cuttack – 9	Member

9.	Prof. K.K. Basa, Director, Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, (Professor and Former Head of Department of Anthropology, Utkal University), Post Bag No. 2, Shamla Hills, Bhopal – 462013	Member
10.	Dr. S.B. Ota, Superintending Archaeologist, National Mission on Monuments and Antiquities, Archaeological Survey of India, Janpath, New Delhi – 110001	Member
11.	Dr. S.R. Walimbe, Associate Professor, Department of Archaeology, Deccan College Research Institute, Pune – 411006	Member
12.	Prof. P.K. Misra, (Ex-Professor, Anthropology, North East Hill University, Shilong), Sudarshan, E 583, J.P. Nagar, First Stage, 17th Main, Mysore – 570008	Member
13.	Prof. Madhav Gadgil, (Professor at Centre for Ecological Science, Indian Institute of Science, Bangalore), Agarkar Research Institute, Agarkar, Pune – 411004	Member
14.	Prof. P.S. Ramakrishnan, INSA – Senior Scientist and Emeritus Professor, School of Environmental Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi - 110067	Member

Ex-officio Members :

15.	Professor and Head of the Department, Department of Anthropology, Delhi University, Delhi – 110007	Member
16.	Director, Department of Archaeology, Deccan College Research Institute, Pune -411006	Member
17.	Director General, Archaeological Survey of India, Janpath, New Delhi 110011	Member
18.	Director General, Indian Council of Medical Research, Ansari Nagar, Post Box No. 4911, New Delhi - 110029 .	Member
19.	Member Secretary, Indian Council of Social Science Research, Aruna Asif Ali Marg, Post Box No. 10528 New Delhi - 110067	Member

20.	Secretary, Department of Biotechnology (DBT), Block - II, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi – 110003	Member
21.	Advisor (SC/ST), Planning Commission, 454, Yojana Bhawan New Delhi - 110001	Member
22.	Director, Anthropological Survey of India, 27, Jawaharlal Nehru Road, Kolkata - 700016	Member Secretary

Terms of Reference of the Advisory Committee:

(i) To review the programme of research, surveys and other activities of the Anthropological Survey of India from time to time and to make recommendations to the Government upon them;

(ii) To recommend specific measure for collaboration between the Anthropological Survey of India and National and International University Departments and Institutions with particular reference, to co-operative research subjects, exchange of personnel, special studies, seminars, symposia and publications; and

(iii) To advise on all other matters that might be specifically referred to it by the Government.

2. The terms of office of Members of the Advisory Committee shall be five years from the date of issue of the resolution. The Government may, however, terminate the membership of any member before the completion of the term without assigning any reason or may reconstitute the Advisory Committee in its entirety.

3. The Committee shall meet as often as necessary but atleast once a year.

ORDER

Ordered that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

VARSHA SINHA
Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 17th February 2007

RULES

No. 2006/E(GR)I/1/4—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 2007 for selection of candidates for appointment as Special Class Apprentices in Mechanical Department of Indian Railways are published for general information.

2. The number of vacancies to be filled on the result of the examination will be finalised by the Govt. before declaration of results of examiantion. Reservation will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

3. The examination will be conducted by the Commission in the manner prescribed in Appendix I to these rules.

4. The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

A Canidate must be either:—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) A Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January 1962, with the intention of permanently setting in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania or from Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India. Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Governnment of India.

A candiate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of application may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

5. (a) A candidate must have attained the age of 17 years and must not have attained the age of 21 years on 1st August, 2007 i.e. he must have been born nor earlier than 2nd August, 1986 and nor later than 1st August, 1990.

(b) The upper "age limit prescribed" above will be relaxable :—

(i) upto a maximum of five years if a candiate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) upto a maximum of three years in the case of candiats belonging to Other Backward Classes who are eligible to avail of reservation applicable to such candidates.

(iii) upto a maximum of five years if a candidate had ordinarily been domiciled in the State of Jammu & Kashmir during the period from 1st January 1980 to the 31st day of December, 1989;

(iv) upto a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(v) upto a maximum of five years in the case of Ex-servicemen including Commissioned Officers and ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st August, 2007 and have been released (i) on completion of assignment including those whose assignments is due to be completed within one year from 1st August, 2007 otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or (ii) on account of Physical disability attributable to Military Service, on (iii) on invalidment;

(vi) upto a maximum of five years in the case of ECOs/SSCOs who have completed an initial period of assignment of five years of Military Service as on 1st August, 2007 and whose assignment has been extended beyond five years and in whose case the Ministry of Defence issues a certificate that they can apply for civil employment and they will be released on three months notice on selection from the date of reeipt of offer of appointment.

Note I— Candidate belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes who are also covered under any other clauses of Rule 5 (b) above, viz. to those coming under the category of Ex-servicemen, persons domiciled in the State of J & K will be eligible for grant of cumulative age-relaxation under both the categories.

Note II— The term ex-servicemen will apply to the persons who are defined as Ex-servicemen in the Ex-servicement (Re-employment in Civil Services and Posts) Rules, 1979 as amended from time to time.

Note III—The age concession under Rule 5 (b) (v) and (vi) will not be admissible to Ex-servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs, who are released on own request.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED

The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University which extract must be certified by the proper authority of the University or in the Higher Secondary or an equivalent examination certificate.

No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extract from Municipal Corporation, Service records and the like will be accepted.

The expression matriculation/Higher Secondary Examination Certificate in this part of the instructions include the alternative certificates mentioned above.

Note 1— Candidates should note that only the date of Birth as recorded in the Matriculation/Secondary Examination Certificate or an equivalent certificate on the date of submission of application will be accepted by the Commission and no subsequent request for its change will be considered or granted.

Note 2— Candidates should also note that once a date of birth has been claimed by them and entered in the records of the Commission for the purpose of admission to an Examination, no change will be allowed subsequently (or at any other Examination of the Commission) on any grounds whatsoever.

6. A candidate—

(a) must have passed in the first or second division, the Intermediate or an equivalent Examination of a University or Board approved by the Government of India with Mathematics and at least one of the subjects Physics and Chemistry as subject of the examination.

Graduates with Mathematics and at least one of the subjects Physics and Chemistry as their degree subjects may also apply, or

(b) must have passed in the first or second division the Higher Secondary (12 years) Examination under 10 plus 2 pattern of School Education with mathematics and at least one of the subjects Physics and Chemistry as subject of the examination, or

(c) must have passed the first year Examination under the three-year degree course of a University or the first examination of the three-year diploma course in Rural Service of the National Council for Rural Higher Education or the third year Examination for promotion to the 4th year of four-year B.A./B. Sc. (Evening College) Course of the Madras University with Mathematics and at least one of the subjects Physics and Chemistry as subject of the examination provided that before joining the degree/diploma course he passed the Higher Secondary Examination or the Pre-University or equivalent Examination in the first or second division. Candidates who have passed the first/second year examination under the three-year degree course in the first or second division with Mathematics and either Physics or Chemistry as subjet of the examination may also apply, provided the first/Second year examination is conducted by a University, or

(d) must have passed in the first or second division the Pre-engineering Examination of a University, approved by the Government or India; or

(e) must have passed in the first or second division the Pre-Professional/Pre-Technological Examination of any Indian University or recognised Board with Mathematics and at least one of the subjects Physics and Chemcistry as subject of the examination conducted one year after the Higher Secondary or Pre-University stage; or

(f) must have passed the first year examination under the five year Engineering Degree Course of a University provided that before joining the Degree Course he passed the Higher Secondary Examination or Pre-Univierstiy or equivalent examination in the first or second division.

Condidates who have passed the first year Examination of the Five-year Engineering Degree Course in the first or second division may also apply provided the first year examination is conducted by a University; or

(g) must have passed in the first or second division the Pre-Degree Examination of the Universities of Kerala and Calicut with Mathematics and at least one of the subjects Physics and Chemistry as subject of the examination.

Note I— Candidates who are not awarded any specific division by the University/Board either in the Intermediate or any other examination mentioned above will be condidered educationally eligible provided their aggregate of marks falls within the range of marks for first or second division as prescribed by the University/Board concerned.

Note II— Condidates who have appeared at an examination the passing of which would render them eligible to appear at the examination but have not been informed of the result may apply for admission to the examination. Candidates who intend to appear at such a qualifying examination may also apply. Such condidates will be admitted to the

examination, if otherwise eligible, but their admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation, if they do not produce proof of having passed the requisite qualifying examination along with the detailed application which will be required to be submitted by the condidates who qualify on the results of the written part of the examination.

Note III— In exceptional cases, the Commission may treat a condidate, who has not any of the qualifications precribed in this rule, as educationally qualified provided that he possesses qualifications the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

Note IV— Diplomas in Engineering awarded by the State Board of Technical Education are not acceptable for admission to the Special Class Railway Apprentice' Examination.

7. Candidates must pay the fee prescribed in the Commission's Notice.

8. All condidates in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as work-charged employees, other than casual or daily-rated employees or those serving under Public Enterprises will be required to submit an undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have applied for the examination.

Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their application will be liable to be rejected/ candidature will be liable to be cancelled.

9. The decision of the Commission with regard to the acceptance of the application of a candidate and his eligibility or otherwise for admission to the examination shall be final.

The candidates applying for examination should ensure that they fulfil all the eligibility conditions for admission to the examination. Their admission at all the stages of examination for which they are admitted by the Commission viz. Written Examination, and Interview Test will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verfication at any time before or after the written Examination and Interview Test, it is found that they do not fulfil any of the eligibility conditions, their condidature for the examination will be concelled by the Commission.

10. No condidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

11. A condidate who is or has been declared by the Commission to the guilty of :—

(i) obtaining support for his candidature by any means; or

(ii) impersonating; or

(iii) procuring impersonation by any person; or

(iv) submitting fabricated document or documents which have been tampered with; or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information; or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his condidature for the examination; or

(vii) using unfair means during the examination; or

(viii) writing irrelevant matter including obscene language or pronographic matter, in the Script(s); or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) harasssing or doing bodily harm to the staff employed by the commission for the conduct of their examination; or

(xi) being in possession of or using mobile phone, pager or any electronic equipment or device or any other equipment capable of being used as a communication device during the examination; or

(xii) violating any of the instructions issued to candidate alongwith their Admission Certificate permitting them to take the examination; or

(xiii) attempting to commit or as the case may be abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination of which he is a condidate; and/or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period:—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after—

(i) giving the candidate an apportunity of making such repesentation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any, submitted by

the candidate, within the period allowed to him into consideration.

12. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion, shall be summoned by them for the personality Test.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or the Other backward Classes may be summoned for the Personality Test by the Commission by applying relaxed standards if the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be summoned for the Personality Test on the basis of the general standard in order to fill up the vacancies reserved for them.

13. (i) After the interview, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate mark finally awarded to each candidate in the written examination as well as interview and in that order so many candidates are found by the Commission to be qualified at the examination shall be recommended for appointment upto the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

(ii) The candidates belonging to any of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or Other Backward Classes may, to the extent of the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes be recommended by the Commission by a relaxed standard subject to the fitness of these candidates for selection to the Service.

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the other Backward Classes who have been recommended by the Commission without resorting to any relaxations/concessions in the eligibility or selection criteria, at any stage of the examination, shall not be adjusted against the vacancies reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes.

14. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result

15. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate having regard to his character and antecedents is suitable, in all respects for appointment to the Railway Service.

16. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the service. A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe, is found not to satisfy these requirements will not be appointed. The medical examination shall be conducted only of the candidates who are declared finally qualified by the UPSC on the basis of Special Class Railway Apprentices Examination 2007.

A communication for medical examination will be issued by the Ministry of Railways to the candidates individually at the address for communication indicated by them to the UPSC. In case any candidate does not receive such communication from the Ministry of railways within 21 days from the date of declaration of final result, he/she shall get in touch with them to have the date of medical examination. Failure to do so within 21 days from the date of declaration of final result, will forfeit his/her claim for medical examination and thereby allotment on the basis of Special Class Railway Apprentices Examination 2007. For the purpose of Medical Examination the successful candidates will be required to present themselves, before the Additional Chief Medical Officer, Central Hospital, Northern Railways, Basant Lane, New Delhi. In case the candidates are wearing glasses, they should take with them, the latest number of glasses to the Medical Board.

No request for change in the date of medical examination or in its venue would be acceded to.

The candidates should note that no request for grant of exemption from medical examination will be entertained under any circumstances.

The candidates may also please note :

(i) a sum of Rs. 16 (Rupees sixteen only) in cash, is required to be paid by them to the Medical Board;

(ii) no travelling allowance will be paid for the journey performed in connection with medical examination and

(iii) the fact that a candidate has been physically examined will not mean or imply that he will be considered for appointment.

THE CANDIDATES SHOULD NOTE THAT THEY WILL NOT RECEIVE ANY SEPARATE INTIMATION REGARDING MEDICAL EXAMINATION FROM THE MINISTRY OF RAILWAYS.

Note.—In order to prevent disappointment, candidates are advised to have themselves examined by a Government medical officer of the standing of a Civil Surgeon before applying for admission to the examination. particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standards required are given in Appendix-II to these Rules. For the disabled ex-Defence Services personnel the standards will be relaxed consistant with the requirements of the service.

17. No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living; has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to service :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

18. Conditions or apprenticeship for the Special Class Apprentices selected through this examination are given in Appendix-III, brief particulars relating to the Indian Railway Service of Mechanical; Engineers are also given in Appendix- IV.

MAMTA KANDWAL
Deputy Director,
(Railway Board)

APPENDIX-I

(See Rule 3)

The examination shall be conducted according to the following plan:—

Part I—Written examination carrying a maximum of 600 marks in the subject as shown below;

Part II—Personality Text carrying a maximum of 200 marks (vide Rule 12).

2. The subjects of the written examination under Part I, the time allowed and the maximum marks allotted to each subject/paper shall be as follows:—

Sl. No.	Subject	Code No.	Time Allowed	Maxi-mum marks
1	2	3	4	5
Paper-I	General Ability Test (English, General Know-ledge and Psy-chological Test)	01	2 Hours	200
Paper-II	Physical Sciences (Physics and Chemistry)	02	2 Hours	200
Paper-III	Mathematics	03	2 Hours	200
	Total Marks			600

3. THE PAPER IN ALL THE SUBJECTS WILL CONSIST OF OBJECTIVE (MULTIPLE CHOICE ANSWERS) TYPE QUESTIONS ONLY. THE QUESTION PAPERS WILL BE SET IN ENGLISH ONLY.

4. IN THE QUESTION PAPERS WHEREVER REQUIRED SI UNITS WILL BE USED.

5. Question papers will be approximately of the Intermediate standard.

6. candidates must write the answers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

7. The Commission have the discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects at the examination.

8. The candidates are not permitted to use calculators for answering objective type papers (Test Booklets). They should not therefore bring the same inside the Examination Hall.

9. The syllabus for the examination will be as shown in the attached Schedule.

SCHEDULE

PAPER-I

(i) English

The questions will be designed to test the candidate's understanding and command of the language.

(ii) General Knowledge

The questions will be designed to test a candidate's general awareness of the environment around him and its application to society. The standard of answers to questions should be as expected of students of standard 12 or equivalent.

Man and his environment—

Evoluation of life, plants and animals, heredity and environment—Genetics, cells, chromosmes, genes.

Knowledge of the human body—nutrition, balanced diet, substitute foods, public health and sanitation including control of epidemics and common diseases, Environmental Pollution and its control. Food adulteration proper storage and preservaton of foodgrains and finished products, population explosion, population control. Production of food and raw materials. Breeding of animals and plant, artificial inseminatation manures and fertilisers, crop protection measures, high yielding varieties and green revolution, main cereal and cash crops of India.

Solar system and the earth, Seasons, Climate, Weather, Soil—its formation, erosion Forests and their uses. Natural calamities cyclones floods, earthquake volcanic eruptions, Mountains and rivers and their role in irrigation in India, Distribution of Natural resources and industries in India. Exploration of under-ground minerals including Oil. Conservation of natural resources with particular reference to the flora and fauna of India.

History, Politics and Society in India.

Vedic, Mahavir, Buddha, Mauryan, Sunga, Andhra, Kushan, Gupta ages (Mauryan Pillars, Stupa Caves, Sanchi, Mathura, and Gandharva Schools : Temple architecture, Ajanta and Elora). The rise of new social forces with the coming of Islam, and establishment of broader contacts. Transition from feudalism to capitalism. Opening of European

contracts. Establishment of British rule in India. Rise of nationalism and national struggle for freedom culminating in Independence.

Constitution of India and its characteristic features—Democracy, Secularism, Socialism, equality of opportunity and Parliamentary form of Government. Major political ideologies—democracy, socialism, communism and Gandhian idea of non-violence. Indian political parties, pressure groups, public opinion and the press, electrol system.

India's foreign policy and non-alignment—arms race balance of power. World organisations—political, social, economic and cultural. Important events (including sports and cultural activities) in India and abroad during the past two years.

Broad features of Indian social system—The caste system hierarchy,—recent changes and trends. Minority social institution—marriage, family, religion and acculturation.

Division of labour, co-operation, conflicts and competition, Social control—reward and punishment art, law, customs, propaganda, public opinion, agencies of social control—family religion, state educational institutions; factors of social change—economic, technological, demographic, cultural the concept of revolution.

Social disorganisation in India—Casteism communalism corruption in public life, youth unrest, beggary, drugs, delinquency and crime, poverty and unemployment.

Social planning and welfare in India, cummunity development and labour welfare; welfare of scheduled castes and backward classes.

Money, taxation, price, demographic trends, national, income, economic growth, Private and Public Sector; economic and non-economic factors in planning, balanced versus imbalanced growth, agricultural versus industrial development; inflation and price stabilisation, problem of resources mobilisation India's Five Year Plans.

(iii) PSYCHOLOGICAL TEST

The questions will be designed to assess the basic intelligence and mechanical aptitude of the candidate.

PAPER-II

(i) PHYSICS

Length measurements using vernier, screw gauge, spherometer and optical lever.

Measurement of time and mass.

Straightline motion and relationships among displacement velocity and acceleration.

Newton's laws of motion, Momentum, impulse, work energy and power.

Coefficient of friction.

Equilibrium of bodies under action of forces. Moment of a force, couple. Newton's law of gravitation, Escape velocity, Acceleration due to gravity.

Mass and Weight Centre of gravity. Uniform circular motion Centripetal force, Simple Harmonic motion, Simple pendulum.

Pressure in a fluid and its variation with depth. Pascal's law, Principle of Archimedes, Floating bodies, Atmospheric pressure and its measurement.

Temperature and its measurement. Thermal expansion, Gas laws and absolute temperature. Specific heat, latent heat and their measurements, Specific heats of gases. Mechanical equivalent of heat. Internal energy and First law of thermodynamics. Isothermal and adiabatic changes. Transmission of heat; thermal conductivity.

Wave motion, Longitudinal and transverse waves. Progressive and stationary waves. Velocity of sound in a gas and its dependence on various factors. Resonance phenomena (air columns and strings).

Reflection and refraction of light. Image formation by curved mirrors and lenses. Microscopes and telescopes. Defects of vision.

Prisms, deviation and dispersion, Minimum deviation, Visible spectrum.

Field due to a bar magnet, magnetic moment, Elements of Earth's magnetic field. Magnetometers, Dia, para and ferromagnetism.

Electric charge, electric field and potential, Coulomb's law.

Electric current, electric cells, e.m.f. resistance, Ammeters and voltmeters. Ohm's law, resistances in series and parrallel, 'Specific resistance and conductivity. Heating effect of current.

Wheatston's bridge, Potentiometer.

Magnetic effect of current; straight wire, coil and solenoid electromagnetic, electric bell.

Force on a current-carrying conductor in magnetic field moving coil galvanometer conversion to ammeter or voltmeter.

Chemical effects of current Primary and storage cells and their functioning. Laws of electrolysis.

Electromagnetic induction : Simple A, C, and D, C, generators, Transformers, Induction coil.

Cathode rays, discovery of the electron, Bohr model of the atom, Diode and its use as a rectifier.

Production, properties and uses of X-rays, 'Radio-activity : Alpha Beta and Gamma rays.

Nuclear energy : fission and fusion, conversion of mass into energy, chain, reaction.

(ii) CHEMISTRY

Physical Chemistry

Atomic structure : Earlier models in brief, Atom as a three dimensional model. Orbital concept. Quantum numbers and their significance, only elementary treatment, Paulis Exclusion Principle, Electronic configuration. Aufbau Principle, s.p.d. and f. block elements.

Periodic classification only lqong form. Periodicity and electronic configuration. Atomic radii, electronegativity in period and groups.

2.. Chemical Bonding, Electro-vale nt, covalent, Coordinate covalent bonds. Bond Properties, sigma and Pic bonds, Shapes of simple molecules like water, hydrogen sulphide, methane and ammonium chloride, Molecular association and hydrogen bonding.

3. Energy changes in a chemical reaction. Exothermic and Exothermic Reactions. Application of First Law of thermodynamics, Hess's Law of constant heat summation.

4. Chemical equilibria and rates of reactions. Laws of mass action. Effect of Pressure, Temperature and concentration on the rates of reaction. (Qualitative treatment, based on Le Chatelier's Principle), Molecularity, First and Second order reaction Concept of Energy of activation. Application, to manufacture of Ammonia and Sulphur trioxide.

5. Solutions: True solutions, colloidal solutions and suspensions. Colligative properties of dilute solutions and determination of Molecular weights of dissolved substances. Elevation of boiling points. Depressions of freezing point, osmotic pressure, Raoult's law (Non-thermodynamic treatment only).

6. Electro-chemistry: solution of electrolytes, Faraday's Laws of electrolysis, ionic equilibria, Solubility product.

Strong and weak electrolytes' Acids and Bases (Lewis and Bronstead concept), pH and Buffer solutions.

7. Oxidation—Reduction: Modem electronic concept and oxidation number.

8. Natural and Artificial Radioactivity: Nuclear Fission and Fusion, uses of radioactive isotopes.

Inorganic Chemistry

Brief treatment of Elements and their Industrially Important compounds:

1. Hydrogen: Position in the periodic table, Isotopes of hydrogen, Electronegative and elecotropositive character, Water, hard and soft water, use of water in Industries, Heavy water and its uses.

2. Group I Elements. Manufacture of sodium hydroxide, sodium carbonate, sodium bicarbonate and sodium chloride.

3. Group II Elements, Quick and slaked lime, Gypsum, Plaster of Paris, Magnesium sulphate and Magnesia.

4. Group III elements. Borax, Alumina and Alum.

5. Group IV elements, (Coal. Coke and solid Fuels. Silicates. Zolitis semi-conductors), Glass (elementary treatment).

6. Group V Elements, Manufacture of ammonia and nitric acid, Rock phosphates and safety matches.

7. Group VI Elements, Hydrogen peroxide, allotropy of sulphur, sulphuric acid. Oxides of sulphur.

8. Group VII Elements. Manufacture and uses of Fluorine, Chlorine, Bromine and Iodine Hydrochloric acid, Bleaching powder.

9. Group O (Noble gases) Helium and its uses.

10. Metallurgical Processes: General Methods of extraction of Metals with specific reference to copper, iron, aluminium, silver, gold, zinc and lead. Common alloys of these metals: Nickel and manganese steels.

Organic Chemistry

Tetrahedral nature of carbon. Hybridisation and sigma pie bonds and their relative strength. Single and multiple bonds, Shapes of molecules, Geometrical and optical isomerism.

2. General methods of preparation, properties and reaction of alkanes, alkenes and alkynes. Petroleum and its refining—Its uses as fuel.

Aromatic hydrocarbons: Resonance and aromaticity, Benzene and Naphthalene and their analogues. Aromatic substitution reactions.

3. Halogen derivatives Chloroform, Carbon Tetrachloride. Chlorobenzene. D.D.T. and Gemmexane.

4. Hydroxy Compounds: Preparation properties and uses of Primary, Secondary and Tertiary alcohols. Methanol Ethanol, Glycerol and Phenol. Substitution reaction at aliphatic carbon atom.

5. Ethers, Diethyl ether.

6. Aldehydes and ketones: Formaldehyde, Acetadehyde, Benzaldehyde, Aceton, Acetophenone.

7. Nitro compounds amines: Nitrobenzene. TNT, Aniline, Diazonium compounds, Azodyes.

8. Carboxylic acid: Formic acetic, benezic and salicylic acid, acetyl salicylic acid.

9. Esters: Ethylacetate, Methyl salicylates, ethyl benzoate.

10. Polymers: Polythene, Teflon, Perpex, Artificial Rubber, Nylon and polyesten fibres.

11. Nonstructural treatment of Carbohydrates. Fats and Lipids, amino acids and proteins—Vitamins and hormones.

PAPER—III

MATHEMATICS

1. Algebra:

Concept of a set, union and Intersection of sets. Complement of a set, Null set, Universal set and Power

Venn diagrams and simple applications, Cartesian product of two sets, relation and mapping—examples, Binary operation on a set—examples.

Representation of real numbers on a line. Complex numbers: Modulus, Argument. Algebraic operations on complex numbers. Cube roots of unity Binary system of numbers. Conversion of decimal number to binary number and vice-versa, Arithmatic, Geometric and harmonic progressions. Summation of series involving A.P., G.P., and H.P. Quadratic equations with real co-efficient. Quadratic expressions: extreme values Permutation and Combination, Binomial theorem and its applications.

Matrices and Determinants: Types of matrices, equality, matrix addition and scalar multiplication—properties Matrix multiplicaton—non-commutative and distributive property over addition. Transpose of a matrix Determinant of a matrix, Minors and Cofactors. Properties of determinants Singular and non-singular matrices. Adjoint and Inverse of a square-matrix, Solutions of a system of linear equations in two and three variables—Elimination methods. Cramers rule and Matrix inversion method (Matrices with m rows and n columns where m,n, ≤ 3 are to be considered).

Idea of a Group, Order of a Group. Abelian group, Identity and inverse elements—Illustration by simple examples.

2. Trigonometry

Addition and subtraction formulae, multiple and submultiple angles, Product and factoring formulae. Inverse trigonometric functions—domains, Ranges and Graphes. DeMovire's theorem, expansion of Sin nθ and Cos nθ in a series of multiples of Sines and Cosines. Solution of simple trigonometric equations Applications: Height and Distance.

3. Analytic geometry (two dimensions)

Rectangular Cartesian Coordinate system, distance between two points, equation of a straight line in various forms, angle between two lines, distance of a point from a line. Transformation of axes. Pair of straight lines, general equation of second degree in x and y—condition to represent a pair of straight lines, point of intersection, angle between two lines. Equations of a circle in standard and in general form equations of tangent and normal at a point, orthogonality of two circles. Standard equation of parabola, ellipse and hyperbola—parametric equations. equations of tangent and normal at a point in both cartesian and parametric forms.

4. Differential Calculus.

Concept of a real valued function—domain, range and graph. Composite functions one to one, onto and inverse functions, algebra of real functions, examples of polynomial, rational, trigonometric, exponential and logarithmic functions. Notion of limit, Standard limits—examples. Continuity of functions—examples, algebraic operations of continuous functions. Derivative of a function at a point geometrical and physical interpretation of a derivative—applications Derivative of sum, product and quotient of functions, derivative of a function with respect to another function, derivative of composite function, chain rule. Second order derivatives. Rolle's theorem (statement only), increasing and decreasing functions. Application of drivatives in problems of maxima, minima, greatest and least values of a function.

5. Integral Calculus and Differential equation

Integral Calculus :

Integration as inverse of differentiation, integration by substitution and by parts, standard integrals involving algebraic expression, trigonometric, exponential and hyperbolic functions. Evaluation of definite integralts—determination of areas of plane regions bounded by curves applications.

Differential equations :

Definition of order and degree of a differential equation, formation of a differential equation by examples. General and particular solution of a differential equation, solution of first order and first degree differential equations of various types—examples. Solution of second order homogenious differential equation with constant co-efficient.

6. Vectors and its applications

Magnitude and dirrection of a vector, equal vectors, unit vector, zero vector, vectors in two and three dimentions, position vector. Multiplication of a vector by a scalar, sum and difference of two vectors. Parallelogram law and triangle law of addition. Multiplication of vectors—scalar product or dot product of two vactors, perpendicularity, commutative and distributive properties. Vector product or cross product of two vectors—its properties, unit vector perpendicular to two given vectors. Scalar and vector triple products. Equations of a line, place and sphere in vector form—simple problems. Area of a triangle, parallelogram and problems of plane geometry and trigonometry using vector methods. Work done by a force and moment of a force.

7. Statistics and probability

Statistics Frequency distribution, cumulative frequency distribution—examples. Graphical representation—Histogram, frequency polygen—examples. Measure of central tendency mean, median & mode. Variance and standard deviation—determination and comparison Correlation and regression.

Probability; Randum experiment, outcomes and associated sample space, events, mutually exclusive and exhaustive events, impossible and certain events. Union and intersection of events. Complementary, elementary and composite events. Definition of probability: classical and statistical—examples Elementary theorems on probability—simple problems. Conditional probability, Bayes' theorem—simple problems. Random variable as function on a sample space, Binomial distribution, examples of random experiments giving rise to Binomial distribution.

PERSONALTIY TEST

Each candidate will be Interviewed by a Board who will have before them a record of his career both academic and extramural. They will be asked Questions on maters of general interest. Special attention will be paid to assessing their potential qualities of leadership, initiative and intellectual curiosity, tact and other social qualities, mental and physical energy, power of practical application and integrity of character.

APPENDIX II

REGULATIONS FOR THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES FOR APPOINTMENT TO THE INDIAN RAILWAY SERVICE OF MECHANICAL ENGINEERS

[These regulations are published for the convenience of candidates and in order to enable them to ascertain the probability of their coming up to required Physical standard. The regulations are also intended to provide guidelines to the medical examiners and a candidate who does not satisfy the minimum requirements prescribed in the regulations cannot be declared fit by the medical examiners. However, while holding that a candidate is not fit according to the norms laid down in these regulations, it would be permissible for a Medical Board to recommended to the Government of India for reasons specifically recorded in writing that he may be admitted to service without disadvantage to Governments.

2 (a). It should, however, be clearly understood that the Government of India reserve to themselves absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board.

2 (b). The medical examination shall be conducted only of the candidates who are declared finally qualified by the UPSC on the basis of Special Class Railway Apprentices Examination, 2007. A communication for medical examination will be issued by the Ministry of Railways to the candiates individually at the address for communication indicated by them to the UPSC. In case any candidate does not receive such communication from the Ministry of Railways within 21 days from the date of declaration of final results, he/she shall get in touch with them to have the date of medical examination. Failure to do so within 21 days from the date of declaration of final result, will forfeit his/her claim for medical examination and thereby allotment on the basis of Special Class Railway Apprentices Examination, 2007.

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. (a) In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including, Anglo-Indian) race, it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates. If there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth the candidate should be hospitalised for investigation and X-Ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not fit by the Board.

(b) However the minimum standards for height and chest girth without which candidates cannot be accepted, are as follows:—

	Height	Chest girth fully expanded	expansion
Male Candidates	152 Cms.	79 Cm.	5 Cm.
Female Candidates	150 Cms.	74 Cm.	5 Cm.

The minimum height prescribed is relaxable in case of candidate belonging to Scheduled Tribes and to race such as Gorkhas, Garhwalees, Assamese, Negagaland Tribes, etc. whose average height is distinctly lower.

3. The candiate's height will be measured as follows :—

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on toes or other sides of the feet. he will stand erect without rigidity and the heels calves, buttocks and shoulders touching the standard; the chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal har and the height will be recorded in centimeters and parts of centimeters to halves.

4. The candidate's chess will be measured as follows :—

He will be made to stand erect, with his feet together and ro raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge—touches the interior angles of the shoulders blade behind and lies in same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hand loosely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several time and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in centimeters, thus 84—89, 86—93, etc. in recording the measurements fraction of less than half a centimeter should not be noted.

N. B. The height and chest of the candidate should be measured twice before coming to a final decision.

5. The candidate will also be weighed and his weight recorded in kilograms fraction of half kilogram should not be noted.

6. The candidate's eye-sight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be recorded:—

(i) General—The candidate's eye will be subjected to a general examination directed to the detection of any disease or abnormality. The candidate will be rejected if he suffers from any squint or morbid conditions of eyes, eye lids or contiguous structure of such a sort as to render or are likely at a future date to render him unfit for service.

(ii) Visual Acuity—The examination for determining the acuteness of vision includes two tests, one for distant, the other for near vision. Each eye will be examined separately.

There shall be no limit for maximum naked eye vision but the naked eye vision of the candidates shall however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case, as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

The candidate will be examined with the apparatus and in accordance with the method prescribed by the Railway Board's Standing Advisory Committee of Medical Officers, to determine his acuity of vision.

N. B.—No candidate will be accepted for appointment whose standard of vision does not come upto requirement specified below :—

The candidate's eye sight will be tested in accordance with the following rules :—

Sl. No.		Better eye (Corrected vision)	Worse eye
1.	Distant Vision	6/6 or 6/9	6/12 or 6/9
2.	Near Vision	J1	J2
3.	Type of Correction permitted		Spectacles
4.	Colour Vision requirements		High Grade
5.	Binocular Vision needed		Yes

Note : (1)

(a) Total Myopia (including the cylinder) shall not exceed—4.00 D.

(b) Total Hypermetropia (including the cylinder) shall not exceed +4.00 D.

(c) In every case of myopia fundus examination should be carried out and the results recorded. In the event of any pathological condition being present which is likely to be progressive and effect the efficiency of the candidate, he shall be declared unfit.

Radial keratotomy/lasik surgery shall be considered as a disqualification for this service.

Note : (2)

Colour vision :

The testing of colour vision is compulsory and the result should be normal in respect of all candidates. Satisfactory colour vision constitutes recognition of signal red, green and yellow colours with ease and without hesitation. Both the Ishihara's plates and Edridge's Green Lantern shall be used for testing colour vision.

Colour perception should be graded into higher and lower grades depending upon the size of the aperture in the lantern as described below :—

Grade		Higher Grade of Colour Perception	Lower Grade of Colour Perception
1.	Distant between the Lamp and the candiate	·16 Feet	16 Feet
2.	Size of aperture	1.3 mm	1.3 mm
3.	Time of exposure	5 seconds	5 seconds

Higher grade of colour perception is essential for Special Class Apprentices.

Note : (3)

The field of vision shall be tested in respect of all Services by the confrontation method. Where such test gives unsatisfactory or doubtful results, the field of vision should be determined on the perimeter.

Note : (4)

Night Blindness

Night Blindness need not be tested as a routine, but only in special case. No standard test for the testing of night blindness or dark adaptation is prescribed. The Medical Board should be given the discretion to improvise such rought test e.g. recording of visual acuity with reduced illumination or by making the candidate recognise various objects in a darkened rooms after he has been there for 20 to 30 minutes. Candidate's own statements should not always be relied upon, but they should be given due consideration.

Note : (5)

Occular conditions other than visual acuity :

(a) Any organic disease or a progressive refractive error which is likely to result in lowering the visual acuity should be considered as a disqualification.

(b) Squint—The presence of binocular vision is essential. Squint even if the visual acuity is of the prescribed standard, should be considered as a disqualification.

(c) One eyed persons—One eyed person will not be eligible for appointment.

Note : (6)

Contact Lenses :

During the medical examination of the candidate, the use of contact lenses is not to be allowed. It is necessary that when conducting eye test the illumination of the type letters for distant vision should have an illumination of 15 feet candles.

Note (7) :

It shall be open to Government to relax any one of the conditions in favour of any candidate for special reasons.

7. Blood Pressure

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure.

The rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows :—

(i) With young subjects 15—25 years of age the average is about 100 plus the age.

(ii) With subjects over 25 years of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N. B.—As a general rule any systolic systems over 140 mm and diastolic over 90 mm should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalization report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement, etc. or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electracardiographic examination of heart and blood urea a clearance test should be done as a routine. The final decision as to fitness or otherwise of a candidate will however, rest with the Medical Board only.

Method of taking Blood Pressure

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise of excitement. Provided the patient and particularly his arm is relaxed he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patients side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from clothes to the shoulder. The cuff completely deflated, should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend, of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and centrally over it below, but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 mm. Hg, and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the Systolic Pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level at which well-heard clear sound change to soft muffled fading sounds, represents the diastolic pressure. The measurement should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings. Rechecking, if necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff. (Sometimes, as the cuff is deflated sound are heard at a certain level they may disappear as pressure falls and reappear at a still lower level. This Silent Gap may cause error in reading).

8. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the result recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical tests, the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of the diabetes. If, except for the glycosuria the Board finds the candidate conforms to the standards of medical fitness require they may pass the candidate "fit subject to the glycosuria being non-diabetic" and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical Specialists will carry out whatever examinations, clinical and laboratory he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test and will submit his opinion to the Medical Board upon which the Medical Board will hase its final opinion "fit" or "unfit". The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital, under strict supervision.

9. A women candidate who as a result of test is found to be pregnant of 12 weeks standing or over should be declared temporarily unfit till the confinement is over. She should be re-examined for a fitness certificate six weeks after the date of confinement subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practitioner.

10. The following additional points should be observed :—

(a) that the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case hearing is defective the candidate should be got examined by an Ear Specialist, provided that, if the defect is of a temporary nature, remediable by operation but without the use of Hearing Aid, and provided further that the candidate has no progressive desease in the ear, he can be declared fit. The following are the guidelines for the medical examination authorities in this regard :—

(i)	Marked or total deafness in one ear, other ear being normal.	Unfit for appoitment as Special Class Apprentices.

(ii) Perceptive deafness both ears in which some improvement is possible by a hearing aid	Unfit for appointment as Speical Class Apprentices.
(iii) Perforation of tympanic memberances of central or marginal type.	Any healed perforation of eardrum would disqualify but evidence of healed lesion would not be a cause for disqualification.
(iv) Ears with mastoid cavity sub-normal hearing on one side/ both sides.	Unfit for appointment as Special Class Apprentices.
(v) Persistently discharging ear operated/unoperated	Temporarily unfit for both technical and non-technical jobs.
(vi) Chronic inflammatory/ allergic condition of nose with or without bony deformities of nasal septum.	(i) A decision will be taken as per circumstances of individual cases. (ii) If deviated nasal septum is present with symptoms—temporarily unfit.
(vii) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or Larynx	(i) Chronic inflammatory conditions of tonsils, and/or Larynx—Fit. (ii) Hoarseness of voice of severe degree is present then Temporarily unfit.
(viii) Benign or locally malignant tumours of the E. N. T.	(i) Benign tumours—Temporarily unfit. (ii) Malignant tumours-Unfit for appointment as Special Class Apprentices
(ix) Otoseclerosis	If the hearing is within 30 decibels after operation or with the help of hearing aid—Fit.
(x) Congential defects of ear, nose or throat	(i) if not interfering with function—Fit. (ii) Statering of severe degree—Unfit.
(xi) Nasal poly	Temporarily Unfit.

(b) that his/her speech is without impediment.

(c) that his/her teeth are in good order and that he/she is provided with dentures where necessary for effective mastication (well-filled teeth will be considered as sound);

(d) that the chest is well formed and his/her chest expansion sufficient and that his/her heart and lungs are sound:

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that he/she is not reptured;

(g) that he/she does not suffer from hydrocele varicose veins or piles;

(h) that his/her limbs, hands and feet are well-formed and developed that there is free and perfect motion of all his/her joints;

(i) that he/she does not suffer from any inveterate skin disease;

(j) that there is no congential malformation or defect;

(k) that he/she does not bears traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution;

(l) that he/she bears marks of efficient vaccination; and

(m) that he/she is free from communicable disease.

11. Radiographic examination of the chest for detecting any abnormality of the heart and lungs, which may not be apparent by ordinary physical examination will be restricted to only such candidates who are declared finally successful at the Special Class Railway Apprentices' Examination.

"The decision of the Chairman of the Central Standing Medical Board (conducting the medical examination of the concerned candidate) about the fitness of the candidate shall be final".

When any defect is found it must be noted in the Certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

Note (a) : Candiates are warned that there is no right of appeal against the findings of a Medical Board, special or standing appointed to determine their fintness for the above Service. If, however, Government are satisfied on the evidence produced before them of the possibility of an error of judgement in the decision of the first Medical Board, it is open to Government to allow an appeal to a second Medical Board, such evidence should be submitted within 15 days of the date of communication in which the decision of the first Medical Board is communicated to the candidate, otherwise no request for an appeal to a second Medical Board will be considered.

If any medical certificate is produced by a candidate as a piece of evidence about the possibility of an error of judgement in the decision of the first Board the certificate will not to be taken into consideration unless it contains a note by the medical practitioner concerned to the effect that it has been given in full knowledge of the fact that the candidate has already been rejected as unfit for service by the Medical Board.

Note (b) : Not appeal would be preferred after Appellate Medial Board and the decision of the Appellate Medical Board would be final.

Medical Board and their report.

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner :

1. The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service, of any of the candiate concerned.

2. No person will be deemed qualified for admission to the public service who shall not satisfy Government or the appointing authority as the case may be, that he has no disease, constitutional affliction or bodily infirmity unfitting him, or likely to unfit him for that service.

3. It should be understood that the question of fitness involves the future as well as the present and that one of the main objects of the medical examination is to secure continuous effective service, and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is the same .ime to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service, and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which is only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service.

4. A lady doctor will be co-opted as a member of the Medical Board whenever a women candidate is to be examined.

5. The report of the Medical Board should be treated as confidential.

6. In case where a candidate is declared unfit for appointment in the Government service, the grounds for rejection may be communicated by the appointing authority to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

7. In cases where a Medical Board considers that minor-disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board. There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

(A) Candidate's statement and declaration :

The candidate must make the statement required below prior to the Medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His attention should be specially directed to the warning contained in the Note below :—

1. State your name in full (in block letters) ....
....
....
....
....

2. State your age and birth place ....
....
....
....

3. Do you belong to races such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese, Nagaland Tribes etc., whose average height is distinctly lower. Answer 'Yes', or 'No' and if the answer is 'Yes' state the name of the race ....

4. (a) Have you ever had smallpox, Intermittent or any other fever, enlargement or suppuration of glands, Spitting of blood, asthma, heart disease, lung disease, fainting attacks, rheumatism, appendicitis.

OR

(b) Any other disease or accident, requiring confinement to bed and medical or surgical treatment. ....
....
....
....

5. Have you or any near relations been afflicted with consumption, serofula gout, asthma, fits/epilepsy or insanity? ....

6. Have you suffered from any form of nervousness due to overwork or any

other cause? ....

7. Furnish the following particulars concering your family :—

Father's age if living and state of health	Father's age at death and cause of death	No. of brothers living, their ages and state of health	No. of brothers dead, their ages at and cause of death

Mother's age if living and state of health	Mother's age at death and cause of death	No. of sisters living, their ages and state of health	No. of sisters dead, their ages at and cause of death

8. Have you been examined by a Medical Board before ?

....

9. If answer to the above is yes, please state what service/services you were examined for ?

....

10. Who was the examining authority ?

....

11. When and where was the Medial Board held ?

12. Result of the Medical Board's examination if communicated to you or if known.

13. All the above answers are to the best of my knowledge and belief, true and correct and I shall be liable for action under law for any material infirmity in the information furnished by me or supression of relevant material information. The furnishing of false information or suppression of any factual information would be a disqualification and is likely to render me unfit for employment under the Government. If the fact that false information has been furnished or that there has been suppression of any factual information comes to notice at any time during my service, my services would be liable to be terminated.

Candidate's Signature
Signed in my presence
Signature of the Chairman of the Board.

PROFORMA—I

Report of the Medical Board on (name of candidate) Physical Examination

1. General Development :

Fair...

Good...

Poor...

Nutrition

Thin..................................average..................................

....obese...................................

Height (without shoes)..

Weight.............................best weight..............................

when...

any recent change in weight...

Temperature..

....

....

....

....

Girth of Chest :

(1) After full inspiration

(2) After full expiration

2. Skin. Any obvious disease

3. Eyes :

(1) Any disease...

(2) Night blindness...

(3) Defect in colour vision..

(4) Field of vision..

(5) Visual Acuity...

(6) Fundus Examination..

Acuity of vision	Naked/with eye glasses	Strength of glasses Sph. Cy. Axis
Distant Vision	R. E. L. E.	
Near Vision	R. E. L. E.	
Hypermetropia (Manifest)	R. E. L. E.	

4. Ears :
Inspection..........................Hearing.......................................
Right Ear..................................Left Ear..........................

5. Glands...............................Thyroid.................................

6. Condition of teeth...

7. Respiratory System : Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs.

....

....

If yes, explain fully...

8. Calculatory System :

(a) Heart any organic lession

Rate : Standing.........................

After hopping 25 times..............................

2 minutes after hopping............................

Blood pressure :

Diastolic............................Systolic..................................

9. Abdomen Girth.........................Tenderness....................

....Hernia...

(a) Palpable : Lever...

Spleen............................Kidneys..............................

Tumours.................................

(b) Haemorrhoid.......................Fistula............................

10. Nervous system : Indication of nervous mental disabilities.

11. Loco Motor System : Any abnormality.........................

12. Genito Urinary System. Any evidence of Hydrocele, Varicocele, etc.

Urine Analysis :

(a) Physical appearance..

(b) Sp. Gr...

(c) Albumen...

(d) Sugar...

(e) Casts...

(f) Cells...

13. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the service for which he is a candidate ?

Note : In case of a female candidate, if it is found that she is pregnant of 12 weeks standing or over she should be declared temporarily unfit vide regulation 9.

14. For which services has (the candidate been examined and found in all respects qualifed for the efficient and continuous discharge of his duties and for which of them is he considered unfit).

Note : (I) The Board should record their findings under one of the following three categories :

(i) Fit...

(ii) Unfit on account of...

(iii) Temporarily unfit on account of ....

Note : (II) The candidate has not undergone chest X-Ray test. In view of this, the above findings are not final and are subject to the report on chest X-Ray test.

Place :

Signature Chairman

Date :

Member
Member

Seal of the Medical Board

PROFORMA-II

Candidate's Statement/Declaration

1. State your Name :
(in block letters)

2. Roll No.

Candidate's Signature
Signed in my presence
Signature of the chairman of the Board

To be filled in by the Medical Board.

Note : The Board should record their findings under one of the following three categories in respect of chest X-ray test of the candidate.

Name of the candidate...

(i) Fit

(ii) Unfit on account of

(iii) Temporarily unfit on account of

Place :

Signature

Chairman
Member
Member

Date :

Seal of the Medical Board

APPENDIX III

Conditions of Apprenticeship for Special Class Apprentices Selected through the Examination

The terms and conditions of Apprenticeship will be as set out in the form of agreement prescribed in the Indian Railway Establishment Manual, brief particulars of which are given below :

1. A candidate offered appointment as a Special Class Railway Apprentice shall executre an agreement in prescribed form binding himself and one surety jointly and severally, to refund, in the event of his failing to complete training as Special Class Railway Apprentice or to accept the service as an officer on probation in the Indian Railway Service of Mechanical Engineers, if offered to him to the satisfaction of the Government, any money paid to him and any other money expended by Government on him, the Government being the exclusive judge of the quantum of such expense.

The apprentices will be liable to undergo practical and theoretical training of 4 years in first instance under an indenture binding them,to serve on the Indian Railways on the completion of their training. if their service are required. The continuance of apprenticeship from year to year will depend on satisfactory reports being received from the authorities under whom the apprentices may be working. If at any time during his apprenticeship, any apprentice does not satisfy the superior authorities that he is making good progress he will be liable to be discharged from the apprenticeship.

Note : The Government of India may at their discretion alter or modify the periods and courses of training.

2. The practical and theoretical training referred to above will be given in a Railway working for four years of their apprenticeship. Special Class Railway Apprentices must pass within this period either Parts 1 and 2 or the Council of Engineering Institutions Examination (London) or Section 'A' and 'B' of the Associate Membership of Institution of Engineers (India) Examinations or any other examination prescribed by Ministry of railways. The apprentices will be granted a stipend of Rs. 4000/- per month during the 1st and 2nd years and Rs. 4200/- per month during the 3rd year and first six months of 4th year and 4400 for last six months of fourth year. During the apprenticeship, the candidates will be required to undergo both theoretical and practical training. There will be in all six Semester Examination passing each of which compulsory. If unsuccessful at any of these examination they will be depending on their performance, he asked to sit for and pass in supplementary examination or reverted to the next lower batch or removed from apprenticeship.

Note : Except as provided for in paragraph 4 below or in cases of discharge or dismissal due to insubordination, intemprance or other misconduct or breach of agreement 9 weeks notice of discharge from apprenticeship will be given.

3. Before the completion of 4rh year of training referred to in paragraph 2 above, the apprentices will be listed in order of merit on the examination hold and the reports on the apprentices received during te period of apprenticeship. Successful apprentices will be appointed on probation for 3 years in the Indian Railway Service of Mechanical Engineers.

Note : An apprentice will be considered to have obtained the qualifying standard if he obtains a minimum of 50 per cent marks in the aggregate in all the examinations held during the six Semester Examinations of his training including the marks of the reports of the Principal, Indian Railways Institute of Mechanical and electrical Engineers, Jamalpur and of the deputy Chief Mechanical Engineer, provided that in each of the six Semester Examination he has obtaind a minimum of 45 per cent marks in the aggregate and a minimum of 40 per cent marks in any one subject.

4. Unsuccessful apprentices will be discharged from their apprenticeship, one month's notice of discharge being given along with the intimation that the apprentice has been unsuccessful.

5. After successful completion of 4 years apprenticeship the apprentices will be appointed as probationers in the Indian Railways Service of Mechanical Engineers subject to the proviso below para I in Appendix IV. Particulars as to pay and general conditions of service for officers of Indian Railway Service of Mechanical Engineers have been given in Appendix IV.

APPENDIX IV

Particulars Regarding the Indian Railway Service of Mechanical Engineers

1. The period of probation will be three years. The appointment and pay as probationers will commence from (a) the data of completion of 4 years of the apprenticeship or (b) the actual data of completion of training whichever is later.

Provided however that those Special Class Apprentices who could not pass Parts I & II of AMIME (London)/Parts A & B of MIE (India) Examination within 4 years of their apprenticeship will be deemed to have been appointed as probationers only the date when they pass in full either of these examination.

Note: (i) the retention in service of probationers and the grant of annual increments are subject to satisfactory reports on their work being received at the end of each year of probation.

(ii) The services of a probationer may be terminated on three months notice on either side.

2. During the 1st and 2nd year of probation they will be sent to one or more of the Indian Railways for undergoing training in accordance with the Syllabus prescribed for the purpose as modified from time to time. The probationers may also be required to attend after working hours, a technical college of special lectures on Engineering subjects. They will be given an oral test at the end of each phase of training during these two year of training and at the end of the 2nd year, they will be given a written test to be conducted jointly by the Chief Mechanical Engineer and the Chief Operating Superintendent of the Railway to which they are posted, on the training received by the probationers during the period. The qualifying marks at this test will be 50 per cent.

3. During the probationary period they will have to attend a prescribed course of training in the Railway Staff College Baroda and to qualify in the test held in the College. The test in the College is compulsory and a second chance in the event of failure, will not be given except in exceptional circumstances and provided the record of the offices is such as to justify such relaxation being made. Failure to pass the test may involve the termination of service, and in any case the officers will not be confirmed till they pass the test their period of training and/or probation being extended as necessary. Before the end of the second year of probation, they will be required to unddergo a departmental examination which will include Accounting and Estimating, General and Subsidiary Rules Factory Act, Workmen's Compensation Act, ability to handle labour and general application to work or works on which each Officer is engaged while on probation. They will be required to pass the departmental examination within the second year of the probationary period. Failure to pass the examination may result in termination of service and will, in any case, involve stoppage of increments in case where the probationary period has to be extended for failing to pass any or all the departmental examination within the stipulated period on their passing the departmental examination and being confirmed after the expiry of extended period of probation the drawal of the first and subsequent increments will be regulated by the Rules and Orders in force from time to time. It must be noted that a second chance to pass any examination will as a rule not be given except under exceptional circumstances and only provided the other record of the candidate during the period of his training is such as to justify such relaxation being made.

Note : The period of training and the period of probation against a Working post may be modified at the discretion of Government. If the period of training is extended in any case due to the training not having been completed satisfactory, the total period of probation will be correspondingly extended.

4. Probationers should have already passed or should pass during the period of probation an examination in Hindi in the Devanagari script of an approved standard. The examination may be the "PRAVEEN" Hindi Examination which is conducted by the Directorate of Education, Delhi of one of the equivalent Examination recognised by the Central Government.

No probationary Officer can be confirmed or his pay in the time scale raised to Rs. 8550.00 per month unless he fulfils this requirement and failure to do so will involve liability to termination of service. No exemption can be granted.

5. Any person appointed to the Indian Railway Service of Mechanical Engineers shall, if so required, be liable to serve in any defence Service of post connected with the Defence of India for a period of not less than four years including the period spent on training, if any;

Provided that such a person

(a) shall not be required to serve as a foresaid after the expiry of ten years from the date of appointment as probationers;

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

6. Officers of the Indian Railway Service of Mechanical Engineers :—

(a) will be eligible to pensionary benefit, and;

(b) shall subscribe to the State Railway Non-Contributory Provident Fund under the Rules of that Fund, as applicable to Railway Servants appointed on the date they join service.

7. Pay will commence from the date of joining service as a probationers. Service for increments will also count from the same date subject to paragraph above. Particulars as to pay are contained in paragraph 10 of this Appendix.

8. Officers required under these regulations shall be eligible for leave in accordance with the rules for the time being in force applicable to officers of Indian Railway.

9. Officers will ordinarily be employed throughout their service on the Railway to which they may be posted on first appointment and will have to claim as a matter of right to transfer to some other Railway but the Government of India reserve the right to transfer such officers in the exigencies of service, to any other Railway or Project in or out of India. Officers will be liable to serve in the Stores Department of Indian Railways if and when called upon to do so.

10. The following are the rate of pay of present admissible to officers appointed to Indian Railway Servcie of Mechanical Engineers.

Junior Scale : Rs. 8,000-275-13,500/-.

Senior Scale : Rs. 10,000-325-15,200/-.

Junior Administrative Grade : Rs. 12,000-375-16,500/-.

Senior Administrative Grade : (i) Rs. 16,400-450-20,000/-.

(ii) Rs. 18,400-500-22,400/-.

Note: 1. Probationary officers will start on the minimum of the Junior scale and will count their service for increment from the date of joining. They will, however, be required to pass any departmental examination or examination that may be prescribed before their pay can be raised from Rs. 8275.00 p.m. to Rs. 8550.00 p. m. in the time scale.

Note: 2. Increment from Rs. 8275.00 to Rs. 8550.00 will be stopped if they fail to pass departmental examinations within the first two years of the training and probationary period. In cases where the training period has to be extended for failure to pass all the departmental examinations within the stipulated period, on their passing the departmental examinations after expiry of the extended period of training their pay from the date following on which the last examination ends, will be fixed at the stage, in the time scale, which they would have otherwise attained but no arrears of pay would be allowed to them. In such cases the date of future increments will not be affected.

11. The increment will be given for approved services only and in accordancde with the rules of the Department.

12. Promotion to the Administrative grades are dependent on the occurrence of vacancies in the sanctioned establishment and are made wholly by selection, mere seniority does not confer any claim for such promotion.

MAMTA KANDWAL
Dy. Director Estt. (GR)
Railway Board.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 3rd January 2007

No. K-14012/101/2006-NURM—In continuation of this Ministry's Notifications of even number dated 27.02.2006 and 21.07.2006, it has been decided to include Prof. R. V. Rama Rao, presently holding the post of Chief Project Coordinator, Institute of Development and Planning Studies (IDPS), Visakhapatnam, as Member of the Technical Advisory Group (TAG) under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM).

2. Other terms and conditions of the TAG as envisaged in Ministry's earlier notifications dated 27.02.2006 and 21.07.2006 will remain unchanged.

3. This issues with the approval of Minister for Urban Development.

MEHAR SINGH
Deputy Secretary

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2007
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2007